



भारतवर्ष

अंग्रेजी राज्य
देशी
स्वतंत्र



आर्कनी द्वीपस

ब्रिटिश द्वीपसमूह



भारतवर्ष

अन्तर्गर्भय ज्ञानकोषः

भारत सरकार
राज्य सरकार
राज्य सरकार
राज्य सरकार

भारतवर्ष

अ

अखिल अमरीकन परिषद्—अखिल अमरीकन परिषद् (Pan American Union) के अन्तर्गत २१ प्रजातंत्र स्वतंत्र राज्य सम्मिलित है। इसका मुख्य कार्यालय वाशिगटन में है। इस परिषद् का उद्देश्य उत्तरी तथा दक्षिणी अमरीका में राजनीतिक और आर्थिक सहकारिता एवं एकता की भावना को प्रोत्साहन देना तथा स्फूर्ति प्रदान करना है। दक्षिणी अमरीका के प्रजातंत्रों को सदैव यह भय बना रहता है कि अखिल अमरीका में कहीं संयुक्त राज्य अमरीका का आर्थिक तथा राजनीतिक नेतृत्व स्थापित न हो जाय। अतः राजनीतिक क्षेत्र में एकता स्थापित करने के लिए घोषणाओं के सिवा, अखिल अमरीकनवाद के संगठन तथा प्रोत्साहन के लिए अभी तक कोई ठोस प्रयत्न नहीं हो सका। ऐसी अनेक संस्थाएँ भी स्थापित की गई हैं, जिनके द्वारा आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहकारिता की भावना पैदा करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। हवाना (क्यूबा) में २१ जुलाई से ३० जुलाई १९४० तक दोनों अमरीकाओं के प्रजातंत्र राज्यों के वैदेशिक मंत्रियों का द्वितीय सम्मेलन हुआ, जिसमें २१ अमरीकन प्रजातंत्र राज्यों ने विभिन्न विषयों पर २५ प्रस्ताव स्वीकार किये। इनमें से मुख्य निश्चय निम्न प्रकार हैं:— अन्तर्अमरीकन तटस्थता-समिति, राजदूतों के कार्य तथा अधिकार, प्रत्येक अमरीकन राज्य के, समाज तथा संस्थाओं की रक्षा के निमित्त, पुलिस तथा

न्याय-सबधी कार्यों की सुनियोजित व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय रैडक्रास सोसाइटी सघ, पास-पोर्ट-नीमा, अमरीका की सस्थाओं के विरुद्ध बाह्य शक्तियों द्वारा संचालित कार्य एव प्रचार, अन्तर्अमरीकन प्रजातंत्रवादी आदर्श को अतरे में डालनेवाली विचारधारा से सुरक्षा, शरणागतों की योजना, अन्तर्राष्ट्रीय विधान की रचना, अन्तर्अमरीकन सगठन, अगडों का शान्तिपूर्ण निर्णय, अमरीका के राज्यों की रक्षा में पारस्परिक सहायता, अमरीका के राज्यों में शान्ति तथा सगठन की स्थापना, पारस्परिक विचार-विनिमय का तरीका, इत्यादि ।

अखिल अरब आन्दोलन—इस आन्दोलन का लक्ष्य है समस्त अरबों का एक सघ या राज्य स्थापित करना । शाम (सीरिया), जो आधुनिक अरबी राष्ट्रीयता का गढ़ है, इस आन्दोलन का केन्द्र है । इसके समर्थक समस्त अरबी-भाषी देशों में मिलते हैं । यह आन्दोलन अखिल इस्लामवाद (Pan-Islamism) से मिलता-जुलता है । परन्तु अन्तर केवल इतना ही है कि इसका आधार राष्ट्रीय है, इसी कारण इस आन्दोलन में अरबी-ईसाई भी, मुस्लिम अरबों की भाँति ही, सहयोग देते हैं ।

इस आन्दोलन में अरबों की स्थानिक तथा कबीले-सबधी दृढ़ भावना और भिन्न अरब राज्यों एव नरेशों में प्रतिस्पर्धा के कारण बाधा पड़ रही है । इस स्पर्धा के आधार में कोई सैद्धान्तिक मतभेद नहीं है, प्रत्युत नेतृत्व के लिए अगड है । अखिल-अरब आन्दोलन कोई सुसंगठित शक्ति नहीं है । वह तो अरबों में पायी जानेवाली एक सामान्य सहानुभूति की भावधारा है, जो समय-समय पर प्रकट होजाती है । अनेक गुण तथा प्रकाश्य सस्थाओं द्वारा इस आन्दोलन का संचालन हो रहा है । फिलिस्तीन के प्रश्न पर विलुदेन—शाम (सीरिया) में सितम्बर १९३७ में अखिल अरबवादियों की एक कांग्रेस हुई थी । यरूशलम के मुफ्ती आजम के प्रयत्न से यह कांग्रेस हुई थी । इसमें ४५० प्रतिनिधि शामिल हुए थे । इस आन्दोलन का लक्ष्य है समस्त अरब-राज्यों का सघ स्थापित करना । फिलिस्तीन में यहूदियों को यह लोग सशक्त नहीं देखना चाहते । मिस्त्र की इस आन्दोलन से सहानुभूति तो है परन्तु दूरी बाधक है । कुछ मिस्त्रवासियों का कहना है कि मिस्त्र सब अरब राज्यों में प्रगतिशील है इसलिए उसे इस आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण करना

अखिल इस्लामवाद

चाहिए। सऊदी अरब तथा मिस्र की जो सधियों हुई हैं, उनमें अरब-बधुत्व की ओर सकेत है। फ़्रान्सीसी उत्तरी अफ्रीका तथा मरक्को में भी इस आन्दोलन के प्रति सहानुभूति है। इन दोनों देशों के लोग अरब जाति के नहीं हैं, और न वे विशुद्ध अरबी भाषा का ही प्रयोग करते हैं; किन्तु वहाँ वास्तविक अरबों का सम्मान किया जाता है। आधुनिक समय में समस्त अरब देश किसी-न-किसी यूरोपियन राज्य के अधीन हैं अथवा उनके सरक्षण या प्रभाव-क्षेत्र में हैं। इसलिए यूरोपीय शक्तियाँ इन देशों में अरब-आन्दोलन की प्रगति में बाधा डालती रहती हैं।

अखिल इस्लामवाद—इस आन्दोलन का यह लक्ष्य है कि राजनीतिक दृष्टि से इस्लाम के समस्त अनुयायी मिलकर अपना एक संघ या साम्राज्य स्थापित करें। संसार में मुसलमानों की कुल संख्या ३०,००,००,००० है। इस्लामी बंधुत्व मुस्लिम मत का एक आधारभूत सिद्धान्त है और खलीफ़ा की विगत सस्था यह सिद्ध करती है कि राजनीतिक दृष्टि से समस्त मुसलमानें एक प्रमुख के अधीन रहे हों। आधुनिक अर्थ में अखिल इस्लामवाद का प्रादुर्भाव १८वीं शताब्दी में हुआ। तुर्की में सुल्तान अब्दुर्रशीद द्वितीय के नेतृत्व में यह आन्दोलन शुरू किया गया। परन्तु यह प्रयत्न विफल रहा। सन् १६११ में अखिल इस्लामवादी कांग्रेस भी विफल रही। सन् १६१४-१८ के विश्वयुद्ध में ख़िलाफ़त की स्थिति दुर्बल सिद्ध हुई। तुर्किस्तान के सुल्तान की जिहाद (धर्म-युद्ध) की घोषणा का मित्रराष्ट्रों पर कोई प्रभाव न पडा, और मुसलिम अरबों तथा भारतीय मुसलमानों ने इस्लामी तुर्कों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। जब मुस्तफ़ा कमाल पांशा ने सुल्तान और ख़िलाफ़त सस्था का ख़ात्मा कर दिया और तुर्किस्तान में 'अधार्मिक नीति' के अनुसार राज्य-प्रबंध तथा शासन होने लगा, तब अरबों में अखिल इस्लामवाद के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। विगत विश्व-युद्ध के पूर्व तुर्किस्तान प्रमुख इस्लामी राज्य था। वह अखिल इस्लामवाद का भी केन्द्र था। इसलिए ख़िलाफ़त के पुनरुद्धार के लिए प्रयत्न किया जाने लगा। सन् १६२६ में काहिरा में ख़िलाफ़त कांग्रेस और मक्का में अखिल मुस्लिम कांग्रेस हुई। परन्तु कोई व्यावहारिक निश्चय न हो सका। ख़लीफ़ा के पद के लिए कई नाम लिए जाने लागे। बादशाह


अखिल यूरोपवाद

इब्न सऊद और मुफ्ती आज़म (Grand Mufti) के नाम भी पेश किए गए। परन्तु सत्य तो यह है कि आदिकालीन खलीफ़ों के समय से आज तक कोई संयुक्त पान-इस्लामी साम्राज्य नहीं रहा, और आज भी जातीय, भौगोलिक तथा आर्थिक मतभेद अखिल-इस्लामी साम्राज्य की स्थापना में बाधा हैं। परन्तु अब इस्लामी जनता के स्वातंत्र्य-युद्ध में अखिल इस्लामवाद को एक आध्यात्मिक अस्त्र की तरह काम में लाया जा रहा है। सन् १९३८ में मिस्र और शाम (सीरिया) में जो मुस्लिम सम्मेलन हुए उनका फिलिस्तीन की समस्या पर, अरबों के पक्ष में, अच्छा प्रभाव पड़ा। सन् १९३४ में सादावाद के समझौते के अनुसार यह निश्चय हुआ कि तुर्की, ईरान, ईराक़ और अफ़ग़ानिस्तान में परस्पर राजनीतिक सहकारिता स्थापित की जायगी। उसी प्रकार सऊदी अरब की मिस्र और ईराक़ के साथ जो संधियाँ हुई हैं, उनमें “इस्लामी सद्भावना” का उल्लेख किया गया है।

अखिल जर्मनवाद—इस आन्दोलन का उद्देश्य समस्त जर्मन भाषा-भाषियों को एक ही राज्य के अन्तर्गत संगठित करना है। सन् १९१४-१८ के विश्व-युद्ध से पूर्व जर्मनी में इस आन्दोलन का संचालन ‘हर’ श्रेणी के लोगों ने किया था। पहले इसका उद्देश्य आस्ट्रिया के जर्मन-भाषी प्रान्तों को जर्मनी में मिलाना था। आस्ट्रिया में अखिल जर्मनवाद अर्थात् पान-जर्मनिज़्म का जोरदार प्रचार था। हर हिटलर का जन्म इसी वातावरण में हुआ और उस पर इस आन्दोलन का बड़ा प्रभाव पड़ा। अखिल-जर्मनवादी विटमार्क की पूजा करते थे, परन्तु उसने आस्ट्रिया की सुरक्षा का समर्थन किया था। हिटलर ने आस्ट्रिया और सूडेटनलैण्ड को जर्मनी में मिलाकर इस आन्दोलन के लक्ष्य की पूर्ति की। पश्चिम में अखिल-जर्मनवाद का लक्ष्य अलनेस-लॉरेन, लक्ज़मबर्ग तथा जर्मन-भाषी स्विट्ज़रलैण्ड को जर्मनी में मिलाना रहा है। उग्र जर्मनवादी तो यहों तक चले हैं कि हालैण्ड और फ़्लैण्डर्स को भी जर्मनी में मिलाया जाय।

अखिल यूरोपवाद—वियना नगर में चाउट निकोलस तथा काउज़न एंड्रस कालरेगी ने सन् १९२६ में यह आन्दोलन शुरू किया। अखिल यूरोपीय

जर्मनी और संसार



अग्रगामी दल

यूनियन का लक्ष्य, रूस को छोड़कर, समस्त यूरोप में एक संघ कोयम करना था। प्रारम्भ में इस आन्दोलन को कुछ सफलता मिली। परन्तु कुछ दिनों के बाद इसका अन्त होगया।

अखिल स्लैववाद—इस आन्दोलन का जन्मदाता हर हर्डर नामक एक जर्मन विचारक है। इसका जन्म १६वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुआ था। इसका उद्देश्य समस्त स्लैव जनता को एक राज्य के अधीन करना था। सबसे प्रथम स्लैव कांग्रेस सन् १८४१ में हुई थी। इसके बाद रूस ने अखिल स्लैववाद आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया। उसने इस आन्दोलन को अपने साम्राज्यवाद की प्रगति के लिए एक साधन बनाया। पोलैण्ड, यूक्रेन तथा बल्कान राज्यों और आस्ट्रिया पर अपना आतंक जमाने के लिए रूस इस आन्दोलन में कूद पड़ा। आस्ट्रिया तथा बल्कान राज्यों के स्लैव अपने सभ्य-मण्डल लेकर रूस को जाया करते थे। रूसी साहित्य में एक नवीन विचारधारा चल पड़ी थी जिसके अनुसार यूरोप में स्लैवों को एक पवित्र 'मिशन' माना जाने लगा। सोकल क्रीडा-संघ समस्त स्लैव लोगों में अखिल स्लैववादी विचारधारा का प्रचार करने लगा। बहुत-सी स्लैव कांग्रेसें भी हुईं, परन्तु रूसी राज्य-क्रांति (१९१७) के साथ इस आन्दोलन का भी अन्त होगया। इस आन्दोलन के प्रभाव के कारण ही बल्कान देशों में से तुर्कों का निष्कासन संभव होसका तथा आस्ट्रिया का साम्राज्य छिन्नभिन्न होगया। यह आन्दोलन एक संगठित राजनीतिक आन्दोलन के रूप में नहीं रहा। प्रत्युत् यह तो एक भावात्मक लहर के रूप में ही रहा। विगत विश्व-युद्ध के बाद स्लैव जनता में पारस्परिक सहानुभूति की भावना का उदय हुआ, परन्तु स्लैव जनता के आपसी झगड़ों के कारण इसका व्यापक प्रभाव न पड़ा।

अगादिर—यह पश्चिमी मरुको का एक बन्दरगाह है जो सन् १९११ के मरुको-संकट के समय से प्रसिद्ध होगया है।

अग्रगामी दल—भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी-अधिवेशन (मार्च सन् १९३६) के बाद जब कांग्रेसी नेताओं के नीति-सम्बन्धी आंतरिक झगड़ों के कारण कांग्रेस के राष्ट्रपति श्री सुभाषचंद्र बोस ने राष्ट्रपतित्व से त्याग-पत्र

दे दिया तब उन्होंने ३ मई १९३६ को कांग्रेस के अन्तर्गत अग्रगामी दल बनाने की घोषणा की। अपने कलकत्ते के भाषण में उन्होंने कहा कि इस दल का उद्देश्य उन लोगों को एकत्र करना है जो कांग्रेस की समझौतावाली नरम नीति एवं साम्राज्यवाद के विरोधी हैं। “यह दल कांग्रेस का अग्र रहेगा, उसके वर्तमान विधान, लक्ष्य, नीति और कार्यक्रम को मानेगा, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का सम्मान करेगा और उनके अहिंसात्मक असहयोग के राजनीतिक सिद्धांत में पूर्ण विश्वास रखेगा।” जून १९३६ के अन्तिम सप्ताह में अग्रगामी दल का प्रथम सम्मेलन हुआ और उसमें उसका कार्यक्रम निर्धारित किया गया। उसका मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार रखा गया—(१) कांग्रेस को स्थिर स्वार्थवाले पूँजीवादियों से बचाना। (२) ऐसा कार्य करना जिससे कांग्रेसी मंत्रिमण्डल को कांग्रेस पर प्रभुत्व स्थापित न होने पावे। (३) कांग्रेस को जनतावादी तथा उग्रवादी बनाया जाय। (४) किसान-मजदूर आन्दोलन को मदद दी जाय। (५) कांग्रेस तथा अन्य साम्राज्य-विरोधिनी संस्थाओं में एकता स्थापित करना। (६) अखिल भारतीय स्वयंसेवक-दल बनाना। (७) देशी रियासती जनता के आन्दोलनों में उसकी सहायता करना। (८) सघ-शासन का बगैर समझौता किए विरोध करना। (९) साम्राज्यवादी महायुद्ध में भारतवर्ष को शामिल न होने देने का प्रचार करना। (१०) विदेशी वस्त्रों का वहिष्कार करना। (११) आज़ादी की लड़ाई को शीघ्र ही आरम्भ करने की तैयारी करना।

अपने जन्म-काल से इस दल ने कांग्रेस के भीतर उपर्युक्त कार्यक्रम को सामने रखकर कार्य किया और आज भी उसका अस्तित्व है। परन्तु कांग्रेस के अधिकारियों ने सदैव इस दल को अनावश्यक बतलाया और इसकी भरसक निंदा भी की।

समस्त प्रांतों में प्रांतिक तथा ज़िला अग्रगामी दल बन गये। रामगढ़ कांग्रेस-अधिवेशन के साथ समझौता-विरोधी सम्मेलन भी सुभाष बाबू के सभापतित्व में हुआ। कांग्रेस की उच्चसत्ता निरन्तर सुभाष बाबू का विरोध

अटलांटिक योजना

करती रही। इसने कटुता का रूप धारण कर लिया। १९४१ के जनवरी महीने में सुभाष बाबू भारत से कहीं बाहर चले गये। उनके बाद भारतीय सिविल सर्विस के भूतपूर्व सदस्य और सुभाष बाबू के अनन्य सहकारी श्री विष्णु हरि कामथ इस दल के प्रधान सचालक रहे और उनके साथ श्रीमुकुन्दलाल सरकार प्रधान कार्यकर्ता रहे हैं। इस दल के सदस्यों ने कलकत्ते के कालक्रोठरी के स्मारक—हालवैल मानूमेंट—के उखडवाने के लिए सन् १९४० में सत्याग्रह किया और इसमें उन्हें सफलता मिली। बंगाल-सरकार ने इस स्मारक को नष्ट कर दिया और श्री सुभाष बोस के सिवा सब सत्याग्रही बन्दियों को भी रिहा कर दिया। सन् १९४२ के जून मास में सरकार ने अग्रगामी दल को गैरकानूनी घोषित कर दिया और इसका दमन किया।

अटलांटिक योजना—अगस्त १९४१ में ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्री चर्चिल संयुक्त-राज्य अमरीका के राष्ट्रपति रूज़वेल्ट से नवीन युद्धपोत 'प्रिस आफ वेल्स' में अटलांटिक महासागर में एक स्थान पर मिले। इसी स्थान पर इन्होंने एक घोषणा-पत्र तैयार किया, जो 'अटलांटिक चार्टर' के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी योजनाये इस प्रकार हैं:—

(१) हमारे देश न किसी देश पर विजय चाहते हैं और न किसी राज्य के प्रदेश पर अधिकार जमाना।

(२) हम कोई ऐसे प्रादेशिक परिवर्तन नहीं चाहते जो उन देशों की जनता की स्वतन्त्र आकांक्षा के अनुकूल न हो।

(३) हम समस्त राष्ट्रों के, अपनी सरकार की प्रणाली को पसन्द करने के, अधिकार का आदर करते हैं, और हम यह देखने के लिए लालायित हैं कि उन्हें पुनः प्रभुत्व के अधिकार तथा स्वशासन प्राप्त हो जिनसे कि वे बलपूर्वक वंचित किए गए हैं।

(४) हम अपनी वर्तमान ज़िम्मेदारियों का समुचित ध्यान रखते हुए इस बात का प्रयत्न करेंगे कि छोटे-बड़े, विजित तथा विजेता सभी राज्यों को समानता की शर्तों पर व्यापार करने तथा संसार के कच्चे माल को प्राप्त करने का अधिकार हो जिनकी, आर्थिक सम्पन्नता के लिए, उन्हें ज़रूरत है।

(५) हम समस्त राष्ट्रों में, आर्थिक क्षेत्र में श्रमिकों की दशा में सुधार,

आर्थिक उन्नति तथा सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से पूर्ण सामञ्जस्य तथा सहयोग पैदा करना चाहते हैं ।

(६) नाजी अत्याचार के अन्तिम सर्वनाश के बाद हम ऐसी शान्ति की स्थापना की आशा करते हैं जिसमें समस्त राष्ट्रों को अपनी सीमाओं के अन्तर्गत सुरक्षित रूप से रहने के साधन प्राप्त हो और जिससे ऐसा आश्वासन मिले कि समस्त देशों में समस्त व्यक्ति अपना जीवन निर्भय होकर स्वच्छन्दता से बिता सकें ।

(७) ऐसी शान्ति में समस्त व्यक्तियों को समुद्रों तथा महासागरों पर बिना किसी बाधा के यातायात का अधिकार होगा ।

(८) हमारा यह विश्वास है कि ससार के समग्र राष्ट्रों को सामारिक तथा आध्यात्मिक कारणों से बल-प्रयोग (Use of force) का परित्याग करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में शान्ति की रक्षा न हो सकेगी यदि राष्ट्र, आजकल के समान ही, थल-सेना, जल-सेना तथा आकाश-सेना और शस्त्रीकरण को अपने अधिकार में रखे रहेगे, जिनके कारण आक्रमण की संभावना बनी रहेगी । हमारा यह विश्वास है कि जब तक सामान्य सुरक्षा के लिए किसी व्यापक तथा स्थायी प्रणाली की प्रतिष्ठा न हो, तब तक ऐसे राष्ट्रों के लिए निरस्त्रीकरण परम आवश्यक है । हम ऐसे समस्त व्यावहारिक उपायों को प्रोत्साहन देगे तथा सहायता प्रदान करेगे, जिनसे शान्तिप्रेमी जनता के लिए शस्त्रीकरण का दबा देनेवाला बोझ हल्का होजाय ।

मेजर एटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में सरकार की ओर से यह घोषित किया कि अटलांटिक घोषणा समस्त ससार के राष्ट्रों के लिए लागू होगी, जिनमें भारत तथा ब्रिटिश साम्राज्य भी शामिल हैं । परन्तु सितम्बर १९४१ में चर्चिल ने अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया कि, जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, यह घोषणा उसके लिए लागू नहीं होगी, भारत के वाइसराय ने ८ अगस्त १९४० को जिस औपनिवेशिक स्वराज्य की घोषणा की है, वही भारत के लिए उपयुक्त है ।

इस नीति का भारतीय-लोकमत ने घोर विरोध किया और अपना गहरा असन्तोष प्रकट किया ।

अतिरिक्त लाभ-कर

अणु, माधव श्रीहरि—भारत के वाइसराय की एक्जीक्यूटिव कौंसिल के भारतीय प्रवास-विभाग के सदस्य। शिक्षा—बी० ए०, एलएल० बी०। आप लोकमान्य तिलक के सहयोगी रहे। होमरूल आन्दोलन में अग्रगण्य भाग लिया। सन् १९२८ में मराठी-सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। आप मराठी के श्रेष्ठ वक्ता तथा लेखक हैं। असहयोग (सन् १९२०-२१) तथा सविनय-अवज्ञाभंग (१९३०-३२) के आन्दोलनों में प्रमुख भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन् १९३३ में स्थानापन्न राष्ट्रपति रहे। नेहरू-कमिटी के सदस्य थे। सन् १९३४ में साम्प्रदायिक-निर्णय (Communal Award) के प्रश्न पर कांग्रेस की तटस्थता-नीति के विरोध में आपने कांग्रेस की कार्य-समिति से त्यागपत्र दे दिया। सन् १९३४ में ही श्री प० मदनमोहन मालवीय के सहयोग से आपने कांग्रेस-राष्ट्रीय-दल की स्थापना की और उसी साल केन्द्रीय धारासभा के सदस्य चुने गए। आप केन्द्रीय असेम्बली में कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी के नेता बनाये गए। जुलाई १९४१ में वाइसराय की कार्यकारिणी का विस्तार हुआ तब लार्ड लिनलिथगो ने आपको अपनी कार्यकारिणी कौंसिल का सदस्य नियुक्त किया।



अतिरिक्त लाभ-कर—युद्ध आदि अवसरों पर पूँजीपति अनुचित मुनाफे से अपनी पूँजी बढ़ा लेते हैं। चीजों को महँगे मूल्य में बेचते हैं। युद्ध के लिए सामग्री भी वे ही तैयार करते हैं तथा जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्माण भी वे ही लोग करते हैं और अपने माल को मनमाने दामों पर बेचते हैं। युद्ध के समय राज्य को अपनी रक्षा के लिए विशेष तैयारी करनी पड़ती है। अतः राज्य-कोष में वृद्धि के लिए जिन करों की व्यवस्था-सरकार करती है, उनमें से एक अतिरिक्त लाभ-कर (Excess Profit Tax) भी है। यह कर पूँजीपतियों पर लगाया जाता है। उन्हें व्यापार में

जो लाभ होता है, उसका एक निर्धारित अंश, कर के रूप में, सरकार को देना पड़ता है। सन् १९३६ में जब युद्ध आरम्भ हुआ, तब सरकार ने एक कानून बनाकर यह टैक्स भारत में भी लागू कर दिया।

अधिनायक-तंत्र—शासित जनता की सम्मति या आकाङ्क्षा के बिना या उसके विरुद्ध किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह का शासन। प्राचीन रोमन प्रजातंत्र के समय भी यह प्रणाली प्रचलित थी। जब राज्य या राष्ट्र पर कोई सकट आता था तब धारा-सभा द्वारा एक व्यक्ति को ७ वर्ष के लिए अधिनायक नियुक्त कर दिया जाता था। इस अवधि में उसे सर्वाधिकार प्राप्त होते थे। जब सकट-काल समाप्त हो जाता था, तब वह अपना पद त्याग देता था और फिर विधान के अनुसार शासन-प्रवृद्ध होने लगता था। आधुनिक समय में यूरोप तथा एशिया के अनेक राज्यों में अधिनायक-तंत्र स्थापित हैं। जर्मनी, इटली, स्पेन, और सिद्धांततः नहीं तो कार्यतः जापान में सैनिक-अधिनायकतंत्र प्रचलित हैं। सोवियट रूस का अधिनायक जनता द्वारा जनता के लिये है।

अन्तर्राष्ट्रीयता—अन्तर्राष्ट्रीयता से तात्पर्य उस विचारधारा से है जो सत्तार के समस्त राष्ट्रों में पारस्परिक राजनीतिक, आर्थिक, राजस्व-सम्बन्धी, सांस्कृतिक और सामाजिक सहकारिता का सवध स्थापित करना चाहती है। इस विचारधारा के अनुसार समस्त राष्ट्रों को, सामान्य हितों की रक्षा के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करना वाञ्छनीय है।

अन्तर्राष्ट्रीय गायन—यह समस्त समाजवादियों और साम्यवादियों का अन्तर्राष्ट्रीय गायन है। यह सोवियट रूस का राष्ट्रीय गायन भी है। सन् १८७१ में एक वेलजियन मजदूर ने इसकी रचना की थी। सन् १९३४ में उसकी मृत्यु पेरिस में हो गई। इस गायन के प्रथम छन्द का हिन्दी रूपान्तर निम्न प्रकार है:—

“उठो ! ऐ बुभुक्षित ! अपनी घोर निद्रा का त्याग कर ।

उठो ! ऐ अभाव—आवश्यकता—के बन्दी ।

क्योंकि अब बुद्धि ने विद्रोह का बीड़ा उठाया है ।

अब आँखों में पुरातन-युग का अन्त होता है ।

अब तुम अपने सब अन्ध-विश्वासों का अन्त करदो ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ

दासता के बंधन में जकड़ी मानवता जाग जा, जाग जा ।

हम तुरन्त ही पुरानी दशा को बदल देंगे—

और धूल को पद-प्रहार कर पुरस्कार जीतेगे ।

आओ, साथियो ! आओ रैली करे ।

हमे अन्तिम सघर्ष का सामना करना है ।

ऐ अन्तर्राष्ट्रीय गीत ! मानव-जाति एकता के सूत्र मे पिरोदे ।”

अन्तर्राष्ट्रीय-विधान—संसार के समग्र राष्ट्रों के पारस्परिक राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के नियमन तथा नियंत्रण के लिए समस्त राष्ट्रों की प्रतिनिधि-परिषद् द्वारा निर्धारित उद्देश और नियम । अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अन्तर्गत केवल वे ही नियम आते हैं जिनका महत्व सार्वदेशिक होता है तथा जिन्हे सब राष्ट्र सर्व-सम्मति से या बहुमत से स्वीकार कर लेते हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ—इस संस्था की स्थापना सन् १९२० मे राष्ट्रसंघ के साथ ही उसके विधान की धारा २३ (अ) तथा वर्साई की संधि की धारा ३८७-४८७ के अन्तर्गत हुई थी । इसमे राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य-राष्ट्र शामिल हैं, और ऐसे भी राष्ट्र शामिल है जो राष्ट्र-संघ के सदस्य नहीं हैं, जैसे सयुक्त-राज्य अमरीका । इसके अन्तर्गत चार उपसंस्थाएँ हैं: (१) अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ-सम्मेलन, (२) कार्य-कारिणी सभा (Governing Body), (३) सहायक संस्थाएँ, और (४) अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन का अधिवेशन एक वर्ष मे एक बार होता है । इसमे मजदूरों के संबंध की समस्याओं पर विचार किया जाता है और मजदूरों के संबंध मे उनकी स्थिति मे सुधार के लिए निश्चय किये जाते हैं तथा राष्ट्रों की सरकारों से सिफारिशों की जाती है । इस बात की भी जाँच की जाती है कि सम्मेलन के निश्चयों और निर्णयों का सरकारों कहीं तक पालन करती है । प्रत्येक राज्य इस सम्मेलन मे चार प्रतिनिधि भेजता है—दो सरकार के प्रतिनिधि, एक मिल-मालिकों का प्रतिनिधि और एक मजदूरों की ओर से प्रतिनिधि भेजा जाता है । किसी सिफारिश की स्वीकृति या कन्वेंशन की स्वीकृति के लिए दो-तिहाई का मत आवश्यक है, तथा साधारण प्रस्ताव के लिए बहुमत का नियम है । इस सम्मेलन के प्रतिनिधियों को, सम्मेलन द्वारा

स्वीकृत सिफारिशों, अपने राज्य की धारा-सभा में पेश करनी चाहिए और १८ महीने की अवधि के भीतर ही ऐसा होजाना चाहिए। कार्य-कारिणी सभा अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय की व्यवस्था करती है तथा उसके डाइरेक्टर की नियुक्ति करती है। सहायक सस्थाओं में अनेक समितियाँ हैं जो विविध प्रश्नों की जाँच करती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय मजदूरों के सवध में समस्त देशों से सूचनाएँ संग्रह करता है और उनका वितरण करता है। वह जाँच का भी काम करता है। कार्यालय में ४०० कर्मचारी हैं जो ३७ राष्ट्रों के नागरिक हैं। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के ६० राज्य सदस्य हैं। संयुक्त-राज्य अमरीका भी इसका सदस्य है। जर्मनी, इटली और जापान ने उससे सवध-त्याग कर दिया है। संघ ने अब तक ६३ निर्णय किये हैं, जिनका सवध मजदूरों की स्थिति, स्वास्थ्य, बीमा, पेंशन, काम के घण्टों तथा पारिश्रमिक आदि से है।

अन्तर्राष्ट्रीय संघ—समाजवाद के आचार्य कार्ल मार्क्स ने समाजवादी विचारधारा के व्यापक प्रचार और प्रसार के लिए सन् १८६४ में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय-संघ की स्थापना की। सन् १८७१ में पेरिस की पचायत (कम्यून) की घटना हुई।

यह सबसे प्रथम समाजवादी विद्रोह था। उससे यूरोप की सरकारें भयभीत होगईं। इस संघ के प्रति सरकारों का रुझ कड़ा होगया। इसलिए कार्ल मार्क्स ने सन् १८७२ में इसका प्रधान कार्यालय अमरीका के मुख्य नगर न्यूयार्क में भेज दिया। अमरीका जाने पर इसका प्रभाव यूरोप में कम होगया और धीरे-धीरे उसका अन्त होगया। सन् १८८६ में द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। यूरोप में इस समय मजदूर-संघों और श्रमजीवी दलों का बल और साधन पहले से अधिक बढ़ गए थे। मार्क्स के जमाने से अब उनकी इज्जत भी अधिक बढ़ गई थी। यह संघ २५ वर्ष तक चला। फिर जब महायुद्ध आया तब इसका अन्त हो गया। इसके कार्यकर्त्ता और सचालक अपने-अपने देशों में उच्च पदों पर नियुक्त होगये। पद-ग्रहण करते ही, यह मजदूरों के हिमायती, ठंडे पड़ गये और मजदूर आन्दोलन को कुचलने में भी इन्हे सकोच न हुआ। युद्ध के बाद जर्मनी के समाजवादी-प्रजातंत्र दल के लोग प्रजातंत्र-राज्य के राष्ट्रपति

अनुदार दल

और प्रधान-मंत्री बन गये। फ्रान्स में मज़दूरों का नेता त्रियाद ग्यारह बार प्रधान-मंत्री बना और उसने मज़दूरों की हड़तालों को दबाया। विश्व-युद्ध (१९१४-१८) के बाद रूस के प्रमुख नगर मास्को में रूसी राज्य-क्रान्ति के प्रमुख नेता लेनिन ने सन् १९१९ में एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। यह विशुद्ध साम्यवादी संघ था। इसमें वही सम्मिलित हो सकते थे, जो अपने को पक्का साम्यवादी घोषित करते थे। यह आज भी विद्यमान है और यह संघ तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ के नाम से विख्यात है। विश्व-युद्ध के बाद द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ के जो कुछ लोग शेष बचे, वे कुछ तो तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ में मिल गये और जो शेष बचे उन्होंने द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ का पुनरुद्धार किया। आज ये दोनो संघ द्वितीय तथा तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये दोनो ही कार्ल मार्क्स के अनुयायी होने का दावा करते हैं; परन्तु दोनो परस्पर इतनी घृणा का व्यवहार करते हैं कि जितना जर्मन यहूदी के साथ। इन दोनो अन्तर्राष्ट्रीय संघों में संसार के समस्त मज़दूर-संघ शामिल नहीं हैं। अनेक देशों के मज़दूर-संघों का इन दोनो में किसी से भी संबंध नहीं है। अमरीका तथा भारत के मज़दूर संघों का इन दोनो से कोई संबंध नहीं।

अनाक्रमण-संधि—दो राष्ट्रों के मध्य परस्पर बल-प्रयोग न करने तथा अपने विवादों का समझौते द्वारा निर्णय करने के लिए की गई सन्धि। विगत विश्व-युद्ध के बाद से, और विशेषतः राष्ट्रसंघ की विफलता के कारण, यूरोप के राष्ट्रों में इस प्रकार की संधियाँ अधिकता से होने लगीं। यह संधियाँ वास्तव में, युद्ध के लिए गुटबन्दी के हेतु, की गई थीं। इन संधियों से राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा बिलकुल नहीं हुई।


अनुदार दल—यह ब्रिटेन का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। इसे अँगरेजी में 'कज़रवेटिव पार्टी' कहा जाता है। वहाँ की यूनियनिस्ट पार्टी भी इसीके अन्तर्गत है। सन् १९३५ के कॉमन-सभा के निर्वाचन में कुल २,२०,००,००० मतों में से १,०४,६६,००० मत अनुदार-दल के उम्मीदवारों को मिले। कॉमन-सभा की ६१५ जगहों में से ३७५ जगहें अनुदार-दल को मिलीं। यह दल सामान्यतया प्रगतिशील और प्रजातंत्र का समर्थक तो है; परन्तु क्रान्ति की

अपेक्षा विकासवाद तथा सुधारवाद में विश्वास करता है। सामाजिक-सुधार के कार्यों में भी इस दल के सदस्य भाग लेते रहे हैं। यह दल समाजवाद का विरोधी है और व्यक्तिवाद पर जोर देता है। राष्ट्रीयता में अति उग्र है और साम्राज्यवाद का समर्थक है। इसके आर्थिक कार्यक्रम में ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत देशों के लिए व्यापारिक सुविधाएँ भी शामिल हैं। यह दल साधारण तटकर के पक्ष में भी है।

अफ़ग़ानिस्तान—यह देश भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर है। क्षेत्रफल २,५०,००० वर्गमील तथा जनसंख्या १,००,००,००० हैं। इसकी राजधानी काबुल है। इसका शासक मुहम्मद जहीर शाह है। यह पहाड़ी प्रदेश है—बहुत ही पिछड़ा हुआ तथा औद्योगिक दृष्टि से अ विकसित। इसकी स्वाधीनता की रक्षा का मुख्य श्रेय इस देश की भौगोलिक स्थिति तथा अफ़ग़ानों की युद्ध-प्रियता को है। यह सोवियट रूस और भारत के बीच में तटस्थ राज्य है। इस देश में मुख्यतः तीन भाषाएँ प्रचलित हैं—फारसी, पश्तो और तुर्की। सन् १६१६ में अमीर हवीबुल्ला का, जो उदार विचार का और अंगरेजों का समर्थक शासक था, विरोधियों द्वारा क़त्ल कर दिया गया। नसरुल्ला को वह लोग अमीर बनाना चाहते थे। परन्तु अमीर हवीबुल्ला के पुत्र अमानुल्ला ने ऐसा करने में बाधा उपस्थित की। उसने नसरुल्ला को कैद कर लिया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। उसने सबसे पहले अंगरेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी। अफ़ग़ान-सेना ख़ैबर दर्रे में आ गई और भारत के सीमा-प्रान्त के विद्रोही कबीलों को सहायता देनी शुरू कर दी। अफ़ग़ान बड़ी जल्दी पराजित हो गए और विराम-संधि हो गई। सन् १६२१ में ब्रिटेन तथा सोवियट रूस से उसने संधि कर ली। इसके बाद अमीर अमानुल्ला ने अपने देश में अनेक सुधार किये। सन् १६२६ में अमीर पद छोड़कर उसने बादशाह की उपाधि ग्रहण की। सन् १६२७-२८ में उसने यूरोप के देशों का भ्रमण किया और उन देशों की आश्चर्य-जनक प्रगति से प्रभावित होकर अपने देश में भी आधुनिकता लाने का आयोजन किया। उसने इस कार्य में तुर्की के चाता क़माल पाशा का अनुकरण किया। यूरोप की वेशभूषा, आभूषण तथा रहन-सहन का प्रचलन किया, पर्दे की रिवाज बन्द कर दी तथा एकपत्नी-व्रत

पालन का नियम बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सन् १९२६ में मुल्लाओ ने अमानुल्ला के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सयोग से बादशाह की सेना के सैनिकों का वेतन बढ़ाया था और सैनिकों में असंतोष था, इसलिए फौज़ भी उसका साथ न दे सकी। वह भारत में भागकर आगया और यहाँ के रास्ते इटली चला गया। तब से वह वही पर है। इसके बाद अफ़ग़ानिस्तान में बड़ा भीषण गृह-युद्ध हुआ। अमानुल्ला-विरोधी विद्रोह का नेता एक मामूली भटियारा बन गया। इसका बाप भिश्ती था, इसलिए विद्रोह में इसका नाम बच्चा-सदक़ा पड गया। इसने शासन का भार संभाल लिया और अमानुल्ला ने जितने सुधार किए थे, वे सब रद्द कर दिये गये। परन्तु वह योग्य शासक सिद्ध न हुआ। जनरल नादिरख़ॉ ने, जो इन दिनों पेरिस में अपने दिन काट रहा था, काबुल वापस आकर बच्चा-सदक़ा के इविलाफ़ विद्रोह का झण्डा उठाया। सीमान्त के वज़ीरियों की मदद से उसने बच्चा-सदक़ा को पराजित कर दिया और सन् १९२६ में उसे फ़ौसी दे दी गई।

नादिरख़ॉ नादिरशाह नाम रखकर अफ़ग़ानिस्तान की राजगद्दी पर बैठा। उसने फिर से देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित कर दी। ब्रिटिश सरकार से उसने फिर शान्तिपूर्ण संधि स्थापित किया। अफ़ग़ानिस्तान से रूस का प्रभाव भी मिट गया। ८ अप्रैल सन् १९३३ को, जबकि नादिरशाह एक खेल के अवसर पर पारितोषिक वितरण कर रहा था, उसका वध कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस हत्या में कोई राजनीतिक रहस्य नहीं था। न्यायालय के एक पदच्युत अफसर के लडके ने बदला लेने के लिए उसका वध किया। इसके बाद नादिरशाह का बेटा मुहम्मद ज़हीरशाह तख्त पर बैठा। वही बादशाह है।



अबीसीनिया—यह अफ्रीका का एक देश है। इसका अरबी नाम मुल्क हवश और अंगरेजी नाम इथियोपिया है। इसका क्षेत्रफल ३,५०,००० वर्ग मील तथा जन-संख्या ७५,००,००० है। सन् १६३६ तक यह स्वतंत्र था। इसके बाद यह इटली के अधीन होगया। जब पिछली सदी में इटली ने अफ्रीका में इरीट्रिया तथा शुमालीलैण्ड पर आधिपत्य जमा लिया तब ही से उसकी इच्छा इस स्वतंत्र देश को भी अपने अधीन बनाने की थी। सन् १८६६ में इटली अबीसीनिया-युद्ध में अदुआ स्थल पर इटली की पराजय हुई। इसके बाद अबीसीनिया स्वतंत्र तो रहा, परन्तु उसने आधुनिक समय के अनुसार कोई उन्नति नहीं की। इस शताब्दी के प्रारम्भिक युग में अबीसीनिया में राजसिंहासन के लिए बहुत दिनों तक संघर्ष चलता रहा। अन्त में हेली सिलासी सम्राट होगया। पहले यह राजकुमार रास तफारी के नाम से विख्यात था। दिसम्बर सन् १६३४ में सीमान्त पर उल-उल नामक स्थान पर इटली तथा अबीसीनिया में संघर्ष होगया। इसके परिणामस्वरूप २ अक्टूबर सन् १६३५ को इटली और अबीसीनिया में युद्ध छिड़ गया। ये दोनों ही तब राष्ट्रसंघ के सदस्य थे। हेली सिलासी ने राष्ट्रसंघ से हस्तक्षेप करने के लिए अपील की। राष्ट्रसंघ ने इटली को आक्रामक घोषित कर दिया और बहुत देर के बाद इटली के विरुद्ध आर्थिक दण्डाज्ञा का भी प्रयोग किया। आर्थिक दण्डाज्ञा भी बहुत ही परिमित रूप में प्रयुक्त की गई तथा राष्ट्रसंघ के सदस्य सैनिक दण्डाज्ञा का प्रयोग करना नहीं चाहते थे। उस समय फ्रांस में मोशिये लावले प्रधान मंत्री था। उसने इटली को मदद दी। ब्रिटेन ने भी पूरी शक्ति के साथ अबीसीनिया की मदद नहीं की। इसलिए राष्ट्रसंघ इटली के आक्रमण को रोकने में अशक्त सिद्ध हुआ। अबीसीनिया की सेनाएँ पुराने ढंग की थी, वे आधुनिक युद्ध-कला में दक्ष नहीं थी, फिर अबीसीनिया के पास युद्ध की सामग्री भी नहीं थी। वह इटली की आधुनिक युद्ध-सामग्री से लहस ५,००,००० सेना का मुकाबला करने में अयोग्य था। इटली के हवाई जहाजों तथा बम-वर्षकों ने अबीसीनिया में बम-वर्षा की और विषैली गैस का भी प्रयोग किया। १ मई १६३६ को सम्राट हेली सिलासी ईंगलैण्ड को भाग गये और ६ मई १६३६ को मुसोलिनी ने अबीसीनिया को इटली के साम्राज्य में मिला लेने



पाकर आप कोलम्बिया विश्वविद्यालय (अमरीका) गये और वहाँ अर्थशास्त्र तथा समाज-विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की तथा विश्वविद्यालय से एम० ए०, पीएच० डी० की पदवियाँ प्राप्त की। सन् १९०७ में वह सिडेनहम कालेज बम्बई में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। फिर वह जर्मनी तथा लन्दन विशेष अध्ययन के लिये गये और वहाँ जाकर अर्थशास्त्र में लन्दन-विश्व-विद्यालय से डी० एससी० की पदवी प्राप्त की। सन् १९२६ में मुद्रा-कमीशन के समक्ष इन्होंने अपना वक्तव्य दिया। 'वहिष्कृत हितकारिणी सभा' की इन्होंने स्थापना की और "वहिष्कृत भारत" नामक समाचार-पत्र का संपादन किया। सन् १९३०-३२ में गोलमेज-परिषद् लन्दन में भारत के दलित वर्ग की ओर से सरकार द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत होकर गये। सन् १९३३ में संयुक्त पार्लमेटरी कमिटी के समक्ष बयान दिया। सन् १९३५-३६ में भारतीय सीमानिर्धारण-कमिटी के सदस्यों के सामने आपने अपना वक्तव्य दिया। सन् १९३२ में हुए पूना-समझौता के समय से आपका राजनीति में विशेष महत्व है। पूना-समझौता पर आपने भी हस्ताक्षर किये। अर्थशास्त्र विषय पर आपने कई खोजपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। राजनीति के उच्चकोटि के विद्वान् हैं। दलित वर्ग में पृथक्वादी दल-विशेष के सबसे योग्य और प्रसिद्ध नेता आप हैं। आप दलित वर्ग के लिए पृथक् निर्वाचन चाहते हैं। आप 'पाकिस्तान' के भी पोषक हैं। सन् १९४१ के बाद जुलाई सन् १९४२ में जब वाइसराय की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, तब इस कार्यकारिणी में डा० अम्बेदकर को मज़दूर-विभाग का सदस्य बनाया गया।



अमरीकन डगलस वी १९—यह ससार का सबसे बड़ा बम-वर्षक वायुयान है। इसका वज़न ८२ टन तथा चाल की गति २०० मील प्रति घण्टा है। यह अमरीका का हवाई जहाज है।

अमरीकन मज़दूर संघ—यह अमरीका तथा कनाडा की मज़दूर-संस्था है। इसका केन्द्र वाशिंगटन में है। सेम्युअल गोम्पर्स के प्रयत्न से, सन् १८८१

अमरीकन मज़दूर संघ

में, इस संघ की स्थापना हुई थी। गोम्पर्स न्यूयार्क नगर का एक सिगरेट बनानेवाला था। सन् १८७७ में इसने न्यूयार्क के सिगरेट बनानेवालों का संगठन किया। इस संघ के सिद्धान्त यह हैं—समस्त उत्तरी अमरीका में प्रत्येक व्यापार के लिए एक मज़दूर संघ हो, दो संघ न होने चाहिए। इस संघ के मज़दूर व्यक्तिगत रूप से सदस्य नहीं हैं, प्रत्युत् मज़दूर-यूनियन इसकी सदस्य है। इस संघ में १०० स्थानीय मज़दूर यूनियन (संघ) शामिल हैं। पूर्ण सत्ता इन मज़दूर सभाओं के हाथ में है। हड़ताल आदि करने का निश्चय भी वे ही करती हैं। अमरीकन मज़दूर-संघ के अधिकार नैतिक हैं और उसके अधिकारी केवल सलाह देते हैं। इसकी एक कार्य-कारिणी सभा है, जिसका ४६ राज्यों के मज़दूर संघों पर प्रभाव है। ओटावा में कनाडा की एक स्वतंत्र कनाडियन कांग्रेस भी है।

अमरीकन मज़दूर-संघ का अधिवेशन प्रति वर्ष एक बार होता है। सन् १९२० में जो मज़दूर सभाएँ इस संघ की सदस्य थीं, उनके कुल सदस्य ४०,००,००० थे। सन् १९३३ में यह संख्या २१,००,००० रह गई। सन् १९३८ में ३३,००,००० होगई। इस संघ ने अमरीका के १५ फीसदी से अधिक मज़दूरों का संगठन नहीं किया है।

अमरीका के मज़दूरों में, यूरोपीय मज़दूरों की भाँति, वर्ग-चेतना का जागरण नहीं हुआ है। मिल-मालिक सरकारी सहायता से इनके आंदोलन को दबाने का सदैव प्रयत्न करते हैं। मज़दूर-सभाएँ मिल-मालिकों से मज़दूरों के हितों की रक्षा के लिए सामूहिक समझौते करती हैं। वे उनसे यह कहती हैं कि मिलों में सिर्फ मज़दूर-सभाओं के मज़दूरों को ही रखा जाय। जो मिल-मालिक मज़दूर सभाओं को स्वीकार कर लेते हैं उनसे मज़दूर-सभाएँ यह अनुरोध करती हैं कि उनके द्वारा तैयार माल पर मज़दूर सभा की छाप (यूनियन लेबिल) लगाया जाय। मज़दूर-सभाओं के सदस्यों को भी यह कहा जाता है कि वे माल खरीदते समय ऐसे लेबिल के माल को ही खरीदें।


अमरीकन मज़दूर संघ यूरोपियन मज़दूर-संघों से कई बातों में भिन्न है। यह संघ समाजवाद-विरोधी है तथा राजनीति से पृथक् रहता है। वह अमरीकन मज़दूर-दल बनाना नहीं चाहता। वह अपना उद्देश्य, पूँजीवादी-व्यवस्था के

अन्तर्गत रहते हुए, मजदूरों का सुधार करना मानता है। पहले वह समझौते से काम लेता है, और जरूरत पडने पर मालिकों से सघर्ष भी किया जाता है। इस सघ का सस्थापक सेम्युअल गोम्पर्स अपनी मृत्यु (सन् १९२४) पर्यन्त इसका अव्यक्त रहा। तब से विलियम ग्रीन इसका अव्यक्त है। इस सघ के अन्तर्गत मजदूर-सभाओं के सदस्य दत्त मजदूर ही होते ह। इसका अमरीका में काफी प्रभाव है। सन् १९३६ में 'औद्योगिक सगठन-कारिणी समिति' नामक एक दूसरी मजदूर-सस्था की स्थापना की गई। इस सस्था ने अल्प-काल में ही आश्चर्यजनक उन्नति कर दिखलाई। सन् १९३८ में इसके ४०,००,००० सदस्य थे। ससार-व्यापी द्वितीय महायुद्ध के समय, जब अमरीका भी लडाकू राष्ट्रों में सगमिलित होगया, यहाँ के दियार बनानेवाले कारखानों में, सन् १९४१ में, कई बार हडताले हुई। मजदूरों ने वेतन-वृद्धि की माँग की। रूजवेल्ट ने खुद इन हडतालों में बल-प्रयोग किया, क्योंकि वह अमरीका का सेनापित भी है। कारखाने कई दिनों तक फौजी-सरक्षण में चलाने पडे। अत में मजदूरों की माँगें स्वीकार करली गई।

अरब—अरब जाति की कुल सख्या ५ करोड है। १ करोड अरब, अरब देश में हैं, ४० लाख अरब शाम में, ३५ लाख इराक में, १० लाख फिलिस्तीन में, १ करोड ४० लाख मिस्र में, ७ लाख लीबिया में, २३ लाख ट्यूनिशिया में, ६० लाख अलजीरिया और ७० लाख मरक्को में हैं। सिर्फ अरब देश के अधिवासी सभी अरब सामी (Semitic) नस्ल के हैं, दूसरे देशों के अरब वर्णसकर हैं। अरबों में राष्ट्रीयता की भावना सबसे प्रथम सन् १८४७ में शाम (सीरिया) में उदय हुई। अरबों की स्वाधीनता का सघर्ष पहले-पहल तुर्की के विरुद्ध शुरू हुआ, क्योंकि अधिकांश अरब देशों पर उसका ही प्रभुत्व था।

सन् १९१४-१८ के विश्वयुद्ध में अरबों ने तुर्की के विरुद्ध ब्रिटेन का साथ दिया। अँगरेजों ने अरबों को स्वाधीनता देने की प्रतिज्ञा की थी। अक्टूबर सन् १९१५ में मक्का शरीफ में अमीर हुसैन ने अँगरेजी राजदूत सर हैनरी मेकमाहाने के साथ समझौते की वार्ता की और अरबों की स्वाधीनता की माँग प्रस्तुत की। वह अरब-देश, शाम (सीरिया) और मेसोपोटा-

मिया मे अरबो की स्वाधीनता चाहता था । सर हेनरी ने लिखा कि ब्रिटेन मक्का के शरीफ की उपर्युक्त माँग को स्वीकार करने के लिए तैयार था. परन्तु पश्चिम मे दमिश्क, होम्स, हामा और यलेप्पो को वह अपने संरक्षण मे रखना चाहता था । युद्ध के बाद कोई सयुक्त स्वाधीन अरब राज्य नहीं स्थापित किया गया, जैसा कि युद्ध से पूर्व वादा किया गया था । इससे अरबो में असन्तोष फैल गया । संयुक्त अरब राज्य के स्थान पर छोटे-छोटे परतत्र राज्य ईराक, फिलिस्तीन, ट्रान्सजोर्डेनिया, सीरिया बना दिये गए । इन पर अंगरेजो और फ्रांसीसियो का आधिपत्य कायम होगया । केवल हेजाज़ प्रदेश ही स्वतत्र रह सका । इस प्रकार अरबो का राष्ट्रीय आन्दोलन, युद्ध के बाद, ब्रिटेन और फ्रान्स के विरुद्ध होने लगा । अरब देश मे बड़े उपद्रव हुए । फिलिस्तीन मे यहूदी-अरब-संघर्ष खूब हुआ । सन् १९३२ मे ईराक को स्वतत्रता देदी गई । शाम को भी सन् १९३६मे स्वतत्रता दी गई । परन्तु फ्रान्स ने अभी तक इस देश से अपनी फौजे वापस नहीं बुलायी हैं ।



अरब-देश—अरब देश मे निम्नलिखित देश शामिल है:—(१) सऊदी अरब—यह सबसे विशाल और अधिक स्वतत्र है । (२) यमन—इसका क्षेत्रफल ७५,००० वर्गमील तथा जन-संख्या ३,५०,००० है । यह स्वतत्र राज्य है । इसका शासक इमाम कहलाता है । (३) अदन—यह ब्रिटेन के संरक्षण में है । इसमे हैदरामौत भी शामिल है । कुल क्षेत्रफल १,१२,००० वर्गमील है । सामरिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है । (४) ओमन—क्षेत्रफल ८२,००० वर्गमील और जनसंख्या ५,००,००० है । इसका शासक सुल्तान सर सैयद बिन तैमूर है । यहाँ एक ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट भी रहता है । इसकी

राजधानी मसकत है। (५) क्यूबेत—यह फारस की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी समुद्र-तट पर स्थित है, जनसंख्या ५०,००० है। सन् १७५० से शेग्न वंश का राज्य है। ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट भी रहता है। (६) पाइरेट समुद्री तट—इसकी जन-संख्या ८०,००० है। (७) बहरीन द्वीप-समूह—जन-संख्या १,२०,००० है। इसका शासक खलीफा है। एक ब्रिटिश सलाहकार भी रहता है तथा ब्रिटेन से सधि भी है। यहाँ तेल के कुएँ हैं, समुद्र से मोती निकालने का व्यवसाय भी होता है। भारत और आस्ट्रेलिया के मार्ग में होने से यहाँ हवाई जहाजों का पडाव भी है।

अरजेटाइन्—यह दक्षिणी अमरीका में सबसे महान् द्वितीय प्रजातत्रवादी राज्य है। इसका क्षेत्रफल १०,७६,००० वर्गमील और जनसंख्या १,२८,००,००० है। इसकी भाषा स्पेनिश है। डा०रोवेटों एम० आर्टिज ५ सितम्बर १९३७ को राष्ट्रपति निर्वाचित किये गये। राष्ट्रपति ६ साल के लिए चुना जाता है। आजकल यहाँ सम्मिलित सरकार है। इसमें प्रजातत्रवादी और क्रान्तिकारी दोनों दलों के सदस्य हैं। इस देश की सुख-समृद्धि निर्यात-व्यापार पर निर्भर है। इस देश से गेहूँ (८७ लाख टन), मक्का (६० लाख टन), तिलहन (१५ लाख टन), मास, मक्खन और ऊन संयुक्त-राज्य अमरीका, ब्रिटेन और जर्मनी आदि देशों को भेजी जाती है।



अरविन्द घोष—आपका जन्म कलकत्ता में १५ अगस्त सन् १८७२ को हुआ। दार्जिलिंग तथा इंग्लैण्ड में आपने शिक्षा प्राप्त की। सन् १८९० में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में शामिल हुए। प्रतियोगिता में सफल रहे, परन्तु घुबसवारी में असफल। किंग्स-कॉलेज, कैम्ब्रिज, में भरती हुए और ग्रेजुएट हुए। सन् १८९२ में बी० ए० की पदवी प्राप्त की। १२ वर्षों तक बड़ोदा राज्य में उच्च पदाधिकारी रहे। सन् १९०६ में आप नेशनल कालिज कलकत्ता

के प्रिंसिपल नियुक्त किये गये । 'वन्देमातरम्' तथा 'युगान्तर' बंगला पत्रों का सम्पादन किया । सन् १९०७ मे वङ्गभङ्ग से उत्पन्न हुए राष्ट्रीय आन्दोलन मे प्रमुख भाग लिया । सन् १९०८ मे विद्रोह करने तथा राजद्रोह के अभियोग में गिरफ्तार हुए, किन्तु निर्दोष सिद्ध हुए और छोड़ दिये गये । इसके बाद पांडिचेरी चले गये और वहाँ योग-आश्रम की स्थापना की । आप निरन्तर एकान्त मे इतने वर्षों से समाधि लगाते रहे है । वर्ष मे केवल तीन बार वह दर्शनार्थियों से अपनी कुटी मे मिलते है । वह केवल आशीर्वाद दे देते है । किसी दर्शनार्थी या साधक से, जो उनके आश्रम मे रहता है, वह वार्तालाप नही करते । केवल माताजी से ही बातचीत करते है । वह एक विदेशी महिला है जो आश्रम का संचालन करती हैं । आपने योग, दर्शन, अध्यात्म तथा गीता पर अनेक विचारपूर्ण ग्रन्थ लिखे है ।


अराजकतावाद—यह एक राजनीतिक सिद्धान्त है । इसका उद्देश्य सगठित शासन-सत्ता का नाश कर एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमे सब व्यक्तियों—नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो । अमरीका के विचारक थोरो ने कहा है—“सरकार सबसे अच्छी वह है जो बिलकुल शासन न करे, और जब मनुष्य ऐसी सरकार के लिए तैयार होजायेंगे, तब उन्हें वैसी ही सरकार मिल जायगी ।” अराजकतावादियों का यह मन्तव्य है कि प्रत्येक सरकार या शासन का आधार बल-प्रयोग है, हिंसा है, और जबतक समाज मे बल-प्रयोग पर आश्रित व्यवस्था कायम रहेगी तब तक मानव-समाज न सुखी रह सकेगा और न स्वतंत्रता का भोग ही संभव होसकेगा । इस प्रकार उनके मतानुसार सरकार चाहे प्रजातंत्रवादी हो, चाहे एकतंत्रवादी, अथवा समाजवादी, सभी समान रूप से दोषपूर्ण है । वे चाहते है कि मानवों का एक स्वतंत्र समाज स्थापित किया जाय जिसमे कोई दमनकारी-संस्था न हो, जिसमे न सेना हो, न पुलिस, न न्यायालय, और न जेलखाना । अराजकतावादियों मे विविध विचारधाराएँ प्रचलित हैं । कुछ का ध्येय व्यक्तिवादी व्यवस्था और कुछ का समाजवादी व्यवस्था है । इनमे भी, साधनों के कारण, दो भेद है । एक वे हैं जो शान्तिमय साधनों द्वारा अराजक समाज की स्थापना करना चाहते हैं । दूसरे वे है जो हिंसात्मक उपायों से ऐसी व्यवस्था कायम

करना चाहते हैं। यहाँ यह स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि अराजकतावाद किसी ऐसी अराजकता का समर्थन नहीं करता जिससे सामाजिक व्यवस्था अस्तव्यस्त होजाय। प्रत्युत् उसका लक्ष्य तो एक आदर्श समाज की स्थापना है। कुछ मनचले अराजकतावादियों ने, इस सिद्धान्त को ही ठीक तरह न समझने के कारण, आतंकवाद को ही अपना लक्ष्य बना लिया और राजाओं, शासकों और बड़े-बड़े अफसरों पर बम फेंकना अपना मन्तव्य समझ लिया।

भारतवर्ष में भी, दूसरे कारणों से सही, यूरोप के तथाकथित अराजकतावादियों की नक़ल की गई। अराजकतावादी नेता बड़े उच्चकोटि के आदर्श महापुरुष हैं। उनका जीवन वास्तव में बड़ा ही पवित्र और सात्विक रहा है। प्रमुख नेताओं में विलियम गोडविन (१७५६-१८३६), मैक्स स्टर्नर (१८०६-१८५६), पियरे जोसफ (१८०६-१८६५), माइकेल वेक्रेनिन (१८१४-१८७६), प्रिंस क्रोपाटकिन (१८४२-१९२१), टाल्सटाय (१८२८-१९१०), आदि उल्लेखनीय हैं।

अल्जीरिया—यह उत्तरी अफ्रीका में फ्रांसीसी अधिकृत प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल ८,४५,००० वर्गमील है और जनसंख्या ७२,५०,००० है। इनमें से १०,००,००० फ्रांसीसी तथा शेष अरब हैं। यह देश उत्तरी तथा दक्षिणी दो प्रदेशों में विभाजित है। उत्तरी प्रदेश में २,२२,००० वर्गमील भूमि तथा दक्षिणी प्रदेश में ६,२३,००० वर्गमील भूमि है। उत्तरी प्रदेश से धारासभा

के लिए १० प्रतिनिधि चुने जाते हैं। फ्रांसीसी गवर्नर-जनरल को यहाँ सर्वोच्च सत्ता प्राप्त है। वह फ्रांस के गृह-मंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। यह देश न तो फ्रांस का उपनिवेश है, और न यह फ्रांस का अंग ही है। इसकी



स्थिति कुछ दोनो के बीच की है। दक्षिणी प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है और उसके अधिकांश भाग पर फौजी शासन है। उत्तरी भाग में फ्रांसीसी रहते हैं। उन्होंने उसकी पर्याप्त उन्नति की है। कृषि भी अच्छी होती है और फलों की उत्पत्ति भी सन्तोषप्रद है। लोहा और तेज़ाब्री नमक (फासफेट) की खाने भी है। यहाँ के अरब अधिवासियों में राष्ट्रीयता तथा अखिल इस्लामवाद का प्रचार है।

अलफोंजो—यह स्पेन के भूतपूर्व सम्राट् थे। १७ मई १८८६ को इनका जन्म हुआ। जब स्पेन में प्रजातन्त्र-क्रान्ति हुई तब, १४ अप्रैल १९३३ को, इन्हे प्रजा ने निर्वासित कर दिया। बाद में स्पेन की पार्लमेंट ने यह घोषणा की कि अब भविष्य में स्पेन प्रजातन्त्र राज्य होगा, राजवश का शासनाधिकार च्युत किया जाता है। तब से अलफोंजो रोम में रहा। सन् १९४१ में उसकी मृत्यु होगई।

अलबानिया—यह इटली के पूर्व में स्थित एक देश है। इसकी जनसंख्या १०,००,००० और क्षेत्रफल १०,६०० वर्गमील है। पहले यह तुर्क साम्राज्य के अधीन था। सन् १९१३ में यह देश स्वाधीन होगया। सन् १९२५ में अहमद जोग इस देश का राष्ट्रपति हुआ और सन् १९२८ में वह इस देश का राजा बन बैठा। उसने देश में काफी सुधार किये। इटली के साथ उसका सहयोग रहा। अप्रैल १९३९ में इटली की सेनाओं ने सहसा अलबानिया पर आक्रमण कर दिया। उसका राजा भाग गया और मुसोलिनी ने उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। यद्यपि यह देश निर्धन है तथापि सामरिक दृष्टि से इसका अधिक महत्व है। इसकी ७१ प्रतिशत जनसंख्या मुसलमान है। २८ अक्टूबर १९४० को इटली की सेनाओं ने अलबानिया में होकर यूनान पर आक्रमण कर दिया। परंतु ब्रिटिश सेना की सहायता से यूनान की विजय हुई और यूनान की सेनाओं ने इटली की सेनाओं को अलबानिया-से बुरी तरह भगा दिया। पाँच



मास तक यूनानी सेनाएँ अँगरेजी सेनाओं की सहायता से वीरतापूर्वक लड़ती रही। किन्तु ६ अप्रैल १९४१ को जर्मनी ने यूनान तथा यूगोस्लाविया पर आक्रमण कर दिया। यूनानी सैनिक बड़ी वीरता के साथ धुरी-राष्ट्रों की सेनाओं से लड़ते रहे। २३ अप्रैल को यूनान के सम्राट् अपने मन्त्रि-मण्डल के साथ एथेन्स छोड़ कर फ़ीट चले गये।

अल्स्टर—यह आयरलैण्ड के उत्तरी प्रदेश का नाम है। आयरलैण्ड के प्राचीन अल्स्टर प्रान्त में ६ जिले थे। इनमें से ६ जिले उत्तरी आयरलैण्ड में हैं और तीन आयर में हैं।



आयर स्वतन्त्र हो चुका और अल्स्टर अब भी ब्रिटिश साम्राज्य का अङ्ग है। आयरलैण्ड के स्वातन्त्र्य-युद्ध में अल्स्टर सदैव ब्रिटेन के साम्रा-

ज्यवादियों के साथ रहा है।

अलेक्जेंड्रेटा—यह देश शाम (सीरिया) की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित है। इसी नाम का एक बन्दरगाह भी है। सन् १९१८ तक यह तुर्की के अधिकार में था। विश्व-युद्ध के बाद यह देश शाम में मिला दिया गया। इसकी जन-संख्या २,२०,००० है, जिसमें ४० प्रतिशत तुर्क हैं। तुर्की इसे फिर से अपने अधिकार में लेना चाहता है। इस समय यह फ्रांस के प्रभुत्व में है। तुर्की से मैत्री बनाये रखने के लिए फ्रांस ने नवम्बर १९३७ में इस प्रदेश को स्वायत्त-शासन देने का विचार किया। इससे तुर्की सहमत न हुआ। इसलिए १ जलाई १९३८ को अकारा-सधि हुई, जिसके अनुसार इस प्रदेश पर फ्रांस तथा तुर्की दोनों का संयुक्त-शासन स्थापित होगया। २१ अगस्त १९३८ के

चुनाव में ४० स्थानों में से २२ स्थान तुर्कों को मिले। २३ जून १९३६ को फ्रांस ने यह प्रदेश तुर्कों को वापस कर दिया। २६ जून १९३६ को वहाँ से फ्रांस की सेनाएँ वापस बुला ली गईं।

अल्सेस-लारेन—यह प्रदेश फ्रांस की पूर्वी सीमा पर है। इसका क्षेत्रफल ५,६०५ वर्गमील तथा जनसंख्या १६,१५,००० है। राइन नदी इसकी पूर्वी सीमा पर है। मध्य-युग में यह देश जर्मन-साम्राज्य के अन्तर्गत था। सन् १५५२ में फ्रांस ने इसके मेट्ज़ नगर पर आधिपत्य जमा लिया। तीस-वर्षीय युद्ध में लुई १४वे ने अल्सेस का अधिकांश भाग जीत लिया और सन् १६४८ की संधि के अनुसार यह भाग फ्रांस में मिला लिया गया। सन् १६८१ में फ्रांसीसियों ने स्ट्रैसव नामक नगर पर कब्ज़ा कर लिया। लारेन पर पहले हैप्सबर्ग के सम्राट् राज करते थे। सन् १७३५ में यह प्रदेश लुई १४वे के समुद्र को दे दिया गया, और सन् १७६६ में यह भी फ्रांस में मिल गया। फ्रांसीसी शासक स्थानिक जनता के अधिकारों की रक्षा करते थे। जर्मनों का आधिक्य था, इसलिए जर्मनों के अधिकारों की रक्षा विशेष रूप से की जाती थी। फ्रांस की राज्य-क्रान्ति ने इस दिशा में भारी परिवर्तन कर दिया। स्थानिक अधिकारों को उठा दिया गया और शासन-प्रबंध फ्रांस की तरह किया जाने लगा। स्कूलों तथा न्यायालयों में फ्रांसीसी भाषा का प्रयोग शुरू हो गया।

इन प्रदेशों के अधिवासी जर्मन यद्यपि जर्मन भाषा का प्रयोग करते रहे, तथापि वे फ्रांसीसी नागरिक थे और उनमें से अनेक फ्रांस के राज्य-प्रबंध में उच्च पदों पर नियुक्त हो गए। सन् १८७०—७१ के जर्मन-फ्रांसीसी-युद्ध के बाद इस प्रदेश पर जर्मनी का आधिपत्य हो गया। सन् १८७१ में इस प्रदेश की जनता ने जर्मन-साम्राज्य में मिलाये जाने का विरोध किया। जब स्कूलों में जर्मन भाषा जारी की गई तो, तो इसका भी जनता ने विरोध किया। जर्मनी ने इस प्रदेश को स्वाधीनता नहीं दी। बडे प्रयत्न के बाद इस प्रदेश की जनता को सन् १९११ में परिमित स्वराज्य दिया गया। यद्यपि जनता का बहुमत जर्मनों के पक्ष में था, तथापि फ्रांसीसियों के पक्ष में भी एक दल पैदा होता जा रहा था। जब सन् १९१४ में विश्व-युद्ध आरम्भ

हुआ तो इस प्रदेश की जनता में अपूर्व जागृति पैदा हो गई। जर्मन-अधिकारियों ने जनता में दमन-चक्र चलाया। २०,००० से अधिक नागरिक अल्सेस-लारेन से निर्वासित कर दिए गए। वसाई की सधि के अनुसार यह प्रदेश पुनः फ्रांस को मिल गया। नवम्बर सन् १९१८ में फ्रांसीसी सेनाओं ने, उपर्युक्त सधि के अनुसार, इस प्रदेश में प्रवेश किया।

अल्सेस में प्रायः सभी जर्मन भाषा बोलते हैं, लारेन में ७० फीसदी जनता जर्मन तथा ३० फीसदी जनता फ्रांसीसी भाषा का प्रयोग करती है। दोनों में कुल मिलाकर १५,००,००० जर्मन भाषा बोलते हैं। स्थानीय समाचार-पत्रों की भाषा जर्मन है। जर्मन भाषा में ही साहित्य की रचना हो रही है। स्थानिक बोली तथा फ्रांसीसी भाषा में भी साहित्य तैयार हो रहा है। सरकारी दफ्तरों, न्यायालयों तथा स्कूलों में जर्मन भाषा प्रयोग की जाती है। फ्रांसीसी भाषा के साथ जर्मन भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। सरकारी घोषणाएँ दोनों भाषाओं में की जाती हैं।



इस प्रदेश का सामरिक महत्व है। इसमें लोहा तथा सज्जी खार (Potash) अधिक मिलता है। इसीके निकट फ्रेंच मेजिनो लाइन किलेबन्दी थी, जिसे फ्रांस अटूट समझता था, और जिसे जर्मनों ने तहस-नहस कर डाला।

वर्तमान यूरोपीय युद्ध में, जून १९४० में, फ्रांस के जर्मनी द्वारा पराजित होने के बाद, अल्सेस लारेन तथा फ्रांस के उत्तरी विशाल प्रदेश पर जर्मनी का सामरिक अधिकार हो गया है।

अल्लामा 'मशरिकी'—भारत में झाकसार-आन्दोलन के जन्मदाता। नाम इनायतुल्ला खॉं। 'मशरिकी' उपनाम और अल्लामा (धार्मिक विद्वान्)

अनुयायियो द्वारा दी गई उपाधि । जन्म २५ अगस्त सन् १८८८ को अमृतसर में हुआ । इनके पिता खॉ अतामुहम्मद खॉ कट्टर मुसलमान थे और इनकी देखरेख में इनायतुल्ला खॉ बाल्यकाल से पूर्णतया इसलामी रँग में रँग गये । १६ वर्ष की आयु में एम० ए० में सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुए । पश्चात् कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गये और वहाँ से सनद हासिल की । इंग्लैण्ड से वापस आने पर इस्लामिया कालिज, पेशावर, के उप-प्रधानाध्यापक तथा बाद में प्रधानाध्यापक बने । सन् १९१७ में भारत-सरकार ने इन्हें शिक्षा-विभाग का उप-मंत्री (Under Secretary) नियुक्त किया । सन् १९१९ में आप आई० ई० एस० से युक्त होकर पेशावर गये । इन दिनों आपने सब सरकारी स्कूलों में कुरान का अव्ययन अनिवार्य कर दिया, यद्यपि सरकार ने उनके इस कार्य का विरोध किया ।

सन् १९३० में लाहोर के निकट इच्छरा गाँव में इन्होंने खाकसार दल की नींव डाली । किन्तु २ वर्ष में केवल ६० व्यक्ति इसमें भर्ती हुए । इसके बाद जब लाहोर में इसका काम शुरू हुआ तो करीब ३०० नवयुवक इसमें शामिल हो गये । २-३ वर्षों में यह आन्दोलन पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, हैदराबाद और सिन्ध में फैल गया । तब इनायतुल्ला साहब ने 'अलइसलाह' नामक उद्-पत्र निकाला । सन् १९३५ के अन्त में देहली में इन्होंने एक कैम्प खोला, जहाँ करीब ३०० जगहों से खाकसार शामिल हुए । सन् १९३७ में जब कांग्रेस-मन्त्रि-मण्डल स्थापित हुए और कांग्रेसी प्रान्तों में हिन्दू-मुसलिम उपद्रव होने लगे, तथा लखनऊ में तबर्नी और मदहेसहाबा का आन्दोलन शुरू हुआ और संयुक्त-प्रदेश तथा उसके बाहर फैला, तब खाकसारों ने संयुक्त-प्रान्त में सरकार के विरुद्ध ज़ोरों से आन्दोलन शुरू किया । जब अल्लामा की काररवाइयों प्रान्त की शान्ति के लिए खतरनाक रूप धारण करने लगी, तब १ सितम्बर १९३६ को, संयुक्त-प्रान्त की सरकार की आज्ञा से, लखनऊ में उन्हें गिरफ्तार किया गया । २ सितम्बर १९३६ को अल्लामा मशरिकी ने जेल में खानबहादुर हाफिज़ वाजिदहुसैन रिज़वी, कर्नल जाफरी तथा अन्य अफसरों के सामने एक इक्क़रारनामा इस आशय का लिखा कि "दफ़्ता १०७ का नोटिस वापस हो जाने की तारीख़ से साल

भर तक न तो मैं यू० पी० में दाखिल होऊँगा और न खाकसारी जत्थों को यू० पी० में दाखिल होने की आज्ञा दूँगा।” इसी प्रकार का द्दकारनामा दूसरे खाकसार कैदियों ने भी लिख दिया। सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया।

सन् १९४० में खाकसारों ने पंजाब में ज़ोर पकड़ा। पंजाब-सरकार के प्रधान मन्त्री सर सिकन्दर हयात खॉ की सरकार ने इन पर पाबन्दी लगादी। खाकसारों ने, सयुक्त-प्रान्त की भौति, पंजाब में भी, पाबन्दियों के खिलाफ मोर्चा लगाना—प्रदर्शन करना और जुलूस निकालना—शुरू कर दिया। यू० पी० की भौति पंजाब में भी इन्होंने पुलिस का सामना किया। लेकिन सयुक्त-प्रान्त की कांग्रेसी सरकार बहुत नम्रता और नमी से इनकी गैरकानूनी काररवाइयों का दमन करती थी, पंजाब सरकार ने दृढ़तापूर्वक इन खाकसारों की गैरकानूनी हरकतों का दमन किया। इन्हीं दिनों पंजाब-सरकार के वज़ीरे-आज़म सर सिकन्दर हयात खॉ ने अपने एक वयान में कहा कि यह खाकसार दुश्मनों से मिले हुए हैं और भारत में यह लोग “पंचम पक्ति” के (Fifth Columnist) हैं। पंजाब में शीघ्र ही इनका दमन कर दिया गया। पंजाब में अन्त होने से खाकसार-आन्दोलन की कमर टूट गई।

पीछे भारत-सरकार ने सन् १९४० में इस सस्था को गैरकानूनी करार देकर इसके नेता अल्लामा इनायतुल्ला खॉ मशरिकी को पकड़कर मदरास के सूबे में नज़रबन्द कर दिया और भारत भर के खाकसारों को भी पकड़ कर जेल भेज दिया गया। बहुतेरों ने मुआफी माँग ली और वह छोड़ दिये गये। खाकसार फण्ड का धन भी जव्त कर लिया गया।

१६ अक्टूबर १९४१ को “इस्लाम के धार्मिक सिद्धान्तों की रक्षा, बहुत्व, शुभ क्रमों, समाज-सेवा, प्रार्थना तथा शारीरिक-स्वास्थ्य के सिद्धान्तों की रक्षा के निमित्त” इनायतुल्ला साहब ने अनशन शुरू किया। मई-जून १९४१ में सरकार ने सैकड़ों खाकसारों को रिहा कर दिया। फण्ड के कई लाख रुपये जो जव्त कर लिये गये थे, वे मुक्त कर दिये गये। फण्ड के बहुत दिन बाद सरकार ने सूचना दी कि यदि मि० मशरिकी यह घोषणा करदे कि उन्होंने खाकसार आन्दोलन त्याग दिया है और समस्त खाकसार सगठन का खात्मा कर दिया है, और वह अपने अनुयायियों को भी आज्ञा दे कि ऐसा ही किया

जाय, तो उनकी रिहाई के बारे में विचार किया जा सकता है। अल्लामा ने लिख दिया कि “मुझे ऐसा लगता है कि खाकसार-संगठन का सैनिक पहलू युद्धकाल में सरकार के लिए संकट का कारण है। मैं खाकसारों को यह आज्ञा देता हूँ कि वे युद्ध-काल में पोशाक, बैज, बेलचा या शस्त्र, प्रदर्शन और परेड, आदि बन्द कर दे।” इसके साथ ही इनायतुल्ला साहब ने अपना अनशन तोड़ दिया। सरकार ने भी जेलों में पड़े खाकसारों को छोड़ दिया। अल्लामा अभी नज़रबन्द हैं।

अल्लाहबख्श, खानबहादुर—सिन्ध की सरकार के प्रधान मन्त्री हैं। सन् १९०० में पैदा हुए। इनकी शिक्षा मैट्रिक तक है। शुरू में यह सरकारी ठेकेदार थे। सबसे पूर्व, सन् १९२२ में, अल्लाहबख्श साहब बम्बई धारा-सभा के सदस्य चुने गये। बम्बई कौंसिल में इन्होंने कृषि तथा राजस्व की समस्याओं में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली। आप राजनीति में सदैव मुस्लिम लीग और मि० जिन्ना की नीति के विरोधी रहे हैं। सन् १९४० के अप्रैल मास में देहली में अखिल-भारतवर्षीय आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन खानबहादुर अल्लाहबख्श की अध्यक्षता में हुआ। इसमें मुसलमानों की ७ प्रमुख धार्मिक तथा राजनीतिक सस्थाओं ने भाग लिया। समस्त भारत से हज़ारों की संख्या में प्रतिनिधि पधारे तथा ५० हज़ार से भी अधिक दर्शक पडाल में उपस्थित थे। भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति का प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की योजना का जोरदार विरोध किया गया। अल्लाहबख्श राष्ट्रीय विचारों के समर्थक तथा कांग्रेस-नीति के पक्ष में हैं। सिन्ध के आप दुबारा



वज़ीरे-आज़म बने । (देखो परिशिष्ट-पृष्ठ न० ४५२) । आपको किसी कमीने बदमाश ने १४ मई '४३ को तॉगे पर जाते-जाते गोली मार दी जिससे फौरन् उनकी मृत्यु हो गई ।

असहयोग—पिछले महायुद्ध (सन् १९१४-१८) के अन्त में, वर्साई की सन्धि के अनुसार, तुर्क-साम्राज्य के अङ्ग-भङ्ग और फलतः खिलाफत की अक्षुण्णता के नष्ट होने की योजना, साथ ही पंजाब में, १९१६ ई० में, तत्कालीन छोटे लाट सर माइकेल ओ'ड्वायर और अमृतसर के जलियाँवाला बाग में जनरल ओ'डायर द्वारा किये गये कत्ले-आम और पंजाब के फौजी शासकों द्वारा हुए अनेक अत्याचारों के विरोध में महात्मा गान्धी ने घोषणा की कि इन अत्याचारों की पुनरावृत्ति को रोकने का एकमात्र साधन स्वराज्य-प्राप्ति है । अतएव सरकार से मतालिबा किया गया कि वह तुर्कों को छिन्न-भिन्न इस प्रकार न करे कि जिससे सत्तार के मुसलमानों के धार्मिक-नेता खलीफा के पद और खिलाफत-सत्था का अन्त हो । दूसरी माँग यह की गई कि पंजाब में जुल्म करनेवाले छोटे लाट और दूसरे अफसरों को यथोचित दण्ड दिया जाय । तीसरी माँग स्वराज्य दिये जाने की थी ।

तीनों में से एक का भी, राष्ट्रीय वाछा के अनुसार, निराकरण न होने से महात्मा गान्धी ने असहयोग (Non-co-operation Movement) आन्दोलन छेड़े जाने की घोषणा की और, २० अगस्त १९२० को, पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय के सभापतित्व में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, कलकत्ते, में प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें राष्ट्र से अपील करते हुए असहयोग की योजना इस प्रकार निश्चित की गई—सरकारी अदालतों, सरकारी शिक्षालयों, सरकारी नौकरियों, सरकारी खिताबों, सनदों और सस्थाओं तथा धारासभाओं का बहिष्कार । राष्ट्रीय पचायतों और राष्ट्रीय शिक्षालयों की स्थापना । विदेशी वस्त्रों का पूर्ण बहिष्कार । खादी का प्रचार, अछूतपन का नाश, नशाबन्दी और हिन्दू-मुसलिम ऐक्य की दृढता ।

अ-हस्तक्षेप नीति—यह एक अवास्तविक नीति है जिसके अनुसार यूरोप की महान् शक्तियों ने स्पेन के गृह-युद्ध (सन् १६३६-३६) के समय व्यवहार किया था । यूरोप के महान् और छोटे राज्यों ने यह समझौता किया कि स्पेन के गृह-युद्ध में किसी भी पक्ष को न युद्ध का सामान भेजा जाय और न सेना ही भेजी जाय । लन्दन में मृत नैविल चेम्बरलेन (तब प्रधान-मंत्री ब्रिटिश-साम्राज्य) के प्रयत्न से एक अ-हस्तक्षेप-कमिटी बनाई गई, अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण अफसर नियुक्त किये गये, जिन्होंने बन्दरगाहों तथा स्पेन की सीमाओं पर जाकर निरीक्षण-कार्य किया और स्पेन के समुद्री तट पर ऐसा प्रबन्ध किया गया जिससे कोई बाहरी मदद वहाँ भेजने से रोकी जा सके । इतनी व्यवस्था होने पर भी भूमि तथा समुद्र-मार्ग से बाहरी देशों ने स्पेन में अपनी सेनाएँ

तथा युद्ध-सामग्री भेजी। गृह-युद्ध की अन्तिम अवस्था में इस कमिटी ने अपना काम बन्द कर दिया।

अहिंसा—विचार, वाणी और व्यवहार से हिंसा का परित्याग। इसका तात्पर्य यह कि एक पूर्ण अहिंसावादी को अपने मन, अपने वचन, तथा अपने कर्म में किसी भी प्राणी के लिए द्वेष-भाव को स्थान न देना। महात्मा गान्धी पूर्ण अहिंसा के अनन्य उपासक तथा समर्थक हैं। सत्य-दर्शन—आत्मा का साक्षात्कार अथवा मोक्ष—उनका लक्ष्य है, और अहिंसा उसका साधन है। यह केवल एक नैतिक या धार्मिक सिद्धान्तमात्र नहीं है, प्रत्युत् गान्धीजी का तो यह एक मौलिक जीवन-सिद्धान्त है। वह अहिंसा को व्यक्तिगत जीवन के लिए जितनी उपयोगी और आवश्यक मानते हैं, उतनी ही सामूहिक जीवन तथा राजनीतिक क्षेत्र में भी उसके पालन पर जोर देते हैं।

उनका यह ध्रुव निश्चय है कि भारत अहिंसा द्वारा ही स्वाधीनता प्राप्त कर सकता है और, उन्हें ऐसा विश्वास भी है कि, अहिंसा द्वारा स्वाधीनता प्राप्त कर लेने के बाद, भारत अहिंसात्मक ढंग से ही, अपनी स्वाधीनता की रक्षा भी कर सकेगा। जब समाज में अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जायगी, तब पुलिस, सेना तथा किसी प्रकार के बल-प्रयोग के साधन की आवश्यकता न रह जायगी।

महात्मा गांधी अहिंसा को एक साधन नहीं मानते, उसे साध्य मानते हैं—एक लक्ष्य मानते हैं। परन्तु उनके सहयोगी तथा कांग्रेस-जन सामान्यतया अहिंसा को एक नीति के रूप में स्वीकार करते हैं। नीति का समय-विशेष पर त्याग भी किया जा सकता है, परन्तु धर्म का त्याग—लक्ष्य का परित्याग—तो सम्भव नहीं। गान्धीजी अहिंसा के इतने प्रबल अनुयायी हैं कि वह उसके समक्ष भारतीय स्वाधीनता के प्रश्न को भी गौण समझते हैं। सत्य और अहिंसा उनके जीवन के चरम लक्ष्य हैं। उनकी राजनीति इन दो से बाहर की वस्तु नहीं, इन्हींके प्रयोग पर खरी उतरनेवाली व्यवस्था ही उनकी राजनीति है। गान्धीजी की अहिंसा किसी व्यक्ति, समाज या देश तक सीमित नहीं। भारत को ही अपना यह अमृत पिलाकर वह अमर नहीं बनाना


चाहते, समस्त संसार के दुःखों, अनीतियों, अनाचारों और अत्याचारों का एकमात्र उपचार भी वह अहिंसा को मानते हैं। आजकल हो रहे इस घोर विनाशकारी युद्ध में उन्होंने अंगरेज़ जाति को मित्रतापूर्ण परामर्श दिया था कि वह हिटलर की हिंसा का अपनी अहिंसा द्वारा निराकरण करे।

आ

आइसलैण्ड—ग्रेट ब्रिटेन के उत्तर-पश्चिम में यह एक द्वीप है। इस समय अमरीका का इस पर अधिकार है। यह स्वतंत्र द्वीप था किंतु, वर्तमान युद्ध में, सन् १९४१ में, जर्मनी ने इसे युद्ध का अड्डा बनाना चाहा, इसलिए अमरीका ने अपनी फौजे आइसलैण्ड में भेजकर उस पर अपना सैनिक-नियंत्रण स्थापित कर दिया है।

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम—भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) के आप अध्यक्ष हैं। सन् १८८८ में मक्का में इनका जन्म हुआ। आपके पिता अरब में रहते थे। उपरान्त मिस्र आगये। क़ाहिरा (मिस्र) के अल-अज़हर विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। अरबी, फारसी, इस्लामी-दर्शन और क़ुरान का विशेष रूप से अध्ययन किया। तत्पश्चात् भारत में आये। कलकत्ता से आपने 'अल-हिलाल' नामक उर्दू दैनिक-पत्र निकाला। आपकी स्पष्टवादिता के कारण पत्र से ज़मानत मॉग ली गई, जो कुछ दिन बाद ज़ब्त हो गई और दस हज़ार की नई ज़मानत मॉगी गई। तब आपने 'अल-बलाग़' नामक दूसरा उर्दू-साप्ताहिक निकाला। पिछला महायुद्ध शुरू हो चुका था। पत्र की खरी आलोचना से अधिकारी विचलित हो उठे और मौलाना साहब को रॉन्ची में नज़रबन्द कर दिया गया। इन्हीं दिनों अलीबन्धु नज़रबन्द किये गये। १९२० ई० में मौलाना को छोड़ा

गया। छूटते ही आप गान्धीजी के साथ कांग्रेस में शामिल होगये। १९२०-२१ के असहयोग-आन्दोलन में आपने महात्मा गान्धी के साथ विशेष भाग लिया। सन् १९२३ में देहली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के सभापति हुए। सन १९३० में कांग्रेस के स्थानापन्न सभापति रहे। सन् १९३० तथा सन् १९३२ के भद्र-अवज्ञा आन्दोलनों में भाग लिया और कैद रहे। सन् १९३७ से सन १९३९ तक कांग्रेस-पार्लियामेण्टरी-कमिटी के सदस्य रहे। इसके बाद कांग्रेस के रामगढ़-अधिवेशन (मार्च १९४०) के अव्यक्त निर्वाचित किये गये। अक्टूबर १९४० में महात्मा गान्धी ने युद्ध-विरोधी सत्याग्रह आरम्भ किया। इस समय प्रयाग में दिये गये एक भाषण के कारण आप गिरफ्तार कर लिये गये। मौलाना कांग्रेस के बहुत प्रभावशाली, सुयोग्य और लोकप्रिय तथा पुरातन नेता हैं। आप उच्च कोटि के वक्ता, लेखक तथा पत्रकार हैं। आपने कुरान की उर्दू में महत्त्वपूर्ण टीका लिखी है। महात्मा गान्धी के आप दाहिने हाथ हैं। प्रत्येक मुस्लिम-प्रश्न का महात्माजी मौलाना साहब की सलाह से निर्णय करते हैं। मौलाना साहब की गान्धीजी में अटल श्रद्धा है। वह पक्के गान्धीवादी नेता हैं। आपकी एक-निष्ठता आदर्श है।



आतंकवाद—राजनीतिक हत्याओं, डकैतियों तथा षड्यंत्रों द्वारा सरकार तथा सरकारी अफसरों को सत्ताहीन कर देने का प्रयत्न करना। अराजकतावाद के सिद्धान्त को ठीक-ठीक रूप में न समझने के कारण कुछ अराजकतावादियों ने इस प्रकार के कार्यों को सगठित ढंग से करना आरम्भ किया। जब सगठित प्रयत्न दबा दिया गया तो व्यक्तिगत रूप से ऐसे कार्य किये जाने लगे। किंतु जहाँ अराजकतावाद एक सिद्धान्त है वहाँ आतंकवाद एक ऐसा मुहावरा है जिसकी विजित और विजेता अथवा शासित और शासक जातियों द्वारा, अपने-अपने विचारानुसार, पृथक् परिभाषा की जाती

है। समस्त संसार के देशों में विच्युब्ध लोगों द्वारा ऐसी काररवाइयों की जाती रही हैं। भारत में भी यह सब हुआ, किन्तु अब महात्मा गान्धी के अहिंसावाद के प्रभाव से इसका उन्मूलन हो रहा है।

आर्थिक प्रवेश—एक देश द्वारा दूसरे देश में ऐसी आर्थिक स्थिति उत्पन्न कर देना जिससे उस देश पर राजनीतिक नियंत्रण भी प्राप्त हो सके। दूसरे देश के व्यापार-व्यवसाय में पूँजी लगाना, वहाँ मिले तथा कारखाने चलाना, सड़के, बैंक तथा रेलवे बनाना, अपने व्यापारियों के लिए उपनिवेश बसाना, इत्यादि ऐसे साधन हैं जिनसे दूसरे देश पर आर्थिक-आधिपत्य के साथ-साथ राजनीतिक प्रभुत्व भी क्रायम हो सकता है। भारत में भी वर्तमान शासक-सत्ता बहुत-कुछ इसी प्रकार स्थापित हुई। पश्चात्य देशों ने इस नीति का बहुत प्रयोग किया है, और यह नीति भी पिछले तथा वर्तमान महायुद्धों का एक कारण हुई है।

आर्थिक राष्ट्रीयता—आर्थिक राष्ट्रीयता का, इस समय, प्रत्येक देश में, जो उद्योग-धर्मों में प्रगतिशील है, प्राधान्य है। प्रत्येक ऐसे देश की अर्थनीति का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि अपने देश के उद्योग-धर्मों का विकास इतने बड़े पैमाने पर किया जाय कि वह दूसरे देशों के बाजारों में तो अपना तैयार माल बेच सके परन्तु उसे उनसे कोई वस्तु न खरीदनी पड़े।

आर्थिक साम्राज्यवाद—यह साम्राज्यवाद का नवीनतम स्वरूप है। आर्थिक साम्राज्यवादी व्यवस्था दूसरे देशों और उपनिवेशों पर अपना कोई राजनीतिक नियंत्रण रखना नहीं चाहती। वह तो सिर्फ उन देशों के आर्थिक जीवन पर नियंत्रण रखना चाहती है। आज के पूँजीवादी तथा साम्राज्यवादी राष्ट्र आर्थिक साम्राज्यवाद को अधिक उपयोगी इसलिए समझते हैं कि इसके द्वारा उपनिवेशों का शोषण, बिना शासन-मूत्र हाथ में लिए, बड़ी सुविधा-पूर्वक, किया जा सकता है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व—यह एक प्रकार की निर्वाचन-प्रणाली है। निर्वाचन में उम्मीदवार की सफलता के लिए कम-से-कम आवश्यक मत निर्धारित कर दिये जाते हैं। जितने उम्मीदवार किसी चुनाव के लिए खड़े होते हैं, उनमें से मतदाता नाम छोटकर अपनी इच्छानुसार लिखता है,

और जिस उम्मीदवार को वह चाहता है उसके नाम के सामने नम्बर १ लिख देता है। इसके बाद दूसरे उम्मीदवार के सामने, जिसे वह चाहता है, २ लिख देता है, इसी प्रकार यह सिलसिला चलता है।

अब यदि मत-गणना करते समय यह परिणाम प्रकट हो कि १ नम्बर के उम्मीदवार को निर्धारित सख्या से अधिक मत प्राप्त हुए हैं तो वह अधिक मत उस उम्मीदवार के मतों में जोड़ दिये जायेंगे जिसे सबसे अधिक मत-दाताओं ने नम्बर २ दिया है। इसी प्रकार यदि उसके मत भी निर्धारित सख्या से अधिक हो जायें तो तीसरे नम्बर के उम्मीदवार को अधिक मत दे दिये जायेंगे। इसी प्रकार आगे भी होता रहेगा। स्विट्जरलैंड में यह प्रणाली प्रचलित है।

आयरिश स्वतंत्र राष्ट्र—यह इंग्लैंड के पश्चिम में एक द्वीप है। पहले यह महान् ब्रिटेन का अंग और उसके आधिपत्य में था। इसका क्षेत्रफल ३१,८०० वर्गमील तथा आबादी ४३,००,००० है। जब सन् ११५२ में अंगरेजों की सत्ता आयरलैंड में स्थापित हो गई, तब से आयरिश जनता तथा अंगरेजों में संघर्ष होने लगा। आयरिश अंगरेजी आधिपत्य के शुरु से विरोधी रहे। इसके दो कारण थे, एक जातीयता तथा दूसरा धार्मिक मतभेद।

आयरिश रोमन कैथलिक तथा अंगरेज प्रोटेस्टेंट थे। क्रॉमवेल की अधीनता में इन दोनों में घोर संघर्ष हुआ और उत्तरी आयरलैंड से, जो अब अल्स्टर कहलाता है, आयरिश जनता को निकाल दिया गया और इस प्रदेश में अंगरेज प्रोटेस्टेंट तथा स्कॉच लोग बसा दिये गये। सन् १८०० तक आयरलैंड में अधीनस्थ पार्लियामेंट काम करती रही। इसी वर्ष आयरलैंड को संयुक्त-राज्य ग्रेट ब्रिटेन (United Kingdom of Great Britain) में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार आयरलैंड का अंगरेजी-करण तो हुआ परन्तु आयरिश जनता में राष्ट्रीय भावना का पुनर्जागरण होगया। अंगरेज ज़मींदारों तथा सम्पत्तिशालियों ने आयरिश जनता का न केवल सामाजिक दमन ही किया प्रत्युत् उसका आर्थिक शोषण भी। वह खुद भूमि के स्वामी बन गये और आयरिश केवल काश्तकार ही रह गये। १९वीं सदी में आयरिश जनसंख्या कम हो गई। आयरलैंड की आधी पैदावार इंग्लैंड के ज़मींदारों

कों जाती थी। सन् १८८६ तथा १८९३ में प्रथम आयरिश होमरूल मसविदे (Bills) ब्रिटिश पार्लमेट मे प्रस्तुत किये गये। यद्यपि वे स्वीकृत तो नहीं हुए, तथापि तत्कालीन प्रधान मंत्री ग्लेड्स्टन ने आयरिश-समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया और उसमे उसे सफलता भी मिली। सरकारने आयरलैण्ड के अंगरेज़ ज़मींदारो से ज़मीने ख़रीदकर आयरिश प्रजा को देदी। सन् १९१२ मे होमरूल का नया मसविदा प्रस्तुत किया गया। अल्स्टर मे इसका प्रबल विरोध हुआ। अल्स्टर मे स्वयसेवको की भर्ती की गई और दक्षिणी आयरलैण्ड मे होमरूल के लिए आयरिश स्वयसेवक भर्ती किये गये। इन दोनो मे सघर्ष शुरू हो जाने की पूर्ण सभावना थी। लार्ड-सभा मे दो बार होमरूल बिल अस्वीकार कर दिया गया। सन् १९१४ मे विश्व-युद्ध आरम्भ हो गया। इस बीच मे मसविदा (Bill) तो स्वीकार होगया, परन्तु उस पर अमल करना स्थगित कर दिया गया।

उत्तरी तथा दक्षिणी आयरिश सैनिको ने ब्रिटेन की ओर से युद्ध मे भाग लिया। परन्तु क्रान्तिकारी राष्ट्रीय आयरिश दल (जो शिन-फीन (Sinn Fein) दल के नाम से प्रसिद्ध है) युद्ध से अलग रहा। 'सिन-फीन' का अर्थ है "स्वयं अपने लिए"। सन् १९१६ मे आयरिश-विद्रोह हो गया। आयरिश स्वतंत्र प्रजातंत्र की घोषणा कर दी गई; किन्तु आयरिश नेता पकड़ लिये गये और उनका वध कर दिया गया। इस विद्रोह मे आयरिश जनता को जर्मनी का सहयोग भी प्राप्त था। जर्मनी से सर रौजर केसमेट यू-बोट मे बैठकर आयरलैण्ड मे विद्रोहियो को सहायता देने के लिये आये।

जब युद्ध समाप्त हो गया तब पुनः एक होमरूल बिल पेश किया गया और स्वीकार कर लिया गया। उसके अनुसार उत्तरी तथा दक्षिणी आयरलैण्ड मे दो पार्लमेट बनाने का निश्चय किया गया। क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी आयरिश जनता ने गृह-युद्ध आरम्भ कर दिया। उसने आयरलैण्ड मे घोर आतंक फैला दिया। ब्रिटेन ने क्रान्तिकारी आयरिश राष्ट्रवादियो के दमन के लिये एक विशेष पुलिस भेजी जो ब्लैक-एन्ड-टैन्स के नाम से मशहूर है। इस प्रकार शिन-फील दल और ब्लैक-एन्ड-टैन्स मे बड़ा भयकर युद्ध होता रहा। राष्ट्रवादियो ने फौजो पर भी आक्रमण किया। ब्रिटिश पार्लमेट के

कुल १०५ आयरिश सदस्यों में से ७३ शिन-फीन सदस्य डबलिन में एकत्रित हुए और आयरिश राष्ट्रीय परिषद् (Dail Eireann) का अधिवेशन किया। इस प्रकार अन्त में, सन् १९२१ में, ब्रिटिश-सरकार और आयरिश राष्ट्रीय परिषद् के बीच सन्धि हो गई। सन् १९२२ में आयरिश स्वतंत्र-राज्य-कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्वीकार किया। इसके अनुसार दक्षिणी आयरलैंड में स्वतंत्र राज्य (Irish Free State) स्थापित हो गया। उत्तरी आयरलैंड (अल्स्टर) ब्रिटेन के अधिकार में रह गया। उसे मर्यादित स्वराज्य दे दिया गया।

क्रान्तिकारी आयरिश प्रजातंत्रवादियों के नेता डी वेलरा ने सन्धि को टुकरा दिया और आयरिश स्वतंत्र राज्य की सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। फिर गृह-युद्ध आरम्भ हो गया और सन् १९२३ तक चलता रहा। अन्त में सरकार की विजय हुई।


सन् १९३२ में आयरिश स्वतंत्र राज्य की पार्लियामेंट में फियन्ना-फेल दल का बहुमत हो गया और इस दल का नेता डी वेलरा प्रधान-मंत्री नियुक्त किया गया। शासन-विधान (१९२२) में कई बड़े परिवर्तन किये गये। राजभक्ति की शपथ लेना बन्द कर दिया गया। गवर्नर-जनरल के अधिकार कम कर दिये गये। सन् १९३७ में नया शासन-विधान तैयार किया गया। यह विधान पूर्ण स्वाधीनता के आधार पर बनाया गया। १ जुलाई १९३७ को ५४ प्रतिशत के बहुमत से यह विधान स्वतंत्र राज्य की जनता ने स्वीकार किया। २६ दिसम्बर सन् १९३७ से इसके अनुसार शासन होने लगा।

विधान में आयरलैंड को पूर्ण स्वाधीन, प्रभुत्व-युक्त-प्रजातंत्र, कैथलिक राज्य घोषित किया गया है। आयरलैंड की राष्ट्रीय पताका हरे, सफेद और नारंगी रंग की निर्धारित की गई है। यूनियन जैक (ब्रिटिश पताका) का बहिष्कार किया गया है तथा क्राउन (सम्राट्-सत्ता) का उल्लेख भी नहीं किया गया है। अब गवर्नर जनरल का पद नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है और वही राज्य का प्रमुख शासक है।

राष्ट्रपति ७ साल के लिए चुना जाता है। वह पार्लियामेंट के अधिवेशन आमंत्रित करता है तथा उसे भंग करता है। वह कानूनों पर स्वीकृति देता

आर्य

तथा उन्हे जारी करता है। वह सेना का प्रधान सचालक है तथा क्षमादान का भी उसे अधिकार है। आजकल प्रोफेसर डगलस हाइड आयरलैण्ड के राष्ट्रपति है। आयरलैण्ड में दो धारा सभाये हैं। प्रधान मन्त्री राष्ट्रपति द्वारा पार्लमेण्ट से मनोनीत हो जाने पर नियुक्त किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन ने न तो आयरलैण्ड के नये शासन-विधान को स्वीकार किया है और न अस्वीकार ही।



आर्य—आर्य सस्कृत शब्द है और वेदों में इसका उल्लेख कई स्थलों पर मिलता है। भारतवर्ष के वैदिक साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि आर्य शब्द आर्यावर्त के लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। वर्तमान समय में हिमालय से विन्ध्याचल तक तथा भारत की पश्चिमी सीमा से ब्रह्मपुत्र नदी तक का प्रदेश आर्यावर्त के नाम से प्राचीन काल में प्रसिद्ध था। कुछ लोगों के मत से सृष्टि के आदि में तिब्बत में सबसे प्रथम मानव-सृष्टि हुई और वहाँ से मानव भारत के उत्तरी भाग में आकर बस गये। यही आर्य कहलाये।

कुछ यूरोपीय विद्वानों का यह मत है कि 'आर्य' वास्तव में भाषा-विज्ञान का शब्द है, उसका जाति, रक्त या वंश से कोई संबंध नहीं है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि 'आर्य-जाति' एक कल्पना है—इसमें ऐतिहासिक सत्य नहीं है।

दूसरी ओर कुछ भारतीय विद्वानों और इतिहास-वेत्ताओं ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि आर्य एक प्राचीन जाति है और इसका जन्म-स्थान मध्य एशिया या तिब्बत है। लोकमान्य तिलक के अनुसार 'आर्य' जाति का आदिस्थान उत्तरी ध्रुव है।


वर्तमान समय में जर्मनी के सर्वेसर्वा हर हिटलर ने, संसार के सामने जर्मन जाति की विशुद्धता का प्रमाण देने का प्रयत्न करते हुए, यह स्पष्ट

शब्दों में कहा है कि जर्मन विशुद्ध आर्य जाति है। आर्य जाति ने ही मनुष्य प्रथम ससार में सभ्यता को जन्म दिया और सस्कृति की रक्षा भी उसी ने की। यदि हिटलर का तात्पर्य आर्यावर्त के आर्यों से होता, तो इस कथन में सार भी होता, क्योंकि ससार में सबसे प्राचीन धर्म वैदिक धर्म है। वेद अपौरुषेय हैं और यूरोपीय विद्वान् भी यह मानते हैं कि वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ हैं। इससे यह स्पष्ट है कि वेदों के माननेवाले आर्य भी प्राचीन हैं। परन्तु हिटलर ऐसा नहीं मानता। वह केवल जर्मन को ही श्रेष्ठ आर्य जाति मानता है। यह वास्तव में भारी भ्रम है। आज वस्तुतः यूरोप में कोई भी जाति आर्य कहलाने का दावा करे तो यह एक प्रकार की विटम्बना ही होगी। भारत में भी नस्लों और जातियों का इतना मिश्रण हो गया है कि आज यह नहीं कहा जा सकता कि सभी हिन्दू कहलानेवाले प्राचीन आर्य जाति के अंग हैं।

आर्लैण्ड द्वीप-समूह—यह द्वीप-समूह बाल्टिक सागर में स्वीडन और फिनलैण्ड के मध्य में है। क्षेत्रफल ५७६ वर्गमील और जनसंख्या २७,००० है। यह द्वीप सामरिक महत्त्व रखते हैं। यदि इनमें किलेबन्दी कर दी जाय, तो इनका प्रयोग रूस, फिनलैण्ड और स्वीडन पर आक्रमण करने के लिए किया जा सकता है। जिसके अधीन यह द्वीप होंगे वह स्वीडन और जर्मनी के व्यापार में भी बाधा डाल सकता है। इनमें स्वीडिश जनता रहती है, परन्तु प्राचीन काल से यह द्वीप फिनलैण्ड के पास हैं। सन् १८०६ में वह फिनलैण्ड के साथ रूस के पास चले गये। सन् १८५६ में, क्रीमियन-युद्ध के बाद, स्वीडन की प्रार्थना पर, रूस ने इन द्वीपों में किलेबन्दी नहीं की। सन् १९१७ में रूसी राज्यक्रान्ति के बाद जनमत लेने पर यही निश्चय हुआ कि यह द्वीप स्वीडन को दे दिये जायें। फरवरी १९१८ में स्वीडन की सेना द्वीपों में प्रविष्ट हुई। परन्तु जब जर्मन-सेना ने उन पर अधिकार जमा लिया तब स्वीडन की सेना वापस आ गई। नवम्बर १९१८ में जर्मन-सेना वापस आ गई। अब स्वीडन और फिनलैण्ड में, इन द्वीपों के आधिपत्य के सवध में, संघर्ष शुरू हो गया। सन् १९२१ में राष्ट्र-संघ ने यह निर्णय किया कि यह द्वीप फिनलैण्ड को दे दिये जायें, परन्तु उन्हें स्वायत्त-शासन दे दिया जाय और

निःशस्त्र कर दिया जाय। इन द्वीपों की राजभाषा स्वीडिश है, और सन् १९२१ से यह स्वराज्य भोग रहे हैं। सन् १९३८ में स्वीडन और फिनलैण्ड ने यह तय किया कि इन द्वीपों में क्लिबेन्दी की जाय। परन्तु इस कार्य में रूस ने बाधा डाल दी।

आस्ट्रिया—यह पहले स्वाधीन देश था। इसकी राजधानी वियना है। क्षेत्रफल ३२,००० वर्गमील तथा जनसंख्या ६८,००,००० है। गत विश्व-युद्ध के बाद आस्ट्रिया ने जर्मनी के साथ मिल जाने की घोषणा की। इसमें तत्कालीन मित्र-राष्ट्रों ने बाधा डाली और राष्ट्र-संघ के प्रभाव से वह एक स्वाधीन राष्ट्र बना रहा। सन् १९३४ में आस्ट्रिया में फासिस्टों की सत्ता बढ़ गई और डालफ़स अधिनायक बन गया। उसने उन मज़दूरों का दमन किया जो प्रजातंत्रवादी शासन का समर्थन कर रहे थे। उसने नाज़ी विद्रोह का भी दमन किया। इसी समय उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद शुशनिग ने शासन संभाला। १२ मार्च १९३८ को जर्मन सेना ने आस्ट्रिया में प्रवेश किया और हिटलर ने उसे जर्मनी में मिला लिया। इस नाज़ी अपहरण का नाम आस्ट्रिया ने प्रतिरोध किया और न राष्ट्र-संघ के समर्थकों ने। शुशनिग को राजबन्दी बना दिया गया। आज भी वह जर्मनी का राजबन्दी है। वर्तमान महायुद्ध के आरम्भ हो जाने के बाद हैप्सबर्ग के एकतंत्रवादियों ने लन्दन में आस्ट्रियन अफसर नियुक्त कर दिये हैं जो आस्ट्रिया की आज़ादी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।



आस्ट्रेलिया—यह ब्रिटिश राष्ट्र-समूह के अन्तर्गत है। क्षेत्रफल २६,७५,००० वर्गमील और जनसंख्या ६८,००,००० है। उसकी राजधानी है कैनबेरा। १ जनवरी १९०१ के कॉमन-वैलथ ऑफ् आस्ट्रेलिया के अन्तर्गत इसे 'डोमिनियन' पद प्राप्त हुआ। आस्ट्रेलिया में सब-शानन-प्रणाली है। इसके अन्तर्गत ६ राज्य हैं—न्यू साउथ वेल्स, क्विन्सलैंड, दक्षिणी आस्ट्रेलिया, पश्चिमी आस्ट्रेलिया और टस्मानिया। ब्रिटिश सम्राट् का प्रतिनिधि गवर्नर-जनरल होता है। पार्लमेंट की दो नभाएँ हैं—प्रतिनिधि धारा-सभा (House of representatives) और व्यवस्थापिका सभा (Senate)। इनका चुनाव क्रमशः ३ और ६ वर्ष के लिए होता है। यह देश मुख्यतः कृषि-प्रधान है। उसमें सबसे अधिक गेहूँ और ऊन बरों पैदा होता है। उद्योग में भी यहाँ काफी उन्नति हुई है। उसका व्यापार जापान, ब्रिटेन और संयुक्त-राज्य अमरीका से होता आ रहा है। यहाँ आवादी कम है, फिर भी प्रवास-सवधी अनेक बाधाएँ हैं। बाहर के लोगों को यहाँ स्थायी रूप से नहीं रहने दिया जाता। पिछले विश्वयुद्ध में आस्ट्रेलिया ने



२,४०,००० सेना युद्ध-स्थल में भेजी थी। आस्ट्रेलिया के पास एक नौ सेना है, जिसमें ४ युद्धपोत तथा २ विध्वंसक हैं। हवाई बेड़ा भी है। आस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधान मंत्री आर० जी० मैन्ज़ीस हैं। यह संयुक्त आस्ट्रेलिया-दल के नेता भी हैं।

ब्रिटेन और जर्मनी के मध्य वर्तमान युद्ध छिड़ने पर, ५ सितम्बर १९३६ को, आस्ट्रेलियन सरकार ने भी युद्ध-घोषणा कर दी। पार्लामेंट में विरोधी-दल ने यह प्रस्ताव पेश किया कि आस्ट्रेलियन सेनाएँ बाहर न भेजी जायँ, परन्तु २८ के विरुद्ध ३३ के बहुमत से यह प्रस्ताव गिर गया।

७ दिसम्बर १९४१ से जापान ने प्रशान्त महासागर में ब्रिटिश, अमरीकन तथा डच द्वीप-समूहों पर आक्रमण शुरू किया। मार्च १९४२ में जापानी यानों ने आस्ट्रेलिया के बन्दरगाह डारविन पर हवाई हमले किये और ता० ५ अप्रैल १९४२ तक १३ बार इस बन्दरगाह पर हमले हो चुके थे। प्रशान्त महासागर में जापान विजयी हो चुका है, और इन दिनों, इस युद्ध में, आस्ट्रेलिया को जापानी आक्रमण का खतरा बराबर बना हुआ है।

इ

इटली—क्षेत्रफल १,१६,७०० वर्गमील, जनसंख्या ४,४०,००,००० है। नाम-मात्र के लिये इटली में बादशाह विक्टर इमान्युल का राज्य है; परन्तु वस्तुतः मुसोलिनी और उसके फासिस्ट दल का अधिनायक-तन्त्र वहाँ चालू है। सन् १९२६ में इटली की पार्लामेंट वास्तव में फासिस्ट बन गई। सन् १९३४ में इसने अपने समस्त अधिकार कारपोरेशन की राष्ट्रीय कौंसिल को सौंप दिये और अक्टूबर १९३८ में पार्लामेंट का अन्त हो गया। इसके स्थान

पर आजकल 'फैसी (Fasci) और कारपोरेशनों का चेम्बर' कार्य करता है। इसकी सदस्य संख्या ८०० है। सरकार को आदेश जारी करने का अधिकार है जो बाद में चेम्बर के सामने पेश कर दिए जाते हैं। चेम्बर सिर्फ वैधानिक कानूनों, सामान्य ढंग के कानूनों और बजट, आदि स्वीकार करता है। अन्य प्रकार के सभी मामलों पर सरकार के प्रमुख मुसोलिनी की आज्ञा से ही चेम्बर विचार कर सकता है। शासन करनेवाली मुख्य सस्था 'फैमिस्ट महान् कौंसिल' है। प्रत्येक वैधानिक प्रश्न, राज-उत्तराधिकार के प्रश्न तथा धर्म और राज्य के संबंधों के विषय में उपर्युक्त कौंसिल ही निश्चय करती है। प्रत्येक व्यवसाय का एक कारपोरेशन है, जो अपने प्रतिनिधि कारपोरेशनों की राष्ट्रीय-कौंसिल में भेजता है। राष्ट्रीय कौंसिल आर्थिक कानून बना सकती है। इनमें मज़दूरो तथा मालिकों दोनों का प्रतिनिधित्व होता है।

सन् १९३८ में जर्मनी के आग्रह से इटली ने भी बहूदियों के विरुद्ध कानून बनाये। परन्तु वे इतने सख्त नहीं हैं जितने कि जर्मनी में हैं। मुसोलिनी ने आगे लिखे देशों को हड़प कर इटालियन-साम्राज्य की स्थापना गर्वपूर्वक की थी—(१) इटालियन पूर्वी अफ्रीका—इसमें अवीसीनिया, इरीट्रिया और इटालियन शुमालीलैण्ड शामिल हैं। इसका कुल क्षेत्रफल ६,६०,००० वर्गमील और जनसंख्या १,५०,००,००० है। (२) इटालियन उत्तरी अफ्रीका (लीबिया)—इसका क्षेत्रफल ६,८५,००० वर्गमील और जनसंख्या ७,००,००० है। लीबिया की भूमि अधिकांश मरुस्थल है। (३) अलबानिया।

लेकिन अब इटली का साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो रहा है। पूर्वी अफ्रीका के अवीसीनिया और इरीट्रिया पर ब्रिटेन की फौजों का अधिकार है। लीबिया में दो वर्ष तक घनघोर युद्ध के बाद, जर्मन-सेनाओं की सहायता से, इटली की विजय हो पाई है। इन देशों की भौति मुसोलिनी ने १९३६ई० में अलबानिया को हड़पा था, किन्तु उस पर अब यूनान का अधिकार है। यूनान यद्यपि जर्मनी द्वारा पराजित हो चुका है।

इटालियन सेना ५०,००,००० है। वह आधुनिक युद्धालो से सज्जित और युद्ध-कला में निपुण है। वायुयान २००० हैं।

इटालियन नौ-सेना मे ४ युद्ध-पोत, २२ क्रूजर, ५६ ध्वंसक, ७२ टारपीडो बोट और १०५ पनडुब्बियाँ हैं। अधिकांश जहाज़ आधुनिक ढंग के हैं। पराजित होते जाने पर भी भूमध्यसागर मे इटली अपनी सामरिक स्थिति पर बहुत घमण्ड रखता है।

इटली की भूमि में कोयला और लोहा बिलकुल नहीं है। उसके उद्योग-व्यवसाय आयात पर निर्भर हैं। ४० लाख इटालियन विदेशो मे बसे हैं। अधिकांश अमरीका मे हैं। इटली का व्यापारिक संबंध विशेषतः जर्मनी, संयुक्त-राज्य अमरीका, ब्रिटेन और स्विट्ज़रलैण्ड से रहा है। इटली के अफ्रीकन साम्राज्य मे ३०,००० से अधिक इटालिन नहीं हैं। इटली और जर्मनी मे घनिष्ठ मित्रता है और वर्तमान युद्ध मे यह दोनो राष्ट्र मिलकर ब्रिटेन आदि मित्रराष्ट्रों से युद्ध कर रहे हैं। इटली का बलकान राष्ट्रों मे हित है। जर्मनी अपनी सेनाएँ भेजकर उसकी मदद कर रहा है।

४ अगस्त १९४० को इटली की सेनाओं ने ब्रिटिश शुमालीलैण्ड पर आक्रमण किया था। १९ अगस्त १९४० को अँगरेज़ी सेनाएँ वहाँ से हटा ली गईं। इस तरह इटली का इस प्रदेश पर अधिकार होगया।


९ दिसम्बर १९४० को मित्र-राष्ट्रों की अफ्रीका-स्थित सेनाओं ने सिद्धी बरानी मे आगे बढ़ी हुई इटली की सेनाओं पर हमला किया। दो दिन बाद इस स्थान पर अँगरेज़ों का अधिकार होगया। इस युद्ध मे भारतीय सैनिको ने अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया। प्रायः ६००० इटालियन बन्दी बनाये गये। अँगरेज़ी सेनाएँ पश्चिम की ओर बढ़ीं और उन्होंने, १७ दिसम्बर १९४० को, सोलुम, कोपुज़्जो तथा लीब्रिया के तीन अन्य सैनिक स्थानों को ले लिया। इसके बाद वे वार्डिया तथा झूर्ना की ओर बढ़ीं। ३ जनवरी १९४१ को अँगरेज़ों का वार्डिया पर अधिकार होगया। तदनन्तर वे तुवरुक की ओर बढ़े। फरवरी १९४१ के प्रथम सप्ताह में साइरीन तथा वेनगाज़ी पर ब्रिटिश सेनाओं का अधिकार होगया। इसके बाद ब्रिटिश सेनाओं ने इरीट्रिया, इटालियन शुमालीलैण्ड तथा अबीसीनिया पर आक्रमण करना आरम्भ कर दिया। अँगरेज़ों की इस प्रकार विजय पर विजय हो रही थी कि सहसा ४ अप्रैल को नाज़ी सेना ने वेनगाज़ी पर आक्रमण कर दिया। वहाँ से अँगरेज़ी

फौजो को हट जाना पडा ।

२८ अक्टूबर १९४० को इटली ने यूनान पर भी हमला कर दिया । आरम्भ में उसकी सेनाएँ अलबानिया में होकर यूनान तक पहुँच गईं परतु बाद में यूनानी सेनाओं ने, अंगरेजी सेना की मदद से, इटली की सेनाओं को खदेडकर बाहर कर दिया । बाद में जर्मन सेनाओं ने यूगोस्लाविया तथा यूनान पर आक्रमण कर दिया । इसमें जर्मनी का इन दोनों देशों पर अधिकार होगया ।



इन्तून, इस्मत—इन्तून तुर्की-प्रजातंत्र के राष्ट्रपति हैं । सन् १८८४ में इनका जन्म हुआ । सन् १९०३ में सेना के अफसर होगये । सन् १९१४-१८ के विश्वयुद्ध में भाग लिया । सन् १९१९ में कमालवादी बन गये और राष्ट्रीय-सेना के प्रमुख सघटन-कर्त्ता होगये । यूनानियों को इन्तून ने अनातोलिया में परास्त



क्रिया । सन् १९२२-२३ में वैदेशिक-मंत्री बनाये गये । सन् १९२३ से ३७ तक कमाल अतातुर्क के दाहिने हाथ, तुर्की के प्रधान मंत्री, रहे । जब सन् १९३४ में तुर्कों ने अपने असली नाम के साथ भेदसूचक कुलोपाधि लगाना तर्क किया, तब इस्मत ने पाशा छोडकर इन्तून को अपनाया । इन्तून नगरकी विजयस्मृति में ही यह उपनाम उन्होंने पसद किया । सितम्बर १९३७ में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया । जब सन् १९३८ में तुर्की के राष्ट्रपति कमाल अता तुर्क की मृत्यु

हो गई, तब सब सम्मति से इस्मत इनून् को, ११ नवम्बर १९३८ को, राष्ट्रपति चुना गया। तुर्की के एकमात्र राजनीतिक-दल—प्रजातंत्रवादी जन-दल—के आप अध्यक्ष और नेता हैं। ब्रिटेन के साथ तुर्की का मित्रता का संबंध है। तुर्की अभी तक वर्तमान युद्ध में तटस्थ है, परन्तु उसकी ब्रिटेन तथा रूस से भी मित्रता है।

इब्न सऊद—सऊदी अरब के बादशाह। सन् १८८० में अरब के एक वहाबी कुल में इनका जन्म हुआ। इनके पूर्वज इरियाद के शासक थे। प्रतिद्वंद्वी एक रशीदी वंश उठ खड़ा हुआ, जिसने इनका शासन छीन लिया। हुकूमत की इसी गड़बड़ में, बाल्यावस्था में, इन्हें निर्वासित होना पड़ा। दक्षिणी अरब में पालन-पोषण हुआ। सन् १९०१ में केवल २०० सेना लेकर इब्न सऊद ने अपने पूर्वजों की राजधानी पर हमला किया और रशीदी-वंश के शासक को मार भगाया। सन् १९१३ में तुर्कों को पूर्वी अरब से भी निकाल बाहर किया जो रशीदी-वंश के हिमायती थे। विगत विश्व-युद्ध में इनकी सहानुभूति ब्रिटेन के साथ थी, परन्तु सहायता नहीं दी। सन् १९१८ में इनकी लड़ाई हेजाज़ के बादशाह हुसैन से छिड़ गई। ब्रिटेन ने हुसैन की मदद की। अंगरेजों की चेतावनी के बावजूद इन्होंने हुसैन की सेनाओं पर, सन् १९१९ में, आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया। अब सऊद ने अपने राज्य-विस्तार के लिए हेजाज़ की विजय का प्रयत्न किया। २४ दिसम्बर १९२४ को मक्का पर अपना आधिपत्य जमा लिया। बादशाह हुसैन राज्य त्याग कर भाग गया। ८ जनवरी १९२६ को इब्न सऊद ने अपने को हेजाज़ का बादशाह घोषित किया।

सन् १९२७ में इन्होंने सुल्तान की पदवी त्यागकर “नज्द के बादशाह” का पद ग्रहण किया। जद्दा में ब्रिटिश सरकार और सऊद के बीच संधि हुई। सन् १९३२ में हेजाज़ और नज्द संयुक्त बना दिये गये और इनका नाम सऊदी अरब रखा गया।

आज के मुस्लिम-जगत् में इब्न सऊद सबसे अधिक सम्पन्न और प्रभाव-शाली व्यक्ति है। इसने अरब में केन्द्रीय शासन को सुनियंत्रित और सुव्यवस्थित ही नहीं बनाया प्रत्युत् शान्ति और व्यवस्था भी स्थापित की है।

इब्न सऊद वहाबी-सम्प्रदाय का प्रमुख है। यह बड़ा कट्टरपथी समुदाय है। इसलिये वह बड़ी सतर्कता से अपने राज्य में आधुनिकता का प्रसार कर रहा है। सेनाएँ आधुनिक ढंग की बना दी गई हैं। इसका लक्ष्य अखिल-अरब का संगठन करके स्वयं उसका खलीफा बनना है। ब्रिटेन के साथ उसका मित्रता का संबंध है। इसका पूरा नाम अब्दुल अज़ीज़ इब्न अब्दुर्रहमान अल्फैजलुस्सऊद है। इब्न सऊद कौम और कबीले का कायल नहीं, वह राष्ट्रीयता का पोषक है।


इराक़—यह अरब-राज्य है। दूसरे अनेक देशों की तरह अंगरेजों ने इसका नाम मेसोपोटामिया रख दिया है। इसका क्षेत्रफल १,१६,००० वर्गमील तथा जनसंख्या ३५,००,००० है। इसकी राजधानी बग़दाद है। विगत युद्ध से पूर्व इराक़ तुर्क-सल्तनत का एक मूवा था, और उसके बाद से इराक़ ब्रिटिश सरकारण में एक शासनादेश द्वारा शासित राज्य (Mandatory State) है।

मक्का के बादशाह हुसैन के पुत्र अमीर फैज़ल को सन् १९२१ में इराक़ का बादशाह बनाया गया। सन् १९२४ में विधान-निर्मात्री-परिषद् ने नया शासन-विधान बनाया। इराक़ में मर्यादित एकतंत्र शासन है। उत्तरदायी शासन तथा एक पार्लमैट है। बादशाह फैज़ल का सन् १९३० में देहान्त हो गया। उसका पुत्र ग़ाज़ी गद्दी पर बैठा। १४ दिसम्बर १९२७ को शासनादेश (Mandate) समाप्त होगया, तब ब्रिटेन ने इराक़ की पूर्ण स्वाधीनता स्वीकार कर ली। यह राष्ट्रसंघ का सदस्य भी हो गया। यद्यपि इराक़ स्वतंत्र देश है, तथापि ब्रिटेन का उस पर प्रभाव है। इराक़ की पुलिस में अंगरेज अधिकारी हैं। एक अंगरेजी फौजी मिशन भी वहाँ है, तथा इराक़ में कई स्थानों पर शाही हवाई सेना के अड्डे भी हैं। यहाँ मोसल और खानाकिन में तेल के कई कुएँ हैं। इन पर डचों तथा अंगरेजों का अधिकार है। ४ अप्रैल १९३६ को बादशाह ग़ाज़ी का देहान्त होगया। इसके बाद बादशाह फैज़ल द्वितीय (जो २ मई १९३५ को पैदा हुआ था) गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। वर्तमान युद्ध में इराक़ ब्रिटेन के पक्ष में है।

जब यूनान पर नाज़ियों का अधिकार होगया तब मध्य-पूर्व के लिए अन्तरा बढ गया। विशेषतः मुस्लिम राष्ट्रों की स्वतंत्रता खतरे में पड गई।

फलतः अंगरेजों ने, मुस्लिम राष्ट्रों के साथ, यातायात के मार्ग को खुला रखने के लिए, १७ अप्रैल १९४१ को, कुछ भारतीय सेनाएँ बसरा में भेजी ।

इसके कुछ दिनों बाद ही इराक़ में क्रान्ति होगई । रशीदअली ने सेना की सहायता से नई सरकार कायम कर ली । जब अंगरेजों ने बसरा (इराक़) में अपनी और कुछ फौजे सुरक्षा के लिए भेजनी चाही तो रशीदअली ने आपत्ति की । बहुत प्रयत्न करने पर भी ब्रिटेन के साथ समझौता न हो सका । २ मई १९४१ को इराक़ की सेना ने इराक़-स्थित अंगरेजी हवाई अड्डे हब्बानिया पर गोले बरसाये और इस तरह युद्ध शुरू होगया । नाज़ी सेना ने गुप्त रूप से रशीदअली को सहायता दी । मार्शल पेटों ने जर्मनी को सीरिया के हवाई अड्डों का उपयोग करने की आज्ञा दे दी । नाज़ी वायुयान रशीदअली की सहायता के लिए सीरिया में उतरने लगे । परन्तु, बीच में क्रीट का युद्ध आरम्भ हो जाने से नाज़ी, रशीदअली को सहायता न पहुँचा सके । ८ मई को रशीदअली बग़दाद छोड़कर भाग गया । २३ मई १९४१ को इराक़ के भूतपूर्व रीजेंट अमीर अब्दुल्ला इराक़ में लौट आये । ३१ मई १९४१ को ब्रिटेन तथा इराक़ में संधि होगई । पुरानी सरकार फिर स्थापित हो गई । बादशाह फैज़ल द्वितीय अभी बालक है, किन्तु ब्रिटेन के शासनादेश और रशीदअली द्वारा उठाये गये उपद्रव तथा नाज़ियों की पिछली विफलता के कारण इस समय इराक़ में शान्ति और व्यवस्था है । किन्तु युद्ध की वर्तमान गति को देखते हुए आज यह कहना कठिन है कि क्या होगा ।



ईडन, महामाननीय (राइट आनरेब्ल्) रावर्ट एन्थनी, एम० पी०—
 आप सर विलियम ईडन के द्वितीय पुत्र हैं। जन्म सन् १८६७ में हुआ।
 ईडन तथा क्रिश्चियन चर्च, आक्सफर्ड, में शिक्षा प्राप्त की। सितम्बर १९१५ में
 द्वितीय लेफ्टिनेट होकर फ्रान्स की सीमा पर गये। युद्ध की समाप्ति तक उसमें
 भाग लिया। सैनिक-क्रास पुरस्कार में प्राप्त किया तथा २० वर्ष की आयु
 में कप्तान बना दिये गये। सन् १९२३ में पार्लमेंट की कॉमन-सभा के सदस्य
 चुने गये। तब से आप बराबर सदस्य चुने जाते रहे हैं। आपने वैदेशिक
 राजनीति का गभीर अध्ययन किया। स्वर्गीय सर आस्टिन चेम्बरलेन के पार्ल-
 मेटरी प्राइवेट सेक्रेटरी होगये, और लार्ड रैडिंग तथा सर जॉन साइमन के
 अधीन वैदेशिक उप-मंत्री भी रहे। आपको जिनेवा में राष्ट्रसंघ के अधिवेशनो
 में शामिल होने का कई बार अवसर मिला और थोड़े ही समय में आप राष्ट्र-
 संघ के सम्मेलनो में एक प्रभावशाली नेता बन गये। सन् १९३४ में आप
 लार्ड प्रिवी सील बनाये गये और प्रिवी कौंसिलर भी बना दिये गये। ब्रिटेन
 में राष्ट्रसंघ-मिनिस्ट्री एक नया पद कायम किया गया और श्री ईडन उसके
 मंत्री बनाये गये। इटली-अवीसीनिया-युद्ध के समय आपने इस बात का
 जोरदार आग्रह किया कि राष्ट्रसंघ इटली के विरुद्ध कार्रवाई करे और आपने
 होर-लावल योजना का विरोध किया। सर सैम्युअल होर के बाद आप वैदे-
 शिक-मंत्री बनाये गये। उस समय आपकी आयु ३८ वर्ष की थी। आप ही
 सबसे प्रथम ब्रिटिश मंत्री थे जो मास्को में स्टेलिन से भेट करने गये। स्पेन
 के गृह-युद्ध में उन्होंने अ-हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। इसके बाद
 इटली के मुसोलिनी तथा जर्मनी के हिटलर ने उन पर दोषारोप किये। ईडन ने
 नैविल चेम्बरलेन की इस योजना का विरोध किया कि इटली के साथ किसी

नये समझौते की वार्ता शुरू की जाय। किन्तु मंत्रिमण्डल ने आपके परामर्श पर ध्यान नहीं दिया और मुसोलिनी को ढील देने की नीति बरती गई। इस कारण, २० फ़रवरी १९३८ को, आपने वैदेशिक-मन्त्रि-पद से त्याग-पत्र दे दिया। तब उन्होंने स्वर्गीय प्रधान मन्त्री चेम्बरलेन की सन्तुष्टी-करण नीति (Appeasement policy) का दृढता से विरोध किया। सितम्बर १९३६ में उन्हें उपनिवेश-मन्त्री (Minister for Dominions) बनाया गया। लार्ड लोथियन (संयुक्तराज्य अमरीका के राजदूत) की मृत्यु के बाद, जब वैदेशिक-मन्त्री लार्ड हेलीफेक्स को उनके स्थान पर राजदूत बनाकर अमरीका भेज दिया गया, तब श्री ईडन फिर वैदेशिक-मन्त्री बना दिये गये।




ईरान—यह फारिस का आधुनिक नाम है। इसका क्षेत्रफल ६,२८,००० वर्गमील तथा जनसंख्या १,५०,००,००० है। ईरान का शासक शाह कहलाता है। इसकी राजधानी तेहरान है। पहले यह बड़ा शक्तिशाली राज्य था। सन् १६०० से इसमें आन्तरिक कलह मचा। सन् १६०६ की राज्य-क्रान्ति के बाद इसमें वैधानिक शासन की स्थापना की गई। सन् १६०७ में, रूस-ब्रिटेन-सन्धि के अनुसार, उत्तरी ईरान, रूस तथा दक्षिणी भाग ब्रिटेन के प्रभाव-क्षेत्र में आगये।

विगत विश्वयुद्ध में ईरान तटस्थ रहा था। सन् १९१७ की रूसी राज्य-क्रान्ति के बाद रूसी सरकार ने ब्रिटेन-रूस-सन्धि (१६०७) का अन्त कर दिया और ईरान में समस्त रूसी अधिकारों का परित्याग कर दिया। सन् १९१८ में ईरान से अंगरेजी सेना भी वापस बुला ली गई। इस समय रिज़ा ख़ाँ नामक एक सैनिक अफ़सर ने राष्ट्रीय आन्दोलन का संचालन किया। सन् १९२० में वह युद्ध-मन्त्री बन गया और सन् १९२२ में प्रधान मन्त्री। जब फारिस का विलासी शाह यूरोप को गया तो, उसकी अनुपस्थिति में,

रिज़ाशाह खुद शाह बन बैठे। शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर उसने देश में राष्ट्रीयता तथा आधुनिकता को खूब प्रोत्साहन दिया। सन् १९२५ में वह बाक्राइदा शाह बन गया और रिज़ाशाह पहलवी कहलाने लगा। उसने देश की आश्चर्यजनक उन्नति की। उद्योग-धंधों को बढ़ाया और देश को वास्तव में स्वतंत्र बना दिया। सन् १९२६ में उसने तुर्की से और १९२७ में सोवियत यूनियन तथा अफ़ग़ानिस्तान के साथ मित्रता की संधियों की। सन् १९३४ में सादावाद का समझौता हुआ, जिसके अनुसार तुर्की, फारिस, इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान में परस्पर राजनीतिक सहकारिता स्थापित होगई। सन् १९३५ में फारिस की सरकार ने समस्त विदेशी सरकारों से यह निवेदन किया कि वे फारिस को ईरान नाम से संबोधन करें। ईरान में तेल सबसे अधिक पैदा होता है। २० जून १९४१ को नाज़ी सेनाओं ने सोवियत रूस पर हमला कर दिया। इससे ईरान, इराक़, सीरिया आदि में ख़तरों की संभावना बढ गई। ईरान में इस समय ३००० नाज़ी गुप्तचर मौजूद थे। इनकी उपस्थिति तथा प्रभाव भारत, मिस्र और ईरान के लिए ख़तरनाक था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ईरान के शाह से

यह प्रार्थना की कि वह अपने यहाँ से नाज़ियों को निर्वासित करदे। इसका उत्तर सन्तोषप्रद न मिलने पर, अगस्त १९४१ में, रूस तथा ब्रिटिश सरकारों ने ईरान में अपनी फौज़ें, सुरक्षा के लिए, भेज दी और वहाँ से नाज़ियों को निकाल दिया।

रूसी तथा ब्रतानवी सेनाओं के ईरान में पहुँचते ही रिज़ा शाह पहलवी अपने पुत्र को राज्य सौंपकर किसी दूसरी जगह चला गया। इस प्रकार नाज़ियों की कूटनीति का एक पासा यहाँ पलट गया।



१०

उ

उत्तरदायी शासन—उत्तरदायी शासन-प्रणाली से प्रयोजन उस शासन-प्रणाली से है जिसमें सरकार या मन्त्रि-मंडल जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से नियुक्त किया जाता है और यह मन्त्रि-मंडल अपने कार्यों के लिये प्रतिनिधि सभा (पार्लमेण्ट) के प्रति उत्तरदायी होता है ।

उधार और पट्टा कानून १९४१—वर्तमान महायुद्ध के कारण संयुक्त-राज्य अमरीका में यह कानून (Lease and Lend Act of 1941) बना है । इसके अनुसार ब्रिटेन, रूस और चीन आदि मित्रराष्ट्रों को वर्तमान युद्ध में अस्त्र-शस्त्रों आदि की सहायता देने की व्यवस्था की गई है ।

उपनिवेश (Colony)—उपनिवेश से प्रयोजन ऐसे देश या प्रदेश से है जिस पर किसी साम्राज्यवादी राष्ट्र के नागरिक, अपने स्वार्थ-साधन के लिये, प्रभुत्व जमा लेते हैं । दुनिया के दिखाने के लिए इसे वे हर प्रकार से 'उन्नत' बनाने का ढोंग रचते हैं । इन उपनिवेशों में जैसे-जैसे सार्वजनिक जागरण होता जाता है, वैसे-वैसे वे उस देश के शासन से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, जिसके नागरिकों ने उसे 'विकसित' और 'उन्नत' किया था । आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, कनाडा और दक्षिणी अफ्रीका आदि पहले अंगरेजी उपनिवेश थे । परन्तु धीरे-धीरे इन देशों ने स्वाधीनता प्राप्त कर ली और आज इनका पद 'डोमिनियन' माना जाता है । वैस्टमिन्स्टर-कानून के अनुसार इन्हे अब ब्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद का भी अधिकार प्राप्त होगया है । यूरोपीय राष्ट्रों में उपनिवेशों के लिये बड़ी लिप्सा रही है । यह लिप्सा, आधुनिक काल में, भीषण महायुद्धों का कारण हुई है । जर्मनी, इटली, जापान इस समय अधिकांश उपनिवेशों और देशों की लिप्सा से ही मानव-जाति का संहार कर रहे हैं ।

ए

एकच्छत्र शासन—एक व्यक्ति का शासन। इस शासन-प्रणाली के अन्तर्गत प्रजा को शासन-प्रबंध में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता। न प्रजा को मताधिकार ही होता है। एकच्छत्र शासन का सबसे उत्तम उदाहरण भारत की देशी रियासते हैं। एकच्छत्र शासन स्वेच्छाचारी होता है, परन्तु वह लोकमंगलकारी भी हो सकता है।

एकाधिपत्य—किसी व्यवसाय तथा व्यापार आदि पर किसी व्यक्ति-विशेष या व्यक्ति-समूह अथवा कम्पनी का पूर्ण अधिकार होना। इस समय ससार में तेल पर दो कम्पनियों का विशेष अधिकार है, एक एंग्लो-पर्सियन कम्पनी और दूसरी रॉयल डच कम्पनी।

एकान्तता—सयुक्त-राज्य अमरीका का एक राजनीतिक सिद्धान्त है जिसके अनुसार यूरोपीय मामलों से पृथक् रहना ही अमरीका के लिए श्रेयस्कर माना जाता है। एकान्तता के नेता सीनेटर वीरा का जनवरी १९४० में देहान्त हो गया। आजकल इस मत के नेताओं में सीनेटर वेडेनबर्ग और जॉन्सन प्रमुख हैं। वर्तमान युद्ध से पूर्व ब्रिटेन में भी इस मत का प्रचार था। इसके अनुयायी या समर्थक यूरोपीय महाद्वीप के मामलों में हस्तक्षेप के विरुद्ध थे।

एटली, मेजर क्लेमेंट रिचार्ड। ब्रिटेन के पुराने मज़दूर नेता। सन् १८८३ में इनका जन्म हुआ था। हेलीवरी तथा यूनिवर्सिटी कालिज आक्स-फर्ड में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। सन् १९०५ में वकालत शुरू की। इनकी प्रवृत्ति समाजवाद की ओर थी। सन् १९१३ में यह लन्दन के अर्थशास्त्र के स्कूल में अध्यापक हो गये। सन् १९१४-१८ के युद्ध में भाग लिया और मेजर की पदवी प्राप्त की। सन् १९१९ में स्टैमनी के सर्वप्रथम मज़दूरदली मेजर

चुने गये। सन् १९२७-३० में भारतीय रायल कमीशन—साइमन-कमीशन—के सदस्य थे। सन् १९३०-३१ में डची ऑफ़ लैकास्टर के चान्सलर रहे और सन् १९३१ में पोस्ट मास्टर जनरल हुए। सन् १९३१ से वह मज़दूर-दल के उपनेता रहे। सन् १९३५ में जब मज़दूर-दल के नेता जार्ज लेसबरी की मृत्यु हो गई, तब वह उसके नेता चुने गये। कई वर्षों तक पार्लामेंट में विरोधी-दल के नेता रहने के बाद आज मेजर एटली मज़दूर-दल की ओर से ब्रिटिश मंत्रि-मण्डल में चर्चिल के नायब यानी सहकारी प्रधान-मंत्री (Deputy Prime Minister) हैं। राजनीतिक दृष्टि से मेजर एटली मज़दूर-दल के वाम तथा दक्षिण पक्ष के मध्य में रहते हैं। आपने चर्चिल के स्वर में स्वर मिलाकर कहा है कि अटलांटिक चार्टर का लाभ भारत को नहीं मिलना चाहिए।



एस्टोनिया—यह एक छोटा बाल्टिक राज्य है जो सोवियट रूस के उत्तर में है। इसका क्षेत्रफल १८,००० वर्गमील तथा जन-संख्या १२,००,००० है। सन् १९१८ तक यह रूस का एक प्रान्त था। इसी वर्ष में वह एक स्वाधीन राज्य बन गया। तब से वह साम्यवाद-विरोधी नीति का समर्थक रहा। इस देश में जर्मन अल्पमत में है, परन्तु उन्हें स्वायत्त-शासन का अधिकार रहा है। कृषि, गोरस-व्यवसाय (डेरी फार्मिंग) तथा पशु-पालन ही यहाँ के मुख्य उद्योग हैं। जर्मनी और ब्रिटेन को यहाँ से माल भेजा जाता है। सन् १९३५ में यहाँ अधिनायक-तंत्र की स्थापना हुई। इस देश में कोई राजनीतिक-दल नहीं है। जो उम्मीदवार सरकार द्वारा पसन्द किये जाते हैं, वे ही चुनाव में खड़े हो सकते हैं। वर्तमान यूरोपीय युद्ध के आरम्भ

हो जाने के बाद, अक्टूबर १९३९ में, सोवियट रूस ने अवसर से लाभ उठाया और एस्टोनिया को, अन्य बाल्टिक राज्यों की भाँति, अपने आधिपत्य में कर लिया। उसकी भूमि पर रूसी नौसेना तथा हवाई बेड़े के अड्डे बना दिये गये। जर्मनों को जहाजों में भरकर जर्मनी भेज दिया गया। रूस आजकल प्राणपन से अपने अस्तित्व के युद्ध में नाजियों से लोहा ले रहा है, लेता रहेगा, किंतु उसके देशों में अभी शान्ति बनी है।



एं

एंग्लो-सैक्सन—ईसा के बाद, पॉचवी शताब्दी में, उत्तरी जर्मनी और जटलैण्ड से इंगलैण्ड को जो ख्यूनैतिक ऐंगल्स तथा सैक्सन गये, वे ही ऐंग्लो-सैक्सन कहलाये। यह तो इनका ऐतिहासिक स्वरूप है। परन्तु आज के युग में इन शब्दों का प्रयोग अँगरेजी-भाषा-भाषियों के लिए होता है। इन शब्दों से जाति का भी बोध नहीं होता। आज की अँगरेज़ जाति ऐंग्लो-सैक्सन, कैल्टिक तथा दूसरी नस्लों के सम्मिश्रण से बनी है। अमरीकन जनता में केवल ३५ फीसदी ही अँगरेजी नस्ल के हैं।

ऐमरी, लियोपोल्ड चार्ल्स मैरिस स्टैनेट—आप आजकल ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के एक प्रभावशाली सदस्य हैं। मई १९४० में नार्वे के प्रश्न पर ब्रिटिश कॉमन सभा में जब स्थगित-प्रस्ताव (Adjournment motion)

प्रस्तुत किया गया तब चेम्बरलेन की सरकार के पक्ष में २८१ मत तथा विपक्ष में २०० मत मिले । ४० सरकारी समर्थक विरोधी दल में मिल गये और १३० सदस्यो ने अपना मत नहीं दिया । चेम्बरलेन को अपने प्रधान मन्त्रि-पद से त्यागपत्र देना पडा । श्री विन्स्टन चर्चिल प्रधान मन्त्री चुने गये । चर्चिल की सरकार में ऐमरी को भारत-मन्त्री (Secretary of State for India) नियुक्त किया गया । ऐमरी का जन्म भारत में (गोरखपुर में) सन् १८७३ में हुआ था । चर्चिल के साथ उन्होंने हैरो में शिक्षा प्राप्त की, वेलियोल से ग्रेजुएट की पदवी प्राप्त की । बर्मिंघम से सबसे पहली बार, सन् १९११ में, पार्लमेन्ट के सदस्य निर्वाचित हुए । सन् १९२३ में, जब आप ब्रिटिश जल-सेना-विभाग के मन्त्री थे, आपने सिंगापुर नाविक अड्डा-योजना तैयार की थी । जब रैम्जे मैकडानल्ड के मन्त्रि-मण्डल का पतन होगया और बाल्डविन ने मन्त्रि-मण्डल बनाया तब उसमें इन्हे उपनिवेशो का मन्त्री बनाया गया । इस समय श्री ऐमरी भारत-मन्त्री हैं । इनका स्वभाव बहुत उग्र है । इनका निःशस्त्रीकरण में विश्वास नहीं है । यह उग्र साम्राज्यवादी हैं । भारतीय स्वाधीनता की माँग को वह बार-बार अस्वीकार करते रहे हैं, और अपने भाषणो तथा वक्तव्यो में ८ अगस्त १९४० की वायसराय की औपनिवेशिक स्वराज्य-संबन्धी अस्पष्ट तथा अपूर्ण घोषणा का समर्थन करते रहते हैं ।



ऐलबर्ट लेब्रन—फ्रान्स-प्रजातंत्र के राष्ट्रपति थे । २९ अगस्त सन् १८७१ को जन्म हुआ । पहले इञ्जीनियर थे । सन् १९०० में राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया । सन् १९११-१३ में उपनिवेश-मन्त्री रहे । इन्हीं दिनों कुछ समय तक युद्ध-मन्त्री के पद पर भी कार्य किया । सन् १९२० में क्रान्तिकारी समाजवादी दल के प्रतिनिधि चुने गये । सन् १९३० में सीनेट के अध्यक्ष निर्वाचित किये

गये। मई १९३२ में आपको, राष्ट्रपति डूमर्ग की हत्या के बाद, फ्रान्स का राष्ट्रपति चुना गया। ५ अप्रैल १९३६ को वह फ्रांस के राष्ट्रपति पुनः ७ वर्ष के लिए चुने गये। १९३८ में राष्ट्रपति ऐल्वर्ट लेब्रन ने ब्रिटेन के राजा-रानी को पेरिस में दावत दी और अप्रैल १९३६ में सरकारी तौर पर लन्दन गये और ब्रिटिश सम्राट् के मेहमान हुए। लेब्रन अपने राष्ट्रपति-पद के कार्य-काल में फ्रान्स के विधान के अनुकूल ही व्यवहार करने को बाधित थे, किन्तु निजी तौर पर वह सदैव अपने जनतावादी विचारों की दुहाई देते रहे।



ऐवरहार्ट विलियम—इनका जन्म ३० दिसम्बर १८७८ को ऑस्टेरियो में हुआ। पहले यह एक स्कूल में अध्यापक थे। बाद में इन्होंने ऐल्वर्ट प्रान्त में सामाजिक साख सघ (Social Credit League) नामक एक व्यापारिक-संस्था की स्थापना की। इसकी नियमावली में यह वचन दिया गया कि ऐल्वर्ट प्रान्त के प्रत्येक नियमित नागरिक को प्रतिमास पच्चीस डालर का मुनाफा बाँटा जायगा, और इस सघ के ज़रिये विलियम ने चुनाव लड़ा।

जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का यह अच्छा खासा प्रलोभन था। इस अवसर का पूरा लाभ उठाया गया। नतीजा यह हुआ कि ६३ में से ६० स्थान इनके दल को मिले। चौदह साल से ऐल्वर्ट में सयुक्त-कृषक दल की सरकार कायम थी। उसे उखाड़ फेंका गया और ऐवरहार्ट विलियम ऐल्वर्ट (कनाडा) के राजनीतिक अग्रणी और वहाँ की सरकार के प्रधान मंत्री बन बैठे।



ओ—ओ

ओटावा-समझौता—सन् १९३२ मे ओटावा (कनाडा) मे साम्राज्य-आर्थिक-सम्मेलन हुआ था, जिसमे ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत सभी देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । इस सम्मेलन मे पारस्परिक तटकर (Tariff) संबंधी निश्चय निर्धारित किये गये, जो ओटावा समझौता के नाम से प्रसिद्ध है ।

ओटो, डा० स्ट्रैसर—एक निर्वासित जर्मन राजनीतिज्ञ, हिटलर-नीति-विरोधी काले मोर्चे (Black Front) का नेता । १९३० तक डा० ओटो हिटलर का अनुयायी रहा । इसने नाज़ी दल मे एक समाजवादी पक्ष खडा किया । सन् १९३० मे वह हिटलर के दल से अलग होगया । उसने “क्रान्तिकारी राष्ट्रीय समाजवादी-दल” कायम किया जो बाद मे काले मोर्चे (Black Front) के रूप मे बदल गया । इसके कार्यक्रम मे नाज़ी-वाद तथा समाजवाद का मिश्रण था । सन् १९३३ मे हिटलर ने डा० ओटो को जर्मनी से निर्वासित कर दिया । वह ज़ेकोस्लोवाकिया तथा स्विट्ज़रलैण्ड मे भ्रमण करके हिटलर के विरुद्ध प्रचार करने लगा ।

औकिनलैक—आपका पूरा नाम है जनरल सर क्लौड जॉन इरे औकिनलैक । आपका जन्म सन् १८८४ में हुआ । दक्षिण-पश्चिमी समुद्रतटीय प्रदेश-इंगलैंड—में औकिनलैक ने जर्मन-आक्रमण से रक्षा के लिए सेना का संगठन किया । मई १९४० मे उत्तरी नार्वे मे मित्रराष्ट्रों की सेना का संचालन किया । इसके बाद इंगलैंड मे पोर्ट्समाउथ से ब्रिस्टल तक ५०० मील लम्बे समुद्री-तट की रक्षा के लिए ६ मास तक आपने बड़े साहस से योजना-कार्य किया ।

आपने वैलिंगटन कालिज मे शिक्षा प्राप्त की है । सबसे प्रथम वह भार-

तीय सेना में साधारण अफसर नियुक्त किए गए। विगत महायुद्ध में आपने स्वेज नहर पर मिस्त्र में कार्य किया था। सन् १९१६ में मेसोपोटामिया में सैनिक-कार्य किया। युद्ध की समाप्ति तक वहीं पर रहे।

सन् १९२७ में इम्पीरियल डिफेंस कालिज से परीक्षा पास की और सन् १९२९-३० में आपको प्रथम पञ्जाब रेजिमेंट की प्रथम बटालियन का संचालन-कार्य सौंपा गया। सन् १९३० में आप स्टाफ कालिज क्वेटा में शिक्षक हो गए। सन् १९३३ से १९३६ तक पेशावर ब्रिगेड का संचालन किया। सन् १९३६ में जनरल औकिनलैक को जनरल स्टाफ का डिप्टी चीफ नियुक्त किया गया। बाद में जनरल स्टाफ के चीफ के पद पर भी कार्य किया। भारतीय सेना के प्रतिनिधि के रूप में आपको चैटफील्ड कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया था। सन् १९३६ में कुछ समय के लिए आपको मेरठ डिवीजन में जनरल आफिसर कमांडिंग का कार्य सौंपा गया। यहीं से आपको इंग्लैण्ड में सेना के संगठन के लिए आमंत्रित किया गया।

सन् १९४१ में आपको भारत का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया।

जून १९४२ में लीबिया में तुवरुक का मोर्चा जनरल रिची के हाथ से निकल जाने और अंगरेज़ी सेनाओं द्वारा सोलम, कपुज़्ज़ो, हलफाया और सिद्दीब्रानी ग्वाली करके पीछे हट जाने के बाद इस रण-क्षेत्र का सैन्य-संचालन जनरल औकिनलैक ने अपने हाथ में ले लिया। आपने अपना नया मोर्चा पीछे हटकर सिकन्दरिया से सत्तर मील पश्चिम में लगाया है, जहाँ शुरू में जर्मनों ने बड़ी तेज़ी दिखाई थी, और ऐसा दिखाई देने लगा था कि वह मिस्त्र को शीघ्र ले लेंगे। किन्तु आप बड़ी रण-चातुरी और वीरता से अपनी सेना को वहाँ लडा रहे हैं। लडाई इस रणक्षेत्र पर आजकल घमासान की हो रही है।



औद्योगिक संगठन समिति—यह अमरीका का एक मज़दूर संगठन है। अमरीकी मज़दूर-संघ की एक शाखा है जो यह चाहती है कि समस्त

मजदूरो का व्यापक रूप से संगठन क्रिया जाय । अमरीकी मजदूर-संघ में केवल दक्ष मजदूर ही शामिल हो सकते हैं; परन्तु औद्योगिक संगठन समिति दक्ष और मामूली दोनों प्रकार के मजदूरों के लिए है ।

औपनिवेशिक माँग—जिन यूरोपीय या एशियाई राष्ट्रों के पास पर्याप्त उपनिवेश नहीं है—अधिकृत देश नहीं है—वे यह माँग पेश करते हैं कि उन्हें उनकी बढ़ती हुई जन-संख्या की आबादी तथा औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश चाहिये । वर्तमान समय में हिटलर और मुसोलिनी जो युद्ध में उतरे हैं, इसमें उनका एक लक्ष्य यह भी है कि एशिया और अफ्रीका के पिछड़े देश उन्हें, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, मिल जायें ।

औपनिवेशिक स्वराज्य—वर्तमान समय में ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह के अन्तर्गत केवल ५ उपनिवेशों को स्वायत्त-शासन प्राप्त है—दक्षिणी अफ्रीकन यूनियन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड तथा आयरिश स्वतंत्र-राज्य । इनमें से अन्तिम उपनिवेश तो ब्रिटिश राष्ट्र-समूह से अलग है और उसे ब्रिटिश डोमिनियन मानना सत्य के साथ अन्याय करना होगा । शेष चार उपनिवेशों को वैस्टमिन्स्टर कानून १९३१ के अनुसार अपने आन्तरिक शासन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है । प्रत्येक उपनिवेश की निजी सेना है तथा उसे अपने गवर्नर-जनरल की नियुक्ति में ब्रिटिश मंत्रि-मण्डल को सलाह देने का अधिकार है । अक्सर उसकी सम्मति से ही गवर्नर-जनरल नियुक्त किया जाता है । प्रत्येक उपनिवेश की पार्लमेंट को यह अधिकार है कि वह अपने विधान में परिवर्तन करले तथा कोई भी ऐसा कानून बनाले जो इंग्लैण्ड की पार्लमेंट द्वारा निर्मित कानून के विपरीत हो । परन्तु वैदेशिक, साम्राज्य-रक्षा तथा व्यापारिक सन्धियों और युद्ध-घोषणा तथा शान्ति-संधि आदि मामलों में उपनिवेशों की सरकारें सदैव ब्रिटिश सरकार के पद-चिह्नो पर चलती हैं ।

भारत के वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने ८ अगस्त १९४० के वक्तव्य में यह निश्चयपूर्वक घोषणा की है कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जायगा । परन्तु औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना कब की जायगी, इसका अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हो सका । यह भी घोषणा की गई है कि युद्ध के

वाद भारतीयों को अपना शासन-विधान बनाने की सुविधा दी जायगी और ब्रिटिश पार्लमेण्ट उस पर विचार करेगी ।

क

कनाडा—यह ब्रिटिश कॉमनवैल्व्थ का एक अङ्ग है । उत्तरी अमरीका में, संयुक्त-राज्य अमरीका के उत्तर में, यह देश स्थित है । क्षेत्रफल ३६,६५,००० वर्गमील तथा जनसंख्या १,१२,००,००० है । कनाडा का शासन-विधान सन् १८६७ के ब्रिटिश-उत्तरी अमरीका ऐक्ट के आधार पर है । यहाँ संव-शासन है । यहाँ की पार्लमेण्ट में दो परिषद् (Chambers) हैं—एक कॉमन-सभा तथा दूसरी सीनेट । कॉमन सभा के प्रतिनिधि पाँच वर्ष के लिए चुने जाते हैं । सीनेट के सदस्य सपरिषद्-गवर्नर-जनरल द्वारा आजीवन सदस्य चुने जाते हैं । गवर्नर-जनरल ब्रिटेन के बादशाह का प्रतिनिधि है और बादशाह के नाम पर मसविदे आदि स्वीकार करता है ।

कनाडा नौ प्रान्तों से मिलकर बना है । प्रत्येक प्रान्तीय सरकार को स्वतंत्रता है तथा प्रान्तीय धारासभाएँ कानून बनाती हैं । परन्तु संघीय सरकार को उन्हें रद्द करने का अधिकार है । प्रत्येक प्रान्त में लेफ्टिनेट गवर्नर होता है, जिसकी नियुक्ति गवर्नर-जनरल द्वारा की जाती है ।

कनाडा की कुल जनसंख्या में से ८० लाख कनाडा-अधिवासी कनाडा में पैदा हुए हैं, १२ लाख इंग्लैण्ड के हैं, ३॥ लाख संयुक्त-राज्य अमरीका के लोग हैं, और शेष विदेशों में पैदा हुए हैं । २७ लाख अंगरेज, १३ लाख स्कॉटलैंड के (Scotch), १२ लाख आयरिश, ३० लाख फ्रांसीसी, ५ लाख जर्मन, शेष दूसरे राष्ट्रों और जातियों के हैं । कनाडा की फ्रेंच तथा अंगरेजी दो राष्ट्रभाषाएँ हैं । कनाडा में प्रवास-संबंधी बड़ी बाधाएँ हैं ।

कनाडा में दो राजनीतिक दल हैं, उदार दल तथा राष्ट्रीय अनुदार दल। उदार दल वाले कम समुद्र-तट-कर चाहते हैं, ओटावा-समझौते के बजाय विशेष व्यापारिक संधियाँ चाहते हैं, डोमिनियन की स्वतंत्र सत्ता पर जोर देते हैं; आर्थिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं चाहते। सन् १९३५ में इस दल की विजय हुई। राष्ट्रीय अनुदार दल समुद्र-तट-कर अधिक चाहता है, ओटावा-समझौता का समर्थन करता है। आर्थिक मामलों में कुछ हस्तक्षेप चाहता है। पैदावार की सहकारी-विक्री की व्यवस्था चाहता है। सामाजिक बीमा, कम-से-कम वेतन, कम-से-कम काम के घंटे, आदि चाहता है।

कनाडा की मज़दूर-संस्था का नाम है सहकारी कॉमनवैल्थ सघ। इसकी स्थापना सन् १९३२ में हुई। इसका एक विशेष कार्यक्रम है, जो कुछ समाजवादी ढंग का है। यह दल (संस्था) इस युद्ध में तटस्थता के पक्ष में है। इसके नेता जे० एस० बुड्सवर्थ हैं।

६ सितम्बर १९३६ को कनाडा की पार्लियामेंट ने यह निर्णय किया कि कनाडा को ब्रिटेन के पक्ष में युद्ध में भाग लेना चाहिए। कनाडा में लडाकू हवाई जहाजों के बनाने के लिए बड़े-बड़े कारखाने ग्योले गये हैं। कनाडा ने अपनी सेना भी ब्रिटेन की सहायता के भेजी है।

कनाडा की अपनी जल-सेना, स्थल-सेना तथा हवाई-सेना है। कनाडा में गेहूँ की पैदावार सबसे अधिक है। सोना, ऊन, निकिल आदि भी पैदा होती हैं। कनाडा का सिक्का 'डॉलर' है जो संयुक्त-राज्य अमरीका के डॉलर के बराबर है। प्रायः एक शताब्दी से संयुक्त-राज्य अमरीका और कनाडा के पारस्परिक संबंध मित्रतापूर्ण रहे हैं।



कमाल अता तुर्क—आधुनिक तुर्किस्तान के निर्माता, तुर्की जनरल तथा राजनीतिज्ञ और तुर्की प्रजातंत्र के प्रथम राष्ट्रपति । सन् १९८१ में जन्म हुआ । तरुण तुर्क क्रान्तिकारी दल में शामिल होगये । सन् १९१५ में दर्रेडानियाल (Dardanelles) की रक्षा की और जनरल कमाल पाशा बन गये । मई १९१६ में कमाल पाशा अनानूलिया भेजे गये जिसमें वहाँ निःशस्त्रीकरण किया जा सके । उन्होंने कुस्तुन्तुनिया-सरकार की अवज्ञा करके राष्ट्रीय आन्दोलन और सेना का संगठन किया । राष्ट्रीय-परिषद् आमंत्रित की तथा उन यूनानियों के विरुद्ध युद्ध किया जो एशिया माइनर में प्रवेश कर रहे थे । कुस्तुन्तुनिया-सरकार ने मुस्तफा कमाल पाशा को विद्रोही घोषित कर दिया । अगोरा में राष्ट्रवादी पार्लामेंट के सदस्य, राष्ट्रीय परिषद् के रूप में, सम्मिलित हुए और कमाल पाशा को अपना राष्ट्रपति चुन लिया तथा कुस्तुन्तुनिया से सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया । १९२१ में मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की के प्रधान सेनापति बनाये गये । उन्होंने सकारिया के २२ दिन के युद्ध को जीता । राष्ट्रीय परिषद् ने इस पर आपको गाजी (विजयी) की उपाधि से विभूषित किया । कमाल पाशा ने २६ अक्टूबर १९२३ को सुलतान और ख़िलाफत का ग़ातमा कर दिया और तुर्किस्तान को प्रजातंत्र घोषित कर दिया । प्रथम प्रजातंत्र के प्रथम राष्ट्रपति बनाये गये और अधिनायक (Dictator) के सम्पूर्ण अधिकार उन्हें दे दिये गये । १९३१ और १९३५ में भी वही राष्ट्रपति चुने गये । कमाल पाशा ने जो सुधार तुर्किस्तान में किये, उनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—राज्य-शासन और धर्म का पृथक्करण, बहुविवाह-निषेध, पर्दा तथा बुर्का-निवारण, फैज कैप (लाल तुर्की टोपी) का परित्याग, यूरोपीय पोशाक का प्रसार, यूरोपियन रीति-रिवाजों और आधुनिक खेलों का प्रचार, अरबी की जगह लेटिन लिपि का प्रचार । धार्मिक-क्षति की दुहाई देने-वाले मौलवी-मुल्लाओं, उनके अधिनायक-तंत्र के विरुद्ध पण्डित रचनेवालों और साम्यवादियों का उन्होंने दृढ़ता से दमन किया । राष्ट्र-निर्माण में रोड़ा अटकानेवालों को बड़ी तादाद में मौत के घाट उतार दिया ।

जनतंत्रवाद के प्रतिकूल होने से अपने नाम के साथ की पाशा उपाधि छोड़ दी । १९३४ में अरबी शब्द मुस्तफा भी अपने नाम में से निकाल

कराची-प्रस्ताव

दिया । कुलीनता-हीनता-सूचक उपाधियो और उपनामो को छोडकर, १९३४ मे, तुर्को मे सादा उपनाम लिखने की प्रथा प्रचलित की । अपने नाम कमाल के साथ अता तुर्क जोडा और गाज़ी मुस्तफा कमाल पाशा के बजाय कमाल अता-तुर्क नाम ग्रहण किया । अता-तुर्क का अर्थ है तुर्कों का पिता । सन् १९२३ में लतीफी हानुम नामक एक सुशिक्षिता आधुनिक सुन्दरी से निकाह किया, और ज्योही कमल को विश्वास हुआ कि लतीफी उनकी राष्ट्रोद्धार की नीति पर अपना प्रभाव डालती है, त्योही १९२७ मे उसे तलाक़ दे दी । १० नवम्बर १९३८ को तुर्की के त्राता कमाल अतातुर्क का, यकृत-रोग के कारण, देहान्त होगया ।



कराची-प्रस्ताव—राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) के कराची-अधिवेशन (मार्च १९३१) मे एक प्रस्ताव इस आशय का स्वीकार किया गया जिसके द्वारा जनता को स्वराज्य की रूपरेखा समझाने तथा उसको आर्थिक स्वाधीनता देने के लिये भारत के स्वराज्यकालीन शासन-विधान मे जन-समुदाय के मौलिक अधिकारो और कर्तव्यो, मजदूरो की स्थिति, वर तथा सरकारी व्यय और सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम का विस्तृत उल्लेख किया गया था । चूँकि यह प्रस्ताव, इस सम्बन्ध के सार्वजनिक विचार-विनियम के बिना ही, स्वीकृत हुआ था, अतएव अगस्त सन् १९३१ की भारतीय कांग्रेस कमिटी ने इसमे कई सशोधन किए । सशोधित प्रस्ताव की मौलिक अधिकारो की घोषणा मे १४ धाराएँ हैं और मजदूरो तथा आर्थिक कार्यक्रम मे १७ । इसकी धाराओ मे निश्चित कर दिया गया है कि स्वराज्य-प्राप्त भारत मे किसी भी सरकारी-कर्मचारी का वेतन ५००) मासिक से अधिक न होगा । अल्पसंख्यक जातियो—मुसलमानो, हरिजन आदि—तथा भिन्न-भाषा-भाषियो और विदेशियो के अधिकारो और स्थिति की व्याख्या भी कर दी गई है ।

कृपालानी, आचार्य जे० वी०—गान्धीवादी कांग्रेसी नेता। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के प्रधान मंत्री। जब गान्धीजी ने चम्पारन (बिहार) में नील की बड़ी-बड़ी खेतियाँ करनेवाले यूरोपियनों ('निलहे गोरों') द्वारा मजदूरों पर किये जानेवाले अत्याचारों के विरोध में, सन् १९१७ में, आन्दोलन किया, तब कृपालानीजी बिहार के एक कालिज में अत्यापक थे। वह तभी गान्धीजी के सम्पर्क में आये और उन्होंने सत्याग्रह सिद्धान्त का अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय जनता की मनोवृत्ति का भी अध्ययन किया। चम्पारन के मजदूरों की स्थिति की जाँच करनेवाली कमिटी में भी उन्होंने भाग लिया। इसके बाद प० मदनमोहन मालवीय से इनकी भेंट हुई और एक वर्ष तक उनके प्राइवेट सैक्रेटरी रहे। सन् १९१८ में देहली में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तब यह माननीय मालवीयजी के मंत्री थे। इस कारण देहली में इन्हे देश के नेताओं से परिचय प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ।

सन् १९१९ में इन्हे काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय में राजनीति का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। जब सन् १९२२ में अहमदाबाद में गान्धीजी के आदेश से राष्ट्रीय शिक्षा-संस्था, गुजरात विद्यापीठ, की स्थापना की गई तब श्री कृपालानी प्रोफेसरी छोड़कर विद्यापीठ में चले गये। वहाँ पाँच वर्ष तक रहे। पीछे आप अखिल-भारतीय चरखा सघ में सम्मिलित होगये और सयुक्त-प्रान्तीय-शाखा-चरखा-सघ के केन्द्र, गान्धी आश्रम, मेरठ में, आगये और तब से बराबर वहाँ के प्रधान कार्यकर्त्ता हैं। इसके साथ ही, पीछे आप कांग्रेस के सैक्रेटरियट—स्वराज्य-भवन, प्रयाग—में आगये और प्रधान मंत्री (जनरल सैक्रेटरी) के पद पर काम करने लगे। बीच के कुछ वर्षों को छोड़कर, वे कांग्रेस के बराबर प्रधान मंत्री हैं। आचार्य कृपालानी स्पष्ट-वक्ता तथा



कुशल लेखक है। वह अपने भाषण में हास्य-रस का सुन्दर पुट देते हैं और कभी-कभी अपने श्रोताओं को मुग्ध कर देते हैं। आप-वर्षों गान्धीजी के निकट सम्पर्क में रहे हैं और उनके सिद्धान्तों और विचारों का गम्भीर अध्ययन किया है। अपने जीवन के दीर्घकाल तक अविवाहित रहने के उपरान्त, काफी बड़ी उम्र में, अभी कुछ वर्ष पूर्व, आपने विवाहित-जीवन में प्रवेश किया है। कालिज और राष्ट्रीय विद्यापीठ में अध्यापन-कार्य किया, इसलिये आप आचार्य कहलाये। आपने गान्धीवाद पर कई पुस्तकें लिखी हैं।

कृषि-सामंजस्य-कानून—सयुक्त-राज्य अमरीका की कांग्रेस ने, अपने देश के किसानों के हित के लिए, १२ मई सन् १९३३ को, यह कानून बनाया। कृषि-सामंजस्य प्रबन्ध-संस्था भी स्थापित की गई जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता देना है। यह संस्था कृषि की पैदावार का मूल्य निर्धारित करती है, किसानों के जोतने-बोने के लिए भूमि का वितरण करती है, उन्हें आर्थिक मदद देती है, किसानों की जो पैदावार नहीं विक्रती उसे स्वयं खरीद लेती है तथा उसको सुरक्षित रखने की व्यवस्था करती है। यह संस्था हर वर्ष ५० करोड़ डॉलर इस कार्य में खर्च करती है।

कागनोविच—कागनोविच रूस के प्रसिद्ध समाजवादी नेता हैं। उनका जन्म सन् १८६३ में यहूदी-परिवार में हुआ। यह परिवार यूक्रेन में रहता था तथा अपने विद्यार्थि-काल में वह गरीबी के कारण दो वर्ष ही शिक्षा प्राप्त कर सके। बाद में अपनी जीविका-उपार्जन के लिए उन्हें मज़दूरी करनी पड़ी। सन् १९११ में उन्होंने कम्यूनिस्ट पार्टी में प्रवेश किया और उसके बाद क्रान्ति तथा गृह-युद्ध में उन्होंने जो कार्य किया उससे उनकी सगठन-शक्ति का पता लगता है। कागनोविच रेल-विभाग के मंत्री बनाये गए। उन्होंने इस विभाग में आशातीत उन्नति की।

कांग्रेस-कार्य-समिति—यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वोच्च नियन्त्रण-कारिणी समिति है। इसकी नियुक्ति कांग्रेस के निर्वाचित अव्यक्त द्वारा की जाती है। नियुक्ति करते समय महात्मा गान्धी से परामर्श लेना आवश्यक है। उन्हींके परामर्श से इसकी अन्तिम नियुक्ति होती है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें, त्रिपुरी कांग्रेस के बाद से, गान्धीवादी नेता ही नियुक्त किये जाते

हैं। हरीपुरा तथा फैजपुर अधिवेशनों के समय बनाई गई समितियों में समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्रदेव तथा श्री अच्युत पटवर्धन भी संयुक्त किये गये थे। परन्तु त्रिपुरी के संघर्ष के बाद कार्य-समिति में सब गान्धीवादी या गान्धीजी के भक्तों को ही लिया जाता है। रामगढ़-कांग्रेस (१९४०) के समय की बनी कार्य-समिति में, जो अब तक है, निम्न-लिखित सदस्य हैं—

(१) मौलाना अबुल कलाम आजाद, (अव्यक्त), (२) मरदार वल्लभभाई पटेल, (३) प० जवाहरलाल नेहरू, (४) डा० राजेन्द्रप्रसाद, (५) आचार्य कृपालानी, (६) श्रीमती सरोजिनी नायडू, (७) सेंट जमनालाल बजाज, (जनवरी १९४२ में जिनके स्वर्गवासी होजाने से, उनके स्थान पर, श्री जयरामदास दौलतराम को नियुक्त किया गया है), (८) श्री राजगोपालाचार्य ('पाकिस्तान'-प्रश्न पर कांग्रेस से मतभेद होजाने के कारण आपने, जुलाई १९४२ में, अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया ।), (९) श्री भूलाभाई देसाई, (१०) इवान अब्दुल गफ्फारखॉ, (जिन्होंने रचनात्मक कार्य करने के लिये त्यागपत्र दे दिया है ।) (११) श्री शंकरराव देव, (१२) डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष, (१३) श्री आसफ़अली, (१४) डा० सैयद महमूद। (१५) प० गोविन्दवल्लभ पन्त। (१६) डा० पद्माभि सीतारामय्या ।

कांग्रेस-मंत्रि-मण्डल—जुलाई सन् १९३७ से नवम्बर १९३९ तक भारत के ८ प्रान्तों—बम्बई, मद्रास, संयुक्त-प्रान्त, मध्यप्रान्त, बिहार, उड़ीसा, मीमाप्रान्त तथा आसाम—में कांग्रेस-दल की सरकारों ने प्रान्तों का शासन-प्रबन्ध किया ।

कांग्रेस-समाजवादी-दल—मई १९३३ में पटना में हुई अखिल-भारतीय कांग्रेस कमिटी के अधिवेशन में सत्याग्रह आन्दोलन के स्थगित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया । इसी अवसर पर सर्वप्रथम कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन भी, काशी विद्यापीठ के आचार्य श्री नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में, हुआ । श्री जयप्रकाश नारायण सगठन-मंत्री नियुक्त किये गये । ७-८ वर्षों में इस आन्दोलन ने राष्ट्रीय आन्दोलन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला है । आज यह दल कांग्रेस के अन्तर्गत अन्य दलों से अधिक सुसंगठित है । कांग्रेस

कार्य के अतिरिक्त यह दल किसानो-मज़दूरों के संगठन का कार्य स्वतंत्र रूप से भी करता रहा है और किसान सभा तथा मज़दूर सभा में, दूसरे दलों की अपेक्षा, इसके सदस्य सबसे अधिक संख्या में हैं। इसका अखिल-भारतीय संगठन है जो अखिल-भारतीय कांग्रेस-समाजवादी दल के नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्येक प्रान्त में इसकी शाखाएँ हैं। ज़िलो और नगरो में भी इसका संगठन है। इसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना और भारत में समाजवादी शासन-प्रणाली की स्थापना करना है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्न लिखित हैं—

(१) समस्त सत्ता जनता के हाथ में रहे।

(२) देश के आर्थिक-जीवन का नियंत्रण एवं विकास राज्य द्वारा हो।

(३) सबसे पहले बड़े उद्योगों का समाजीकरण किया जाय, जिससे उत्पत्ति, वितरण तथा विनिमय के समस्त साधनों पर समाज का स्वाम्य स्थापित होसके।

(४) विदेशी व्यापार पर राज्य का एकाधिकार हो।

(५) राजाओं, नवाबों तथा ज़मींदारों को, बिना किसी प्रकार की क्षति-पूर्ति दिये, ज़मींदारी प्रथा का अन्त।

(६) किसानों तथा मज़दूरों के कर्ज़ों की माफी।

(७) व्यावसायिक आधार पर वयस्क मताधिकार।

जब सन् १९३६ में कांग्रेस ने यह निश्चय किया कि कांग्रेस को प्रान्तीय चुनावों में भाग लेना चाहिए, तब पहले तो समाजवादियों ने कौंसिल-प्रवेश का विरोध किया, परन्तु बाद में, साम्राज्यवाद के विरोध के लिए, उन्होंने भी कौंसिल-प्रवेश का निश्चय किया। काफी संख्या में समाजवादी प्रान्तीय धारासभाओं में चुने गये। जब सन् १९३७ में, देहली में, मार्च में, कांग्रेस की अखिल-भारतीय कमिटी का अधिवेशन हुआ तो इन्होंने मन्त्रि-पद-ग्रहण का विरोध किया। परन्तु पद-ग्रहण का प्रस्ताव गान्धीजी के प्रभाव से पास हो गया। जब कांग्रेस मन्त्रि-मण्डल बनाये गये, तब समाजवादी सदस्यों ने मन्त्रि-पद ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस-शासन-नीति की समाजवादियों ने कड़ी आलोचना की। कांग्रेस-सरकारों ने किसान और मज़दूरों के आन्दो-

लन को विलकुल प्रोत्साहन नहीं दिया अपितु उसे दवाने का प्रयत्न किया, और इन कायो मे पुलिस की भी सहायता ली। समाजवादी नेताओं ने इन कायों की निन्दा की। कांग्रेस-शासन-काल मे समाजवादी-आन्दोलन बहुत व्यापक और प्रभावशाली होगया। कांग्रेस समाजवादी वर्तमान युद्ध को साम्राज्यवादी समझते हैं और उसमे सहायता देने के कट्टर विरोधी हैं। वे चाहते हैं कि युद्ध के विरोध मे भारतव्यापी जनान्दोलन छेडा जाय। महात्मा गान्धी के व्यक्तिगत युद्ध-विरोधी सत्याग्रह से वे सहमत नहीं रहे। कांग्रेस समाजवादी-दल के प्रमुख नेता हैं—सर्वश्री आचार्य नरेन्द्रदेव, जयप्रकाश नारायण, यूसुफ मेहरअली, अच्युत पटवर्धन, श्रीमती कमलादेवी।

कार्डेनाज, जनरल लेजर्रो—मेक्सिको के राष्ट्रपति, ३० नवम्बर १९३४ को चुने गये। १ दिसम्बर १९४० को आपका कार्य-काल समाप्त होगया। यह अपने ढग के स्वतंत्र समाजवादी विचारक हैं। आपने मेक्सिको मे रूसी क्रान्ति के नेता ट्राट्स्की को आश्रय दिया था।



कार्डेल हल—सयुक्त-राज्य अमरीका के वैदेशिक मंत्री, जन्म १८७१ ई०। राष्ट्रपति रूजवेल्ट की नीति के समर्थक तथा एकान्तता (Isolationism) नीति के विरोधी हैं। वकील और जज रहे। १८९८ के क्यूबा-युद्ध मे कप्तान की हैसियत से लडे। सन् १९०७ से १९२१ तक और फिर '२३ से '३१ ई० तक कांग्रेस (अमरीकी पार्लमेन्ट) के सदस्य रहे। सन् '३१ से '३७ तक सीनेट के सदस्य रहे, और जब रूजवेल्ट मन्त्रिमण्डल बनने लगा तब, उसमे सम्मिलित होने के लिये, सीनेट की सदस्यता से स्तीफा दे दिया।

काबालैरो—स्पेन का मज़दूर नेता, सन् १८६६ में जन्म हुआ। यह मकान बनाने का काम करता था। बाद में स्पेनिश समाजवादी-दल का अध्यक्ष होगया।

सात बार कैद की सज़ा दी गई। सन् १९१७ में फॉर्मी की सज़ा मिली, परन्तु रिहा कर दिया गया। सन् १९३१-३३ की प्रजातंत्रवादी सरकार में वह मज़दूर-मंत्री था। स्पेन के गृह-युद्ध में सन् १९३६ में वह प्रजातंत्रवादी सरकार का प्रधान-मंत्री होगया। सन् १९३७ में उसे प्रजातंत्रवादी दल ने बहिष्कृत कर दिया। जब प्रजातंत्र का पतन हो गया तब वह स्पेन से फ्रांस को भाग गया।



कामन सभा (पार्लमेण्ट)—ब्रिटिश पार्लमेण्ट की प्रथम सभा (House of Commons)। सन् १९११ से इस सभा का अधिक प्रभाव है, क्योंकि लार्ड सभा (House of Lords—द्वितीय सभा) इसके द्वारा स्वीकृत किसी प्रस्ताव अथवा बिल को रद्द नहीं कर सकती। इस सभा में ६१५ निर्वाचित प्रतिनिधि हैं—इंग्लैंड के ४५२ सदस्य, वेल्स के ३६, स्काटलैंड के ७४ तथा उत्तरी आयरलैंड के १३ सदस्य हैं। इंग्लैंड के धार्मिक-तंत्र (Church) के पादरी सदस्य नहीं चुने जाते। कामन-सभा के सदस्यों का चुनाव पाँच साल के लिए होता है। इसके सदस्यों को अपने नाम के आगे एम० पी० (मेम्बर पार्लमेण्ट) पदवी जोड़ने का अधिकार है। सदस्यों को ६०० पाँड सालाना भत्ता तथा रेलवे की यात्रा-संबंधी सुविधाएँ दी जाती हैं। सभा का अध्यक्ष स्पीकर (Speaker) कहलाता है।

कामिण्टर्न-विरोधी-समझौता—२५ नवम्बर सन् १९३६ को जर्मनी और जापान के बीच यह समझौता हुआ था। इसका उद्देश कामिण्टर्न अर्थात् साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय संघ की काररवाइयो तथा आन्दोलन का दमन

करना है। एक साल बाद, ६ नवम्बर १९३७ को, इटली भी इसमें शामिल होगया। इस समझौते में यह स्वीकार किया गया है कि—

‘हस्ताक्षरकर्ता यह उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं कि वे एक दूसरे को साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय काररवाइयो से मूचित करते रहेगे, रक्षात्मक काररवाई के सत्रध में वे एक दूसरे से परामर्श लेगे और परस्पर सहयोग से काम करेंगे। दूसरे देशो को भी इस समझौते में शामिल होजाना चाहिये। यह समझौता नवम्बर १९४१ को समाप्त हो जायगा। परन्तु हस्ताक्षर करनेवाले, इस अवधि की समाप्ति से पूर्व, भविष्य में सहयोग से काम करने के लिए, समझौता कर सकेंगे।’ दिसम्बर १९३८ में मञ्चूको ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया। फरवरी १९३९ में हंगरी इसमें शामिल होगया और अप्रैल १९३९ में स्पेन भी इस समझौते में आ मिला।

कामेसंस—इस देश का क्षेत्रफल १,६६,००० वर्गमील तथा जन-संख्या ३०,००,००० है। पश्चिमी अफ्रीका में यह पहले जर्मन उपनिवेश था। आजकल राष्ट्र-संघ के शासनादेश के अधीन, ब्रिटेन और फ्रांस के नियंत्रण में है। एक-पॉंचवे भाग पर ब्रिटेन का नियंत्रण है और शेष पर फ्रांस का।

कार्ल हाउशोफर—कार्ल हाउशोफर

तथा उसका पुत्र एलब्रेट हाउशोफर हिटलर के परामर्शदाता हैं। इनका मुख्य कार्य हिटलर के लिए मानचित्र तैयार करना है। आज हम चारो ओर ‘और जगह लो’ की गूँजे सुन रहे हैं, वह इन्हींके मस्तिष्क की उपज है। वास्तव में यह नीति जापान का आविष्कार है। सन् १९०२ में कार्ल हाउशोफर ने जापान की यात्रा की और वहाँ के फौजी ढंग का अच्छा अव्ययन किया। यही से उसने ‘और जगह लो’ का सिद्धान्त सीखा। सन् १९२३ में, जब हिटलर म्युनिक के वन्दीगृह में था, तब कार्ल हाउशोफर की



10

यहूदी स्त्री उसे पुस्तके तथा फल भेट करने जाती थी । उसने सदैव हिटलर की सहायता की । हिटलर के आत्मचरित 'मेरा संघर्ष' के लिखने में भी उसने सहायता दी ।

क्रान्तिकारी कांग्रेस-संघ—इस नाम की एक सस्था सन् १९३८-३९ में भारत-प्रसिद्ध श्री एम० एन० राय (मानवेन्द्र नाथ राय) ने स्थापित की । इसका अंगरेजी नाम है—League of Radical Congressmen. इस दल का जनता पर कोई प्रभाव नहीं है, और न इसका कार्यक्रम ही क्रान्तिकारी है । ऐसा प्रतीत होता है कि एक नया दल खडा करने के लिए ही संघ बनाया गया है । इस संघ में श्री राय के अनुयायी शामिल हैं ।

किसान-कार्यक्रम—फैज़पुर कांग्रेस-अधिवेशन, दिसम्बर १९३६ में, किसानों के हित के लिए जो कार्यक्रम निश्चय किया गया, वह किसान-कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है । लगान में कमी, बिना मुनाफे की जोत से लगान न लेना, कृषि पैदावार पर कृषि पैदावार-कर, नहरों की आवपाशी की दर में कमी, नज़राने तथा बेगार आदि बन्द करना, काश्तकारों को ज़मीन पर मौरूसी अधिकार दिलाना, अपनी काश्त पर मकान तथा पेड़ लगाने का अधिकार, सहकारी ढंग पर खेती की व्यवस्था, किसान-क़र्ज़ों में कमी और माफी, गोचर-भूमि की व्यवस्था, पिछले सालों का बकाया लगान माफ, दीवानी क़र्ज़ों की वसूली की भौति बकाया लगान की वसूली की जाय, ज़मींदारों को किसानों को काश्त से वेदम्वल करने का अधिकार न रहे, खेतिहर-मज़दूरों के लिए उचित मज़दूरी की व्यवस्था, किसान सभाओं को मज़ूर किया जाय ।

कांग्रेस-मंत्रि मण्डलों ने, अपने शासन-काल में, इनमें से कुछ सुधार किये, परन्तु मौलिक तथा सब किसानों को लाभ पहुँचानेवाले सुधार नहीं किये गये ।

किसानवादी—यह शब्द किसानों और विशेषतः भूमिहीन कृषिकारों के हितों के राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए प्रयोग किया जाता है । भारत में समाजवादी प्रचार के कारण किसानवादियों का अच्छा संगठन हो गया है । देश भर में किसान-सभाएँ हैं और किसानों का केवल प्रान्तीय ही नहीं अखिल

भारतीय सगठन भी है। किसानवादियों के प्रसिद्ध नेता स्वामी सहजानन्द सरस्वती, प्रो० एन० जी० रंग, एम० एल० ए०, महाप्रिडित राहुल सास्त्रकृत्या-यन, श्री विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी तथा श्री मोहनलाल गौतम आदि हैं।

किसान सभा—यहाँ सबसे पहले स्पष्ट कर देना उचित होगा कि किसान-आन्दोलन और किसान-सभा आन्दोलन—यह दो पृथक् आन्दोलन हैं। किसान-आन्दोलन का मूलपात तो सन् १९१५-१६ में हो चुका था, जब 'प्रताप' के यशस्वी सम्पादक अमर शहीद श्रीगणेशशङ्कर विद्यार्थी ने अवध के किसानों के कष्टों को सबसे प्रथम देश के समक्ष रखा और फैजाबाद, रायबरेली आदि जिलों में हुए किसान-आन्दोलन में पूर्ण सहयोग दिया। उन्हींके सहयोग-साहाय्य और आदेश से श्रीविजयसिंह 'पथिक' ने उदयपुर, वँदी, कोटा आदि तेरह देशी रियासतों की किसान-प्रजा में आदर्श सत्याग्रह आन्दोलन का सङ्गठन-संचालन किया। किसानों के प्रति देश का ध्यान आकर्षित करने का प्रथम श्रेय इन्हीं दो को है। इसीका प्रतिफल था कि महामना मालवीयजी का ध्यान देश के इस दुःखी अङ्ग की ओर गया और १९१८ की कांग्रेस में, जो दिल्ली में मालवीयजी की अव्यक्तता में हुई थी, सबसे पहले किसानों को कांग्रेस अधिवेशन में निःशुल्क प्रवेश मिला। इसके बाद सन् १९२० से इस आन्दोलन की एक रूपरेखा बन गई जब महात्मा गान्धी तथा सरदार वल्लभभाई पटेल ने असहयोग-आन्दोलन में गुजरात के वारदोली में सत्याग्रह छेड़ने के अभिप्राय से किसानों का सगठन करने का प्रयत्न किया। पीछे सन् १९२७-२८ में वारदोली में सरदार वल्लभभाई ने किसानों का ज़ोरदार सगठन किया, आन्दोलन चलाया और उसमें विजय प्राप्त की। इसके बाद बिहार प्रान्त में स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने किसानों का ज़बरदस्त सगठन किया। इतने व्यापक क्षेत्र में किसान-सङ्गठन अब तक किसी ने नहीं किया। इन सगठनों से कांग्रेस ने लाभ उठाया और इससे कांग्रेस की शक्ति बढ़ी। परन्तु अभी तक किसानों का कोई निजी सगठन नहीं था।

किसानों को व्यावसायिक-वर्ग के आधार पर सगठित किये जाने की आवश्यकता थी। सन् १९३८ में प्रो० एन० जी० रंग, एम० एल० ए० (केन्द्रीय), तथा स्वामी सहजानन्द सरस्वती और अन्य समाजवादी कार्यकर्ताओं के प्रयत्न से

लम्बनऊ काग्रेस के समय, प्रथम अखिल-भारतीय किसान सम्मेलन हुआ। दूसरा अधिवेशन, दिसम्बर १९३६ में, फैज़पुर काग्रेस अधिवेशन के साथ, हुआ। इस प्रकार ३-४ वर्षों में सारे देश में किसान सभाएँ स्थापित हो गईं। यह वास्तव में किसानों का अपना विशुद्ध संगठन है। इसके मूल उद्देश्य निम्न प्रकार हैं—

(१) आर्थिक शोषण से पूर्ण मुक्ति प्राप्त करना और किसान, मज़दूर तथा अन्य शोषित वर्गों को राजनीतिक एवं आर्थिक मुक्ति दिलाना।

(२) किसानों को संगठित करना और तत्कालीन आर्थिक तथा राजनीतिक माँगों के लिये लड़ना, जिससे अन्त में वे सब प्रकार के शोषण से बरी हो जायें।

(३) स्वाधीनता के राष्ट्रीय-युद्ध में भाग लेकर अन्त में उत्पादन करने-वाले वर्गों को आर्थिक और राजनीतिक मुक्ति दिलाना।

काग्रेस के प्रमुख गान्धीवादी नेता और स्वयं गान्धीजी किसान सभाओं के इस कार्यक्रम के विरुद्ध हैं।

किङ्ग, राइट आनरेब्ल (right Honourable) डब्ल्यू० एल० मैकेञ्जी— कनाडा के प्रधान मंत्री। सन् १८७४ में जन्में। शिकागो और हारवर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। १९००-१९०८ तक टिपुटी मिनिस्टर, मज़दूर विभाग। १९०९-११ तक मज़दूर-विभाग के मंत्री। १९२१-३० तक कनाडा-सरकार के प्रधान मंत्री। फिर सन् १९३५ से अब तक कनाडा के प्रधान मंत्री।



क्रियानो, काउण्ट गेलियाजो—इटली के वैदेशिक-विभाग के मंत्री हैं; सन् १९०२ में इनका जन्म हुआ। दक्षिणी अमरीका तथा चीन में राजदूत रहे। सन् १९३४ में काउण्ट क्रियानो ने मुसोलिनी की पुत्री इडा के साथ विवाह

क्रिया । तब से उन्होंने बड़ी पदोन्नति की है । इसी वर्ष वह प्रचार-विभाग के मंत्री हो गये । अग्रीसीनिया के युद्ध में उन्होंने स्वयं हवाई वेड़े का संचालन किया । सन् १९३६ में उन्हें वैदेशिक मंत्री बना दिया गया । सन् १९३७ में उन्होंने क्रोमिएटर्न-विरोधी सधि-पत्र पर हस्ताक्षर किये ।

ऋप—जर्मन उद्योगवादी तथा अस्त्र-शस्त्र-निर्माता । पश्चिमी जर्मनी में इसेन नामक स्थान पर ऋप का कारखाना है । ससार में यह सबसे महान् अस्त्र बनानेवाला कारखाना है । ऋप हिटलर का गहरा मित्र है । हिटलर के शस्त्रीकरण-कार्य-क्रम का उसने व्यावहारिक रूप से समर्थन किया । सन् १९३६ की ग्रीष्म ऋतु में इसके कारखाने में १,००,००० मजदूर काम करते थे । अब तो और भी बहुत अधिक कर रहे होंगे ।



क्रिप्स, आनरेब्लू सर स्टैफ़र्ड, एम० पी०—इनका जन्म सन् १८८६ में हुआ । यह लार्ड पारमूर के सबसे छोटे बेटे हैं । विन्चेस्टर तथा यूनी-वर्सिटी कालेज लन्दन में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की । सन् १९१३ में बैरिस्टर बन गये । सन् १९३१ में वह सबसे पहले पार्लामेंट में प्रविष्ट हुए । मैकडानल्ड-मन्नि-मण्डल में यह सालिसिटर-जनरल थे । क्रिप्स मजदूर-दल के नेता थे, परन्तु सन् १९३७ में उन्होंने सयुक्त-मोर्चा स्थापित करने के लिए एक आन्दोलन खडा किया ।

इसलिये मजदूर-दल ने इन्हे तथा

क्रिप्स के प्रस्ताव

इनके कुछ अनुयायियों को दल से अलग कर दिये। इस संयुक्त मोर्चे का प्रयोजन यह था कि मज़दूर, लिबरल, कंज़रवेटिव तथा कम्युनिस्ट आदि संगठित होकर काम करे। मज़दूर-दल इसके विरुद्ध था। इससे पूर्व केवल कम्युनिस्टों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश आपने की थी, जिसे मज़दूर दल ने नहीं स्वीकार किया। क्रिप्स समाजवादी विचार रखते हैं, इसलिए युद्ध-काल में ब्रिटिश मंत्रि-मण्डल ने उन्हें राजदूत बनाकर रूस भेजा। उन्होंने अपने इस पद से सन् १९४१ के दिसम्बर मास में त्यागपत्र दे दिया। इस समय वह ब्रिटिश युद्ध-मंत्रि-मण्डल के सदस्य हैं। आप ता० २२ मार्च १९४२ को अपने प्रस्ताव लेकर भारत आये, किन्तु आपके प्रस्तावों को सभी दलों ने अस्वीकार कर दिया।

क्रिप्स के प्रस्ताव—ब्रिटिश पार्लामेंट में, ११ मार्च १९४२ को, प्रधान मंत्री मि० चर्चिल ने, भारत की समस्या के विषय में, यह घोषणा की कि, युद्ध-मंत्रि-मंडल ने भारत की वैधानिक-समस्या के हल करने के लिए एक योजना तैयार की है, जो अन्तिम और पूर्ण है। परन्तु अभी उसे प्रकाशित नहीं किया जायगा। हाउस आफ् कामन्स के नेता तथा युद्ध-मंत्रि-मण्डल के नवीन सदस्य सर स्टैफर्ड क्रिप्स शीघ्र ही भारत जायेंगे और, भारतीय नेताओं के समक्ष योजना को प्रस्तुत कर, उनकी सम्मति प्राप्त करेंगे। जब भारतीय लोकमत के नेता उसे स्वीकार कर लेंगे, तब पार्लामेंट उस योजना को अपनी ओर से, घोषणा के रूप में, प्रकाशित करेगी।

इस निश्चय के अनुसार सर स्टैफर्ड क्रिप्स, अपने स्टाफ के साथ, हवाई जहाज़ द्वारा, ता० २२ मार्च १९४२ को, भारत में आ गये। ता० २६ मार्च १९४२ से उन्होंने वायसराय, उनकी कौंसिल के सदस्यों, भारतीय राजनीतिक दलों के नेताओं तथा राजनीतिज्ञों से मिलना—भेंट करना आरम्भ कर दिया। कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति मौलाना आज़ाद, हिन्दू-महासभा की ओर से वीर सावरकर, मुस्लिम लीग की ओर से श्री मुहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य अनेक पक्षों के नेता भी क्रिप्स महोदय से मिले।

३० मार्च १९४२ को सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने युद्ध-मंत्रि-मण्डल के प्रस्ताव प्रकाशित कर दिये। प्रस्ताव इस प्रकार हैं:—

(१) युद्ध की समाप्ति पर भारत में अग्र-लिखित ढंग से एक निर्वाचित संस्था स्थापित की जायगी, जिसका कार्य भारत के लिए नये शासन-विधान का निर्माण करना होगा ।

(२) विधान निर्माण करनेवाली परिषद् में देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व की भी निम्नलिखित ढंग से व्यवस्था की जायगी ।

(३) सम्राट् की सरकार यह स्वीकार करती है कि वह इस प्रकार बनाए गए विधान को स्वीकार कर लेगी तथा उसे लागू करने का प्रबंध करेगी । परन्तु नीचे लिखी शर्तों की पूर्ति आवश्यक होगी:—

(क) ब्रिटिश भारत के किसी भी प्रान्त को, जो नये विधान को स्वीकार करने के लिए तैयार न होगा, अपनी वर्तमान वैधानिक स्थिति को कायम रखने का अधिकार होगा । यदि भविष्य में वह शामिल होना चाहेगा तो इसके लिए भी विधान में उल्लेख किया जायगा ।

यदि भारतीय सभ (इंडियन यूनियन) में शामिल न होनेवाले प्रान्त यह चाहेगे, तो ब्रिटिश सरकार उन्हें नया शासन-विधान बनाने की सुविधा देगी और उनकी स्थिति भी वैसी ही होगी जैसी कि भारतीय सभ की ।

(ख) जो सधि ब्रिटिश सरकार तथा विधान निर्माण करनेवाली परिषद् के बीच होगी, उस पर हस्ताक्षर किये जायेंगे । इस सधि-पत्र में वे सब बातें रहेगी जो ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायित्व हस्तान्तरित करने पर पैदा होगी । इसमें जातीय (racial) तथा धार्मिक (religious) अल्पमतों की रक्षा के लिए विधान होगा । परन्तु इस सधि द्वारा भारतीय सभ की उस सत्ता पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जायगा जिससे वह भविष्य में ब्रिटिश राज्य-समूह (ब्रिटिश कामनवैल्थ) के दूसरे राज्यों के साथ, संबन्धों के विषय में, निर्णय करेगी ।

चाहे देशी राज्य विधान को स्वीकार करना पसन्द करे अथवा न करे, नई परिस्थिति में सधियों की व्यवस्था में परिवर्तन करने पडेगे ।

(४) विधान निर्माण करनेवाली परिषद् का संगठन इस प्रकार होगा, जबतक कि भारतीय लोकमत के नेता मिलकर, युद्ध समाप्ति से पूर्व, कोई दूसरा उपाय निश्चित न करले ।

रखने के लिए साथ-साथ चलता है। यह दो प्रकार के होते हैं। एक बड़े और विशाल तथा दूसरे हल्के और छोटे।

केन्द्रियतावाद—इस राजनीतिक प्रणाली के अनुसार देश के समस्त प्रान्तों का शासन एक केन्द्रीय सरकार द्वारा होता है। इसके विपरीत संघ-शासन में प्रत्येक प्रान्त तथा राज्य स्वतन्त्रता से अपना शासन-प्रबन्ध करता है।

केन्द्रीय असेम्बली कांग्रेस-दल—केन्द्रीय असेम्बली (धारा-सभा) में कांग्रेस दल के प्रायः ४० सदस्य हैं। श्री भूलाभाई देसाई इस दल के नेता हैं तथा श्री सत्यमूर्ति इस दल के उपनेता। यह केन्द्रीय धारा-सभा का विरोधी-दल है। सन् १९४० में, युद्ध-अर्थ-मसविदे (बिल) का विरोध करने के लिए, इस दल के सब सदस्य, प्रायः एक साल की अनुपस्थिति के बाद, पुनः उपस्थित हुए। कांग्रेस-दल ने इस बजट-मसविदे का प्रबल विरोध किया और वह असेम्बली द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

केन्द्रीय धारा-सभा (Central Assembly)—यह ब्रिटिश भारत की भारतीय धारा-सभा के बड़े सगठन का नाम है। इसकी स्थापना, मान्टेग्नु-चेम्सफर्ड सुधार-योजना के अनुसार, सन् १९२० में, हुई थी। तब से यद्यपि सन् १९३५ का नया शासन-विधान प्रान्तों में लागू हो चुका है, तथापि भारतीय व्यवस्थापिका सभा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

कैटालोनिया—यह प्रदेश स्पेन के उत्तर-पूर्वी कोण में स्थित है। इसमें कैटालान लोग रहते हैं। यह स्पेन का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। इसकी जन-संख्या ६०,००,००० है। सन् १९३३ में उन्हें प्रजातन्त्रवादी स्पेनिश सरकार ने स्वराज्य दे दिया। स्पेन के गृह-युद्ध में फ्रांको की विजय होजाने से फिर यह प्रदेश स्पेन के अधीन होगया।

कैलॉग-त्रियान्द-समझौता—यह समझौता पेरिस-पैक्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। २७ अगस्त सन् १९२८ को पन्द्रह राज्यों की सरकारों ने मिलकर यह समझौता किया था। यह समझौता तत्कालीन संयुक्त-राज्य अमरीका के वैदेशिक-मंत्री फ्रांको वी० कैलॉग तथा मोशिये त्रियाद, फ्रांसीसी वैदेशिक-मंत्री, के सहयोग से हुआ था। इस समझौते के द्वारा १५ राष्ट्रों ने युद्ध को, राष्ट्रीय

नीति के साधन के रूप में, अस्वीकार किया, और यह भी निश्चय किया कि राष्ट्रों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद पैदा हुआ हो तो शान्तिमय साधनों के सिवा और किसी प्रकार से उसका निर्णय नहीं किया जाना चाहिये।

क्रैमलिन—मास्को (रूस) का एक राजमहल, जिसमें पहले ज़ार रहा करते थे, परन्तु आज जिसमें रूस की सोवियट सरकार का प्रधान-मन्त्रि-कार्यालय (सेक्रेटरियट) है।

कैरोल द्वितीय—रुमानिया के राजा हैं। जन्म १६ अक्टूबर १८६३ को हुआ। सन् १९२५ में, युवराज की स्थिति में ही, राजनीतिक कारणों से उन्हें पदच्युत होना पड़ा। वह फ्रांस में एक यहूदी महिला के साथ रहने लगे। युवराजनी हैलेन ने उन्हें तलाक दे दी। १९२७ में राजा फर्डिनेन्ड की मृत्यु के बाद उनका राजकुमार माइकेल गद्दी पर बैठा। प्रधान-मंत्री मैन्यू के निमंत्रण पर वह सन् १९३० में रुमानिया वापस लौटे। रुमानिया के राजा घोषित कर दिये गये। सन् १९३८ में उन्होंने लौह-रक्षकों (Iron Guards) का दमन किया। रक्षक नाज़ी पक्ष के थे। परन्तु मार्च १९४० में लौह-रक्षकों को पुनः राज्याश्रय दिया गया। रुमानिया तटस्थ रहना चाहता था, परन्तु हिटलर के सामने वह विवश रहा।

कोमागाता मारू—यह एक जापानी जहाज़ का नाम है। इसके साथ एक बड़ा मनोरंजक, किन्तु वीरतापूर्ण, इतिहास जुड़ा हुआ है। गत विश्व-युद्ध (१९१४) से पूर्व कनाडा की प्रिवी कौंसिल ने अपने एक आज्ञा-पत्र में यह घोषणा की कि भारतीयों को कनाडा में प्रवास के लिए प्रविष्ट न होने दिया जायगा। जो कनाडा में बस गये हैं, वे ही प्रवेश पा सकेंगे। उन दिनों कनाडा के लिए भारत से सीधा कोई जहाज़ नहीं जाता था। जो भारतीय कनाडा में अधिवासी बन गये थे उन्हें भी कानूनी बाधाएँ लगाकर तथा अन्य बुरी तरह परेशान किया जाता था। वे भारत से अपने स्त्री-बच्चों को कनाडा में नहीं लेजा सकते थे।

उक्त आज्ञा-पत्र के विरोध में सन् १९१४ में बाबा गुरुदत्तसिंह नामक एक साहसी सिख ने कोमागातामारू नामक एक जहाज़ कनाडा के लिए किराये पर लिया। यह माल ले जानेवाला जहाज़ था। इसमें ६०० सिख

सवार हुए। यह जहाज़ हागूकागू या तोकियो पर ठहरे बिना सीधा कनाडा चला गया। यह जहाज़ तीन-चार मास तक कनाडा के बन्दरगाह पर खड़ा रहा, परन्तु सिखों को कनाडा में प्रविष्ट न होने दिया गया। कनाडा की सेना के सैनिकों तथा इस जहाज़ के यात्रियों में खूब सघर्ष रहा। यात्रियों को अनेक यातनाएँ भोगनी पड़ीं। खाने की सामग्री भी समाप्त होगई। अन्त में भारत मन्त्री के हस्तक्षेप से जहाज को वापस भारत लौटना पडा।

भारत लौटकर बजबज में जहाज ने लगर डाला। सिखों को यह आज्ञा दी गई कि वे रेलगाडी में बैठकर सीधे पंजाब चले जायँ। परन्तु सिख रेल में सवार होने से पहले सरकार के पास एक दरवास्त भेजना चाहते थे। सरकार ने ज़बरदस्ती उन्हें पंजाब भिजवाया। गोली भी चली। बाबा गुरुदत्तसिंह जहाज़ में से गायब होगये। करीब ७ वर्ष तक वेप बदलकर वह छिपे रहे। इस समय में ब्रुफिया पुलिस बराबर उनकी तलाश में रही। नवम्बर १९२१ में बाबा गुरुदत्तसिंह महात्मा गान्धी से मिले। गान्धीजी ने उन्हें यह सलाह दी कि वह गिरफ्तार होजायँ। बाबाजी गिरफ्तार होगये और उन्हें कैद की सज़ा दी गई। २८ फरवरी १९२२ को वह लाहोर जेल से मुक्त कर दिये गये। कलकत्ता में उन्होंने भारत मन्त्री के विरुद्ध कई लाख रुपये हर्जाने का दावा किया, परन्तु वह खारिज होगया।

कोमिण्टर्न—यह 'कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल' शब्द का संक्षिप्त रूप है।


कोमिन तांग (Kuo Min Tang)—यह चीन देश की राष्ट्रीय संस्था है। सन् १९०५ में डा० सन यात-सेन ने इस संस्था की स्थापना की। इस दल का उद्देश्य चीन की स्वाधीनता की रक्षा तथा प्रजातन्त्र-राज्य की स्थापना है। राष्ट्रीय-संगठन, राष्ट्रीय एकता इसका मूल मन्त्र है। वर्तमान समय में चियाङ्ग काई शेक इस दल के प्रमुख नेता हैं।

क्रोट्स—उत्तर-पश्चिमी यूगोस्लाविया में रहनेवाली स्लैव प्रजा। इनकी संख्या ४०,००,००० है। क्रोट्स कैथलिक मत के माननेवाले हैं।

क्रोपाटकिन—इनका पूरा नाम प्रिंस पीटर क्रोपाटकिन है। जन्म सन् १८४२ में हुआ। यह रूस के प्रसिद्ध भूगोल-विज्ञान-वेत्ता थे। इन्होंने 'साम्य-वादी अराजकतावाद' सिद्धान्त का विकास किया। जब इन्होंने यह अनुभव

किया कि अराजकतावादी व्यवस्था की स्थापना में बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों से बाधा पड़ती है, तब इन्होंने बड़े-बड़े उद्योगों को मिटाकर उनकी जगह हाथ की दस्तकारी के प्रचार की सिफारिश की। इनके अनुसार छोटे-छोटे मानव-समूहों के हाथ में सामान्य सम्पत्ति दे दी जाय और वे अपने सदस्यों के जीवन-यापन के लिये आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करें, और इस प्रकार स्वाश्रयी बन जायें। श्रम-विभाजन को वह सबसे बड़ी बुराई मानते थे। इनके मतानुसार काम के घण्टे एक दिन में चार-पाँच से ज्यादा न होने चाहिये। कोई नियत वेतन भी न होना चाहिये, प्रत्युत् प्रत्येक व्यक्ति को, उसकी आवश्यकतानुसार, वेतन दिया जाय। प्रारम्भिक काल में यह बड़े क्रान्तिकारी थे, परन्तु बाद में सन् १८८६ से लन्दन में रहे और इनके विचारों में नरमी आ गई। विश्व-युद्ध (१९१४-१८) में इन्होंने मित्र-राष्ट्रों का समर्थन किया। मार्च १९१७ की रूसी राज्य-क्रान्ति के बाद रूस में वापस आ गये। जब साम्यवादियों की विजय हो गई तब प्रिंस क्रोपाटकिन ने मज़दूरों के अधिनायक-तन्त्र (डिक्टेटरशिप) का विरोध किया। सन् १९२१ में रूस में इनका देहान्त हो गया।

ख

स्वाकसार आन्दोलन—अगस्त १९३२ से इस आन्दोलन ने जोर पकड़ा। इसके संस्थापक इनायतुल्ला ख़ाँ 'मशरिकी' साहब ने कहा कि मिस्र, ईरान, ब्रह्मा तथा अफ़ग़ानिस्तान में भी स्वाकसार हैं, और हिन्दू भी इस आन्दोलन में सम्मिलित हुए हैं। भारत के नवाबों तथा मुस्लिम रियासतों से काफी धन इस आन्दोलन के लिए मिला। 'स्वाकसार' का अर्थ है ~~संघ~~ और इस नाम से ऐसा प्रकट होता है कि यदि कोई समाज-सेवा 

आन्दोलन था। परन्तु वास्तव में इस आन्दोलन का अभिप्राय भारत में मुसलमानों का प्रभुत्व स्थापित करना था। इस्लाम की प्रभुता तथा मुसलमानी राज्य की स्थापना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। राज्य की स्थापना के लिए सेना की आवश्यकता होती है। इसीलिए झाकसारों को सैनिक ढंग से जीवन बिताना पड़ता था। वे शिविरो में रहते थे तथा फौजी पोशाक पहनते और बेलचा धारण करते थे। झाकसारों की पताका लाल रंग की थी, जिस पर सफेद निशान था। झाकसारों के चार दर्जे कायम किये गये थे—(१) जॉबाज़—जो अपने जीवन का भी बलिदान करने को तैयार रहे। (२) पाकवाज़—यह आन्दोलन को आर्थिक सहायता देते थे। (३) झाकसार—यह साधारण सैनिक बनकर काम करते थे। इनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। (४) मुआवनीन्—इनको वर्ष में ३ मास तक फौजी शिक्षा लेनी पड़ती थी। यह एक प्रकार की स्थायी (रिजर्व) सेना थी। यह आन्दोलन प्रजातंत्र, अहिंसा तथा साम्प्रदायिक एकता के विरुद्ध था। झाकसार आन्दोलन जर्मनी के नाज़ी आन्दोलन से कई बातों में मिलता था। इसका आधार, नाज़ी आन्दोलन की भाँति, हिंसात्मक तथा फौजी था। इसकी कार्य-प्रणाली भी शान्ति, व्यवस्था तथा वैधानिक सरकार के अस्तित्व के लिए खतरनाक थी।

झाकसारों के उत्पातों से पंजाब तथा भारत सरकार बहुत चिंतित होने लगी। अतः फरवरी १९४० में पंजाब सरकार ने एक आर्डर जारी किया जिसके अनुसार सभी अर्द्ध-सैनिक दलों को अपने शस्त्रों को धारण कर परेड करने की मनाही कर दी गई। १५ मार्च १९४० को 'अल-इस्लाह' में एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ, जिसमें झाकसारों को आदेश था कि उपर्युक्त प्रतिबन्ध का वे लाहोर में जमा होकर जवाब दें। २१ मार्च १९४० को लाहोर में अखिल-भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन होनेवाला था। उससे दो दिन पूर्व लाहोर के डब्ली बाज़ार में अचानक ३१३ बाबर्दी झाकसार बेलचे लेकर आगये। उन्होंने क्रवायद भी की। जब पुलिस अफसर उन्हें समझाने लगे, तो उन्होंने बेलचों से उन पर हमले किये। सीनियर पुलिस कप्तान के सख्त चोटों आईं। अतः पुलिस ने गोली चलाई। २६ झाकसार तो घटनास्थल पर ही मारे गये, १०-११ अस्पताल में जाकर मरे। इसके बाद झाकसार आन्दोलन

पंजाब में ग़ैर-क़ानूनी घोषित कर दिया गया। देहली में अल्लामा 'मशरिकी' भारत सरकार द्वारा गिरफ्तार किये गये। लाहोर में मुस्लिम-लीग के अधिवेशन में श्री मुहम्मदअली जिन्ना ने ख़ाक़स़ारों के प्रति सहानुभूति प्रकट की और पंजाब सरकार की आलोचना की तथा घटना की निष्पत्त ज़ॉच के लिए प्रस्ताव पास हुआ। परन्तु ख़ाक़स़ार फिर भी लीग से अलग ही रहे। श्री जिन्ना यह चाहते थे कि वे मुस्लिम-लीग में शामिल होजायँ। परन्तु ८ मई १९४० के वक्तव्य में श्री जिन्ना ने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया—“मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि ख़ाक़स़ार आन्दोलन लीग से बिल्कुल स्वतंत्र है और उसका लीग से कोई संबंध नहीं है। लीग उनके संबंध में कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उनके संगठन की काररवाइयों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं और न हमारे पास ऐसा कोई अधिकार है जो उनकी ओर से कोई समझौता कर सके।”



खान अब्दुल गफ्फार ख़ाँ—जन्म सन् १८६०। खुदाई ख़िदमतगार संगठन के नेता तथा सचालक। रौलट-ऐक्ट के विरोध में, १९१६ में, आन्दोलन किया। असहयोग-आन्दोलन में ३ साल की सख्त सज़ा दी गई। सन् १९२६ में अफ़ग़ान जिरगो का संगठन किया। सन् १९३२ से १९३४ तक हज़ारीबाग़ जेल (बिहार) में राजबन्दी रहे। सन् १९३४ में, अपने भाई डा० खान साहब सहित, पंजाब से निर्वासित कर दिये गये। तब वर्धा के निकट सेवाग्राम आश्रम में गान्धीजी के पास रहे। सन् १९३५ में, बम्बई कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में भाषण देने पर, दो साल की सख्त सज़ा दी गई। खान अब्दुल गफ्फार ख़ाँ महात्मा गान्धी के अहिंसावाद के कट्टर समर्थक हैं। महात्माजी के बाद ख़ाँ साहब ही हैं, जो अहिंसा के अनन्य पुजारी हैं। उनके १,००,००० से भी अधिक अनुयायी हैं जो खुदाई ख़िदमतगार के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह वास्तव में एक महान् आश्चर्य ही है कि इन वीर पठानों ने हिंसा का त्याग कर अहिंसा का व्रत लिया है और सत्याग्रह आन्दोलन (१९३०-३२) में इनकी कठिन परीक्षा भी हो चुकी है। सन् १९३० ई० में गढ़वाली सैनिकों का निहत्थी जनता पर गोली चलाने से इनकार, फिर पेशावर गोली-काण्ड और पठानों का बलिदान, कांग्रेस द्वारा गोली-काण्ड की ज़ॉच और उसकी रिपोर्ट की ज़बती आदि सभी घटनायें इस प्रसङ्ग से सम्बन्धित हैं।

आप सच्चे मुसलमान हैं—सहिष्णु, उदार, सहृदय । आचारिक मर्यादा-पालन को ही आप धर्म नहीं मानते, बल्कि दैनिक जीवन में पवित्र आचरण को धार्मिक-कसौटी मानते हैं । ६ अगस्त १९४२ से, 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव के बाद देश में जो उपद्रव हुए हैं, आपके सीमा-प्रान्त में शान्ति रही और बावजूद देश-व्यापी दमन के कांग्रेस इस प्रान्त में गैर-क्रान्ती क्रार नहीं दी गई, अगरचे स्कूलों आदि पर धरने के कारण गिरफ्तारियाँ हुईं ।


खान साहब, डाक्टर—खान

अब्दुल गफ्फार ख़ाँ के बड़े भाई तथा सीमा-प्रान्त के कांग्रेस-नेता । जन्म १८८३ ई० । मैट्रिक पास कर विलायत गये । लन्दन से एम० आर० सी०

ए० की डिग्री ली । आई० एम० एस० में शामिल हुए । गत युद्ध के बाद फ्रान्स में तैनाती हुई । १९२० में देश लौटे, राष्ट्रोद्धार में छोटे भाई के सहयोगी बने । आप इण्डियन मेडिकल सर्विस (IMS) के सदस्य हैं । सन् १९३७ में सीमा-प्रान्त की सरकार के प्रधान मन्त्री नियुक्त किये गये तथा अक्टूबर १९३६ में तमाम कांग्रेसी सरकारों के साथ, आपके मन्त्रि-मण्डल में त्याग-पत्र दे दिया । सन् १९४० के युद्ध-विरोधी सत्याग्रह में गिरफ्तार किये गये ।



खेर, बालाजी गंगाधर—आपने बी० ए०, एलएल० बी० तक शिक्षा प्राप्त की है। बम्बई प्रान्त के कांग्रेसी नेता हैं। सन् १९३७ में बम्बई सरकार के प्रधान मंत्री नियुक्त किए गए। बम्बई में आपकी कांग्रेसी सरकार ने अनेक सुधार किए, जिनमें शराबबन्दी सबसे प्रमुख है। सन् १९३६ में अपने तथा आपके साथी कांग्रेस मंत्रियों ने पदत्याग कर दिया। सन् १९४० में युद्ध-विरोधी-सत्याग्रह में जेल गये। सन् ४२ के भारतव्यापी दमन में फिर पकड़े गये।



ग

गान्धी, महात्मा मोहनदास कर्मचन्द—२ अक्टूबर सन् १८६९ को पोरबन्दर में जन्म हुआ। पिता पोरबन्दर-नरेश के २५ वर्ष तक दीवान रहे। भावनगर तथा राजकोट में मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद लन्दन बैरिस्टरी पास करने गये। बैरिस्टरी पास करके बम्बई तथा दक्षिण-अफ्रीका में वकालत की। जब वह १८९३ ई० में दक्षिण-अफ्रीका एक मुकद्दमे के सिलसिले में गये, तो उन्होंने वहाँ के प्रवासी भारतीयों की बहुत बुरी स्थिति देखी। भारतीय होने के कारण उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये जाते थे। २५ पौण्ड वार्षिक का कर उन पर लगा दिया गया था, जिसे भारत सरकार ने पीछे ३ पौण्ड सालाना कर दिया। भारतीय विवाहों को जायज़ नहीं माना जाता था। कुछ शहरों की ज़ात वस्तियों में वह

आबाद नहीं हो सकते थे, आदि । इन सबके विरोध में, भारतीयों की स्थिति में सुधार करने के लिए, आपने आन्दोलन शुरू किया, जो निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive Resistance) के नाम से प्रसिद्ध है । यह भी एक प्रकार का अहिंसात्मक सत्याग्रह था । गान्धीजी के सत्याग्रह प्रयोग का यह प्रथम प्रयास था । इसमें उन्हें सफलता मिली, और अपने 'सत्य के प्रयोग' के प्रति गांधीजी की धारणा और भी दृढ़ होगई । इस आन्दोलन में भारत से भी स्वर्गीय गोखले आदि ने काफी सहायता भेजी । गोखलेजी स्वयं दक्षिण अफ्रीका गये । स्वर्गीय दीनबन्धु ऐड्जु ज से भी गान्धीजी की भेट इसी आन्दोलन-काल में हुई और ऐड्जु ज साहब ने ही, दक्षिण-अफ्रीकी-सत्याग्रह के बाद गान्धीजी और दक्षिण-अफ्रीका-सरकार के प्रधान मन्त्री जनरल स्मट्स में समझौता कराया । नेटाल के बोअर-युद्ध तथा जलू-विद्रोह में गान्धीजी ने भारतीय एम्बुलेस दल का नेतृत्व किया और आहतों की सेवा की । सन् १९१४ में भारत आगये ।

सन् १९१४-१८ के युद्ध में उन्होंने, गुजरात की खेड़ा तहसील में, सरकार की सहायता के लिए, रंगरूट स्वयं-सेवक-दल (Volunteers) का संगठन किया । दक्षिण-अफ्रीका के प्रवास-काल में ही उन्होंने अहिंसात्मक सत्याग्रह का प्रयोग और विकास किया और उसके सिद्धान्तों को स्थिर किया । सन् १९०८ में उन्होंने "हिन्द स्वराज्य" नामक एक पुस्तक लिखी । इस पुस्तक में अहिंसा तथा सत्याग्रह के सिद्धान्तों के आधार पर उनके अपने विचार हैं । आज भी गान्धीजी इस पुस्तक में प्रतिपादित सिद्धान्तों को मानते हैं । जब विश्व-युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में नई शासन-सुधार-योजना प्रकाशित की गई और दूसरी ओर रौलट मसविदों (Bills) को स्थायी क़ानून का रूप देने का प्रयत्न किया गया, तो गान्धीजी ने सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ने की घोषणा की ।

सन् १९२० में, पंजाब के अत्याचारों के विरोध में तथा खिलाफत के सबंध में असहयोग-आन्दोलन शुरू किया । सन् १९२२ में गान्धीजी को राजद्रोह के अपराध में ६ साल की सज़ा दी गई, परन्तु सन् १९२४ में बीमारी के कारण उन्हें मुक्त कर दिया गया । असहयोग-आन्दोलन का अवसान होते-न-होते देश में साम्प्रदायिक दंगों ने जोर पकड़ लिया था, अतएव आपने

प्रायश्चित्तस्वरूप इक्कीस दिन का व्रत किया। देश दहल उठा और स्वर्गीय प्र० मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में एकता-सम्मेलन हुआ। ३१ दिसम्बर १९२६ की आधी रात को लाहौर में पूर्ण स्वाधीनता के ध्येय की घोषणा की गई। इसी वर्ष गान्धीजी के प्रभाव से लार्ड इरविन के प्रति, उनकी स्पेशल को उढाये जाने की घटना से उनके बच जाने के लिये, सहानुभूति का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

साइमन कमीशन की विफलता के बाद सन् १९३० में गांधीजी ने नमक सत्याग्रह आरम्भ किया। इस आन्दोलन में उन्हें राजबन्दी बनाकर यरवदा जेल में रखा गया। जनवरी १९३१ में उन्हें मुक्त कर दिया गया। ३१ मार्च १९३१ को गांधीजी तथा भारत के वाइसराय लार्ड इरविन (अब लार्ड हैलीफैक्स) में समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार गांधीजी ने लन्दन की गोल-मेज़ परिषद् में कांग्रेस की ओर से शामिल होना स्वीकार किया तथा समस्त राजनीतिक बन्दी रिहा कर दिये गये और व्यक्तिगत रूप से नमक बनाने का सबको अधिकार मिल गया।

सन् १९३१ में वह लन्दन गये और गोल-मेज़ परिषद् में भाग लिया। जब सन् १९३२ के जनवरी मास में भारत वापस आये तो उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया। सितम्बर १९३२ में उन्होंने यरवदा जेल में, साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध, आमरण उपवास रखा और पूना-पैक्ट के स्वीकार होजाने पर अपना व्रत भंग किया। सन् १९३३ में उन्होंने सत्याग्रह-आश्रम अहमदाबाद को भंग कर दिया। वर्धा (मध्यप्रदेश) में सेठ जमनालाल की बजाजवाडी में अपना निवास-स्थान बनाया। इसके बाद वर्धा से पाँच मील दूर सेवाग्राम में अपना आश्रम स्थापित किया।

देश-नेताओं की प्रवृत्ति फिर धारा-सभाओं में जाने की हुई और चुनाव लडना तय हुआ, फलतः सत्याग्रह-आन्दोलन समाप्त कर दिया गया, और बम्बई की विशेष कांग्रेस (अक्टूबर १९३५) के बाद गांधीजी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद वे अछूतोद्धार, ग्राम-सुधार तथा ग्रामोद्योग संघ के कार्य में पूर्णतया लग गये। सन् १९३७ में जब प्रान्तीय चुनावों में ११ में से ७ प्रान्तों में कांग्रेस की विजय हुई तब, मार्च १९३७ में, देहली

में पद-ग्रहण का प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार किया। सन् १९३७ से १९३९ तक कांग्रेसी सरकारों को आदेश देते रहे और यह बतलाते रहे कि कौन-कौन से राष्ट्रनिर्माणकारी कार्य मंत्रियों को करने चाहिये। महात्मा गांधी के आदेशानुसार ही कांग्रेसी मंत्रियों ने अपने-अपने प्रान्तों में हरिजनों को सुविधायें—नौकरियाँ आदि—दी, खादी को प्रोत्साहन दिया, ग्राम-सुधार पर अधिक जोर दिया, मादक-द्रव्यों का निषेध करने के लिये प्रयत्न किया तथा बुनियादी (Basic) शिक्षा-पद्धति को पाठ्य-क्रम में स्थान दिया।

१ सितम्बर १९३९ को यूरोप में जर्मनी ने वर्तमान महायुद्ध छेड़ दिया, तब वाइसराय ने गांधीजी को ५ सितम्बर १९३९ को परामर्श के लिये शिमला आमंत्रित किया। इस भेट के बाद ही गांधीजी ने एक वक्तव्य में यह कहा कि मेरी सहानुभूति ब्रिटेन तथा फ्रान्स के साथ है।

वाइसरायसे समझौते की बातचीत करने के लिए वह दो-तीन बार शिमला तथा नयी दिल्ली गये। परन्तु मुलाकातों का कोई परिणाम नहीं निकला। अन्त में अपनी अन्तिम मुलाकात में गान्धीजी ने वाइसराय से यह माँग पेश की कि कांग्रेस को, जो अपने अहिंसा के सिद्धान्त के कारण युद्ध में योग नहीं दे सकती, भाषण-स्वातन्त्र्य का अधिकार दिया जाय, जिससे कांग्रेसजन युद्ध के सबंध में अपने विचार प्रकट कर सकें। वाइसराय ने यह माँग स्वीकार नहीं की। फलतः अक्टूबर १९४० में उन्होंने युद्ध-विरोधी वैयक्तिक सत्याग्रह आरम्भ कर दिया। दिसम्बर १९४१ में कांग्रेस कार्य-समिति ने गान्धीजी को सत्याग्रह के संचालक-पद से मुक्त कर दिया और इस प्रकार सत्याग्रह स्थगित होगया।

महात्मा गान्धी कांग्रेस को एक विचारधारा की अनुयायी संस्था बना देना चाहते हैं। इसलिए वह, जब यह देखते हैं कि दूसरी संस्थाएँ या दल कांग्रेस में शामिल होकर गान्धीवाद-विरोधिनी विचारधारा का प्रचार करते हैं, तो वह इसे सहन नहीं कर सकते। गान्धीजी प्रजातंत्र के समर्थक हैं; परन्तु कांग्रेस में आन्दोलन के संचालन के लिये अधिनायक-तंत्र को ही ठीक मानते हैं।

महात्मा गान्धी कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता हैं और सत्संग के एक अद्वितीय महापुरुष। वह अपने अहिंसा-प्रेम के लिये विश्व-विख्यात हैं। वह न केवल नेता ही हैं प्रत्युत एक उच्चकोटि के विचारक, साधक, अंगरेजी

और गुजराती के उत्कृष्ट लेखक-सम्पादक तथा प्रकृति-चिकित्सक भी हैं। उनकी 'आत्म-कथा' बहुत ही सुन्दर तथा उच्चकोटि की रचना है। उन्होंने 'यंग इंडिया', 'हरिजन' तथा 'हरिजन-बन्धु' नामक पत्रों का संपादन भी किया है। दक्षिण अफ्रीका में 'इंडियन ओपीनियन' पत्र निकला था। ८ अगस्त १९४२ को अ० भा० कांग्रेस कमिटी ने बम्बई में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के भारतीय स्वतन्त्रता-सम्बन्धी 'भारत छोड़ो' (Quit India) प्रस्ताव को स्वीकृत किया और ६ अगस्त के प्रातःकाल कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों सहित गांधीजी बम्बई में पकड़े जाकर नज़रबन्द कर दिये गये। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद गांधीजी ने घोषणा की थी कि वह अगला क़दम उठाने से पूर्व वाइसराय से भेट करके उनसे समस्त स्थिति पर बातचीत करेंगे, किन्तु ६ अगस्त के प्रातः ५ बजे ही उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया।



गांधीजी की ग्यारह शर्तें—सन् १९३० में, नमक-सत्याग्रह आरम्भ करने से पूर्व, गांधीजी ने तत्कालीन वाइसराय लार्ड इरविन के समक्ष निम्न-लिखित ११ माँगें, स्वीकृति के लिए, प्रस्तुत की थीः—

- (१) पूर्ण मादक-द्रव्य-निषेध।
- (२) रुपये की विनिमय-दर घटाकर १ शिलिंग ४ पैसे कर दी जाय।
- (३) किसानों की मालगुजारी में कम-से-कम ५० फ़ीसदी कमी कर दी जाय और उसका नियन्त्रण व्यवस्थापिका सभा द्वारा हो।
- (४) नमक-कर उठा दिया जाय।
- (५) भारत में फौजी खर्चा आधा कर दिया जाय।
- (६) उच्च सरकारी पदाधिकारियों के वेतनों में ५० फ़ीसदी कमी की जाय।
- (७) विदेशी वस्त्र के आयात पर संरक्षण-कर लगाया जाय।
- (८) तटीय यातायात संरक्षण मसविदा (Coastal Traffic Reserv-

ation Bill) पास कर दिया जाय, ताकि हिन्दुस्तानी समुद्र-तट देशी जहाज़ों के लिए सुरक्षित होजाय ।

(६) समस्त राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर दिया जाय । इनमें वे शामिल नहीं हैं, जिन्हें हत्या करने तथा हत्या का प्रयत्न करने के अपराध में सज़ा मिली है । समस्त राजनीतिक मुक़दमों में वापस ले लिए जायें । भारतीय दण्डविधान की धारा १२४ (अ) तथा मन् १८१८ के तीसरे रेग्यूलेशन को रद्द कर दिया जाय, और भारतीय निर्वासितों को स्वदेश वापस आने की आज्ञा दी जाय ।

(१०) गुप्तचर पुलिस-विभाग उठा दिया जाय अथवा उसको जनता के नियन्त्रण में दे दिया जाय ।

(११) आत्मरक्षा के लिए शस्त्र-प्रयोग के निमित्त लाइसेंस दिये जायें और उन पर जनता का नियन्त्रण रहे ।

गान्धीवाद—महात्मा गान्धी के सिद्धान्तों के लिए आज गान्धीवाद शब्द प्रचलित है । गान्धीवाद आध्यात्मिक होते हुए भी आधुनिक भारत का एक राजनीतिक सिद्धान्त है । गान्धीजी का यह 'वाद' अहिंसा के आधार पर स्थिर है । अहिंसा उसका मेरुदण्ड है । सदैव शान्तिमय साधनों पर ही वह जोर देता है । सघर्ष को वह पसन्द नहीं करता । समस्त समस्याओं—सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक—को वह सहयोग तथा सामंजस्य के सिद्धान्त के आधार पर हल करना चाहता है । गान्धीवाद का साधन अहिंसा और लक्ष्य सर्वोदय है । वह मानव-मात्र का हिताकांक्षी है, और उसके लिए वह समाज में प्रचलित वर्गों तथा सम्प्रदायों में परस्पर सहयोग चाहता है । गान्धीवाद प्रत्येक देश की स्वाधीनता का समर्थक है और साथ ही वह अन्तर्राष्ट्रीयता का समर्थन करता है, परन्तु वह कार्लमार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का विरोधी है । गान्धीवाद आर्थिक समस्या के हल के लिए, सामूहिक उद्योगवाद के स्थान पर वैयक्तिक उद्योग चरखा, खादी, ग्रामोद्योगों तथा घरेलू-धन्धों के संगठन तथा प्रोत्साहन पर अधिक जोर देता है । वह ज़मींदारी प्रथा का नाश नहीं चाहता, और न देशी राज्यों तथा नरेशों का निष्कासन ही उसे पसन्द है, किन्तु वह इन सत्ताधारियों को जनता के संरक्षक


(Trustee) के रूप में और इनकी सम्पत्ति को जनता की धरोहर की भाँति व्यवहृत देखना चाहता है। गान्धीवाद त्याग, तपस्या, कष्ट-सहन तथा ब्रह्म-चर्य आदि के पालन पर विशेष जोर देता है। इसलिए उसकी प्रवृत्ति भोगवादी नहीं है। समाज-मुधार का वह समर्थक है। परन्तु वह उसका समर्थन वहाँ तक करता है जहाँ तक उसका सदाचार तथा नैतिकता से स्वर्प नहीं होता। इसी आधार पर गान्धीवाद सन्तान-निग्रह के कृत्रिम साधनों का विरोधी है। सक्षेप में गान्धीवाद शुद्ध हिन्दुत्व का प्रतिरूप है।

गान्धी-सेवा-संघ—सन् १९२४ में सेठ जमनालाल बजाज (अब स्वर्गीय), श्री राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभभाई पटेल, डा० राजेन्द्रप्रसाद आदि नेताओं ने इस संघ की स्थापना की। शुरू में इसका कार्य गान्धीजी के विचारों का प्रचार करना था। इस संघ के सदस्यों को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। बारह वर्ष तक इस संघ का कार्य जनता में लोकप्रिय न बन सका और न इसने आन्दोलन का रूप ही धारण किया। पहले इसके सालाना अधिवेशन भी नहीं होते थे। सन् १९३४ में इसका पहला सम्मेलन हुआ। श्री किशोर-लाल घ० मथुरवाला के अनुसार इन सालाना सम्मेलनों में गान्धीजी का पूरा-पूरा भाग रहा। उन्होंने संघ को नया रूप देकर बड़ा बनाया तथा उसको वह अपने विचार और नीति बतलाते रहे। वैसे इस संघ का उद्देश्य “महात्मा गान्धी के सिद्धांते हुए महाग्रह के सिद्धान्तों के अनुसार जनता की सेवा करना है”, परन्तु वास्तव में यह संघ गान्धीवादियों का संगठन बनाने के लिए ग्वांला गया। संघ के वृन्दावन (बिहार) अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से आदेश किया गया है कि—“नमस्त राजनीतिक चुनावों में संघ के एक सदस्य को दूसरे सदस्य या किंगेध न करना चाहिये और न मुझावले में ही सजा लेना चाहिये।”

में है। 'सर्वोदय' नामक एक हिन्दी-मासिक भी वहाँ से प्रकाशित होता है।

गिल्ड समाजवाद—सघवादी समाजवाद का ब्रिटिश भेद है। यह आन्दोलन सन् १९०६ में पेटी और हाक्सन के नेतृत्व में शुरु हुआ। इसका मन्तव्य यह है कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बाद मजदूर-मंत्रों को उद्योगों का संचालन करना चाहिए। यह वाद राजकीय-समाजवाद के विरुद्ध है, क्योंकि उसका ध्येय यह है कि राज्य को उद्योगों का नियंत्रण करना चाहिए। इस आन्दोलन का पतन हो चुका है। ब्रिटेन में सन् १९१५ में राष्ट्रीय गिल्ड लीग बनाकर इसका परीक्षण किया गया। सन् १९२० में राष्ट्रीय गिल्ड कौंसिल बनाई गई। शुरु में कुछ सफलता मिली। परन्तु बाद में परीक्षण विफल रहा।

ग्रीनलैण्ड—यह उत्तरी अमरीका के उत्तर में द्वीप-समूह है। सामरिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। आज-कल संयुक्त-राज्य अमरीका ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया है।



ग्रीनबुड, आर्थर, एम० पी०—मजदूर-दल के उपनेता

हैं। सन् १९२२ में सबसे प्रथम ब्रिटिश पार्लामेंट के सदस्य चुने गये। लीड्स यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। मजदूर-दल अन्वेषण-संस्था के प्रधान मंत्री हैं। सन् १९२६-३१ तक स्वास्थ्य-मंत्री रहे। ग्रीनबुड मजदूर-दल के प्रमुख प्रभावशाली नेता हैं। नवम्बर १९३६ में आपसे यह आग्रह किया गया कि विरोधी-दल के नेता के चुनाव में उम्मीदवार बने, परन्तु आपने अपने मित्र एटली के विरुद्ध खड़ा होना ठीक न समझा। पुनः आप उपनेता चुने गये। मई, ४० में चर्चिल-सरकार बनते समय, जब मजदूर दल ने उसमें शामिल होना स्वीकार किया, तब मि० ग्रीनबुड युद्ध-मन्त्रिमण्डल के सदस्य बनाये गये।

गेस्टापो—यह जर्मनी की गुप्त राजनीतिक पुलिस का नाम है। सन् १९३६

में, जब हिटलर ने जर्मनी की शासन-सत्ता अपने हाथ में ली, तब ही इसका संगठन, नाज़ीवाद के विरोधियों के दमन के लिये, किया गया था। यह बहुत शीघ्र जर्मन-जनता के लिये आतंककारी सिद्ध हुई। गेस्टापो के कर्मचारी गुन रूप से प्रत्येक व्यक्ति तथा सस्था के कार्यों की जाँच करते हैं, और जहाँ कहीं ज़रा भी विरोध की आवाज़ सुनाई पड़ी कि फौरन् गिरफ्तारी की। गेस्टापो का प्रधान संचालक हैनरिच हिमलर है।

ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैण्ड—क्षेत्रफल ६४,२७७ वर्गमील; जनसंख्या ४,७५,००,००० है। ब्रिटिश राजसमूह में इंग्लैण्ड, स्काटलैण्ड, वेल्स तथा उत्तरी आयरलैण्ड शामिल हैं। केवल उत्तरी आयरलैण्ड में स्वायत्त-शासन है। शेष तीन प्रदेश एक शासन के अन्तर्गत हैं। ब्रिटिश शासन-विधान अलिखित और परम्परागत है। ब्रिटेन का राज्य-सिंहासन पैतृक है। एकच्छत्र शासन मर्यादित है। बहुमत की सरकार होती है। राजा को मसविदो (Bills) पर स्वीकृति देने का अधिकार है। वह मंत्रियों द्वारा कार्य करता है और मंत्री पार्लामेंट के प्रति ज़िम्मेदार होते हैं। कुछ प्रमुख मंत्री मन्त्रि-मण्डल (Cabinet) के सदस्य होते हैं। वे उसकी बैठको में शामिल होते हैं। शेष मंत्री उसके सदस्य नहीं होते। आजकल ६ सदस्यों की एक युद्ध-समिति (War-Cabinet) है। वर्तमान कामन-सभा का चुनाव सन् १९३५ में हुआ था। इसमें ३७५ अनुदार, ३३ नरम-राष्ट्रवादी, ७ राष्ट्रीय मज़दूर, ५ सरकारी राष्ट्रवादी, १६८ मज़दूर, १६ उदार, ७ स्वतंत्र, और १ साम्यवादी सदस्य हैं।

गोवेल्लस, डा० जोसफ—नात्सी जर्मनी के प्रचार-विभाग का मंत्री है। नात्सी-दल में हिटलर तथा गोरिंग् के बाद डा० गोवेल्लस का ही स्थान है। राइनलैण्ड में एक निर्धन किसान-कुल में, २६ अक्टूबर १८६७ को, गोवेल्लस का जन्म हुआ। गोवेल्लस यद्यपि गरीब था परन्तु वह अनन्य विद्यानुरागी था। अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर उसने शिक्षा प्राप्त की। सन् १९२२ से पूर्व गोवेल्लस, पत्रकार की हैसियत से, जीवन-निर्वाह करता था। सन् १९२२ में वह नात्सी-दल में प्रचार-कार्य करने लगा और सन् १९२६ में उसने उत्तरी जर्मनी में नात्सी-दल का संगठन किया। इस समय हिटलर दक्षिणी जर्मनी में कार्य कर रहा था। उसी वर्ष वह नात्सी दल का बर्लिन में स्थानीय

नेता बन गया। सन् १९२७ में डा० गोवेल्स ने बर्लिन से “दिर एग्रिफ” (आक्रमण) नामक एक दैनिक पत्र निकाला। सन् १९२८ में वह राइखताग (Reichstag—जर्मन पार्लमेण्ट) का सदस्य चुना गया। सन् १९२९ में वह नात्सी-दल का प्रचार-मंत्री नियुक्त किया गया। जब सन् १९३३ में हिटलर ने जर्मनी का शासन अपने हाथ में लिया, तब वह जर्मन-सरकार का प्रचार-मंत्री नियुक्त किया गया। उसने बहुत शीघ्र जर्मनी के समाचार-पत्रों, साहित्य, कला, रेडियो, संगीत, नाटक, चित्रपट तथा अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों पर नात्सीवाद का पूरा नियंत्रण स्थापित कर दिया। ऐसा प्रचार आज तक किसी देश में नहीं हुआ। डा० गोवेल्स जर्मनी में प्रचार की व्यवस्था करता है। वह नात्सीवाद के सिद्धान्तों को जनता में प्रचारित करता है तथा नात्सी-शासन की विशेषताएँ बतलाता है। इसके अतिरिक्त विदेशों में भी वह ऐसा प्रचार करता है जिससे लोगों में जर्मनी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो। इस कार्य में रेडियो तथा समाचार-पत्रों से विशेषतः काम लिया जाता है। वक्तृता में डा० गोवेल्स का स्थान बहुत ऊँचा है। उसके शब्दों में गूढ़ रहस्य तथा व्यंग्य रहता है। यदि जर्मनी में गोरिंग् शक्ति का प्रतीक है तो गोवेल्स नात्सी-दल के मस्तिष्क का।

गोरिंग्, हरमैन विलहैल्म—गोरिंग् का स्थान जर्मनी में हिटलर के बाद है। १२ जनवरी १८९३ में जन्म हुआ। विगत युद्ध में जर्मन हवाई सेना में भाग लिया। गोरिंग् को स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं लगता था और न पढ़ने में ही उसकी रुचि थी। उसके पिता ने उसे, इसलिए, एक सैनिक स्कूल में भर्ती करा दिया। सन् १९१३ में बर्लिन की मिलिटरी ऐकेडेमी से उसे लेफ्टिनेण्ट की पदवी मिली। विगत विश्व-युद्ध में वह बड़ी वीरता से लड़ा। जुलाई १९२८ में वह अपने शौर्य के बल पर जर्मन हवाई सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। इसके बाद वह स्वीडन गया और वहाँ वायुयान-संचालन की शिक्षा दी। परन्तु इससे उसे सन्तोष न हुआ। वहाँ उसने एक धनी स्वीडिश कन्या से विवाह किया। अपनी स्त्री के परामर्श से वह जर्मनी वापस आया। सन् १९२२ में वह म्युनिख में सबसे पहली बार हिटलर से मिला। वह हिटलर के असाधारण व्यक्तित्व से अत्यन्त प्रभावित हुआ। एक सभा में हिटलर को

५५ देते हुए सुनकर गोरिंग् ने अपने मन में कहा—“यह है वह व्यक्ति



जो जर्मनी को पुनः वैभव के शिखर पर पहुँचा सकता है।” तब से ही गोरिंग् हिटलर का दाहिना हाथ बना हुआ है। म्युनिख में, सन् १९२३ में, पुलिस-घेरे के विरुद्ध हिटलर ने कदम बढ़ाया। पुलिस ने गोली चलाई। एक गोली गोरिंग् के भी लगी। हिटलर को सरकार ने जेल में भेज दिया। गोरिंग् को आस्ट्रेलिया भेज दिया गया।

सन् १९२६ में राजबंदियों को मुक्त किया गया। हिटलर भी छोड़ दिया गया। सन् १९२७ में गोरिंग् फिर जर्मनी आगया और नात्सी तूफानी फौज (Storm Troops) का संगठन किया। सन् १९२८ में राइखताग का सदस्य चुना गया तथा उसका अध्यक्ष बनाया गया। १९३१ ई० में पहली पत्नी के मर जाने पर, १९३५ ई० में, ऐमी सोनमैन नामक नटी से विवाह किया। सन् १९३३ में गोरिंग् प्रधान मंत्री तथा स्वदेश विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया। इस पद पर नियुक्त होते ही उसने अपने विरोधियों, नात्सी-दल के विरोधियों, साम्यवादियों तथा यहूदियों का सार्वजनिक वध कराया। सारे देश में नात्सी दल का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। २७ फरवरी १९३३ को राइखताग के अग्नि-काण्ड में गोरिंग् का भी हाथ था। इसके बाद वह जनरल तथा हवाई सेना-विभाग का मंत्री बनाया गया। उसने थोड़े ही समय में शक्तिशाली हवाई सेना का संगठन कर दिखाया। इसके बाद वह चातुर्वर्षीय योजना का कमिश्नर नियुक्त किया गया। यह योजना बनाई गई कि चार वर्षों में जर्मनी के उद्योग-धन्धे इतने उन्नत होजायँ कि वह स्वाश्रयी बन जाय। इससे डा० शाख्त का प्रभाव घट गया। डा० शाख्त अर्थ-मंत्री थे। फरवरी १९३८ में गोरिंग् को फ़ील्ड मार्शल का पद मिला। १९३८ में जर्मनी से यहूदियों का निष्कासन कराने में गोरिंग् का बहुत हाथ था।



जनवरी १९३६ में आर्थिक कमिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन् १९३६ के अगस्त में वह युद्ध-मंत्री-मण्डल का सदस्य नियुक्त किया गया और १ सितम्बर १९३६ को हिटलर ने उसे अपना उत्तराधिकारी नामज़द किया। 'मक्खन नहीं बन्दूक' का नारा इसने बुलन्द किया और उस प्रकार जर्मन जाति को जीवनोपयोगी वस्तुओं की मितव्ययिता का पाठ पढाकर बचत को हथियारों में लगवा दिया। गोरिंग् शान-शौकत और विलासितापूर्ण जीवन के लिए मशहूर हैं।

गोविन्ददास, सेठ—जबलपुर के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता तथा हिन्दी के नाटककार भी। सन् १९२१ से आप कांग्रेस-क्षेत्र में हैं। सन् १९३४ में कांग्रेस की



और से केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य चुने गये। 'लोकमत' हिन्दी दैनिक की सन् १९२६ में स्थापना की। पीछे पत्र बन्द हो गया। सन् १९३० के और १९४० के सत्याग्रह में भाग लिया तथा जेल गये। १९२४-३० में स्वराज्य-दल की ओर से कौन्सिल आफ् स्टेट् के सदस्य चुने गये। सन् १९३६ में त्रिपुरी में कांग्रेस-अधिवेशन की स्वागत-समिति के अध्यक्ष थे। हिन्दी में कई नाटक लिखे हैं। एकाकी नाटकों के लिखने में प्रसिद्धि पा चुके हैं। आप गान्धीवादी नेता हैं।

गौल, जनरल डी—यह फ्रान्स के सैनिक अधिकारी थे। इस समय आप अधिकृत तथा

पराजित फ्रान्स को छोड़कर लन्दन में हैं। आपने यह घोषणा की है कि फ्रान्स का जर्मनी से युद्ध अभी जारी है, मार्शल पेटों द्वारा फ्रान्स के साथ जो अविराम संधि हुई है उसे फ्रान्सीसी जनता ने स्वीकार नहीं किया है। आप 'स्वतंत्र' फ्रान्स के प्रतिनिधि हैं। कुछ सेना भी फ्रान्स के पतन के बाद आपके साथ इंग्लैण्ड चली आई थी जो अब अंगरेजों के साथ धुरी-सेनाओं से वीरतापूर्वक लड़ रही है।

च

चर्चिल, राइट आनरेबल विन्स्टन लियोनार्ड स्पेन्सर—जन्म ३० नवम्बर सन् १८७४। हैरो तथा सैंडहर्स्ट में शिक्षा पाई। सन् १८९५ में सेना में भर्ती होगये। दो युद्धों में भाग लिया। दक्षिण अफ्रीकी-युद्ध में 'मार्निंग् पोस्ट' के युद्ध-सवाददाता रहे। बोअरों ने इन्हें युद्ध-बन्दी बना लिया, लेकिन आप भाग निकले। १९०० में अनुदार-दल की ओर से कॉमन-सभा के सदस्य चुने गये। जोसफ़ चेम्बरलेन की तटकर (टैरिफ) नीति का विरोध किया तथा मुक्त-व्यापार का समर्थन। उदार-दल में शामिल हो गये। १९०५ में उपनिवेशों के उपमंत्री नियुक्त किये गये और १९०८ में व्यापार-बोर्ड के अध्यक्ष। सन् १९१२ में आइरिश होम रूल बिल का समर्थन किया। इसके बाद नौसेना विभाग के मंत्री बनाये गये। सन् १९१५ में उन्होंने मंत्रि-मण्डल से, मतभेद के कारण, त्यागपत्र दे दिया। फ्रान्स में युद्ध-मोर्चे पर भाग लेने गये। कर्नल बनकर काम किया। १९१७ में अस्त्र-शस्त्र-विभाग के मंत्री बनाये गये। सन् १९१८-२१ तक युद्ध-मंत्री तथा हवाई-सेना-विभाग के मंत्री रहे। सन् १९२१-२३ में उपनिवेशों के मंत्री रहे। १९२२ में आयरलैण्ड से हुए समझौते का समर्थन किया। इसके बाद

वह पक्के बोल्शेविक-विरोधी बन गये। उनके विचारों में उदारदली लिबरलों को घृणा होगई। सन् १९२२ में अपने डडी निर्वाचन-क्षेत्र से, इस कारण, चुनाव में सफल न हो सके। कुछ समय तक क्रियात्मक राजनीति से अलग रहे। युद्ध के सबंध में उन्होंने अपना महान् ग्रन्थ "ससार-मकट" (The World Crisis) लिखा। यह ६ भागों में प्रकाशित हुआ। सन् १९२४ में उन्होंने फिर राजनीति में प्रवेश किया, अनुदार-दल में शामिल हुए और उसकी ओर से ऐपिंग् क्षेत्र से पार्लमेंट के सदस्य चुने गये। तब से बराबर सदस्य हैं। वाल्डविन-सरकार में आप अर्थमंत्री रहे। सन् १९३० से वर्तमान युद्ध के आरम्भ तक उन्होंने मन्त्रि-मण्डल में कोई पद ग्रहण नहीं किया। परन्तु वैदेशिक नीति के संचालन में बहुत दिलचस्पी लेते रहे। इन दिनों के चर्चिल के भाषणों और लेखों की जनता ने बहुत दाद दी और अपनी दूरदर्शिता के लिये तो वह पहले ही नाम पा चुके थे। १९३३ तक वह फ्रान्स के निःशस्त्रीकरण के विरोधी रहे, किन्तु यह भी कहते रहे कि जर्मनी की शिकायतों को रफा किया जाय। सन् १९३६ में जर्मनी में नाजीवाद का दौरदौरा होते ही चर्चिल ने कहा कि खबरदार, एक बड़ा खतरा आ रहा है, और उन्होंने ब्रतानिया की सभी खासकर हवाई ताकत बढ़ाई जाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि हिटलर अब मध्य यूरोप में बढ़ेगा और वह सारी दुनिया पर छा जाना चाहता है। सन् १९३८ में आपने ईडन तथा डफ कूपर के साथ म्युनिख सम्झौते को नामज़ूर किया। सन् १९३६ में युद्ध-मन्त्रि-मण्डल में चर्चिल नौ-सेना-विभाग के मन्त्री नियुक्त किये गये। मई १९४० में जब चेम्बरलेन ने त्यागपत्र दे दिया तब आप ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री बने। तब से आप बराबर बड़े धैर्य तथा वीरता के साथ ब्रिटिश-साम्राज्य को जर्मनी तथा इटली और अब जापान के आक्रमणों का मुक़ाबला करने के लिये तैयार कर रहे हैं। किंतु आपके प्रधान-मन्त्रि-काल में एक दो दफा हार हुई और इसी कारण आप पर दो बार पार्लमेंट में अविश्वास



का प्रस्ताव भी आचुका है, पर आपके दल की विजय होती रही है। चर्चिल एक श्रेष्ठ और प्रभावशाली वक्ता ही नहीं एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ और लेखक भी हैं। भारत के आप विकट विरोधियों में हैं। सन् १९३१ में जब गान्धी-इर्विन समझौता हो रहा था तब आप बहुत बिगड़े थे, और कहा था कि अफसोस है कि एक अधनंगा फ़कीर वाइसराय के महल पर चढ़ता है।

चतुर्दश सिद्धान्त—संयुक्त-राज्य अमरीका के राष्ट्रपति बुडरो विल्सन ने अमरीका की कांग्रेस के समक्ष, ८ जनवरी १९१८ को, अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन १४ सिद्धान्तों का उल्लेख किया जिनके आधार पर जर्मनी के साथ मित्र-राष्ट्र संधि कर सकते हैं।

वे चौदह सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं:—

- (१) संधि प्रकाश्य रूप में हो। गुप्त रूप से कोई बात तय न की जाय।
- (२) समुद्रों पर आवागमन की स्वाधीनता सबको रहे।
- (३) आर्थिक प्रतिबंधों का परित्याग किया जाय।
- (४) निःशस्त्रीकरण के सिद्धान्त में विश्वास। शस्त्रीकरण इतना कम कर दिया जाय कि प्रत्येक राष्ट्र के पास केवल उतनी ही सेना रह जाय जितनी उसकी रक्षा के लिये आवश्यक है।
- (५) औपनिवेशिक दावों का निष्पत्त रीति से निर्णय हो।
- (६) रूसी अधिकृत-प्रदेश रूस को वापस दे दिया जाय तथा उसको स्वभाग्य-निर्णय का पूरा अधिकार रहे।
- (७) बेलजियम से जर्मन-सेनाएँ वापस कर ली जायँ तथा उसे पूर्वावस्था में कर दिया जाय।
- (८) जिन फ़्रान्सीसी प्रदेशों पर जर्मनों का अधिकार है, वह तथा अल्सेस लोरेन प्रदेश फ़्रान्स को दे दिये जायँ।
- (९) इटली की सीमाएँ स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी जायँ।
- (१०) आस्ट्रिया-हंगरी की प्रजा को स्व-शासन-विकास का पूरा सुयोग प्राप्त हो।
- (११) रूमानिया, सर्बिया, मोन्टीनिग्रो से जर्मन आधिपत्य वापस किया जाय। सर्बिया की समुद्री-तट तक पहुँच स्वीकार की जाय। बल्कान राज्यों के

पारस्परिक सन्ध, उनकी ऐतिहासिक परम्परा के आधार पर, निर्धारित किये जायें। उनकी सुरक्षा के लिये अन्तर्राष्ट्रीय निश्चित आश्वामन दिया जाय।

(१२) तुर्किस्तान के गैर-तुर्की प्रदेशों में स्व-शासन का विकास किया जाय। दरेदानियाल मे होकर स्वतंत्र मार्ग हो।

(१३) स्वतंत्र पोलिश राज्य स्थापित किया जाय और उसकी सीमा समुद्र-तट तक हो। उसकी रक्षा के लिये अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी रहे।

(१४) समस्त राष्ट्रों की एक सभा स्थापित की जाय जो छोटे-बड़े सभी राज्यों की सुरक्षा के लिये दायी हो।

इनमे सिद्धान्त-संख्या १, ३, ४, ५ और ६ को, सन्धि करते समय, अमल मे नही लाया गया। शेष सिद्धान्तों का पालन भी आशिक किया गया।

चातुर्वर्षीय-योजना—सोवियट रूस की पंच-वर्षीय योजना का अनुकरण कर जर्मनी ने, अपने आर्थिक-विकास तथा औद्योगिक उन्नति के लिये, एक चातुर्वर्षीय योजना, सन् १९३३ मे, कोयला, लोहा, तेल, आदि व्यवसायों की उन्नति के लिये बनाई। इस योजना मे भवन-निर्माण, सड़क-निर्माण आदि शामिल थे। वास्तव मे यह योजना स्थगित कर दी गई और शस्त्रीकरण ज़ोरों के साथ आरम्भ किया गया, जिससे जर्मनी की बेकारी में भी बहुत कमी होगई। सितम्बर १९३६ मे हिटलर ने दूसरी चातुर्वर्षीय योजना की घोषणा की। यह योजना सन् १९३७ से १९४० तक के लिये बनाई गई थी। इस योजना मे उद्योगों के विकास पर ज्यादा ज़ोर दिया गया था। हिटलर जर्मनी को औद्योगिक दृष्टि से स्वाश्रयी बनाना चाहता था। यह योजना पूरी भी न होपायी थी कि यूरोप मे जर्मनी ने युद्ध शुरू कर दिया।

चियांग् कार्डे-शेक—चीन के प्रधान सेना-नायक तथा राष्ट्रीय नेता। चियांग् कार्डे-शेक का, चेकियांग् मे, सन् १८८८ मे, जन्म हुआ। इनके पिता शराब के व्यापारी थे। जब इनकी आयु २० वर्ष की थी, तब उत्तरी चीन की एक मिलिटरी ऐकेडेमी (सैनिक शिक्षण-संस्था) मे भरती हो गये। इनकी सैनिक शिक्षा जापान मे समाप्त हुई, जहाँ डा० सन यात-सेन से इनकी भेट होगई। तबसे इन्होंने क्रान्तिकारी-दल मे प्रवेश किया तथा को मिन तांग् (चीनी प्रमुख राष्ट्रीय संस्था) के सदस्य बन गये। सन् १९११, १९१२ और

१९१७ की चीनी क्रान्तियों में भाग लिया। सन् १९१७ से १९२२ तक डा० सन यात-सेन के सहयोगियों में रहे। सन् १९२३ में मास्को मिलिटरी ऐकेडेमी में गये। सन् १९२४ में कैन्टन के पास व्हाम्पू में चीनी मिलिटरी ऐकेडेमी के अध्यक्ष हुए। इस संस्था के सैनिकों को संगठित कर आपने, सन् १९२५ में, दक्षिण-चीन के प्रतिद्वन्द्वी जनरलों के विद्रोह का दमन किया। जब डा० सन यात-सेन की मृत्यु होगई तो चियांग् को मिन तांग् के नेता होगये। साम्यवादियों (Communists) से सहयोग किया, प्रमुख सेनापति (Generalissimo) बने, और सन् १९२६ में शघाई पर आधिपत्य जमा लिया। मार्च १९२७ में उनका साम्यवादियों से तीव्र मतभेद होगया, अतएव शघाई में आपने बहुसंख्या में उनका वध किया। चियांग् ने नानकिंग में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना, पुरानी साम्यवादी को मिन तांग्-सरकार का विरोध करने के उद्देश्य से, की। अन्त में दोनों सरकारें मिल गईं और चियांग् को अधिनायक स्वीकार किया गया। उत्तरी चीन की विजय के लिये प्रस्थान किया और सन् १९२८ में चियांग् कार्डै-शेक ने वहाँ के सैनिक सर्वेसर्वा मार्शल चांग् सो-लिन को पराजित किया और सम्पूर्ण चीन देश नानकिंग्-सरकार के अधीन कर दिया। इस तरह चियांग् प्रधान मन्त्री और अधिनायक होगये। परन्तु गृह-कलह जारी रहा। सन् १९३१ में चियांग् ने प्रधान-मन्त्री के पद से त्याग-पत्र दे दिया। सन् १९३२ में वह फिर उसी पद पर नियुक्त किये गये। साम्यवादी सेनाएँ और कैन्टन में स्थापित वामपक्षीय सरकार इस समय चियांग् का विरोध कर रहे थे। साम्यवादियों ने दक्षिण के दो प्रान्तों में सोवियट-शासन स्थापित कर लिया था। चियांग् ने इन प्रान्तों पर सात बार चढ़ाई की और सन् १९३४ में उन्हें परास्त कर दिया। कम्युनिस्ट सेना भाग तो गई पर उसने पश्चिम के केज़ेकुआन प्रान्त में जाकर सोवियट सत्ता स्थापित करदी। इसके बाद चियांग् ने जापानियों के साथ समझौता करने की कोशिश की, जिन्होंने मचूरिया पर कब्ज़ा कर लिया था तथा शंघाई पर आक्रमण कर दिया था। सन् १९३६ में चियांग् को एक प्रतिद्वन्द्वी जनरल ने पकड़ लिया, परन्तु बाद में समझौता होगया और वह छोड़ दिये गये। जब जुलाई १९३७ में जापान ने चीन पर हमला किया तब चियांग् कार्डै-शेक ने प्रधान मन्त्री पद से त्याग-पत्र दे

दिया और प्रमुख सेनापति का पद ग्रहण किया ताकि जापान का पूरी तरह मुकाबला किया जा सके।

चियांग् काई-शेक ने चीनी राष्ट्र में नवचेतन तथा राष्ट्रियता को जगा दिया है। वह बड़ी दृढ़ता, वीरता और धैर्य के साथ जापानियों का मुकाबला कर रहे हैं। जब दिसम्बर १९३७ में नानकिंग् का पतन होगया तब उन्होंने चुगकिंग् को अपनी राजधानी बनाया। उनकी धर्मपत्नी, श्रीमती मे-लिंग् सूग, का भी चीन के राष्ट्रीय सघर्ष में प्रमुख स्थान है। फरवरी १९४२ में मार्शल चियांग् श्रीमती चियांग् काई-शेक सहित भारत आये। वह भारत के वाइसराय के अतिथि बने। उन्होंने महात्मा गान्धी, प० जवाहरलाल नेहरू, मौ० आज़ाद तथा मि० जिन्ना आदि नेताओं से भेट की। आपके आगमन से भारत और चीन का पुरातन सांस्कृतिक-नैतिक सम्बन्ध, राजनीतिक-सम्बन्ध के रूप में, और भी दृढ़ हुआ है।



चीन—चीनी-प्रजातन्त्र। चीनी भाषा में इसे 'चुग हुआ मिन को' कहते हैं। मुख्य चीन में १८ प्रान्त हैं तथा क्षेत्रफल १५,३३,००० वर्गमील है। इसमें मंगोलिया, सिक्कियाग्, तिब्बत (जो १९१२ ई० तक चीन के अधीन था और अब स्वतन्त्र है) तथा मन्चूरिया—इन विवादास्पद बाहर के देशों को शामिल करके क्षेत्रफल ४२,७८,००० वर्गमील होजाता है। मुख्य चीन की जनसंख्या ४०,००,००,००० है, और यदि उपर्युक्त देशों की जनसंख्या भी शामिल की जाय, तो ४५,८०,००,००० हो जायगी। सन् १९११ में जब चीन में क्रान्ति हुई, और फलतः मन्चू राजवंश के एकतन्त्र शासन का अन्त होकर प्रजातन्त्र की स्थापना हुई तब से चीन में स्थायी रूप से गृह-क्रलह होता रहा। प्रजातन्त्र के सर्वप्रथम पुरातन-पन्थी राष्ट्रपति मार्शल यूआन शि-काई का दक्षिणी चीन के प्रजातन्त्रवादी नेता डा० सन यात-सेन ने विरोध किया। सन् १९१५ में मार्शल यूआन ने अपने को चीन का सम्राट् घोषित किया। परन्तु थोड़े समय बाद ही उसका देहान्त होगया। क्रान्ति के

परम्परागत केन्द्र दक्षिण-चीन की राजधानी नानकिंग् मे डा० सन यात-सेन ने प्रगतिशील प्रजातन्त्र-शासन की स्थापना की। चीन के उत्तरी तथा दक्षिणी प्रान्तों मे सदैव संघर्ष रहा है। वर्षों गृह-कलह चला; उत्तर और दक्षिण प्रदेश ही नहीं लडते रहे, बल्कि अनेक सेनापति अपने प्रभाव के प्रान्तों मे शासन स्थापित करते और एक-दूसरे से लडते रहे। सन् १९२३ में डा० सन यात-सेन ने को मिन तांग्—चीन की राष्ट्रीय क्रान्तिकारी-सस्था—का, सोवियट सलाह-कार बोरोडिन के सहयोग से, संगठन किया। तब से सोवियट रूस बराबर चीन की राज-क्रान्तियों मे दिलचस्पी लेता रहा है। सन् १९३१ और १९३२ में चीन का नया शासन-विधान बनाया गया। को मिन तांग् की राष्ट्रीय-कांग्रेस सर्वोच्च राष्ट्रीय सत्ता है। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति (Central Executive Committee) की नियुक्ति करती और यह समिति राष्ट्रीय सरकार बनाती है। सरकार के पाँच विभाग हैं—(१) शासन-प्रबन्ध, (२) व्यवस्था (कानून), (३) न्याय, (४) परीक्षा, (५) नियंत्रण। यह विभाग 'यूथ्रान' कहलाते हैं। शासन-प्रबन्ध-विभाग ही वास्तव में सरकार है और इसके प्रमुख का पद दूसरे देशों के प्रधान-मंत्री के बराबर है। इसके अतिरिक्त एक राज-परिषद् (State Council) भी है। यह सरकार की सर्वोच्च संस्था है। इसका अध्यक्ष ही राष्ट्रीय सरकार का राष्ट्रपति होता है। शासन-प्रबन्ध-विभाग के अध्यक्ष चीन के एक महाजन (बेकर) डा० कुग् हैं, जो नियांग काई-शेक के साठू हैं। स्वर्गीय डा० सन यात-सेन से भी उनका यही नाता था।

जब चीन में आन्तरिक कलह कुछ शान्त होगया, तब जापरी आक्रमण होने लगे और जापान ने उस पर हमला कर दिया। सन् १९३१ में जापान ने चीन के मंचूरिया प्रान्त पर अधिकार जमा लिया और वहाँ दिग्गवती मन्चूगो राज्य की स्थापना कर दी। सन् १९३२ में शंघाई में दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। नियांग् काई-शेक ने समझौता कर लिया, क्योंकि वह जापान के भावी प्रनिर्वाह आक्रमण के मुक़ाबले के लिये, जो समस्त चीन को हट्टप जाने के इरादे में था, चीन की खिलमिलता को नष्ट कर एकता और संगठन पैदा करना चाहते थे। और इसके लिये समय और शान्ति की आवश्यकता थी। सधि हो गई, परन्तु इलाई १९३७ में ७ ता० को चीनी जापनी मिना-

हियो मे हुई ज़रा-सी मुठभेड का एक बहाना लेकर जापान ने चीन से युद्ध छेड दिया। जापानी सेना ने चीन के एक विशाल प्रदेश सहित, दिसम्बर १९३७ मे, चीन की राजधानी नानकिंग् पर अधिकार जमा लिया और वहाँ वाग् चिंग्-ची की अव्यक्तता मे खिलौना-सरकार बना दी। चीन-सरकार अपनी राजधानी दक्षिण-पश्चिमी चीन के चुगकिंग् नगर मे उठा ले गयी। ब्रह्मा (बर्मा) से चुगकिंग् तक एक सडक बनाई गई थी। यह बर्मा-रोड कहलाती है, जिसे १९४२ के अप्रैल तक चीन-सरकार इस्तेमाल करती रही; किन्तु अप्रैल मे, ब्रह्मा के पतन के साथ, यह सडक भी जापानियों के अधिकार मे चली गई। जगी रसद और दूसरा अमरीकी और बरतानवी सामान आदि इसी मार्ग से चीन को जाता था, क्योंकि चीन के समुद्र-तटवाले प्रदेशो पर जापानियों का प्रभुत्व है। चीनी साम्यवादियो ने पुराने भेदभाव को भुलाकर, देश की आजादी की प्रेरणा से प्रभावित होकर, जनरलिस्सिमो चियाग् से समझौता कर लिया है और अपनी सेनाएँ, जापानियों से लडने के लिये, उनकी कमान (Command) मे दे दी हैं, पर देश के भावी शासन-विधान के सम्बन्ध मे उनका आन्तरिक मतभेद है। चीन के साथ सोवियट रूस की सबसे अधिक क्रियात्मक सहानुभूति पहले से रही है। ब्रिटेन और सयुक्त-राज्य अमरीका भी, अपने हितों की रक्षा के लिये, चीन की सहायता-सहानुभूति पीछे से करने लगे हैं और आज रूस के साथ चीन की भी साथी मुल्कों (United Nations) मे गणना करते हैं। भारत और चीन का तो पुरातन सांस्कृतिक सम्बन्ध है। सन् १९३६ मे प० जवाहरलाल नेहरू चियाग् कार्ड-शेक तथा अन्य नेताओं से भेट करने चीन गये। उन्होंने चीन का भ्रमण भी किया तथा भारत का सदेश सुनाया। आपके ही प्रयत्न से, कांग्रेस की ओर से, एक डाक्टरी सेवा-दल चीनी रणक्षेत्र पर भेजा गया था। अंगरेजों की ४५,००,००,००० पौड की पूँजी चीन के उद्योगधन्धो और व्यवसायो मे और सयुक्त-राज्य अमरीका की ४०,००,००,००० डालर की पूँजी चीन के उद्योगो मे लगी हुई है। चीन ही अकेला ससार मे सबसे बडा पिछडा प्रदेश है जिसका अभी तक यूरोपीय देश बँटवारा नहीं कर सके हैं। इसलिये चीन पर आज समस्त ५० व ५१ देशो की दृष्टि लगी हुई है। चीन के मचूरिया (मचूको)

प्रदेश पर जापान का, बाह्य मंगोलिया पर सोवियट रूस का, आन्तरिक मंगोलिया पर जापान का, सिंक्रियांग् पर सोवियट रूस का इस समय नियंत्रण है। यह सभी प्रदेश चीन के अधिकार से पहले या पीछे निकल चुके हैं, पर चीन इन पर अपना आधिपत्य चाहता है। चीन-जापान-युद्ध में, ७ जुलाई '४२ ई० तक, पिछले पाँच साल के युद्ध-काल में, २५ लाख जापानी और ३५ लाख चीनी मारे जा चुके हैं। धन-हानि भी अतुल हुई और हो रही है।



चेम्बरलेन, हौस्टन स्ट्युअर्ट—जर्मन राजनीतिक लेखक। राष्ट्रीय-समाजवाद के व्याख्याकार। सन् १८५५ में जन्म हुआ। वर्साई और जिनेवा में शिक्षा प्राप्त की। अन्ना हार्स्ट के साथ १८७८ में विवाह किया। रिचार्ड वैगनर पर जर्मन तथा फ्रेंच भाषाओं में पुस्तकें लिखीं। वियना में रहकर अपनी प्रधान कृति 'उन्नीसवीं शताब्दी की बुनियादे' जर्मन भाषा में लिखी।

सन् १९०८ में उन्होंने वैगनर की पुत्री से दूसरा विवाह किया। सन् १९२७ में उनका देहान्त होगया। हिटलर को अपने उत्थान में उनकी कृतियों से बड़ी प्रेरणा मिली है।

चेम्बरलेन, राइट आनरेब्ल (Rt Hon) नेविल—सन् १८६६ में जन्म हुआ। जोसफ चेम्बरलेन के पुत्र। रग्बी और मैसन कालिज गर्मिंघम में शिक्षा प्राप्त की। सन् १९११ में गर्मिंघम की कांसिल के सदस्य बन गये और सन् १९१५ में उसके मेयर। यहाँ उन्होंने भवन-निर्माण तथा व्यवस्था के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त किया। सन् १९१८ में कॉमन-सभा के सदस्य चुने गये। सन् १९२२ में पोस्ट मास्टर जनरल हुए तथा १९२३ में स्वास्थ्य-मंत्री। सन् १९२३ के भवन-निर्माण-व्यवस्था कानून के बनाने में इन्हींका हाथ था। अस्वास्थ्यकर तथा गंदे मकानों को नष्ट कराकर नये ढंग से स्वास्थ्यप्रद मकान बनवाने की योजना बनाई। सन् १९३१ में अर्थ-मंत्री नियुक्त किये गये। २८ मई १९३७ को जय बाल्डविन ने त्याग-पत्र दे दिया तब ब्रतानवी साम्राज्य के प्रधान मंत्री हुए। ३१ अगस्त १९३७ को आप ब्रिटिश पार्लैमेट में अनुदार दल के नेता चुने गये।

चेम्बरलेन की वैदेशिक नीति का मूलाधार सोवियट रूस का बहिष्कार, समाजवादी-अभिमत का विरोध तथा जर्मनी एवं इटली के अधिनायकों के साथ ऐसा व्यवहार था जिससे वे सन्तुष्ट होजायें और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना में सहायता दें। अपनी इस नीति का पालन करने में उन्होंने बड़ी तत्परता से काम लिया। इटली को प्रसन्न करने के लिये उन्होंने, सन् १९३५ में, उसके विरुद्ध राष्ट्र सभ द्वारा जारी की गई आर्थिक-दण्डाज्ञा का प्रयोग, बन्द कर दिया और ऐन्थनी ईडन, वैदेशिक-मंत्री, को अपना पद छोड़ना पडा। स्पेन के गृह-युद्ध में ब्रिटेन को तटस्थ रखा, जर्मनी द्वारा आस्ट्रिया के अपहरण पर मौन धारण किया, चैकोस्लोवाकिया को कोई मदद नहीं दी तथा तीन बार हवाई यात्रा करके हिटलर से मिले और म्युनिख में समझौता किया। जब मार्च १९३६ में हिटलर ने सम्पूर्ण चैकोस्लोवाकिया को अपने आधिपत्य में ले लिया तब उनकी आँखें खुली और तब से उन्होंने हिटलर के विरोध करने का विचार किया। ब्रिटेन ने पोलेण्ड, रूमानिया,

यूनान और तुर्की को आक्रमणों से रक्षा करने का वचन दिया। रूस से भी मेल करने का प्रयत्न किया, परन्तु इस दिशा में हार्दिक प्रयत्न नहीं किया गया। उन्होंने शान्ति की रक्षा के लिये ब्रिटेन के शस्त्रीकरण पर जोर दिया। जब १ सितम्बर १९३९ को जर्मनी ने पोलैण्ड पर हमला किया तो ब्रिटेन ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी। पोलैण्ड के प्रश्न पर भी चेम्बरलेन ने अगस्त १९३९ के अन्तिम सप्ताह में समझौता करने का भारी प्रयत्न किया। परन्तु हिटलर के आक्रमण से वह विचलित होगये और हिटलरवाद की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने युद्ध के बाद तुरन्त ही अपने भाषण में कहा कि ब्रिटेन का उद्देश्य नात्सीवाद का सर्वनाश करना है।


मई १९४० में नार्वे में ब्रिटिश-सेना की भारी पराजय से ब्रिटेन तथा मित्र-राष्ट्रों की जनता में घोर नैराश्य छा गया। कॉमन-सभा में चेम्बरलेन की नीति तथा युद्ध-संचालन की कड़े शब्दों में निंदा की गई। पार्लियामेंट का बहुमत उनके विरुद्ध हो गया और जो सदस्य सरकार के समर्थक थे वे विरोधी दल में मिल गये। युद्ध-मन्त्री आदि ने मि० चेम्बरलेन का साथ देना बन्द कर दिया। अतः चेम्बरलेन को प्रधान-मन्त्रित्व से त्याग-पत्र देना पड़ा। विन्स्टन चर्चिल प्रधान मंत्री नियुक्त किये गये। चेम्बरलेन कौंसिल के लार्ड प्रेसी-डेन्ट नियुक्त किये गये। परन्तु स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्होंने ३ अक्टूबर १९४० को इस पद से त्याग-पत्र दे दिया। ९ नवम्बर १९४० को चेम्बरलेन का देहान्त हो गया।



चैकोस्लोवाकिया—यह देश गत महायुद्ध के बाद आस्ट्रिया के पूर्वाधिकृत प्रान्तों बोहेमिया, मोराविया, साइलेशिया और हंगरी के पूर्वाधिकृत स्लोवाकिया

और रूस के लघु कारपेथियन प्रान्तों को मिलाकर बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल १६३८ ई० में ५२,००० वर्गमील और जनसंख्या १,५०,००,००० थी। यह प्रजातंत्र राज्य था। इसमें कई अल्प-संख्यक जातियाँ हैं, परन्तु चैक जाति बहुमत में थी। उनकी संख्या ७०,००,००० है। स्लोवाक ३०,००,००० से भी कम हैं। चैक यह कहते थे कि चैक और स्लोवाक मिलकर एक राष्ट्र बन जाय। परन्तु स्लोवाक इसके विरुद्ध थे। वह पृथक् राष्ट्र बनाना चाहते थे। मोराविया और बोहेमिया के सीमान्त प्रदेशों (सूडेटनलैण्ड) में ३२,५०,००० जर्मन रहते थे जो और भी अधिक अधिकार चाहते थे। इनके अतिरिक्त ७,००,००० हंगेरियन और ५,५०,००० रूथानियन या यूक्रेनियन थे। इन अल्पसंख्यक जातियों को यद्यपि राजनीतिक और कानूनी समान अधिकार प्राप्त थे, तथापि गैर-चैक प्रजा के साथ भेदभाव का वर्तव क्रिया जाता था, और इसीकी इन सब अल्पसंख्यकों को शिकायत थी। जब सन् १९३३ में हिटलर ने जर्मनी का शासन-भार ग्रहण किया, तब सूडेटनलैण्ड में जर्मनों ने आन्दोलन शुरू किया। इनका नेता हैनलीन था। सूडेटन जर्मनों ने यह माँग पेश की कि उन्हें चैकोस्लोवाकिया में स्वराज्य दे दिया जाय। ब्रिटिश मध्यस्थ संसामैत्र के प्रभाव से चैकोस्लोवाकिया की सरकार ने सूडेटन जर्मनों को स्वराज्य दे दिया। परन्तु फिर भी हैनलीन तथा हिटलर ने यह माँग पेश की कि सूडेटन ज़िलो को जर्मनी में मिलाने की बात को चैक स्वीकार करे। सूडेटनलैण्ड में घोर सघर्ष और उपद्रव मचा। परन्तु ग्रेटब्रिटेन, फ्रान्स और रूस ने, जिन्होंने चैकोस्लोवाकिया की रक्षा के लिए वचन दिया था, और जो उनकी सहायता पर निर्भर था, उसका परित्याग कर दिया। तब म्युनिख में समझौता हुआ और चैकोस्लोवाकिया को सूडेटनलैण्ड जर्मनी को दे देने के लिये बाध्य किया गया। म्युनिख समझौते के बाद हंगरी और पोलैण्ड ने भी माँगें पेश की और अपने-अपने प्रदेशों को वापस ले लिया। इस प्रकार चैकोस्लोवाकिया का अंग-भंग हुआ। राष्ट्रपति बेनेस ने त्यागपत्र दे दिया। किसानवादियों के एक दल ने शासन-सत्ता अपने हाथ में ले ली। चैक, स्लोवाक तथा रूथानियन सरकारों ने मिलकर एक संघ-राज्य स्थापित किया। अब जर्मनी ने यह आग्रह किया कि संघ-राज्य नात्सी नीति को अपनावे और उसने १० मार्च


१९३९ को स्लोवाको को उत्तेजित किया और विद्रोह कराया। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की माँग पेश की। हिटलर को यह अच्छा बहाना मिल गया, उसने कहा कि यह विद्रोह जर्मनी की शान्ति के लिये एक खतरा है। अतः १५ मार्च १९३९ को जर्मन फ़ौजों ने चैकोस्लोवाकिया में प्रवेश किया। इसका कोई विरोध या प्रतिरोध नहीं किया गया। चैकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति हाशा तथा अन्य मंत्रियों से ज़बरदस्ती एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कराये गये, जिसके अनुसार चैकोस्लोवाकिया के शेष भाग बोहेमिया, मोराविया और चैक प्रान्तों को, जर्मन-संरक्षण में, जर्मनी में मिला लिया गया। स्लोवाक को भी इसी प्रकार का संरक्षित 'स्वतंत्र' राज्य बना दिया गया। चैक



सेना को निःशस्त्र कर दिया गया। चैक प्रजा के इस बलिदान ने संसार की आँखें खोल दी और नात्सीवाद का भयंकर रूप प्रकट होगया। डा० वेनेश लन्दन चले गये। वहाँ जाकर उन्होंने चैकोस्लोवाकियन राष्ट्रीय समिति बनाई है, जिसे मित्र-राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया है और उसे चैक प्रजा की प्रतिनिधि मानते हैं। यह समिति देश की स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नशील है।

चौटेम्स, कामिली—फ़्रान्स के राजनीतिज्ञ।

जन्म सन् १८८५ में हुआ। पहले कुछ दिनों वकालत की। सन् १९०४ से फ़्रान्स की पार्लमेण्ट के सदस्य रहे। सन् १९२४ में गृहशासन-विभाग के मंत्री थे। सन् १९३० में, २४ घण्टे के लिये, प्रधान मंत्री बने। सन् १९३३ तक न्याय-मंत्री तथा शिक्षा-मंत्री रहे। तबसे २७ जनवरी १९३४ तक प्रधान-मंत्री रहे। जून १९३७ से मार्च १९३८ तक दुबारा प्रधान-मंत्री रहे।



मार्च १९३८ से रिनो सरकार में वह उप-प्रधान-मंत्री थे।

ज

जनतंत्रवाद—जनतंत्र से प्रयोजन ऐसी प्रणाली से है जिसका संचालन जनता के हाथ में हो। जनतंत्र प्रत्यक्ष होता है और अप्रत्यक्ष भी। प्रत्यक्ष जनतंत्र में सब जनता भाग लेती है और प्रत्यक्षतः शासन-प्रबंध में हाथ बटाती है। अप्रत्यक्ष जनतंत्र में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की परिषद् द्वारा शासन-संचालन में भाग लेती है। भारत में जनतंत्र अत्यन्त प्राचीन सस्था रहा है। वैदिक युग में यहाँ जनतंत्र शासन-प्रणाली स्थापित थी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान् डा० काशीप्रसाद जायसवाल, वैरिस्टर, ने अन्वेषण के बाद यह सिद्ध किया है कि प्राचीन वैदिक युग में भारत में जनतंत्र-प्रणाली प्रचलित थी। उन्होंने इस विषय पर “हिन्दू राजतंत्र” नामक एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखा है।

आइसलैण्ड में प्रायः १००० वर्ष से जनतंत्र शासन-पद्धति स्थापित है। इंग्लैण्ड में १४वीं शताब्दी में जनतंत्रात्मक सस्थाओं का विकास हुआ। जब १८वीं शताब्दी में फ्रान्स तथा अमरीका में राज्य-क्रान्तियाँ हुईं तब, आधुनिक अर्थ में, जनतंत्र-शासन की वहाँ स्थापना की गई। जनतंत्र इस अँगरेज़ी सिद्धान्त पर आश्रित है कि सत्ता को तीन विभागों में विभाजित किया जाय : (१) व्यवस्था, (२) शासन-प्रबंध और (३) न्याय। आज ससार में दो प्रकार के जनतंत्र मौजूद हैं। एक वह जिनमें सरकार व्यवस्थापिका-सभा (कानून बनानेवाली धारा सभा) के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे हम ब्रिटेन में पूर्णरूपेण विकसित पाते हैं। दूसरी वह है जिसमें सरकार व्यवस्थापिका-सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। वह केवल जनता या मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होती है। सयुक्त-राज्य अमरीका यही प्रणाली प्रचलित है। सफल जनतंत्र के लिये दो या अधिक राजनीतिक

दलों की विद्यमानता ज़रूरी है। जिस देश में केवल एक ही राजनीतिक दल हो उसमें जनतंत्र का विकास नहीं हो सकता। जनतंत्र में व्यक्तियों की नागरिक स्वाधीनता, नागरिक समता, सामूहिक रूप से उन्नति तथा सबका सुख निहित है। यही कारण है कि प्रजातंत्र में व्यक्तिगत स्वाधीनता, जीवन-रक्षा की स्वाधीनता, विचार-स्वाधीनता, मत-प्रकाशन की स्वाधीनता, समाचार-पत्रों की स्वाधीनता, सभा-सम्मेलन करने की स्वाधीनता, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक और व्यावसायिक स्वाधीनता शामिल हैं। इस समय संयुक्त-राज्य अमरीका, ब्रिटेन और ब्रिटिश उपनिवेशों तथा स्विट्ज़रलैण्ड में यह प्रणाली प्रचलित है।

जन-सेवक-समिति (सर्वेट्स आफ् दि पीपुल्स सोसाइटी)—सन् १९२० में पंजाब-केसरी स्वर्गीय लाला लाजपतराय ने लाहौर में तिलक राजनीति विद्यालय (तिलक स्कूल आफ् पालिटिक्स) की स्थापना की थी। उसके बाद ही लालाजी ने जन-सेवक-समिति की वहाँ स्थापना की। समिति का मुख्य उद्देश्य है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा-संबंधी क्षेत्रों में, मातृभूमि की सेवा के लिए, लगनशील और शिक्षित देश-सेवी प्रस्तुत करना। इसके प्रत्येक सदस्य को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि वह कम-से-कम २० वर्ष तक सस्था की सेवा करेगा और उसके उद्देश्यों को सफल बनाने का पूर्ण प्रयत्न करेगा। वह कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो संस्था के उद्देश्यों के प्रतिकूल हो। इस संस्था के सदस्य वही युवक बन सकते हैं जो किसी विश्व-विद्यालय अथवा राष्ट्रीय शिक्षा-संस्था के ग्रेजुएट, स्नातक या उतनी योग्यता रखते हो। लाला लाजपतराय इस सस्था के प्रथम संस्थापक-प्रधान थे। प्रति तीसरे वर्ष प्रधान का चुनाव होता है। समिति का संचालन एक कार्यकारिणी समिति के हाथ में है, जिसमें सिर्फ संस्था के सदस्य ही होते हैं, जिनका प्रतिवर्ष चुनाव किया जाता है। संस्था के सदस्यों को ५०) से १००) मासिक तक वृत्ति दी जाती है। बच्चों के लिए तथा घरभाड़ा अलग मिलता है। समिति के इस समय १४ सदस्य हैं। माननीय बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन समिति के प्रधान हैं।

जमनालाल वजाज, सेठ—गान्धीवादी कांग्रेसी नेता। जन्म सन् १८८६, जयपुर राज। सेठ जमनालाल वजाज भारत के प्रसिद्ध मारवाड़ी व्यव-


साथियों में थे। सन् १९२० से कांग्रेस-आन्दोलन में भाग लेते रहे। गान्धीजी के परम स्नेहभाजन थे। बराबर अनेक वर्षों तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य रहे। सन् १९२३ के नागपुर-सत्याग्रह का संचालन किया। असहयोग-आन्दोलन में तथा सन् १९३०-३२ के आन्दोलनों में जेल-यात्रा की। तिलक स्वराज्य फंड में सेठजी ने एक लाख रुपया दान दिया था। सन् १९३८-३९ में जयपुर में आपने सत्याग्रह किया और दो बार कैद की सजा मिली। सेवाग्राम में आपकी ही ज़मींदारी पर गान्धीजी का आश्रम है। गान्धीजी और कांग्रेस की आपने अनेक बार यथेष्ट सहायता की। राष्ट्रीय दृष्टि से आपकी ऐसी साख थी कि कांग्रेस का लाखों रुपया आपके यहाँ, कोषाध्यक्ष की हैसियत से, जमा रहता था। फरवरी १९४२ में आपकी हृद्-गति रुक जाने से सहसा मृत्यु होगई।




जयप्रकाश नारायण—भारत के सुप्रसिद्ध कांग्रेस-समाजवादी राजनीतिज्ञ और अग्रणी। आपका जन्म, अब से प्रायः ४१ वर्ष पूर्व, सारन- (बिहार) जिले के सिताबदियारा ग्राम में एक किसान-परिवार में हुआ। आरम्भिक शिक्षा बिहार में प्राप्त की और उसके बाद, सन् १९२२ में, केलीफोर्निया (अमरीका) गये। वहाँ फलों के बगीचों में काम करते थे, जिससे उन्हें १४) रोज मजदूरी मिल जाती थी। इस प्रकार स्वाश्रयी और स्वावलम्बी बन कर शिक्षा ग्रहण की। सन् १९३० तक वहाँ रहे, और पाँच विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की।

गणित, भौतिक-शास्त्र, रसायन-विज्ञान से शुरू किया और वर्षों तक जीव-विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज-विज्ञान तथा अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। सन् १९३१ में, जब भारत में सत्याग्रह-आन्दोलन चल रहा था, वापस आये। कांग्रेस के मजदूर-अन्वेषण-विभाग के अध्यक्ष बनाये

गये। कई मास तक कांग्रेस के स्थानापन्न प्रधान मन्त्री का काम किया। नासिक जेल में श्री मसानी, श्री अच्युत पटवर्द्धन तथा श्री जयप्रकाश नारायण ने भारतीय कांग्रेस-समाजवादी-दल के उद्देश्य तथा नियम बनाये। सन् १९३४ में, पटना में, उन्होने अखिल-भारतीय कांग्रेस-समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किया। इस प्रकार समाजवादी-दल की स्थापना हुई। आप इसके प्रधान मन्त्री बनाये गये। सन् १९३६ में प० जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस-कार्य-समिति में उन्हें सदस्य नियुक्त किया। उन्होने 'समाजवाद ही क्यों ?' नामक एक पुस्तक अंगरेज़ी में लिखी है। विगत रामगढ़-कांग्रेस, मार्च १९४०, से पहले सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वह छूटे ही थे कि सन् '४१ में सरकार ने वाम-पक्षी दल के भारतव्यापी दमन के समय पकड़कर उन्हें देवली में नज़रबन्द कर दिया। सन् '४२ के जुलाई-अगस्त महीनों में सरकार ने साम्यवादियों (कम्युनिस्टो) को देवली आदि जेलों से छोड़ दिया, किन्तु जयप्रकाशजी तथा दूसरे समाजवादी नहीं



छोड़े गये हैं और उनका दमन जारी है।



जयरामदास दौलतराम—कांग्रेस-कार्य-समिति के सदस्य रहे हैं। सिन्ध के कांग्रेसी नेता हैं। जन्म सन् १८७२ में हैदराबाद (सिंध) में हुआ। शिक्षा बी० ए०, एलएल० बी० तक। कराची में वकालत की। सन् १९१७ में होमरूल लीग में काम किया। सन् १९२७ से अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सदस्य रहे। 'भारतवासी' (१९१९), 'हिन्दू' और 'वन्देमातरम्' (१९२१), 'हिन्दुस्तान टाइम्स' (१९२५-२६) में संपादन विभाग में काम किया।

सन् १९२५ से २७ तक हिन्दू महासभा के प्रधान मन्त्री रहे। १९२६ में बम्बई-कौंसिल के सदस्य चुने गये। सत्याग्रह-आन्दोलन १९३०-३२ और १९४० में भाग लिया तथा जेल गये। १९२३ के देशव्यापी दमन में जेल में हैं।

जर्मनी—यूरोप का एक शक्तिशाली राज्य, क्षेत्रफल २,१०,००० वर्ग-मील, जन-संख्या ७,८०,००,००० है। इसमें आस्ट्रिया और मडेनलैण्ड की जन-संख्या शामिल है, परन्तु बोहेमिया, मोराविया तथा अधिकृत पोलैण्ड की जन-संख्या शामिल नहीं है। सन् १९१८ की पराजय के बाद जर्मनी में प्रजातंत्र की स्थापना हुई। इससे पूर्व एकच्छत्र शासन-प्रणाली प्रचलित थी। सन् १९३० में जर्मनी में प्रजातंत्र का हास आरम्भ हुआ और नात्सी दल का बल बढ़ने लगा। १९३३ के जुलाई मास में हिटलर का दौर-दौरा हो गया। इस समय जर्मनी में कोई लिखित शासन-विधान नहीं है। यद्यपि प्रजातंत्रवादी शासन-विधान का विधिवत् अन्त नहीं किया गया है, परन्तु जर्मनी में हिटलर ने एक अलिखित विधान की निम्न प्रकार से रचना की है।

शासन की समस्त सत्ता नात्सी-दल के नेता (Führer) हिटलर में केन्द्रित है। उसकी इच्छा ही कानून है। वह समस्त मंत्रियों तथा उपनेताओं की नियुक्ति करता है। यह मंत्री तथा उपनेता सार्वजनिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा समाज के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए नेताओं की नियुक्ति करते हैं। यह नेतृत्व का सिद्धान्त कहलाता है। चुनाव तथा प्रजातंत्र से नात्सी और हिटलर घृणा करते हैं। हिटलर को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने का अधिकार है। जर्मन पार्लैमेंट (राइखताग—Reichstag) में ८५५ सदस्य हैं। सब नात्सी हैं। यह राइखताग अपना अधिवेशन सिर्फ हिटलर का भाषण सुनने के लिये बुलाती है। किसी भी सदस्य को भाषण करने का अधिकार नहीं है। राइख को कानून बनाने का भी अधिकार नहीं है। कानून सरकार द्वारा बनाये जाते हैं जो अपने नेता हिटलर के प्रति जिम्मेदार है। कोई बजट न पार्लैमेंट के सामने प्रस्तुत किया जाता, न जनता की सूचना के लिये प्रकाशित ही किया जाता है। सरकार मनमाने ढंग से कर लगाती तथा उन्हें वसूल करती है। नागरिकों को सरकारी किसी भी कार्य में कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय समाजवादी अर्थात् नात्सी दल ही

अकेली संस्था है जो सरकार द्वारा स्वीकृत तथा कानूनी है। नात्सी दल का संगठन भी सरकार की तरह है। एक प्रकार से यह दल भी स्थानान्तर सरकार ही है। नात्सी विचारधारा के विरुद्ध कोई बात कहना अपराध है। जर्मनी में कोई भी नागरिक-स्वाधीनता नागरिकों को प्राप्त नहीं है। न अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता है, न भाषण करने या सभा में जाने की। व्यक्तिगत स्वाधीनता तो और भी खतरे में है। आतंकवाद के कारण नागरिकों को हर समय भय का शिकार बने रहना पड़ता है। यहूदियों के खिलाफ कानून प्रचलित हैं। ईसाई-धर्म (चर्च) की वर्तमान सस्था के अधीन और उसके अन्धानुयायी नात्सी नहीं रहना चाहते। प्रोटेस्टेन्टवाद को वह अपने राष्ट्रीय-समाजवादी संगठन के अधीन रखना चाहते हैं। इसी कारण उन्हें गिरजाघरों के प्रति श्रद्धा नहीं है। मज़दूर सघों की मनाई है तथा सब मज़दूरों को 'नात्सी मज़दूर मोर्चे' में शामिल होना ज़रूरी है।

सामान्यतया एक-चौथाई औद्योगिक पैदावार जर्मनी बाहर दूसरे देशों को भेजता था। सन् १९२६ में १३ अरब मार्क (जर्मन सिक्का) का माल विदेशों को गया। सन् १९३३ में केवल ४ अरब मार्क का माल बाहर गया और सन् १९३८ में ५ अरब २ करोड़ मार्क का माल जर्मनी ने विदेशों को भेजा तथा ५ अरब ५ करोड़ मार्क का माल विदेशों से मँगाया। जर्मनी सिर्फ कच्चा माल तथा खाद्य पदार्थ बाहर से मँगाता था। कई साल से जर्मनी में अन्न और कच्चे माल का टोटा रहा है। कोयला जर्मनी में पर्याप्त है। कुछ लोहा उसे बाहर से मँगाना पड़ता है। युद्ध छेड़ देने से जर्मनी के वैदेशिक-व्यापार में लगभग ७० फीसदी की कमी होगई है। जर्मनी का राष्ट्रीय ऋण सन् १९३३ में १२ अरब मार्क और युद्ध शुरू होने के पहले ६० अरब मार्क था। जर्मनी में कच्चे माल का अभाव है। केवल कोयला ही वहाँ पैदा होता है। अन्न भी कम पैदा होता है। नात्सी-जर्मनी का उद्देश, यूरोपियन लेखकों के अनुसार, साम्राज्यवाद और यूरोप तथा संसार पर आधिपत्य स्थापित करना प्रतीत होता है। विगत विश्वयुद्ध की पराजय से जर्मन-जाति की मनोवस्था पर बहुत प्रतिक्रिया हुई है। उनका कहना है कि पिछले महायुद्ध में केवल समाजवादी क्रियाकलाप और नेतृत्व

के अभाव के कारण जर्मनी की पराजय हुई। इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए समस्त सबल विरोधियों को हटाकर नात्सी जर्मन अपनी जाति को लौह अनुशासन में सङ्गठित करके वर्तमान युद्ध द्वारा ससार में 'नवविधान' (World New Order) की रचना करना चाहते हैं।

१९३५ में जर्मनी में सार्वजनिक सैनिक-शिक्षा पुनः जारी की गई। इन दिनों अनुमानतः पचास लाख सेना वहाँ है। यह सेना मुकम्मल तौर पर यान्त्रिक शस्त्रास्त्र से लहैस है, जिसमें कितने ही वख्तरपोश डिवीजन हैं। १५ से ३० हजार तक वायुयान नात्सी-सेना में अनुमान किये जाते हैं। नात्सी युद्ध-कला यन्त्रोपयोग की महत्ता और पचम पक्ति के प्रयोग पर आधारित है।

जर्मन नौ-सेना में २ युद्ध-पोत, ३ छोटे युद्ध-पोत, ६ क्रूज़र, ३१ ध्वसक, ६५ यू-बोट युद्धारम्भ के समय थे। इनके अतिरिक्त कई युद्ध-पोत आदि बन रहे थे। जून १९४१ तक उसकी जलीय हानि की गणना की जाय तो वह इससे बहुत अधिक होती है। लेकिन शायद जर्मनी अपनी इस कमी की पूर्ति जहाँ-कहीं-तहाँ करता जा रहा है। जर्मनी ने ता० १ सितम्बर १९३६ को पोलैण्ड पर आक्रमण कर महायुद्ध छेड़ दिया। उसने पोलैण्ड, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बेलजियम, हालैण्ड, फ्रान्स, चैकोस्लोवाकिया, रूमानिया, यूनान, क्रीट आदि देशों को अधिकृत कर लिया है।

जर्मन-सोवियट-समझौता—२४ अगस्त १९३६ को सोवियट रूस और जर्मनी में अनाक्रमण-समझौता हुआ था, जिसके अनुसार निश्चय हुआ कि जर्मनी और रूस एक दूसरे के देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। यह समझौता १० वर्षों के लिये हुआ था। किन्तु २० जून १९४१ को हिटलर ने इस समझौते की अवहेलना करके रूस पर आक्रमण कर दिया। आज सवा साल से इन दोनों राष्ट्रों में भीषण युद्ध हो रहा है।

ज़मींदारी-प्रथा—भारत के सयुक्त-प्रान्त, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मद्रास तथा देशी राज्यों में जमींदारी प्रथा प्रचलित है। इसके अनुसार जो लोग ज़मीन के स्वामी होते हैं वे किसानों को ज़मीन, पैदावार के लिये, मनमाने लगान पर उठा देते हैं, और किसान से वसूल हुए लगान में से एक निश्चित , मालगुज़ारी की शकल में, सरकार को देते हैं। ज़मींदार लोग खुद काश्त-

कारी नहीं करते। किसानों की कड़ी मिहनत पर पलते और मौज करते हैं। भारत में ज़मींदारी प्रथा का प्रचलन मुग़ल-काल में हुआ और अंगरेज़ी साम्राज्यवाद ने इस प्रथा को यहाँ और भी दृढ़ कर दिया। समाज के सामूहिक हित के मौलिक सिद्धान्तों पर आघात करनेवाली इस प्रथा के विरुद्ध अब भारत में असन्तोष बढ़ रहा है।

जलियाँवाला बाग़—यह अमृतसर (पंजाब) नगर में एक सुविशाल मैदान है जो चारों ओर से मकानों से घिरा हुआ है। इस स्थान में सार्वजनिक सभाएँ होती हैं। सत्याग्रह की प्रतिज्ञा के सम्बन्ध में, समस्त देश के साथ, यहाँ भी ६ अप्रैल १९१९ को एक सभा हुई थी। इस स्थान में प्रवेश करने के लिए एक छोटा-सा द्वार है जिसमें होकर एक गाड़ी भी नहीं निकल सकती। सभा में २०,००० नर-नारी तथा बालक उपस्थित थे। जनरल डायर १०० भारतीय तथा ५० गोरे सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा। मशीनगने भी साथ में थीं। जनरल डायर का वक्तव्य है कि उसने सभा भंग करने के लिए आज्ञा दी और उसके दो तीन मिनट बाद ही गोली चलाने की आज्ञा दे दी। १,६०० गोलियाँ चलाई गईं, और जब गोलियाँ खत्म होगईं तब गोली चलाना बन्द हुआ। ४०० व्यक्ति गोलियों के शिकार होकर वहीं बलिदान होगये तथा एक और दो हज़ार के बीच घायल हुए। इस घटना के बाद पंजाब के कई नगरों और ज़िलों में फ़ौजी शासन (मार्शल-ला) जारी होगया। पंजाब में इन दिनों अन्धाधुन्ध दमन-चक्र चला। इस अमानुषिक हत्याकाण्ड की स्मृति में प्रति वर्ष देश में अप्रैल मास के आरम्भ में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है। सन् '२०-२१ ई० के असहयोग आन्दोलन का एक प्रबल कारण यह हत्याकाण्ड और इसके साथ फ़ौजी शासन-काल में पंजाब में हुए अनेक अत्याचार हैं।

जाकिरहुसैन, डाक्टर—जामिया मिल्लिया इस्लामिया, देहली, के प्रिंसिपल। सन् १८९९ में जन्म हुआ। शिक्षा एम० ए०, पीएच० डी० (जर्मनी)। अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय में रहे। सन् १९२१ में आपने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया और राष्ट्रीय मुसलिम विश्वविद्यालय की स्थापना में सहयोग दिया। सन् १९२३ में जर्मनी

की यात्रा की। सन् १९३७ के अक्टूबर मास में महात्मा गान्धी ने वर्धा में भारत के शिक्षा-सिद्धान्त-विशारदों को आमंत्रित कर एक सम्मेलन किया। इसमें उन्होंने अपनी नवीन शिक्षा की योजना पेश की। इस पर विचार करके बुनियादी (वेसिक) शिक्षा के लिए कार्य-क्रम तैयार करने के निमित्त, डा० जाकिरहुसैन की अध्यक्षता में, एक समिति नियुक्त की गई। आपने जर्मन भाषा में कई ग्रन्थ लिखे हैं। आपकी वर्धा-शिक्षा-योजना-सबधी रिपोर्ट के आधार पर ही, कांग्रेस-सरकारों के युग में, वर्धा-योजना या बुनियादी शिक्षा का प्रचार बम्बई, मध्यप्रान्त, विहार तथा सयुक्त-प्रदेश आदि प्रान्तों में हुआ है।

जार्ज लैन्सवरी—ब्रिटिश मजदूर नेता। २१ फरवरी सन् १८५६ को जन्म हुआ। ग्रेट ईस्टर्न रेलवे में टिकिट चैकर का काम किया। सन् १८८४ में क्वीन्सलैण्ड चले गये। सन् १८८५ में ब्रिटेन लौटे। लन्दन में लकड़ी का व्यवसाय किया। सन् १८९२ तक वह लिबरल रहे। फिर समाजवादी प्रजा-तन्त्र दल में शामिल होगये। सन् १९१० में कॉमन-सभा के सदस्य चुने गये। वहाँ महिला-भताधिकार के प्रबल समर्थक थे। १९१२ में उन्होंने सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। १९१२ में 'डेली हेराल्ड' के संपादक बने। सन् १९२० में उन्होंने सोवियट रूस की यात्रा की। १९२२ में वह फिर कॉमन-सभा के सदस्य चुने गये। सन् १९२४ में उन्हें मजदूर-सरकार में मन्त्री का पद देने के लिये आग्रह किया, परन्तु उन्होंने मन्ज़ूर नहीं किया। सन् १९२५-२७ में 'लेन्सवरीज-लेबर वीकली' नामक निजी साप्ताहिक पत्र निकाला। सन् १९२७-२८ में वह मजदूर दल के अध्यक्ष बनाये गये। ७ मई १९४० को, उनका देहान्त होगया।



जार्ज षष्ठम्—जार्ज पंचम के द्वितीय राजकुमार; ग्रेटब्रिटेन के राजा।

१४ दिसम्बर, १८६५ ई०। नौ-सेना में-भर्ती होकर जटलैण्ड के युद्ध में

भाग लिया। २६ अप्रैल १९२३ को ऐलिजाबैथ के साथ विवाह किया। ज्येष्ठ भ्राता राजा एडवर्ड अष्टम के राज-सिंहासन-त्याग पर, १० दिसम्बर १९३६ को, राज-सिंहासन पर बैठे। १२ मई १९३७ को वैस्टमिन्स्टर ऐबी में राज्याभिषेक समारोह मनाया गया। युद्धकाल में लन्दन पर बराबर होनेवाले हवाई हमलों में, सन् १९४० में, राज-भवन बकिन्घम पैलेस पर जर्मनी के यानो ने बम-वर्षा की। एक बार तो राजा-



रानी एक घातक बम से बाल-बाल बचे। राजा और रानी के दो पुत्रियाँ हैं।

जाति या नस्ल—जर्मन नात्सीवाद का आधार जाति-सिद्धान्त है। हिटलर जर्मन-जाति की, जो उसके दावे के अनुसार आर्य जाति है, विशुद्धता की रक्षा पर सबसे अधिक जोर देता है। उसका यह विश्वास है कि रक्त-सम्मिश्रण से जाति या राष्ट्र का पतन हो जाता है। संसार में आर्य जाति ही सर्वश्रेष्ठ जाति रही है और, हिटलर के अनुसार, श्रेष्ठ जाति का यह कर्तव्य है कि वह संसार की हीन जातियों पर शासन करे। परन्तु सत्य तो यह है कि संसार के इतिहास में ऐसी कोई भी जाति नहीं है जिसने दूसरी जातियों के साथ सम्मिश्रण न किया हो। इसलिये जाति की शुद्धता का दावा एक मिथ्या कल्पना ही नहीं पाखण्ड भी है। वस्तुतः सच तो यह है कि आज संसार में राष्ट्रों का निर्माण जातियों की रक्त-शुद्धता के आधार पर नहीं हो सकता। अमरीकी, बरतानवी, क्या कोई भी राष्ट्र विशुद्ध जातियाँ हैं ?

जापान—जापान-साम्राज्य, मुख्य जापान देश का क्षेत्रफल १,४८,८०० वर्गमील। समुद्र पार के अधीनस्थ देश कोरिया, फारमोसा, दक्षिणी साखालिन का क्षेत्रफल १,१४,६०० वर्गमील। जापान देश की जनसंख्या ७,३०,००,००० तथा इन देशों की ३,००,००,००० है। सन् १९०० से १९२२ तक जापान की ब्रिटेन से मित्रता रही और वह भी इसलिये कि सोवियट रूस के विरुद्ध गुटबन्दी

स्थापित होजाय। अमरीका ब्रिटिश-जापान-मैत्री को पसंद नहीं करता था। इस-लिये सन् १९२२ में यह मित्रता भंग होगई। जापान ने, सैनिक नेतृत्व में, चीन की विजय की योजना बनाई। सबसे पहले उसने मन्चूरिया पर १९३१ ई० में अधिकार जमाया, जो अब मन्चूको कहलाता है। मन्चूरिया में भूमि तो बहुत है, किन्तु जापानियों के लिये वहाँ की जल-वायु अनुकूल नहीं। इसलिये वे वहाँ उपनिवेश नहीं बसा सकते। सिर्फ २,००,००० जापानी मन्चूको में रहते हैं। दक्षिणी चीन, जहाँ आजकल युद्ध हो रहा है, जापानियों के लिये अधिक अनुकूल है, परन्तु उसमें चीनियों की ही अपनी घनी आबादी है।

अतः जापान चीन को अपना उपनिवेश बनाने के लिए नहीं प्रयत्न कच्चे माल तथा तय्यार माल की मंडी के लिये चाहता है। १ करोड़ २१ लाख जापानी उद्योग-धंधा करते हैं, और आबादी का ५० प्रतिशत कृषि। जापान में जमींदारी प्रथा का जोर है। ज़मीन की कमी की वजह से किसान बहुत गरीब हैं। मजदूरी की आर्थिक दशा भी बहुत हीन है, मजदूरी बहुत सस्ती है, इसी कारण पिछले वर्षों जापान ने प्रतियोगिता में अन्य देशों को हराकर सवार के, विशेषकर भारत के, बाजार को सस्ते माल से भर दिया था। तीकोकु-गिकाई (जापानी पार्लमेण्ट) में दो सभाएँ हैं : छोटी सभा (शूगिन) में ४६३ सदस्य हैं जो ४ वर्ष के लिये चुने जाते हैं। बड़ी (किज़ोकिन) में ४११ सदस्य हैं जिनमें १६२ आजीवन सदस्य और शेष ७ वर्ष के लिये चुने जाते हैं। यह सम्पत्ति और सत्ताशालियों की सस्था है। प्रत्येक कानून का दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत होना ज़रूरी है। परन्तु सरकार सम्राट् के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकारी नीति सरकार निर्धारित करती है। तीकोकु-गिकाई की छोटी सभा में दो मुख्य दल थे : देहातो और श्रमजीवी समुदाय का प्रतिनिधि मिन्सीतो, जिसकी संख्या १७६ है। सीयूकाई नामक खेतिहर-दल भी था जिसके प्रतिनिधि १७६ हैं। शकाई तैशूतो नामक समाजवादी (संख्या ३५) दल भी था। कोकूमिन डोमी नामक ११ फासिस्ट और तोहोकाई नामक दल के १२ क्रान्तिकारी सदस्य हैं।

जापान में सार्वजनिक चुनाव ३० अप्रैल १९३७ को हुआ था और १९४० के अगस्त और सितम्बर में सब दलों ने, गवर्नमेण्ट के दबाव से,


अपने अस्तित्व को एकसत्तावादी सरकार में मिला दिया। एशिया में साम्राज्य-विस्तार के सम्बन्ध में सब दल एकमत हैं। जापान का चीन से युद्ध छिड़े, जुलाई १९४२ में पाँच वर्ष हो चुके। इस युद्ध में जापान अब तक, चीनी युद्ध-प्रवक्ताओं के अनुसार, २५ लाख जाने होम चुका है।

जापानी सेना में ५०,००,००० सौखे हुए सैनिक हैं। संसार की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में इसकी गणना की जाती है। चीन-संघर्ष में २०,००,००० सेना संलग्न है। जापानी नौ-सेना का संसार में तीसरा स्थान है। उसके पास युद्धायुध में ६ युद्ध-पोत, १४ भारी युद्ध-पोत, २४ हलके क्रूजर, ११२ ध्वंसक, ६० पनडुब्बियाँ, ६ बम-वर्षकों को ले जानेवाले जहाज़ सन् १९३६ में बताये गये थे। किन्तु तब से तो जापान अपने युद्ध-प्रयत्नों को चुपचाप आशातीत रूप में बढ़ा चुका प्रतीत होता है। अपने युद्ध-प्रयत्नों को गुप्त रूप से बढ़ाने के लिये ही वह लन्दन की नौ सेना-सन्धि में सम्मिलित नहीं हुआ। जापान अब तक बरतानवी साम्राज्य के मलय, हांग्कांग, ब्रह्मा, अन्दमनद्वीप-समूह प्रदेशों तथा सिंगापुर के विख्यात समुद्री अड्डों को जीत चुका है। अमरीकी प्रदेशों में फिलिपाइन्स द्वीप, हवाई तथा हालैण्ड के डच पूर्वी द्वीपसमूह और जावा, सुमात्रा को भी वह हथिया चुका है। प्रशान्त महासागर में, इस प्रकार, जापान बहुत भूमि प्राप्त कर चुका है। आस्ट्रेलिया पर उसने मार्च '४२ में हमले किये थे। सितम्बर १९४२ के दूसरे सप्ताह से प्रशान्त महासागर में, सोलोमन्स आदि द्वीपसमूह पर, अमरीका और ब्रिटेन ने जापान के मुकाबले मोर्चा अड्डा रखा है, वहाँ ज़ोरो की लड़ाई जारी है और मित्र-राष्ट्र जीत रहे हैं। फ्रान्सीसी हिन्द-चीन को भी जापान हड़प चुका और स्याम (थाईलैण्ड) को उसने अपने प्रभाव में ले लिया है। भारत को भी उसकी साम्राज्यवादी लिप्सा का प्रतिक्षण खतरा है।

१८९४-९५ ई० में जापान चीन से लड़ चुका है। १९०५ में रूस को हरा चुका है। पिछले महायुद्ध में मित्रराष्ट्रों की ओर से लड़ चुका है। सन् १९१८ में सोवियट रूस में हस्तक्षेप कर चुका है। १९३१ में मंचूरिया को ले लेने के बाद, १९३७ के जुलाई मास से चीन के साथ उसने फिर युद्ध छेड़ रखा है। यही कारण हैं जिनसे उसके

हौसले बहुत बढ़ गये प्रतीत होते हैं; और चूँकि जापानी एक सामरिक जाति है, जापान आज एशिया का सिरमौर बनने के सुखस्वप्न देख रहा है। (विशेष जानकारी के लिये देखिये—चीन, तोजो, थाईलेड, प्रशान्त महासागर का युद्ध)।

जिन्ना की १४ माँगें—सन् १९३८-३९ के बीच, साम्प्रदायिक समस्या को हल करने के सम्वन्ध में, गांधीजी, सुभास बाबू, पं० जवाहरलाल नेहरू तथा श्री मुहम्मद अली जिन्ना के बीच, समय-समय पर, जो पत्र-व्यवहार हुआ था, उससे यह ज्ञात होता है कि साम्प्रदायिक समझौता होने से पूर्व मुसलिम लीग नीचे लिखी शर्तों की पूर्ति आवश्यक समझती थी:—



(१) मुसलिम-लीग की उन माँगों की स्वीकृति जो सन् १९२९ में निर्धारित की गई थीं।

(२) कांग्रेस न तो साम्प्रदायिक निर्णय (कम्युनल ऐवार्ड) का विरोध करे और न उसे राष्ट्रीयता-विरोधी बतलावे।

(३) सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व शासन-विधान द्वारा निर्धारित कर दिया जाय।

(४) कानून द्वारा मुसलमानों के ज़ाती कानून (Personal Law) और सस्कृति की रक्षा की जाय।

(५) शहीदगज की मसजिद वाले आंदोलन में कांग्रेस भाग न ले और अपने नैतिक प्रभाव से उसके मिलने में मुसलमानों की सहायता करे।

(६) अज़ा, नमाज़ और मुसलमानों की धार्मिक स्वाधीनता के अधिकार में किसी प्रकार की बाधा न डाली जाय।

(७) मुसलमानो को गो-वध की स्वाधीनता रहे ।

(८) प्रान्तो के पुनर्निर्माण में उन प्रदेशो में कोई परिवर्तन न किया जाय जहाँ पर मुसलमान बहुसख्या में हैं ।

(९) 'वन्देमातरम्' राष्ट्रीय गायन का परित्याग किया जाय ।

(१०) मुसलमान लोग उर्दू को भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, अतः उर्दू का न तो प्रयोग कम किया जाय और न उसे किसी प्रकार की क्षति ही पहुँचायी जाय ।

(११) स्थानीय संस्थाओं में मुसलमानो का प्रतिनिधित्व, साम्प्रदायिक निर्णय के आधार पर, हो ।

(१२) तिरंगा झण्डा या तो बदल दिया जाय या मुसलिम लीग के झण्डे को बराबरी का स्थान दिया जाय ।

(१३) मुसलिम लीग को मुसलमानो की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था स्वीकार किया जाय ।

(१४) प्रान्तो में संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाये जायें ।

'पाकिस्तान' की माँग के आगे, कदाचित्, ये माँगें अब व्यर्थ हो गई हैं ।

जिन्ना—देखो 'मुहम्मद अली जिन्ना ।'

जिबूटी—लाल-सागर के पश्चिमी समुद्र-तट पर फ्रान्सीसी शुमालीलैण्ड का एक प्रधान नगर है । यह उपनिवेश उत्तर में इरीट्रिया, दक्षिण में ब्रिटिश शुमालीलैण्ड और पूर्व में अबीसीनिया से घिरा हुआ है । जिबूटी से अबीसीनिया की राजधानी अदीस अबाबा तक रेलवे है, जिसकी मालिक एक फ्रान्सीसी कम्पनी है । जिबूटी अबीसीनिया का समुद्री निकास भी है । इसीलिये इटली फ्रान्सीसी अधिकार को इस देश से निकाल देना चाहता है ।

जी० पी० यू०—यह सोवियट रूस की गुप्त राजनीतिक पुलिस का सक्षित नाम है । सन् १९१७ के बाद ही इसका संगठन, साम्यवाद-विरोधियों के दमन के लिए, किया गया है ।

जोग, प्रथम—मार्च १९३९ तक अलवानिया का राजा, असली नाम अहमद जोग् । ८ अक्टूबर १८९५ को जोगोली के सम्पन्न मुस्लिम वंश में जन्म हुआ । विश्व-युद्ध में आस्ट्रिया की ओर से लड़ाई में भाग लिया । सन् १९२०


मे अलबानिया के स्वराष्ट्र-विभाग का मंत्री बना और १९२२ में प्रधान मंत्री। त्यागपत्र देना पड़ा तथा सन् १९२४ में यूगोस्लाविया भाग जाना पड़ा। सन् १९२५ में अलबानिया वापस आया। अपने प्रतिद्वन्द्वी विशप फाननोर्ली को हटाकर स्वयं राष्ट्रपति और सन् १९२८ में बादशाह बन गया। नरमी के साथ देश में सुधार करने शुरू किये। जोग के मुगोलिनी का पत्नपानी होने और इटली के उक्त तानाशाह का कुछ ही दिन पहले जोग के नवजात पुत्र का धर्मपिता बनने के वाचजूद मार्च १९३६ में इटली की सेना ने यकायक अलबानिया पर आक्रमण करके देश पर जत्र कब्जा कर लिया तो जोग सपरिवार विदेश को भाग गया और इस समय वह ईंग्लैण्ड में शरण लिये हुए हैं।

ट

टंगानिका—अफ्रीका का एक प्रदेश, जो पहले जर्मन उपनिवेश था। सन् १९१८ के बाद से, राष्ट्र-संघ की शासनादेश (Mandate) प्रणाली के अन्तर्गत, ब्रिटेन के सरक्षण में आ गया। इसका क्षेत्रफल ३,६६,००० वर्गमील तथा जनसंख्या ५१,००,००० है, जिसमें ६,००० यूरोपियन हैं। यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है। यहाँ कद्वा, तम्बाकू, रुई आदि पैदा होती हैं। मोने तथा हीरे की खाने भी हैं। यहाँ भारतवासी भी बसे हुए हैं।

टंडन, पुरुषोत्तमदास—सयुक्तप्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के अध्यक्ष (स्पीकर) हैं। प्रारम्भिक जीवन में वकालत-व्यवसाय करते रहे। परन्तु सार्वजनिक कार्यों तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में, सन् १९१७ के होमरूल-युग से ही, सलग्न हो जाने के कारण आपको वकालत का परित्याग कर देना पड़ा। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सस्थापकों में आप मुख्य हैं तथा उसके वर्तमान

कर्णधार भी। सम्मेलन ने जो उन्नति की है, उसका बहुत-कुछ श्रेय आपको ही है। आप विशुद्ध हिन्दी के समर्थक हैं। हिन्दोस्तानी को हिन्दी के लिए अहितकर मानते हैं। हिन्दी-क्षेत्र और राष्ट्रीय प्रगति में आपकी सेवाये मूल्यवान हैं। आप पुराने नेता और कार्यकर्ता हैं। आप विधान के विशेषज्ञ हैं तथा प्रत्येक ऐसे प्रश्न पर, जिसका विधान से संबंध है, बड़ी गभीरता से विचार करते हैं। आपकी चहुँमुखी सेवाये अमूल्य हैं। 'जन-सेवक-समिति' के आप प्रधान हैं। देश-व्यापी दमन के कारण आप भी अगस्त १९४२ से जेल में हैं।



टामस मैन—प्रसिद्ध जर्मन उपन्यासकार।

सन् १८७५ में जन्म हुआ। नोबल-पुरस्कार प्राप्त किया। बुडेन ब्रुक्स, दि मैजिक माउटेन, जोसफ इन ईजिप्ट, आदि उपन्यास लिखे। यह पक्के प्रजातन्त्रवादी हैं। इसलिये सन् १९३३ के बाद उन्हें जर्मनी से निर्वासित होना पड़ा। उनकी पुस्तकों की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई तथा उन्हें जर्मन नागरिकता से वंचित कर दिया गया। फ्रान्स में वह बस गये और वहाँ नात्सीवाद के खिलाफ साहित्य-रचना की। सन् १९३८ में वह संयुक्त-राज्य अमरीका चले गये। टामस मैन अपने युग के सबसे महान् जर्मन लेखक माने जाते हैं।

टारपीडो—यह समुद्र के गर्भ में चलनेवाला आक्रमण करने का शस्त्र है, जिसमें विस्फोटक द्रव्य आदि भरे रहते हैं। जब यह किसी जलयान में टकरा मारता है तो वह विस्फोटक पदार्थ उस जलयान के पेट में छेद कर देता है और फलतः जहाज पानी भरने में डूब जाता है।

टारपीडो-बोट—यह एक छोटा बुद्ध-पोत है जो अपने साथ टारपीडो ले जाता है और उसके द्वारा शत्रु-पोत पर हमला करता है। इसकी चाल बहुत तेज़ होती है।

टारपीडो-बोट-विध्वंसक—यह एक बड़ा और शक्तिशाली अस्त्र

है, जो समुद्र के भीतर चलता और टारपीडो-बोट को विनष्ट कर देता है।

ट्रात्स्की, लियो देविदोविच—प्रमुख क्रान्तिकारी रूसी नेता। जन्म १८७७ ई०। ट्रात्स्की एक यहूदी किसान का पुत्र था। क्रीफ विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उसका असली नाम ब्रान्स्टीन था, परन्तु उसने ट्रात्स्की नाम रख लिया और क्रान्तिकारी दल में शामिल हो गया। सन् १८९८ में ज़ारशाही ने उसे साइबेरिया में निर्वासित कर दिया। सन् १९०२ में ट्रात्स्की नाम से पासपोर्ट प्राप्त कर लिया और इंग्लैण्ड को भाग गया। वहाँ उनकी दो क्रान्तिकारियों, प्लेखानोव तथा लैनिन, से भेट हुई, जो रूस की ज़ारशाही का खात्मा करने की युक्ति सोच रहे थे। सन् १९०५ में वह रूस वापस आया। जब वह सेटपीटर्सबर्ग की एक मजदूर-सभा में अध्यक्ष के पद से सभा-संचालन कर रहा था, तब उसे पुनः गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया गया। सन् १९०५ से १९१४ तक उसने यूरोप के प्रत्येक देश में क्रान्तिकारी दल का संगठन किया। जब पिछला विश्वयुद्ध छिड़ा तब वह जर्मनी में था। उसने वहाँ युद्ध के कारणों पर एक पुस्तक लिखी, जिसमें कैसर-सरकार की कड़ी आलोचना की। उसे गिरफ्तार किया गया और ८ मास की कैद की सज़ा दी गई। रिहा होकर वह फ्रान्स गया। फ्रान्स से भी उसका निर्वासन हुआ। फ्रान्स के बाद उसने स्पेन जाना तय किया, किन्तु कामयाबी न मिली। सन् १९१६ में वह कनाडा में नज़रबन्द रहा और वहाँ उसने 'न्यू वर्ल्ड' (नई दुनिया) का सम्पादन किया। जब रूस में सन् १९१७ के मार्च मास में क्रान्ति हुई, तब उसे स्वदेश वापस लौटने की आज्ञा मिली, किन्तु हैलीफैक्स में ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और वह तब रिहा किया गया जब रूस की अस्थायी सरकार ने उसकी रिहाई के लिए कहा। अपने प्रवास-काल में लैनिन से उसका निरन्तर सम्बन्ध बना रहा। जुलाई १९१७ में उसने लैनिन की बोल्शेविक पार्टी में शामिल होना स्वीकार किया। अक्टूबर १९१७ में रूस में जो सफल और व्यापक राज्य-क्रान्ति हुई, उसमें लैनिन के बाद ट्रात्स्की ने सबसे अधिक भाग लिया। इसी क्रान्ति में ज़ारशाही का पतन और क्रान्तिकारियों की विजय हुई। क्रान्ति के बाद वह सोवियट रूस के वैदेशिक विभाग का मंत्री नियुक्त

क्रिया गया। इसके बाद युद्ध-मंत्री बनाया गया। उसने लाल सेना का संगठन किया। सन् १९२३ तक साम्यवादी-दल के दूसरे नेताओं का, जिनमें साम्यवादी दल (Communist Party) का मन्त्री स्तालीन मुख्य था, ट्रात्स्की से बहुत गहरा मतभेद हो गया। यद्यपि रूसी क्रान्ति के दो ही नेता—लैनिन और ट्रात्स्की—संसार में प्रसिद्ध थे, किन्तु साम्यवादी-दल में उसका कोई प्रभाव नहीं था क्योंकि उसने सन् १९१७ में ही इस दल की सदस्यता स्वीकार की थी। स्तालीन ने उस पर दोषारोप किये और १९२४ ई० में, लैनिन की मृत्यु के बाद, ट्रात्स्की को उसने नेतृत्व से निकाल ही दिया। उसे युद्ध-मन्त्रित्व-त्याग के लिये बाध्य किया गया। सन् १९२५ में उसने त्यागपत्र दे दिया। उसे काकेशस में निर्वासित कर दिया गया। सन् १९२७ में उसे फिर बुला लिया गया, पर उसका पक्ष बढ़ते देख ट्रात्स्की को साम्यवादी-दल से पृथक् करके बाद में उसको रूस से भी निर्वासित कर दिया गया। वह टर्की में जाकर रहा। १९३४ में फ्रान्स चला गया और बाद में १९३६ तक नार्वे में टिका रहा। रूसी सरकार ने ट्रात्स्की के निष्कासन के लिये नार्वे पर दबाव डाला। अन्त में वह मैक्सिको चला गया। यही एक देश था जो उसे रख लेने पर राजी हुआ। अन्त समय तक ट्रात्स्की वहीं रहा और निरन्तर स्तालीन की नीति को समाजवाद (Communism) के सिद्धान्तों के विपरीत बताता रहा। लैनिन के बाद सबसे विद्वान तथा योग्य रूसी नेता ट्रात्स्की ही था। १९३८ में उसने रूसी साम्यवादी शासन-सत्ता के विरोध में 'The Revolution Betrayed' (क्रान्ति के प्रति



विश्वासघात) लिखी, जिसमें उसने केवल रूस तक सीमित स्तालीन के राष्ट्रीय साम्यवाद की कड़ी आलोचना करते हुए अपने अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद और ससार-व्यापी क्रान्ति की विचारधारा की पुष्टि की है। यह वास्तव में एक दुःखद प्रसंग है कि ट्रात्स्की अपने सहयोगियों तथा जनता का, लनिन की भाँति, विश्वास-पात्र न बन सका। जब वह रुग्णावस्था में मोटर में बैठकर अस्पताल जा रहा था, तब मार्ग में, २१ अगस्त १९४० को, फ्रांक जैक्सन नामक एक यहूदी ने उसके मिर पर हथौड़े मारकर उसकी हत्या कर दी।


टाइरोल—पिछली लडाई के बाद, सन् १९१६ में, आस्ट्रिया का यह दक्षिणी प्रदेश इटली ने अपने राज्य में मिला लिया। इसमें इटालियन और जर्मन दोनों रहते हैं। व्रेनर दर्रे के कारण इटली इसे अपने अधिकार में रखना चाहता है। यहाँ के प्रवासी जर्मनों ने जर्मनी की सहायता से अपना छुटकारा चाहा, किन्तु हिटलर ने यह देश दोस्ताने में इटली को छोड़ दिया। फिर भी इटली ने अगस्त १९३६ में यहाँ जर्मनों को यह सुयोग दिया कि वे १९४२ के अन्त तक जर्मनी चले जायँ। इस पर १,८५,००० जर्मनों ने चले जाना तय किया। ८२,००० वहीं रहेंगे।

ड

डन्कर्क—डोवर जल-डमरूमध्य में, फ्रांस के समुद्री तट पर, यह फ्रांस का बन्दरगाह है। २८ मई १९४० को जब बेलजियम के बादशाह ने जर्मनी के सम्मुख आत्म-समर्पण कर दिया, तब जर्मन लोगो ने डन्कर्क से होकर फ्रांस काक्रम किया। डन्कर्क में ब्रिटेन तथा फ्रांस की सर्वोत्तम सेनाएँ थी।

जर्मन-सेनाओं ने अचानक बड़े वेग से उन्हें चारों ओर से घेर लिया। ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सैनिकों ने बड़ी वीरता से मुकाबला किया, किन्तु जर्मन सेना ने ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेना का पेरिस तथा अन्य स्थानों की सेनाओं से पृथक्करण कर दिया। इससे उनकी सहायता के लिए न तो रसद पहुँच सकी और न कुमुक ही भेजी जा सकी।

जर्मन सेना के आठ-नौ डिवीज़नों ने (प्रत्येक डिवीज़न में ४०० विविध प्रकार की बख्तरदार गाड़ियों तथा यान्त्रिक सैन्य थी) एकदम पीछे से ब्रिटिश फौज पर हमला किया। इसमें ३०,००० ब्रिटिश सैनिक मारे गये और ३,३५,००० सैनिक जहाज़ों में बिठाकर ब्रिटेन वापस लाये गये। ५०,००० जर्मन सैनिक मारे गये। परन्तु इसमें फ्रांस की शक्ति का भारी नाश हुआ। जिस मैजिनो किलेबन्दी पर फ्रांस को अपार गर्व था, वह व्यर्थ सिद्ध हुई। ३-४ जून १९४० तक सब ब्रिटिश सेना डन्कर्क से वापस ब्रिटेन चली गई। ४ जून १९४० को मि० विन्स्टन चर्चिल ने पार्लमेण्ट में भाषण देते हुए कहा—“हमारी सेना तथा जनता के सुरक्षित रूप से बच आने पर कृतज्ञता-प्रकाशन करते हुए हमें यह तथ्य विस्मृत न कर देना चाहिए कि फ्रांस तथा बेलजियम में जो कुछ घटित हुआ है, वह महान् सैनिक सफ़ा है। फ्रांस की सेना



कमजोर हो गई है, वेलजियम की सेना नष्टप्राय हो चुकी है। फ्रांस की वह किले-बन्दी, जिस पर इतना भारी विश्वास था, नष्ट हो चुकी है। बहुत-सी खाने तथा कारखाने शत्रु के हाथ में पड़ गये हैं।”

इस घटना के बाद ही ब्रिटेन ने आक्रमक युद्ध आरम्भ किया। अब तक वह रक्षात्मक युद्ध करता आ रहा था।

डाउनिङ्ग स्ट्रीट—लन्दन के इस हलके में ब्रिटिश प्रधान-मंत्री का निवास-भवन (मकान न० १०) और अर्थ-मंत्री का मकान (नं० ११) तथा वैदेशिक-मंत्री के भवन हैं।

डायर—जनरल डायर, जिसने ६ अप्रैल १९१६ को जलियाँवाला बाग में २०,००० की सार्वजनिक सभा पर अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलाने की आज्ञा दी थी।

डायरशाही—डायर के जैसे अत्यन्त अविचारपूर्ण अत्याचारों का पर्याय-वाची शब्द बन गया है।

डी वेलरा—प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, नेता और आयरिश स्वतंत्र राज्य के प्रधान मंत्री। १४ अक्टूबर १८८२ को न्यूयार्क में जन्म हुआ। इनकी माता आयरिश तथा पिता प्रवासी स्पेनिश थे। अपने बाल्यकाल में ही डी वेलरा आयरलैंड भेज दिये गये। १९०४ में डबलिन विश्वविद्यालय से गणित में बी० ए० पास किया। ग्रैजुएट होकर वह अध्यापक बन गये। राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया। १९१६ में डबलिन में ईस्टर सप्ताह के विद्रोह में शामिल हो गये। वह एक विद्रोही दल के नेता थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा प्राणदण्ड की सजा सुना दी गई। यह सजा बाद में आज़न्म कैद में बदल दी गई। परन्तु जून १९१७ में उन्हें क्षमा-दान मिल गया। फिर उन्होंने नई शिनफीन प्रवृत्ति का नेतृत्व किया। मई १९१८ में उन्हें फिर एक साल की कैद की सजा दी गई। बाद में वह आयरिश प्रजातंत्र के राष्ट्रपति चुने गये। जब १९२१ में ब्रिटिश-आयरिश संधि हुई तब डी वेलरा ने पूर्ण आयरिश स्वाधीनता पर ज़ोर दिया। उन्होंने इस संधि को अस्वीकार कर दिया। संधि के अनुसार आयरिश स्वतंत्र उपनिवेश राज्य (Dominion) की स्थापना की गई। संधि से पूर्व जो प्रथम गृहयुद्ध आयरलैंड में हुआ उसमें डी वेलरा ने कोई भाग नहीं लिया। इसी प्रकार संधि के बाद जो गृहयुद्ध हुआ उसमें भी कोई भाग

नहीं लिया। सन् १९२३ में उन्हें गिरफ्तार किया गया और १९२४ में रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने प्रजातंत्रवादियों का नेतृत्व किया और स्वतंत्र आयरिश राज्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सन् १९२५ में 'आयर-लैण्ड के सैनिक' (फियन्नाफेल) दल का संगठन किया। आयरिश स्वतंत्र पार्लामेंट के साथ सहयोग किया और पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया। सन् १९२७ में आयरिश स्वतंत्र पार्लामेंट के सदस्य चुने गये। सन् १९३२ में उनके फियन्नाफेल दल का बहुमत होने पर वह प्रधान मंत्री बन गये। उन्होंने ब्रिटेन से संबंध-विच्छेद करने पर बराबर जोर दिया। डी वेलरा यद्यपि गरम दल के नेता हैं, परन्तु वह समाजवादी नहीं हैं। वह स्वाधीनता के समर्थक हैं तथा उत्तरी (अल्स्टर) और दक्षिणी (आयर) प्रदेशों के संयुक्त करने के पक्ष में हैं। वर्तमान यूरोपीय युद्ध में आयर (आयरिश दक्षिणी स्वतंत्र राज्य) तटस्थ है। डी वेलरा का यह मत है कि आयर स्वतंत्र राज्य की सुरक्षा और हित इसी में है कि वह युद्ध में भाग न ले, वह एक



छोटा-सा देश है। पर मई १९४० से देश-रक्षा की योजना की जा रही है।

डेनमार्क—क्षेत्रफल १६,५०० वर्ग-मील और जनसंख्या ३८,००,०००। इसकी राजधानी कोपनहेगन है। राजा क्रिश्चियन दशम है। सन् १८७० में उसका जन्म हुआ तथा सन् १९१२ में वह राज-सिंहासन पर बैठा। यह देश सदैव से तटस्थ रहा है। यह कृषि-प्रधान देश है, जिसमें गोरस-व्यवसाय (डेरी फार्मिंग) मुख्य है। यहाँ से कृषि-पैदावार जर्मनी और

ब्रिटेन जाती थी। सन् १९२४ में यहाँ समाजवादी सरकार थी और उसने इसे निःशस्त्र बना दिया। पर पिछले कुछ सालों में देश-रक्षा के लिये थोड़ा प्रयत्न किया गया है। ८ अप्रैल १९४० की रात को जर्मन-सेनाओं ने डेनमार्क पर आक्रमण किया। डेनमार्क की सरकार ने प्रतिवादपूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया। यद्यपि डेनमार्क तटस्थ था, फिर भी जर्मनों ने हमला करके उसे अपने अधीन कर लिया। सिर्फ दो कारणों से ऐसा किया गया—एक तो नार्वे पर आक्रमण करने के लिये जर्मनी इस देश को अपना हवाई अड्डा बनाना चाहता था, दूसरे डेनमार्क की कृषि-मैदावार से भी वह फायदा उठाना चाहता था।

डेल आइरीन—आयरिश स्वतंत्र राज्य की पार्लियामेंट की द्वितीय परिषद्।

त

तटस्थता—राष्ट्रों में परस्पर युद्ध होने पर उसमें भाग न लेने की स्थिति। अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार तटस्थ देश को युद्ध में किसी प्रकार भी भाग न लेना चाहिये। उसे किसी भी विग्रही राष्ट्र के सैन्य-सङ्गठन में न बाधा डालनी चाहिये और न सहायता ही देनी चाहिये। यदि उसकी तटस्थता में कोई बाधा डाली जाय तो उसे आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। जो विग्रही देश तटस्थ देश की तटस्थता को भंग करने के लिए हवाई यानों अथवा नौसेना का प्रयोग करे, उसके विरुद्ध बलप्रयोग का उसे पूरा अधिकार है। तटस्थ देश में होकर विग्रही राष्ट्र की सेना को न मार्ग दिया जा सकता। उस देश के प्रदेश में हवाई सेना या नौसेना के अड्डे ही बन सकते हैं,

और न उस देश में विग्रही राष्ट्रों के लिए सैनिकों की भर्ती ही की जा सकती है। विग्रही राष्ट्रों के युद्ध-पोत तटस्थ राष्ट्रों के बन्दरगाहों में २४ घंटे तक ही ठहर सकते हैं। वे ऐसे बन्दरगाहों में अपने युद्ध-पोतों की मामूली मरम्मत कर सकते हैं तथा भोजन-सामग्री आदि ले सकते हैं। तटस्थ देश के बन्दरगाह पर ठहरे हुए विग्रही राष्ट्रों के युद्धपोत में यदि युद्धबन्दी पाये जायें तो उन्हें मुक्त किया जा सकता है। तटस्थ राष्ट्र विग्रही राष्ट्रों के साथ व्यापार कर सकते और उन्हें युद्ध-सामग्री भेज सकते हैं।

तटस्थता कानून, १९३६—सयुक्त-राज्य अमरीका ने यह कानून ४ नवम्बर १९३६ को स्वीकार किया था। इसका आशय यह था कि जैसे ही राष्ट्रपति यह घोषणा कर देगे कि अमुक देश विग्रही है, वैसे ही उन देशों को अमरीकन अस्त्र-शस्त्र, युद्ध-सामग्री तथा अन्य वस्तुएँ नक़द मूल्य पर बेची जा सकेगी। सयुक्त-राज्य अमरीका में कोई व्यक्ति किसी विग्रही देश की सरकार के द्वारा युद्ध के बाद जारी किये गये ऋण-पत्रों को न खरीद सकेगा और न रुपया ही उधार दे सकेगा। हाँ, व्यापारिक मामलों में ऐसा किया जा सकेगा। अमरीकन जहाज़ों द्वारा विग्रही देशों के लिए कोई रसद न भेजी जा सकेगी। विग्रही राष्ट्रों को स्वयं अपने जहाज़ों में माल मँगाना होगा। अमरीकन जहाज़ों को युद्ध-क्षेत्र में नहीं जाना होगा। किंतु दिसम्बर १९४१ में वर्तमान युद्ध में अमरीका के शामिल होते ही यह कानून अपने आप बंकार हो गया। अमरीका अब हथियार तथा अन्य युद्ध-सामग्री केवल मित्र देशों—ब्रिटेन, रूस और चीन—को दे रहा है। सन् '४० के शुरु तक ब्रिटेन, फ्रान्स, बेल्जियम, हालैंड, जर्मनी तथा स्केन्डिनेविया के समुद्र-तट युद्ध-क्षेत्र घोषित किये जा चुके थे, और अब स्वयं अमरीका के विग्रही देश बन जाने से उसका समुद्र-तट भी युद्ध-क्षेत्र घोषित हो चुका है।

तटस्थ-क्षेत्र (अमरीकन)—३ अक्टूबर १९३६ को अमरीका के २१ प्रजातंत्र राज्यों के एक सम्मेलन में तटस्थ-क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई। यह सीमा समस्त अमरीका (कनाडा को छोड़कर) के चारों ओर ३०० मील तक और कहीं-कहीं ६०० मील तक निर्धारित है। यह निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र में युद्ध-संबंधी कोई काम न किया जा सकेगा। उद्धरण

क्षेत्र में अंगरेजों के जहाजों ने जर्मन जहाजों को डुबोया, तब विशेषज्ञों ने सब प्रजातंत्रों से यह सिफारिश की कि विग्रही राष्ट्रों के जो जहाज अमरीकन बन्दरगाहों पर आवेंगे उन्हें नज़रबन्द कर लिया जायगा। ब्रिटेन ने इस तटस्थ-क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय विधान के विरुद्ध बतलाकर इसका विरोध किया। अमरीका के युद्ध में शामिल होते ही यह क्षेत्र अत्र रक्षा-क्षेत्र बन गया है।

तटावरोध—समुद्र द्वारा शत्रु के जहाजों तथा रसद के भेजे जाने में बाधा डालना। तटावरोध शत्रु-राज्य के तट पर ही किया जा सकता है, तटस्थ देशों के समुद्र-तट पर नहीं। अतः शत्रु तटस्थ राष्ट्रों से माल भेगवा सकता है। यही कारण है कि इस युद्ध में तटावरोध की घोषणा नहीं की गई है। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार विग्रही राज्य को यह अधिकार है कि वह उस रसद को रोक सकता है जो शत्रु-देश को पहुँचाई जा रही हो, फिर चाहे जहाज तटस्थ देशों के बन्दरगाहों में होकर ही क्यों न जाय।

तिब्बत—क्षेत्रफल ४,६३,००० वर्गमील, जनसंख्या ६०,००,०००। राजधानी लासा। इस देश का शासक ढलाई-लामा है। आवादी का पाँचवाँ



भाग लामा (बौद्ध भिक्षुओं) का है। सन् १९१२ तक तिब्बत चीनी नियंत्रण में था। तब से यह स्वाधीन देश है। यहाँ विदेशी लोग कम जाते हैं। यह भारत के उत्तर-पूर्व में हिमालय की गोद में स्थित है।

तिमोशेंको, मार्शल—मार्शल तिमोशेंको की आयु ४६ वर्ष की है। समय वह सोवियट रूस के सेना-विभाग के मंत्री (People's

Commissar for Defence) हैं । उन्होने अपनी सैनिक योग्यता से ही यह उच्च तथा उत्तरदायित्वपूर्ण पद प्राप्त किया है । जब आप नवयुवक थे तब आपको प्लेटून चुना गया । तदनन्तर कालेसागर के घुडसवार रिसाले के आप नायक बनाए गए । तब से आपने उत्तरी काकेशस, खारकोफ् और कीफ् के रणक्षेत्रों का संचालन बड़ी योग्यता के साथ किया है । सन् १९३६ में वह लाल सेना को लेकर पूर्वीय पोलैण्ड गये और बाद को फिनलैण्ड के युद्ध में सफलता प्राप्त की । फिनलैण्ड की मेनरहीम दुर्गपंक्ति को वेधने में सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में आपको मार्शल की पदवी प्रदान की गई । मार्शल ऐस० बुदेनी मार्शल तिमोशेको के सहकारी हैं । ऐस० कुशनेजोव् लाल जल-सेना के प्रधान सेनापति हैं । वोरिस शापो शिनीकोव् सोवियट स्टाफ् के चीफ हैं ।



तिलक, लोकमान्य बाल (बलवन्तराव) गङ्गाधर—कोकण (महाराष्ट्र) के रत्नगिरि ज़िले के एक ग्राम में चित्पावन ब्राह्मण-कुल में २३ जुलाई सन् १८५६ को जन्म हुआ । १८७६ ई० में प्रथम श्रेणी में बी० ए० (अनर्स) पास हुए और १८७६ में बंबई से उन्होने कानून की परीक्षा पास की । १८८० में तिलक तथा श्री चिपलूणकर शास्त्री ने न्यू इंगलिश स्कूल की स्थापना की और १८८४ में उन्हीं के प्रयत्न से दक्षिण-शिक्षा-समिति की प्रस्थापना हुई । इसी समिति की ओर से जब फर्गुसन कालेज की स्थापना की गई तो लोकमान्य ने उसे अपनी अध्यापकीय सेवाएँ अर्पित की । पर कुछ दिन बाद आपने इस संस्था से सम्बन्ध तोड़ लिया । सन् १८८१ में, लोकमान्य तिलक तथा उनके सहयोगी श्री आगरकर ने मराठी में 'केसरी' तथा अँगरेज़ी में 'मराठा' पत्रों को जन्म दिया और स्वयं उनके संपादक बने । तिलक की ओजस्विनी विचारधारा जनता में जीवन और जागरण उत्पन्न करने लगी । इसी उद्देश्य से तिलक ने गणपति-उत्सव और शिवाजी-उत्सव आरम्भ किए । १८९५ में

वह ब्रह्म-धारासभा के सदस्य चुने गए। दो वर्ष बाद पूने में प्लेग महामारी फूट पड़ी। प्लेग से रक्षा के लिए सरकार ने बड़ी कड़ाई के साथ स्वास्थ्य-सबधी नियमों के पालन पर जोर दिया और इसकी व्यवस्था का भार गौरे सैनिकों के हाथों में सौंप दिया। सैनिक जनता को हर प्रकार से तंग करने लगे। इन्हीं दिनों दामोदर हरि चापेकर नामक एक व्यक्ति ने प्लेग-समिति के अव्यक्त मि० रैण्ड की हत्या कर दी और लेफ्टिनेन्ट आयर्रेट नामक एक अफसर भी मार दिया गया। ऐंग्लो-इंडियन समुदाय और उनके पत्रों ने गुहार मचानी आरम्भ की और शासकों द्वारा आतंक की वृद्धि हुई। लोकमान्य तिलक ने अपने किसी लेख में शिवाजी द्वारा अफजलखॉ के बच को नीतिविहित सिद्ध किया था। आवाज उठने लगी कि तिलक राजनीतिक हत्याओं को उत्तेजना देते हैं। इससे समस्त देश में बड़ी सनसनी फैल गई। तब 'केसरी' में प्रकाशित कुछ लेखों के कारण लोकमान्य पर राजद्रोह का मुकद्दमा चला और उन्हें १८ मास कैद की सज़ा दी गई। इस जेल-जीवन में लोकमान्य ने वेदों में खोज करके 'ओरायन' नामक ससार-प्रसिद्ध ग्रन्थ की अंगरेजी में रचना की। प्रसिद्ध योरपीय विद्वान् प्रो० मैक्समूलर इससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महारानी विक्टोरिया को लिखा और लोकमान्य ६ मास पूर्व जेल से छोड़ दिये गये। लोकमान्य प्रथम बार १८६० में कांग्रेस में शामिल हुए थे। फिर जब १८६५ में पूना में अधिवेशन हुआ तो आपको स्वागत-समिति का मन्त्री बनाया गया। कांग्रेस में तब माडरेट लोगों का ही बोलबाला था। पर लोकमान्य कांग्रेस को तीन दिन के तमाशे के बजाय निरन्तर कार्यशील और जागरूक सस्था बनाना चाहते थे। १६०५ में जब लार्ड कर्जन ने बंगाल के दो टुकड़े कर दिए और फलतः उसके विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन उठा तो तिलक ने पैसा-फंड खोला और आन्दोलन के सचालनार्थ लाखों रुपये इकट्ठा हो गये। सन् १६०७ में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में तिलक के गरम दल और रासबिहारी घोष तथा सुरेन्द्रनाथ आदि के नरम दल के बीच जोरो का संघर्ष हुआ और फलतः कांग्रेस पर कुछ वर्षों के लिए माडरेटों का आधिपत्य और भी प्रबल हो गया। 'केसरी' के कुछ लेखों के कारण लोकमान्य को २४


जून सन् १९०८ को दफ्ता १२४ ए० (राजद्रोह) और १५३ ए० (जातिगत-विद्वेष) के अभियोग में गिरफ्तार किया गया और उनकी ५३वीं वर्षगाँठ से एक दिन पूर्व, ६ वर्ष के लिए निर्वासन और १०००) जुर्माना का दण्ड दिया गया। सुकदमे के दौरान में उन्होंने जो बयान दिया वह बहुत मार्मिक था। लोकमान्य ने कहा:—‘मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि यद्यपि जूरी ने मुझे अपराधी ठहराया है, किन्तु मैं बलपूर्वक कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। विश्व में एक महती शक्ति भी है जो भौतिक जगत् का सूत्र-संचालन करती है, और सम्भवतः विधाता का ऐसा ही विधान हो कि वह उद्देश, जिसका मैं प्रति-निधित्व करता हूँ, मेरे स्वतन्त्र रहने की अपेक्षा मेरे कष्ट-सहन द्वारा अधिकाधिक फलीभूत होगा।’ लोकमान्य माडले (ब्रह्मा) के क्लिमे में एक लकड़ी के बने कठघरे में बन्दी बनाकर रखे गये। इस बन्दीगृह में उन्होंने कठिन यातनाएँ भोगी। परन्तु कर्मयोगी तिलक ने इन यातनाओं की तनिक भी चिन्ता न कर अपना समय स्वाध्याय और चिन्तन में बिताया। अपना सबसे लोकप्रिय तथा सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “गीतारहस्य” उन्होंने इसी बन्दीगृह में लिखा। जून १९१४ में वह रिहा हुए।

२३ अप्रैल १९१६ को उन्होंने पूना में होमरूल-लीग की स्थापना की। सूरत के बाद सन् '१६ के लखनऊ अधिवेशन में लोकमान्य पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हुए। १९०७ से बिछुड़े हुए कांग्रेस के दोनो दल एक हुए, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के लिए कांग्रेस-लीग योजना स्वीकृत हुई; स्वराज्य की योजना बनी। इन सबमें, विशेषकर, साम्प्रदायिक-योजना के निपटारे में लोकमान्य का बहुत हाथ था। वास्तव में भारत में राष्ट्रीयता का क्षेत्र तैयार करके बीज वपन करने का समस्त श्रेय लोकमान्य को है। “स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेगे”—यह मूलमन्त्र करोड़ों भारतीयों को उन्होंने ही पढाया। राष्ट्रीय-भावना को वह सबल अकुरित रूप में छोड़ गये।

लोकमान्य राजनीतिक अग्रणी ही नहीं, समाज-सुधारक और ज्योतिष तथा आयुर्वेद के विद्वान् भी थे। वर्णव्यवस्था के वर्तमान रूप को उन्होंने वेद-विरुद्ध ठहराया था। वह जात-पाँत के विरोधी थे।

सर वेलंटैन शिरोल ने अपनी ‘भारत में अशान्ति’ (Unrest in

India) नामक पुस्तक में लिखा कि तिलक राजद्रोही हैं और वह भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना चाहते हैं । इस पर लोकमान्य तिलक



ने लन्दन जाकर शिगेल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा चलाया । पर इस मुकदमे में तिलक की विजय न हो सकी ।


पहली अगस्त १९२० को असहयोग आन्दोलन का आरम्भ होनेवाला था । लोकमान्य तिलक ने मुसलमानों को आश्वानन दिया था कि वह त्रिलोफत आन्दोलन में सहयोग देंगे । परन्तु आन्दोलन के आरम्भ होने से पूर्व ही ३१ जुलाई १९२० को रात्रि में उनका स्वर्गवास हो गया ।

तुर्किस्तान (टर्की)—क्षेत्र-फल ३,००,००० वर्गमील, जन-संख्या १,६५,००,००० । राजधानी अकारा । पुराने उसमानिया साम्राज्य के पतन के बाद तथा अलवानिया, अरब के कई प्रदेश, एव फिलस्तीन आदि मुल्कों के इस सल्तनत में से निकल जाने के उपरान्त, सन् १९२२ में, कमाल अतातुर्क ने तुर्की प्रजातन्त्र की नींव डाली । अतातुर्क ने टर्की में अनेक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सुधार किये और देश का, आधुनिक युग के अनुकूल, पूर्णतः पाश्चात्यीकरण किया । सन् १९३४ में कमाल ने एक चातुर्वर्षीय योजना बनाई । राष्ट्र (सल्तनत) की ओर से १५ बड़े कारखाने बनाये गये । सोवियट रूस से मशीनें मँगाई गईं । यहाँ राष्ट्र ही आर्थिक योजना तैयार करता है और वही अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योगों का स्वामी है । व्यक्तिगत स्वत्वाधिकार के लिये भी गुजाइश है । परन्तु राष्ट्र का फिर भी नियंत्रण रहता है । टर्की में अधिनायक-तंत्र है । प्रजादल (People's Party) ही अकेला राजनीतिक दल है । देश की राष्ट्रीय परिषद् में कुल ३६६ प्रतिनिधि हैं । इनमें ३८१ प्रजादल

के हैं, सिर्फ १० स्वतंत्र हैं। सेना में १०,००,००० सैनिक हैं। यद्यपि तुर्किस्तान में साम्यवादियों का दमन होता रहता है, तथापि वह १९२० से रूस से मैत्री-संबंध बनाये हुए है। दरेदानियाल का रक्षक होने के कारण तुर्की की मित्रता रूस के लिये ज़रूरी है। यूनान से भी उसकी मैत्री है। बलकान-राष्ट्रों में उसकी दिलचस्पी है। तुर्किस्तान बलकान में जर्मन-प्रसार का विरोधी है, इसलिये कि जर्मनी तुर्की के रास्ते मध्य-पूर्व या मोसल के तैल-कूपों तक न बढ़ सके। मई १९३६ में फ्रान्स तथा ब्रिटेन ने तुर्किस्तान को यह गारंटी दी थी कि उस पर आक्रमण होने पर यह दोनों देश उसकी रक्षा करेंगे। १६ अक्टूबर १९३६ को फ्रान्स-ब्रिटेन-तुर्की में १५ वर्षों के लिए पारस्परिक सहायता देने की संधि भी हो चुकी है।

इस संधि का आशय यह है कि यदि किसी योरपियन राष्ट्र ने तुर्किस्तान पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप भूमध्यसागर में युद्ध हुआ, जिसमें तुर्किस्तान भी संलग्न हुआ, तो फ्रान्स तथा ब्रिटेन उसकी सहायता करेंगे। इसी प्रकार तुर्की ब्रिटेन तथा फ्रान्स की सहायता करेगा, परन्तु सिर्फ रूस के विरुद्ध नहीं। इटली के वर्तमान युद्ध में संलग्न होने के उपरान्त भी तुर्की तटस्थ रहा। धुरी राष्ट्रों का वह विरोधी है। इटली के विरुद्ध यूनान को भी उसने गैर-सरकारी तौर पर मदद दी। किन्तु अप्रैल '४१ में जब हिटलर ने यूगोस्लाविया और यूनान पर धावा किया तो तुर्की ने बलकान-राष्ट्रों से सहयोग करने से इनकार कर दिया। इससे कुछ ही पूर्व, २४ मार्च '४१ को, उसने सोवियत रूस से अनाक्रमण और तटस्थता की संधि भी की। बलकान में हिटलर की विजय के बाद तुर्की का रव जर्मनी के प्रति दोस्ताना होगा।

पिछली शताब्दी के आदि से गत महायुद्ध के अन्त और अतातुर्क कमाल के उद्भव के समय तक तुर्किस्तान को योरपियन



राष्ट्र 'योरप का रुग्ण मानव' (Sick man of Europe) कहकर उसकी भर्त्सना किया करते थे। यह कमाल का ही कमाल है जो उसने आज के तुर्की को ससार के सबल और समृद्ध राष्ट्रों की कोटि में खड़ा कर दिया है।

तृतीय राइख—जर्मनी का वर्त्तमान नात्सी शासन-काल तृतीय राइख या साम्राज्य कहलाता है। मध्ययुगीन जर्मन-साम्राज्य प्रथम साम्राज्य था। सन् १८७१ से १९१८ तक द्वितीय राइख रहा। इसके बाद हिटलर के उदय, सन् १९३३ से, वर्त्तमान शासन तृतीय राइख है। १९१९ से १९३३ के बीच का जर्मन-प्रजातन्त्र मध्यवर्त्ती साम्राज्य कहा जाता है।

तेल—सन् १९३६ में ससार में प्रायः २६,००,००,००० मैट्रिक टन (मैट्रिक-टन=लगभग २००५ पाँड) तेल निकाला गया। तेल पैदा करनेवाले प्रमुख देश इस प्रकार हैं:—(१९३६ की निकासी १००० गुने मैट्रिक टनो में):—सयुक्त-राज्य अमरीका १,७५,०००, सोवियत रूस ३१,०००, वेनेज्युला २६,०००, ईरान ११,०००, डच इन्डीज ७,४००, रूमानिया ६,०००, मैक्सिको ५,०००, इराक (मोसल) ४,३००, कोलम्बिया ३,०००, ट्रिनीडाड २,५००, अरजेन्टाइना २,४०० और पेरू २,१००। मिस्र, ब्रह्मा, पोलैण्ड तथा जर्मनी में भी तेल निकलता है, पर कम। तेल की उपयोगिता पिछले कुछ दशकों से बहुत बढ़ गई है, क्योंकि लडाकू वायुयानों, बखरदारी की मोटरों, यान्त्रिक सेनाओं, बख्तरदार गाड़ियों तथा युद्ध-पोतों में तेल का प्रयोग बहुतायत से किया जाने लगा है। यही कारण है कि आज के साम्राज्यवादी राष्ट्रों की दृष्टि उन देशों पर लगी है, जिनमें तेल अधिक पैदा होता है। तेल का व्यवसाय करनेवाली प्रसिद्ध कम्पनियों—(१) रॉयल डच शैल (इन कम्पनियों पर अँगरेजों तथा डचों का नियन्त्रण है), (२) स्टैंडर्ड आयल कम्पनियों (सयुक्त-राज्य अमरीका)। इन दोनों कम्पनियों में खूब व्यापाराना प्रतियोगिता रहती थी, जिसका असर इन देशों की राजनीति पर भी पड़ता था। किन्तु सम्प्रति यह होड़ मित्रता में बदल गई है। (३) ऐंग्लो ईरानियन कम्पनी (ब्रिटिश सरकार की) और (४) टैक्सस कारपोरेशन (अमरीका)। जर्मनी में तेल नहीं है। इसलिए उसने कोयले से तेल निकालना शुरू किया है। सन् १९४० में क रीव

२५,००,००० टन तेल कोयले से वहाँ निकाला गया किन्तु यह तेल प्राकृतिक तेल से चौगुना महँगा पडा ।

तोजो—सन् १९३६ से जापान जर्मनी का पदानुसरण कर कहा है । इसी नीति के कारण वह कामिन्टर्न-विरोधी दल में शामिल हुआ । किन्तु १९३६ के अगस्त में, जब जर्मनी ने सोवियत रूस से अनाक्रमण-सन्धि की तो जापान की राजनीति में शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन हुए और जापान के तत्कालीन प्रधान मन्त्री बैरन हिरानूमा की सरकार ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वह कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की विरोधिनी थी । तब अधिक उदार विचारवाले, एक सामरिक नेता, जनरल आवे ने मन्त्रिमण्डल बनाया । किन्तु आवे-सरकार भी अधिक दिन न टिकी और जनवरी १९४० में नौसेनापति (ऐडमिरल) योनाई ने जापानी मन्त्रिमण्डल बनाया । योनाई ने घोषणा की कि उसकी सरकार चीन के मामले के निपटारे पर अधिक ध्यान देगी और थोरपीय युद्ध से अलग रहेगी ।

किन्तु, जून १९४० में फ्रान्स का पतन होते ही, जापान की वैदेशिक नीति एकदम उग्र होउठी । योनाई मन्त्रिमण्डल ने भी त्यागपत्र दिया, और प्रिन्स फ्यूमीमारो कोनोय ने सरकार बनाई । जापान में ब्रिटिश-विरोधी भावना तीव्रतर होउठी । अक्टूबर १९४० में कामिन्टर्न-विरोधी (रोम-वर्लिन-तोक्यो)-त्रिगुट, त्रिराष्ट्र-सन्धि के रूप में, पुनर्निर्मित हुआ । किन्तु फिर भी अप्रैल १९४१ में जापान और सोवियत रूस के बीच, इन दोनों में से किसी राष्ट्र पर आक्रमण होने की दशा में, पारस्परिक निरपेक्षता-सन्धि हुई । वास्तव में जापान, जून १९४१ में रूस पर जर्मन-आक्रमण होने के समय, निरपेक्ष रहा । किन्तु ज्योंही नाल्मी सेनाये रूस में आगे बढ़ती दिखाई दी त्योंही जापान का सामरिक दल अधिक क्रियाशील होउठा, और १५ अक्टूबर १९४१ को नरम विचार के प्रिन्स कोनोय की सरकार ने भी इस्तीफा दे दिया । तब, युद्धवादी दल के, जनरल तोजो ने सरकार बनाई और, ७ दिसम्बर १९४१ को जापानी सेनाओं ने, बिना किसी चेतावनी के, सुदूरपूर्व में अमरीकी और ब्रतानवी अधिभूत देशों पर आक्रमण कर पश्चिमी प्रशान्त महासागर में युद्ध छेड़ दिया । इन देशों को भुलावे में डालने और अपने युद्ध-प्रदान को पूर्ण करने की

नीयत से जापान-सरकार ने एक विशिष्ट दूत, प्रशान्त के सम्बन्ध में शान्ति-पूर्ण समझौता करने के लिये, वाशिंगटन भेजा था। यह दूत अभी वही था कि इधर जापान ने आक्रमण कर दिया। फलतः चीन और हालैण्ड ने (प्रशान्त में इसके भी अधिकृत देश थे) जापान के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी। (वास्तव में इससे पूर्व चीन ने नियमानुकूल जापान के विरुद्ध युद्ध-घोषणा नहीं की थी)। इसके बाद ही जापान ने जर्मनी और इटली के साथ सामरिक-सन्धि करली। जब यह पक्तियाँ छप रही हैं तो जो ही जापान की युद्ध-लिप्सा और साम्राज्यवाद के प्रतीक के रूप में ब्रिटेन, अमरीका और हालैण्ड के विरुद्ध, सुदूर-पूर्व और चीन में, युद्ध का संचालन कर रहा है। तो जो शुरू से ही जर्मनी का पक्षपाती रहा है। १९१६ में वह बर्लिन में जापान का सामरिक दूत था। उसके बाद मचूको में पुलिस का प्रधान अधिकारी रहा, जहाँ उसने अमानुषिकतापूर्वक दमन किया। उपरान्त चीन में जापानी सेना का मुख्य अधिकारी रहा। तो जो बड़ा दुराग्रही और कठोर है। जापानी उसे 'उस्तरा' कहा करते हैं।



त्रिराष्ट्र-सन्धि—२७ सितम्बर १९४० को जर्मनी, इटली और जापान के बीच, दस वर्षों के लिये, हुई सन्धि। इसके अनुसार जापान ने योरप में नवीन विधान (न्यू आर्डर) की स्थापना में जर्मनी और इटली की प्रधानता को स्वीकार किया है। इसी प्रकार जर्मनी और इटली ने एशिया में जापान द्वारा नवीन राजनीतिक-रचना में उसके नेतृत्व को माना है। सन्धि-कर्त्ता तीनों राष्ट्र, किसी पर भी ऐसे राष्ट्र द्वारा आक्रमण होने पर, जो वर्तमान योरपीय अथवा चीन-जापान युद्ध से सम्बन्धित नहीं है, एक-दूसरे की, पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक रूप से, सहायता करेंगे। सोवियत रूस के सम्बन्ध में तीनों राष्ट्रों की अपनी-अपनी नीति पर इस सन्धि का कोई प्रभाव नहीं है। यह सन्धि वास्तव में सयुक्त-राष्ट्र अमरीका के विरुद्ध की गई है, किन्तु परोक्ष रूप से यह रूस के विरुद्ध भी है। हंगरी, स्लोवाकिया और

रूमानिया इस सन्धि में तत्काल ही शामिल होगये । ११ दिसम्बर '४१ को यह सन्धि पूर्ण सामरिक गुट मे परिवर्तित होगई । यह सन्धि कामिन्टर्न विरोधी समझौते का ही एक प्रतिरूप है ।

थ—द

थाईलैण्ड—(देखिये 'स्याम') ।

दण्डाज्ञा—अन्तर्राष्ट्रीय सधि-शर्तों के पालन के लिए उपाय । राष्ट्रसंघ के विधान की १६वीं धारा मे, राष्ट्रसंघ के विधान के विरुद्ध, युद्ध करनेवाले राष्ट्र के खिलाफ आर्थिक तथा सैनिक दण्डाज्ञाओं का उल्लेख है । इटली-अब्रीसीनिया युद्ध के बाद इटली के विरुद्ध इनका प्रयोग किया गया ।

दरेदानियाल (Dardanelles)—यह डमरूमध्य दक्षिण मे काले-सागर तथा भूमध्य-सागर को मिलाता है । १८४१ ई० से यह तुर्की के अधिकार मे है । १८वीं तथा १९वीं शताब्दी मे रूस इस पर अपना अधिकार करके भूमध्य-सागर मे अपना आधिपत्य जमाना चाहता था । परन्तु ब्रिटेन, फ्रान्स और तुर्की ने इसका विरोध किया और, इस कारण, क्रीमियन युद्ध छिडा । विगत विश्व-युद्ध तक यह तुर्की के अधिकार मे रहा । युद्ध के बाद मित्र-राष्ट्रों ने इस पर कब्जा कर लिया और गैलीपोली प्रायद्वीप, जिसमें इस जल-डमरूमध्य का योरपियन-तट पडता है, यूनान को दे दिया गया । उपरान्त यह निरस्त्र कर दिया गया और हर प्रकार की जहाज़रानी के लिए इसे खोल दिया गया तथा इसका नियंत्रण एक अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन के हाथ मे दे दिया गया । परन्तु कमाल के नेतृत्व मे, तुर्की के यूनान पर विजय प्राप्त करने के बाद, गैलीपोली फिर तुर्की को दे दिया गया और, ४ अगस्त १९२३ के लौसेन-समझौते के अनुसार, इस पर अन्तर्राष्ट्रीय-नियन्त्रण हलका कर दिया गया, और तुर्की का इस पर आंशिक प्रभुत्व

होगया। ऐतिहासिक परम्परा के विरुद्ध रूस ने, आक्रमण का रास्ता खुल जाने की आशङ्का से, इसका विरोध किया और बरतानिया ने आप्रह। परन्तु, २० जुलाई १९३६ के मोन्ट्रियो-समझौते के अनुसार, तुर्की को इस डमरूमध्य का शस्त्रीकरण और क्लिवन्दी करने का अधिकार मिल गया। अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन का पचायती नियंत्रण भी हट गया और तुर्की को इस पर पूरा कब्जा मिल गया। परन्तु इस पूर्ण प्रभुत्व पर यह मर्यादाये लगा दी गई कि शान्ति के समय इसमें व्यापारिक जहाजरानी स्वतंत्र रूप से हो सकेगी, १०,००० टन से ज्यादा के युद्ध-यान, पनडुब्बियों तथा लडाकू वायुयानों को ले जानेवाले जहाज़ इसमें से न गुजर सकेंगे। इनके अतिरिक्त दूसरे लडाकू जहाज़ भी केवल दिन में निकल सकेंगे। युद्ध के समय तुर्की तटस्थ रहेगा तथा विग्रही राष्ट्रों के युद्ध-पोतों को इसमें से गुजरने नहीं दिया

जायगा। परन्तु यदि युद्ध-पोत राष्ट्रसंघ के आदेश से अथवा किसी विशेष सम्झौते की रक्षा के लिए भेजे जायेंगे, तो उन पर तुर्की का कोई प्रतिबन्ध



नहीं लगाया जायगा। अन्यथा दरदानीयाल डमरूमध्य पर तुर्की का पूरा कब्जा है।

दलादिये, ऐडुअर्ड—फ्रान्स का राजनीतिज्ञ। सन् १८८४ में जन्म हुआ। इसका पिता नानवाई था। यह अव्यापक बन गया। विगत विश्व-युद्ध में कप्तान बनकर लडा। सन् १९१९ में क्रान्तिकारी समाजवादी दल की ओर से पार्ल-मेण्ट का सदस्य (डिपुटी) चुना गया। सन् १९२४ में उपनिवेश-मंत्री, १९२५ में युद्ध-मंत्री और १९२६ में शिक्षा-मंत्री बना। १९२७ में क्रान्तिवादी-दल का प्रधान होगया। १९३३ में १० मास के लिए प्रधान-मंत्री रहा। सन् १९३४ में फिर प्रधान मंत्री रहा। सन् १९३४ से युद्ध-मंत्री हुआ। पुनः अप्रैल १९३८

द्वन्द्व्वात्मक भौतिकवाद

से मार्च १९४० तक प्रधान-मंत्री रहा और युद्ध-मंत्री भी। फ्रान्स की आर्थिक और धन-सम्बन्धी स्थिति को कायम रखने के लिए अनुदार उपायो का अबलम्बन किया। फ्रान्स में इन दिनों जन-दल (पापुलर-फ्रन्ट) की साम्यवादी और क्रान्तिवादी त्रिगुट सरकार थी, पर पीछे उसमें दक्षिणपन्थी विचारों का बाहुल्य होता गया और दलादिये भी इसी ओर झुकता गया। सन् १९३८ में म्युनिख की संधि पर उसने हस्ताक्षर किये। दलादिये अपने दल के वाम पक्ष में था। फ्रान्स में वह 'शक्तिशाली शासक' माना जाता था। अपनी ओर से हुक्म जारी किया करता था। एक हुक्म निकालकर उसने, सन् १९३६ में, चुनावों को दो साल के लिये स्थगित कर दिया। जब चेम्बर (पार्लिमेन्ट) उसके व्यक्तिगत शासन से तग आगया और उसने युद्ध को और ज़ोरों से लड़ने की माँग की, तब २१ मार्च १९४० को उसने त्याग-पत्र दे दिया और बादको रिनो के मंत्रि-मण्डल में वह युद्ध-मंत्री और वैदेशिक मन्त्री रहा, किन्तु जून '४० में हटा दिया गया। जब फ्रान्स हार गया तो बाद में संवाद आया कि दलादिये मार्शल पेटों द्वारा कैद कर लिया गया है।

दुचे (Duce)—इटालियन भाषा में यह पद नेता का पर्याय है। मुसोलिनी की यह पदवी है।

द्वन्द्व्वात्मक भौतिकवाद—भौतिकवादी विचारधारा के साथ द्वन्द्व्वात्मक प्रणाली का संयोग। राजनीतिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व इसलिए है कि इसका वैज्ञानिक समाजवाद से विशेष सम्बन्ध है। यह एक प्रकार से मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद का आधार है। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में जर्मन आदर्शवादी दार्शनिक हैगल ने द्वन्द्व्वात्मक-प्रणाली का विकास किया। उसने



यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि इतिहास, मानव-विचारों के विकास में, द्वन्द्वात्मक पद्धतिकी ही प्रतिच्छाया है। कार्ल मार्क्स ने हैगल की द्वन्द्वात्मक प्रणाली को तो अपना लिया, परन्तु उसने यह स्वीकार नहीं किया कि यह द्वन्द्वात्मक प्रणाली विचारों के विकास की प्रतिच्छाया है। इसके विपरीत मार्क्स ने यह बतलाया कि विचार ही पदार्थों की वास्तविकता की प्रतिच्छाया है। इस प्रकार मानव-समाज की प्रत्येक अवस्था में, भौतिक शक्तियों की प्रेरणा से, द्वन्द्वात्मक प्रणाली का विकास होता है जिससे वह स्वयं अपने में विरोध को जन्म देती है। इस विचार-प्रणाली के अनुसार सर्वहारा (प्रोलेटरियन)-वर्ग का विकास पूँजीवादी समाज का ही फल है। इन दोनों में द्वन्द्व-भाव है—विपरीतता है, विरोधामास है। परन्तु सर्वहारा-वर्ग का जन्म पूँजीवादी समाज से हुआ है।

दक्षिण-अफ्रीकी यूनियन—ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह का एक सदस्य ; क्षेत्र ० ४,७२,००० वर्गमील, जन-संख्या ६६,००,०००। इनमें २०,००,००० योरपियन तथा शेष अफ्रीकी हैं। योरपियन जनता में ५८ फीसदी बोअर हैं, जो डच भाषा बोलते हैं, शेष अंगरेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। केप टाउन में धारासभा-भवन है। प्रिटोरिया राजधानी है। सन् १८६६-१९०२ की दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई में ब्रिटिश सरकार ने विजित बोअर-प्रजातंत्रों में स्वराज्य को स्थापना तथा दक्षिण अफ्रीका में सघ-राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। फलतः १९१० में केप-प्रान्त, नेटाल, ट्रान्सवाल और औरेज फ्रीस्टेट को मिलाकर दक्षिण अफ्रीकी यूनियन का निर्माण किया गया। यह एक प्रकार का सघ राज्य है। प्रत्येक उपर्युक्त प्रान्त को स्वायत्त शासन प्राप्त है। जनरल बोथा और फील्ड मार्शल स्मट्स ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य से सन्तुष्ट हैं। अन्य राष्ट्रवादी, हर्टजोग के नेतृत्व में, स्वाधीन प्रजातंत्र चाहते हैं। विगत विश्व-युद्ध में यूनियन ने योरप में कोई सेना नहीं भेजी, सिर्फ एक ब्रिगेड भेजा था। युद्ध के बाद राष्ट्रवादियों की शक्ति बढ़ गई। विगत विश्व-युद्ध से पहले राष्ट्रवादियों के धारासभा में ५ प्रतिनिधि थे। सन् १९२४ में ६३ होगये। मजदूर-दल से समझौता करने के बाद धारासभा में राष्ट्रवादियों का बहुमत होगया और जनरल हर्टजोग प्रधानमंत्री बना। इस काल में सरकार ने ब्रिटेन की वैदेशिक नीति से मतभेद प्रकट किया।


संसार का ४० प्रतिशत सोना दक्षिण अफ्रीका में पैदा होता है। इस देश में सबसे अधिक हीरा निकलता है। कोयला, तौबा तथा प्लेटिनम भी मिलते हैं। खानों का उद्योग तथा कृषि ही यहाँ के मुख्य व्यवसाय हैं। गेहूँ, मक्का तथा फल काफी पैदा होते हैं।

शासन-प्रणाली पार्लिमेन्टरी है। पार्लिमेन्ट में दो सभाएँ हैं : सीनेट तथा असेम्बली। पहली का चुनाव १० साल तथा दूसरी का ५ साल के लिये होता है। सम्राट् का प्रतिनिधि गवर्नर जनरल है। अफ्रीका के आदिमवासियों को केवल केप-प्रान्त में मताधिकार प्राप्त है। वह अपने ३ प्रतिनिधि चुनते हैं। नौ-सेना का नियंत्रण ब्रिटेन के अधीन है।

इस समय हर्ट्जोग तथा स्मट्स के संयुक्त दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय दल में १०६ सदस्य हैं। प्रधानमंत्री जनरल हर्ट्जोग इस युद्ध में तटस्थता के पक्ष में हैं। परन्तु जब पार्लिमेन्ट में यह प्रस्ताव रखा गया तो इसके पक्ष में सिर्फ ६७ मत मिले, विरुद्ध ८०। इस पर हर्ट्जोग ने त्याग-पत्र दे दिया और स्मट्स ने संयुक्त सरकार बनाई, तथा ६ सितम्बर १९३६ को, धुरीराष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी और यूनियन की फौजें पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका में लड़ रही हैं। जनवरी १९४० में हर्ट्जोग ने डा० मलान के क्रान्तिवादी-प्रजातंत्र-राष्ट्रीय-दल के साथ समझौता कर लिया। यह दल साम्राज्य से सवध-विच्छेद का समर्थक है। यह दोनों नेता अफ्रीका में ५० फीसदी वोटों के प्रतिनिधि हैं, शेष अंगरेजी-भाषा-

भाषी स्मट्स का समर्थन करते हैं। १२ सितम्बर '४१ को यूनियन ने जापान के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी है।

आदिम-निवासी अधिक अधिकार चाहते हैं, और वोट शुरू से ही उनके विरोधी



हैं। वह, रगभेद के कारण, उन्हें समानता के अधिकार नहीं देना चाहते। वोअर और ब्रिटेन उनकी 'क्रमिक उन्नति' चाहते हैं। यूनियन की राजनीति में आदिम-निवासियों का प्रश्न मुख्य है, पर बिना सुलभा पडा है।

दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका—विगत विश्व-युद्ध से पूर्व जर्मन-उपनिवेश था। क्षेत्रफल ३,१७,००० वर्गमील, जनसंख्या ३,६०,०००। इसमें ३१,००० योरपियन हैं, जिनमें से ८,००० जर्मन हैं। यह उपनिवेश राष्ट्र-सत्र के शासनादेश के अनुसार दक्षिण अफ्रीकी यूनियन के नियंत्रण में है। इस प्रदेश में हीरे की खानें हैं।

दालाँ, ऐडमिरल जीन फ्रे. काइ—फरान्सीसी नौसेनापति। १८८१ ई० में जन्म हुआ। सन् १८९६ में फरान्सीसी नौसेना में भर्ती हुआ। पिता को छोड़कर, जिसने न्याय-मंत्री पद से नौकरी त्याग की, दालाँ के पूर्वज भी नाविक अथवा नौसैनिक थे। जल-सेना में दालाँ अनेक मोर्चों पर सेनापति रहा। १९३७ में उसे नौसेना के अफसरों का प्रधान बनाया गया और १९३९ में प्रधान नौसेनापति। १९३९-४० के महायुद्ध में उसने फरान्सीसी नौसेना का संचालन किया। १९४० में जब मार्शल पेटों ने मन्त्रिमण्डल बनाया तो दालाँ उसमें शामिल हुआ और नौसेना-मंत्री बन गया। पेटों की भॉति दालाँ भी जर्मनी का पक्षपाती और ब्रिटिश-विरोधी होगया। उपप्रधान-मंत्री बना। फरवरी १९४१ में पेटों का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। साथ ही वह वैदेशिक मन्त्री और स्वराष्ट्र मन्त्री भी बनाया गया।


अक्टूबर १९४२ में जब अमरीकी फौजे उत्तरी फरान्सीसी अफ्रीका में उतरी तो मार्शल पेटों ने उनका मुकाबला किया जाने का आर्डर दिया, किन्तु दालाँ ने, जो उस समय वहाँ का हाई कमिश्नर था, लडाई को रोक दिया। इधर दालाँ को अपनी पिछली भूलों का भान होने लगा था, और, यद्यपि जनरल द गौल को उसमें अब भी विश्वास नहीं था, दालाँ संयुक्तराष्ट्रों का पक्षपाती बनता जा रहा था, कि २४ दिसम्बर १९४२ को, उसके आफिस, अल्जीयर्स में, एक नौजवान फरान्सीसी ने ऐडमिरल जीन फ्रेकाइ दालाँ को गोली चलाकर मार डाला।

जनरल जिरौ दालाँ का उत्तराधिकारी, उत्तरी फरान्सीसी अफ्रीका का

हाई कमिश्नर, नियुक्त हुआ है। फ्रान्स के युद्ध में जिरौ जर्मनों के हाथ क़ैद होगया था। दिसम्बर '४२ में वह उनकी क़ैद से भागकर आया है। पिछले महायुद्ध में भी वह इसी प्रकार क़ैद हुआ और वहाँ से भाग निकला था। जिरौ सोलह आना संयुक्तराष्ट्रों का साथी बनगया प्रतीत होता है और, जब वहाँ पंक्तियाँ छुप रही हैं, उनके तथा जनरल चार्ल्स द गौल के साथ फ्रान्स की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होने का प्रयास कर रहा है।

दांज़िग—विस्चुला नदी के मुहाने पर, बाल्टिक सागर के किनारे, यह एक बन्दरगाह है तथा इसी नाम का एक नगर भी। ज़िले की जनसंख्या ४,००,००० और म्युनिसिपैलिटी की २,६०,००० है। वर्त्तमान युद्ध से पूर्व यहाँ ६७ प्रतिशत जर्मन आबाद थे। इस नगर की बुनियाद, सन् १३१० में, स्लैव जाति के लोगो ने डाली थी। स्लैव लोगो को ट्यूटोनिक लोगो ने हरा दिया तब इसमें जर्मन बसाये गये। तब से ही यह जर्मन नगर रहा है। परन्तु पोलैण्ड के लिए यही एक समुद्री मार्ग है। सन् १४५० से १७६३ तक दांज़िग, पोलिश सरकार के अधीन, स्वतंत्र नगर रहा। प्रशा (जर्मन प्रदेश) ने, सन् १७६३ में, इसे अपने राज्य में मिला लिया। सन् १८०७ से १८१५ तक फिर पोलैण्ड के पास रहा। इसके बाद वह फिर प्रशा में मिला दिया गया। इस प्रकार यहाँ के अधिवासियों में जर्मन राष्ट्रीयता का जागरण हो गया। जब १९१८ में वासैंई की संधि के समय इन प्रशा से अलगकर, पोलैण्ड के संरक्षण में, स्वतंत्र नगर बनाया गया तब देश-प्रेमी दांज़िगी जर्मनो ने उनका विरोध किया। बन्दरगाह का प्रबंध एक बोर्ड के अधीन कर दिया गया जिसमें दांज़िग तथा पोलैण्ड के प्रतिनिधि नियुक्त किये गये। परन्तु इन प्रदेश की रेलवे तथा तट-कर—आयात-निर्यात कर—पर पोलैण्ड का नियन्त्रण रहा। पोलैण्ड के इतिहास में दांज़िग एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। प्रशा के सामक प्रोटिक (द्वितीय) ने एक बार कहा था—“जो विन्चुला के मुहाने पर प्रबलता रखता है वह पोलैण्ड के बादशाह से भी अधिक शक्तिशाली है।” पोलैण्ड तथा दांज़िग में मिलाने के लिए एक लम्बी पट्टी (कोर्साक) बनाई गई। दांज़िग के नगर बाल्टिक तट पर एक छोटी-सी ज़मान की पट्टी पोलैण्ड से दे दी गई जिस पर उन्होने वाग्निष्वा नामक बन्दरगाह बना लिया।

१९३६ के मार्च में हिटलर यकायक दाज़िग को वापम मॉग बैटा, और थोड़े दिन बाद समूचे कोरीडर को भी पोलैण्ड ने मुलह की बातचीत चलाने का तत्काल विचार प्रकट किया, जिससे कि दोनों की बात बनी रहे। बरतानिया ने आक्रमण के समय अपने मद्योग का पोलैण्ड को विश्वास दिलाया और मव्यस्थ बनने का प्रयास किया। किन्तु हिटलर ने आक्रमण को ही पसन्द किया और १९३६ के अगस्त मास में छुन्नवेशी जर्मन सेना ने दाज़िग पर कब्जा कर लिया। हिटलर ने पोलैण्ड पर हमला कर दिया और वर्तमान युद्ध छिड़ गया।



देशी रियासते—भारतवर्ष दो भागों में विभाजित है : एक ब्रिटिश-सरकार द्वारा शासित, जिसमें ११ गवर्नरों के प्रान्त, चीफ कमिश्नरियों आदि हैं—दूसरा देशी राज्य। देशी राज्यों या रियासतों का शासन भारतीय राजा, महाराजा या नवाबों के अधीन है। ब्रिटिश सरकार उनकी सर्वोच्च सत्ता है। भारतवर्ष में ५६२ छोटी-बड़ी देशी रियासते हैं। इनमें ४५४ राज्य ऐसे हैं, जिनका क्षेत्रफल १,००० वर्गमील से भी कम है। ४५२ ऐसे राज्य हैं, जिनकी जन-संख्या १,००,००० जन से भी कम है। ३७४ राज्यों की वार्षिक आमदनी १ लाख रुपये से भी कम है। केवल १२ राज्य ऐसे हैं, जिनका क्षेत्रफल १०,००० वर्गमील और जन-संख्या १०,००,००० और वार्षिक आमदनी ५० लाख रुपये से भी ज्यादा है।

ब्रिटिश भारत की जन-संख्या २७ करोड़ तथा क्षेत्रफल १०,६४,३०० वर्गमील है। इन देशी राज्यों का शासन रवेञ्जाचारी एकतंत्र-प्रणाली के अनुसार मध्ययुगीन ढंग पर है। कुछ बड़े तथा प्रगतिशील राज्यों में धारा-सभाएँ अब बन गई हैं। परन्तु उन्हें कोई वास्तविक उत्तरदायित्व का अधि-


कार प्राप्त नहीं हैं। नागरिक स्वाधीनता तो वहाँ नाममात्र को भी नहीं है। इन रियासतों में राष्ट्रीय आन्दोलनों का बहुत बुरी तरह दमन किया जाता है। कांग्रेस द्वारा भारत में जो राष्ट्रीय आन्दोलन हो रहा है उससे प्रभावित होकर देशी राज्यों की जनता में भी जागृति पैदा होगई है और इन रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए माँग की जा रही है।

ध

धरना—यह सत्याग्रह का एक रूप है। सन् १९२०-२१ और १९३०-३२ के सत्याग्रह आन्दोलन में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, मादक द्रव्यों के निषेध तथा स्कूल और कालिजों में विद्यार्थियों को जाने से रोकने के लिए, सत्याग्रहियों द्वारा, इसका प्रयोग किया गया। सत्याग्रही दूकानों पर तथा कालिज और स्कूल के द्वार के सामने खड़े होकर ग्राहकों तथा विद्यार्थियों से शान्तिपूर्ण आग्रह करते थे कि वे विदेशी वस्त्रों, शराब आदि को न बेचें-खरीदें तथा सरकारी स्कूल वा कालेज में अध्ययन न करें। सन् १९४२ में सीमान्त प्रदेश में लालकुर्ती दलवालों ने अदालतों पर धरना दिया तथा विद्यार्थियों ने शिक्षा-संस्थाओं पर।

धुरी राष्ट्र—रोम-बर्लिन-धुरी (Axis)—इन शब्दों का प्रयोजन इटली तथा जर्मनी की राजनीतिक सहकारिता से है। सन् १९३५ में जब इटली ने अबीसीनिया को अपने साम्राज्य में हड़प करने के लिए उस पर धावा किया तब इस नीति का श्रीगणेश हुआ। सन् १९३७ में कामिण्टर्न-विरोधी समझौते से यह सहचारिता और भी सबल होगई। १९३८ में हिटलर और मुसोलिनी एक-दूसरे से मिले। इसी वर्ष सितम्बर मास में जर्मनी द्वारा चैकोस्लोवाकिया के संघर्ष में इटली चुप रहा। जर्मनी को प्रसन्न करने के लिए इटली ने यहूदी-

विरोधी नीति ग्रहण की, और १९३६ के मार्च मास में जब जर्मनी चेकोस्लोवाकिया के शेष भाग को भी दबा बैठा, तब इटली ने अलबानिया को धर दबाया। सन् १९३६ की २२ मई को इटली तथा जर्मनी में जो राजनीतिक तथा सैनिक समझौता हुआ उससे तो यह धुरी सर्वथा नुब बन गई। इटली वास्तव में पश्चिमी योरपियन राष्ट्रों का हिमायती रहा है। वह नहीं चाहता था कि डैन्यूब के कछार में जर्मनी का विस्तार हो। यहाँ तक कि १९३४ की गर्मियों में, आस्ट्रिया में प्रथम नात्सी-उत्थान के समय, वह नात्सियों का सशस्त्र मार्गावरोध करने पर तुल गया था। लेकिन जब वह अवीसीनिया को हडप चुका, और पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा उस पर दण्डस्वरूप लगाये गये प्रतिरोध हटा लिये गये, तब वह धुरी-नीति की ओर झुका। इस नीति के प्रथम परिणामस्वरूप इटली की अवीसीनिया पर विजय पृष्ठ होगई और उधर जर्मनी ने राइनलैण्ड पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। इन दोनों राज्यों ने स्पेन के गृह-युद्ध में जनरल फ्रांको को भारी मदद दी। १९३८ में जर्मनी आस्ट्रिया को दबा बैठा, तब इटली ने चूँ तक नहीं की और न डैन्यूब के कछार में जर्मनी के विस्तार का विरोध किया, यद्यपि ऐसा होने से हंगरी और यूगोस्लाविया के प्रदेश में इटली के हितों की हानि होती थी। फिर दोनों ने मिलकर योरप के छोटे राष्ट्रों को तलवार के बल पर हडपना शुरू कर दिया। जर्मनी यह चाहता है कि पूर्वी, दक्षिणी तथा मध्य योरप में जर्मन-राज्य का विस्तार हो तथा भूमध्यसागर के तटवाले प्रदेशों में इटली का। फ्रान्स, ब्रिटेन, तथा रूस से इनका विरोध था। जापान रूस का सदैव शत्रु रहा



है, और ब्रिटेन तथा संयुक्त-राष्ट्र अमरीका से भी उसकी, चीन के कारण, नही पटती। इसलिए उसने इसीमे भलाई समझी प्रतीत होती है कि वह धुरी राज्यो मे शामिल होजाय। जब उसने कामिण्टर्न-विरोधी-सधिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिये तो वह भी इस गुट मे शामिल होगया और पीछे बर्लिन-रोम-तोक्यो सामरिक त्रिगुट भी बन गया।

न

नजरबन्दी—शासक-वर्ग द्वारा किसी व्यक्ति को, उस पर बिना कोई अभियोग लगाये तथा बिना न्यायालय मे उसका अपराध प्रमाणित किये, स्वेच्छा-चारितापूर्वक, जेलखाने या अन्य किसी स्थान मे, बन्दी बनाकर रखना।

नरीमान, खुरशीद फरीदू—१९३७ तक बम्बई प्रान्त और शहर के सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता। बम्बई हाईकोर्ट के बैरिस्टर। बम्बई प्रान्तीय धारासभा के कई बार सदस्य और बम्बई कारपोरेशन के मेयर रहे। बम्बई प्रान्तीय युवक परिषद् के नेता। अखिल भारतवर्षीय युवक परिषद् के सभापति। अनेक बार बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के सभापति चुने गये। अक्टूबर १९३४ की बम्बई-कांग्रेस की स्वागतकारिणी-समिति के आप स्वागताध्यक्ष थे। सन् १९३६ तक कांग्रेस मे उनका यथेष्ट प्रभाव रहा। उसके बाद बम्बई की चुनाव-राजनीति की गंदगी मे आपका गौरव नष्ट होगया। कांग्रेस पार्लमेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल तथा मि० के० एफ० नरीमान मे, चुनाव के सबध मे, मनोमालिन्य होगया। सन् १९३७ मे उन पर अनुशासन की कार्यवाही की गई और कांग्रेस से उनका निष्कासन कर दिया गया।

नरेन्द्रदेव, आचार्य—जन्म कार्तिक सम्बत् १९४६ वि०। शिक्षा—एम० ए०, एलएल० बी०। पाली, संस्कृत, प्राकृत तथा बौद्ध साहित्य के

प्रकाण्ड पडित । काशी विद्यापीठ के पूर्व आचार्य । सन् १९१६ में फैजावाद होमरूल लीग के मंत्री रहे । सन् १९२० में, असहयोग-आन्दोलन के समय, वकालत छोड़ी और काशी-विद्यापीठ के आचार्य हुए । 'विद्यापीठ' नामक त्रैमासिक पत्रिका का सम्पादन किया । सन् १९३४ में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल के सम्मेलन के सभापति चुने गये । सन् १९३६ में कांग्रेस-कार्यसमिति के सदस्य बनाये गये । देश में अनेक समाजवादी-सम्मेलनों, किसान-सम्मेलनों, तथा देशी राज्य प्रजा-सम्मेलनों का सभापतित्व ग्रहण किया । सन् १९३७ में युक्तप्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली में कांग्रेस-सदस्य चुने गये । सन् १९३८ में आपको लखनऊ-विश्वविद्यालय की सीनेट ने वाइस-चान्सलर बनाने का निश्चय किया, परन्तु आपने इस पद को अस्वीकार कर दिया । मार्च १९३७ में देहली 'कांग्रेस-अधिवेशन में आपने मंत्रिपद ग्रहण के विरुद्ध आन्दोलन किया । आपको सयुक्तप्रान्तीय मन्त्रिमण्डल का सदस्य बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किया गया, परन्तु आपने मन्त्रित्व ग्रहण नहीं किया । सन् १९३८ में सयुक्तप्रान्त की शिक्षा के पुनर्संगठन के लिए एक जॉंच-समिति सरकार द्वारा आचार्य नरेन्द्रदेव के सभापतित्व में नियुक्त की गई । सन् १९४० में सयुक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के दुबारा प्रधान बनाये गये । किन्तु १९४१ के आरम्भ में पकड़कर नजरबन्द कर दिये गये । अत्यन्त रूग्णावस्था में जेल से छूटे ।

आचार्यजी समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक हैं । कांग्रेस-समाजवादी-दल के संगठन में उनका विशेष हाथ है । महात्मा गांधी उनका आदर और भरोसा करते हैं । आचार्यजी ने समाजवाद पर कई पुस्तकें लिखी हैं । लखनऊ के समाजवादी हिन्दी साप्ताहिक 'सर्व' के आप संपादक हैं । इस समय, ८ अगस्त, ४२ के बाद हुई उथल-पुथल में आपको भी रूग्णावस्था में ही पकड़ लिया गया ।

नवराष्ट्र-सन्धि—सन् १९२३ में यह अन्तर्राष्ट्रीय संधि चीन के सम्बन्ध में ब्रिटेन, सयुक्त-राज्य अमरीका, जापान, चीन, फ्रान्स, इटली, पुर्तगाल, बेलजियम और नीदरलैण्ड्स इन नौ राष्ट्रों के बीच, हुई थी । इस सन्धि ने चीन के प्रभुत्व, उसकी स्वाधीनता तथा शासन-संबंधी संगठन का दायित्वपूर्ण आश्वा-

सन (गारंटी) दिया था। इसके अनुसार उपर्युक्त नौ-राष्ट्र चीन में स्थायी सरकार स्थापित करने के लिये प्रतिज्ञाबद्ध थे, साथ ही चीन में सभी राष्ट्रों के व्यापार के लिये द्वार खुल गया था और किसी राष्ट्र को चीन में विशेष अधिकारों की मनाई कर दी गई थी। सन् १९३१ में जापान ने चीन के मंचूरिया प्रदेश पर हमला करके और १९३७ में चीन के विरुद्ध युद्ध छेड़कर इस सन्धि का उल्लंघन सबसे पहले किया। बाद में सात राष्ट्र अपने स्वार्थों की रक्षा के लिये ब्रुसेल्स में इकट्ठे हुए, किन्तु सन्धि-रक्षा के लिये वह कुछ कर न सके।

नवीन योजना—सन् १९२९ के विश्व-व्यापी आर्थिक-संकट के निवारण के लिये सन् १९३३ में अमरीकी राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने अपने संयुक्त-राज्य के लिये एक योजना तैयार की थी जो New Deal के नाम से प्रसिद्ध है।

इस नवीन योजना के अनुसार सरकार की ओर से कर्ज़ देने की व्यवस्था की गई तथा जनता की क्रय-शक्ति को बढ़ाने के लिये प्रयत्न किया गया। डालर की कीमत ४० फीसदी तय कर दी गई। सरकारी सहायता से जनता के लिये भवन-निर्माण की योजना बनाई गई। इस योजना को सफल बनाने के लिये सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी गई। बेकार मज़दूरों की भर्ती के लिये प्रयत्न किया गया।

मज़दूरों को अपने संघ बनाने के लिये प्रोत्साहन दिया गया। सामाजिक बीमा के लिये भी प्रवृत्त किया गया। किसानों को सहायता देने की व्यवस्था की गई। कृषि-प्रबंध-संस्था (Agricultural Adjustment Administration), सार्वजनिक भवन-निर्माण-संस्था (Public Works Administration), कार्यप्रगति-संस्था (Works Progress Administration) और भवन-व्यवस्था-संस्था (Housing Authorities) ने अपने विभागों की योजनाओं पर १५ अरब डालर से भी अधिक धन व्यय किया। इस योजना ने यद्यपि अमरीका की बेकारी को दूर नहीं किया, तथापि १ करोड़ ७० लाख बेकार मज़दूरों की संख्या में केवल ७० लाख की कमी होगई।

नशाबन्दी—भारतीय राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में महात्मा गांधी ने नशाबन्दी को विशेष महत्व दिया है। जब जुलाई १९३७ में कांग्रेसी सरकारें बनीं, तब महात्माजी ने उन्हें यह आदेश दिया कि वे

अपने-अपने प्रान्तों में नशाबन्दी जारी करे और तीन साल में पूर्णतया 'नशा-बन्दी हो जानी चाहिये ।

सितम्बर, १९३७ ई० में कांग्रेस-कार्यसमिति ने महात्माजी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर कांग्रेसी मंत्रियों को आदेश भेजा कि वे नशाबन्दी शुरू करें । १ अक्टूबर १९३७ को मदरास सरकार ने सबसे पहले नशाबन्दी का कार्य आरम्भ किया । प्रत्येक प्रान्त में नशाबन्दी पहले एक या दो जिलों में शुरू की गई । मदरास में सेलम, बिहार में सारन, सयुक्तप्रान्त में एटा और मैनपुरी, मध्यप्रान्त में सागर, जबलपुर, अमरावती और अकोला, सोमाप्रान्त में डेराइस्माइलखो, और बम्बई में अहमदाबाद तालुका में नशाबन्दी शुरू की गई । कांग्रेस-सरकारों से प्रभावित होकर बंगाल मन्त्रिमण्डल ने भी नोआखाली और चटगाँव में नशाबन्दी जारी की । पीछे प्रत्येक प्रान्त में एक-एक, दो-दो जिलों में इस योजना को और बढ़ाया गया । कुल सरकारी आमदनी से प्रत्येक प्रान्त की आवश्यकता-र से हुई आमदनी का अनुपात इस प्रकार है:—मदरास ३६ प्रतिशत, बिहार-उड़ीसा ३४ प्रति०, बम्बई २८ प्रति०, मध्य-प्रान्त २५ प्रति०, बंगाल २० प्रति०, सयुक्त-प्रान्त १२ प्रति०, पंजाब ११ प्रति० । ३१ मार्च १९४३ को सयुक्तप्रान्तीय गवर्नर ने नशाबन्दी का अन्त कर दिया ।

नागरिक-रक्षक-दल (सिविक गार्ड)—१६ अगस्त १९४० को भारत के गवर्नर जनरल ने नागरिक-रक्षक दल बनाने के सम्बन्ध में आर्डिनेंस जारी किया, जिसमें नागरिक-रक्षकों के विधान, संगठन तथा उनके कर्तव्यों और अधिकारों के विषय में नियम हैं । इनके अनुसार प्रत्येक प्रान्त में प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट तथा प्रेसीडेसी में पुलिस कमिश्नर को नागरिक-रक्षकों का संगठन करने का अधिकार प्राप्त है । नियमों में बताया गया है कि सिविक गार्ड व्यक्तियों तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिए निर्धारित कार्य करेंगे । जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह नागरिक-रक्षकों के शिक्षण की व्यवस्था करे तथा जब वह किसी कार्य पर नियुक्त करने के लिए बुलाये जायँ तब उन्हें उपस्थित होना चाहिए । जब धारा ४ के अन्तर्गत उन्हें किसी कार्य पर नियुक्त किया जाय, तब उन्हें पुलिस के सभी अधिकार, विशेषाधिकार तथा सरक्षण प्राप्त होंगे । यह लोग पुलिस अफसर के नियंत्रण में रहेंगे । जो नागरिक-रक्षक

नार्डिक

धारा ४ के अन्तर्गत बुलाये जाने पर अपने कर्तव्य का पालन न करेगा, उस पर न्यायालय में मुकद्दमा चलाया जायेगा और अपराधी साबित हो जाने पर ५०) तक जुर्माना हो सकेगा। भारतवर्ष के सभी प्रान्तों के प्रत्येक नगर में नागरिक-रक्षकों का संगठन किया गया है।

नार्डिक—यह शब्द स्कैन्डीनेवियन राष्ट्रों (स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क तथा आइसलैंड) के अधिवासियों के लिए प्रयुक्त होता है। इसका जाति-विज्ञान से भी सम्बन्ध जोड़ा जाता है। नार्डिक जाति वह है जिसके व्यक्ति लम्ब-तडगो, गोरे, नीली आँख और लम्बे सिर वाले हो। सामान्यतया इनका विकास स्कैन्डीनेविया से बताया जाता है। यह सिद्धान्त कि नार्डिक जाति के व्यक्ति श्रेष्ठ-गुण-सम्पन्न, साहसी, विचारक तथा विद्वान् होते हैं, और वे ही समस्त योरपीय सभ्यता के जन्मदाता हैं, एक फरान्सीसी लेखक काउट जोसफ द-गोबिन्यू ने, उन्नीसवीं शताब्दी में, बनाया। इस सिद्धान्त का विकास जर्मन-वादी अंगरेज़ लेखक हौस्टन स्त्र्यु अर्ट् चम्बरलेन ने किया। कारलाइल तथा मैडीसन ग्रान्ट ने भी इसकी पुष्टि की। इस सिद्धान्त का जर्मनी में खूब प्रचार रहा। इस सिद्धान्त का मूल प्रयोजन यह है कि नार्डिक लोग समय-समय पर उत्तर से योरप में आये। उन्होंने पश्चिमी तथा दक्षिणी भागों पर विजय प्राप्त की और विजित जातियों के साथ उनका सम्मिश्रण होगया। इस सिद्धान्त के अनुसार योरप में सभ्यता और सस्कृति का विकास नार्डिक जनों ने ही किया, और जैसे-जैसे नार्डिक जनों का सम्मिश्रण होता गया—वर्णसंकरता बढ़ती गई—वैसे-वैसे योरप की सभ्यता का पतन होता गया। इस सिद्धान्त के पोषकों का दावा है कि कला, साहित्य, इतिहास, विज्ञान आदि में जो महा-पुरुष हुए हैं, वे सब नार्डिक थे। इन लोगों का यह भी कहना है कि ईसा से २००० वर्ष पूर्व धवल नार्डिक लोगों ने ही यूनान को विजय करके यूनानी सभ्यता का निर्माण किया। इनका तो यहाँ तक कहना है कि भारत, उत्तरी अफ्रीका तथा कुछ अन्य देशों में भी सभ्यता का प्रसार, पुरातन दन्तकथाओं में वर्णित नार्डिक दरियाई-डाकुओं के, इन देशवासियों से रक्त-मिश्रण से हुआ।

आर्य जाति-सिद्धान्त के सम्बन्ध में भी योरपीय लोगों में दो प्रकार के

विचार प्रचलित हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि 'आर्य' तथा 'नार्डिक' दोनो पर्याय हैं। दूसरे लोग नार्डिक को आर्य जाति की एक शाखा बतलाते हैं। परन्तु वास्तव में नार्डिक जाति एक पौराणिक कल्याण मात्र है। नार्डिक शकल की जाति स्कैन्डीनेविया में ७० फीसदी, २० फीसदी से भी कम जर्मनी, हालैण्ड और ग्रेट ब्रिटेन में, और १५ फीसदी से भी कम संयुक्त राष्ट्र अमरीका में बतार्ई जाती है।

नात्सी जर्मनी ने नार्डिक जाति के सिद्धान्त को सबसे अधिक महत्व दिया है। वह जर्मन जाति को नार्डिक मानते हैं, और उनके अनुसार, जर्मन जाति के सत्कार में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण, उसे विश्व पर शासन करने का अधिकार है। जर्मन-सरकार की नीति का यह प्रमुख अंग है कि वह नार्डिक नस्ल की शुद्धता पर जोर देती है तथा उसकी वृद्धि के लिए सामूहिक विवाहों का आयोजन भी करती है। परन्तु वास्तव में आश्चर्य तो यह है कि हिटलर और गोबेल्स, जो सबसे अधिक इस सिद्धान्त पर जोर देते हैं, नार्डिक नस्ल के नहीं हैं।

नात्सी—यह शब्द राष्ट्रीय समाजवादी (National Socialist) शब्दों का तद्भव रूप है : 'नेशनल' से 'ना' (NA) और सोजियलिस्ट (Sozialist) से स्सी (SI) ले लिए गये हैं। इस दल का सत्कार के साधारण समाजवाद (Socialism) से कोई सम्बन्ध नहीं है, अपितु नात्सी उसके सर्वथा विरोधी हैं।

नात्सीवाद—राष्ट्रीय-समाजवाद का प्रसिद्ध तथा प्रचलित वाद, वास्तव में Nazism शब्द राष्ट्रीय समाजवाद (National Socialism) का सन्निहित रूप है। नात्सीवाद जर्मनी का राजनीतिक-सामाजिक सिद्धान्त है।

नार्वे—जनसंख्या ३०,००,०००; क्षेत्रफल १,२५,००० वर्गमील। राजधानी ओस्लो। राजा हाकोन सप्तम, जिसका जन्म १८७२ ई० में हुआ। नार्वे के स्वीडन से अलग होजाने पर, सन् १९०५ में, हाकोन गद्दी पर बैठा। यह देश परम्परा से तटस्थ रहा है। स्वीडन तथा डेनमार्क से इसकी राजनीतिक सहकारिता रही है। इसकी पार्लमेण्ट (Storting) की प्रथम परिषद् के १५० प्रतिनिधियों में से ७० वामपक्षी मजदूर-दल के थे। इस दल का द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी संघ (Second International)

से था। आरम्भ में इस दल ने तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय (साम्यवादी—कम्युनिस्ट) दल से सम्बन्धित होना तय किया था। सन् १९३५ से मज़दूर-दल की सरकार रही। पार्लमेन्ट में कृषक, प्रजासत्ता और साम्यवाद-विरोधी दक्षिणानूसी दल भी थे। मज़दूर सरकार ने किसानों तथा मज़दूरों के सुधार के लिए कार्य किया। परन्तु आर्थिक व्यवस्था में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। नार्वे का प्रधान व्यवसाय सामुद्रिक व्यापार है। उसके पास व्यापारी जलयानों का ४०,००,००० टन का बेड़ा था।


१९३९ ई० के सोवियत-फ़िनलैण्ड-युद्ध में नार्वे की सहानुभूति फ़िनलैण्ड के साथ थी। उसको रसद देकर तथा उसके वालटियरो को अपने देश से मार्ग देकर इसने सहायता की। परन्तु फ़िनलैण्ड के लिए मित्रराष्ट्रों की पलटन को उसने रास्ता नहीं दिया। वर्तमान युद्ध में, सदैव की भाँति, नार्वे तटस्थ था; किन्तु उसे लडाईं में घसीटा गया। ८ अप्रैल १९४० को मित्र-राष्ट्रों ने, जर्मन मार्गावरोध के लिए, नार्वेजियन-समुद्रतट के साथ-साथ नार्विक, वोडोई तथा स्ट्रैटलैण्ड नामक तीन स्थानों में सुरंगें बिछा दीं। किन्तु दूसरे ही दिन जर्मनी ने नार्वे पर हमला कर दिया, जिसकी तय्यारी वह पूर्व से ही कर चुका था और मित्रराष्ट्रों की कार्यवाही से पूर्व ही उसकी सेनाएँ चल पड़ी थीं। नार्वे ने जर्मन आक्रमण का मुक़ाबला किया। जर्मनी ने समुद्री तथा हवाई जहाज़ों द्वारा ओस्लो, क्रिश्चियन सुण्ड, स्ट्रावेजर, बरगेन, ट्राण्डह्वीप और नार्विक नामक स्थानों पर एक साथ अपनी सेनाएँ उतार दीं और १००० मील लम्बे नार्वेजियन समुद्र-तट के, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, सब बन्दरगाहों पर अधिकार कर लिया। १५ दिन के भीतर ८५,००० नात्सी सैनिक वहाँ पहुँच गए। सहायता के लिये, एक सप्ताह बाद, नार्वेकी भूमि पर मित्र-सेना उतरी। मित्र-राष्ट्रों की योजना उत्तर तथा दक्षिण के मार्गों को बन्द करने की थी, ताकि ओस्लो से आनेवाली जर्मन सेना रेलवे लाइन तक न पहुँच सके। नार्विक में घोर युद्ध हुआ। हाथ से गये हुए नार्विक को फिर से जीत लिया गया। किन्तु इस युद्ध में मित्र-राष्ट्रों की पराजय इसलिये हुई कि नार्वे के राजनीतिज्ञ मेजर क्विसलिंग् के विश्वासघात के कारण नात्सी-सेना नार्वे के प्रमुख हवाई अड्डों और बन्दरगाहों को प्रथम

दिवस ही अधिकृत कर चुकी थी। ७ जून १९४० को मित्र-सेनाएँ नार्वे के रण-क्षेत्र से हटाली गईं। राजा हाकोन और उसका प्रधान मंत्री ब्रिटेन को भाग गये। कुछ नार्वेजियन सेनाएँ भी, अन्य क्षेत्रों पर लडने के लिये, माथ लेजाई गईं, शेष सेना ने हथियार डाल दिये। कामन्स-सभा में, नार्वे के युद्ध के सम्बन्ध में, ब्रिटिश पार्लामेंट के विरोधी दल के नेता मेजर एटली, सर आर्चीवाल्ड सिंक्लेयर, मि० आर्थर ग्रीनवुड और सर रोमेर ने बड़े कड़े शब्दों में आलोचना की। तत्कालीन प्रधान-मंत्री चेम्बरलेन ने भाषण में यह स्वीकार किया कि "मैं यह भलीभाँति जानता हूँ कि इन घटनाओं के परिणाम पर केवल इस दृष्टि से विचार नहीं करना है कि नार्वे में क्या हानि हुई है; हमें तो इस बात पर विचार करना है कि इससे हमारे गौरव का कितना नाश हुआ है। इससे इस मिथ्या कहानी को भी कुछ रंग मिल गया है कि जर्मन सेना अजेय है। हमारे कुछ मित्रों का उत्साह भी भग हुआ है और हमारे शत्रु चीख-पुकार कर रहे हैं।" इस पराजय से मित्र-राष्ट्रो को भयकर आर्थिक हानि उठानी पड़ी। नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा बाल्टिक राज्यों से ब्रिटेन को रसद मिलना बन्द हो गया और बाल्टिक सागर से ब्रिटेन का प्रभुत्व उठ गया। प्रति वर्ष ५,७०,००० टन लोहा ब्रिटेन नार्वे से मँगाता था। इस विजय से उस समय जर्मनी की स्थिति मज़बूत हुई और नार्वे की लकड़ी, जहाजों तथा लोहे पर भी उसने अपना अधिकार जमा लिया।

नार्वे में जर्मन-आधिपत्य का विरोध बराबर जारी है। वहाँ उन्होंने किसलिंग के सगी-साथियों के सह-योग से नात्सी राइख (पार्लामेंट) द है, किन्तु जनता उसके

नार्वे में जर्मन-आधिपत्य का विरोध बराबर जारी है। वहाँ उन्होंने किसलिंग के सगी-साथियों के सह-योग से नात्सी राइख (पार्लामेंट)

द है, किन्तु जनता उसके



प्रति विद्रोह कर रही है और ब्रिटेन-प्रवासी राजा की ही भक्त है। नात्सिय का अत्याचार चालू है। १९४१ में अनेक नार्वेजियनो को वह फाँसी चुके हैं। देशघाती किसलिंग का विश्वासघात ससार में, अन्य देशों को हडप के लिये, अब जर्मन दुर्नीति का पर्याय बन गया है।

निरस्त्रीकरण—राज्यो की सेना तथा अस्त्र-शस्त्रो में इतनी कमी करना जितनी कि उस राज्य की आन्तरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक हो और जिससे एक राष्ट्र दूसरे पर हमला न कर सके।

निरस्त्रीकरण-सम्मेलन—यह अन्तर्राष्ट्रीय-सम्मेलन राष्ट्रसंघ के कार्यालय, जिनेवा, में २ फरवरी १९३२ को, शस्त्रीकरण में कमी करने के उद्देश्य में हुआ था। लोकानो-सधि के बाद, १२ दिसम्बर १९२५ को, निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए एक कमीशन की नियुक्ति का निर्णय किया गया। १५ फरवरी १९२६ को कमीशन की बैठक हुई। ६ दिसम्बर १९३० को एक मसविदा तैयार किया गया जिसमें वास्तव में निरस्त्रीकरण के लिये कोई प्रभावकारि योजना नहीं थी। इसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि जर्मनी का निरस्त्रीकरण ठीक उसी सीमा तक स्थिर रहे जो वर्साई की सधि में तय हुआ चुका है। जर्मनी ने इसे अस्वीकार किया और समानता का दावा किया। २४ जनवरी १९३१ को राष्ट्रसंघ की कौंसिल ने यह निश्चय किया कि शस्त्रीकरण की कमी के लिए एक सम्मेलन किया जाय। २ फरवरी १९३२ को यह सम्मेलन हुआ।

ब्रिटिश राजनीतिज्ञ आर्थर हेडरसन इस सम्मेलन के 'सभापति' थे। संयुक्त-राज्य अमरीका ने भी इसमें भाग लिया। सोवियत रूस ने निरस्त्रीकरण के लिए एक क्रान्तिकारी योजना पेश की। जर्मनी ने समानता का दावा पेश किया। फ्रान्स ने अपनी सुरक्षा का राग गाया। २३ जुलाई को कठिनाइयो का सामना करने के बाद, वह स्थगित होगया। ११ दिसम्बर १९३२ को जर्मनी का समानता का दावा स्वीकार किया गया। १६ मार्च १९३३ को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान-मंत्री रैम्से मैकडानल्ड ने एक मसविदा तैयार किया। इसमें पूर्ण रूप से निरस्त्रीकरण की तो नहीं किन्तु शस्त्रो तथा सेना को मर्यादित बनाने की योजना थी। ८ जून १९३३ को यह योजना स


सम्मति से स्वीकार करली गई। जर्मनी तथा फ्रान्स ने वाधाएं डाल दीं। इस प्रकार १४ अक्टूबर १९३३ को, जर्मनी के सम्मेलन से निकल जाने के बाद, यह प्रयास विफल होगया।

निहिल्जिम—सन् १८६० के बाद रूस में इस बौद्धिक विचारधारा का उदय हुआ, जो प्रसिद्ध उपन्यासकार तुर्गनेव की रचना 'पिता और पुत्र' द्वारा और सम्पुष्ट होगई। राष्ट्र में व्यक्ति की स्वाधीनता पर ही यह अधिक जोर देती है। वास्तव में इसका अराजकतावाद से कोई मवध नहीं है। यद्यपि यह एक क्रान्तिकारी विचारधारा है, परन्तु यह केवल एक दार्शनिक तथा साहित्यिक-धारा ही रही है। व्यावहारिक राजनीति में इसका कोई उपयोग नहो है।

न्यूजीलैण्ड—ब्रिटिश राष्ट्र-समूह का एक देश। क्षेत्रफल १,०३,४०० वर्गमील, जन-संख्या १६,००,०००। राजधानी वेलिंगटन। सन् १८४० में अंगरेजों ने इसे अपना उपनिवेश बनाया। ब्रिटिश गवर्नर-जनरल रहता है। एक पार्लमेण्ट है,

जिसमें दो सभाएँ हैं : एक प्रतिनिधि सभा, दूसरी व्यवस्थापिका परिषद्।

संसार में इस देश के नागरिकों का जीवन-मापदंड सर्वोत्कृष्ट है। न्यूजीलैण्ड ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति सबसे अधिक राजभक्त है। ६० प्रतिशत न्यूजीलैण्ड का निर्यात-व्यापार ब्रिटेन के साथ होता है। ब्रिटेन न्यूजी-



लैण्ड से मास, बकरियों, भेडे, पनीर तथा मक्खन अधिक मात्रा मे मँगाता है । सन् १९३५ से यहाँ मज़दूर सरकार क्रायम है । इस सरकार ने समाजवादी अनेक सुधार किये हैं : ४४ घण्टे का सप्ताह, निश्चित वेतन, अनिवार्य मज़दूर-संघ, पेशनों मे वृद्धि, कृषि-मज़दूरों के लिये नियत दैनिक मज़दूरी, राज्य की ओर से पैदावार की विक्री का प्रबन्ध, स्वास्थ्य तथा प्रमूताओं के लिये समुचित व्यवस्था, विधवाओं, अनाथों और अपाहिजों के लिये पेशन तथा पारिवारिक वृत्तियाँ । वर्तमान युद्ध मे न्यूज़ीलैण्ड ने ब्रिटेन की खूब मदद की है । उसकी सेनाएँ क्रीट, यूनान और अफ्रीका मे लडी हैं और लड रही हैं ।

न्यू फाउंडलैण्ड—यह सबसे पुराना अँगरेज़ी उपनिवेश है । सन् १९३३ तक यह औपनिवेशिक-स्वराज्य-भोगी देश रहा । इसके बाद, राजस्व-संबंधी कठिनाइयों के कारण, उसका 'औपनिवेशिक स्वराज्य' पद वापस ले लिया गया । आजकल इसका शासन-प्रबन्ध एक गवर्नर तथा कमीशन द्वारा किया जाता है । कमीशन मे ब्रिटेन तथा न्यू फाउंडलैण्ड के तीन-तीन प्रतिनिधि हैं । इसका क्षेत्रफल ४२,७०० वर्गमील तथा जनसंख्या २,८५,००० है ।

नेहरू, पंडित जवाहरलाल—महात्मा गांधी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय तथा प्रभावशाली नेता । १४ नवम्बर सन् १८८६ को काश्मीरी (सारस्वत)-ब्राह्मण-कुल मे, प्रयाग के मीरगज मुहल्ले मे, जन्म हुआ । १५ वर्ष की आयु तक घर पर ही शिक्षण हुआ । उसके बाद पढने विलायत भेजे गये । हैरो तथा ट्रिनिटी कॉलिज (केम्ब्रिज) मे शिक्षा प्राप्त की । बी० एमसी० और एम० ए० के बाद आपने बैरिस्टरी पास की । १९१२ मे देश लौटे और इसी वर्ष प्रथम बार कांग्रेस-अधिवेशन मे शरीक हुए । पिता के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में बकालत शुरू की । १९१६ मे कमलाजी के साथ आपका विवाह हुआ, १९१७ मे इदिरा का जन्म । दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह, १९१४ मे, आपने ५०००) इकट्ठा करके गांधीजी को भेजा । सन् १९१८ मे इंडियन होम रूल लीग के मंत्री रहे । उसी वर्ष कांग्रेस मे प्रवेश किया । १९१९ में रौलट कानून के विरुद्ध छिडे आन्दोलन के समय से आप पूर्ण वेग के साथ देश के काम मे एकनिष्ठा से लग पडे । इसी समय आप अपने यशस्वी और वैभवशाली पिता, पं० मोतीलाल नेहरू, को भी पूर्ण रूप से राष्ट्रीय

क्षेत्र में उतार लाये। १९२० में वकालत छोड़ दी और सन् २०-२१ के अमह-योग आन्दोलन में दो बार जेल-यात्रा की। असहयोग के अवसान के बाद प्रयाग म्युनिसिपल बोर्ड के प्रधान बनाये गये। आपने इसमें अनेक सुधार किये। १९२३ के नागपुर भूडा सत्याग्रह का संगठन किया। उसी साल कोकनाडा कांग्रेस में प्रथम बार स्वयंसेवक दल का संगठन हुआ और आप उसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसी साल आपको प्रथम बार कांग्रेस का प्रधान मन्त्री चुना गया।

१९२६ में योरप गये। वहाँ साम्राज्य-विरोधी परिषद् के अधिवेशन में एक दिन आप प्रधान बनाये गये। आप रूस भी गये और वहाँ से पूर्ण प्रभावित होकर लौटे। भारत में आपने ही प्रथम बार साम्यवादी विचारधारा को प्रवाहित किया। १९२८ में भारतीय स्वाधीनता सच की स्थापना आपके ही प्रयत्न से हुई। १९२९ में नेहरूजी ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये और नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी। लाहौर में इसी साल, आपके नेतृत्व में, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। २६ जनवरी '३० ई० को समस्त देश में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया।

सन् १९३० में ६ मास की कैद की सजा मिली। जब आप जेल में ही थे, तब अपने पिता, प० मोतीलाल नेहरू, सहित—जिन्हें भी उस समय तक सजा दी जा चुकी थी और जो नैनी जेल में अपने पुत्र के साथ ही थे—गाधी-इर्विन-समझौते के सम्बन्ध में, स्पेशल ट्रेन द्वारा प्रयाग से यरवदा जेल गाधीजी से परामर्श करने के लिये लेजाया गया। कांग्रेस प्रेसिडेंट की हैसियत से, आपकी अनुमति के बिना, समझौता कैसे होता। सन् १९३२ में, लार्ड विलिंग्डन के शासन-काल से, गाधी-इर्विन समझौता टूटने पर, आपको सयुक्त-प्रान्त के पीडित और त्रस्त किसानों की सुध लेने के कारण, २ वर्ष कैद की सजा दी गई। किन्तु माता की बीमारी के कारण, सजा पूरी होने से पेशतर, छोड़ दिये गये।

सन् १९३४ में बिहार-भूकम्प के बाद, पिछले दिनों कलकत्ते में दिये गये किसी भाषण के कारण, 'राजद्रोह' के अपराध में, आपको दो वर्ष की सजा दी गई। किन्तु कमलाजी की बीमारी के कारण आपको बीच में छोड़ दिया


नेहरू

गया। सरकार इस बार आप पर कुछ प्रतिबन्ध लगाकर छोड़ना चाहती थी, किन्तु आपने शर्तबन्द रिहाई को नामंजूर कर दिया। छूटते ही आप स्विट्ज़रलैंड गये जहाँ कमलाजी इलाज के लिए भेजी गई थी और इन दिनों अपनी अन्तिम अवस्था में पड़ी थीं। सन् '३५ तक पण्डित नेहरू बराबर कांग्रेस के मन्त्री चुने जाते रहे।

१९३६ में देश ने आपको कांग्रेस का फिर प्रेसिडेंट चुना और १९३७ में भी आपही अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस समय, सार्वजनिक चुनावों के अवसर पर, आपने देश का अथक तूफानी दौरा किया। चुनावों में, इस कारण, ज़बर-दस्त सफलता मिली।

सन् १९३८ में आप पुनः योरप गये। गृह-युद्ध-ग्रस्त स्पेन और चीन का भी आपने भ्रमण किया। सन् १९३९ के अन्तिम दिनों में आपको गोरखपुर में चार वर्ष कैद की सज़ा मिली। सन् १९४० में व्यक्तिगत सत्याग्रह छिड़ा। सन् '४१ की आम रिहाई के समय आप छोड़ दिये गये। क्रिप्स प्रस्तावों की विफलता के बाद देश में उत्पन्न हुए वातावरण और 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव के बाद, आपभी ६ अगस्त १९४२ के प्रातःकाल, बम्बई में, गान्धीजी आदि अन्य नेताओं के साथ, पकड़ लिए गये।

वह राष्ट्र के उद्योगीकरण के पक्ष में हैं, और राष्ट्रीय उद्योग-निर्मात्री समिति के भी अध्यक्ष हैं। वह फासिज़्म के भी उतने ही विरोधी हैं जितने साम्राज्यवाद के। कांग्रेस में वह एक शक्ति हैं। उनमें विश्लेषणात्मक बुद्धि है तथा वह सिद्धान्तों के प्रेमी हैं। वह अंग्रेज़ी के विद्वान् तथा उच्च कोटि के लेखक हैं। उनकी अंग्रेज़ी लेखन-शैली की आक्सफर्ड के प्रसिद्ध आलोचक प्रोफेसर ऐडवर्ड टाम्सन और सुविख्यात अंगरेज़ लेखक मि० गुन्थर ने बहुत प्रशंसा की है। अंग्रेज़ी में उनकी "मेरी कहानी," "विश्व इतिहास की झलक," "हिन्दुस्तान की सम-



स्थाएँ,” “पिता के पत्र पुत्री के नाम,” “लडखडाती दुनिया,” आठ विश्व-विख्यात पुस्तके हैं। इनके हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं।

नोबेल पुरस्कार—ए० वी० नोबेल स्वीडन का एक रसायन-शास्त्री, वैज्ञानिक तथा इन्जीनियर था। सन् १८६६ में उसकी मृत्यु हुई। उसने अपने जीवन में कई युद्धोपयोगी विस्फोटक रासायनिक अन्वेषण किये, जिनसे वह थोड़े ही समय में मालामाल होगया। मृत्यु के उपरान्त, उसकी आन्तरिक इच्छा-पूर्ति के लिए, एक ट्रस्ट बनाया गया और उसकी ओर से प्रति वर्ष पाँच पुरस्कार भौतिक-विज्ञान, रसायन-शास्त्र, शरीर-विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य तथा सान्सारिक शान्ति के लिए ससार के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, लेखक, कवि तथा शान्ति-प्रचारक व्यक्ति वा सस्था को भेट किये जाने की व्यवस्था की गई। पिछले १७ वर्षों में, शान्ति-प्रयास के लिये, यह पुरस्कार तीन अंगरेज सर आस्टिन चेम्बरलेन, सर नार्मन ऐञ्जेल तथा लार्ड सैसिल को प्राप्त हो चुका है। प्रत्येक पुरस्कार एक लाख रुपये से अधिक का है। भारतीयों में अब तक यह स्वर्गीय रवीन्द्र-नाथ ठाकुर को (साहित्य) और सर चन्द्रशेखर वेङ्कट रमण को (भौतिक-विज्ञान) में मिल चुका है।



ए० वी० नोबेल

नौकरशाही—उच्च राज-कर्मचारियों द्वारा किसी देश का यथेच्छ शासन। जो देश का नौकर होकर भी उस पर मनमानी हुकूमत करे—जैसे भारत के सिविल सर्वेन्ट (नौकर)। भारत में यह शब्द सन् १९१६ से बहु-प्रचलित है, जबकि, यथेष्ट राजनीतिक विकास के अभाव में यहाँ, इंडियन सिविल सर्विस के सदस्यों द्वारा, शासन-सूत्र संचालित होता रहा। बीच के कुछ राजनीतिक सुधारों के बाद जब, नवम्बर १९३६ में, युद्ध के प्रश्न पर कांग्रेस मन्त्रि-मण्डलों ने त्याग-पत्र दे दिए तब मदरास, बम्बई, सीमाप्रान्त, बिहार, उड़ीसा (जहाँ

दो वर्ष बाद दिखाऊ मंत्रि-मण्डल फिर बन गया), मध्य-प्रदेश, आसाम (पीछे अगस्त '४२ में वहाँ, लगभग तीन वर्ष बाद, मंत्रिमण्डल बन गया) तथा संयुक्त-प्रान्त में गवर्नरों ने इंडियन सिविल सर्विस के सदस्यों की सलाह से शासन करना शुरू कर दिया। इस समय भारत के ६ प्रान्तों में नौकरशाही शासन है।

प

पंचम पंक्ति या दल—(फिफ्थ कालम) इन नीति का स्रजन और प्रथम प्रयोग स्पेन के गृह-युद्ध (१९३६-३९) के समय हुआ। स्पेन के गृह-युद्ध में प्रजातन्त्र-द्रोही जनरल फ्रांको के एक सहयोगी, जनरल मोलर, ने भी भाग लिया। फ्रांको के नियंत्रण में देशद्रोही सेना के चार दस्ते प्रजातंत्र सरकार की फौज पर आक्रमण कर रहे थे। उस समय जनरल मोलर ने कहा—“हमारा पंचम दल पहले से ही नगर में है। वह मैड्रिड को हस्तगत करने में हमारी बड़ी सहायता करेगा।” यह स्पष्ट है कि ‘पॉंचवे दल’ से उसका अभिप्राय, उन मैड्रिड-निवासियों से था, जिनकी आन्तरिक सहानुभूति जनरल फ्रांको के साथ थी। जनरल फ्रांको के गुप्तचर तथा छद्मवेशी कर्मचारी गुप्त रूप से प्रजातंत्र सरकार से मिलकर फ्रांको की विजय की बुनियाद डाल चुके थे। हर हिटलर ने भी स्पेन की इस युद्ध-कला का खूब प्रयोग किया है।

पंचवर्षीय योजना—सोवियत रूस ने, आर्थिक-जीवन के निर्माण के लिये, सबसे पहले सन् १९२७ में, पाँच वर्षों के लिये, कार्यक्रम निर्धारित किया। इस कार्यक्रम में आधारभूत उद्योगों के विकास पर सबसे अधिक जोर दिया गया। जनता ने, अभाव की अवस्था में होने पर भी, इस योजना में सहयोग दिया। सन् १९३२ में पाँच वर्ष के लिये फिर एक कार्यक्रम बनाया गया। इसी प्रकार सन् १९३७ में १९४२ ई० तक के लिये तीसरी पंच-वर्षीय योजना

बनाई गई। इन योजनाओं से रूस के उद्योगों में जो उन्नति हुई है, वह निम्न-लिखित अंकों के तुलनात्मक अव्ययन से स्पष्ट है:—


(आँकड़े दस लाख गुने टनों में)

सन् १९२७	सन् १९३८	सन् १९२७	सन् १९३८
कोयला ३५	१४०	तेल ११	३०
कच्चा लोहा ३	१५	सीमेंट ११	६६
ईसपात ३	१८	मोटर्स ०	१,७०,००० (Units)

इन योजनाओं द्वारा खेती को सामूहिक और कृषि-उत्पादन को यान्त्रिक बनाया गया। फलतः करोड़ों देहाती जनता में नये धन्धों को करने की क्षमता उत्पन्न हा गई। इसीके कारण सन् १९१३ में इनमें जो औद्योगिक पैदावार थी उससे सन् १९३८ में ६ गुनी अधिक बढ़ गई, और इस अवधि में कृषि में ११८ प्रतिशत वृद्धि हुई तथा पशुओं में, सन् १९१६ की अपेक्षा, १०४ प्रतिशत। इन योजनाओं का उद्देश्य है देश को इतना स्वाश्रयी बना देना कि बहुत कम मात्रा में विदेशों से माल खरीदना पड़े।

पनडुब्बी (सबमैरीन)—यह एक प्रकार का युद्ध-पोत है, जो समुद्र पर चलता है और शत्रु के जलयानों पर, टारपीडो के द्वारा, हमला करता है। यह अपनी इच्छा से समुद्र में जलमग्न होजाता है और शत्रु के जलयान के निकट जाकर पानी के ऊपर आजाता है। पनडुब्बी पानी के ऊपर तेल के इंजिन से और पानी के भीतर बिजली की मोटरों से चलती है। समुद्र में आने-जानेवाले जहाजों को पनडुब्बियों से बड़ा खतरा रहता है।

पन्त—पंडित गोविन्द वल्लभ—कांग्रेसी नेता। बी० ए०, एलएल० बी०। सन् १९३४ में केन्द्रीय धारासभा के सदस्य चुने गये। केन्द्रीय धारासभा की कांग्रेस-पार्टी के उप-नेता रहे। राजस्व तथा अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ हैं। सन् १९३७ में जब कांग्रेस ने



पदग्रहण की नीति स्वीकार की तब पन्तजी सयुक्त-प्रान्तीय सरकार के प्रधान-मंत्री नियुक्त किये गये। उन्होंने अपने शासन-काल (१९३७-३९) में शिक्षा, उद्योग-व्यवसाय, कृषि, ग्राम-देहात, निरक्षरता, जेल-शासन, शराब-बोरी में थोड़े सुधार किये। आप दक्षिणानूसी प्रकार के राजनीतिज्ञ हैं। सन् १९३९ के अक्टूबर में कांग्रेस के निश्चयानुसार पन्त-सरकार ने मन्त्रित्व से त्याग-पत्र दे दिया। सन् १९४० के युद्ध-विरोधी सत्याग्रह में आपको एक साल की सजा मिली। सन् '४२के अगस्त में देशव्यापी दमन में आप भी जेल भेज दिये गये।

परमानंद, भाई—दो वर्ष पूर्व तक हिन्दू महासभा के प्रथमकोटि के नेता। लाहौर के डी० ए०-वी० कालिज में अध्यापक थे। सन् १९१५ में गदर-पार्टी-केस में मुकदमा चला और प्राणदण्ड की आज्ञा दी गई। बाद में सजा कालेपानी (आजन्म देश-निष्कासन) में बदल दी गई। कालेपानी में मनस्विता-पूर्वक विकट यातनाएँ भेलीं। दो मास तक वहाँ भूख हडताल की। सन् १९२० के क्षमा-दान में रिहा हुए। स्वर्गीय पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय के साथ राष्ट्रीय-क्षेत्र में योग-दान दिया। पंजाब राष्ट्रीय विद्यापीठ के पीठस्थविर (चान्सलर) रहे। सन् १९२५ के वृन्दावनवाले हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए। सन् १९३३ में हिन्दू महासभा (प्रजमेर) अधिवेशन के सभापति बने। सन् १९३४ में ज्वाइट पार्ल-मेंटरी कमिटी के समक्ष लन्दन में, हिन्दू महासभा की ओर से, गवाही देने गये। उसी वर्ष केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव में पंजाब से, हिन्दू महासभा की ओर से, चुने गये। भाईजी पुरातन देशभक्त, हिन्दू महासभा के प्रभावशाली नेता, बकास तथा हिन्दी के विद्वान् लेखक हैं। हिन्दी-साहित्यिक 'हिन्दू' के श्राव्य सम्पादक हैं।

पाइस द्वादश—रोम का २६१वाँ पोप । जन्म २ मार्च १८७६ ई० । रोम में सन् १९०६—१४ तक धार्मिक (ईसाई) कूटनीति का प्रोफेसर रहा । सन् १९३० में राज्य के धर्म-विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया । पाइस एकादश का प्रवान सलाहकार रहा । २ मार्च १९३६ को, पाइस एकादश की मृत्यु के बाद, पाइस द्वादश नियुक्त किया गया । पोप रोमन-कैथलिक ईसाई-सम्प्रदाय का प्रधान आचार्य या महन्त है । कैथलिक ईसाइयत सनातनवादी, लूडि-प्रधान सस्था है, जिसके धार्मिक-उपचारों में ईसा, उनकी माता मरियम, तथा उनके शिष्यों की मूर्तियों के प्रति आस्था और भक्ति-भावना भी सम्मिलित है । रोम कैथलिक ईसाइयों का गढ़ है । पोप यहीं, अपने वैटीकन में, रहता है । उसके वहाँ शानदार महल हैं, जहाँ वह राजसी वैभव से रहता है । कैथलिक धर्मानुयायी देशों में पोप का बड़ा प्रभाव है । उत्तरी अमरीका, दक्षिणी अमरीका, ब्रिटेन और रूस को छोड़कर ससार की सभी महत्वपूर्ण राजधानियों में पोप के दूत—प्रतिनिधि—रहते हैं ।

अठारहवीं सदी तक मध्य इटली में पोप की बड़ी रियासत थी, जिसे १८७० में इटली के साम्राज्य में मिला लिया गया । इटली की इस कार्यवाही को स्वीकार करने से पोपों ने इनकार कर दिया । १८२६ तक यह हालत रही कि नये पोप के निर्वाचन के बाद, उक्त कार्यवाही के विरोध स्वरूप, प्रत्येक पोप ने अपने वैटीकन से बाहर जाना बन्द कर दिया । बाद में मुसोलिनी ने पोप और साम्राज्य में समझौता करा दिया है । एक अरब लीरा (इटली का सिक्का) वैटीकन को क्षतिपूर्ति में दिये गये । अब पोप का आधिपत्य केवल वैटीकन तक सीमित है । वैटीकन—पोप के गढ़—में उसीकी सत्ता कायम है । उतने क्षेत्र में उसीका सिक्का और डाक-टिकट चलता है ।

पोप समाजवाद और साम्यवाद का विरोधी है । वह नात्सीवाद का भी विरोधी है—इसलिए कि हिटलर कैथलिक विरोधी है । इटली के फासिज्म का वह विरोधी नहीं, फिर भी उसने वर्तमान युद्ध को रोकने और तदुपरान्त इटली को इसमें शामिल होने से रोकने की व्यर्थ चेष्टाएँ की थीं ।

पाकिस्तान—सितम्बर १९३६ में, योरप में युद्ध छिड़ जाने के बाद से, मुसलिम-लीग के अधिनायक मि० मुहम्मदअली जिन्ना ने यह जोरो से कहना

पाकिस्तान

शुरू कर दिया है कि भारतवर्ष प्रजातंत्र के अनुकूल नहीं है। भारत में कोई एक राष्ट्र नहीं है। इस देश में हिन्दू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं। पूर्व की भाँति भारतीय मुसलिमों को वह अल्पसंख्यक सम्प्रदाय न मानकर अलग एक जाति कहने लगे हैं। दोराष्ट्र-सिद्धान्त के आधार पर पिछले लाहौर के मुसलिम-लीग अधिवेशन, मार्च १९४०, में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, जिसका आशय यह है कि भारत के भावी शासन-विधान के अन्तर्गत यहाँ दो अलग-अलग राज्य स्थापित किये जायँ : एक हिन्दोस्तान, जिसमें समस्त भारत तथा देशी राज्य शामिल हैं (परन्तु हैदराबाद तथा बंगाल प्रान्त शामिल नहीं हैं)। दूसरा पाकिस्तान, जिसमें पंजाब, सिन्ध, सीमाप्रान्त, बलोचिस्तान के सूबे तथा काश्मीर-जम्मू, मडी, चम्बा, सुकेत, फरीद-कोट, बहावलपुर, नाभा, पटियाला, कपूरथला, मलेरकोटला, दारेक़लात, लोहारू, बिलासपुर के पंजाबी तथा शिमला के पहाड़ी राज्य शामिल हैं। इसके अनुसार बंगाल-प्रान्त में अलग मुसलिम-राज्य कायम होगा।

पाकिस्तान योजना का भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस), भारतीय राष्ट्रीय उदार सघ (लिबरल फैडरेशन), सिख लीग, दलित जाति-सम्मेलन तथा प्रत्येक हिन्दू-सिख सस्था ने घोर विरोध किया है। अनेक मुस्लिम संस्थाएँ भी इस योजना को देश के लिये विनाशकारी समझती हैं, तथा देहली में अ० भा० आज़ाद मुस्लिम-सम्मेलन, अप्रैल १९४०, के देहली अधिवेशन में इसका घोर विरोध किया गया था। इसके अतिरिक्त मजलिसे अहरार, जमीअतुल-उलमा-इ-हिन्द, भारतीय शिया कान्फरेन्स, बिहार मुसलिम स्वतंत्र-दल, अजुमने वतन, अ० भा० मोमिन सम्मेलन तथा सभी राष्ट्रवादी मुसलमानों ने एक स्वर से पाकिस्तान का घोर विरोध किया है। मोमिन सम्मेलन ने तो १९४१ और '४२ में भारत-मन्त्री को तार देकर मूचित किया था कि भारत के चार करोड़ मोमिन पाकिस्तान के विरोधी हैं और वह मि० जिन्ना को सब मुसलमानों का क्राइडे-आज़म (प्रमुख नेता) नहीं मानते। अपनी कान्फरेन्सों में वह अनेक बार इसका विरोध कर चुके हैं।

मुसलिम लीग-कार्यकारिणी के सदस्य और पंजाब सरकार के प्रधान-मंत्री सर सिकन्दर हयात खॉ मरहूम ने कभी खुलकर इस मसले का समर्थन

नहीं किया था। बंगाल-सरकार के प्रधान-मंत्री मौलवी फजलुल हक ने भी, जो मुस्लिम लीग कार्य-समिति के प्रभावशाली प्रमुख सदस्य रहे हैं, इस योजना का जोरदार विरोध किया है। सन् १९४१ में जो हक-जिन्ना-पत्र-व्यवहार समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था, उसमें यह स्पष्ट प्रकट होता है। हक साहब ने मि० जिन्ना को लिखा था:—“कृपया कोई ऐसा हल सोचिए जिससे भारत आगे बढ़ सके। अगर आप यह मोचते हैं कि वह केवल पाकिस्तान योजना है और कुछ भी नहीं, तो आप, लोगों को बुलाकर उन्हें अपना आशय स्पष्ट क्यों नहीं कर देते? जनता ने अभी तक न तो इसे भली-भाँति समझा है और न वह इसकी प्रशंसा करने के योग्य है।”

इसका विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने लिखा है—“मैं इसका विरोध करने में प्रत्येक अहिंसात्मक उपाय का प्रयोग करूँगा। क्योंकि इसका अर्थ होगा सदियों से असख्य मुसलमानों तथा हिन्दुओं द्वारा एक राष्ट्र की नाई साथ-साथ मिलकर रहने के प्रयत्न का सर्वनाश।” (‘हरिजन’ १३-४-४०)

पाकिस्तान की समस्या को क्रिप्स की योजना से बल मिला। साथ ही गत वर्ष पार्लमेन्ट में ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मि० चर्चिल और भारत-मन्त्री मि० ऐमरी के भाषणों ने भी इस समस्या को दुरूह बनाया है। इसी योजना के आधार पर ब्रिटिश अधिकारी भारतीय सम्प्रदायों के मतैक्य के अभाव का नाम लेकर भारतीय राजनीतिक सङ्घटन का कोई निपटारा नहीं कर रहे हैं। यह योजना वास्तव में हैदराबाद उसमानिया विश्वविद्यालय के प्रो० डा० सय्यद अब्दुल लतीफ के मस्तिष्क की उपज है। प्रो० लतीफ ने पहली बार, सन् १९३७ में, इसका उल्लेख किया, जब वह विलायत में पढ़ रहे थे। किन्तु डा० लतीफ साहब आज पाकिस्तान को उस रूप में नहीं मानते, जिसमें कि मि० जिन्ना इसे पेश करते हैं। मि० जिन्ना के पाकिस्तान के डा० लतीफ अनुयायी नहीं। वह समझौता नीति के पोषक और मि० जिन्ना की हठधर्मी के विरोधी हैं। अभी तक मुस्लिम-लीग ने पाकिस्तान की कोई प्रामाणिक योजना नहीं बनाई है। विविध स्वतंत्र मुसलिम लेखकों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से विचार प्रकट किये हैं।

है, जिसमें अंगोला, गिनी, मोज़ामबिक हैं। इनके अलावा गोंया (भारत) तथा सुदूरपूर्व में भी उसके उपनिवेश हैं। यह देश तटस्थ है। ब्रिटेन से इसका मित्रता का सम्बन्ध है। पुर्तगाल के अजोर और केप वर्डे द्वीपसमूह, अतलान्तिक में, सामरिक दृष्टि से, बहुत महत्त्वपूर्ण टापू हैं। सुदूर पूर्व में उसके चीन के मकाओ नामक देश पर जापान कब्ज़ा कर चुका है और तिमोर पर १९४१ के दिसम्बर में मित्रराष्ट्रो ने अधिकार जमा लिया है।

पूँजीवाद—पूँजीवाद वह आर्थिक प्रणाली है, जिसके अन्तर्गत उत्पादन, वितरण तथा विनिमय के समस्त साधन अर्थात् सम्पूर्ण आर्थिक-जीवन का स्वाम्य कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहता है। उत्पादन के साधन—कृषि, भूमि, खाने, कारखाने, मकान, रेल, जहाज़, मोटर इत्यादि हैं। वितरण के साधन—इन समस्त उत्पादन के साधनों द्वारा जो पैदावार-उपज होती है, उसके वितरण तथा विनिमय के साधन मडियों, बाजार, बैंक इत्यादि हैं। आधुनिक युग में इन सब पर पूँजीपतियों का अधिकार है। दूसरा वर्ग उन लोगों का है, जिनका इन साधनों पर कोई अधिकार-आधिपत्य नहीं है। वे मज़दूर, श्रमजीवी तथा सर्वहारा कहलाते हैं। उनके पास केवल श्रम-शक्ति है। वस, वे उसे भी पूँजीपतियों को बेच देते हैं। उस श्रम-शक्ति के बदले में उन्हें कुछ मज़दूरी मिल जाती है। वर्तमान समाज में सर्वहारा वर्ग विशाल बहुमत में है।

समाजवाद पूँजीवाद का विरोधी है। समाजवाद के अनुसार उत्पादन और वितरण के इन समस्त साधनों पर समस्त समाज—राष्ट्र—का स्वाम्य होना चाहिए, कुछ व्यक्तियों, पूँजीपतियों का, नहीं। वह समस्त उद्योग-धन्धों और कृषि का समाजीकरण चाहता है।

पूँजीवाद के समर्थक यह दलील देते हैं कि ससार में आज जो उन्नति तथा उत्कर्ष दिखलाई दे रहा है, वह पूँजीवाद के कारण ही संभव हो सका है। पूँजीवाद जनता की भलाई चाहता है, परन्तु साथ ही वह व्यक्तिवाद का समर्थक है।

समाजवादी यह कहते हैं कि पूँजीवाद एक विशेष अवस्था तक ही अपना काम करता है। इसके बाद उसमें अन्तर्द्वंद्व पैदा हो जाता है। एक पूँजीवादी दूसरे पूँजीवादी को नष्ट कर देना चाहता है। बड़े पूँजीवादी छोटे

को अपना शिकार बनाते हैं, और इन बड़े पूँजीवादियों के विनाश के लिए संसार के महान् पूँजीपति, अन्तर्राष्ट्रीय गुटों द्वारा, संसार के प्रमुख व्यवसायों पर एकाधिकार कर लेते हैं। आधुनिक पूँजीवाद का जन्म व्यावसायिक उथल-पुथल से हुआ और इसने साम्राज्यवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद तथा फासिज़्म को जन्म दिया। फासिज़्म के रूप में पूँजीवाद को राज्य से सहायता मिली।

पूना समझौता—१७ अगस्त १९३२ को ब्रिटिश प्रधान-मंत्री (अब मृत) श्री रैम्जे मैकडानल्ड ने 'साम्प्रदायिक निर्णय' प्रकाशित किया, जिसके अनुसार भावी शासन-विधान (१९३५) द्वारा स्थापित धारा-सभाओं में भारत के सम्प्रदायों के लिये प्रतिनिधियों की संख्या का अनुपात तथा निर्वाचन-प्रणाली निर्धारित की गई। परिगणित (दलित) जातियों के लिये प्रधान-मंत्री ने विशेष-निर्वाचन प्रणाली की योजना उसमें रखी, जिसके अनुसार दलित जातियों के निर्वाचनों के पृथक् मण्डल रखे गये, परन्तु उनके मतदाताओं को अन्य हिन्दुओं के उम्मीदवारों को मत देने तथा उनके चुनाव में खड़े होने का अधिकार भी दिया गया। महात्मा गांधी ने इस निर्णय के विरुद्ध, जहाँ तक उसका दलित जातियों से सम्बन्ध था, २० सितम्बर १९३२ को यरवदा जेल में आभरण व्रत रखकर विरोध किया, क्योंकि १९०६ के मिंटो-मार्ले-सुधार में सिख सम्प्रदाय को विशाल हिन्दू राष्ट्र से पृथक् करने के बाद, इस निर्णय द्वारा, हिन्दू राष्ट्र के अंग, दलित समाज, को उससे पृथक् कर देने की यह कूटनीतिक योजना थी। इससे देश में बड़ी बेचैनी तथा नैराश्य छागया। २५ सितम्बर १९३२ को महामना प० मदनमोहन मालवीय के सभापतित्व में हिन्दू तथा दलित वर्ग के नेताओं का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें दोनों पक्षों में समझौता होगया।

२६ सितम्बर १९३२ को यह समझौता सरकार ने स्वीकार कर लिया। यह समझौता १० वर्ष के लिए हुआ है और पूना-पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इस समझौते की प्रथम धारा के अनुसार प्रान्तीय असेम्बलियों में दलित जातियों के लिए इस प्रकार स्थान सुरक्षित किये गये : मद्रास ३०, बम्बई १५, पंजाब ८, बिहार १५, उड़ीसा ६, मध्यप्रदेश २०, आसाम ७, बंगाल ३०, संयुक्तप्रान्त २०। कुल सदस्यों की संख्या १५१।

पूर्ण स्वराज्य—भारतीय राष्ट्रीय महासभा ने अपने १९२६ ई० के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा के साथ यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य को स्वीकार नहीं करेगी। वह ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य नहीं चाहती। परन्तु देश के उदारदली लोग वेस्टमिन्स्टर कानून (Westminster Statute) के अनुसार प्राप्त औपनिवेशिक पद से ही सन्तुष्ट हो जाना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने यह निश्चित रूप से घोषणा कर दी है कि वह भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं चाहते।

पूर्वी राष्ट्र-सम्मेलन—२५ अक्टूबर १९४० को नई दिल्ली में पूर्वीय राष्ट्र सम्मेलन हुआ, जिसमें आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, दक्षिण रोडेशिया, नयासालैण्ड, जमीनार, ब्रह्मा, लका, मलय, हांगकांग तथा फिलिस्तीन राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन लार्ड लिनलिथगो ने किया तथा भारत-सरकार के तत्कालीन कानून-सदस्य सर मुहम्मद जफरुल्लाखॉ ने सभापति का आसन ग्रहण किया। सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि पूर्वीय राष्ट्र युद्ध-सामग्री तैयार करने में परस्पर सहयोग से कार्य करें तथा स्वाश्रयी बन जायें। पूर्वीय देशों में युद्ध का झूतरा है इसीलिए यह सम्मेलन, युद्ध-सामग्री की पैदावार के सम्बन्ध में, विचार करने के लिए, किया गया था। किसी देश में एक युद्ध-सामग्री अत्यधिक पैदा नहीं की जाय, और न ऐसा ही किया जाय कि वह किसी दूसरी वस्तु को पैदा करने में उदासीन रहे। अधिवेशन में बताया गया कि ४०,००० युद्धोपयोगी उपादान में से २०,००० वस्तुएँ भारत में उत्पन्न होती हैं। यह ब्रिटेन के अधीन देशों का सम्मेलन था।

पेटॉ, हैनरी फिलिप—फ्रान्सीसी प्रधान सेनापति। १६ जून १९४० को जब फ्रान्स के प्रधान मंत्री रिनौ ने त्याग-पत्र दे दिया, तब मार्शल पेटॉ प्रधान मंत्री बना। १७ जून '४० को फ्रान्स ने जर्मनी से शान्ति-संधि की वार्ता शुरू की और २२ जून को दोनों देशों के बीच विराम-संधि होगई। १० जुलाई '४० को फ्रान्स की राष्ट्रीय परिषद् का अधिवेशन हुआ, जिसमें परिषद् ने प्रजा-तंत्र-सरकार के समस्त अधिकार मार्शल पेटॉ को दे दिये। फ्रान्स के लिए नया विधान बनाने के लिए भी उससे निवेदन किया गया। इसके अनुसार ११,

१२ और ३० जुलाई '४० को पेटों ने शासन-विधान में ५ सशोधन कानून प्रकाशित किये और प्रजातन्त्र-शासन-विधान को बदलकर वह अनधिकृत फ्रान्स का सर्वेसर्वा बन गया। पेटों का जन्म १८५६ ई० में हुआ। वह १८७८ से सेना में अफसर है। १९१४ में जनरल बना। १९१६ में वदून को बचाया। १९१७ में सेनापति बनाया गया और १९१८ में प्रधान सेनानायक (मार्शल)। १९२५-२६ में इसने मरक्को के विद्रोह का दमन किया। १९२० से '३० तक युद्ध-समिति का उप-प्रधान रहा। १९३१ से राष्ट्रज्ञा समिति का सदस्य है। डूमर्ग-मन्त्रिमण्डल में १९३४ से युद्ध-मन्त्री रहा। पेटों एकदम दक्षिणपन्थी नीति का राजनीतिज्ञ है और १९३६ के फ़ासिस्त षड्यन्त्र में उसका नाम भी लिया गया था। १९३६ में, स्पेनी गृहयुद्ध के बाद, पेटों जनरल फ़ांको के यहाँ फ़्रांसीसी दूत बनाकर भेजा गया था। मई १९४० में मोशिये रिनौ ने उसे अपने मन्त्रिमण्डल में उप-प्रधान-मन्त्री बनाया, किन्तु वह मोशिये लावले के प्रभाव में आकर नात्सी-पक्षपाती बन गया और जून १९४० में उसने फ़्रान्स को नात्सियों के अधीन कर दिया। उसकी आयु ८५ वर्ष है।



पेशावर हत्याकाण्ड—



पैज़र-सेना—यह एक प्रकार की जर्मन-सेना का नाम है। इस सेना में ४८ भारी टैंक, ८४ छोटे टैंक, २५२ हलके टैंक, २५० फौजी मोटर लारियाँ, ६३ तोपे, २७ बम-वर्षक और २५८ मोटर-साइकिल-सवार होते हैं। इस सेना का अपना एक हवाई सैनिक-दल भी होता है। सबसे आगे मोटर साइकिल-सवारों का दल चलता है। इसके पीछे टैंक-विध्वंसक तोपों का दल होता है। सेना के सबसे पीछे इञ्जीनियरो का दल होता है। यह दल समय-समय पर रण-क्षेत्र की दुरुस्ती करता है। जब यह पूरी सेना एक दिशा में इस प्रकार चलती है तो इसका आगे का भाग नुकीला होजाता है। इससे इसको शत्रु की सेना को वेधकर भीतर प्रवेश करने में बहुत मदद मिलती है। यह सेना धावा बोलने में बड़ी तीव्र होती है। फ्रान्स की हार का एक कारण पैज़र-सेना का भीषण आक्रमण भी था।

पैपेन, फ्रान्ज़ वोन—जर्मन राज-नीतिज्ञ। विगत विश्वयुद्ध के समय अमरीका में जर्मनी की ओर से सामरिक-दूत था। अमरीका के हथियारों के कारखानों को उड़ा देने के षड्यन्त्र से सम्बन्धित पाया गया और अमरीका से निकाल दिया गया। उसने अपना एक दल



कायम किया और जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग को प्रभावित कर १९३२ में, कुछ दिनों के लिये, जर्मनी का चान्सलर बन गया। १९३३ ई० में वह पद त्याग दिया और हिटलर को नात्सी सरकार बनाने में मदद दी। सन् १९३४ में उसने हिटलर के विरुद्ध विद्रोह करना आरंभ कर दिया। हिटलर ने उसके सहयोगियों को ३० जून १९३४ को मरवा डाला, परन्तु पैपेन को छोड़ दिया। बाद में वह हिटलर का सहयोगी बन गया। आस्ट्रिया में राजदूत बनाकर भेजा गया और अब, पिछले चार साल से, तुर्की में नात्सी-राजदूत है।

पैराशूट—जंगी छतरी जिसके ज़रिये उड़ते हुए वायुयान में से सैनिक भूमि पर उतरता है। वर्तमान युद्ध में पहली बार जर्मनी ने, शत्रु-देशों में सेनाएँ उतारने के लिए, इस जंगी छतरी का बहुत प्रयोग किया। जर्मन सैनिक पैराशूट से नीचे उतरते समय एक छोटी मशीनगन तथा एक मोटर बाइक लेकर उतरते हैं। जर्मनी सबसे बड़े पैराशूट का प्रयोग कर रहा है। पैराशूट का व्यास ३० फीट होता है। पैराशूट २०० पौंड वजन नीचे उतार सकता है। इसमें १४० पौंड तो सैनिक के शरीर तथा वस्त्रों का वजन तथा ६० पौंड वजन उसके अस्त्रों आदि का होता है। कम-से-कम १५० फीट की ऊँचाई से इस छतरी का प्रयोग किया जा सकता है और अधिक-से-अधिक ६ मील की ऊँचाई से। इसके द्वारा सैनिक बहुत मन्द गति से नीचे उतरता है। उतरने की रफ़्तार १६ मील फी घन्टा है। कहा जाता है कि जर्मनी ने जब हालैरड पर आक्रमण किया तब एक दिन में ५०० सिपाही पैराशूट से उतारे। इनमें से ४३८ तो मर गये शेष ६२ ही सकुशल भूमि तक पहुँच सके।

पैसफील्ड, लार्ड—पहले इनका नाम सिडनी जेम्स वैब था। यह ब्रिटिश मज़दूर नेता हैं। सन् १८५६ में जन्म हुआ। सन् १८८३ से फेब्रियन सोसाइटी के नेता हैं। इन्होंने मार्क्सवाद के विरुद्ध ब्रिटिश समाजवाद के 'क्रमिक-प्रगतिवाद' सिद्धान्त का विकास किया, जिसे १९१८ में ब्रिटिश मज़दूर दल ने अपना लिया। इन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं। इनकी सम-विदुषी सहधर्मिणी ने भी इनके साहित्यिक उद्योग में सहयोग दिया और कई पुस्तकें लिखीं। १९२२ से १९२६ तक, प्रथम मेकडानल्ड-सरकार के , कामन्स सभा के मज़दूर-दली सदस्य रहे और इसी सरकार में १९२६ से

१३१ तक उपनिवेशो के मन्त्री । सन् १६२६ मे वह लार्ड बना दिये गये, किन्तु उनकी पत्नी ने 'लेडी' उपाधि धारण करने से इनकार कर दिया ।

पोलिश कोरीडर—यह भूमि की एक पतली लम्बी पट्टी है जो पोलैण्ड को बाल्टिक सागर से मिलती है । यह समुद्र-तट की ओर १० मील चौड़ी तथा पोलैण्ड की ओर ६० मील चौड़ी है । सन् १६१६ मे यह प्रदेश पोलैण्ड को दे दिया गया । यह पट्टी पूर्वीय जर्मन-राज्य के बीच मे होकर जाती है तथा जर्मनी को उसका पूर्वीय प्रदेश प्रशा से पृथक् कर देता है ।

पोलैण्ड—क्षेत्रफल १,५०,००० वर्गमील, जनसंख्या, वर्तमान युद्ध से पूर्व, ३,४०,००,००० । रूस, प्रशा तथा आस्ट्रिया ने क्रमशः १७७२, १७६३ तथा १७६५ मे, इस देश को छिन्न-भिन्नकर, अपने-अपने राज्य मे मिला लिया । १२० वर्षों तक स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयत्न करने के बाद, सन् १६१८ मे, विगत विश्वयुद्ध के परिणाम स्वरूप, पोल लोगो को स्वाधीनता मिली । रूस, प्रशा तथा जर्मनी के पोलिश-भाषी प्रदेशो को मिलाकर पोलिश स्वतंत्र राज्य बना । १ करोड १० लाख आबादी की अल्पसंख्यक अन्य जातियो भी इसमे शामिल की गई । वर्तमान विश्वयुद्ध पोलैण्ड से आरम्भ हुआ । पोलैण्ड के कोरीडर, पोजनन् प्रान्त तथा पूर्वी साइलीशिया मे जर्मन बहुसंख्या मे थे । जर्मनी की पोलैण्ड के साथ सन्धि थी । उसके अनुसार इन देशो की समस्त प्रजा की राय ली गई, जर्मनो का बहुमत निकला और जर्मनवासी प्रदेश जर्मनी के अधिकार मे रहा । जिन लोगो ने पोलैण्ड के पक्ष मे मत दिया उनका प्रदेश पोलैण्ड को मिल गया । सन् १६२० मे पोलैण्ड ने रूस के जिस क्षेत्र को ले लिया था उसमे यूक्रेनी और श्वेत रूसी आबाद थे । देश की इस प्रकार सीमा बढ़ जाने से पोलैण्ड के पड़ोसी राष्ट्रों ने आक्षेप शुरू किये, किन्तु पोलैण्ड फ्रान्स के भरोसे पर रहा आया ।


इसके बाद पोलैण्ड मे आन्तरिक शान्ति नहीं रही । सामाजिक और आर्थिक झगडे उठते रहे । सन् १६२६ मे मार्शल पिल्सुड्स्की पोलैण्ड का शासक बन गया । इसके बाद यद्यपि पार्लमेन्ट और शासन-विधान नाममात्र को रहे, किन्तु वस्तुतः देश मे सैनिक अधिनायक-तंत्र का शासन रहा । देश के नेता जेलो मे डाल दिये गये या देश-बाहर कर दिये गये । सन् १६३४ मे पोलैण्ड ने—अगरचे

वह नही चाहता था और जर्मन-विरोधी था—जर्मनी से समझौते की बातचीत शुरू की, और इस प्रकार पोलैण्ड और जर्मनी के बीच १० वर्ष के लिए अनाक्रमण संधि होगई। इसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि पिल्सुड्स्की ने दो बार फ्रान्स और ब्रिटेन से, हिटलर के उत्थान के प्रारम्भिक वर्षों में, कहा कि वह जर्मनी के गिबलाफ युद्ध छोड़ें और जर्मनी की सैनिक तैयारियों को रोकें। पिल्सुड्स्की के प्रस्ताव का परिणाम न निकलते देख पोलैण्ड ने जर्मनी से यह सन्धि करली। सन् १९३५ में मार्शल पिल्सुड्स्की की मृत्यु होगई। इसकी जगह मार्शल स्मिग्ली-रिज ने ले ली। प्रोफेसर मोसिकी प्रजातन्त्र का प्रधान रहा आया, किन्तु वास्तव में देश में राजनीतिक अशान्ति और अनिश्चितता रही। अक्टूबर १९३८ में हिटलर ने चैकोस्लोवाकिया के प्रथम बँटवारे में पोलैण्ड को भाग देना स्वीकार कर लिया था, किन्तु १९३९ के वसंत में हिटलर पोलैण्ड के विरुद्ध पलट पडा और दाज़िग तथा पोलिश कोरीडर के वापस लेने की माँग पेश की। फ्रान्स तथा ब्रिटेन ने पोलैण्ड की सहायता के लिए वचन दिया। १ सितम्बर १९३९ को जर्मन सेनाओं ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी की यान्त्रिक सेनाओं के मुकाबले पोलैण्ड की बुरी तरह पराजय हुई, और विस्चुला नदी के किनारे जब पोल लोग नई रक्षात्मक योजना कर रहे थे तब, १७ सितम्बर १९३९ को, रूस ने भी पूर्वी पोलैण्ड पर अनेक डिवीजन लेकर पीछे से आक्रमण कर दिया और उसके यूक्रेनी और श्वेत रूसी (बल्कि उससे भी अधिक) भाग पर कब्जा कर लिया। १५ दिन के युद्ध के बाद पोलैण्ड का पतन होगया। पोलैण्ड की राजधानी वारसा को चारों ओर से घेर लिया गया था। वहाँ फिर भी पोल बड़ी वीरता से लड़ते रहे, अन्त में वे भी पराजित होगये। पोलिश सरकार रूमानिया भाग गई। राष्ट्रपति मोसिकी ने इस्तीफा दे दिया और अपने स्थान पर मो० रेकूजीविज़ को मनोनीत किया, जो पेरिस में था। इसने फ्रान्स में नई पोलिश सरकार बनाई और पोल सेना को पुनर्संघटित किया, जो नार्वे और फ्रान्स में लड़ी। जून '४० में फ्रान्स के पतन के बाद यह सेना और पोलिश सरकार ब्रिटेन को चली गई। बरतानिया अपने युद्ध-मन्तव्यों में घोषणा कर चुका है कि वह पोलैण्ड पुनः स्वतन्त्र करायेगा। जो पोलिश प्रदेश रूस ने अपने राज्य में मिलाया

उसमे ४० लाख पोल भी हैं। जो प्रदेश जर्मनी के अधिकार मे है उसमे १ करोड ६० लाख पोल हैं। जर्मनी द्वारा अधिकृत पोलैण्ड मे २० लाख यहूदी भी हैं। ल्यूबिन मे जर्मनी ने एक शिविर बनाया है जहाँ सब पोलिश तथा जर्मन यहूदी रखे गये हैं। अधिकृत पोलैण्ड के ३३ हज़ार वर्गमील के ज़िलो को जर्मनी मे मिला लिया गया है और पोल-जनों को वहाँ से निर्वासित कर जर्मनी को आबाद करना शुरू कर दिया है। जर्मन अधिकृत प्रदेश मे डा० फ्रेड्क की अध्यक्षता में सरकार बना दी गई है जहाँ पोल जनता पर नित नये अत्याचार हो रहे हैं। लन्दन प्रवासी पोलिश सरकार के अनुसार जुलाई '४१ और जुलाई '४२ के बीच ३,२०,००० पोलो को फॉसी दी जा चुकी है, किन्तु बहादुर पोल क्राविज़ जर्मनों से डटकर टकर ले रहे हैं और पोलिश सेनाएँ बरतानिया के साथ मिलकर बराबर दुश्मनों से लोहा ले रही हैं।

जून '४१ मे जब जर्मनी ने रूस से भी दगा की और उससे भिड गया, तो रूस द्वारा लिए गये पोलैण्ड के भाग पर नात्सियो ने अधिकार कर लिया। लन्दन-प्रवासी पोलिश सरकार ने, जो अब तक सोवियत यूनियन के प्रति अपने

को युद्ध-रत सम-भक्ती थी, सोवियत यूनियन से, ३० जून सन् १९४१ को, एक समझौता कर लिया, जिसके आधार पर उस ने रूस से फिर अपने राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिए हैं। वह एक दूसरे की हिटलरी



जर्मनी के विरुद्ध सहायता कर रहे हैं, और रूस में एक पोलिश सेना खड़ी की गई है। सोवियत सरकार ने भी १९३६ की सोवियत-जर्मन-सन्धि के पोलैण्ड-सम्बन्धी भाग को रद्द कर दिया है।

प्रभाव-क्षेत्र—प्रभाव-क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे किसी देश अथवा उसके किसी प्रदेश से है जिस पर किसी अन्य राष्ट्र का राजनीतिक प्रभुत्व तो नहीं होता प्रत्युत् वह अपना प्रभाव रखता है। सन् १६०७ में फारिन को अग्रेजो तथा रूसियों ने अपना प्रभाव-क्षेत्र बना लिया। मन्चूको जापान का प्रभाव-क्षेत्र है। बाह्य मंगोलिया रूस का प्रभाव-क्षेत्र है। जर्मनी डेन्यूब-प्रदेश को अपना प्रभाव-क्षेत्र मानता है। चीन संयुक्त-राज्य अमरीका तथा ब्रिटेन और रूस का प्रभाव-क्षेत्र है।

प्रशान्त महासागर का युद्ध—(देखिये—‘सुदूरपूर्व का युद्ध’)।

प्रान्तीय स्वराज्य—भारत के गर्वनरों के ११ प्रान्तों में, सन् १६३५ के शासन विधान के अन्तर्गत, जो शासन-प्रणाली स्थापित की गई है, वह प्रान्तीय स्वराज्य के नाम से प्रसिद्ध है।

यद्यपि प्रान्तीय शासन पूर्णतया प्रजातांत्रिक अथवा उत्तरदायी शासन नहीं है—और स्वराज्य तो वह किसी अर्थ में भी नहीं है—परन्तु जो अर्द्ध-प्रजातन्त्र-प्रणाली स्थापित हो चुकी है उसे पूर्व प्रचलित नौकरशाही से भिन्न करने के लिये ही स्वराज्य (ऑटोनोमी) शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वराज्य का तो अर्थ है अपना शासन।

प्रिवी कौंसिल—आरम्भ में यह ब्रिटेन के राजा की सलाहकारी-समिति थी। प्रिवी कौंसिल सम्पूर्ण रूप से सलाह देने के अधिकार का प्रयोग नहीं करती, प्रत्युत् कौंसिल के सदस्यों के चुने हुए समूह समय-समय पर कार्य-सम्पादन करते हैं। तीन सदस्यों का ‘कोरम’ हो जाता है। बस, जब तीन सदस्य अधिवेशन में शामिल होजाते हैं, तब यह घोषणा कर दी जाती है कि “राजा ने प्रिवी कौंसिल का अधिवेशन किया है।” इसके बाद आर्डर-इन-कौंसिल, शाही घोषणाएँ, तथा शाही कानून पास होजाते हैं। पहले से सरकारी विभाग इनके सम्बन्ध में सिफारिशें कर देते हैं। ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल प्रिवी कौंसिल की एक समिति है। इसलिये मंत्री प्रिवी कौंसिलर होते हैं। प्रिवी-कौंसिलर

(पी० सी०) एक प्रकार की उपाधि है जो, राज्य की सेवा करने के उपलक्ष्य में, व्यक्तियों को दी जाती है । प्रिवी कौंसिल के सदस्य 'राइट आनरेब्ल' कहलाते हैं । प्रिवी कौंसिल की अनेक समितियाँ हैं, परन्तु वे बहुत ही कम अपने अधिवेशन करती हैं । इसकी एक कमिटी न्याय-समिति है, जो अपना काम करती है । इसके सदस्य वकील, लार्ड और पेशनयाफ़ता जज होते हैं । यह ब्रिटिश राष्ट्र-समूह में सर्वोच्च न्यायालय का काम करती है । उपनिवेशों तथा भारत के हाईकोर्टों तथा उच्च अदालतों की अपीलें इसी न्याय-समिति के न्यायाधीशों के सामने सुनी जाती हैं । किन्तु कनाडा की अपनी अलग प्रिवी कौंसिल है । वह इसके आश्रित नहीं ।

फ

फज़लुल हक, मियाँ ए० के०—बंगाल-सरकार के प्रधान-मंत्री । शिन्हा : वार-एट-ला । सन् १९३०-३२ के गोलमेज-सम्मेलन लन्दन के प्रतिनिधि । बंगाल के प्रसिद्ध नेता देशबन्धु चित्तरजनदास के समय में आप कांग्रेस के कार्यकर्ता थे । उसी स्थिति में कलकत्ता कारपोरेशन के मेयर बने । किन्तु पीछे आप पर साम्प्रदायिकता का रंग शुरू हुआ और मुसलिम लीग में शामिल होगये । मि० जिन्ना के प्रमुख सहायक रहे । मुस्लिम-लीग की अ० भा० कार्य-समिति के सदस्य बन गये । किन्तु १९४१ के अन्त में आपके मंत्रिमण्डल में परिवर्तन हुआ और आप साम्प्रदायिकता के दलदल से ऊपर उठे । फलतः



मुसलिमलीगके काइडे आजम (प्रमुख नेता) मि० जिन्ना से आपका मतभेद हुआ और १९४२ के मध्य में जिन्ना माहव ने मि० फज़लुलहक के विरुद्ध अनुशासन भंग की कार्यवाही की और लीग से पृथक् कर दिया। तब में आप राष्ट्रीय विचार-धारा से प्रभावित ह। ८ अगस्त १९४२ के 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव के बाद भारत-व्यापी दमन का भी आपने विरोध किया है और देश के वर्तमान राजनीतिक सङ्कट के सुलभाव के लिए लालायित हैं। जनवरी १९४३ से कलकत्ते और पूर्वीय बंगाल पर जापानियों ने वमवर्षा आरम्भ की है। यह पत्तियाँ छपने तक आठ हमले हो चुके हैं। आपने कहा है कि बंगाल दृढतापूर्वक शत्रु के प्रहारों को सहन करेगा।

फासिज्म—यह इटली का राजनीतिकवाद है। सन् १९१९ में मुसोलिनी ने इसके आन्दोलन को आरम्भ किया। फासिज्म शब्द का मूल (fascio) (फाशियो) शब्द है, जिसका प्रयोग पूर्वकाल में अनेक उग्र संस्थाओं ने किया है। 'फाशियो' का अर्थ है, गट्टा या बण्डल (बॉधना)। रोमन-साम्राज्य के राज-चिह्न पर कुल्हाड़ी सहित बंधी हुई लकड़ियों बनी रहती थीं, जिन्हें अधिकारी धारण करते थे। वस्तुतः फासिज्म का अर्थ है राष्ट्र को किसी सिद्धान्त में बॉधना, सङ्गठित करना। इस दल का कार्यक्रम राष्ट्रीय सत्तावादी, असाम्यवादी तथा प्रजातन्त्र-विरोधी है। फासिज्म संगठित राज्य की स्थापना को अपना लक्ष्य मानता है। फासिज्म का यह दावा है कि वह न तो पूँजीवादी है और न समाजवादी ही। वह व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा तो करता है परन्तु उसे राज्य के नियंत्रण में रखना चाहता है। वर्ग-सघर्ष को अस्वीकार करता है तथा औद्योगिक विवादों को निपिद्ध ठहराता है। मजदूर-सभाएँ तथा मालिकों के संघ सब फासिस्तों के नियंत्रण में हैं।

फ्रांको, फ्रान्सिस्को—स्पेन का सेनाध्यक्ष तथा अधिनायक। १९६२ में पैदा हुआ। मरक्को में स्पेन की सेना में नौकरी की। स्पेनी प्रजातंत्र के अधीन सेनानी रहा और १९२६ में कर्नल होगया। सन् १९३५ में स्पेन का प्रधान सेना-ध्यक्ष होगया। केनारी द्वीपों का गवर्नर रहा। मरक्को से, जुलाई १९३६ में, उसने फौजी-विद्रोह का झण्डा उठाया और १ अक्टूबर १९३६ को फ्रांको ने अपने को राज्य का पूर्ण अधिकारी तथा प्रधान-सेनाध्यक्ष घोषित कर दिया, जिसके

कारण स्पेन में १९३६ ई० तक गृह-युद्ध जारी रहा। इस विद्रोह में उसे इटली तथा जर्मनी से भारी सहायता मिली और प्रजातंत्रवादी स्पेनी सरकार हार गई। मई १९३६ में वह कामिऑर्न-विरोधी-समझौते में शामिल हुआ। २३ अगस्त १९३६ को हुए रूस-जर्मन-समझौते से वह चिन्तित होउठा, क्योंकि उसने अपने देश में हाल ही में उस प्रजातंत्री सरकार को हराया था जिसकी सोवियत रूस ने मदद की थी। इसलिए स्पेन ने, वर्तमान युद्ध के आरम्भ होते ही, अपनी तटस्थता घोषित करदी।

परन्तु १९४० के जून में जब इटली युद्ध में कूदा तो स्पेनी फैलेजिस्त (फामिस्त) दल के प्रभाव के समक्ष फ्रांको को झुकना पड़ा और उसने स्पेन को अविग्रही, किन्तु धुरी-राष्ट्र-समर्थक, देश घोषित कर दिया। इस दल का नेता गूनर है, जो फ्रांको-सरकार का प्रभावशाली वैदेशिक मन्त्री और उसका दाहिना हाथ रहा हुआ आदमी है। फैलेजिस्त दल का स्पेन में बहुत जोर है, किन्तु फ्रांको अब तक न तो धुरी-राष्ट्रों में ही शामिल हुआ है और न त्रिगुट में ही।



फ्रान्स—१९४० से पूर्व पश्चिमी-योरप का एक प्रजातन्त्र। क्षेत्रफल २,१२,६०० वर्गमील, जनसंख्या ४,२०,००,०००। दो धारा सभाएँ थीं—चेम्बर आफ् डिपुटीज़ और सीनेट। चेम्बर का चुनाव मार्चजनिक, चार वर्षों के लिए, होता था। सीनेट म्युनिमिपल कौंसिलों और विधेय मतदात्री संस्थाओं द्वारा चुनी जाती थी। राष्ट्रपति का चुनाव दोनों के सदस्यों द्वारा होता था। मोशियो ए० लेंब्रन अन्तिम राष्ट्रपति था। शासन पार्लमेन्टरी था और सरकारें जल्द-जल्द बदला करती थीं। मन् १८७१ से, जब फ्रान्स में जन-तन्त्र

की स्थापना हुई, १९४० तक, जब फ्रान्स जर्मनी से हारा, इन ७० वर्षों में फ्रान्स में १०८ सरकारें बनीं। चेम्बर का अन्तिम चुनाव १९३६ में हुआ था, जिसके ६१८ सदस्य (डिपुटी) थे। इनमें सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, रेडिकल, फासिस्त, दक्षिणपन्थी आदि अनेक दल थे। मीनेट के ३१४ सदस्यों में १५१ रेडिकल थे, और इस दल में भी छोटे-छोटे दल थे। लेकिन मीनेट का यह सबसे जबरदस्त दल था।

यूरोपीय महाद्वीप में फ्रान्स का अपना स्थान था, और विगत विश्वयुद्ध के बाद तो उसे और भी महत्ता प्राप्त होगई थी। पूर्वीय यूरोप में उमका प्रभाव बढ़ चला था और ब्रिटेन उसकी मित्रता का आश्रित था। जर्मनी में हिटलर के प्रादुर्भाव के समय, फ्रान्स अपने आन्तरिक भ्रंशों के कारण, सतर्कतापूर्वक कुछ न कर सका। १९३६ में समाजवादी, साम्यवादी और क्रान्तिवादी सदस्यों ने सार्वजनिक-मोर्चा-सरकार समाजवादी-नेता, मो० लियोन ब्लम, के नेतृत्व में कायम की। ब्लम ने अपने प्रधान-मन्त्रि-काल में शस्त्रास्त्र-उद्योग का राष्ट्रीयकरण, ४० घंटे का हफ्ता, आदि कई सुधार किए। किन्तु यह दल अधिक दिन अपनी सरकार कायम न रख सका। आर्थिक कठिनाइयों, स्पेनी-गृहयुद्ध में प्रजातन्त्रवादियों को यथेष्ट सहायता का न पहुँचाया जा सकना—कई कारण हुए। ब्लम के बाद दलादिये-सरकार बनी। किन्तु दलादिये दक्षिणानुसी रहा। उसने ब्लम द्वारा किये गये सामाजिक सुधारों को रद्द कर दिया। दलादिये के साथी राजनीतिज्ञ—बोनेत, फ्लेन्दिन और लावल—नात्सी-फासिस्त भुकाव के निकल गये। दलादिये म्युनिख समझौते में फ्रान्स की ओर से शामिल हुआ और इस प्रकार उसने फ्रान्स के मित्र-राष्ट्र चैकोस्लोवाकिया के साथ विश्वासघात किया। फ्रान्स की राजनीतिक महत्ता, इसके बाद, यूरोप में गिरती गई। इटली ने फ्रान्स से कोरसिका, नाइस, सेवोइ, स्यूनिस और जिवूटी माँगने शुरू किये और नात्सी प्रचारक फ्रान्स को पतित और मृतप्राय राष्ट्र कहने लग गये। प्राकृतिक रूप से भी फ्रान्स का हास होने लगा था। पिछले ४० वर्षों में फ्रान्स की जन्म-संख्या बहुत गिर चुकी थी।

१९३९ के सितम्बर में, वर्तमान विश्वयुद्ध के आरम्भ होने पर, फ्रान्स ने

वरतानिया के साथ-साथ पोलैण्ड की रक्षा के लिये सेना सजाई, किन्तु देश पूरे मन में नहीं उठा। अधिकांश फ्रान्सीसी अपनी पूर्वीय मेजिनो दुर्ग-पक्ति पर भरोसा किये बैठे रहे। वह यह भूल गये कि वेलजियम की ओर उनके उत्तरी सीमान्त की किलेबन्दी मुट्ट नहीं है। लडाई का वहाना लेकर दलादिये ने अपने मन के विशेष कानूनों द्वारा शासन चालू रखा। कम्युनिस्ट दल का अत्याचारपूर्वक दमन किया गया। सोवियत-जर्मन-समझौते के कारण कम्युनिस्टों ने लडाई का विरोध करना शुरू किया। अखबारों का गला घोटा गया, फलतः जनता को समाचार नहीं मिलने लगे। फ्रान्सीसी सत्ताधारियों को अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं रहा और वह नात्सियों और फासिस्तों में अपनी रक्षा का आभास देखने लग गये। इन्हीं कारणों से युद्ध-प्रयत्नों को बाधा पहुँची और, मई १९४० में, जब नात्सी सेनाओं ने हालैण्ड और वेलजियम में होकर फ्रान्स पर धावा कर दिया तब पता चला कि फ्रान्सीसी सेना के पास पर्याप्त शस्त्रास्त्र भी नहीं थे। फ्रांसोसियों ने शुरू में जमकर मोर्चा लिया, किन्तु जून '४० में वह शत्रु के सम्मुख टिक न सके। जर्मनी के युद्धायुध उच्च कोटि के थे, किन्तु फ्रान्स के पतन में राजनीतिक और नैतिक कारण भी महायुद्ध हुए।

फ्रान्स पर आक्रमण होने से पूर्व ही, मार्च '४० में, दलादिये-सरकार द्रव्य होंगई और रिनो-सरकार आई। आक्रमण के समय, मई में, ८५ वर्ष के वृद्धे मार्शल पेतों को मन्त्रिमण्डल में शामिल किया गया। १३ जून को, पेरिस का पतन हो जाने पर, फ्रान्स ने त्वरित महायुद्ध के लिए अमरीका से गुहार की, किन्तु व्यर्थ। अमरीका तत्काल ही कुछ न कर सका। उसी समय रिनो ने अपने मित्र-राष्ट्र वरतानिया से कहना शुरू किया कि फ्रान्स शत्रु में पृथक् सयि करेगा। क्योंकि पारस्परिक पूर्व सम्झौता इनमें बाधक था। वरतानिया ने लडाई जारी रखने का प्रस्ताव किया और अपने सन्धोग का भरोसा दिलाया। फ्रान्स इस पर गजी न हुआ। ब्रिटेन ने कहा कि वह फ्रान्स को अपने प्रह्वानान्त में दरी कर देने का तैयार है, किन्तु फ्रान्सीसी जराही वेदा शत्रु के साथ न पड़ने दिया जाय। उसी बीच गामिस्त-दलीव और वरतानिया-विरोधियों ने रिनो-सरकार को उखाड़ दिया और तब पेतों प्रजात-समर्थिता। पेतों की सरकार ने २२ जून को जर्मनी से सयि करली और तब प्रजात ने

जर्मनी के सामने विला शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रान्स का उत्तरी आधा भाग और स्पेनी सीमान्त तक का समस्त समुद्री तट जर्मन-अधिकार में चला गया। समस्त युद्ध-सामग्री जर्मन-इटालियनों की चौकसी में रख दी गई और उन्हींके आधिपत्य में वास-वास बन्दरगाहों के लडाकू जहाजों को निरस्त्र कर देना तय हुआ। यह भी कि जर्मन-विरोधी शरणार्थियों को जर्मनी के सुपुर्द कर दिया जायगा। ब्रतानिया के विरुद्ध युद्ध करने के लिये फ्रामीनी समुद्रीतट और बन्दरगाहों के उपयोग की सहमति जर्मनी को दे दी गई। इटली के साथ भी, जिसने १० जून को फ्रान्स के विरुद्ध युद्ध-घोषणा की थी, पृथक् सन्धि की गई। ब्रतानिया ने पेटों के इस विश्वासघात का प्रतिरोध किया और फ्रासीसी वेडे को शत्रु के हाथ पडने से रोकने की कार्यवाही की। फ्रासीसी वेडे में ८ लडाकू जहाज, २० क्रूजर, ६० विध्वंसक और ७७ डुवर्नी क्रशियाँ थीं। इनमें से २ लडाकू जहाज ब्रतानवी बन्दरगाहों पर ले आये गये, २ डुवर्ना दिये गये और २ को ब्रतानवी नाविक और हवाई हमलों द्वारा बुरी तरह तोड़-फोड़ डाला गया, १ को सिकन्दरिया में निरस्त्र कर दिया गया। केवल एक फ्रांस के लिए बचा। दूसरे अनेक फ्रांसीसी लडाकू जहाज बेकार कर दिये गये, पकड़ लिये गये या निरस्त्र कर दिये गये। इसके बाद पेटों-सरकार ने ब्रतानिया से सम्बन्ध तोड़ लिया।

फ्रांस के अनधिकृत दक्षिण-पश्चिमी भाग के विशी नगर में पेटों ने अपना सदर मुकाम बनाया। विशी राजनीतिक अथवा सामाजिक दृष्टि से कोई महत्त्वपूर्ण नगर नहीं है। उसके पास ही प्राकृतिक खनिज द्रव्ययुक्त जल के कुछ चश्मे हैं, जहाँ रुग्ण मनुष्य जल पीने अथवा चश्मों में नहाने और स्वास्थ्य-लाभ करने जाया करते हैं। अन्तिम फ्रासीसी पार्लमेंट की अन्तिम बैठक विशी में हुई और अपनी सम्मति से उसने अपने अस्तित्व की इतिथी कर दी। ६३२ डिपुटी और सीनेटरो में से ६४६ उपस्थित थे, जिनमें से ५६६ मतों से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि पेटों की सरकार फ्रांस का नया विधान तैयार करे। इस विधान का मूलाधार पिछले प्रजातन्त्र के “स्वाधीनता, समानता और सहचारिता” के स्थान पर “परिश्रम, परिवार और पितृभूमि” माना गया। प्रजातन्त्र के राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया और पेटों ने “राज्य का

सर्वाधिकारी" पद ग्रहण किया। पेटों का सहकारी लावल बना। अन्य प्रभावशालियों में बौदो, जनरल वेगों और ब्रानेत मुख्य थे। नया शासक-मण्डल फासिस्त निकला और पेटों हिटलर के हाथ की कठपुतली बन गया। निर्वाचित पार्लियामेंट इतम हुई और मनोनीत तथा नियुक्त सस्थाओं ने उसका स्थान लिया। नात्सी-विरोधी देशभक्तों पर मुकदमे चलाये गये।


लावल, बौदो के बाद वैदेशिक मन्त्री बना था। १९४० के अन्तिम दिनों में, पता चला कि, वह हिटलर के हाथ में खेल रहा है और फ्रान्सीसी बेड़े को जर्मनों के हाथ सौंप देने और फ्रान्स को बरतानिया से लडा देने की कोशिश में है। पेटों ने इसका विरोध किया और ४ दिसम्बर '४० को, मन्त्रिमण्डल की बैठक के समय, लावल हिरासत में ले लिया गया और पेटों का उत्तराधिकार, नायबी और वैदेशिक-मन्त्रित्व पद लावल से ले लिये गये। चार दिन बाद जर्मन-हस्तक्षेप द्वारा उसकी रिहाई हुई। उसका स्थान पहले फ्लेन्दिन और बाद को दार्लॉ को मिला। ६ फरवरी '४१ को नौ-सेनापति दार्लॉ एक साथ प्रधान मन्त्री, वैदेशिक मन्त्री और स्वराष्ट्रमन्त्री बना। उसने जर्मनी से सम्बन्ध स्थापित करने की नीति ग्रहण की और विशी सरकार का रुख बरतानिया के प्रति अधिकाधिक शत्रुतापूर्ण होता गया। जब विशी-सरकार ने जर्मनों को, बरतानिया के निकट-पूर्व के साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिये, सीरिया में होकर निकल जाने की सहमति दे दी तो बरतानवी और आज़ाद फ्रान्सीसी फौजें ८ जून '४१ को सीरिया में दाखिल हो गईं। विशी-फ्रान्सीसी फौजों और उनके पूर्व सहयोगियों में खूब युद्ध हुआ, अन्त को १२ जुलाई '४१ के दिन विशी-सेना ने आत्म-समर्पण कर दिया। सोवियत रूस पर जर्मन-आक्रमण के बाद, ३० जून '४१ को, विशी-सरकार ने रूस से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया और जर्मनों के साथ रूसियों से लडने के लिये एक छोटी-सी वालन्टियर सेना खडी की। १९४१ के अन्तिम दिनों में जर्मनी विशी से और अधिक सहयोग माँग रहा था।

अधिकृत फ्रान्स में नात्सी अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना १९४१ में और भी प्रबल हो उठी। उनका निर्दयतापूर्वक दमन किया गया और अक्टूबर '४१ में सैकड़ों फ्रान्सीसी देशभक्तों को गोली के घाट उतार

दिया गया। सघर्ष अब भी जारी है। फ्रान्स में और फ्रान्स के बाहर आजादी की भावना और उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न निरन्तर हो रहा है।

वरतानवी के बाद फ्रांसीसी औपनिवेशिक-साम्राज्य ही संसार में सबसे बड़ा था। इसका क्षेत्रफल ४६,२०,००० वर्गमील और जन-संख्या साढ़े छह करोड़। फ्रान्सीसी अफ्रीकी उपनिवेश या शासित देश : अल्जीरिया, ट्यूनिश, मरक्को, फ्रान्सीसी शुमालीलैण्ड, जिब्राल्टी (२८ लाख वर्गमील) और मैडागास्कर। एशिया में हिन्द-चीन (अब जापानी अधिकार में) और भारत में पाण्डिचेरी।

धुरी राष्ट्रों की प्रगति को रोकने के लिए सयुक्तराष्ट्रों ने गत वर्ष मितम्बर में मैडागास्कर पर सैनिक-अधिकार कर लिया है। राजनीतिक अधिकार विशी-फ्रान्स का ही है और उसीका भंडा है। ट्यूनीशिया पर जनरल चार्ल्स द-गौल और उनकी स्वतन्त्र फ्रांसीसी फौजों का अधिकार है। वहाँ इन दिनों धुरी-सेनाओं और मित्रदल में युद्ध चालू है, मित्र-राष्ट्र जीत रहे हैं। कई अन्य फ्रान्सीसी शासित देश भी जनरल द-गौल के अधिकार में जा चुके हैं। लडाई के पूर्व संसार में बहुत अधिक सोना फ्रांस में था, किन्तु अब सबसे अधिक अमरीका में है। (विशेष जानकारी के लिये देखिये—चौटम्स, जनरल द-गौल, दलादिये, दालार्, पेटॉ, रिनौ, लावल, बेर्गॉ)



फिनलैण्ड—क्षेत्रफल १,३५,००० वर्गमील, जन-संख्या ३८,००,०००। राजधानी हेल्सिंकी। फिनिश और स्वीडिश देश की भाषाएँ हैं। इस देश में १० फीसदी स्वीडन-वासी भी हैं। सन् ११५४ से १८०९ तक फिनलैण्ड स्वीडन का ही अंग था, इसके बाद वह रूस में मिला लिया गया। १९१७ ई० की रूसी-क्रांति के बाद फिनलैण्ड ने स्वाधीनता की घोषणा कर दी, रूसी कम्युनिस्टों ने फिनलैण्ड को पुनः अधिकार में लेने की कोशिश की,

किन्तु जर्मन सेना की मदद से फिन् जीत गये। फिनलैण्ड सिद्धान्तः साम्य-वाद-विरोधी है, किन्तु यह तटस्थ देश रहा है। इसका शासन प्रजातन्त्रात्मक है। सन् १९३८ के चुनाव में समाजवादी दल पार्लामेन्ट का सबसे बड़ा दल था, इसके बाद पुरातनवादी किसान-दल था। वर्तमान सरकार जनवरी १९४१ में बनी है। राष्ट्रपति मार्शल रेजल है।

अक्टूबर १९३९ में सोवियत रूस ने फिनलैण्ड से नीचे लिखे मतालिबे किये : फिनलैण्ड के द्वीपों में, फिनलैण्ड की खाड़ी में, रूसी नौ-सेना के अड्डे बनाये जायें। फिनलैण्ड प्रदेश के हैंगो स्थान पर भी नौ-सेना के अड्डे बनाने का अधिकार दिया जाय। पैटसामो का बन्दरगाह दे दिया जाय। सीमा-सम्बन्धी अन्य कई माँगों भी थीं। जब फिनलैण्ड ने इनमें से कुछ माँगों को स्वीकार नहीं किया तो सोवियत रूस की सेना ने, ३० नवम्बर १९३९ को, फिनलैण्ड पर आक्रमण कर दिया। ३ मास तक फिनलैण्ड की सेनाएँ मार्शल मैनरहीम के नेतृत्व में बहादुरी के साथ लड़ती रही। परन्तु, मार्च १९४० के आरम्भ में, रूस ने फिनलैण्ड की किलेबन्दी—मैनरहीम-दुर्ग-पक्ति—पर आक्रमण कर देश में प्रवेश करना आरम्भ कर दिया। तब फिनलैण्ड को आत्म-समर्पण करना पड़ा। यद्यपि फिनलैण्ड की सहायता के लिए राष्ट्रसंघ का अधिवेशन आमंत्रित किया गया और उसमें सोवियत रूस को आक्रमक घोषित कर उसके विरुद्ध फिनलैण्ड की मदद के लिये अपील की गई, तथा ब्रिटेन, फ्रान्स, स्वीडन आदि देशों ने उसकी मदद में युद्ध-सामग्री भी भेजी, तथापि फिनलैण्ड इस मदद से लाभ न उठा सका। १० मार्च १९४० को ब्रिटेन और फ्रान्स के प्रधान-मंत्रियों ने घोषणा की कि यदि फिनिश सरकार मदद के लिये अपील करे तो मित्रराष्ट्रों की एक लाख सेना उसकी सहायता के लिये भेजी जा सकती है। परन्तु स्केन्डीनेविया के देशों ने, जर्मनी के भय से, इस सेना को रास्ता देना मजूर नहीं किया, इसलिए अपील नहीं की गई। ११ मार्च १९४० को रूस-फिनलैण्ड में संधि होगई। इस संधि के अनुसार फिनलैण्ड ने करेलियन थल-डमरू-मध्य का लगभग १००० मील लम्बा प्रदेश, लादोगा झील का पश्चिमी भाग, मैनरहीम की किलेबन्दी, विवोर्ग का बन्दरगाह और फिशमैन का प्रायद्वीप रूस को दे दिये तथा हैंगो में नौ-सेना के अड्डे के लिये पट्टे पर

जमीन दे दी। साथ ही फिनलैंड ने रूस के विरुद्ध किसी गुटबन्दी में शामिल न होना स्वीकार किया।

बाद में, उसी साल, जर्मन फौजे फिनलैंड में बुला ली गईं। वहाना यह किया गया कि जर्मनी अपनी फौजे फिनलैंड में रखना चाहता है। और जब २२ जून १९४१ को नात्सी सेना ने रूस पर धावा बोला तो फिनिश सरकार ने उनको अपने अड़्डे दस्तेमाल करने की आज्ञा दे दी और २७ जून को रूस के विरुद्ध, जर्मनी के पक्ष में, फिनलैंड ने युद्ध घोषणा कर दी। ब्रितानिया और अमरीका ने १९४१ के पतझड़ काल में फिनलैंड को, रूस के विरुद्ध लडाईं छेड़ने के कारण, चेतावनी दी। किन्तु, तब तक फिनलैंड रूस द्वारा लिये गये अपने भू-भाग को ही वापस नहीं ले चुका था बल्कि रूस की भूमि तक जा पहुँचा था। उसने इस परामर्श को भी नहीं माना कि फिनलैंड अपनी १९३९ वाली सीमाओं पर ही वापस आ जाय। एंग्लो-सोवियत सहयोग को दृष्टिगत रखकर ६ दिसम्बर १९४१ को ब्रिटेन ने फिनलैंड के विरुद्ध लडाईं का ऐलान कर दिया।



फिलिस्तीन—क्षेत्रफल १०,४३० वर्गमील, जनसंख्या १४,८०,०००। इनमें १०,००,००० अरब तथा ४,८०,००० यहूदी हैं। पहले यह तुर्किस्तान के अधीन प्रदेश था। विगत युद्ध के बाद, सन् १९१८ की संधि में, राष्ट्रसंघ के शासनादेश के अनुकूल, ब्रिटिश सरकार के सन्तर्धान में, कर दिया गया। सन् १९१७ की बालफोर घोषणा के अनुसार कि “फिलिस्तीन में यहूदियों के लिये राष्ट्रीय प्रदेश की स्थापना की जायगी”, फिलिस्तीन का द्वार प्रवासी यहूदियों के लिये खुल गया। अरबों ने इस नीति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अरबों ने तो १९१५ के मैकमैहन-पत्र-व्यवहार में प्रतिज्ञा की थी कि फिल-

स्तीन को भावी अरब-राज्य में मिला दिया जायगा। पर यहूदी, एक निश्चित संख्या के अनुसार, प्रतिवर्ष आकर फिलस्तीन में बसने लगे। सर हरबर्ट (अब लार्ड सेमुअल) नामक यहूदी को फिलस्तीन में पहला ब्रिटिश हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। इसके बाद कोई यहूदी इस पद पर नियुक्त नहीं किया गया। ट्रान्सजार्डन-प्रदेश फिलस्तीन से पृथक् कर दिया गया और इस अमीर अब्दुल्ला के अधीन, अंगरेज उच्चाधिकारियों की देखरेख में, अरब राज्य बना दिया गया। इसमें यहूदियों को बसने की मनाई कर दी गई। सन् १९२१ और १९२६ के अरब-विद्रोहों को अंगरेजों ने दबा दिया। पिछले विद्रोह के बाद सन् १९३० में होप सिम्प्सन तथा पैसफील्ड रिपोर्टों ने यह सिफारिश की कि भविष्य में यहूदियों को इस देश में प्रवास की आज्ञा न दी जाय, और फिलस्तीन के लिये एक व्यवस्थापिका सभा स्थापित की जाय, जिसमें स्वतः अरबों का बहुमत हो। यहूदियों ने इसका विरोध किया और योजना स्थगित कर दी गई। परन्तु आगामी वर्षों में जब जर्मनी से यहूदियों को निकाला गया तो पहले से भी अधिक संख्या में यहूदी फिलस्तीन में बसने लगे। जहाँ सन् १९२६ में ५,२४६, सन् १९३१ में ४,०७५ और सन् १९३३ में ६,५५३ आये थे, वहाँ सन् १९३४ में ४२,३५६ और सन् १९३५ में ६१,८५४ यहूदी आकर एकदम फिलस्तीन में बस गये। अवैध रूप से जो आ गये थे सो अलग। अरबों में इससे गहरा आन्दोलन पैदा होगया। जुलाई सन् १९३७ में पील-कमीशन ने, समस्या के निपटारे के लिये, फिलस्तीन के बँटवारे की सिफारिश की। प्रस्ताव किया गया कि समुद्र-तट के उत्तरी जिलों में, जहाँ यहूदियों का आधिक्य है, पूर्ण स्वधीन यहूदी-राज्य और भीतरी फिलस्तीन में अरबों का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया जाय। हैफा का बन्दरगाह और बन्शलम ब्रिटिश अधिकार में रहे और अरबों को समुद्र-तट की जाफा तक एक पट्टी दे दी जाय। यहूदी राज्य में इस प्रकार बीस लाख यहूदियों की आबादी की सिफारिश की गई। किन्तु इस योजना का यहूदियों तथा अरबों दोनों ने विरोध किया (यद्यपि कुछ यहूदियों ने इसे पसन्द किया)। परन्तु १९३८ में यह योजना स्थगित कर दी गई। फरवरी १९३६ में लन्दन में एक फिलस्तीन सम्मेलन आयोजित किया गया। परन्तु इस सम्मेलन की सिफारिशों को भी दोनों ने अन्वीकार

कर दिया। १७ मई १९३६ को पार्लमेन्ट द्वारा स्वीकृत एक ब्रिटिश श्वेत-पत्र प्रकाशित किया गया कि “ब्रिटिश सरकार यह स्पष्ट रूप में घोषित करती है कि यह उसकी नीति नहीं है कि फिलिस्तीन एक यहूदी राज्य बना जाय।” मैग्नेटन पत्र-व्यवहार के आधार पर अरबों ने दावा किया कि फिलिस्तीन को अरब-राज्य बना दिया जाय। यह दावा अस्वीकृत हुआ और ब्रिटिश सरकार ने कहा—“फिलिस्तीन तो एक ऐसा स्वतंत्र राज्य होगा जिसमें यहूदी तथा अरब दोनों ही शामिल होंगे और उन्हें शांति-प्रबंध में इस प्रकार भाग लेने का अधिकार होगा जिसमें दोनों के स्वार्थ सुरक्षित रहे।” यह भी कहा गया कि “दस साल के बाद फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य बना दिया जायगा और दोनों देशों की व्यापारिक एवं सामरिक आवश्यकताओं के अनुकूल ब्रिटेन के साथ उसे सधियों करनी होगी। फिलिस्तीन में तिहाई से अधिक यहूदियों को न रहने दिया जायगा। पाँच साल में ७५,००० यहूदी बाहर भेज दिये जायेंगे।” साथ ही अनेक बन्धन भी प्रस्तावित गये। फरवरी १९४० से फिलिस्तीन में यहूदियों को जमीनें बेची जानी बन्द कर दी गई हैं, किन्तु कई हिस्सों में वह अब भी भूमि खरीद सकते हैं।

राष्ट्रसंघ के शासनादेश कमीशन ने ब्रिटिश श्वेत-पत्र को अस्वीकार कर दिया है। साथ ही यहूदियों और अरबों ने भी। पर युद्ध के शुरू होजाने से यह समस्या ज्यों की-त्यों रह गई है। युद्धकाल में, यहूदी-अरब-संघर्ष शान्त है और दोनों ब्रिटेन की मदद कर रहे हैं।

सन् १९१८ में फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या १०,००० थी, अब ४,८०,००० है। देश के उद्योग और कृषि में यहूदियों की ३ करोड़ पाँच की पूँजी लगी हुई है। उनकी वहाँ २३० कृषिकारों की आबादियाँ हैं। डेढ़ लाख की आबादी के तल-अबीव शहर को उन्होंने बसाया है और अनेक कारखाने खोल दिये हैं। आधुनिक ढंग से सुधारी हुई इबरानी भाषा को उन्होंने अपना लिया है, पूर्ण शिक्षाक्रम स्थापित कर दिया है, जिसमें एक विश्व-विद्यालय भी है। राजनीतिक रूप से इनमें चार दल हैं।

अरबों में भी फिलिस्तीन-अरब या मुफ्ती, स्वाधीनता, अरब युवक, नरम-ली राष्ट्रीय-रक्षा—चार दल हैं। मुफ्ती-दल इनमें शक्तिशाली है। अरबोंकी

आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति बहुत मद गति से हो रही है ।

ब्रिटिश स्वार्थों की रक्षा की दृष्टि से, भूमध्यसागर के समीप होने के कारण, सामरिक दृष्टि-कोण से, इस देश का बड़ा महत्व है । फिलस्तीन स्वेज़ के पार्श्व में है । यह साम्राज्य के मार्ग पर नियन्त्रण रखता है, विशेषकर भारत और सुदूरपूर्व के । हैफा बन्दरगाह पर इराक़ी तेल का नल समाप्त होता है । यहाँ ब्रिटिश हवाई सेना और नौ-सेना के अड्डे भी हैं । हज़रत मूसा और हज़रत ईसा फिलस्तीन में पैदा हुए थे । इसलाम की भी विकास-भूमि वह रहा है, इसलिए अरब, मुसलमान, यहूदी और ईसाई सभीका इससे अपनपा है ।

फिलीपाइन्स द्वीप-समूह—मलय के द्वीपपुञ्ज में १००० से अधिक छोटे-बड़े द्वीपों का यह समूह स्थित है । इनका क्षेत्रफल १,१४,००० वर्गमील और आबादी लगभग १,४०,००,००० है । इसमें अधिकांश मलय चीनी रक्त के हैं । इस संख्या में ७५,००० शुद्ध चीनी और २०,००० जापानी हैं । मनीला इसकी राजधानी है । इनमें ६१७ द्वीप तो इतने छोटे हैं जिनका क्षेत्रफल एक वर्गमील से भी कम है । इनमें ११ महत्वपूर्ण टापू हैं । लुजोन और मिन्डनाओ खास टापू हैं । लुजोन का क्षेत्रफल ४०,८१४ वर्गमील और मिन्डनाओ का ३६,६०६ वर्गमील है । इस द्वीपसमूह को १८६८ ई० में संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने स्पेन से जीता । यह वन्यप्रदेश है, जो अपनी सुन्दर छुटा के लिए बहुत प्रसिद्ध है । पटसन, रुई, लकड़ी, रबर, चावल, नारियल, ताड़ तथा गन्ना खास पैदावारें हैं । फिलिपिनो लोग स्वाधीनता के लिये बराबर लड़ते आ रहे हैं । १८६४-६७ में स्पेन के खिलाफ और १८६६-१६०१ में अमरीका के खिलाफ विद्रोह कर चुके हैं । १६१६ और १६३५ में अमरीका द्वारा इनको कुछ शासन-सुधार मिल भी चुके हैं । और अब कई वर्ष पूर्व अमरीका ने इस देश को ४ जुलाई १६४६ में पूर्ण स्वाधीनता देने की घोषणा कर दी थी । लेकिन भावी विधान में फिलीपाइन्स को आगामी १५ वर्षों तक अमरीका से पारस्परिक लाभकारी व्यापारिक सम्बन्ध रखने की भी बात थी ।

७ दिसम्बर १६४१ को जापान ने इस द्वीप-पुञ्ज पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया और अब फिलिपिनो सेनासहित मित्रराष्ट्रों की सेनाएँ इन द्वीपों को वापस लेने के लिये जापान से घनघोर युद्ध कर रही हैं, और वह

गोना, पापुआ आदि कई द्वीप-समूह को वापस ले चुकी हैं। सुदूर-पूर्व में टम द्वीप-पुञ्ज का सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। यहाँ के कबीले अलग-अलग भाषाये बोलते हैं। किन्तु अंगरेजी सरकारी भाषा और स्पेनी सबसे अधिक बोली-लिखी जानेवाली भाषा है। अविवासी प्रायः रोमन कैथलिक ईसाई हैं। मुसलमान कबीले भी हैं, जो शासन-नीति से असन्तुष्ट हैं और जिनकी संख्या ४ लाख है। ३० फीसदी जनता शिक्षित है। रुई, कपड़ा, पटसन और इमारती लकड़ी का व्यापार पहले से जापानी-व्यापारियों के हाथ में था।



फेडरल यूनियन—यह विश्व-संघ स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। जिसकी चर्चा स्ट्रैट नामक एक लेखक ने की है। इसके अनुसार पहले ब्रिटानिया, अमरीका, फ्रान्स, बेल्जियम, नीदरलैण्ड्स, स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और आयरलैंड सभार के इन १५ प्रजातंत्र राष्ट्रों का एक संघ बनाया जायगा और अन्त में सभार के सब राष्ट्र उसमें शामिल किये जायेंगे। लन्दन में १९३६ के मध्य में एक सस्था इस उद्देश को लेकर स्थापित हुई थी। बाद में करी नामक लेखक ने यह भी लिखा कि लडाई के बाद, जर्मनी में प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना होने पर, उसे भी संघ में शामिल कर लिया जाय। इन पन्द्रह देशों की भौगोलिक स्थिति और स्वार्थों में बहुत साम्य है। यह भी तर्क है कि संघ का विधान संयुक्त-राज्य अमरीका के संघ-विधान के आधार पर हो।

फेब्रियन सोसाइटी—ब्रिटिश 'समाजवादी' विचारकों की सस्था। सन् १८३३ में स्थापना हुई। इसके प्रमुख प्रारम्भिक नेता सिडनी वेब और जार्ज

बरनार्ड शॉ हैं। बीट्रिस पाटर और श्रीमती वव वाड में आये। इन विचारकों ने गैर-मार्क्सवादी विकासवादी जनसत्तात्मक समाजवाद को प्रगति दी। इन्होंने आदर्शवाद को अधिक महत्व दिया। भौतिकवाद पर जोर नहीं दिया, जैसा कि मार्क्सवाद में दिया गया है। पूँजीवाद के यह विरोधी हैं, परन्तु वर्ग-संघर्ष में इनका विश्वास नहीं है। आर्थिक-क्षेत्र में वे मार्क्स के बजाय रिकार्डों और वेन्थम नरम अर्थवादियों के अनुयायी हैं। फेबियन अन्वेषण विभाग द्वारा समाजवाद पर काफ़ी साहित्य प्रकाशित हुआ है। सन् १९१८ में इस विभाग का नाम “मज़दूर अन्वेषण विभाग” रख दिया गया और इसका फेबियनों से कोई संबंध न रहा। यह विभाग साम्यवादी प्रभाव में है। सन् १९३१ में नवीन फेबियन अन्वेषण व्यूगो खोला गया। सन् १९३१ में इसका फेबियन सांसायटी से संबंध स्थापित होगया। ब्रिटेन के राजनीतिक इतिहास में फेबियन सोसाइटी का महत्वपूर्ण स्थान है: आज़ाद मज़दूर दल, मज़दूर दल तथा अन्य राजनीतिक संस्थाएँ इसीके द्वारा बनीं।

ब

वङ्ग-भङ्ग—जुलाई १९०५ में भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार की ओर से यह घोषणा की कि बंगाल प्रांत पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल तथा आसाम दो प्रांतों में विभाजित किया जायगा। बंगाल की समस्त जनता और लोक-नेता इस विभाजन के विरुद्ध थे। सरकार का यह पक्ष था कि शासन-सुविधाओं के विचार से ही दो प्रांतों का निर्माण किया जा रहा है। परन्तु वास्तव में बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता का हास करने के लिये बंगाल को दो प्रांतों में विभक्त किया जा रहा था जिसमें हिंदू-मुस्लिम प्रांत बन जायें और साम्प्रदायिक समस्या गम्भीर हो जाय। रानी चंद्र सुमलमानों का (सुन्तम लीग का) एक प्रतिनिधि-मण्डल, आगाखों के

नेतृत्व में, शिमला में वायसराय से मिला और उसने मुसलमानों के लिये विशेष अधिकारों की माँग पेश की।

बंगाल में जनता ने सगठित रूप से इस योजना के विरुद्ध घोर आंदोलन किया : विशाल सार्वजनिक सभाओं, प्रदर्शनों, जुलूसों तथा दड़तालों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने स्कूलों तथा कालेजों का त्याग कर आंदोलन में भाग लिया। यह आंदोलन बंगाल तक ही सीमित न रहकर देश के अन्य भागों में भी फैला। इस आंदोलन तथा विरोध के बावजूद अक्टूबर १९०५ में यह योजना कार्यान्वित कर दी गई। सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन का जितना ही अधिक दमन किया, उतना ही वह अधिक शक्तिशाली होता गया। स्वदेशी और बहिष्कार भावना का जन्म भी इसी समय हुआ। राष्ट्रीय विद्यालयों की बंगाल में स्थापना की गई और स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार और विदेशी के बायकाट के लिये प्रयत्न किया गया। ७ अगस्त १९०५ को भारत में सबसे प्रथम विदेशी वस्तु बहिष्कार का सगठन किया गया और बहिष्कार दिवस मनाया गया।

१२ दिसम्बर १९११ को देहली में दरबार हुआ। इसमें बादशाह पंचम जार्ज ने घोषणा करके भारत की राजधानी कलकत्ता से देहली बना दी। साथ ही बंगाल को एक प्रेसीडेसी बना दिया गया। बिहार, छोटा-नागपुर और उड़ीसा को एक लेफ्टिनेट गवर्नर के अधीन कर दिया गया तथा आसाम को चीफ कमिश्नर का प्रांत बना दिया गया। इस प्रकार बग-भग रद्द कर दिया गया और भारतीय राष्ट्रीय-जागरण का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ।

बलकान राष्ट्र-समूह—बलकान राष्ट्र-समूह में यूगोस्लाविया, रूमानिया, बल्गारिया, यूनान, अलबानिया तथा योरपीय-तुर्की शामिल हैं। बलकान राष्ट्रों का योरप की राजनीति में विशेष स्थान रहा है, और यह विगत विश्व-युद्ध के पूर्व 'योरप में मुगों के लडने का अखाड़ा' तथा 'योरप का तूफानी कहलाता रहा है। सन् १९१२-१३ के प्रथम और द्वितीय बलकान-

युद्ध और, अन्ततोगत्वा, पिछले महायुद्ध के कारण भी इनको विशेषता प्राप्त है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बलकान-राष्ट्र-समूह बराबर एक खतरे का स्थान रहा है। बलकान राज्यों और पूर्वकालीन रूसी तथा जर्मन-आस्ट्रियन-साम्राज्यों में काफी संघर्ष रहा है। उत्तर में आस्ट्रिया-हंगेरी-साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होजाने से उनकी महत्ता बढ़ गई, परन्तु जबसे आस्ट्रिया तथा चैकोस्लोवाकिया का हिटलर ने अपहरण किया, तब से इनके लिये खतरा पैदा होगया। बलकान राज्यों का महत्त्व उनकी कृषि, खनिज-उद्योगों तथा युद्धोपयोगी मोर्चों की विशेषता के कारण है। वे एशिया के स्थल-मार्ग पर स्थित हैं और उनमें होकर पूर्वीय भूमध्य-सागर पर आधिपत्य रखा जा सकता है। जर्मनी इन राज्यों पर—पहले अपने मित्र आस्ट्रिया द्वारा और अब स्वयं—नियंत्रण करने के लिये सदैव लालायित रहा है। वह अपनी महत्त्वाकांक्षापूर्ण बर्लिन-बग्दाद-लाइन की योजना द्वारा मोसल के तेल के कुओं तक और आगे भारत तक जाने के सुखस्वप्न देख चुका है। सन् १९१४ तक रूस जर्मनी की इस आकांक्षा-पूर्ति में बाधक रहा। सन् १९१८ से '३६ तक बलकान राज्यों में रूस का कोई प्रभाव नहीं रहा। परन्तु १९३६-४० में, पश्चिम की ओर बढ़ने से, रूस का फिर बलकान में प्रभाव बढ़ने लगा है। वर्तमान विश्वयुद्ध के प्रारम्भिक काल में जर्मन, अतालवी, रूसी और बरतानवी प्रभाव बलकान-राष्ट्रों में आपस में टकराते रहे। बलकान के आधे वैदेशिक व्यापार पर जर्मनी ने, इस युद्ध से पूर्व ही, नियंत्रण प्राप्त कर लिया था और राजनीतिक प्रभाव भी। रूसी प्रभाव का आधार था बल्गारिया और यूगोस्लाविया में 'पानस्लाववाद' की पुनरावृत्ति। किन्तु जर्मनी ने अक्टूबर '४० में रूमानिया और '४१ में बल्गारिया पर, बिना किसी विरोध के, कब्ज़ा कर लिया। इटली ने अक्टूबर '४० में यूनान पर हमला कर दिया। अप्रैल '४१ में जर्मनी ने यूगोस्लाविया और यूनान दोनों पर हमला करके, कुछ दिनों के युद्ध के बाद, उन पर कब्ज़ा कर लिया। रूस-जर्मन-संबंध, इस कारण, पहली बार बिगड़े और अन्त में जून '४१ में रूस पर जर्मनी ने हमला ही कर दिया। पिछले बीस सालों में इन राष्ट्रों का उद्योगीकरण हुआ है, फिर भी ८० फ्रीसदी जनता खेती और पशुपालन पर आश्रित है। जनता

भरीब, पिछड़ी हुई और प्रायः अपठ है। किसान कुर्ज से लदे हुए हैं। किसान-जनता के जाग्रत होने ही से इन देशों का उद्धार किसी दिन भले हो। ऐसी ही कठिनाइयों के कारण बल्कानी देशों में शाही या मैनिफेस्ट अधिनायकवाद तो, लड़ाई से बहुत पहले ही, कायम हो चुका है।

बल्कान-समझौता—६ फरवरी १९३४ को यूनान, तुर्किस्तान, यूगोस्लाविया और रूमानिया में यह समझौता हुआ कि वे सब मिलकर, बल्कानी सीमाओं की रक्षा के लिये, पारस्परिक निश्चित आश्वासन देते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि हस्ताक्षर न करनेवाले अन्य बल्कानी राज्य के साथ स्वतंत्र रीति से कोई कार्यवाही न करेंगे। (बल्गारिया तथा अल्बानिया ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये। अल्बानिया तब स्वतन्त्र था।) एक गुप्त सन्धि भी हुई, जिसके अनुसार निश्चय किया गया कि यदि किसी गैर-बल्कानी राष्ट्र ने उपर्युक्त चार में से किसी राज्य पर भी आक्रमण किया, और, यदि किसी बल्कानी राज्य ने उसमें सहयोग दिया, तो, चारों बल्कानी राज्य मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। एक और गुप्त सन्धि द्वारा यह भी निश्चय हुआ कि यदि बल्गारिया ने बल्कानी राज्यों पर आक्रमण करने में किसी बाहरी राष्ट्र को मदद दी तो उसके विरुद्ध क्या-क्या काररवाइयों कीजायेंगी। बल्कानी राज्यों की एक स्थायी कोसिल, एक आर्थिक-परिषद् और एक सैक्रेटरियट है। फरवरी १९४० में वेल्शेड के एक सम्मेलन में बल्कानी-समझौते की अवधि सात साल के लिये और बढ़ाई गई, और इस बात पर जोर दिया गया कि वर्तमान योरपीय युद्ध में चारों राज्य तटस्थ रहे।

जुलाई १९४० में रूमानिया ने बल्कान-समझौते को ठुकराकर जर्मनी के गुट में शामिल होने का निश्चय किया। मार्च १९४१ में यूगोस्लाविया ने भी त्रिपक्षीय-सन्धि-पत्र (जर्मनी-इटली-जापान) पर हस्ताक्षर कर दिये और इसी वर्ष, जर्मनी द्वारा अधिकृत होजाने से, बल्कानी-राष्ट्रों का यह समझौता व्यर्थ होगया।

बल्गारिया—बल्कानी राष्ट्रों में से एक, क्षेत्रफल ४,००,००० वर्गमील, आबादी ६३,००,०००, राजधानी सूफिया, शासक राजा बोरोस तृतीय। १९१२ के तुर्की के विरुद्ध लड़े गये प्रथम बल्कान-युद्ध में सफल होने के बाद, १९१३

के दूसरे बलकान-युद्ध में, बलगारिया को पराजित देशों की लूट में से कुछ भी न मिला। उसके पहले साथी देश सर्बिया, यूनान और रूमानिया उसके विरुद्ध होगये। विगत विश्व-युद्ध में बलगारिया ने, १९१५ में, जर्मनी का पक्ष लिया। १९१८ में, कुछ सफलता के बाद, उसका पराभव होगया। १९१९ की न्यूएली की सधि में उसे मक़दूनिया प्रदेश का कुछ भाग यूनान और यूगोस्लाविया को दे देना पड़ा, क्षतिपूर्ति भी करनी पड़ी और निरस्त्र होना पडा। राजा फर्डिनेन्ड प्रथम, अपने पुत्र बोरिस के हक़ में गद्दी छोड़कर, जर्मनी जाकर रहने लगा। स्तम्बुलिस्की के नेतृत्व में क्रान्तिकारी किसान-दल ने सगठन कर सत्ता अपने हाथ में ले ली। चार अन्य दलों सहित, ६ जून १९२३ को, सेना ने विद्रोह कर उसका वध कर डाला। इसके बाद बलगारिया में घोर अशान्ति रही : मार-काट, हत्या, दड़ा, बमबाज़ी। सन् १९२५ का सूफ़िया के गिरजे का मशहूर बम-काण्ड इन्ही दिनों हुआ। सन् १९२६ में प्रजा-सत्तावादी-दल के शासन-काल में देश में कुछ शान्ति होगई। परन्तु १९३१ में अशान्ति फिर फूट निकली। १९३३ में दक्षिण-पन्थी सरकार बनी। अन्त में, १९३५ में, राजा बोरिस खुद अधिनायक बन गया। अन्य बलकान-राष्ट्र—रूमानिया, यूगोस्लाविया, तुर्किस्तान तथा यूनान—मित्रतापूर्वक रहते हैं। बलगारिया को इन सबके विरुद्ध शिकायते हैं। वह यूनान तथा यूगो-स्लाविया से मक़दूनिया को वापस लेना चाहता है।

३१ अगस्त १९४० को दक्षिण दब्रूजा-प्रदेश बलगारिया को वापस मिल गया। प्रारम्भ में सोवियत रूस के हस्तक्षेप तथा प्रभाव के कारण बलगारिया तटस्थ रहा। इटली-यूनान युद्ध में मुसोलिनी के गौरव का जो विनाश हुआ, उसकी पुनर्स्थापना के लिये हिटलर ने कहा कि जर्मनी यूनान पर हमला करेगा। जर्मनी बलगारिया पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था, परन्तु रूस बाधा डालता रहा। सन् १९४१ में बलगारिया जर्मनी के प्रभाव में आगया, वह त्रिदल-सन्धि में शामिल होगया। उसने नात्सी सेना को देश में घुस आने दिया। यही से जर्मनों ने यूगोस्लाविया और यूनान पर हमला कर दिया। बदले में उसको इन दोनों देशों के वह भूभाग मिल गये, जिनके लिये यह दावा कर रहा था। ५ मार्च १९४१ को बरतानिया ने बलगारिया

से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। बलगारिया की जनता रूस से सहानुभूति रखती है, किन्तु वहाँ की सरकार जर्मनी के साथ है।




बर्लिन-बग़दाद-राज्यरेखा—पिछली लड़ाई के पूर्व से ही जर्मनी बलकान-राष्ट्र-समूह और तुर्की में होकर बग़दादस्थित मोसल के तेल के कुय्रो तक अपना साम्राज्य स्थापित कर देने के सुख-स्वप्न देख रहा है। वर्तमान युद्ध में भी वह इस काल्पनिक राज्यरेखा को नहीं भूला है। यह मनोरेखा एक रेलवे लाइन का रूप धारण करनेवाली थी। तुर्की और बग़दाद के बीच, इस लाइन का अन्तिम भाग, जुलाई '४० में, बनकर चुका है।

ब्रह्मा (बर्मा)—अप्रैल १९४२ में जापान द्वारा अपहरित होने से पूर्व ब्रह्मा ब्रिटिश राष्ट्र-समूह का एक अंग था और सन् १९३५ से पूर्व भारत का एक प्रान्त। सन् १९३५ के नवीन बर्मा शासन-विधान द्वारा उसे भारत से पृथक् कर दिया गया। भारत में इस पृथक्करण का, राजनीतिक और आर्थिक आधार पर, विरोध किया गया। ब्रह्मा का क्षेत्रफल २,६२,००० वर्गमील और जन-संख्या १,५०,००,००० है : इनमें नब्बे लाख ठेठ बर्मी ; चौदह लाख कारेन और दस-दस लाख शान तथा भारतीय, आदि हैं। ब्रह्मी पूर्ण सभ्य हिन्द-मंगोली जाति के हैं और उनकी भाषा चीन-तिब्बती समूह की है। बर्मा दो भागों में विभाजित है : मुख्य बर्मा और शान-रियासतें। ब्रिटिश गवर्नर जडकाले में रंगून में और गर्मियों में मेमियों में रहा करता था।

भारत से पृथक् करते समय ब्रिटिश सरकार ने, १९३५ के भारत-सरकार कानून के आधार पर, बर्मा में क्रमिक राजनीतिक विकास और उसे स्वशासन

के योग्य बनाने की घोषणा की थी। तात्कालिक वर्मा-सरकार-कानून १९३५ के अनुसार ब्रह्मा में व्यवस्थापक-मण्डल बना दिया गया था, जिसकी सीनेट के ३६ सदस्यों में से आधे को ब्रिटिश गवर्नर नियुक्त करता था तथा शेष प्रतिनिधि-सभा द्वारा चुने जाते थे। प्रतिनिधि-सभा में १३२ सदस्य थे, जिनका चुनाव होता था। शासन-प्रणाली भारतीय प्रान्तों के अनुकूल थी। ब्रह्मा का राष्ट्रीय नेता डा० वा मों वहाँ का सर्वप्रथम प्रधान मन्त्री बना। ब्रह्मा-चीन-पथ बनाये जाने के संबंध में मतभेद होजाने के कारण डा० मों ने त्याग-पत्र दे दिया। वह कदाचित् जापानी प्रभाव में था और नहीं चाहता था कि यह सड़क बने। उसका कहना था कि इस सड़क के जरिये ब्रह्मा में चीनियों के प्रवास का मार्ग खुल जायगा। १९४० में उसे, वर्मा-रक्षा-कानून के अनुसार, एक साल कैद की सजा दी गई। वर्मा के गवर्नर ने घोषित किया कि वर्मा को स्वराज्य देने के विषय पर लड़ाई के बाद बातचीत कीजायगी। ऊ सा वर्मा का प्रधान मन्त्री बना। अक्टूबर '४१ में वह, लड़ाई के उपरान्त ब्रह्मा को तत्काल औपनिवेशिक पद दिये जाने का, वचन प्राप्त करने के लिये लन्दन गया, किन्तु चर्चिल की सरकार ने उसकी एक न मुनी। लन्दन से लौटते समय ऊ सा को बीच में ही पकड़कर कैद कर लिया गया।

शान रियामते ३४ हैं। इनके राजा, ब्रिटिश अफसरों की सलाह से, अपना शासन चलाते थे। जापानी आक्रमण के समय कुछ वर्मी फौज शत्रु से मिल गईं। वर्मा के पतन के बाद वर्मा-सरकार भारत भा गई और शिमला में उसके दफ्तर कायम है। सम्मिलित राष्ट्रों (अमरीका, ब्रिटेन और चीन) ने पिछले अगस्त '४२ से ब्रह्मा को वापस



लेने के लिए हमले शुरू कर दिये हैं और वह सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जापानी साम्राज्यवाद ने, शायद उसके जवाब में, भारत पर हमले करने आरम्भ कर दिये हैं।

ब्रह्मा बड़ा सम्पन्न देश है। इस देश में लकड़ी के बड़े जंगल हैं। तेल, टिन, कच्चा लोहा तथा जवाहरात भी निकलते हैं।

ब्रह्मा-चीन-मार्ग—सन् १९३६-३८ में यह सड़क बनकर तैयार हुई। ब्रह्मा में उत्तर रेलवे लाइन लाशियो में समाप्त होजाती है। यहाँ से चीन की वर्तमान राजधानी, चुङ्किंग्, तक १४०० मील लम्बी, यह सड़क जापानियों द्वारा, चीन को युद्ध-सामग्री और रसद भेजने-भिजाने के समुद्री मार्ग बन्द कर देने पर, बनाई गई थी। हज़ारों चीनी कुलियों ने, अपने जीवन तक का बलिदान देकर, इसे पूरा किया था। ७०० मील तक यह सड़क पर्वत-मालाओं में होकर जाती है, जिनमें सबसे ऊँचा पहाड़ ८,५०० फीट ऊँचा है। जुलाई '४० में वर्तमानवी सरकार ने जापान के मतालवे और आस्ट्रेलियन सरकार की प्रार्थना पर, तीन महीनों के लिये, इस सड़क को बन्द कर दिया था। आस्ट्रेलियन सरकार जापानी धमकियों से भयभीत होउठी थी। इसलिये ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते पर, कि इन तीन मास में जापान चीन से समझौता करले, सड़क द्वारा चीन को सामान जाना रोक दिया। किन्तु जापान ने अपने ब्रिटिश-विरोधी रवैये को नहीं बदला, अतः तीन महीने बाद, १८ अक्टूबर '४० को, सड़क फिर खोल दीगई। सड़क के जापान के हाथ में चले जाने से चीन की कठिनाइयाँ बढ गई है, किन्तु सयुक्त राष्ट्र हवाई रास्ते से चीन को बराबर लडाई का सब सामान भेज रहे हैं, और, आशा है, बर्मा के साथ ही यह सड़क फिर शीघ्र ही अपने हाथ में आजायगी। २० मील प्रति घण्टे से अधिक तेज कोई मोटर इस सड़क पर नहीं जा सकती। वस तथा लारी एक सप्ताह का समय ले लेती हैं। इस सड़क पर प्रतिदिन १०० से अधिक लारियाँ तथा २०० टन युद्ध-सामग्री ब्रह्मा से चीन को जाती थी। चीन से यह लारियाँ कच्चा रेशम, टिन आदि लाती थीं। मई से अक्टूबर तक, वर्षा ऋतु में, पहाड़ों के गिर जाने से मार्ग खराब होजाता था, इसलिये सिर्फ आठ-दस लारियाँ प्रतिदिन जाती थी। इसके बनाने में

पूरे तीन साल लगे। २०० इजीनियर तथा १,६०,००० मज़दूरों ने काम किया। इसके बनाने में १ करोड़ ६० लाख डालर व्यय हुए।

चीनी सरकार को सयुक्त-राष्ट्र अमरीका, भारत, ब्रह्मा तथा ब्रिटेन से मदद न मिले—इस विचार से जापान ने, फ्रान्स के पतन के बाद, हिन्द-चीन की सरकार से हेपहांग-हैनोई-कुमनिंग्-रेलवे मार्ग को बन्द करने के लिये आग्रह किया और विशी-सरकार ने, २० जून १९४० को, उसे बंद कर दिया। चीन के समुद्र-तट पर जापान का अधिकार होगया था। यह मार्ग फ्रान्स ने बन्द करा दिया। तब चीन के लिये ब्रह्मा-चीन-मार्ग ही रह गया था।

बार्डिया—लीबिया (अफ्रीका) में, जो इटली के अधीन था, एक बन्दरगाह। इसकी किलेबन्दी को अंगरेजों ने तोड़ दिया और ७ जनवरी १९४१ को इस पर अपना अधिकार जमा लिया।


बालफोर घोषणा—२ नवम्बर १९१७ को ब्रिटेन के तात्कालिक वैदेशिक मंत्री मि० जे० ए० बालफोर द्वारा, ब्रिटिश यहूदी संघ के अध्यक्ष, लार्ड राथ्मन्चाइल्ड, को लिखा गया पत्र, जिसमें मि० बालफोर ने लिखा—“ब्रिटिश सरकार यह चाहती है कि फिलस्तीन में यहूदी जनता के लिये एक राष्ट्रीय उपनिवेश स्थापित किया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह भरसक प्रयत्न करेगी। यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायगा जिससे फिलस्तीन-अधिवासी दूसरी जनता के नागरिक तथा धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप हो अथवा दूसरे देशों में यहूदियों की जो स्थिति है, उस पर कोई असर पड़े।” इसी पत्र के आधार पर यहूदी अपना आन्दोलन फिलस्तीन में कर रहे हैं।

बाल्टिक राष्ट्र-समूह—लिथुआनिया, लैटविया एस्टोनिया और फिनलैंड बाल्टिक राष्ट्र कहलाते हैं। सन् १९१८ में पूर्व यह रूस के प्रान्त थे। तब से यह राज्य सोवियत रूस और पश्चिमी योरप के बीच स्वतन्त्र राष्ट्र बने रहे। स्वभावतः ही रूस इन देशों पर अपना पुनराधिकार प्राप्त करके बाल्टिक नागर पर अपना प्रभुत्व चाहता था। अक्टूबर १९३६ में रूस ने, इस युद्ध में, अवसर से लाभ उठा लिया। दिसम्बर १९३६ में फिनलैंड पर उसने आक्रमण किया और मार्च १९४० में उसके बहुत से प्रदेशों पर अधिकार कर

लिया। १९४० के जून-जुलाई में लिथुआनिया, एस्टोनिया और लैटविया में रूस ने पूर्ण आधिपत्य करके अपनी नौ-सेना के अङ्ग बना लिये तथा क्विलेवन्दी कायम करदी। तीनों देशों में सोवियत (जनता की पचायती)-शासन-प्रणाली कायम करके रूसी पचायती राज में इनको मिला लिया। वाल्टिक राष्ट्रों में रूस का प्रभुत्व है। जर्मन प्रभाव को रूस ने यहाँ से उखाड़ फेंका, साथ ही यहाँ बसी हुई अल्पसंख्यक जर्मन जाति को जर्मनी भेज दिया।


ब्राज़ील—(ब्राज़ील का) संयुक्त राज्य। दक्षिण अमरीका का सबसे बड़ा प्रजातंत्र। क्षेत्रफल ३२,८५,००० वर्गमील, जनसंख्या ४,५०,००,०००; राजधानी रियो द-जनीरो, राष्ट्रभाषा पुर्तगाली। सन् १८८६ से इस देश का विधान संयुक्त-राज्य अमरीका जैसा रहा, किन्तु १९३० में राष्ट्रपति बरगस ने सत्ता अपने हाथ में लेली और एक कानून बनाकर दो धारासभाएँ स्थापित करदी। १९३७ में सैनिक-विद्रोह के बल पर बरगस यहाँ का अधिनायक बन गया। वह जर्मनी और इटली का मित्र था, किन्तु १९३८ में नात्सीवाद तथा फासिज्म के विरुद्ध होगया और देश के फासिस्त दल का दमन किया। अब ब्राज़ील संयुक्त-राज्य अमरीका का मित्र देश है।

ब्राज़ील देश की गणना सप्ताह के सबसे बड़े धनी देशों में है। किन्तु अपेक्षाकृत वह अविकसित है। वहाँ कहवा (काफी) सबसे अधिक मात्रा में पैदा होता है। इसकी अधिक पैदावार तथा सस्ते मूल्य के कारण कई बार यहाँ उथल-पुथल हो चुकी है। कहवा यहाँ की राजनीतिक समस्या बना हुआ है। साथ ही ब्राज़ील संयुक्त-राज्य के अन्तर्गत बीस राज्यों की भी समस्या है। यह रियासते, केन्द्रीय सरकार के अधीन न रहकर, स्थानिक स्वायत्त के लिए, सदैव आन्दोलन करती रहती हैं। लाखों टन कहवा प्रतिवर्ष इसलिए समुद्र में बहाकर नष्ट कर दिया जाता है कि उसका मूल्य महँगा होजाय।



सबसे अधिक कहवा यहाँ से संयुक्त-राज्य अमरीका (लगभग ५० प्रतिशत), ग्रेट ब्रिटेन तथा जर्मनी को भेजा जाता रहा है ।

विड़ला, सेठ घनश्यामदास—भारत के सुप्रसिद्ध व्यापारी । जन्म सन् १८६१ । विड़ला ब्रदर्स, लि०, के मैनेजिंग् डायरेक्टर, सन् १९३० में केन्द्रिय असेम्बली के सदस्य । इम्पीरियल प्रिफरेन्स के विरोध में सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया । सन् १९३५ में इंडियन चेम्बर आफ् कामर्स, कलकत्ता, के सभापति । सन् १९२६ में फेडरेशन आफ् इंडियन चेम्बर्स आफ् कामर्स के सभापति । इंडियन फिस्कल कमीशन के सदस्य । सन् १९२७ में अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर सम्मेलन, जिनेवा, में भारतीय प्रतिनिधि । सन् १९३० में द्वितीय गोलमेज परिषद् के सदस्य । सन् १९३२-३८ में अखिल-भारतवर्षीय हरिजनसेवक सघ के प्रधान । आपने सार्व-जनिक हितों के कार्यों के लिए अनेक सस्थाओं को लाखों का दान दिया है ।



ब्रिटिश नौ-सेना—सन् १९३६ के मध्य में ब्रिटिश नाविक-सेना की शक्ति इस प्रकार थी—१५ युद्ध-पोत, ६२ क्रूज़र, ७ हवाई जहाज़ ले जानेवाले जहाज़, १६८ विध्वंसक, ५४ पनडुब्बियाँ ।

६ युद्ध-पोत, २२ क्रूज़र, ६ हवाई जहाज़ ले जानेवाले जहाज़, ४० विध्वंसक, १८ पनडुब्बियाँ बन रही थी ।

युद्ध के पहले ६ महीनों में १ युद्धपोत, १ हवाई जहाज़ ले जानेवाला जलयान, ६ विध्वंसक, ४ पनडुब्बियाँ नष्ट हुईं तथा २ युद्धपोत और १ क्रूज़र टूट-फूट गये । किन्तु उसके बाद यह सब अधिक संख्या में तेज़ी से बन रहे

हैं, और अब इनकी संख्या, युद्ध की पूर्वकालीन संख्या से, बहुत अधिक है। १९४० के पतझड़ में सयुक्त-राष्ट्र अमरीका से ५० विन्वन्सक ब्रिटिश जल-सेना को मिले।

युद्ध से पूर्व नौ-सेना में १,३३,००० सैनिक थे। इनके अतिरिक्त ७०,००० सुरक्षित नौ-सैनिक थे। उपर्युक्त अंकों में आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और कनाडा की युद्ध-पूर्व संख्या भी शामिल हैं।

ब्रिटिश नौ-सेना सप्ताह में सबसे शक्तिशाली थी। सयुक्त-राष्ट्र अमरीका का नम्बर प्रथम मान लिया गया है, किन्तु, वास्तव में, लडाईं से पूर्व, वजन में अमरीकी नौ-सेना के युद्ध-पोत आदि कुछ कम थे। अब तो अमरीका मित्र राष्ट्रों के लिये बहुत बड़ी मात्रा में युद्ध-सामग्री तेजी से बना रहा है, जिनमें नौ सेना की सामग्री भी है। ब्रिटेन लन्दन नौ-सेना-सन्धि का एक सदस्य है।

ब्रिटिश यूनियन—सर ओसवाल्ड मोसले का फासिस्त आन्दोलन।

ब्रिटिश साम्राज्य—(ब्रिटिश एम्पायर, किन्तु 'ब्रिटिश कामनवैल्थ' जिसे अब अधिकतर कहा जाता है) क्षेत्रफल १,३२,६०,००० वर्गमील अथवा समस्त भूमण्डल का पॉचवों भाग। जन-संख्या ४८,७०,००,००० अर्थात् मानव-जाति का पचमाश। ब्रिटिश-साम्राज्य अथवा ब्रिटिश राष्ट्र-समूह (कामन-वैल्थ) में, भूमण्डल के विभिन्न भूभागों में, निम्नलिखित देश हैं—

योरप—ग्रेटब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, आयर, जिब्राल्टर, माल्टा।

एशिया—अदन, पैरिस और बन्दरगाह, बाहरीन द्वीप-समूह, त्रोर्नियो (जापान द्वारा, अप्रैल '४२ में विजित), ब्रूनी और सारावाक, ब्रह्मा (अप्रैल '४२ में जापान द्वारा विजित, किन्तु जिसे वापस लेने के लिये, अगस्त '४२ से सयुक्त-राष्ट्र प्राणपन से चेष्टा कर रहे हैं), लङ्का, साइप्रस, हाङ्काङ्ग (जापान द्वारा विजित), भारत, स्ट्रेट्स सेट्लमेण्ट (जापान के विश्वास-घात का शिकार), मलय स्टेट्स (सघशासित और असघ-शासित दोनों, सुदूरपूर्व के युद्ध में जापानी-साम्राज्य-लिप्सा के शिकार), *फिलिस्तीन।

अफ्रीका—केन्या उपनिवेश और बन्दरगाह, यूगाण्डा, जंजीबार (पैम्बा के भाग सहित); मारीशस, न्यासालैंड, सेन्ट हैलीना और असेन्शन; सेच-शुमालीलैंड; बसूतोलैंड, वेचुआनालैंड; दक्षिण रोडेशिया, उत्तरी

रोडेशिया, स्वाज़ीलैण्ड; दक्षिण अफ्रीकी यूनियन; नाइजीरिया, गैम्बिया; गोल्ड-कोस्ट, सीराल्योन; सूदान, *टंगान्यिका, *दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका, *कैमरून, *टोगोलैण्ड ।

अमरीका—बरमूडास, कनाडा की डोमिनियन, फारुलैण्ड द्वीपसमूह, दक्षिण जार्जिया, बरतानवी गायना, बरतानवी होन्डूरास; न्यूफाउण्डलैण्ड; लेब्राडर; बहामस ; बारबाडस, जमैका; लीवार्ड द्वीपसमूह, ट्रिनीडाड, टुबागो, विण्डवार्ड द्वीपसमूह ।

महासागरीय—आस्ट्रेलिया की कामनवैल्थ, पापुआ (जिसे जनवरी १९४३ में जापान से वापस जीता जा चुका है), न्यूजीलैण्ड, फीजी, प्रशान्त महासागर के द्वीपसमूह, *न्यूगिनी, *पश्चिमी समोआ, *नौरू । इनमें

(१) स्वाधीन उपनिवेश—कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका, आयर (आयरिश स्वतंत्र राज्य), न्यूफाउण्डलैण्ड जिसका औपनिवेशिक पद १९३३ से स्थगित कर दिया गया है ।


(२) उपनिवेश अथवा अधीन साम्राज्य, जिसमें शाही नौ-आवादियों (उपनिवेश), संरक्षित राज्य तथा * चिन्हाङ्कित विगत विश्वयुद्ध के बाद, वार्सेई की सन्धि के अनुसार, शासनादेश द्वारा शासित देश (Mandated Territories) शामिल हैं ।

ब्रिटिश राष्ट्र-समूह एक विचित्र राजनीतिक रचना है । राजनीतिक अर्थ में न वह राष्ट्र है और न सघ ही । उसका न कोई लिखित शासन-विधान है, न उसकी कोई पार्लमेन्ट है और न अपनी सरकार ही । न उसकी रक्षा करने-वाली केन्द्रिय सेना और न प्रबन्धक-शक्ति ही । वास्तव में यह इतिहास और विकास की रचना है जो अपने आप बढी, योजना बनाकर उसका निर्माण नहीं किया गया, और जिसके सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्ध अभी विकास की अवस्था में हैं । स्वाधीन उपनिवेशों का विधान बरतानवी सरकार के द्वारा बना, लेकिन वास्तव में कालक्रम द्वारा वह स्वाधीन बन गये । १९२६ तक वैस्टमिस्टर पार्लमेन्ट समस्त साम्राज्य की सर्वोच्च धारासभा मानी जाती रही; वही अधिकार दे सकती और उन्हें वापस ले सकती थी । पिछले महायुद्ध में उपनिवेशों ने साम्राज्य को पूरी मदद दी और उपनिवेशों ने साम्राज्यान्तर्गत

समानता-स्वाधीनता की माँग पेश की। सन् १९२६ में साम्राज्य-परिषद् में उपनिवेशों की व्याख्या निम्न प्रकार स्वीकार की गई:—

“उपनिवेश ब्रिटिश-साम्राज्य में स्वाधीन राज्य हैं, जो पद में समान हैं और किसी प्रकार भी किसीके अधीन नहीं हैं; वे अपने ब्राह्म तथा आन्तरिक शासन-प्रबंध में स्वतंत्र हैं तथा ब्रिटिश राजसत्ता के प्रति भक्ति के एक साधारण बन्धन में बंधे हुए हैं।” उपनिवेश ब्रिटिश पार्लामेन्ट की सर्वोपरि महत्ता को स्वीकार करने की माँग करते रहे। फलतः वैस्टमिन्स्टर विधान बना। सन् १९३१ की साम्राज्य-परिषद् ने इस विधान को बनाया, जिसके अनुसार उपनिवेशों की पार्लामेन्टों को यह अधिकार मिल गया कि उन पर लागू होनेवाले ब्रिटिश पार्लामेन्ट के किसी भी कानून को वे रद्द या उसमें मंशोधन कर सकती हैं। साथ ही बिना उपनिवेश की सहमति के वैस्टमिन्स्टर-पार्लामेन्ट द्वारा स्वीकृत किया गया कोई कानून उस पर लागू न होगा। उपनिवेशों पर लागू हो सकने की सम्भावना को दूर करने के लिये एतत्सम्बन्धी एक पुराना कानून भी हटा लिया गया। इस समय राजनीतिक दृष्टि से उपनिवेश स्वाधीन तथा प्रभु राज्य हैं। उनकी अपनी पार्लामेन्ट तथा सरकारें हैं। अलबत्ता ब्रिटेन का राजा, उपनिवेश के सम्बन्ध में, उसके मन्त्री की सलाह से काम करता है और उपनिवेश का भी राजा कहलाता है। प्रत्येक उपनिवेश को शान्ति तथा युद्ध के सम्बन्ध में निर्णय करने का अधिकार है। इस समय समस्त उपनिवेशों ने ब्रिटेन के साथ जर्मनी के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी है, केवल आयरलैंड ही है। प्रत्येक उपनिवेश में, आयरलैंड को छोड़कर, राजा का एक प्रतिनिधि रहता है, जो गर्वनर-जनरल कहलाता है। उसके सुपुर्द कुछ शाही काम रहता है। प्रत्येक उपनिवेश की ओर से लन्दन में एक हाई कमिश्नर रहता है और ब्रिटिश सरकार भी प्रत्येक उपनिवेश में एक हाई कमिश्नर रखती है।

ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल का एक सदस्य उपनिवेशों का मन्त्री भी होता है। समस्त साम्राज्य के प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक साम्राज्य-परिषद् भी है, जिसकी बैठक कभी-कभी होती है। सन् १९०७ से इसमें भारत के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, यद्यपि ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे महान् देश—
—उसके मुकुटमणि—भारत का, साम्राज्यान्तर्गत अभी अपना कोई पद नहीं है।



कनाडा

ब्रिटिश द्वीप

युफाउन्ड लेण्ड

जिब्राल्टर

अमेरिका
गोल्ड कोस्ट
सेलियो

असेन्स
सेइलेन

दक्षिणी अफ्रीका युनियन

ब्रिटेन

नाइगेरिया

सुदान

अदन

किरिबाती

तोंगा

फिजी

मलाया

सिंगापुर

इंडोनेशिया

बांग्लादेश

म्यान्मार्

थाईलैंड

कम्बोडिया

वियतनाम

मंगोलिया

हांगकांग

ऑस्ट्रेलिया

फिजी द्वीप

न्यूजीलैंड

टेन्गानिया

ब्रिटिश हान्दुराज द्वीप

पाकालेण्ड द्वीप

ब्रिटिश-सेना—वर्तमान महायुद्ध आरम्भ होने से पूर्व ब्रिटिश-सेना के तीन अंग थे:—


(१) स्थायी सेना—इसमें सैनिक सात वर्ष के लिये भर्ती किये जाते हैं, किन्तु आगामी ५ वर्ष तक, रक्षित सैन्य की मॉति, आवश्यकता पडने पर इसके सैनिकों को बुलाया जा सकता है। इसमें १,६४,००० सैनिक रहते थे। जिनमें ५७,००० सैनिक भारत में थे और इनका व्यय भारत-सरकार को देना पडता था।

(२) देश-रक्षिणी सेना—यह नागरिकों की सेना है। इसमें चार वर्षों तक शिक्षण की व्यवस्था है। इस सेना के सैनिकों के व्यावसायिक अथवा नागरिक धन्धों में कोई बाधा नहीं पडती थी, सायकल की कवायद में केवल सप्ताह में एक बार अथवा सालाना शिविर में शामिल होना पडता था। अप्रैल १९३६ में यह सेना दूनी कर दी गई और इसकी संख्या ४,४०,००० होगई। इस सेना में एक स्त्री-सेना की शाखा भी है, जो असैनिक सहायक कार्य करती है।

(३) अनिवार्य नागरिक सेना। २६ मई १९३६ के मिलिटरी ट्रेनिंग ऐक्ट (सैनिक-शिक्षण कानून) के अनुसार प्रत्येक २० वर्ष के या इससे अधिक आयु के स्वस्थ पुरुष को इसमें ६ महीने के लिये भरती होना अनिवार्य है।

युद्ध आरम्भ होजाने पर यह समस्त सेनाएँ मिलाकर एक कर दी गईं। १८ से ४१ वर्ष के लोगों को सेना में भरती होना अनिवार्य कर दिया गया। १९४१ के पतभङ तक २० और ३६ वर्ष के बीच की आयु वाले लगभग ६० लाख आदमी इसमें भरती हुए और २० लाख सशस्त्र सैनिक तैयार होगये। १९४१ के दिसम्बर में अनिवार्य भरती की उम्र पुरुषों के लिये ५० और स्त्रियों के लिये ३० वर्ष कर दीगई। जून १९४० में नागरिक स्वयंसेवकों का मुल्की गारद जर्मन छुतरी-सैनिकों से लडने के लिये बना। इसके सदस्य अपना कारवार करते हुए फालतू समय में सैनिक कार्य करते हैं। आवश्यकता के अवसर पर पूरे समय के लिये बुला लिये जाते हैं। इनकी सेवाओं को अनिवार्य भी बनाया जा सकता है। इन सेनाओं के अतिरिक्त समुद्र पार की भारतीय तथा अनेक उपनिवेशों की सेनाएँ अलग हैं।

ब्लम,लियोन—फ्रान्सीसी समाजवादी नेता। सम्पन्न परिवार में, १८७२ में जन्म। दर्शन तथा कानून में उपाधियाँ प्राप्त की। वकील बन गये; समालोचना और पुस्तक-लेखन द्वारा साहित्य-सेवा भी की। सन् १९३६ तक वह इस बात के विरुद्ध रहे कि समाजवादी-दल फ्रांस के राज-शासन में पद-ग्रहण करे। वह सयुक्त-मोर्चा स्थापित करना चाहते थे। ४ जून १९३६ को वह फ्रान्स के पहले समाजवादी प्रधान-मंत्री नियुक्त किये गये। २० जून १९३७ को उन्होंने पद त्याग दिया। चौटेम्स की सरकार में वह उप-प्रधान-मंत्री बनाये गये। १३ मार्च १९३८ को वह फिर प्रधान-मंत्री नियुक्त किये गये। इसी मास में जर्मनी ने आस्ट्रिया को अपने राज्य में मिलाया। इनकी सरकार कमज़ोर थी इसलिये, २६ दिन बाद, त्याग-पत्र दे दिया। इनके बाद दलादिये प्रधान-मंत्री बनाया गया। आजकल ब्लम विशी सरकार के राजबन्दी हैं।



ब्लिज़्क्रीग्—जर्मन-शब्द, भावार्थ विद्युत्-वेग से विरोधी को आक्रमण द्वारा नष्ट कर देना। हिटलरी जर्मनी में यह भावना बहुत प्रबल हुई। आर्थिक दुर्बलता के कारण, अधिक दिन तक युद्ध न चला सकने की, आक्रान्त राष्ट्र की असमर्थता से लाभ उठाना। १९३९ से १९४१ तक योरपीय रणक्षेत्रों पर जर्मनों ने इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया। किन्तु १९४० के पतझड़-काल में ब्रिटेन पर शुरू हुए हवाई हमलों और रूसी रणक्षेत्र के आक्रमणों में जर्मनों का यह प्रयोग सर्वथा असफल रहा है।


बुखारेस्त की संधि—७ मई १९१८ को यह संधि जर्मनी, आस्ट्रिया, तुर्की, बल्गारिया तथा दूसरी ओर रूमानिया में हुई। इस सन्धि में केन्द्रीय राष्ट्रों, जर्मनी आदि, ने रूमानिया से बहुत कड़ी शर्तें लिखा ली। जब जर्मनी वार-सेई-सन्धि की सख्ती की शिकायत करता था, उस समय उसे इस सन्धि की सख्ती का स्मरण कराया जाता था। सन् १९१८ में पश्चिमी राष्ट्रों, ब्रिटेन, फ्रान्स आदिके मतालवे पर, वारसेई की संधि के समय, यह संधि रद्द कर दी गई।

बुर्जुआ—फरान्सीसी भाषा का शब्द, अर्थ नागरिक समुदाय । मार्क्सवादी सोशलिस्ट, खेतिहर समुदाय को छोड़कर, अन्य समुदायों के लिये, इस शब्द का प्रयोग करते हैं । अन्य समुदायों में पूँजीपति, मृदश्वर, कारखानेदार, सौदागर, ज़मींदार और इन्हीं के समान मोटी आमदनी, शिक्षा, सामाजिक स्थिति आदि रखनेवाले पेशेवर—वकील, डाक्टर, प्रोफेसर, तिजारत-पेशा लोग—अर्थात् जो लोक-संग्रह अथवा सामाजिक-विकास के लिये स्वयं श्रम नहीं करते और मजदूरों और साधनहीन श्रमजीवी समुदाय की कमाई पर पलते-पनपते हैं । बुर्जुआ के विपरीत सर्वहारा हैं जिसके पास कोई ज़मीन-जायदाद, रूपा-पैसा नहीं है, और जो अपने गाढ़े पसीने की कमाई से अपना और अपने आश्रितों का पेट भरता है ।

बुर्जुआ समुदाय के भी दो अंग हैं : अधिक सम्पन्न, जिनमें कारखानेदार और धनिक लोग हैं, दूसरे छुटभय्ये, जिनमें कारीगर और दूकानदार आदि हैं, जिनका जीवन-माप एक मजदूर से अच्छा नहीं होता । मशीनों और कारखानों की बढ़ोतरी के साथ, तमाम उद्योगवादी देशों में, बुर्जुआ समुदाय की बन आई और वह पुरातन शासक सामन्तशाही और उसकी लुप्तप्राय आर्थिक व्यवस्था के स्थान पर सर्वेसर्वा बन बैठा । बुर्जुआई के विकास के साथ समाज में, आवश्यक रूप से, सामन्तशाही-दासता के विरुद्ध उदार विचारों का प्रसार हुआ । मार्क्सवाद के अनुसार इस बुर्जुआ सम्प्रदाय का भी समाज से लोप होगा और उसका स्थान समाजवादी मजदूर वर्ग को मिलेगा । किन्तु बुर्जुआ सम्प्रदाय, अपने इस सम्भवनीय उत्तराधिकारी से कशमकश करते हुए, अपनी तथाकथित उदार विचारधारा को छोड़ बैठता और अपने अधिकार को अल्लुगण रखने के लिये अधिनायक-प्रणाली का पोषक बन बैठता है । ऐसी परिस्थिति में छोटे बुर्जुआ समुदाय के विचार बदलने लगते हैं और वह मजदूर सम्प्रदाय का हामी होजाता है, बड़े बुर्जुआ, एक मुट्ठी भर सशक्त पूँजीवादी की शकल में, रह जाते हैं और वह राष्ट्र के साधनों का नियन्त्रण करने लगते हैं ।

बुदेनी, मार्शल—आप सोवियत रूस के राष्ट्र रक्षा-विभाग के सहकारी अधिकारी (Deputy People's Commissar for Defence)

हैं। इस उच्च पद पर रहकर आप देश-रक्षा के लिये किस अनथक यत्न, बुद्धिमत्ता और साहस से साथ नात्सी सेनाओं का मुकाबला कर रहे हैं, इसका प्रमाण पिछले चार महीनों से नात्सी-सेनाओं की रूस में बराबर होने वाली हार है। मार्शल तिमोशेको के आप सहयोगी हैं। तिमोशेको रक्षा-विभाग के मंत्री (Commissar) हैं।



ब्रूनिंग्, डा० हीनरिच—जर्मन प्रजातंत्र का पूर्व चान्सलर। सन् १९३१ में जब राइखताग के चुनावों में नात्सीदल की विजय होगई तब ब्रूनिंग् ने अधिनायक-तंत्र की स्थापना की। उसने नात्सियों को अपनाने का प्रयास किया, किन्तु वह विफल रहा। सन् १९३२ में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने उसे निकाल दिया। नात्सी-विरोधी होते हुए भी, कहा जाता है कि, ब्रूनिंग् ने प्रजासत्ता को दबाकर नात्सीवाद के लिये मार्ग प्रशस्त किया। हिटलर के एक वर्ष के शासन के बाद वह अमरीका चला गया और वहाँ हरवर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिये।

वेनेश, ऐडवर्ड—पीएच० डी०। चैकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति थे। जन्म २५ मई १८८४। पैरिस में शिक्षा पाई। सन् १९०६ में प्रेग के एक व्यापारिक कालिज में अध्यापक हुए। सन् १९१४ में युद्ध छिड़ने के बाद के गुप्त आस्ट्रिया-विरोधी आन्दोलन में शामिल होगये। सन् १९१५ में गुप्त रूप में स्विट्जरलैण्ड गये। मसार्कि के दाहिने हाथ बन गये। चैकोस्लोवाक राष्ट्रीय परिषद् के प्रधान-मंत्री बने। बाद में जब वह परिषद्, चैकोस्लोवाकिया की सरकार की भोंति, स्वीकार करली गई, तब वेनेश १९१८ में वैदेशिक-मंत्री बने और सन् १९३५ तक, सभी सरकारों के अधीन, इसी पद पर रहे। मसार्कि की मृत्यु के बाद, १८ दिसम्बर सन् '३५ को, वह राष्ट्रपति चुने गये। वह सदैव प्रजातंत्र के समर्थक रहे। २२ अक्टूबर १९३८ को वह चैकोस्लोवाकिया त्याग कर अमरीका गये और शिकागो विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिये। जुलाई

१९३६ से वह ब्रिटेन में चैक-स्वातन्त्र्य-समिति के प्रधान हैं ।

वेलजियम—क्षेत्रफल ११,७७५ वर्गमील; जनसंख्या ८३,००,००० । योरप का सबसे घना बसा हुआ देश । पिल्ले विश्वयुद्ध से १९३६ तक वेलजियम ने फ्रान्स के साथ सहयोग रखा, किन्तु बाद में, वर्तमान महायुद्ध के आरम्भ तक, वह तटस्थ देश बनकर रहा । पर, फ्रान्स के किनारे पर स्थित होने के कारण, सन् १९१४ के बाद, १० मई १९४० को जर्मनी ने उस पर हमला कर दिया । तत्कालीन मित्रराष्ट्र (ब्रिटेन और फ्रान्स) ने तत्काल मदद भेजी, किन्तु जर्मन फौजे सीदन के नज़दीक से दुस पर्व और वेलजियन तथा मित्र-सेनाओं को फ्लैन्डर्स को हट जाना पटा । जर्मन सेनाएँ आगे बढ़कर अर्रास से चैनल तक फैल गईं और पूर्वोक्त दोनों सेनाएँ, इस प्रकार, एक ओर को कट गईं । और जबकि मित्र तथा वेलजियन सेनाएँ एक नया मोर्चा कायम करने की तजवीज में थी कि वेलजियम के राजा, तृतीय लियोपोल्ड, ने जर्मनों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया : ४ लाख वेलजियन फौज ने हथियार डाल दिये, और मित्र-सेनाएँ जल्दी से शेष देश को छोड़कर चली आईं । कैथलिक-लिबरल-सोशलिस्ट गंगा-जमुनी दल की वेलजियन-सरकार ने राजा के आत्मसमर्पण से असहमति प्रकट की । सरकार फ्रान्स को चली गई और मित्र-राष्ट्रों के पक्ष में लड़ाई जारी रखना तय किया । जब फ्रान्स का भी पतन होगया, तब भी वेलजियम ने सिद्धान्ततः जर्मनी से लड़ाई जारी रखी । बहुत से वेलजियन सिपाही ब्रिटेन में लड़ाई को जारी रखे हुए हैं और वेलजियम का अफ्रीकी उपनिवेश, कागो, अब भी युद्धरत है । प्रधान-मंत्री मोशिये पीयरलोट लन्दन से इस युद्ध को चला रहे हैं । राजा से बरतानिया-प्रवासी वेलजियन-सरकार के सम्बन्ध अच्छे होचले हैं ।

देश में दो भाषाएँ प्रचलित हैं—फ्लेमिश तथा फ्रान्सीसी । अफ्रीकी कागो का क्षेत्रफल ६,२७,००० वर्गमील तथा जनसंख्या १,००,००,००० है । कागो



अत्यन्त समृद्धिशाली देश है। तॉबा, सोना, हीरा और रेडियम यहाँ की मुख्य उपज है। राष्ट्र-संघ के शासनादेश के अधीन बेलजियम, पिछले जर्मन-पूर्वीय-अफ्रीका के एक भाग, रुआन्दा उरन्दी, पर भी शासन करता है।

बैसरेबिया—काला सागर क्षेत्र में एक प्रान्त ; क्षेत्रफल १७,१५० वर्ग-मील ; जनसंख्या २८,६७,००० , जिसमें ३,१५,००० यूक्रेनी; १६,०६,००० रूमानी, ३,५३,००० रूसी और शेष में यहूदी, जर्मन, बलगारी, तातार आदि अल्पसंख्यक जातियाँ हैं। १३६७ ई० से १८१२ तक बैसरेबिया मोल्दाविया का एक भाग रहा, जिस पर तुर्की का आधिपत्य था। १८१२ के रूस-तुर्की-युद्ध में रूस के हाथ आगया। १८५६ में मोल्दाविया को दे दिया गया। १९१७ की रूसी क्रान्ति के बाद मोल्दाविया में प्रजातंत्र कायम होगया। बीच के काल में यहाँ राजनीतिक उथल-पुथल रही और वर्तमान विश्वयुद्ध से लाभ उठाकर, जुलाई १९४० में, सोवियत रूस ने इसके समीप के क्षेत्र को रूमानिया से लेकर, मोल्दावी सोवियत में मिला दिया। जब जर्मनी और रूमानिया ने रूस से युद्ध छेड़ा तब, जुलाई १९४१ में, रूमानियनो ने बैसरेबिया और उसके साथ सोवियत मोल्दावी इलाके पर भी कब्ज़ा कर लिया।

बैस्तलितास्क की सन्धि—३ मार्च १९१८ को एक ओर जर्मनी, आस्ट्रिया, बलगारिया और तुर्की, दूसरी ओर रूस के बीच हुई संधि। रूस में तब कम्युनिस्ट क्रान्ति का भूमेला था, इसलिये वह किसीभी प्रकार शान्ति चाहताथा। जर्मनी ने इस स्थिति से मनमाना लाभ उठाया। रूस को रूसी-पोलैण्ड, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया और बाल्टिक सागर के अन्य द्वीपो पर से अपना प्रभुत्व त्यागकर जर्मनी तथा आस्ट्रिया का इन देशो पर प्रभुत्व स्वीकार करना पडा। साथ ही उसे फिनलैण्ड, जार्जिया तथा यूक्रेन की (जहाँ जर्मनी ने कठपुतली सरकार बना रखी थी) स्वाधीनता भी स्वीकार करनी पड़ी। रूस ने ६ अरब मार्क्स का सोना भी क्षतिपूर्ति में देना स्वीकार किया। इस प्रकार उसे ३४ प्रतिशत जनसंख्या, ५४ प्रतिशत उद्योगधन्धो और ६० प्रतिशत अपनी कोयले की खदानों से हाथ धोना पडा। कालासागर और ख़ासकर बाल्टिक सागर से उसका सम्बन्ध टूट गया।

जर्मनी को वरसाई की सन्धि से शिकायत है, किन्तु इस सन्धि की शर्तों


की क्रूरता ने उसका मुँह बन्द कर दिया था। पिछले युद्ध के बाद, ११ नवम्बर १९१८ की, अस्थायी सन्धि में यह सन्धि भी दुहराई गई और वरमाई की सन्धि में पश्चिमी राष्ट्रों ने इस सन्धि का अन्त ही कर दिया।

बोरबन— फ्रांस का पूर्व राज-परिवार या वंश। १८७१ में, जब फ्रांस में प्रजातंत्र की स्थापना हुई तब, इस वंश का निष्कासन कर दिया गया। इस वंश के लोगो को, प्रजातन्त्र-विधान के अनुसार, १८८६ से, फ्रांस में आने की आज्ञा नहीं है। किन्तु पेटों की विशी-सरकार ने, १९४१ में, इस बन्दिश को उठा लिया है। उन्नीसवीं शताब्दि में शुद्ध बोरबन वंश का नाश होगया, तब बोरबन-ओरलियन्स शाखा को फ्रांस के राजसत्तावादी अपनाने लगे।

बोल्शेविज्म—कम्युनिज्म का पर्यायवाची शब्द। १९०३ में जब रूसी समाजवादी प्रजातंत्र-दल (सोशल-डिमोक्रेटिक पार्टी) में क्रान्ति अथवा सुधार-वाद की नीति के प्रश्न पर मतभेद हुआ तब, दल की कांग्रेस में, लेनिन के नेतृत्व में, क्रान्तिवादियों की विजय हुई। 'बहुमत' शब्द को रूसी भाषा में 'बोल्शिनस्तवो' कहा जाता है। अतः क्रान्तिवादियों (रेडिकल्स) को 'बोल्शे-विकी' अर्थात् बहुमत के सदस्य कहा जाने लगा। नरमदली सुधारवादी सोशलिस्ट 'मैन्शेविकी' कहलाये। रूसी भाषा में "मैन्शिनस्तवो" अल्पमत के अर्थ में आता है। पाश्चात्य देशों में बोल्शेविक शब्द प्रायः खिल्ली उड़ाने के अर्थ में व्यवहृत होता है, किन्तु सोवियत रूस में यह एक आदरसूचक उपाधि मानी जाती है, और आज भी रूस का कम्युनिस्ट दल अपने को बोल्शेविक सोवियत सघ कहता है।

बोलिविया—दक्षिण अमरीका का एक प्रजातंत्र, ४,२०,००० वर्गमील लम्बा-चौड़ा, आबादी ३२,००,०००, जिसमें ५० प्रतिशत इंडियन, २८ प्रति० वर्णसंकर और शेष गोरी जातियाँ हैं। धनी देश, किन्तु अविकसित। मुख्य व्यवसाय खनिज-उद्योग। चाँदी, सुरमे की डली तथा टीन बहुत निकलते हैं, टीन तो ससार की पैदावार का १५ प्रतिशत। समुद्र तक आवागमन का क्षेत्र प्राप्त करने के लिये बोलिविया और पैरागुए में जुलाई १९३२ से जून १९३५ तक युद्ध होता रहा। सयुक्त-राज्य अमरीका तथा पॉंच दक्षिण अमरीकी प्रजातंत्रों ने समझौता कराया। इस देश में कहने को समाजवादी किन्तु वास्तव में

फासिस्ती फौजी अधिनायक तत्र कायम है। जुलाई १९४१ में यहाँ नान्सी-प्रड्यंत्र का भण्डाफोड हो-
चुका है। दिसम्बर '४१ में जब अम-
रीकी संयुक्त-राष्ट्र ने जापान के वि-
रुद्ध युद्ध-घोषणा की तो बोलिविया
भी उसमें शामिल होगया, और
अप्रैल १९४३ में उसने धुरी राष्ट्रों
के विरुद्ध युद्ध-घोषणा करदी।



बोहेमिया—चैकोस्लोवाकिया

का प्रमुख प्रान्त। इसकी राजधानी प्रैग भी इसी प्रदेश में है। यह मध्य योरप में स्थित है, इस कारण योरप की राजनीति की यह धुरी रहा है। विस्मार्क ने कहा था—
“बोहेमिया का स्वामी ही योरप का स्वामी है।” मार्च १९३९ में, चैकोस्लोवाकिया पर अधिकार जमाने के बाद, जर्मनी ने इस प्रांत को अपने राज्य में मिला लिया।

भ

भारत—ब्रतानवी राष्ट्र-समूह का सदस्य-देश—नहीं एक ‘साम्राज्य’—
ब्रिटिश-साम्राज्य का मुकुट-मणि। किन्तु ब्रिटिश कामनवैलथ में, लगभग दो
सौ साल के ब्रतानवी-शासन के बाद भी, जिसका स्वतन्त्र कोई स्थान नहीं,
राष्ट्रीय अस्तित्व नहीं। संसार को जिसने मानवता के आदिम-युग में ज्ञान-ज्योति दी,
सभ्यता का ज्ञान-दान दिया। मानव-संस्कृति का जो आदि-गुरु रहा, किन्तु इस
दो-सौ साल में पाश्चात्य सभ्यता ने जिसकी सांस्कृतिक प्राणधारा का आर्थिक,
सामाजिक, राजनीतिक सभी दृष्टियों से, भीषण शोषण कर डाला है।
एशिया के दक्षिण में स्थित। क्षेत्रफल १८,०८,६८० वर्गमील; जनसंख्या

३७,५०,००,००० । ब्रिटेन का राजा भारत का सम्राट् कहलाता है । भारत ब्रिटिश-शासित और देशी राज्य दो प्रमुख भागों में बँटा हुआ है ।

सन् १६०५ के बङ्ग-भङ्ग के बाद उठे हुए आन्दोलन के फलस्वरूप १६०६ में मिन्टो-मार्ले-सुधार भारत को ब्रिटिश-शासन की पहली, राजनीतिक सुधारों की, नाम-मात्र की देन थी । उपरान्त सन् १६१७ में स्वर्गीया श्रीमती ऐनी-वेसेन्ट और लोकमान्य तिलक के होम-रूल आन्दोलन के प्रतिफल में, २० अगस्त सन् १६१७ को तत्कालीन भारत-मन्त्री मि० मान्टेग्यू ने ब्रिटिश पार्ल-मेन्ट में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार की नीति का अन्तिम लक्ष्य “ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है ।” उपरान्त मान्टेग्यू साहब स्वयं भी भारत पधारे और तत्कालीन नेताओं से उन्होंने भेट की । इसके बाद, सन् १६१६ में, भारतीय-शासन-विधान बना, जिसके अनुसार प्रांतों में नई धारासभाएँ स्थापित की गईं, मर्यादित मताधिकार दिया गया, साथ ही प्रान्तों में द्वैध-शासन-प्रणाली (Diarchy) की स्थापना की गई । इसके अनुसार प्रान्तीय सरकार को दो भागों में बाँट दिया गया । शासन-विभागों को ‘हस्तान्तरित’ (Transferred subjects) और ‘सुरक्षित’ (Reserved subjects) नाम दिये गये । हस्तान्तरित विषयों में शिक्षा, उद्योग, कृषि तथा स्वायत्त-शासन आदि रखे गये । सुरक्षित में पुलिस, माल-गुजारी, अर्थ-विभाग, आदि । सुरक्षित विभाग गवर्नर की एक कौंसिल के अधीन रखे गये, जिसमें २ से ३ तक सदस्य नियुक्त किये गये । हस्तान्तरित विषयों को प्रान्तीय धारासभा के निर्वाचित सदस्यों के प्रतिनिधियों को सौंपा गया । यह प्रतिनिधि गवर्नर की कौंसिल के अधिवेशनों में शामिल नहीं होते थे । सन् १६१८ में राष्ट्रीय महासभा ने, इस विधान के प्रकाशित होने के अवसर पर, इसे अपर्याप्त, असन्तोषजनक और अनुपयोगी बताया ।

एक ओर शासन-विधान बनकर तैयार हुआ, दूसरी ओर सन् १६१६ के आरम्भ में ही सरकार ने रौलट कानून बनाने की तैयारी कर दी । महात्मा गांधी ने इसके विरोध में सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ने की घोषणा की । पंजाब में फौजी शासन जारी हुआ और अनेक अत्याचार हुए । इसके साथ ही, गत महायुद्ध के बाद, बरसाई की सन्धि में तुर्की के साथ हुए अन्याय से भारतीय मुसलमान

बहुत लुब्ध थे। फलतः गांधीजी द्वारा असहयोग आन्दोलन और खिलाफत आन्दोलन साथ-साथ चले। कांग्रेस की कायापलट हुई, माडरेटों के हाथ से वह, देशोद्धार के लिए चिन्तित और राष्ट्रोन्नति के लिये उद्यत, राष्ट्रवादियों के हाथ में आई और, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस ने स्वराज्य-प्राप्ति के लिये आन्दोलन शुरू किया। आन्दोलन ठंडा भी न होपाया था कि देश में हिन्दू-मुसलिम-विग्रह की बाढ़-सी आ गई। यह आश्चर्य की बात है कि राजनीतिक आन्दोलनों के बाद ही यह दगे अधिकतर हुए। किन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन, किसी-न-किसी रूप में, बराबर जारी रहा। हिंसात्मक आन्दोलन ने भी इस बीच जोर पकड़ा।

१९२८ में ब्रिटिश सरकार ने एक शाही कमीशन, सर जान साइमन के नेतृत्व में, भारतीय समस्या की जाँच के उद्देश्य से, यहाँ भेजा। कांग्रेस ने इस कमीशन का देशव्यापी बहिष्कार किया और इसकी सिफारशी रिपोर्ट को ठुकरा दिया। यद्यपि इस कमीशन का लक्ष्य भारतीय शासन-सुधारों के संबंध में जाँच और सिफारशें करना था, किन्तु इसमें एक भी भारतीय सदस्य नियुक्त नहीं किया गया : सातों सदस्य विलायत से भेजे गये। कांग्रेस ने अपनी राष्ट्रीय माँग को उपस्थित करने के लिये पं० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमिटी नियुक्त की। इस कमिटी की रिपोर्ट की सिफारशें 'राष्ट्रीय माँग' के नाम से मशहूर हैं। इस नेहरू रिपोर्ट में भारत का तत्कालीन लक्ष्य औपनिवेशिक शासन-पद स्वीकार कर लिया गया था। पुराने नेता महात्मा गांधी, पं० मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय, आदि औपनिवेशिक स्वराज्य से सन्तुष्ट थे। एक दूसरा दल पं० जवाहरलाल नेहरू तथा बाबू सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में था। वह ब्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद चाहता था। नेहरू-रिपोर्ट की सरकार द्वारा स्वीकृति के लिये अन्तिम तिथि ३१ दिसम्बर १९२६ रखी गई। सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। अतः कांग्रेस ने अपने लाहौर-अधिवेशन में उसी वर्ष पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया।

सन् १९३० में सविनय-अवज्ञा अथवा नमक-सत्याग्रह-आन्दोलन गांधीजी ने छेड़ा, जो बड़ी तीव्र गति से चला। हज़ारों देशवासी स्त्री, पुरुष, बालक

जेल गये तथा अनेक लाठियों और गोलियों से मारे गये । तत्कालीन वाइसराय, लार्ड इरविन अब लार्ड हैलीफैक्स, जब दमन से हार गये, तब उन्होंने १९३१ में कांग्रेस से समझौता किया, जो गाधी-इरविन समझौते के नाम से प्रसिद्ध है । फलतः गाधीजी ने गोलमेज सभा में शामिल होना स्वीकार किया । गोलमेज की दूसरी बैठक सन् १९३२ में भी लन्दन में हुई, किन्तु गाधीजी पहली बैठक से ही निराश लौटे थे । हिन्दू-मुसलिम प्रश्न खड़ा कर दिया गया और कोई विशेष प्रतिफल इस सम्मेलन का नहीं निकला और देश की राष्ट्रीय मॉग के प्रतिकूल नया शासन-विधान भारत पर लादा गया ।

१९३५ में यही भारतीय शासन-विधान लागू हुआ । इसमें भारत को केन्द्र में उत्तरदायी शासन देने की व्यवस्था नहीं की गई । प्रान्तों में भी नियंत्रित तथा मर्यादित उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की योजना शामिल की गई । इस शासन-विधान में ४७८ धाराएँ और १६ परिशिष्ट हैं । यह जितना ही बड़ा है, उतना ही अधिक अनुत्तरदायी भी । इस विधान की रूप-रेखा इस प्रकार है:—

(१) केन्द्रिय सरकार—भारत में गवर्नर-जनरल ब्रिटिश राजा का प्रतिनिधि है और वास्तव में भारत का एकमात्र शासक । १८ अप्रैल १९३६ से लार्ड लिनलिथगो वाइसराय और गवर्नर-जनरल के पद पर हैं । (यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि पार्लामेन्टरी सयुक्त कमिटी, जिसने गवर्नमेन्ट आफ इंडिया बिल पर अपनी रिपोर्ट दी थी, के अध्यक्ष भी लार्ड लिनलिथगो ही थे) गवर्नर-जनरल की सामान्य अवधि पाँच वर्ष नियत है । किन्तु ब्रिटेन का राजा इसमें वृद्धि भी कर सकता है । गवर्नर-जनरल की सहायता के लिये एक कार्य-कारिणी कौंसिल है, जिसमें सामान्यतः तीन देशी, तीन अंगरेज, ६ सदस्य रहते थे, किन्तु अब बढ़ते-बढ़ते १५ हो गये हैं । इनकी नियुक्ति राजा द्वारा होती है । प्रत्येक सदस्य भारत-सरकार के एक या अधिक विभागों का अध्यक्ष होता है । भारत का प्रधान सेनाध्यक्ष भी इस कौंसिल का सदस्य होता है । गवर्नर-जनरल इसका अध्यक्ष रहता है । पर-राष्ट्र विभाग गवर्नर-जनरल के अधीन रहता है ।

भारतीय व्यवस्थापक मण्डल में दो सभाएँ हैं—लैजिस्लेटिव असेम्बली

और कौंसिल ऑफ् स्टेट । असेम्बली में, जिसकी स्थापना १९२१ में हुई थी, १४१ सदस्य हैं, जिनमें १०५ निर्वाचित और शेष मनोनीत हैं । कौंसिल ऑफ् स्टेट में ५८ सदस्य हैं, जिनमें ३२ चुनाव द्वारा होते हैं । दोनों के मताधिकार में बड़ी भिन्नता है । असेम्बली का कार्य-काल तीन वर्ष है । (परन्तु सन् १९३४ के बाद से अभी तक इसका चुनाव ही नहीं हुआ है, वाइसराय द्वारा इसका कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा है ।) कौंसिल ऑफ् स्टेट का चुनाव पाँच साल के लिये होता है । वाइसराय इसकी अवधि भी घटा-बढ़ा सकता है । वाइसराय की कौंसिल भारतीय धारासभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है । सुपठित और सम्पन्न समुदाय ही असेम्बली के चुनाव में मत दे सकता है, और भारत जैसे सुविशाल देश में केवल ५ फीसदी के लगभग असेम्बली के मतदाता हैं । गवर्नर-जनरल, सम्राट् की सहमति से, असेम्बली की इच्छा के प्रतिकूल, ब्रिटिश भारत के हित के नाम पर, कानून बना सकता और असेम्बली द्वारा स्वीकृत मसविदे या प्रस्ताव को, अपने विशेषाधिकार (power of veto) द्वारा, रद्द कर सकता है ।

(२) प्रान्तीय शासन—ब्रिटिश भारत में, सन् १९३५ के विधान के अनुसार, ११ गवर्नरो के प्रान्त हैं : मद्रास, बम्बई, बंगाल, पंजाब, संयुक्त-प्रांत, मध्य-प्रांत, बिहार, उड़ीसा, सिंध, सीमाप्रांत तथा आसाम । प्रत्येक गवर्नर के प्रान्त में निर्वाचित प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा या प्रान्तीय असेम्बली है । सिर्फ बंगाल, बम्बई, मद्रास, संयुक्त-प्रान्त, बिहार तथा मध्य-प्रान्त में द्वितीय धारासभा या प्रान्तीय कौंसिल भी हैं । प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली का कार्य-काल ५ वर्ष है । प्रान्तीय कौंसिलें स्थायी हैं । इनमें से प्रत्येक एक-तिहाई सदस्यों का तीन वर्ष बाद, दूसरे एक-तिहाई का ६ साल बाद, तीसरे एक तिहाई का नौ-साल बाद चुनाव होता है । कौंसिलों में मनोनीत सदस्य भी होते हैं । प्रान्तीय असेम्बली के मतदाताओं की संख्या जन-संख्या का १२ प्रतिशत है, यानी भारत की कुल जनसंख्या में से केवल ३३ करोड़ को मताधिकार प्राप्त है ।

प्रान्तों का शासन-संचालन गवर्नरो के हाथ में है । अपनी सहायता के लिये उन्हें मन्त्रि-मण्डल बनाने का अधिकार है । प्रत्येक प्रान्तीय धारासभा के बहुमत-दल के नेता को आमंत्रित कर गवर्नर उसके परामर्श से मन्त्रियों

की नियुक्ति करता है। मन्त्रियों के कार्यों में सहायता देने के लिये पार्लमेन्टरी सेक्रेटरी नियुक्त किये जाते हैं। मंत्रियों तथा सेक्रेटरियों की संख्या निर्धारित नहीं है। मन्त्रि-मण्डल प्रान्तीय धारासभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 'विशेष उत्तरदायित्व' तथा विशेषाधिकार के मामलों को छोड़कर गवर्नर मन्त्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। परन्तु उपर्युक्त विशेष उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में उसे वाइसराय के आदेशानुसार कार्य करना पड़ता है। वह, वाइसराय के द्वारा, भारत मन्त्री के प्रति इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये, जिम्मेदार है। धारासभा द्वारा स्वीकृत मसविदों को स्वीकार करने अथवा न करने का अधिकार भी गवर्नर को है, या वह मसविदे (बिल) को विचारार्थ वाइसराय को भेज सकता है। यदि गवर्नर की सम्मति में प्रान्त में अशान्ति की आशंका है, तो वह विशेष क़ानून बना सकता है। वह विधान को भी स्थगित कर अपने सलाहकार नियुक्त कर सकता और प्रान्त का शासन कर सकता है। मन्त्रियों को वह वरग्वारस्त भी कर सकता है।

(३) देशी राज्य—पृथक् लेख देखिए।

(४) संघ-शासन—१९३५ के भारतीय-शासन-विधान में संघ-शासन की व्यवस्था की गई है। इसमें ब्रिटिश प्रान्तों तथा देशी रियासतों को मिला कर संघ-राज्य बनाने की योजना है। इस योजना के अनुसार वाइसराय का एक मन्त्रि-मण्डल होता और यह मन्त्रि-मण्डल संघीय धारासभा के प्रति उत्तरदायी होता। इसमें भी वाइसराय को, मन्त्रि-मण्डल के निर्णय के विपरीत, कार्य करने का पूर्ण अधिकार होता। यह संघ-प्रणाली अभी तक कार्यान्वित नहीं की जासकी है। भारतीय राष्ट्रीय महासभा इसके विरुद्ध है। मुसलिम लीग को भी यह संघ-शासन स्वीकार नहीं था। उसके विरोध के कारण कांग्रेस से भिन्न है। उसके मतानुसार संघीय धारासभा में हिन्दू बहुमत होगा, जिसे वह स्वीकार नहीं करती। तीसरे, सभी देशी राज्यों के शासक भी इसमें शामिल होने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रियासतों में शासन की एक निश्चित व्यवस्था करनी पड़ती। वाइसराय देशी नरेशों को संघ में शामिल होने के लिये उत्साहित कर ही रहा था कि १ सितम्बर १९३६ को महायुद्ध शुरू होगया और वाइसराय ने इस योजना के सबध में होनेवाले प्रारम्भिक

कार्य को स्थगित कर दिया। इस प्रकार संघ-विधान (फेडरेशन) का गर्भपात होगया।

(५) वैधानिक संकट—सितम्बर १९३६ में जब ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध-घोषणा की तो भारत के गवर्नर-जनरल ने, भारतीय असेम्बली या देश के नेताओं की अनुमति लिये बिना, यहाँ भी यह घोषणा कर दी कि इस युद्ध में भारत ब्रिटेन के साथ लड़ाई में शामिल है। गांधीजी, थोड़े दिन बाद ही, वाइसराय से मिले। उन्होंने नात्सीवाद की पराजय तथा ब्रिटेन और फ़्रान्स की विजय की कामना 'हरिजन' में लिखकर प्रकट की। इसके बाद वर्धा से कांग्रेस कार्यसमिति ने एक सप्ताह बाद एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें ब्रिटिश सरकार से उसके युद्ध तथा शान्ति के उद्देश्य पूछे तथा यह आग्रह किया कि भारत को स्वाधीन राष्ट्र घोषित कर दिया जाय। परन्तु सरकार ने कांग्रेस की इस माँग को स्वीकार नहीं किया।

अतः जिन आठ प्रान्तों में कांग्रेस-मन्त्रि-मण्डल शासन-संचालन कर रहे थे, उन्हें पद-त्याग का आदेश दिया गया। इस प्रकार नवम्बर १९३६ में भारत में वैधानिक संकट पैदा होगया। नवम्बर १९३६ से ८ प्रान्तों में गवर्नर ने शासन-विधान को स्थगित कर दिया। प्रान्तीय धारासभाएँ स्थगित कर दी गईं तथा स्वयं गवर्नर आई० सी० एस० सलाहकारों की मदद से शासन-कार्य चलाने लगे। (पीछे सन् १९४० में आसाम तथा उड़ीसा में प्रतिक्रिया-वादियों द्वारा मन्त्रि-मण्डल कायम होगए।)

ब्रिटिश वाइसराय ने सरकार की ओर से ८ अगस्त १९४० को यह घोषणा की कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जायगा तथा भारतीय एक परिषद् का संगठन कर उसमें भारत के भावी शासन-विधान की रूपरेखा तैयार कर सकेंगे।

घोषणा निस्सार सिद्ध हुई। गान्धीजी ने युद्ध के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के लिये भाषण-त्वातन्त्र की माँग की, जैसी कि ब्रिटेन में युद्ध के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने की, वहाँ के नागरिकों को प्राप्त है। इस सम्बन्ध में भी उनका प्रयास जब विफल हुआ, तो उन्होंने १९४० के अक्टूबर में युद्ध-विरोधी व्यक्तिगत सत्याग्रह छेड़ दिया, जिन्हु उसका प्रयोग बहुत सीमित रखा। अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थितियों के सम्बन्ध में इन बीच महात्माजी ने

अनेक वयान निकाले । एक वयान में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि यह सत्याग्रह-आन्दोलन अंगरेजों, मुसलमानों अथवा किसी दलके भी विपरीत नहीं किया जा रहा है । यह तो भारतीय जनता को स्वतन्त्र बना कर उसे ज़बरदस्ती लडाईं में शामिल करने के व्यवहार के विरुद्ध एक प्रबल नैतिक प्रतिरोध है । उन्होंने इसी वक्तव्य में यह भी कहा कि भारत को स्वतन्त्र करने के मार्ग में अधिकारियों द्वारा भारतीय मतैक्य का बहाना लेने का मार्ग गलत और काल्पनिक है । सत्याग्रह में २५००० व्यक्ति जेल गये और वह चौदह महीने जारी रहा ।

अप्रैल १९४१ में बम्बई में, सर तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में, निर्दल सम्मेलन हुआ । सर तेज ने अपने भाषण में कहा कि, “जनमत की अवहेलना जैसी वर्तमान भारत-सरकार ने की है वैसी किसी अन्य भारतीय सरकार ने नहीं की थी ।” सम्मेलन ने, ब्रिटिश कामनवेल्थ के देशों की भाँति ही भारतीय जनता को, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में पूर्ण अधिकार की माँग की । लडाईं के बाद, एक निश्चित अर्वाधि के भीतर, भारत को ब्रतानिया और उसके उपनिवेशों जैसे अधिकार दिये जाने की स्पष्ट घोषणा किये जाने का भी मतालवा किया गया । सर तेज इन प्रस्तावों को लेजाकर वाइसराय से भी मिले । कुछ दिन बाद भारत-मन्त्री ने कामन-सभा में बोलते हुए जवाब दे दिया कि भारत की समस्या को भारत की जनता ही, आपस में समझौता करके, सुलझा सकती है ।

इसी महीने में मदरास के लीग के जलसे में, रुभापति पद से बोलते हुए, मि० जिन्ना ने कहा—“मैं इस मंच से बलपूर्वक कह देना चाहता हूँ कि भारत में ब्रिटिश सरकार की निकम्मी, कमजोर और अनिश्चित नीति योरप की उसकी वर्तमान नीति से भी अधिक विनाशकारी सिद्ध होने को है । इन लोगों को क्यों नहीं सूझता कि घटनायें कैसी तेज़ी से घट रही हैं और नकशे कितनी जल्द-जल्द बदल रहे हैं ?”

मई में मि० जिन्ना ने एक गश्ती पत्र निकाल कर कहा कि हम लडाईं और भारत-रक्षा के आयोजन में सहयोग देने को तैयार हैं बशर्ते कि केन्द्रिय और प्रान्तीय सरकारों में लीग के प्रतिनिधियों को सच्चा और सारपूर्ण भाग दिया जाय ।

भारत के माडरेटों के अतिरिक्त ब्रिटेन में भी भारत की समस्या के सम्बन्ध

में जोरों की चर्चा चल पड़ी थी। पार्लामेन्ट के दोनों हाउसों में भारत-सम्बन्धी सरकारी नीति की निन्दा की गई। तब जुलाई १९४१ में एक श्वेत-पत्र प्रकाशित हुआ, जिसमें कहा गया कि युद्ध-काल में समस्त भारत के सहयोग के लिये एक केन्द्रिय युद्ध-सलाहकारी बोर्ड बनाया जायगा और वाइसराय की कार्य-कारिणी कौंसिल में हिन्दुस्तानी सदस्य बढ़ा दिये जायेंगे। कांग्रेस ने सरकार के इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। मुसलिम लीग भी इनसे सन्तुष्ट नहीं हुई। वह वाइसराय की कौंसिल में अपना बहुमत मॉगती थी। पाँच सदस्य वाइसराय की कार्यकारिणी में इस अवसर पर बढ़ा दिये गये।

मि० जिन्ना ने इस पर कहा कि, “यह तो कोरा दिखावा है। इसके द्वारा तो सरकार के अधिकार और शक्ति में वास्तविक भाग नहीं मिला।” निर्दल सम्मेलन के नेता डा० जयकर ने कहा कि, “एक भी असली विभाग तो योरपियन के हाथ से भारतीय के हाथ में नहीं आया। मि० एमरी अब भी पुरानी ब्रिटिश नीति, अविश्वास और सन्देह, को ग्रहण किये जा रहे हैं।” फरवरी १९४२ में फिर निर्दल सम्मेलन की बैठक हुई। डा० जयकर ने इसमें बलपूर्वक कहा कि, “बिना जनता को साथ लिये सरकार इतने बड़े युद्ध को कदापि नहीं चला सकती। हम भारत में मलय की स्थिति को नहीं देखना चाहते। एटो, और हमें अपनी रक्षा का काम सँभालने दो।” इनसे अगले महीने सर तेज तथा अन्य निर्दल नेताओं ने फरवरी के सम्मेलन के प्रस्तावों के आधार पर मि० चर्चिल से अपील की।

अगस्त १९४१ की अटलांटिक योजना भी अपने साथ कुछ नहीं लाई। कांग्रेस तो उस पर मौन रही, किन्तु लिबरल नेता प० टुदयनाथ केंज़ल ने इस पर कहा कि, “इस प्रकार की योजनाएँ और समझौते भारत के लिये तो भ्रष्ट हास्य जैसे हैं। अटलांटिक योजना पर भारत के हस्ताक्षर हैं उनलिये कि राष्ट्रों को अपने भविष्य में आशा और विश्वास उत्पन्न हो, किन्तु भारत को पर सत्तन्त्रता प्राप्त नहीं हो सकती, जिन्ना वचन वह दूसरे देशों को देता है। क्या हमें वचन भी कोई विरोधाभास हो सकता है।”

दिसम्बर '४१ में सरकार ने कुछ उदात्ता दिग्दर्श। मन्त्रालय के कैबिनेट ने कुछ दिशा-निर्देश दिये, किन्तु अन्य राजनीतिक दलों नहीं छोटे गये। सभी भारत में

७ दिसम्बर को जापान ने प्रशान्त महासागर में हमला कर दिया और सुदूरपूर्व में युद्ध छिड़ गया। ३१ दिसम्बर की बरदोली की कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। महात्मा गांधी भी इसी बैठक में देश के नेतृत्व-भार से मुक्त कर दिये गये।

फरवरी '४२ में मार्शल च्यांग् काई-जेक भारत आये और उन्होंने अपनी बिदाई के वक्तव्य में प्रबल आशापूर्ण अपील की कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतन्त्र घोषित कर देगी।

मार्च '४२ में सर स्टेफर्ड क्रिप्स अपने प्रस्ताव लेकर भारत आये। इस प्रयास का भी, क्रिप्स-योजना में वास्तविक अधिकार न मिलने के अभाव के कारण, कोई सुफल नहीं निकला।

१ मई १९४२ को प्रयाग के अ०-भा० कांग्रेस कमिटी के अधिवेशन में राजनीतिक स्थिति पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव में क्रिप्स-योजना की आलोचना तथा भारत के, युद्ध में सहयोग देने के सन्ध में, अपना मत प्रकाशित करने के बाद स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की कि—कमिटी इससे इनकार करती है कि भारत को किसी बाहरी राष्ट्र के हस्तक्षेप अथवा उसके द्वारा आक्रमण से स्वाधीनता मिल जायगी। यदि भारत पर आक्रमण हुआ तो उसका प्रतिरोध किया जायगा। यह प्रतिरोध केवल अहिंसात्मक असहयोग का ही रूप धारण कर सकता है। इसी बैठक में श्री जगतनारायण लाल का प्रस्ताव भी कमिटी ने स्वीकार किया जिसके अनुसार कांग्रेस भारत की अखण्डता के लिये प्रतिज्ञाबद्ध है। इस बैठक में श्री राजगोपालाचारी ने इस आशय का एक प्रस्ताव पेश किया कि कांग्रेस को मुसलिम लीग की पाकिस्तान की माँग को स्वीकार कर लेना चाहिए, किन्तु यह स्वीकृत न हो सका। इसके बाद राजाजी ने कांग्रेस कार्य-समिति, मदरास प्रान्तीय कांग्रेस समिति तथा अ०-भा० कांग्रेस समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया।

इसके बाद १४ जुलाई १९४२ को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी कमिटी का अधिवेशन हुआ। क्रिप्स-योजना की विफलता के बाद से ही गांधीजी ने 'हरिजन' में 'भारत छोड़ो' (Quit India) आन्दोलन की चर्चा शुरू कर दी

थी। इस अधिवेशन में 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से यह अपील की कि वह भारत से अपनी शासन-सत्ता को हटा ले। इसका यह तात्पर्य नहीं कि भारत से अंगरेज मात्र वापस चले जायँ। और न इसका यह मतलब है कि भारत में जो गौरी सेनाएँ हैं, वे वापस अपने देश को चली जायँ, प्रत्युत इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि भारत को स्वाधीन राष्ट्र घोषित कर दिया जाय और भारत में भारतीय जनता का प्रतिनिधि शासन स्थापित हो। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि यदि सरकार ने इस अपील पर ध्यान नहीं दिया, तो कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वतंत्रता तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, सन् १९२० से अब तक संचित अहिंसा-शक्ति का उपयोग करेगी। यह व्यापक संघर्ष महात्मा गांधी के नेतृत्व में होगा। इस प्रस्ताव की अन्तिम स्वीकृति के लिए ७ अगस्त १९४२ को अ०-भा० कांग्रेस कमिटी का अधिवेशन बुलाने के लिए भी आदेश किया गया।

उपर्युक्त निश्चयानुसार, ७ अगस्त १९४२ को, बंबई में कमिटी का अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सभापतित्व में, हुआ। ८ अगस्त की बैठक में यह प्रस्ताव, संशोधित तथा कार्य-समिति द्वारा परिवर्द्धित रूप में, कांग्रेस कमिटी द्वारा स्वीकार किया गया।

इस अधिवेशन की समाप्ति पर गांधीजी वाइसराय को पत्र लिखनेवाले थे और वह चाहते थे कि वाइसराय से मिलकर वर्तमान संकट के अन्त करने के उपाय सोचे जायँ। इसी प्रकार वह अमरीकी राष्ट्रपति रूज़वैल्ट, सोवियत रूस के ब्रिटेन-स्थित राजदूत, तथा जनरलिस्सिमो च्यांग् कार्ई-शेक को पत्र भेजनेवाले थे, जिससे कि संयुक्त-राष्ट्रों को भी भारतीय वस्तु स्थिति का ज्ञान होजाय। परन्तु ता० ६ अगस्त १९४२ के प्रातःकाल ही महात्मा गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेस-नेताओं को बंबई में गिरफ्तार कर लिया गया।

उसी दिन से भारत के समस्त प्रान्तों में नगरों, कस्बों एवं ग्रामों में कांग्रेस कार्य-कर्त्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया। कांग्रेस कमिटियों तथा खादी भंडारों तक को गैर-कानूनी संस्थाएँ घोषित कर दिया गया। देश भर में दमन का दावालय बड़े भयंकर रूप में प्रज्वलित होने लगा। उसकी लपटों से कोई भी देशभक्त अछूता न बच सका।

इस देश-व्यापी घोर दमन से जनता में रोष पैदा होगया और पंजाब और सीमाप्रान्त को छोड़कर शेष सभी प्रान्तों में जनता ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। रेल की पटरियों उखाड़ी गईं। टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काट डाले गये। डाकघराने तथा पुलिस की चौकियों और थाने जला दिये गये अथवा लूट लिये गये। पुलिस तथा फौज के अफसरों की हत्याये की गईं। डिपुटी मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस कप्तानों आदि पर भी आक्रमण किए गए। सरकारी आफिसों में आग लगाई गई। रेलवे स्टेशनों में आग लगा दी गई। मद्रास, बंबई, बिहार और सयुक्त-प्रदेश के पूर्वी भागों में इस विद्रोह ने भयकर रूप धारण कर लिया। मद्रास और बिहार प्रान्त के कई स्थानों पर १००० या इससे भी अधिक मशस्त्र भोड़ ने भयकर उपद्रव किए।

सरकार ने भी इन उपद्रवों के दमन के लिये प्रान्तीय सरकारों को पूरे अधिकार देदिये और भारत में आर्डिनेंस-राज और पुलिस-राज का जैसा भयानक दौरदौरा इन दिनों देखने में आया, वैसा ब्रिटिश शासन-काल में शायद ही कभी देखने में आया हो। २४ सितम्बर १९४२ को इस सम्बन्ध में वाइसराय की शासन-परिषद् के कानून-सदस्य माननीय सर सुलतान अहमद ने भारतीय केन्द्रिय असेम्बली के समक्ष अपने भाषण में बतलाया कि:—

२५० रेलवे स्टेशनों को नष्ट किया गया अथवा उन्हें हानि पहुँचाई गई। ५५० डाकघरानों पर हमले किए गए, ५० डाकघराने बिलकुल जला दिये गए और २०० को भारी नुकसान पहुँचाया गया। ३५०० से भी अधिक तार काटने की घटनाएँ हुईं। ७० थाने और पुलिस चौकियों और ८५ सरकारी इमारतों पर हमले किए गए। ३१ पुलिस के लोग मार डाले गए और घायलों की संख्या इससे कई गुनी है। १८ फौज के अफसर मारे गये या घायल किए गए। ६० स्थानों पर फौज ने गोली चलाई। ६५८ जनता के व्यक्ति मारे गए। १००० जनता के लोग घायल हुए। सर सुलतान अहमद ने अपने भाषण में कहा कि कुछ हताहत व्यक्तियों को उपद्रवकारी उठाकर ले गए। इसलिए हताहतों की कुल संख्या २००० के लगभग होगी।

२२ सितम्बर को कौंसिल आफ् स्टेट् के समक्ष माननीय सर मुहम्मद उसमान (डाक तथा हवाई विभाग के सदस्य) ने अपने भाषण में इन उपद्रवों

से जो हानि हुई, उसका व्यौरा इस प्रकार बताया:—

२५८ रेलवे स्टेशनो को नष्ट किया गया । ४० रेलगाडियों को पटरियों उखाड़कर गिराया गया । ५५० डाकखानो पर हमले किए गए । ३,५०० तार काटने की दुर्घटनाएँ हुई । एक लाख रुपये के डाक टिकट तथा नक़द रुपये डाकखानो से लूट लिए गए और असख्य लैटर-बक्स जला दिये गए । ७० थानो पर हमले किए गए । १४० सरकारी इमारतो पर हमले किए गए; उन्हे जला दिया गया अथवा नष्ट कर दिया गया । रेलवे, डाक तथा तार-विभाग को कुल नुक़सान एक करोड़ रुपये का हुआ है । नागपुर ज़िले मे कुल नुक़सान सवा लाख का हुआ है । मध्य-प्रान्त के एक दूसरे स्थान मे एक सरकारी खज़ाने मे से ३३ लाख रुपये लूट लिए गए, जिसमे १ लाख का पता लग गया है । सयुक्त-प्रान्त में एक निजी दवाख़ाने को नष्ट कर दिया, जिससे १०,०००) की हानि हुई । दिल्ली मे सरकारी इमारतो को जो हानि पहुँची है उसका अनुमान ८,८६,६०१) क़ूता गया है ।

इन उपद्रवो के दमन के लिये क्या-क्या उपाय और साधन प्रयोग में लाये गए, उन्हे सर मुहम्मद उसमान ने इस प्रकार बताया:—

(१) कांग्रेस-समितियों को ग़ैर-क़ानूनी घोषित कर दिया गया और महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ताओ को गिरफ़्तार कर लिया गया । (२) भारत-रक्षा-विधान के अन्तर्गत कारवाइयों की गई । (३) नये-नये आर्डिनेस प्रयोग मे लाये गए, जैसे अधिक दरुड-व्यवस्था आर्डिनेस (Penalties Enhancement Ordinance); विशेष फौजदारी अदालत आर्डिनेस (Special Criminal Court Ordinance) और सामूहिक अर्थ-दरुड-आर्डिनेस (Collective Fines Ordinance) आदि । (४) “देश के हित की दृष्टि से” समाचारो के प्रकाशन पर प्रतिबध लगाये गए । (५) उपद्रवो के दमन के लिये पुलिस का पूरा उपयोग किया गया । उपद्रवकारियो पर गोलियों चलाई गई, जिनसे ३६० व्यक्ति मरे और १०६० घायल हुए । ३२ पुलिसवाले हताहत हुए । (६) ६० स्थानो पर ब्रिटिश तथा भारतीय फौजो ने उपद्रवो का दमन किया । कितने ही अवसरो पर गोलियों चलाई गई, जिनसे ३३१ व्यक्ति मरे और १५६ घायल हुए । फौज के ११ व्यक्ति मरे,

७ घायल हुए। (७) हवाई सेना का भी दमन में प्रयोग किया गया। भीड़ पर बम बरसाये गये। गाँवों, कस्बों और नगरों पर कितना जुर्माना किया गया, इसकी कोई सूचना सरकारी तौर पर प्रकाशित नहीं हुई है। जुर्माने की अदायगी से मुसलमानों और सरकारी मुलाजिमों को मुस्तसना कर दिया गया।

भारत-सरकार के गृह-सदस्य सर रेजीनाल्ड मैक्सवेल के केन्द्रिय अनेम्बली में, १२ फरवरी १९४३ को दिये गए वक्तव्य के अनुसार, ३१ दिसम्बर १९४२ तक भारत में ५३८ बार गोलियों चलाई गईं। पुलिस और फौज की गोलियों से ६४० व्यक्ति मारे गए और १६३० व्यक्ति घायल हुए। ६०,२२६ व्यक्ति इन उपद्रवों में गिरफ्तार किए गए। सन् १९४२ के अन्त तक २६,००० व्यक्तियों को दण्ड दिया जा चुका था। भारत-रक्षा-विधान की धारा २६ और १२६ के अधीन १८,००० व्यक्तियों को नज़रबन्द किया गया।

भारत-सरकार ने गृह-विभाग की ओर से मार्च '४३ में, जबकि गाँधीजी ने २१ दिन का उपवास रखा था, "१९४२-४३ के उपद्रवों के लिये कांग्रेस का दायित्व" (Congress Responsibility for Disturbances of 1942-43) नामक एक पुस्तक प्रकाशित कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि महात्मा गाँधी और कांग्रेस इन उपद्रवों के लिये उत्तरदायी हैं। परन्तु महात्मा गांधी ने, जैसा कि उनके और वाइसराय लार्ड लिनलिथगो के बीच हुए पत्र-व्यवहार से स्पष्ट है, इन उपद्रवों के लिये कांग्रेस को नहीं सरकार को दायी ठहराया है।

इस प्रकार भारत के राजनीतिक सङ्कट की समस्या बिना सुलझी पड़ी है। अप्रैल १९४३ में प्रेसिडेन्ट रूजवेल्ट के विशेष प्रतिनिधि, मि० विलियम फिलिप्स, को भी महात्मा गांधी से जेल में भेद करने की अनुमति नहीं दी गई। कामन्स में, प्रश्नोत्तर के समय, ६ अप्रैल १९४३ को भारत-मन्त्री के एक उत्तर से, जो उन्होंने एक मजदूर सदस्य को दिया था, ज्ञात हुआ कि प० जवाहरलाल नेहरू को भारत से बाहर नहीं भेजा गया है और उनसे ब्रिटिश पार्लामेंट का कोई सदस्य पत्र-व्यवहार नहीं कर सकता। [इसके सम्बन्ध की अन्य घटनाओं की जानकारी के लिए पुस्तक के अन्त में, परिशिष्ट के अन्तर्गत, गांधी-लिनलिथगो-पत्र-व्यवहार, गांधीजी का इक्कीस दिन का व्रत, सर्वदल-नेता-सम्मेलन आदि देखिये]

भारत-मंत्री—ब्रिटिश मंत्री-मण्डल का एक सदस्य भारत-मंत्री कहलाता है। भारत का शासन-प्रबन्ध इसीके नियंत्रण में रहता है। भारत के शासन के लिये यह ब्रिटिश पार्लमेन्ट के प्रति उत्तरदायी है। भारत का गवर्नर-जनरल लन्दन में रहनेवाले भारत-मंत्री के आदेशानुसार यहाँ का शासन-सूत्र चलाता है। आजकल मि० ऐमरी भारत-मन्त्री हैं। भारत-मन्त्री के कार्य में सहायता के लिये एक उसकी सलाहकारी समिति होती है। इसमें भारतीय सदस्य भी होते हैं। इस कमिटी में ६ सदस्य तक नियुक्त किये जाते हैं। उनसे सलाह लेना अथवा उनकी सलाह के अनुकूल कार्य करना भारत-मंत्री की इच्छा पर निर्भर है। प्रत्येक सलाहकार को ७,३५० पौड वार्षिक वेतन मिलता है। यदि सलाहकार भारत का स्थायी अधिवासी होता है तो उसे ६०० पौड सालाना अधिक भत्ता मिलता है।

भारत-रक्षा-कानून—१ सितम्बर १९३६ को, योरप में युद्ध छिड़ जाने के कारण, भारत में भी वाइसराय ने युद्ध-घोषणा करदी और ५ सितम्बर १९३६ को गवर्नर-जनरल ने, भारतीय-शासन-विधान की धारा ७२ के अन्तर्गत, भारत-रक्षा-आर्डिनेंस जारी किया। यह आर्डिनेंस युद्ध-कालीन स्थिति में ब्रिटिश भारत की सार्वजनिक तथा उसकी हित-रक्षा और कुछ विशेष अपराधों के अपराधियों के मुकद्दमों के विषय में जारी किया गया। इसमें कुल १८ धाराएँ हैं। इस आर्डिनेंस के अन्तर्गत भारत-सरकार ने भारत-रक्षा-नियम बनाये हैं। इसमें १३२ नियम हैं। वर्तमान समय में अधिकांश राजनीतिक अपराधियों की जेल-व्यवस्था और उनके मुकद्दमों तथा नज़रबन्दी, एव बहुत से साधारण मामले भी, इन्हीं नियमों के अनुसार हो रहे हैं। नियम ३८, ३९, ४० तथा ४१ के अन्तर्गत राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को दण्ड दिया जा रहा है और धारा १२६ और १२९ के अन्तर्गत नज़रबन्द। केन्द्रिय व्यवस्थापक-सभा ने इन नियमों तथा आर्डिनेंस को बाद में कानून का रूप दे दिया है। सन् १९४२ और १९४३ में इसीके अन्तर्गत अनेक शासन-व्यवस्थाये की गई हैं।

भारत-सेवक समिति (सर्वेन्टस्-ऑफ् इंडिया सोसाइटी)—सन् १९०५ में स्वर्गीय देशभक्त श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने इस संस्था की स्थापना की थी। समिति का उद्देश्य ऐसे देश-सेवक उत्पन्न करना है, जो देश-सेवा में

अपना जीवन अर्पण कर दे। यह सस्था सर्व वैध तथा शान्तिमय उपायो द्वारा भारत की हित-वृद्धि के प्रयत्न को अपना लक्ष्य मानती है। समिति का प्रधान कार्यालय पूना में है। बम्बई, मदरास, प्रयाग और नागपुर में इसकी शाखाएँ तथा कालीकट, मंगलोर, लखनऊ, लाहौर और कटक में इसकी उप-शाखाएँ हैं। इसके प्रत्येक सदस्य को, प्रवेश के अनन्तर, अव्ययन-अभ्यास के लिये तीन वर्ष तक पूना में और दो साल तक अन्य स्थानों में अस्थायी रूप से रहना पड़ता है। प्रत्येक सदस्य को प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि देश ही का स्थान उसके हृदय में सदैव प्रथम रहेगा। वह सम्प्रदाय अथवा अन्य निम्न विचार का त्यागकर भारतवासी मात्र की सेवा बधुभाव से करेगा।

स्वर्गीय श्री गोखले इस सस्था के प्रथम प्रधान हुए। उपरान्त महामानीय श्रीनिवास शास्त्री और उनके बाद श्री गोपालराव के० देवधर अव्यक्त चुने गये। आजकल माननीय प० हृदयनाथ कुँजूरू इसके अव्यक्त हैं। पंडित कुँजूरू इस सस्था की एक ऐसी देन हैं, जिस पर देश समुचित रूप से गर्व कर सकता है। सहकारी-समितियों के आन्दोलन, दुर्भिन्न और प्रकोप-पीड़ितों की सहायता, मजदूर-संगठन (आंशिक), ग्राम-सुधार (आंशिक), साक्षरता-प्रसार, दलित जातियों का उत्थान, आदि कार्यों में इसके सदस्य भाग लेते हैं। इस संस्था के ३० सदस्य हैं। इसके सदस्यों को ग्रेजुएट होना आवश्यक है, और उन्हें ७५) मासिक वृत्ति मिलती है। इस सस्था के नियंत्रण में 'हितवाद' (अंगरेज़ी), 'ज्ञान-प्रकाश' (मराठी) तथा 'सर्वेंट आफ् इंडिया' पत्र प्रकाशित होते हैं, जो सस्था के उद्देश्यों के प्रचार में बड़ा योग देते हैं। समिति के सदस्य राजनीति से अलग-थलग रहते हैं। समिति की राजनीति आरम्भ-काल से ही नरम-दली रही है।

भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस—भारत में सबसे पहले श्री नारायण मेघजी लोखण्डे ने बम्बई में सन् १८६० में मजदूर-सघ की स्थापना की। उन्होंने 'दीनबन्धु' नामक एक समाचार-पत्र भी निकाला। अनेक वर्षों तक सघों में मजदूर सदस्यों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। सन् १९१० में दूसरा मजदूर सघ कायम हुआ। सन् १८८१ में पहला भारतीय कारखाना-क़ानून बना था। सन् १८९१ में इसमें संशोधन किया गया। सन् १९११ में, कारखाना-मजदूर कमी-

शन की सिफारशों के आधार पर, इस क़ानून में संशोधन किया गया ।

भारत में मज़दूर-आन्दोलन का सुगठित रूप सन् १९१८ से आरम्भ होता है । साल भर के अन्दर देश भर में विभिन्न व्यवसायों में मज़दूर-सघों की स्थापना हुई । दिसम्बर १९१९ में, बम्बई में, कारख़ानों के मज़दूरों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें ७१ कारख़ानों के मज़दूर प्रतिनिधि उपस्थित थे । उन्होंने एक आवेदन-पत्र बनाया जिसमें दैनिक घण्टों में कमी तथा मज़दूरी में बढ़ती की माँग रखी गई । मिल-मालिकों ने इस ओर कुछ ध्यान न दिया । इस कारण सन् १९१९ में मज़दूरों ने सबसे पहली बार हड़ताल की । तब से आज पर्यन्त कोई ऐसा वर्ष नहीं गया जिसमें पुतलीघरों, कारख़ानों, रेलवे या खानों के मज़दूरों ने हड़ताल न की हो ।

३१ अक्टूबर १९२० को, बम्बई में, अखिल भारतवर्षीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, लाला लाजपतराय के सभापतित्व में, की गई । इस आन्दोलन ने राष्ट्रीय रूप धारण किया तथा देश के राजनीतिक नेताओं तथा साम्यवादी कार्यकर्त्ताओं ने इस आन्दोलन में अधिकाधिक दिलचस्पी तथा भाग लेना आरम्भ कर दिया ।

सन् १९११ के कारख़ाना-क़ानून के मुख्य अंश इस प्रकार हैं—(१) कारख़ाने की परिभाषा में वे भी औद्योगिक कारख़ाने रखे गये जो फ़सल पर चलाये जाते हैं । (२) बालकों और स्त्रियों के दैनिक घण्टों में कमी करके घण्टे निश्चित कर दिये गये और उन्हें रात्रि में बुनाई के कारख़ानों में काम करने की मनाई कर दी गई । (३) मज़दूरों के स्वास्थ्य तथा कारख़ानों की जाँच के लिये नियम बनाये गये । (४) प्रौढ़ मज़दूरों के दैनिक घण्टे (बुनाई के कारख़ानों में) अधिक से अधिक १२ कर दिये गये ।

सन् १९२२ में इस क़ानून में और संशोधन किये गये—(१) १ सप्ताह ६० घण्टों का रखा गया । (२) मज़दूर बालकों की उम्र ६ से बढ़ाकर १२ वर्ष कर दी गई । (३) छोटे कारख़ानों पर भी यह क़ानून लागू किया गया ।

सन् १९२३, १९२६ तथा १९३१ में भी इस क़ानून में आइन्दा संशोधन किये गये । सन् १९२३ में मज़दूर-क्षतिपूर्ति-क़ानून पास किया गया, जिसके अनुसार मज़दूरों को कारख़ाने में कार्य करते समय दुर्घटना से चोटें लगने या

मृत्यु होजाने पर कारखाने के मालिक के लिये यह अनिवार्य कर दिया गया कि वह मुआवजा दे। सन् १९२६ में भारत सरकार ने ट्रेड यूनियन ऐक्ट पास किया, जिसके अनुसार मजदूर सघ बनाये जाने का अधिकार स्वीकार किया गया। सन् १९२७ से साम्यवादी कर्मियों ने मजदूर-सघों में प्रवेश कर, उन्हें पाश्चात्य देशों की मजदूर-संस्थाओं की भाँति, सगठित करना आरम्भ किया। इस प्रकार कामरेड डॉंगे, का० निम्बकर, का० भाववाला, का० ब्रैडले आदि के नेतृत्व में जब मजदूर दल अधिक सगठित हुआ और व्यापक हड़तालों का सगठन होने लगा तो, भारत सरकार ने, इस बढ़ते हुए आंदोलन का दमन करने के लिये, मजदूर-विवाद-कानून (Trade Disputes Act) तथा सार्वजनिक रक्षा-कानून (Public Safety Bill) बनाये। पहले कानून के द्वारा हड़तालों की रोक तथा कारखानों में ताला डाल देने के संबंधमें नियम बनाये गये। दूसरे कानून द्वारा साम्यवादी मजदूर नेताओं पर राजद्रोह आदि के अभियोग लगाकर उन्हें निर्वासित आदि करने की व्यवस्था की गई। सार्वजनिक रक्षा कानून के अन्तर्गत देश भर में साम्यवादियों का दमन किया गया तथा १९२८-१९३० में मेरठ-षड्यंत्र-केस नाम से देश के प्रमुख साम्यवादी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध, जिनमें ब्रैडले, स्प्राट और हचिन्सन नामक तीन अंगरेज कम्युनिस्ट भी थे, मुकद्दमा चलाया गया।

नवम्बर १९२६ में, प० जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में, अ०-भा० ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस सम्मेलन में नरम दल के नेताओं का प्रभुत्व उठ गया। नरम दल के मजदूर नेताओं ने श्री एन० एम० जोशी, एम० एल० ए०, के सभापतित्व में 'इंडियन ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन' की स्थापना की। 'नेशनल फेडरेशन आफ् लैबर' नामक एक तीसरी संस्था भी पहले से मौजूद थी। अप्रैल १९३३ में पिछली दोनों संस्थाएँ मिल गईं और इसका नाम "नेशनल ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन" होगया।

सन् १९३५ में नेशनल ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन में ६२ मजदूर-संघ (यूनियने) और ८३,००० मजदूर शामिल थे। अ०-भा० ट्रेड यूनियन कांग्रेस में ६८ संघ तथा ४६,००० सदस्य थे। १७ अप्रैल १९३८ को नागपुर में दोनों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें दोनों संस्थाएँ एक होगईं।

सन् १९३६ के प्रान्तीय चुनावों में मुसलिम लीग ने ज़ोरदार आन्दोलन किया, जिसमें उसको कांग्रेस की प्रकट सहानुभूति तथा नैतिक सहयोग प्राप्त था। प्रान्तीय असेम्बलियों में लीग के सदस्यों की संख्या औसतन निम्नलिखित थी:—

प्रान्त	मुसलिम लीग	अन्य मुसलिम जगहें	कांग्रेस
मदरास	११	१७	१५६
बम्बई	२०	६	८८
बंगाल	४०	७७	५०
सयुक्त-प्रान्त	२७	३७	१३४
पंजाब	१	८३	१८
बिहार	०	३६	६८
मध्यप्रान्त	०	१४	७१
आसाम	६	२५	३५
सीमाप्रान्त	०	३६	१६
उड़ीसा	०	४	३६
सिंध	०	३६	७
योग	१०८	३७७	७१५

मुसलिम लीग का मुसलिम-बहुमत के प्रान्तों—बंगाल, पंजाब, सीमा-प्रान्त और सिंध—में कोई प्रभाव नहीं है। बंगाल में सिर्फ ४० सदस्य लीग के चुने जासके जब कि ७७ सदस्य 'कृपक प्रजा' तथा अन्य मुसलिम दलों के चुने गये। पंजाब में सिर्फ एक लीगी उम्मीदवार कामयाब हुआ। सीमाप्रान्त, सिंध, उड़ीसा, मध्यप्रान्त तथा बिहार में एक भी लीगी सदस्य नहीं चुना जा सका। इस प्रकार किसी प्रान्त में लीग की सरकार न बन सकी। मि० मुहम्मद अली जिन्ना को इससे निराश होना स्वाभाविक था, क्योंकि वह अपने पक्ष-पातियों के समक्ष अपनी शक्ति का क्रियात्मक उदाहरण कुछ भी नहीं रख सके। बाद में उन्होंने कांग्रेस का विरोध करके अपनी शक्ति बढ़ाने का यत्न आरम्भ किया तथा यह मिथ्या प्रचार किया गया कि कांग्रेस-सरकारों के अन्तर्गत मुसलमानों के हित ख़तरों में हैं और अन्त में सन् १९४० के, लाहौर-अधिवेशन में तो, ने भारतीय राजनीतिक-मंच पर अपना अज़ीरी ताश—पाकिस्तान—भी

फेंक दिया है। यद्यपि कांग्रेस का अनुसरण कर लीग ने भी अपना प्रकाश्य उद्देश भारत की मुकम्मल आज़ादी बना लिया है, किन्तु वह राष्ट्रीय-स्वातन्त्र्य की विघातक विभाजन-नीति पर आरूढ़ है।

जिस मुसलिम लीग का राजनीतिक सन्तुलन मे देश मे कोई प्रभाव नहीं रहा, जिसके उद्देश और नेता के करोडो मुसलमान विरोधी हैं, आज उस लीग के मतालवे का बरतानिया और अमरीका मे बडा प्रचार किया जा रहा है और उसे एक प्रबल शक्ति बताया जा रहा है, तथा भारतीय प्रगति-विरोधी शक्तियों लीग का आश्रय लेकर, अपने निराधार और स्वार्थपूर्ण प्रचार के बल पर, उससे क्षणिक, किन्तु भरपूर, लाभ उठा रही हैं।

भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ—कांग्रेस मे सन् १९०७ से ही, उद्देशों के सम्बन्ध में, दो विचार-धाराये उत्पन्न हो चुकी थीं, जिन्हें नरम तथा गरम दल कहा जाने लगा था। सन् १९१७ तक कांग्रेस में, यदि तत्कालीन भावना-शब्दों में कहा जाय तो, वस्तुतः क्रियाशील देशभक्तों का कोई विशेष स्थान नहीं था। कांग्रेस निष्क्रियतावादी नरम दलवालों की सस्था थी और उन्हींके हाथ में उसकी बागडोर थी। सन् १९१८ में जब, भारतीय शासन-मुधारों के संबंध में, मांटैग्यू-चेम्सफर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई, तब कांग्रेस में इस प्रश्न पर विवाद उठ खड़ा हुआ कि इन सुधारों को अस्वीकार किया जाय या स्वीकार। नरम दल के कांग्रेस-जन इन सुधारों को कार्यान्वित करने के पक्ष में थे। अगस्त १९१८ में बम्बई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ और सुधारों को असन्तोष-जनक, अनुपयुक्त और अपर्याप्त बताया गया। नरम दल के लोग इस अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। उन्होंने बम्बई में अखिल-भारतीय नरम दल सम्मेलन अलग किया। बाबू (बादके सर) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी इसके सभापति बने। इस सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि कांग्रेस से पृथक् रहकर नरम दल अपना कार्य करे। दिसम्बर १९१८ में कलकत्ता में इस दल का फिर सम्मेलन हुआ। इसमें इसका नाम 'आल-इंडिया लिबरल फेडरेशन' रखा गया। बाद में नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ (Indian National Liberal Federation) कर दिया गया।

इस दल का मुख्य उद्देश्य केवल 'वैध' साधनों के द्वारा वैधानिक आन्दो-

लन करना है। यह असहयोग, सत्याग्रह तथा 'सीधे कार्य' के विरुद्ध है। इसका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना है। यह दल सरकार की नीति, शासन-प्रबंध तथा वैधानिक समस्याओं पर सरकार की नीति की आलोचना करता है, असन्तोष प्रकट करता है तथा निंदा भी करता है। परन्तु निष्क्रियता और परमुखापेक्षिता ही इसकी राजनीति की रीढ़ है।

यह संस्था उच्च वर्ग के अर्द्ध-सरकारी तथा सरकार के कृपापात्रों और 'राज-भक्तों' की संस्था है। इसमें देश के बड़े-बड़े पूँजीपति, बैंकर, मिल-मालिक शामिल हैं। जनता से इसका कोई सम्पर्क नहीं, और न जनता में इस संस्था का कोई प्रभाव ही है। प्रति वर्ष दिसम्बर में देश के किसी बड़े नगर में इसके सालाना अधिवेशन होते हैं। वर्तमान में प्रान्तीय धारासभाओं में इस दल का कोई प्रभाव नहीं रहा। इस दल में सर तेजबहादुर सप्र, स्वर्गीय सर सी०वाई०चिन्तामणि और आनरेबल प० हृदयनाथ कुँजूरु आदि सरीखे विद्वान् और देशप्रेमी व्यक्ति भी हैं और रहे हैं, जिनपर कोई भी देश गर्व कर सकता है। सर चिराउरि यज्ञेश्वर चिन्तामणि ने तो, १९१६ के विधान के अनुसार बनी प्रान्तीय धारा-सभा में, सदस्य की भौति और उसके उपरान्त मिनिस्टर की हैसियत से, देश की प्रशान्तनीय सेवाये की, और 'लीडर' के सम्पादक की स्थिति में तो उनकी देश-सेवाये अनुपाततः बहुमूल्य हुई हैं। उनकी अतुलनीय प्रतिभा और सम्पादन-निपुणता तथा मानसिक सदाशयता पर आज भी और आगामी स्वतन्त्र भारत समुचित रूप से गर्व करता रहेगा।

भारतीय राष्ट्रीय महासभा—यह भारत की सबसे महान्, प्रभाव-शाली तथा शक्तिशाली राष्ट्रीय-संस्था है। सन् १८८५ में, ऐलन ओक्टेवियन ह्यूम नामक एक पेन्शनर सिविलियन ने, भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) की स्थापना में प्रमुख भाग लिया। दिसम्बर १८८५ में इसकी स्थापना बम्बई में की गई। प्रारम्भ में इसका उद्देश्य, ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में, भारतीयों के लिये क्रमशः अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करना था। पुलिस, सेना तथा सरकार के उच्च विभागों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्तियों के लिये आन्दोलन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। सन् १९०७ में, सूरत-

कांग्रेस के अवसर पर, कांग्रेस में दो विचार-धाराये होगईं । क्रियात्मक राजनीतिक-दल के नेता लोकमान्य तिलक थे तथा निष्क्रिय परावलम्बी दल के नेता श्री गोपाल कृष्ण गोखले तथा बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, आदि । सन् १९१६ में इन दोनों दलों में मेल होगया और कांग्रेस में एक प्रकार से क्रियाशील राजनीतिक दल का प्राधान्य होगया । लोकमान्य के बाद श्रीमती ऐनी बीसेण्ट ने देश को क्रियाशीलता का पाठ पढ़ाया । उन्होंने १९१६ में होमरूल लीग स्थापित की और प्रायः दो वर्ष तक भारतोद्धार के लिये बलिदानपूर्वक प्रयत्नशील रही, जिसके लिये राष्ट्र उनका आभारी रहेगा । सन् १९१८ में जब कांग्रेस ने प्रस्तावित मांटैग्यू-चेम्सफ़र्ड-सुधारों पर असन्तोष प्रकट किया, तब नरम दल के नेताओं ने अपनी अलग संस्था स्थापित की । सन् १९१९ में महात्मा गांधी कांग्रेस के सामीप्य में आये, जब रौलट क़ानून के विरुद्ध उन्होंने देश-व्यापी सत्याग्रह छेड़ा । १९२० में स्पष्ट रूप से कांग्रेस की बागडोर गान्धीजी के हाथ में आगई । तब से तीन बार सत्याग्रह आन्दोलन किया जा चुका है : पहले सन् १९२०-२१ में असहयोग-आन्दोलन चला, जिसकी समाप्ति पर, देश में साम्प्रदायिक कलह के बढ़ जाने से, गान्धीजी कांग्रेस के व्यावहारिक क्षेत्र से पृथक् होकर, साबरमती सत्याग्रहाश्रम में रहकर, खादी-प्रचार, अछूतोंद्धार, हिन्दू-मुसलिम ऐक्य आदि रचनात्मक कार्यक्रम का संचालन करने लगे । परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी दो विचारधाराये, इस अवसर पर, कांग्रेस में होगई थी । सन् १९२२ में, परिवर्तनवादियों में अग्रगण्य स्वर्गीय पं० मोतीलाल नेहरू और देशबन्धु चित्तरंजनदास, ने कांग्रेस के समक्ष एक नई विचारधारा रखी और, धारा-सभाओं में घुसकर भीतर से असहयोग करने अथवा, देश की इच्छा के विरुद्ध चलाये जानेवाले, शासन में अडगा लगाने की नीति कांग्रेस द्वारा १९२३ में स्वीकार करली गई । स्वराज-दल बना, चुनाव लड़े गये और देश को उनमें सफलता मिली, किन्तु अडगा-नीति असफल रही । १९२६ में, चुनाव के अवसर पर, मालवीयजी और लाला लाजपतराय ने 'स्वतन्त्र कांग्रेस दल' बनाया और उन्होंने अपने चुनाव अलग लड़े । लेकिन कुछ अवसरवादियों के भले के सिवा इन दोनों बुजुर्गों को अपने प्रयास में कामयाबी नहीं मिली ।

देश आन्दोलन की स्थिति में रहा। १९२८ में साइमन जॉच-कमीशन आया, जिसका कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया। फिर भी उसकी रिपोर्ट तैयार हुई और साथ ही नेहरू कमिटी की रिपोर्ट भी। सरकार ने नेहरू रिपोर्ट की सिफारशों को नहीं माना। फलतः, रिपोर्ट पेश करते समय ब्रिटिश सरकार को दी गई पूर्व सूचना के अनुसार, सन् ३० में नमक-सत्याग्रह शुरू कर दिया गया। सन् १९३१ में चुनाव फिर आये। कांग्रेस ने इनमें क्रियात्मक सहयोग नहीं दिया। किन्तु प्रतिक्रियावादियों को धारासभाओं में बसने से रोकने के लिये, व्यक्तिगत रूप से, कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं ने, जगह जगह से, अछूत और निम्न कोटि के कहे जानेवाले देशवासियों को उम्मेदवार खड़ा किया और चुनावों में यथेष्ट सफलता प्राप्त की। मेहतर तक आनरेबल मेम्बर बन गये। सन् ३१ में भद्र अवज्ञा आन्दोलन चला और गान्धी-दरविन समझौते के रूप में वह व्यवहारतः समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि सरकार का दमनकारी रुढ़ नहीं बदला था। सन् १९३४ में कांग्रेस ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया। इसके बाद जब नया शासन-विधान बनाने की तैयारी की जा रही थी तब कांग्रेसी नेताओं को प्रलोभन उत्पन्न हुआ, अथवा मोर्चे से निराश लौटे हुए एक सेनानी ने दूसरे मोर्चे को आजमाने की बात फिर सोची। तब किया गया कि नवीन असेम्बलियों में प्रवेश कर अड़गा नीति का अवलम्बन किया जाय। सन् १९२६ की भौति गान्धीजी उदारतापूर्वक इस दल के समक्ष फिर झुके। सत्याग्रह के स्थगित होजाने से अब कांग्रेस के समक्ष कोई क्रान्तिकारी कार्यक्रम नहीं रहा था। इसलिये महात्मा गान्धी तो वर्धा को अपना केन्द्र बनाकर ग्राम-सुधार तथा ग्रामोद्योग आन्दोलन के संचालन में लग गये और दूसरी ओर विधानवादी मनोवृत्ति के कांग्रेसी, जिनका कांग्रेस में विशाल बहुमत होगया था, सन् १९३४ के केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव की तैयारी में लग पडे।

डा० विधानचन्द्र राय, डा० असारी, श्री भूलाभाई देसाई, प० गोविन्द-वल्लभ पन्त, श्री सत्यमूर्ति विधानवादी-दल के प्रमुख नेता थे। कांग्रेस-पार्ल-मेटरी बोर्ड बनाया गया और केन्द्रीय चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिये जोरदार आन्दोलन हुआ। कांग्रेस-दल के ४४ सदस्य केन्द्रीय असेम्बली में चुने गये। यह केन्द्रीय असेम्बली का सबसे बड़ा दल था। कांग्रेस में कुछ व्यक्ति

ऐसे भी थे जिन्हें न विधानवाद पसंद था और न गांधीजी का ग्राम-सुधार तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम ही। अतः उन्होंने समाजवादी विचारधारा को अपनाया। वे मज़दूरों तथा किसानों का संगठन करने में लग पड़े तथा समाजवादी दल संगठित हुआ। इस दल के अग्रगण्य आचार्य नरेन्द्रदेव, श्री जयप्रकाशनारायण तथा श्री सम्पूर्णानन्द आदि थे।

महत्मा गांधी ने यद्यपि अपना ग्रामोद्योग सघ जारी रखा तथा खादी-प्रचार आदि रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दिया, परन्तु उन्होंने विधानवादियों को आशीर्वाद दिया। किन्तु विधानवादियों को केन्द्रीय असेम्बली से फिर भी निराश लौटना पड़ा। सन् १९३६ के चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवारों की ८ प्रान्तों में, भारी बहुमत से, प्रान्तीय असेम्बली के चुनावों में, जीत हुई, और मार्च १९३७ में, गांधीजी के प्रभाव से, यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि पद-ग्रहण किया जाय। तीन मास तक गवर्नरों के विशेषाधिकारों के प्रश्न के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में कांग्रेस और सरकार के बीच झूझट चलता रहा। एक प्रकार का वैधानिक संकट उत्पन्न होगया। गवर्नरों ने अस्थायी मन्त्रिमण्डल बना लिये, परन्तु असेम्बली के अधिवेशन तीन मास तक आमन्त्रित न किये जासके। अन्त में गवर्नरों को स्पष्ट आश्वासन देना पड़ा और तब कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बने।

सन् १९३६-३७ में लखनऊ तथा फैज़पुर-कांग्रेस के सभापति पं० जवाहरलाल नेहरू थे। सन् १९३८ में श्री सुभाषचन्द्र बोस सभापति चुने गये। सन् १९३९ में श्री बोस के चुनाव पर बड़ा विवाद खड़ा होगया। महात्मा गांधी, जो कांग्रेस के एकमात्र सचालक हैं, नहीं चाहते थे कि इस बार पुनः श्री बोस सभापति चुने जायें।

सब गांधीवादी नेताओं तथा उनके अनुयायियों ने डा० पट्टाभि सीतारामय्या को, सुभाष बाबू के विरुद्ध, खड़ा किया। परन्तु खुल्लमखुल्ला गांधीजी की ओर से यह घोषणा नहीं की गई कि डा० सीतारामय्या को उन्होंने खड़ा किया है। ऐसा वह कर भी नहीं सकते थे। अन्त में श्री सुभाषचन्द्र बोस सभापति चुने गये। इससे यह सिद्ध होगया कि कांग्रेस में वाम-पक्षी-दल का प्राधान्य होगया था। जनता गांधीजी की नीति से सन्तुष्ट नहीं थी। चुनाव

के परिणाम के प्रकाशित होजाने के बाद महात्मा गांधी ने अपने एक वक्तव्य में डा० सीतारामैया की पराजय को अपनी पराजय बतलाया। कांग्रेस-कार्य-समिति के सदस्यों से गांधीजी ने त्याग-पत्र दिला दिये और यह कांग्रेस का आन्तरिक सकट तथा गांधीवादी नेताओं का श्री बॉस के साथ असहयोग उस समय तक बराबर जारी रहा जब तक कि, मई १९३६ में, उन्होंने राष्ट्रपति के पद से त्याग-पत्र नहीं दे दिया। सुभाष बाबू ने कांग्रेस से अलग होकर 'फारवर्ड ब्लाक' बनाया। चुनाव-सम्बन्धी एक वक्तव्य के कारण सुभाष बाबू के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की गई और वह कांग्रेस से पृथक् कर दिये गये। इसके बाद शेष समय के लिये बाबू राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गये। सन् १९४० के अधिवेशन (रामगढ़) के लिये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जो अब तक हैं।

कांग्रेस का सालाना अधिवेशन प्रति वर्ष नियत स्थान पर होता रहा है और सन् १९३७ से किसी ग्राम में होने लगा है। इसमें १ लाख से ३ लाख तक कांग्रेस-जन तथा जनता भाग लेती है। एक सप्ताह तक बड़ा समारोह रहता है। सन् '४० के बाद, विशेष परिस्थितियों के कारण, कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ है। (विशेष जानकारी के लिये पढ़िये—'भारत')

भारतीय व्यापारी-मण्डल संघ (फेडरेशन ऑफ् इंडियन चेम्बर्स आफ् कामर्स)—बम्बई के प्रतिष्ठित व्यापारी सर फजलभाई करीमभाई ने, सन् १९१३ में, इंडियन कामर्स कांग्रेस नामक संस्था स्थापन करने का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य भारतीय व्यापार के हितों की रक्षा करना था। सन् १९१५ में इस कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ, जिसके स्वागताध्यक्ष सर दीनशाह वाचा थे, और सर फजलभाई करीमभाई अध्यक्ष। उक्त कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा एसोशियेटेड चेम्बर आफ् कामर्स की स्थापना के लिये एक प्रान्तीय कमिटी नियुक्त की। सदस्य बनाने तथा रजिस्ट्री कराने का कार्य इस समिति को सौंपा गया। किन्तु इसका कार्य अनेक वर्षों तक शिथिल रहा। सन् १९२६ में, विनिमय-दर के महत्वपूर्ण प्रश्न के उपस्थित हो जाने के कारण, व्यापारी-समाज फिर जाग्रत होगया और सन् १९२६ में ली तथा १९२७ में कलकत्ता की व्यापारिक कांग्रेसों में व्यापक व्यापारी-

मण्डल की स्थापना की तजवीज़ की गई। फलतः १ जनवरी १९२७ को फेड-रेशन आफ् इंडियन चेम्बर्स आफ् कामर्स की स्थापना की गई। आयात तथा निर्यात व्यापार की उन्नति करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है।

इस अखिल भारतवर्षीय व्यापारी-संघ के दो प्रकार के सदस्य हैं : (१) प्रान्तीय चेम्बर्स आफ् कामर्स, तथा (२) व्यापारी समितियाँ। इस संस्था के सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा परिषदों में प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं। यह भारत के व्यापारियों की सर्वोच्च प्रतिनिधि-संस्था है।

भारतीय सेना—भारत की सेना का वर्गीकरण इस प्रकार है:—(१) ब्रिटिश सेना, (२) भारतीय सेना, (३) सहायक सेना, (४) भारतीय देश-रक्षिणी (टैरीटोरियल) सेना, (५) भारतीय रियासतों की सेना। वर्तमान युद्ध के आरम्भ से पूर्व भारत के सेना-विभाग का संचालन इंडिया आफ़िस का युद्ध-मंत्री (मिलिटरी सेक्रेटरी) करता है। भारत में एक प्रधान सेनाध्यक्ष होता है। वह समस्त सेनाओं का संचालन करता है। यहाँ सेना तीन प्रकार की है:—थल-सेना, जल-सेना तथा हवाई-सेना। सन् १९३७ में सेना के अधिकारी तथा सैनिक इस प्रकार थे—(१) भारतीय थल-सेना:—ब्रिटिश अफ़सर (किंग्स कमीशन) ६,५७०; भारतीय अफ़सर (भारतीय कमीशन) १९१; ब्रिटिश सैनिक ५५,१८७; भारतीय अफ़सर (वाइसराय कमीशन) ४,२२५; भारतीय सैनिक १,३६,०७४; क्लर्क आदि १०,०११; नौकर ३२,८३६ तथा भारतीय सुरक्षित सैनिक ४१,८८७। (२) हवाई-सेना:—ब्रिटिश अफ़सर २६०; चालक १,८८७; देशी अफ़सर और सैनिक ६४५; सामान्य नौकर ५३०। (३) जल-सेना:—मुख्य अफ़सर ३, अन्य अफ़सर १५, सी ट्रान्सपोर्टस्टाफ ३, सिविल गज़टेड अफ़सर ४, कप्तान ८, कमांडर १८, लेफ़्टिनेन्ट कमाण्डर ५०, इंजीनियर कप्तान १३, इं० लेफ़्टिनेन्ट कमाण्डर ३७, नाविक १७, अन्य २७, जहाज़ १६।

युद्ध के आरम्भ होने के बाद से भारत में थल-सेना, जल-सेना तथा नभ-सेना, तीनों के विस्तार में भारी प्रयत्न किया गया और किया जा रहा है। कमीशन-याफ़ता भारतीय अफ़सर अब सेना में अधिक संख्या में लिये जा रहे हैं। लाखों भारतीय सैनिक इस समय समुद्र पार, बरतानवी साम्राज्य के अन्य भागों में, लड़ रहे हैं।

सन् १९४१-४२ के बजट में, भारतीय सेना के व्यय के लिये, कुल मिलाकर, ८४ करोड़ १३ लाख रुपये मज़र किये गये थे। युद्ध-सामग्री तथा अन्न-शस्त्र-निर्माण के लिये भी कारग्वाने खोले जा रहे हैं। सन् १९४१ से भारत में हवाई जहाज भी तैयार होने लगे हैं।

भारतीय हिन्दू महासभा—अप्रैल १९१५ में हिन्दू महासभा की स्थापना हुई। प्रारम्भ में इसका उद्देश्य हिन्दू-समाज की सामाजिक उन्नति करना था, किन्तु इस दिशा में महासभा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं कर सकी। बहुत कम इसका प्रचार था। किन्तु असहयोग के वाद जब देश में साम्प्रदायिक समस्या उग्र हो उठी, तो हिन्दू महासभा में भी जान पड़ी और सामाजिक क्षेत्र को छोड़कर महासभा धीरे-धीरे राजनीतिक अखाड़े में उतर आई। सन् १९२६ में, प्रान्तीय कौंसिलों के चुनावों में, महासभा की ओर से तो नहीं किन्तु 'स्वतन्त्र कांग्रेस दल' के नाम पर, उम्मीदवार खड़े किये गये। तब से ही महासभा मुसलिम लीग की प्रतिस्पर्द्धा में एक राजनीतिक तुर्की-व-तुर्की सस्था के रूप में परिणत होगई है, यद्यपि है मुसलिम लीग की भाँति यह एक साम्प्रदायिक सस्था ही।

महामना प० मदनमोहन मालवीय बहुत वर्षों तक इसके संग्रहक रहे। इसके बाद लाला लाजपतराय तथा भाई परमानन्द ने इस सस्था को पुनर्संगठित कर इसे नवजीवन प्रदान किया। हिन्दू महासभा का लक्ष्य भारत में पूर्ण-स्वराज की स्थापना है। महासभा ने १९२८ में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। साम्प्रदायिक निर्वाचन-प्रणाली का इसने सदैव घोर विरोध किया है। राजनीति में इसका दृष्टिकोण सदैव राष्ट्रीय रहा है और हिन्दू-जाति, हिन्दू-संस्कृति, हिन्दू-सभ्यता तथा हिन्दू-राष्ट्र के गौरव और उत्थान की रक्षा और भारत के लिये सब उचित उपायों द्वारा पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना महासभा का लक्ष्य है। यद्यपि दिसम्बर '४२ के अधिवेशन में महासभा घोषणा कर चुकी है कि यदि ब्रिटिश सरकार ने तत्काल देश को उसका अधिकार नहीं सौंपा तो वह अप्रैल '४३ के बाद 'सीधी कार्यवाही' का प्रयोग करेगी।

जब से वीर विनायक दामोदर सावरकर हिन्दू महासभा के अध्यक्ष चुने

गये हैं, तब से हिन्दू महासभा के आन्दोलन में एक नवीन चेतना, जीवन और जागृति आ गई है। हिन्दू महासभा हिन्दुओं को एक राष्ट्र मानती है तथा मुसलमानों को अल्प-संख्यक जाति। वह अल्प-संख्यकों के धर्म, संस्कृति, भाषा आदि की सुरक्षा के लिये आवश्यक सरक्षण की पोषक और मुसलमानों की विद्वेषात्मक पाकिस्तान योजना का घोर विरोध करती है।

भारतीय हिन्दू लीग—पाकिस्तान की योजना का जोरदार विरोध करने के उद्देश्य से, सन् १९४० में, लखनऊ में श्री (अब आनरेबल) एम० एस० अण्णो के सभापतित्व में, अ० भा० हिन्दू लीग की स्थापना की गई। प्रत्येक प्रांत में इसकी शाखाएँ बसाई जाती हैं। मि० अण्णो सन् १९४१ में सरकार में चले गये और अब यह संस्था नाममात्र की रह गई है।

भूमध्यसागर—यह योरोप के दक्षिण तथा अफ्रीका के मध्य में है। इस के उत्तरी तट पर स्पेन, फ्रांस, इटली, अलबानिया, यूनान, तुर्की आदि देश हैं। इसके दक्षिणी तट पर मिस्र, लीबिया, ट्यूनिशिया, अलजीरिया तथा मरुको हैं। इसका पश्चिमी द्वार जिब्राल्टर तथा पूर्वी मार्ग स्वेज़ नहर है। भूमध्य सागर पर आधिपत्य जमाने के लिये युद्ध के आरम्भिक-काल से ही इस सागर के तट पर धुरी और मित्र-राष्ट्रों में युद्ध हो रहा है।

भूलाभाई जे० देसाई—बम्बई के विख्यात वकील और केन्द्रीय असेम्बली-कांग्रेस-दल के नेता; जन्म १८७७ ई०; कांग्रेस कार्य-समिति के सदस्य रहे; गुजरात कालिज अहमदाबाद में दो साल (१९१७-१९१९) तक प्रोफेसर थे। होमरूल लीग आन्दोलन में भाग लिया। सन् १९२६ में बम्बई सरकार के एडवोकेट-जनरल हुए। सन् १९२८ में वारदोली के किसानों की ओर से ट्रुमफील्ड कमिटी के समस्त वकालत की। गांधी-इरविन समझौते के बाद पुनः वारदोली जॉन्स-कमिटी के सामने पेश हुए। सविनय अवज्ञा आन्दोलन-काल में, सन् १९३० में, स्वदेशी सभा संगठित की। सविनय अवज्ञा आन्दोलन में १ साल की कैद तथा १०,०००) जुर्माने की सजा मिली। अनेक बार योरोप भ्रमण किया। कांग्रेस पार्लियमेंटरी बोर्ड की स्थापना में विशेष प्रयत्न किया और उस के मंत्री तथा प्रान्तीय अध्यक्ष रहे। सन् १९३४ से केन्द्रीय भारतसभा के सदस्य हैं। वितम्बर १९४० में जब युद्ध-रत तथा युद्ध-वजह पर असेम्बली में

विचार किया गया तो कांग्रेस-दल ने, एक वर्ष की अनुपस्थिति के बाद, श्री देसाई के नेतृत्व में, अधिवेशन में भाग लिया। धारासभा में आपने कांग्रेस की युद्ध-सबधी नीति का स्पष्टीकरण किया। वज्र असेम्बली द्वारा अस्वीकृत हुआ और वायसराय को अपने विशेषाधिकार से उसे स्वीकार करना पड़ा। आपका भाषण युक्तिपूर्ण और वकीलाना होता है। युद्ध-विरोधी सत्याग्रह १९४० में भी मि० देसाई ने भाग लिया। ८ अगस्त '४२ की रात को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आप कार्य-समिति के सदस्य थे, किन्तु बहुत पहले स्तीफा भेज चुके थे। कदाचित् इसी कारण आपको कैद नहीं किया गया है, और आजकल आपही कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति हैं, जो जेल के बाहर हैं।



म

मक़दूनिया—(मैसीडोनिया)। बल्कान प्रायद्वीप के मध्य में स्थित। इसका सामरिक महत्व अत्यधिक है। कहावत है कि “वरडर घाटी का अधिपति बल्कान-राष्ट्र-समूह का स्वामी है।” मक़दूनिया जातीय, भाषा-सम्बन्धी या राजनीतिक इकाई कभी नहीं रहा। पहले इस पर तुर्किस्तान का शासन था। बल्गारिया, सर्बिया तथा यूनान भी, इसे हस्तगत करने के लिये, लड़ते रहे हैं। मक़दूनिया के पर्वतों में इन चारों राष्ट्रों की सेनाएँ शताब्दी तक लड़ती रही हैं। इस कारण यहाँ की जनता में इन चारों का सम्मिश्रण है।

भाषा तथा बोलियों में भी भिन्नता है : एक गाँव कुछ बोलता है, दूसरा कुछ। जिन देशों को इसमें गिना जाता है, उनको मिलाकर जनसंख्या २० से ४० लाख तक है। द्वितीय बलकान-युद्ध (१९१३) के बाद मक्दूनिया को सर्बिया तथा यूनान ने आपस में बाँट लिया। सन् १९०० ई० में मक्दूनिया में तुर्क-शासन को उखाड़ फेंकने के लिये एक गुप्त संस्था बनी। इसके सदस्य 'कोमिताजी' कहलाते थे। १९१३ के तुर्क-बलकान-युद्ध में कोमिताजियों ने बलकान-राष्ट्रों का साथ दिया। किन्तु पीछे यह लोग सर्बियनो और धूनानियों से असन्तुष्ट होगये। पिछले युद्ध के बाद तक यह स्थिति रही और बलगारिया अस्त्र-शस्त्रादि तथा इटली रुपए-पैसे से इनकी मदद करते रहे। कोमिताजी सर्बियन गाँवों पर हमला करते, विरोधियों को मारते और राजस्व वसूल करते थे। इन्होंने समानान्तर सरकार कायम करली थी। विरोधियों को अपनी अदालतों से मौत की सज़ा देते थे। पीछे इस दल में भी विवाद उठ खड़ा हुआ और, १९३४ में, बलगारिया की उथल-पुथल के समय, यह दल छिन्न-भिन्न होगया।


अप्रैल १९४१, में जब जर्मनी ने यूगोस्लाविया और यूनान पर चढ़ाई की तो उन्होंने यूगोस्लावी-मक्दूनिया और यूनानी-मक्दूनिया को भी अधि-कृत कर लिया।

मंगोलिया (भीतरी भाग)—क्षेत्रफल लगभग ४,००,००० वर्गमील, जनसंख्या २,५०,०००; चीन की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित; खासकर खानाबदोश मंगोलियनो से बसा हुआ; अनेक राजाओं द्वारा शासित; नाम-मात्र के लिये चीन का प्रान्त, किन्तु सन् १९३२ से जापान के प्रभाव में, जहाँ जापान, मंचूको की भोंति, कठपुतली-सरकार कायम करना चाहता है। सामरिक-दृष्टि से महत्त्वपूर्ण देश।

मंगोलिया (बाहरी)—सरकारी नाम मंगोलियन प्रजातंत्र; क्षेत्र १५,००,००० वर्ग०; जन० ५,५०,०००; राजधानी उलान बतोर। १९११ ई० तक यह देश चीन के अधीन था, बाद को स्वाधीन होगया। लामा महन्तों की सरकार थी और 'हुतुकू' या प्रधान लामा यहाँ शासन करता था। सन् १९२४ में, सोवियत रूस की सहायता से, मंगोलिया के प्रजा-दल ने क्रान्ति

की और प्रजातंत्र की स्थापना। तब से बाहरी मंगोलिया, एक प्रकार से, सोवियत रूस के आश्रित है। चीन बराबर इसका दावा करता है। सन् १९२४ की रूस-चीना-सन्धि में नाममात्र को इसे मान भी लिया गया है। बाहरी मंगोलिया की सोवियत रूस के साथ सन्धि है और मंचूको से इस देश पर किये गये जापानी-हमलों का इन दोनों देशों ने मुक़ाबला किया है। यहाँ एक छोटी पर आधुनिक ढंग की सेना है। शासन-प्रणाली सोवियत ढाँचे की है। बड़ी 'हुरुलदान' यानी मंगोलिया की रूसी ढंग की कांग्रेस छोटी 'हुरुलदान' या कार्य-कारिणी समिति का चुनाव करती है, और यह समिति सरकार को चुनती है। मंगोलियन चीनियों से विभिन्न हैं और तुर्कों से मिलती-जुलती भाषा बोलते हैं। साइबेरिया की सीमा पर स्थित होने के कारण यह देश, रूस के लिये, विशेष

सामरिक महत्त्व का है। आबादी अधिकांश खानाबदोश और पशु-पालन पर जीवित रहने-वाली है, इसलिये समाजवादी-कार्यक्रम का प्रश्न ही नहीं उठता।



मंचूको—चीन का पूर्वकालिक मंचूरिया प्रान्त; क्षेत्र ४,६०,००० वर्ग०; जनसंख्या ३,००,००,०००। जापान का सन् १९०५ से ही इस प्रान्त पर दाँत था, जबकि, पीकिन-सन्धि के अनुसार, उसे वहाँ विशेषाधिकार मिल चुके थे। १९१५ ई० में हुई सन्धि के अनुसार जापान को विशेष रिआयती अधिकार मंचूको में और मिले। इस प्रदेश पर रूस भी अपना प्रभुत्व जमाना चाहता

था। उसने इस प्रान्त में पूर्वी-चीना-रेलवे बनाई थी जो व्लाडीवोस्टक तक जाती है। १८ सितम्बर १९३१ को, कब्ज़ा करने के लिये, जापान ने अपनी सेनाएँ मंचूरिया में भेज दीं। चीनी लड़े, किन्तु हार गये। १८ फरवरी १९३२ को चीनी सेनाएँ इस प्रान्त से निकाल दी गईं। मंचूरिया तथा जेहोल प्रान्तों को मिलाकर 'मंचूको' नाम से स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। मंचू-वंश का अन्तिम

चीना सम्राट्, पू यी, जो १९११ में, बाल्यावस्था में ही, राज-सिंहासन से उतार दिया गया था, तथा जापान में जिसका पालन-पोषण हुआ था, मंचूको का राष्ट्रपति बना दिया गया। १ मार्च १९३४ को, कांग् तेह नाम रखकर, उसने सम्राट् पद धारण किया। यह राज्य नाम मात्र को स्वतंत्र है। इस पर जापान का पूर्ण नियंत्रण है। जापानी सेना रहती है और हर सरकारी सींगे में जापानी सलाहकार तैनात हैं। देश की कृषि और खनिज उद्योगों को जापानी बड़ा रहे हैं। अनेक



जापानी धन्धे वहाँ कायम होगये हैं। किन्तु प्रवासी जापानियों को वहाँ का जलवायु अनुकूल नहीं है। रूस ने चीनी रेलवे लाइन, मार्च १९३५ में, १ करोड़ पाँड में जापान को बेच दी। मंचूको-सरकार को न तो चीन ने स्वीकार किया है और न जर्मनी, इटली, स्पेन तथा त्रिगुट के हिमायती छोटे देशों के सिवा अन्य देशों ने। सोवियत रूस, अप्रैल १९४१ में जापान के साथ की हुई निरपेक्षता-सन्धि के आधार पर, मंचूको की अखण्डता को स्वीकार कर चुका है। दिसम्बर १९४१ में मंचूको, बर्तानिया और अमरीका के विरुद्ध जापान के साथ युद्ध में शामिल हो चुका है।

मज़दूर दल—बर्तानवी 'समाजवादी' दल; द्वितीय साम्यवादी अन्त-

राष्ट्रीय-संघ का सदस्य । सन् १९३५ के पार्लिमेन्ट के चुनाव में कुल २,२०,००,००० मतों में से ८३,२५,००० प्राप्त किये तथा ६१५ कामन्स सभा के सदस्यों में से १६८ सदस्य चुने गये । इस दल में मजदूर-संघों (ट्रेड यूनियनों), समाजवादी तथा सहकारी संघों और स्थानिक राजनीतिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व है । कार्य-कारिणी में मजदूर-संघों के सदस्यों का बहुमत है । इस दल का कार्य-क्रम फेब्रियन, नरम (माडरेट), विकासवादी तथा प्रजातन्त्रात्मक है । इसका उद्देश है उद्योग-धन्धों और यातायात का राष्ट्रीयकरण, सुगठित अर्थ-व्यवस्था और सर्वहितकारी आधार पर वर्ग-भेद का उन्मूलन । इन उद्देशों की सिद्धि का आधार क्रान्ति नहीं बल्कि क्रमिक विकास, सामाजिक कानून और राष्ट्र के आर्थिक-जीवन पर राज्य का धीरे-धीरे नियंत्रण माना गया है । यह मार्क्सवाद तथा क्रान्ति से बहुत दूर है । यह दल ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह (साम्राज्य) को बरकरार रखने का समर्थक है, परन्तु भारत को स्वराज दिये जाने तथा अन्य देशों को, जिन पर बरतानिया का आधिपत्य है, क्रमिक स्वराज्य दिये जाने के पक्ष में है । इसके “तात्कालिक” कार्य-क्रम में यह कार्य शामिल है : राजस्व, भूमि, यातायात, कोयला, बिजली पर राष्ट्रीय नियन्त्रण, आयात-व्यापार पर नियन्त्रण, कम घण्टों के सप्ताह, मकानों की व्यवस्था, सामाजिक कानूनों का निर्माण तथा बेकारों की सहायता । दल ने उग्र शान्तिवाद और युद्ध-विरोधी अपने पहले उद्देशों को, नात्सी खतरे की आशंका से, बहुत पहले ही, छोड़ दिया है और वह बरतानिया की वैदेशिक-नीति में नात्सी-विरोध को सबल बनाने का प्रचार भी पहले से ही कर रहा है । मजदूर-सरकार दो बार ब्रिटेन में शासन कर चुकी है : सन् १९२४ में और १९२६-३१ में । किन्तु दोनों बार, अल्पमत में रहने के कारण, राष्ट्रीयकरण के अपने उद्देश के लिये वह कुछ न कर सकी । दल के तात्कालिक नेता, मृत जेम्स रैम्जे मैकडानल्ड, दोनों बार प्रधान-मन्त्री बने । शासन-सत्ता में बने रहने से उन्हें मोह होगया । १९३१ की नेशनल गवर्नमेन्ट में, जो वस्तुतः दक्षिण-अफ्रीका की सरकार थी, उन्होंने बने रहना ही तय किया—और प्रधान-मन्त्री की हैसियत से । इस पर दल ने उन्हें निकाल दिया । तब उन्होंने छोटा-सा राष्ट्रीय मजदूर दल कायम किया । सन् १९३१ से मजदूर दल के सदस्य सरकार में पद-ग्रहण के विरोधी


हैं; यहाँ तक कि वर्तमान युद्ध आरम्भ होजाने पर चेम्बरलेन की सरकार मे शामिल होने से भी उन्होने इनकार कर दिया, अगर्चे युद्ध-प्रयत्नो में सरकार से पूर्ण सहयोग करते रहे। चेम्बरलेनी सरकार के हटने के बाद, जून १९४० मे, जब चर्चिल की सर्व-दल-सरकार बनी, तब युद्ध-मन्त्रिमण्डल के ६ स्थानो मे से दो मज़दूर-दली सदस्यो (एटली और ग्रीनवुड) को मिले तथा दल के कई सदस्य मन्त्री बनाये गये। दल के प्रमुख नेता मेजर सी० आर० एटली (लार्ड प्रिवी सील) हैं; दल के नेता हैं आर्थर ग्रीनवुड (मिनिस्टर); दल के उप नेता हरबर्ट मारीसन (स्वदेश मन्त्री), ह्यू डाल्टन (सामरिक मितव्य-यिता-मन्त्री), लार्ड स्नैल, लार्ड पैसफ्रील्ड, पी० नाइल-बेकर, ऐलिन विल्किन्सन, जे० एस० मिडिल्टन, सर वाल्टर सिट्राइन (मज़दूर-संघ के प्रधान मन्त्री), जे० आर० क्लाइन्स, अरनैस्ट बीविन (मिनिस्टर मज़दूर विभाग)।

मत्सुओका—१९४० तक जापान का वैदेशिक मन्त्री, जिसकी आकाक्षा और प्रयत्न से ही जापान और जर्मनी, इटली का गँठजोडा हुआ। मत्सुओका अत्यन्त महत्वाकाक्षी है और वह जापान का हिटलर बनने की फिराक में रहा है। यद्यपि इस समय वह जापान का वैदेशिक मन्त्री नहीं है, किन्तु जापान आज उसीकी योजना को कार्यान्वित कर रहा है। एम० मत्सुओका, अपने बचपन मे ही, अमरीका चला गया था। वही के एक विश्वविद्यालय मे उसने शिक्षा पाई, अँगरेज़ी का वह विद्वान् है।

मालवीय, महामना पंडित मदनमोहन—देश के अवसर-प्राप्त राष्ट्रीय नेता। जन्म २५ दिसम्बर १८६१ ई०। म्योर सेट्रल कालिज, प्रयाग, मे शिक्षा प्राप्त की। सन् १८८४ से १८८७ तक गवर्नमेण्ट हाई स्कूल मे अध्यापक रहे। कालाकॉकर के हिन्दी दैनिक 'हिन्दुस्तान' तथा प्रयाग के साप्ताहिक 'इंडियन ओपिनियन' का संपादन किया। सन् १८९१ मे कानून की परीक्षा पास की। सन् १९०२-१२ तक संयुक्त-प्रदेश की प्रान्तीय धारासभा के सदस्य रहे। कांग्रेस की दूसरी बैठक से ही आप उसमे सम्मिलित रहे। सन् १९०६ और १९१८ मे उसके अध्यक्ष हुए। सन् १९३२-१९३३ मे भी वे इस महान पद पर चुने गये, किन्तु अधिवेशन से पहले ही गिरफ्तार कर लिये गये। १९१०-१९ तक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल (अब केन्द्रीय असे-

म्बली) के सदस्य रहे । सन् १९१६ में रौलट मसविदे के विरोध में त्याग-पत्र दे दिया । सन् १९१६-१९ तक भारतीय औद्योगिक कमीशन के सदस्य रहे । इसमें आपने, मत-विरोध के कारण, अलग अपनी रिपोर्ट लिखी । सन् १९१६ में काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय की स्थापना की और प्रारम्भ से ही वह उसके वाइस-चांसलर रहे । सन् १९२२-२३ में हिन्दू महासभा के प्रधान चुने गये । सन् १९२४ से केन्द्रिय व्यवस्थापक सभा के सदस्य और वहाँ विरोधी दल के नेता रहे । तटकर (टैरिफ)-बिल के विरोध में त्याग-पत्र दे दिया । सन् १९३३ के सितम्बर में, जब महात्मा गांधी ने यरवदा-जेल में अछूत कहे जाने-वाले वर्ग को उसके विशाल वर्ग से काटनेवाली योजना के सम्बन्ध में, साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध, आमरण व्रत रखा तब तुरन्त ही मालवीयजी बम्बई गये और वहाँ हिन्दू नेताओं का सम्मेलन किया, जिसके अध्यक्ष मालवीयजी ही थे । फलतः समझौता होगया । आप कांग्रेस को मा के समान आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखते रहे हैं । किन्तु अपने विचारों के प्रकट करने में वे कभी नहीं चूके । पूर्वकाल में जब कांग्रेस नरमदलवालों की संस्था थी, उस समय, पूर्णरूप से नरमदल से अलग न रह सके । गांधीजी के उदय के समय भी आपका कांग्रेस से मतभेद हुआ, जिसके कारण आप असहयोग-आन्दोलन से अलग ही नहीं रहे बल्कि उसका विरोध किया । किन्तु सन् '३०-३३ में पूर्ण रूप से देश का नेतृत्व किया और जेल-यात्रा की । तदुपरान्त भी ऐसे अवसर आते रहे जब आप कांग्रेस की, विशेषकर उसकी मुसलमानों के प्रति, नीति से असहमत रहे । आपका हिन्दू-भाव सदैव ही जाग्रत रहा है । आपके जीवन का शिक्षा-प्रसार-सम्बन्धी रचनात्मक कार्य, हिन्दू विश्वविद्यालय के रूप में, चिर-स्थायी है । यह संस्था महान् है, और भविष्य में भी उससे अनेक आशाएँ हैं, किन्तु मालवीयजी के लिये वह जिस प्रकार गले का हार बनी, उससे उनका कार्य क्षेत्र समस्त देश के सुविशाल क्षेत्र से सिमट कर बहुत कुछ काशी विश्वविद्यालय तक सीमित हुआ । सम्भवतः इसीलिये यह कभी-कभी सुनाई पड़ता है कि यदि उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना न की होती तो आज, शरीर से जीर्ण होते हुए भी, न केवल मालवीयजी बल्कि उनके कारण भारतीय राष्ट्र-भी अधिक महान् होता । महामना में वह प्रेरक शक्ति है ।

फिर भी मालवीयजी महान् हैं, देश के लिये उनकी अर्द्धशताब्दी से अधिक काल तक निरन्तर की हुई सेवाएँ महान् हैं। उनका तपोमय जीवन महान् है। देश के प्रारम्भिक राजनीतिक-विकास के युग में मालवीयजी एक प्रेरणा रहे हैं। उनकी जिह्वा पर सरस्वती विराजती है, और उनके भाषण में सरस रसधारा प्रवाहित होउठती है। हज़ारों उसमें परिह्लावत और पुनीत हुए हैं। देश के जीवित नेताओं में मालवीयजी महा राज ही इस समय सबसे पुरातन हैं।



मध्य युग—योरप के इतिहास में, आठवीं शताब्दी के बाद से १४वीं शताब्दी तक का समय, मध्ययुग कहलाता है।

मध्य योरप—मध्य योरप में पोलैण्ड, चैकोस्लोवाकिया, आस्ट्रिया-हंगरी तथा बलगारिया आदि देश शामिल हैं।

मनरो-सिद्धान्त—संयुक्त-राज्य अमरीका का एक राजनीतिक सिद्धान्त है, जिसके अनुसार वह अमरीकी महाद्वीप के किसी भी मामले में योरप के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता। इस सिद्धान्त के जन्मदाता संयुक्त-राज्य अमरीका के राष्ट्रपति मनरो हैं, जिन्होंने, २ दिसम्बर १८२३ को, अपने एक भाषण में कहा—“अमरीका के महाद्वीपों में, जिन्होंने अब स्वाधीन तथा स्वतंत्र स्थिति प्राप्त करली है, भविष्य में किसी भी योरपीय राष्ट्र को अपने उपनिवेश बनाने का अधिकार न होगा। × × × इन महाद्वीपों में जो आन्दोलन चल रहे हैं उनसे हमारा घनिष्ठ संबंध है। उन (योरपीय) राष्ट्रों की शासन-पद्धति अमरीका की शासन-प्रणाली से भिन्न है। × × × उनके द्वारा अमरीका में अपनी प्रणाली के स्थापित करने के प्रयत्न को हमें अमरीका की शान्ति तथा सुरक्षा के लिये खतरा समझना चाहिये।”

दक्षिण-(लातीनी) अमरीका के राज्यों में यह सिद्धान्त लोकप्रिय नहीं है। वे इसे संयुक्त-राज्य अमरीका का प्राधान्य स्थापित करने का एक साधन समझते हैं। वास्तव में मनरो सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय विधान नहीं है, प्रत्युत संयुक्त-राज्य अमरीका की राष्ट्रीय-नीति का अंश है।

मनोवैज्ञानिक युद्ध-प्रणाली—इस प्रणाली में ईसपात के बने शस्त्रास्त्रों से नहीं लड़ना पड़ता। यह युद्ध-प्रणाली कूटनीतिपूर्ण मनोवैज्ञानिक साधनों के प्रयोग पर निर्भर करती है। जो देश इस प्रणाली का आश्रय लेता है, वह संसार में, विशेषकर अपने अधीन देशों और अपने मित्रराष्ट्रों में, अपने पक्ष में तथा शत्रु के विरुद्ध, लोकमत बनाने का प्रचण्ड प्रयत्न करता है। इस प्रणाली का मुख्य कार्य संसार के लोकमत के सामने शत्रु को हेय सिद्ध करना तथा संसार को यह विश्वास करा देना है कि अपनी रक्षा के लिये वह राष्ट्र जो उद्योग कर रहा है वह एकदम पवित्र और मानव-हितकामना से प्रेरित है। वह शत्रुदेश की प्रजा को भी, उसकी सरकार के विरुद्ध, उत्तेजित करता है, और वह उसको यह बतलाता है कि संसार में शान्ति और व्यवस्था स्थापित होनी चाहिये और हमारा पक्ष सर्वथा अनुमोदनीय है। यह युद्ध-प्रणाली तटस्थ राष्ट्रों के सामने भी यही बात प्रस्तुत करती है कि शत्रु-राष्ट्र अन्याय कर रहे हैं और हमारा देश न्याय के पक्ष में है। इस प्रणाली की सफलता के लिये विज्ञापन, समाचार-पत्र, रेडियो तथा गुप्तचर दल का श्रुव प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध-प्रणाली का आश्रय लेनेवाला देश, अपने प्रचार के समय, शेष संसार को बिलकुल मूर्ख समझ बैठता है।

मरक्को—(की) सल्तनत, क्षेत्र० लगभग २,१३,००० वर्ग०, जन० ७२,००,००० है, अफ्रीका के उत्तर-पश्चिमी कोण में स्थित। योरोप के अनेक साम्राज्यवादी देशों में, इस प्रदेश के लिये, बहुत दिनों तक, बड़ी प्रतिस्पर्धा रही। सन् १६०४ में ब्रिटेन ने मरक्को को फ्रान्स का प्रभाव-क्षेत्र स्वीकार कर लिया और बदले में फ्रान्स ने मिस्त्र को बरतानिया का प्रभाव-क्षेत्र मान लिया। जर्मनी में इससे रोष फैला और १६०५ में कैसर मरक्को के टेजियर बन्दरगाह की दिखावटी सैर करने, किन्तु वास्तव में मरक्को पर जर्मन-दावे की पुष्टि के लिये,


गया। इस देश में पाया जानेवाला कई प्रकार का कच्चा लोहा जर्मनी के लोहे के कारखानों के लिये दरकार था। साम्राज्यवादियों द्वारा मरक्को की तक्काबोटी किये जाने का यह पहला अवसर था। ७ अप्रैल १९०६ को, मरक्को की बॉट-चोट के लिये, “मुक्त द्वार” नीति साम्राज्यवादियों ने तय की और १९११ में फ्रान्स ने मरक्को के फ़ैज़ प्रान्त में कब्ज़ा करने के लिये सेना भेज दी। जर्मनी क्यों पीछे रहता, उसने भी अगादिर बन्दर पर एक हथियारबन्द जहाज़ खाना कर दिया। मरक्को की नोच-खसोट का दूसरा युग आरम्भ हुआ। तत्कालीन बरतानवी वज़ीरे-आज़म लायड जार्ज ने कहा कि बरतानिया जर्मनी की इस हरकत को बरदाश्त नहीं कर सकता। लडाईं होते-होते बची। फ्रान्स-जर्मनी में समझौता होगया। मरक्को पर फ्रान्स का अधिकार क़बूल कर लिया गया, बदले में जर्मनी को फ्रान्सीसी कांगों में रियायते मिल गईं।

सन् १९१२ से मरक्को तीन भागों में बँटा हुआ है, एक स्पेनी-क्षेत्र तथा दूसरा फ्रान्सीसी-क्षेत्र। टेजियर का तीसरा तटस्थ क्षेत्र १९२३ में बना है और अन्तर्राष्ट्रीय-व्यवस्था के अधीन है। यह तीनों क्षेत्र, नाममात्र को, सुल्तान के प्रभुत्व में हैं। वर्तमान सुल्तान, शरीफी राज-वंश का, सिद्दीक़ मुहम्मद, है। परन्तु फ्रान्सीसी-क्षेत्र में फ्रान्सीसी रेज़ीडेंट-जनरल ही वास्तविक शासक है। समस्त सरकारी आदेश उसीके द्वारा जारी किये जाते हैं। सारे देश में फ्रान्सीसी सेनाएँ हैं। रेज़ीडेंट फ्रान्स के वैदेशिक मंत्री के प्रति उत्तरदायी है। स्पेनी-क्षेत्र का शासन सुल्तान द्वारा नियुक्त खलीफ़ा के हाथ में है, परन्तु इसकी नामज़दगी स्पेनी सरकार करती है। इस क्षेत्र का असली शासक स्पेन का रेज़ीडेंट है। फ्रान्सीसी-मरक्को का क्षेत्र २ लाख वर्ग और स्पेनी-मरक्को का १३ हज़ार वर्गमील है। स्पेनी-क्षेत्र में भी लडाकू रीफ़ क़बीले की कुछ आवादी है। रीफ़ १९२४ से '२७ तक, अपने देश की आज़ादी के लिये, अब्दुलकरीम के नेतृत्व में, फ्रान्सीसी और हस्पानियों (स्पेनियों) से लड़ चुके हैं। फ्रान्सीसी संगीनों और गोलियों के बल पर वह क्रान्ति दबा दी गई थी और रीफ़ों का नेता, अब्दुलकरीम, अब तक एक फ्रान्सीसी टापू में कैद है। सन् १९३६ में जनरल फ्रांको ने स्पेनके गृह-युद्ध की तैयारी इसी क्षेत्रमें की थी। मरक्को को सेना ने उसके साथ भाग लिया। सामरिक दृष्टि से यह बड़ा महत्व-

पूर्ण प्रदेश है। यह भूमध्य-सागरके तट पर है। जिब्राल्टरके ठीक सामने मरक्को का क्लिबे-बन्द क्यूटा बन्दरगाह है। 'मराकश' मरक्को का असली नाम है।

टेजियर क्षेत्र केवल २२५ वर्गमील लम्बा-चौड़ा है और आवादी ६०,०००। इस क्षेत्र का प्रबन्ध १८ दिसम्बर १९२३ के बरतानिया, फ्रांस और स्पेन के एक समझौते के अनुसार होता था। १९२८ में इटली भी इस समझौते में आ मिला। एक अन्तर्राष्ट्रीय कमिटी के हाथ में इसका प्रबन्ध था। यहाँ से सेनायें हटाली गई थीं तथा इसे तटस्थ देश करार दे दिया गया था। १९४० के जून में स्पेन ने इस पर कब्जा कर लिया। बरतानिया और स्पेन में समझौता होगया कि वह इस पर क्लिबेबन्दी नहीं करेंगे। मरक्को का अधिकांश भाग मरुस्थल है, किन्तु यहाँ कई प्रकार का कच्चा लोहा पाया जाता है। फ्रांस के पतन के बाद से अफ्रीका में नात्सियों और फासिस्तों ने लड़ाई छेड़ रखी है और मरक्को का

भाग्य अभी अनिश्चित है। मरक्को-वासी 'बर्बर' जाति के हैं और अरबी की भाँति की भाषा बोलते हैं। अखिल-अरब-वाद और अखिल-



इस्लामवाद का प्रभाव भी उन पर है।

मलान, डाक्टर डी० एफ०, एम० ए०, डी० डी०—दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय-दल का नेता। १८७४ में पैदा हुआ। १९२४ से '३३ तक यूनियन-सरकार में स्वराष्ट्र, स्वास्थ्य और शिक्षा-मन्त्री रहा। इसका राष्ट्रीय दल दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटेन से असम्बन्धित स्वतंत्र राज चाहता है। पार्लमेंट में

मलान के दल में २८ सदस्य हैं। वह वर्तमान युद्ध में अफ्रीका के भाग लेने के विरुद्ध है। जनरल हर्टज़ोग से नवम्बर १९४० में उसका सम्बन्ध टूट गया।


मसारिक, टामस गैरिंग—चैक राजनीतिज्ञ तथा दार्शनिक; जन्म सन् १८५०, मृत्यु १९३७ ई०; चैकोस्लोवाकी-प्रजातंत्र का संस्थापक तथा प्रथम राष्ट्रपति। इसका बाप कोचवान था। सन् १८७२ में वीयना विश्वविद्यालय से पीएच० डी० बना और १८७८ ई० में वही के एक कालेज में अध्यापक होगया। एक अमरीकी स्त्री से विवाह किया और, सन् १८८२ में, प्रेग के चैक विश्वविद्यालय में, दर्शन-शास्त्र का प्रोफेसर होगया। सन् १८९१ में उसने प्रगतिशील चैक-दल की स्थापना की, और सन् १८९१ में, वीयना पार्लमेंट का सदस्य चुना गया। चैक-प्रान्त के तत्कालीन अधिपति आस्ट्रियन-साम्राज्य के संघीकरण का आन्दोलन और आस्ट्रिया की जर्मन-बोधक और स्लाव-विरोधी वैदेशिक नीति का उसने विरोध किया।

सन् १९१४ में जब प्रथम विश्व-युद्ध आरम्भ हुआ, तो मसारिक ने, आस्ट्रियन-साम्राज्य के सम्पूर्ण विनाश के लिये, कार्यक्रम बनाया। १९१५ में, आस्ट्रिया के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये, चैक-प्रजा के संगठन के लिये वह विदेश गया। इसके बाद वह लन्दन के किंग्स कालिज में स्लाव-अन्वेषण का प्रोफेसर नियुक्त किया गया, जहाँ उसने “लघु राष्ट्रों की समस्या” विषय पर व्याख्यान दिये। १९१६ में वह फ्रान्स गया, जहाँ उसने फ्रान्सीसी सरकार को यह समझाया कि आस्ट्रियन-साम्राज्य का छिन्न-भिन्न होजाना ज़रूरी है। चैक-शक्तियों का संगठन करने, मार्च-क्रान्ति के बाद सन् १९१७ में, वह रुस गया। मार्च १९१८ में मसारिक अमरीका गया और राष्ट्रपति विल्सन से मिले। राष्ट्रपति विल्सन पहले इस विचार के थे कि आस्ट्रियन-साम्राज्य तो प्यारम रहे, किन्तु उसमें सघ-शासन स्थापित हो। अपनी मुलाजिम में मसारिक ने इस बात पर जोर दिया कि संधि के समय आस्ट्रिया का साम्राज्य टाड़ना न रहे। इसके परिणामस्वरूप, मसारिक के नेतृत्व में पैरिस में आन्दोलन करने-वाले चैकोस्लोवाक राष्ट्रीय कांसिल भिन्न-राष्ट्रों द्वारा चैकोस्लोवाक-सम्राज्य स्थापित की गई। १८ अक्टूबर १९१८ को वाशिंगटन में टामस गैरिंग ने चैको-स्लोवाकिया की स्वाधीनता की घोषणा की। चैकोस्लोवाकी-प्रजातंत्र का

प्रथम राष्ट्रपति बनकर वह स्वदेश लौटा। सन् १९२०, '२८ तथा '३४ में, क्रमशः तीन बार, वह राष्ट्रपति चुना गया। १४ दिसम्बर १९३५ को, स्वास्थ्य खराब होजाने के कारण राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया। १४ सितम्बर १९३७ को ८७ वर्ष की आयु में उसका देहान्त होगया। चैको-स्लोवाकी अब तक, दन्तकथाओं के रूप में, उसके गुण गाते हैं। उसका पुत्र, इआन मसारिक, आजकल लन्दन-प्रवासी चैकोस्लोवाक-सरकार में परराष्ट्र-मन्त्री है।

दार्शनिक के रूप में टामस मसारिक बुद्धिवादी और मानवतावादी था। वह व्यावहारिक आचार का समर्थक था, किन्तु जर्मन आदर्शवादी दर्शन तथा मार्क्सवाद का आलोचक था। वह प्रजातंत्र का पोषक और अपने देश का, पाश्चात्य देशों के आधार पर, पुनर्जागरण चाहता था।

मसारिक के यह वाक्य कैसे मार्के के हैं:—“प्रजातन्त्र आधारित है वाद-विवाद पर। राष्ट्र केवल उन आदर्शों के आश्रय पर जीवित रहते हैं, जिनके द्वारा उनके अस्तित्व का विकास हुआ—वह आदर्श ईसा के (प्रेममूलक) आदर्श हैं, (अत्याचारी) सीजर के नहीं। वितण्डावाद वस्तुतः कोई योजना नहीं है। इतिहास हमें सिखाता है कि सभी राष्ट्र अपनी हठधर्मी के कारण नष्ट हुए—फिर वह हठधर्मी जातिगत हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो अथवा वर्गगत। राष्ट्र की (आत्म) रक्षा के लिए क्रान्ति बिलकुल वैध साधन है। किन्तु अन्य सब साधनों के समाप्त होजाने पर ही क्रान्ति की आवश्यकता उत्पन्न होती है। मानवता अपने प्रत्येक रूप में शान्तिवाद नहीं है।”



महादेव हरिभाई देसाई—लगभग ५१ वर्ष पूर्व सूरत जिले के एक गाँव में जन्म हुआ। बम्बई से बी० ए० पास किया और वही प्रान्तीय सरकार के सेक्रेटरियट में अनुवादक नियुक्त होगये। यही काम करते समय कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और अहमदाबाद में वकालत शुरू की। इस पेशे से

शीघ्र ही अरुचि होगई और प्रान्तीय सहयोग-विभाग मे इन्स्पेक्टर होगये । १९१६ मे महात्मा गांधी की निगाहो में चढ गये । वह उन्हे साबरमती आश्रम लेआये । महादेव देसाई महात्मा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी बने । १९१६ में 'यंग इंडिया' और गुजराती 'नवजीवन' के सम्पादन मे महात्माजी के सहकारी बने, जबकि गांधीजी ने 'यंगइंडिया' को श्री जमुनादास द्वारकादास से ले लिया था । १९२० में महात्माजी ने प्रयाग के 'इन्डिपेन्डेन्ट' का सम्पादन करने के लिये देसाईजी को भेजा । १९३१ में, गांधीजी के सेक्रेटरी की हैसियत से, राउन्ड टेब्ल कान्फरेन्स के अवसर पर, विलायत गये । सन् १९३३ के गांधीजी के आमरण-व्रत के समय, यरवदा जेल में, उनके साथ बन्दी थे । गांधीजी की नीति को हृदयंगम कर लेने के कारण ही उन्होने महादेव देसाई को 'हरिजन' का सम्पादक बना दिया था, और इस पत्र मे तथा अन्यत्र वह 'एम० डी०' नाम से खूब लिखा करते थे । गुजराती और अंगरेज़ी शैली पर उनका समान रूप से अधिकार था । गान्धीजी जैसे विश्व-विख्यात महापुरुष के दैनिक पत्र-व्यवहार को वही संभाल पाते थे । गान्धीजी के निकट सामीप्य मे रहने का उन्हे अद्वितीय, अलभ्य अवसर प्राप्त हुआ । महादेव भाई की मृत्यु मे अपने युग का तुलसीदास चला गया और राष्ट्र की इस साहित्यिक क्षति की पूर्ति अब असम्भव है ।

'भारत छोडो' प्रस्ताव के बाद ६ अगस्त १९४२ को महादेव भाई भी, गान्धीजी आदि नेताओं सहित, पकडे गये और बम्बई सरकार कीविज्ञप्ति से पता चला कि, ६ दिन बाद, १५ अगस्त '४२ के प्रातःकाल, नजरबन्दी के अज्ञात स्थान में, हृद्गति रुक जाने से, उनका देहान्त होगया । वहीं उनका दाह हुआ ।

महादेव भाई ने पच्चीस वर्षों तक, गांधीजी के सहायक और उनके परम विश्वासपात्र रहकर राष्ट्र की बहुमूल्य सेवा की । उनका जीवन देश की स्वाधीनता के लिये लडनेवाले एक सैनिक की भौति आरम्भ हुआ और उसीकी भौति समाप्त भी । अपने देश और देवता पर वह बलिदान होगये ।

महेन्द्रप्रतापसिंह, राजा—भारत के निर्वासित देशभक्त । जन्म मार्ग-शीर्ष शुक्ल ५, सम्बत् १९४३ वि० । पिता का नाम राजा घनश्यामसिंह । जन्म स्थान मुरसान (ज़िला अलीगढ़) । राजा हरनारायण सिंह के दत्तक

पुत्र । ६ वर्ष की आयु में ही पिता का देहान्त होगया । रियासत कोर्ट आफ् वाड्स के संरक्षण में होगई । वी० ए० तक शिक्षा प्राप्त की । १६०३ में सपत्नीक योरप यात्रा की । सन् १६०६ में औद्योगिक शिक्षा के प्रचारार्थ, जिसमें राजा साहब की विशेष रुचि थी, वृन्दावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की । २०,०००) सालाना की आमदनी की जर्मादारी तथा निजी राजभवन विद्यालय को दान में दे दिये । गुरुकुल वृन्दावन को, अक्टूबर १६११ में, १५,०००) मूल्य की भूमि दी । इसी भूमि पर गुरुकुल विश्वविद्यालय का भवन बनाया गया है । हिन्दी साप्ताहिक 'प्रेम' की स्थापना की तथा उसका संपादन किया । सन् १६१२ में दूसरी बार योरप गये तथा सन् १६१४ में तीसरी बार । साथ में गुरुकुल कॉगडी के प्रथम स्नातक, महात्मा मुन्शीराम (स्व० स्वामी श्रद्धानन्द) के बड़े पुत्र हरिश्चन्द्र विद्यालङ्कार को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाकर लेगये । उसी समय से वह स्विट्ज़रलैण्ड, जर्मनी, फ्रान्स, तुर्किस्तान, सोवियत रूस, अफगानिस्तान, जापान आदि में भ्रमण कर भारतीय स्वाधीनता के पक्ष में लोकमत बनाते और विश्वबन्धुत्व का प्रचार करते रहे हैं ।

राजा साहब मानवतावाद के प्रबल समर्थक हैं । इसी भावना से प्रेरित होकर, सन् १६१२ में, सबसे पूर्व, अछूत कहे जानेवाले सम्प्रदाय को इस प्रेम-पुजारी ने व्यावहारिक रूप में अपनाया । विश्व-बन्धुत्व तथा अन्तर्राष्ट्रीयता के वह पोषक और राष्ट्रीय स्वाधीनता के सच्चे उपासक हैं । उन्हें स्वदेश वापस आने की आज्ञा नहीं है । केन्द्रीय असेम्बली में इस प्रतिबन्ध के हटाने का प्रयत्न किया गया, परन्तु सफलता नहीं मिली । पिछले तीन वर्षों से उनके सम्बन्ध में कोई समाचार नहीं सुना गया ।

माक्सवाद—कार्ल मार्क्स के सिद्धान्तानुसार समाजवादी विचारधारा । मार्क्स का, यहूदी वंश में, जर्मनी में, सन् १८१८ में, जन्म हुआ और सन् १८८३ में, लन्दन में, मृत्यु । मार्क्सवाद भौतिकतावादी समाज-शास्त्र है । वह जर्मन दार्शनिक, हीगल, और अंगरेज अर्थशास्त्री, रिकार्डो, के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पर आश्रित है । उसकी दृष्टि में मानव की समस्त आध्यात्मिक, मानसिक और सांसारिक उन्नति तथा उसके विकास का मूलाधार आर्थिक है ।

अर्थ ही जीवन में प्रधान है, समाज की रीढ़ है। मार्क्स न ईश्वर में विश्वास करता था और न वह आत्मा की सत्ता को ही मानता था। मार्क्स का यह वाक्य प्रसिद्ध है कि—“सारे मानव-समाज का विगत तथा आधुनिक इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास है।” १७वीं से १९वीं शताब्दी तक पूँजीवादियों ने सामन्तशाही का नाश किया। पूँजीवाद ने स्वतंत्र होकर ससार में आश्चर्यजनक गति से पैदावार में वृद्धि की। परन्तु पूँजीवाद की कोख में उसका नाश करनेवाला जन्म ले चुका था। वह है सर्वहारा वर्ग। इस वर्ग द्वारा ही पूँजीवाद का पतन संभव हो सकेगा। मज़दूर की पैदावार ही मूल्य है, और किसी वस्तु का यथार्थ मूल्य उस समय के बराबर है जो उसकी पैदावार में लगता है। परन्तु पूँजीवादी मज़दूर को पूरे समय का वेतन नहीं देता। वह उसे कम देता है और जो बचता है वह ‘अतिरिक्त अर्थ’ होता है। मज़दूरों को कम वेतन स्वीकार करना पड़ता है अन्यथा उनकी जगह दूसरे बेकार मज़दूर, इतने ही वेतन पर, काम करने के लिये तैयार रहते हैं। व्यावसायिक प्रगति तथा मनुष्यों की जगह मशीनों के प्रयोग के कारण मज़दूरों का इस ओर आकर्षण होता है। इस प्रकार वेतन (मज़दूरी) तथा औद्योगिक पैदावार में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता और क्रय-शक्ति तथा पैदावार में, इस असामंजस्यके कारण ही, आर्थिक संकट पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार पूँजीपति मालामाल हो जाते हैं। बड़े पूँजीपति छोटे पूँजीपतियों का शोषण करते हैं। जितने बड़े पूँजीपति होते हैं, उतने ही उनके कारखानों में नई तथा थोड़े समय में, कम मज़दूरों की सहायता से अधिक माल तैयार करनेवाली, मशीनें काम करती हैं। इससे मज़दूरों में बेकारी और बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तथा मज़दूरों को वेतन कम मिलता है। अन्त में आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। औद्योगिक उत्कर्ष के बावजूद मज़दूर का जीवन, दिन पर दिन, शोषण का शिकार बनता जाता है। पूँजीवाद की यह विशेषता है कि वह एक ओर धन-संचय करता है, तो दूसरी ओर विशाल जनसमुदाय में गरीबी, बेकारी तथा दारिद्र्य का पंफण करता है। एक ऐसी अवस्था पैदा हो जाती है कि ये मुट्टी भर पूँजीपति विशाल जनता को भरपेट अन्न देने की व्यवस्था भी नहीं कर पाते। जर्मन अर्थशास्त्रज्ञों ने इस अवस्था से क्रान्ति का जन्म देता है। सर्वहारा—मज़दूरवर्ग—मशीनों को

पूँजीवादियों के नियंत्रण से लेकर, उसे समाज के हित के लिये, सामान्य या सार्वजनिक सम्पत्ति बना देता है। अब वे इस प्रकार से आर्थिक-जीवन का नियंत्रण करते हैं कि माल पूँजी अधिक बटाने के उद्देश्य से नहीं पैदा किया जाता बल्कि जितनी पैदावार की आवश्यकता है, उसीके अनुसार, जनता के सुख तथा हित के लिये, पैदा किया जाता है।

विगत ६० वर्षों में मार्क्सवादी विचारधारा का ससार की राजनीति तथा अर्थनीति पर प्रभाव पड़ा है। उसके विरोधियों ने भी उसके कुछ अंश को किसी-न-किसी रूप में स्वीकार किया है। ससार में केवल रूस ही ऐसा देश है जिसमें साम्यवादी शासन है। वह मार्क्सवाद का पक्का अनुगामी है।

मार्गन एण्ड कम्पनी, जे० पी०—यह अमरीका की बैंक है, जिसका वहाँ की राजनीति पर ज़बरदस्त प्रभाव है, और वहाँ यह एक सत्ता मानी जाती है। सन् १८६० में इसकी स्थापना जे० पी० मार्गन द्वारा न्यूयार्क में की गई। सन् १९१३ में उसका देहान्त होगया। उसके बाद उसका पुत्र तथा १० हिस्सेदार कम्पनी के स्वामी होगये। सन् १९१४-१८ के विश्वयुद्ध में यह बैंक मित्रराष्ट्रों की माल खरीदनेवाली एजेंसी बन गई। इसने तीन अरब डालर का माल खरीदा। इसमें इसने मोटा मुनाफा कमाया और ससार में एक नम्बर की बैंक होगई। इसका सयुक्त-राज्य अमरीका के राजस्व पर भी गहरा प्रभाव है। सन् १९१६-१९२६ में इस बैंक ने अन्य करोड़ों डालर व्यवसाय में लगाने के अतिरिक्त ६ अरब डालर ऋण दिया। सन् १९२६ के आर्थिक-संकट का इस बैंक पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा अमरीका में आर्थिक-संकट के निवारण के लिये 'न्यू डील'-योजना के अंतर्गत जो कार्य किये गये तथा बैंक के संबंध में जो क़ानून बनाये गये, उनसे इसकी स्थिति पहली जैसी नहीं रही।

माटेग्यू-चेम्सफर्ड-सुधार—अगस्त १९१७ में, तत्कालीन भारत-मंत्री मि० मान्टेग्यू को घोषणा के बाद, भारत को राजनीतिक-विकास की यह दूसरी देन मिली। इस योजना की विशेषता यह है कि प्रान्तों में शासन-प्रबन्ध को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था : हस्तान्तरित तथा सुरक्षित। समस्त प्रान्तीय शासन-सूत्र इन्हीं दो विभागों के अन्तर्गत थे। हस्तान्तर विषय :

१. उद्योग, व्यापार, स्थानीय स्वायत्त-शासन, स्वास्थ्य, अस्पताल आदि

सभ की लाल सेना के मार्शल तुग्नाचेवस्की तथा सात जनरलों पर तीसरा ऐसा ही मामला चला कि वे जर्मन-सेनानायकों से मिलकर रूस तथा स्तालिन के विरुद्ध पड्यत्र रच रहे थे। इनका मुकद्दमा बन्द अदालत में, गोपनीय ढंग से, हुआ। सरकारी बयान के मुताबिक इन्होंने भी अपना अपराध स्वीकार किया और इन सबको गोली मार दी गई। ऐसा विचार किया जाता है कि यह मुकद्दमे साम्यवादी दल की शुद्धि के लिये चलाये गये थे, जिनके अनुसार अन्य अनेक विरोधी कम्युनिस्टों को भी मौत की सजाये दी गई।

मिण्टो-मार्ले-सुधार—१८३२ के नाम-मात्र के सुधारों के बाद, सन् १६०६ में, भारत के तत्कालीन वाइसराय लार्ड मिण्टो तथा भारत-मंत्री लार्ड मार्ले ने भारतीय शासन-सुधार की एक योजना बनाई, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक प्रान्त में धारासभाएँ स्थापित की गईं तथा उनमें थोड़े-से चुने हुए प्रतिनिधियों के लिये भी स्थान रखा गया। कुछ स्थानीय स्वायत्त भी थोड़ा बढ़ा दिया गया। सबसे प्रथम पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन-प्रणाली का इसी योजना में स्थान दिया गया, और इसीके अनुसार सिखों को, हिन्दुओं से अलग सम्प्रदाय मानकर, उन्हें पृथक् निर्वाचनाधिकार दिया गया।

मिस्र—अफ्रीका स्थित 'स्वतंत्र' राज्य, क्षेत्रफल ३,४८,००० वर्ग०; जन० १,६०,००,०००, भाषा अरबी, राजधानी काहिरा, बादशाह फारूक अब्दुल (राजवंश अलबानी तुर्क, मुहम्मदअली शाखा), जिसका जन्म ११ फरवरी सन् १६२० को हुआ। १८४१ से १६१६ तक मिस्र, तुर्कों के अधीन, अर्द्ध-स्वतन्त्र देश रहा। तुर्कों की ओर से एक खान्दानी खदीव (वाइसराय) इस पर हुकूमत किया करता था। सन् १८८२ में अंगरेजों ने इस देश पर आधिपत्य कर लिया। १८ दिसम्बर १६१४ को यह ब्रिटिश सरक्षित राज्य घोषित कर दिया गया और जर्मन-हिमायती खदीव अब्बास हिलमी को हटा दिया गया और उसके स्थान पर, सुलतान की उपाधि धारण कर, हुसैन कमाल खदीव बना। कमाल १६१७ में मर गया, तब उसका भाई फुआद खदीव बनाया गया और १६२२ में इसे मिस्र का बादशाह घोषित कर दिया गया। मिस्र में, इसके बाद, देश की पूर्ण स्वाधीनता के लिये, ज़बरदस्त राष्ट्रीयन्दोलन शुरू होगया। २६ अगस्त १६३६ को मिस्र-ब्रिटेन-संधि द्वारा

मिस्त्र की स्वाधीनता स्वीकार कर ली गई। इस संधि के अनुसार अंगरेजों ने अपनी सेनाएँ मिस्त्र से हटा लीं; परन्तु उन्हें यह अधिकार मिल गया कि वह स्वेज़ नहर पर १०,००० फौज तथा ४००० हवाई जहाज़ रख सकते हैं, सिकन्दरिया और सईद बन्दर को अपनी नौ-सेना का अड्डा बना सकते हैं और युद्ध या युद्ध के खतरे के समय मिस्त्र में होकर वे अपनी सेनाएँ ले जा सकते हैं। सन्धि के अनुसार ब्रितानिया ने मिस्त्र की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। १९३६ में बादशाह फुआद मर गया और फारूक अब्दुल बादशाह बना। द्वादशवर्षीय योजना के अन्तर्गत, मिस्त्र में विदेशियों को मिले हुए, विशेषाधिकारों का आत्मा कियू जाना भी तय किया गया।

शासन में बादशाह का बहुत प्रभाव है। सरकार की नीति, पुरातनवादो मुसलिमों के विश्वास को ठेस पहुँचाये बग़ैर, मिस्त्र में शनैः-शनैः आधुनिकता का प्रसार करने की है। शान्ति के समय मिस्त्र १३००० सैनिक रख सकता है—आधुनिक कोल-काँटे से लहैस। जब तक मिस्त्री सेना द्वारा स्वेज़ में होने-वाली जहाज़रानी की स्वतन्त्रता और सुरक्षा का ब्रितानिया को विश्वास न होजाय तब तक स्वेज़ को हिफाज़त के लिये ब्रितानी फौज वहाँ रहेगी।

मिस्त्र में इत्तहादी (शाही), उदार-विधानवादी (सम्पत्तिशालियों का) योरपियन-विरोधी-राष्ट्रीय, सन्नादी (वफूद की शाखा) दल भी हैं, किन्तु मिस्त्र के वर्तमान बज़ीरे आजम, नहास पाशा, का वफूद दल सबसे शक्तिशाली है। नहास मिस्त्र के सर्वमान्य नेता हैं। वह मिस्त्र के राजनीतिक-पिता, सन्नाद ज़ग़लुल पाशा, के दाहिने हाथ. १९१९ ई० से, रहे हैं, जबकि १९२२ में, राष्ट्रीय-आन्दोलन के समय, इन दोनों लोकनायकों को एक साथ देश-निकाले की सजा ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दी गई थी। १९२७ में, ज़ग़लुल की मृत्यु के बाद ने. नहास देश के नेता हैं। नहास के नेतृत्व में १९३५ तक ब्रितानिया और मिस्त्र में सन्धि चलता रहा। मिस्त्र में जॉन्स कमीशन भेजा गया. जिसका बहिष्कार हुआ। ग़ालमेज सभा का भी वफूद दल ने बहिष्कार किया। सन्धि चल ही रहा था कि १९३५ में इटली ने मुल्क ह्यश (अरबी-सीनिया) पर हमला कर दिया और १९३५-१९३६ के शरत्काल में मिस्त्र के पार्लियामेन्ट सत्र (मेग्निस्तान) के नजदीक युद्ध पहुँच जाने में इटली


और ब्रतानिया में युद्ध छिड़ जाने की आशङ्का होउठी । उस समय ब्रतानिया के राजनीतिगों ने मिस्त्र को संतुष्ट करना ही उचित समझा और १९३६ में, पूर्वोक्त परस्पर सधि करली । गत वर्ष जर्मन जनरल रोमल जत्र लीबिया से बढ़ता-बढ़ता मिस्त्र के समीप तक आ गया था, तत्र काहिरा आदि पर धुरी वायु-यानों ने बमवर्षा की थी । स्वेज ब्रतानिया के पूर्व-देशीय साम्राज्य की धमनी है, उसकी रक्षा के लिये युद्ध-काल में मिस्त्र को संतुष्ट रखना आवश्यक है ।

मिस्त्र में निरक्षरता बहुत है, साधारण जनता ६० फी० निरक्षर है । १९२३ के मिस्त्री शासन-विधान के अनुसार यहाँ दो धारा-सभाएँ हैं : मजलिसुश-श-यूक (बड़ी) जिसके १५० सदस्यों का, ५ साल के लिये, सार्वजनिक चुनाव होता है । दूसरी मजलिसुल-नवाब (छोटी), जिसके १०० सदस्यों में से ६० को बादशाह नामज़द करता है, ४० का चुनाव होता है, सरकार मजलिसुश-यूक के प्रति जिम्मेदार है ।



मुकर्जी, डा० श्यामाप्रसाद—आप अ० भा० हिन्दू महासभा के कार्य-कर्ता-प्रधान हैं । हिन्दू महासभा के नेताओं में आपका महत्वपूर्ण स्थान है । विगत नवम्बर १९४१ में बंगाल-सरकार के प्रधान मंत्री मियों फज़लुलहक़ ने आपको अपने मन्त्रि-मण्डल में अर्थ-सचिव के पद पर नियुक्त किया । इससे पूर्व आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वायस-चांसलर के पद पर भी कई वर्षों तक चुके हैं । आप प्रसिद्ध शिक्षा-विज्ञ तथा विद्वान् हैं । अगस्त १९४२ में

‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव के बाद देश में हुई अशान्ति के समय सरकार द्वारा किये गये दमन के विरोध में डा० मुकर्जी ने प्रान्तीय गवर्नर के नाम एक मार्मिक पत्र लिखा (जो सरकार द्वारा ज़ब्त कर लिया गया) और मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिया। भारत की वर्तमान समस्या के निपटारे के प्रयत्न करनेवालों में आपका स्थान मुख्य है।



मुक्त अर्थनीति—अर्थशास्त्रियों के एक दल का यह सिद्धान्त है कि आर्थिक-संकटों के निवारण के

लिये एक नवीन मुद्रा-प्रणाली स्थापित की जाय। इसका आधारभूत सिद्धान्त यह है कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि मुद्रा का मूल्य स्वतः हर मास कम होता रहे और उसके स्थान पर नवीन मुद्रा का प्रचलन होता रहे। इससे मुद्रा-संचालन का प्रचलन बड़ी तीव्र गति से होगा, लोग मुद्रा का मूल्य घटने के कारण, उसका वेग से प्रचलन करेंगे। जब स्थायी रूप से मुद्रा का प्रचलन होगा तो बेकारी न रहेगी; आर्थिक संकट भी उत्पन्न न होगा।


मुक्त बन्दरगाह—किसी देश के बन्दरगाह को, उस देश द्वारा, दूसरे देश को प्रयोग करने का अधिकार दे देना। अन्य देश अपना माल उस बन्दरगाह से भेज सके तथा उस बन्दरगाह पर मँगा सके। उसे न कोई आयात-निर्यात कर देना पड़े और न इस प्रयोग के लिये उसपर किसी प्रकार का दायित्व या बंधन लगाया जाय।

मुक्त व्यापार—मुक्त व्यापार से यह प्रयोजन है कि सब देश स्वतंत्र रूप से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करें और कम-से-कम तट-कर (टैरिफ़) आयात-निर्यात पर उनको देना पड़े।

मुद्रा-विनिमय—प्रत्येक देश में भिन्न-भिन्न प्रकार की मुद्राएँ प्रचलित हैं :

जैसे भारत में रुपया, अमरीका में डालर, इंग्लैंड में पाँउ तथा शिलिंग, जर्मनी में मार्क, जापान में येन, रूस में रूबल। परस्पर देशों में व्यापार होता है और किसी वस्तु के मूल्य के भुगतान के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक देश के मुद्रा की दर नियत कर दी जाय। देश की सामाजिक-राजनीतिक अवस्था का मुद्रा की दर पर भी प्रभाव पड़ता रहता है।

मुंजे, डाक्टर बालकृष्ण शिवराम—हिन्दू महासभा को पुनर्संघटित करनेवाले और महासभा के प्रथम दल के नेता। नागपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक। असहयोग आन्दोलन, सन् १९२० में, भाग लिया और जेल-यात्रा की। बाद को हिन्दू महासभा में शामिल हुए। सन् १९३१ की दूसरी गालमेज-परिषद् में प्रतिनिधि होकर गए। आपकी सैनिक शिक्षा में विशेष रुचि है। इसीलिए आपने नासिक में भोंसले मिलिटरी कालेज की स्थापना कराई है। हिन्दू महासभा के सभापति भी रह चुके हैं। देश-हितकारी कार्यों में पूर्व से ही भाग ले रहे हैं। १९१६ के फौजी-शासन के बाद पीड़ित पंजाब की सहायतार्थ स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्दजी के साथ आप भी अमृतसर गये थे। आजकल हिन्दू महासभा के प्रधान मंत्री हैं।



मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल—जन्म सन् १८८७ ई०। बडौदा और बम्बई में शिक्षा प्राप्त की। बम्बई हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। सन् १९१५ में मि० जमुनादास-द्वारकादास के साथ 'यंग इंडिया' का संपादन किया। सन् १९१७-१९ में होमरूल लीग बम्बई के मंत्री रहे। बम्बई विश्वविद्यालय की सीनेट तथा सिडीकेट के सदस्य हैं। सन् १९३० के सत्याग्रह-आन्दोलन के समय से राष्ट्रीय क्षेत्र में हैं, और अपनी धर्मपत्नी, श्रीमती लीलावती, के साथ

जेल-यात्रा भी की है। अ०-भा० कांग्रेस कमिटी के पुराने सदस्य रहे हैं। आप गुजराती के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक, पत्रकार और उच्च कोटि के उपन्यासकार हैं। गुजराती साहित्य-कोष का सम्पादन भी आपने किया है। सन् १९३७-१९३६ तक बम्बई की कांग्रेसी प्रान्तीय सरकार के स्वराष्ट्र-मंत्री (Home Minister) रहे। युद्ध के प्रश्न पर कांग्रेस मन्त्रि-मण्डल के साथ आपने भी त्यागपत्र दे दिया। सन् १९४१ में कांग्रेस की साम्प्रदायिक-निर्णय-सम्बन्धी नीति पर गांधीजी से आपका मतभेद होगया और आपने कांग्रेस को त्याग कर 'पाकिस्तान' के निराकरण में 'अखण्ड हिन्दुस्तान' आन्दोलन की नींव डाली। 'सोशल वैलफेयर' नामक साप्ताहिक आपने निकाला है, जिसके द्वारा आप अपने विचारों का प्रतिपादन कर रहे हैं।



मुफ़्ती आज़म—(यरूशलम का), इसलाम का धर्माचार्य, अरब का राष्ट्रीय नेता, नाम हज अमीन एफन्दी अल् हुसैनी, अवस्था ४५ वर्ष, काहिरा, यरूशलम और क्रुस्तन्तुनिया में तालीम पाई, अपने भाई के बाद, सन् १९२१ में, यरूशलम का मुफ़्ती बना, सन् १९२३ में सुप्रीम मुसलिम कौंसिल का अध्यक्ष हुआ, १९३१ ई० में यरूशलम में मुसलिम कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। विगत विश्वयुद्ध में मुफ़्ती ने, तुर्कों के खिलाफ, बरतानिया का पक्ष लिया किन्तु, फिलस्तीन में यहूदियों को बसाने के प्रश्न पर, वह ब्रिटेन के विरुद्ध हो गया। आज बीस वर्षों से वह, फिलस्तीन में यहूदी उपनिवेश बसाये जाने के प्रतिरोध में, बरतानिया के विरुद्ध, अरबों में आन्दोलन कर रहा है। उसे १० साल कैद की सज़ा दी गई थी, परन्तु बाद में रिहा कर दिया गया। उसका फिलस्तीन-अरब दल, जो मुफ़्ती दल भी कहलाता है, फिलस्तीन में सबसे बड़ा दल है। सन् १९३७ में मुफ़्ती अरब की उच्च संस्था का अध्यक्ष बना। दूसरे अरब नेताओं के साथ मुफ़्ती पर फिलस्तीन में प्रवेश-निषेध लगाया

गया, तब वह शाम (सीरिया) में जाकर रहने लगा । शाम से भी वह अरब-आन्दोलन का संचालन करता रहा । फरवरी १९३७ में मुफ़ती ने, लन्दन के फिलस्तीन-सम्मेलन में, अरब-सभ्य-मण्डल भेजा था । अप्रैल '४१ में, रशीद अली के नेतृत्व में इराक़ में उठे अंगरेज-विरोधी विद्रोह में भी मुफ़ती ने भाग लिया । विद्रोह के दबा दिये जाने पर मुफ़ती ईरान को चला गया, और जब इराक़ पर अंगरेजों ने क़ब्ज़ा कर लिया तो मुफ़ती इटली जा पहुँचा । दिसम्बर १९४१ में वह जर्मनी में था, जहाँ उसने हिटलर से भेट की थी ।

मुसोलिनी, वैनितो—इटली का अधिनायक; फासिज्म का सस्थापक; २९ जुलाई सन् १८८३ को पैदा हुआ, इसका बाप लुहार था; थोड़ा-सा इसने पढ़ा-लिखा; बड़ा होने पर मुसोलिनी समाजवादी बन गया । सन् १९०२ में इटली से भाग गया और स्विट्ज़रलैण्ड जाकर रहने लगा । इटली वापस आया । समाजवादी दल में उग्र कार्यक्रम का प्रचार किया । १९१२ में दल के मुख-पत्र 'अवन्ती' का संचालक नियुक्त किया गया । १९१४ में जब पिछला विश्वयुद्ध आरम्भ हुआ तो मुसोलिनी राष्ट्रवादी बन गया और इटली के युद्ध में सम्मिलित होने का प्रचार करने लगा । समाजवादी दल ने, इस कारण, उसे अपने में से निकाल बाहर किया । नवम्बर १९१४ में उसने 'पोपोलो द'इतालिया' नामक अपना पत्र निकाला; लड़ाई में हस्तक्षेप करने के अनुयायी दल का नेता बन गया; मई १९१५ में, इटली के लड़ाई में शामिल होने पर, मुसोलिनी इटालियन सेना में भरती होकर साधारण सैनिक बना; कारपोरल के पद पर पहुँचा, फरवरी १९१७ में युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ और अच्छा होजाने पर लौटा तथा समाचार-पत्र के संचालन में लग पड़ा । लड़ाई के बाद, वर्साई में जब सधि हुई तो, इटली को विजय की लूट में सन्तोषजनक भाग न मिला और देश में वाम-पक्षी क्रान्तिवाद अधिक बढ़ा तब, २३ मार्च १९१९ को, मुसोलिनी ने 'मिलान' नगर में, फ़ासिस्त दल की स्थापना की, जिसमें उस सयथ सिर्फ ४० सदस्य भरती हुए । इस दल का कार्यक्रम राष्ट्रीय और साम्यवाद-विरोधी रखा गया । १९१९ के चुनाव में उसके दल के उम्मीदवारों को सिर्फ ४,००० मत मिले, किन्तु बाद में यह आन्दोलन तेजी से बढ़ा । सन् १९२१ में उसने लिबरल दल के नेता से समझौता किया ।

फलस्वरूप पार्लमेंट के चेम्बर मे उसके ३८ सदस्य पहुँच गये, किन्तु मन्त्रि-मण्डल मे यह लोग शरीक नही हुए। इन्ही दिनों इस आन्दोलन का नाम फासिज़्म पड़ गया। सन् १९२२ मे इटली की स्थिति अशान्तिमय होउठी थी। क्रान्ति-वादी-समाजवादियों की सत्ता प्रबल थी, कारखानों पर भी उनका ही नियंत्रण था और सरकार कमज़ोर होरही थी। तब ४०,००० फासिस्तो ने, २८ अक्टूबर १९२२ को, नेपल्स की फासिस्त-दल-कांग्रेस के बाद, राजधानी की ओर क्रदम बढ़ाया। मुसोलिनी उनका नेता (Duce) था। राजधानी मे इन्होंने शासन सत्ता अपने हाथ मे लेने की माँग पेश की। प्रधान मन्त्री फाक्ता की कमज़ोर सरकार दब गई और बादशाह ने मुसोलिनी को प्रधान मंत्री नियुक्त कर दिया। मुसोलिनी ने सरकार बनाई और फासिस्तो के साथ-साथ कुछ दक्षिणपथी लिबरल तथा कैथलिक पादरी भी शामिल किये। समाजवादियों ने इसका प्रतिरोध किया, किन्तु फासिस्तो ने इस विरोध को भंग कर दिया। सन् १९२३ में मुसोलिनी ने चुनाव-सम्बन्धी हुक्म निकाला कि जिस दल को मत-संख्या का एक-चौथाई प्राप्त होगा वही पार्लमेंट मे दो-तिहाई प्रतिनिधित्व का अधिकारी बन सकेगा। अप्रैल १९२४ के चुनाव मे, इस कारण, फासिस्त दल को बहु-संख्यक मत मिले। १० जून १९२४ को समाजवादी नेता, मत्तिओती, का उग्र फासिस्तो ने वध कर डाला। इस हत्याकाण्ड से इटली मे राजनीतिक सघर्ष उठ खड़ा हुआ। पार्लमेंट का विरोधी दल और समाजवादी, साम्यवादी, लिबरल तथा पादरी सदस्य विरोध मे चेम्बर से उठकर बाहर चले आये और उन्होंने सरकार का बहिष्कार कर दिया।

सन् १९२५ मे मुसोलिनी ने बलपूर्वक सरकार को हथिया लिया और वह इटली का अधिनायक बन बैठा। १९२६ में विरोधी दलों का उसने दमन किया, उनके पार्लमेन्टरी अधिकार रद कर दिये और उनके नेताओं पर अत्याचार किये। बहुतेरे उनमें से विदेश को भाग गये।

इसके बाद मुसोलिनी ने फासिस्त दल पर इटली का सगठन आरम्भ किया। राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार, देश का पुनर्शान्तिकरण और अनेक आर्थिक विकास उसने किये। १९३३ में, जर्मनी में राष्ट्रीय-समाजवादी दल के प्रभुत्व के बाद भी, इटली की वैदेशिक नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

जर्मन राष्ट्रीय-समाजवादी दल फासिज्म की ही नक़ल थी और यह दल, अपने अस्तित्व के प्रारम्भिक काल से ही, इटली के फासिस्त दल से मैत्री-सम्बन्ध रखे हुए था। लेकिन, सन् १९३४ में, मुसोलिनी ने, पश्चिमी राष्ट्रों—ब्रिटेन और फ्रान्स—से मिल कर, 'स्ट्रेसो का मोर्चा' कायम किया। उसने नात्सियों के जातीयतावाद का विरोध किया और कहा कि सामी-विद्वेष (Anti Semitism) इटालियन जनता की प्रकृति के विरुद्ध है। जब जुलाई में नात्सियों ने आस्ट्रिया को हस्तगत करने का प्रयाम किया तब मुसोलिनी ने, हिटलर के विरुद्ध, आस्ट्रिया की सीमा पर लामबन्दी की।

लेकिन सन् १९३५ में, उसने मुत्क हवश (अवीसीनिया) को जीतने की नीति ग्रहण की और उस पर आक्रमण कर दिया। इटली के विरुद्ध, इस युद्ध में, राष्ट्रसंघ ने दखड़ाजाये लगाई तो, पर पूरे बल से नहीं। यह उसे अवीसीनिया की विजय से न रोक सकीं. अपितु पश्चिमी राष्ट्रों का वह विरोधी हो गया और, इसी कारण, मुसोलिनी हिटलर से मिलकर धुरी-नीति-निर्माण की ओर प्रेरित हुआ। स्पेन के गृह-युद्ध (१९३६-३९) में हिटलर तथा मुसोलिनी की मित्रता और भी प्रगाढ़ होगई। मार्च १९३९ में हिटलर द्वारा आस्ट्रिया को जर्मन राइख में मिलाये जाने पर मुसोलिनी मौन रहा। मई में हिटलर को रोम में बुलाकर उसने उसका शानदार स्वागत-सत्कार किया और अगस्त में खुद बलिन गया। हिटलर को प्रसन्न करने के लिये, अपने विचारों के प्रतिकूल, उसने इटली में यहूदी-विरोधी कानून बनाये। म्युनिख-समझौते के समय, सितम्बर १९३८ में, चैकोस्लोवाकी-समस्या के अवसर पर, उसने कूटनीतिज्ञता-पूर्वक हिटलर का समर्थन किया और म्युनिख में समझौते पर अपने हस्ताक्षर किये। मार्च १९३९ में उसने अलबानिया पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद उसने फ्रान्स से जिबूटी तथा थ्यूनिस वापस करने की माँग की। उसने यह भी माँग पेश की कि स्वेज नहर के प्रबन्ध में इटली का योग रहे। मई १९३९ में उसने जर्मनी के साथ सैनिक संधि की।

जब वर्तमान युद्ध आरम्भ हुआ तो इटली आरम्भ में "अविग्रही" देश बनकर हिटलर को बल देता रहा। किन्तु जब फ्रान्स में बहुत कोंटे की लड़ाई चल रही थी, तब, १० जून १९४० को, उसने मित्र-राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध-

घोषणा करदी । उसे यह विश्वास था कि जर्मनी अवश्य विजयी होगा और वह लूट में से हिस्सा लेना चाहता था, परन्तु, इसके बाद, पासा पलटता गया । अक्टूबर १९४० में मुसोलिनी ने यूनान पर हमला किया, किन्तु इस युद्ध में यूनानियों ने उसके दौंठ खट्टे कर दिये । इटालियनों की पराजय ही नहीं हुई, अपितु उन्हें अपने अपहृत देश, अलबानिया, से भी हाथ धोने पड़े । जून १९४० में मुसोलिनी का इटली, सोवियत रूस के विरुद्ध युद्ध में, जर्मनी के साथ, शामिल हुआ और दिसम्बर १९४१ में सयुक्त-राष्ट्र अमरीका के विरुद्ध ।

इतिहास में, बहुत दिन बाद, सबसे प्रथम मुसोलिनी ससार के समस्त “हौआ” बनकर प्रकट हुआ, जिसके वीभत्स रूप के सामने ससार के महान् बरतानवी साम्राज्य के प्रधान-मन्त्री मृत चेम्बरलेन को भी ढीला पड़ जाना पड़ा, और उनकी ढील ने ही मुसोलिनी को इतना बल प्रदान किया । पर अधिनायक मुसोलिनी की कला अब भग हो चुकी है । पुरातन रोमन-साम्राज्य के उसके सुख-स्वप्न हवा में उड़ चुके हैं । उसका अफ्रीकी साम्राज्य (अवी-सीनिया के अमानुषिक अपहरण के बाद इटली के बूढ़े बादशाह, विक्टर इमान्युल, को ‘सम्राट्’ घोषित कर उसने बड़ा गर्व किया था) अब धूल में मिल चुका है । भारतीय सेनाओं की बहादुरी और बरतानवी सेना-नायकों की रण-चातुरी ने अवीसीनिया को फिर से स्वतन्त्र कर दिया है । इटली के अफ्रीकी-साम्राज्य के दूसरे अंग भी भग हो रहे हैं । हिटलर और उसकी महत्त्वाकांक्षा-पूर्ति में भी मुसोलिनी और उसका इटली कुछ लाभप्रद सिद्ध नहीं हुए । बल्कि सचाई तो यह है कि मुसोलिनी हिटलर के लिये एक लोथ के समान है, जिसे हिटलर अपनी पीठ पर लादे-लादे व्यर्थ ही बूमता है ।

मुसोलिनी इटली का प्रधान-मन्त्री तो है ही—जिस पद को वह सरकार का मुख्याधिकारी कहता है । इसके अलावा वह इटली का स्वदेश-मन्त्री, युद्ध-मंत्री (धल, जल, नभ सत्र सेना का) तथा इटालियन पूर्वीय-अफ्रीका का भी मन्त्री है । दोना राचीली उसकी पत्नी है, और इन दोनों से वित्तोगियों और दूनो नामक दो पुत्र और इदा नामक एक पुत्री है । इदा १९३६ में भारत भी आई थी और महात्मा गान्धी से उसने भेट की थी । काउन्ट क्रियानो इदा का पति है ।

मुसोलिनी ने समस्त राष्ट्र को अपने 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' मत की दीक्षा दी है। यही उसका फासिस्त दल है। इटली में फासिस्त दल ही अकेला राजनीतिक दल है। उसके प्रत्येक सदस्य को मुसोलिनी की हर प्रकार से आज्ञा माननी पड़ती है। फासिस्त काली कुर्ती पहनते हैं तथा हाथ ऊँचा उठाकर, रोमन प्रकार से, परस्पर नमस्कार करते हैं। उनकी विचारधारा तथा संगठन सैनिक है। उनके विधान में लिखा है कि फासिस्त दल नागरिकों की एक सैन्य है जो मुसोलिनी की आज्ञा पर राष्ट्र-सेवा के लिये तत्पर रहती है। इसका महदुद्देश्य स सा में अतालवी (इटालियन) राष्ट्र की महत्ता स्थापित करना है। फासिज्म हिंसा को मानता है, नागरिक स्वाधीनता को अस्वीकार करता है और सम्पूर्ण-सत्तावादी है। युवकों के संगठन और उनकी शिक्षा पर भी उसका नियंत्रण है। ६ से १२ वर्ष की आयुवाले बच्चों के सङ्गठन का नाम 'बलिग्लो' है; १२ से १८ की उम्रवालों की संस्था 'अवंगार्दिया' कहलाती है। इन संस्थाओं के सदस्यों की अपनी वर्दियों हैं और इनके सदस्यों को फौजी तालीम लेनी पड़ती है। १८ वर्ष के जवान युवकों को फासिस्त दल में भर्ती किया जाता है। सन् १९२७ में इस दल के दस लाख सदस्य थे। फासिस्त दल साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादी है। वह पुरातन रोमन साम्राज्य की परम्परा को पुनर्जीवित करने का इच्छुक है और राष्ट्र को सिपाहियाना बनाकर अनुशासन और व्यवस्था तथा श्रमशीलता की शिक्षा देता है। इस दल की सर्वोच्च संस्था फासिस्त ग्राड कौंसिल है, जिसकी नियुक्ति मुसोलिनी करता है। इस कौंसिल को मुसोलिनी का उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है। फासिस्त दल का रोमन कैथलिक ईसाई-सम्प्रदाय से अच्छा संबंध है। सन् १९३८ तक मुसोलिनी यहूदियों का विरोधी नहीं था। वह दल में शामिल थे और उच्च पदों पर थे। परन्तु नात्सी प्रभाव में आकर वह यहूदियों का विरोधी होगया।



मुसोलिनी के अतिरिक्त दल के कुछ नेता और हैं जिनमे काउन्ट कियानो और काउन्ट ग्रान्दी मुख्य हैं। (विशेष जानकारी के लिये देखिये—'फासिज्म'।)

मुहम्मद अली जिन्ना—भारतीय मुसलिम लीग के अध्यक्ष। कराची में, सन् १८७६ ई० में, पैदा हुए। कराची तथा इंग्लैण्ड में शिक्षा पाई। बैरिस्टर होकर आये। १८९७ में बम्बई हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। पेशे में शीघ्र ही चमक निकले। सन् १९०६ में दादाभाई नौरोजी के प्राइवेट सैक्रेटरी बने और भारतीय राजनीतिक जागरण के दादा से राजनीति का ककहरा पढ़ा। सन् १९१० में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल (अब केन्द्रीय असेम्बली) के सदस्य चुने गये और १९१६ तक चुन जाते रहे, जबकि रौलट बिल के विरोध में सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया। इस पद पर रहकर आपने देश की प्रशंसनीय सेवा की। इ० ले० कौंसिल में आप सरकारी पद की धजियाँ उड़ा देते थे और लोग आपके यह भाषण सुनने-पढ़ने को लालायित रहा करते थे। सन् १९१६ तक आप कांग्रेसी नेता रहे और उसके अधिवेशनों में बराबर क्रियात्मक भाग लेते रहे। मुसलिम लीग में भी आप भाग लेते थे, किन्तु तब आपकी गणना प्रगतिशील मुसलिम नेताओं में थी : राष्ट्रीय मतैक्य और सामूहिक राजनीतिक विकास के आप पक्के हामी थे। सन् १९२० में मुसलिम लीग के अधिवेशन के सभापति बने। १९२३-२५ में शासन-सुधार जॉच कमिटी के सदस्य रहे। सेडहर्स्ट कमिटी (१९२६-२७) के भी सदस्य रहे। गोलमेज़ सम्मेलन में भी शरीक हुए। केन्द्रिय असेम्बली में मुसलिम स्वतंत्र दल के नेता रहे। मुसलिम लीग के विपरीत, १९२८ में, आपने साइमन कमीशन का बहिष्कार और उसकी जॉच का विरोध किया था। सन् १९३४ से आपने मुसलिम लीग को पुनर्संठित करना शुरू किया और तब से आज तक उसके क्राइदे आजम हैं। आपके गुणों में महत्वाकांक्षा भी एक है। जिन्ना साहब आज भारत के भाग्य-विधाताओं में हैं, बस्तानिया और अम-



रीका तक आपके नाम की धूम है। हिन्दू महासभा की तरह मुसलिम लीग यद्यपि एक साम्प्रदायिक सस्था है, किन्तु आपने कांग्रेस के अनुकरण में, उसका संगठन त्रिलकुल कांग्रेस के आधार पर कर डाला है: कांग्रेस ने पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव स्वीकार किया, लीग ने भी किया। कांग्रेस ने युद्ध में सहयोग देने से इनकार किया, लीग ने भी किया। फिर भी आपकी अमहयोगवादी लीग को अन्तर्राष्ट्रीय जगत में आजकल बहुत महत्व प्राप्त हुआ है।


म्युनिख-समझौता—यह समझौता, जर्मनी के मुख्य नगर म्युनिख में, जर्मनी, ग्रेटब्रिटेन, फ्रान्स तथा इटली के बीच, २६ सितम्बर १९३८ को, हुआ, जिसके अनुसार चैकोस्लोवाकिया के सूडेटन-जर्मन-जिले जर्मनी को दे दिये गये। हिटलर ने इस इलाके की वापसी का मतालवा अगस्त में किया था और चैकोस्लोवाकिया पर हमला करने की तैयारी करली थी। वरतानी वज़ीरेआज़म चेम्बरलेन हवाई मार्ग द्वारा उड़ कर हिटलर के सदर मुक़ाम पहुँचे और हिटलर से मिले और लडाईं रोकने की उससे अनुनय की। फलतः वरतानिया और फ्रान्स की सिफारश पर चैकोस्लोवाकिया अपने उन जिलों को छोड़ने को राजी होगया जिनकी आबादी आधी से अधिक जर्मन थी। चेम्बरलेन साहब दुबारा उडकर हिटलर से मिले, किन्तु हिटलर ने अब की बार अपने मतालवे को बढा दिया। उसने पहले से भी अधिक इलाका वापस माँगा और दूसरे एक इलाके में जनमत लिये जाने का मतालवा किया। मि० चेम्बरलेन हवाई यान से वापस लौट आये और पश्चिमी राष्ट्रों—फ्रांस और ब्रिटेन—ने चैकोस्लोवाकिया को सलाह दी कि वह फौजी तैयारी करे। फ्रान्स और वरतानिया ने भी लामबन्दी शुरू कर दी और लडाईं अनिवार्य दिखाई दी। तब हिटलर ने, मुसोलिनी के परामर्श से, म्युनिख में दूसरा सम्मेलन होने की तजवीज़ पेश की। २८ सितम्बर को चेम्बरलेन, दलादिये, मुसोलिनी और हिटलर म्युनिख में इकट्ठे हुए। हिटलर की माँगों में, इस सम्मेलन में, कुछ यो-ही-सी रद्दोबदल की गई, किन्तु इस अवसर पर पश्चिमी राष्ट्रों ने उन्हें स्वीकार कर लिया। जिन इलाकों को हिटलर चाहता था, वह बिना जनमत लिये हुए ही, हिटलर को दे दिये जाने स्वीकार कर लिये गये। इस समझौते के अनुसार, १ अक्टूबर १९३८ को, जर्मन-सेना ने चैकोस्लोवाकिया में प्रवेश किया। समझौते में यह भी निश्चय

हुआ था कि चैकोस्लोवाकिया की नई सीमाओं की उक्त चारों राष्ट्र रक्षा करेंगे। चेम्बरलेन तथा हिटलरने एक संयुक्त-घोषणा पर हस्ताक्षर किये, जिसमें यह लिखा गया कि जर्मनी तथा ब्रिटेन में युद्ध न होगा। बरतानिया और फ्रान्स में इस समझौते का स्वागत किया गया। लोगो ने कहा कि, चलो लडाई की बला टली। किन्तु ससार भर में इस प्रयास की आलोचना पहले ही शुरू हो चुकी थी, और इस समझौते को तो आत्मसमर्पण कहा जा रहा था। कुछ भी हो, जर्मनी को सन्तुष्ट करने की ब्रिटेन की नीति का यह अन्तिम रूप था। मार्च १९३६ में हिटलर ने, म्युनिख-समझौते का उल्लंघन कर, समस्त चैकोस्लोवाकिया पर अपना अधिकार जमा लिया। इससे ब्रिटेन तथा फ्रान्स की आँखें खुल गईं और सन्तुष्टीकरण नीति के स्थान पर इन दोनों देशों ने प्रतिरोध की तैयारी की।

मैक्सिको (का) संयुक्त-राज्य—उत्तरी अमरीका का प्रजातन्त्री सघ-राज्य; क्षेत्र० ७,८०,००० वर्ग०; जन० १,६५,००,०००: राष्ट्रभाषा स्पेनी। जन-संख्या में २५,००,००० गोरे, ४५,००,००० इंडियन और ६५,००,००० वर्णसंकर हैं। मैक्सिकन सघ-राज्य में २८ राज्य हैं। कांग्रेस (पार्लमेण्ट) में दो धारा-सभाये हैं। राष्ट्रपति, ६ वर्ष के लिये, सीधा जनता द्वारा, चुना जाता है। कृषि, खनि-जोद्योग तथा तेल के व्यवसाय प्रमुख हैं। १८७६ से बराबर राष्ट्रपति रहे आने-वाले महान् राष्ट्रपति, दोन पोर्फिरियो दियाज़, के त्यागपत्र दे देने के बाद, सन् १९११, से मैक्सिको स्थायी क्रान्ति की स्थिति में रहा है। अनेक शासनो के परिवर्तन के बाद, राष्ट्रपति कालिस का उत्तराधिकारी जनरल एल० कार्डेनाज़, ३० नवम्बर १९३६ को, चुना गया। दोनो राष्ट्रीय-क्रान्तिकारी दल के नेता थे। कालिस सयुक्त राष्ट्र अमरीका चला गया। यह दल क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी तथा समाजवादी है। इस पर साम्यवाद का बड़ा प्रभाव है। राष्ट्रपति कार्डेनाज़ ने अनेक सामा-जिक सुधार किये। उसने ६ वर्ष के लिये एक योजना बनाई, जिसके अनुसार रेलवे तथा उद्योग के राष्ट्रीयकरण और ज़मीन के नये बँटवारे तथा सामान्य आर्थिक-सामाजिक उन्नति और विकास के लिये कार्यक्रम तैयार किया, और तेल के व्यवसाय में तो बिलकुल क्रान्ति कर दी। मैक्सिको में तेल का व्यव-साय करनेवाली कम्पनियों अँगरेज़ी, डच तथा अमरीकन हैं, जिनमें सबसे बड़ी, रायल डच-शैल समुदाय की, मैक्सिकन ईगल् आयल कम्पनी हैं। सन् १९३७

में तेल-कम्पनियों के मजदूरों ने, सरकारी मदायता से, मज़दूरी में वृद्धि करा ली, किन्तु कम्पनियों ने इसका पालन नहीं किया। १३ मार्च १९३८ को सरकार ने कम्पनियों से तेल के कुएँ ले लिये और उन्हें एक राष्ट्रीय प्रबंध-समिति के अधीन कर दिया, जिसमें मज़दूरों के प्रतिनिधि भी थे। फलतः मैक्सिको और दूसरे देशों में राजनीतिक भगड़ा उठ खड़ा हुआ और मैक्सिको ने ब्रतानिया से अपना राजनीतिक संबंध विच्छेद कर लिया। कम्पनियों से अब भी भगडा चल रहा है। सरकार १० वर्ष में २० करोड़ डालर हरजाने के देना चाहती है, कम्पनियों ४० करोड़ डालर हरजाना कूतती हैं। “ब्रतानवी और अमरीकी तेल-साम्राज्यवाद से नजात” मैक्सिकनों का नारा है। शकर व्यवसाय तथा रेलवे को भी राज्य के अधीन कर दिया गया है। रेलवे का प्रबंध रेलवे मजदूर-संघ के अधीन है। इन सब व्यवसायों में विदेशियों का रुपया लगा हुआ था। भूमि-विभाजन के लिये यह योजना तैयार की गई है कि २००० एकड़ से अधिक की जमींदारियों को तोड़ दिया जाय। ५० लाख एकड़ भूमि, कार्डेनाज़ के शासन-काल में, ५ लाख किसानों को दी जा चुकी है, किन्तु अभी ढाई लाख किसान भूमि-हीन हैं। यह पुनर्विभाजित भूमि ग्राम-संघ (एदीजो) के अधिकार में रहती है, जिसे वह किसानों को उठा देता है। वे उसे पुश्तानपुश्त जोत-बो सकते हैं, उनकी वह मौरूसी हो जाती है। परन्तु यदि कोई किसान दो साल से अधिक समय तक उस पर काश्त न करे, तो वह उससे वापस

ले ली जाती है। राष्ट्रपति ने महिलाओं को विशेष मताधिकार दिया है तथा शिक्षा-सबधी सुधार भी किये हैं। जब स्पेन में गृह-युद्ध हुआ तो प्रजातंत्र-



वादी सरकार की सहायता के लिये मैक्सिको ने अस्त्र-शस्त्र भेजकर उसकी सहायता की। मैक्सिको ने रूसी क्रान्तिकारी ट्रात्स्की को अपने देश में शरण दी। नवम्बर '४० में कार्डेनाज़ की अवधि समाप्त होगई, तब उसकी सिफारिश से, अवीला कमाचो, राष्ट्रपति बनाया गया। सयुक्त-राष्ट्र अमरीका से, तेल के भूगड्डे के समय, मैक्सिको के बिगड्डे हुए सबंध अब सुधर चले हैं और मैक्सिको ने अमरीकी गोलाद्ध की रक्षा के लिये तत्परता दिखाई है। अक्टूबर १९४१ में बरतानिया से भी सबंध फिर जुड गया है। दिसम्बर '४१ में जब जापान ने अमरीकी अधिकृत देशों पर आक्रमण किया तो मैक्सिको ने उससे नाता तोड़ लिया।

मैजिनो दुर्ग-पंक्ति—यह फ्रान्स की पूर्वी सीमा पर क्लेवन्दी थी, जो सन् १९२७-३५ में फ्रान्स के युद्ध-सचिव, मैजिनो (Maginot) की योजना-नुसार, उसीके तत्वावधान में, बनी। यह सत्तार की सबसे मज़बूत तथा विशाल क्लेवन्दी थी। इस दुर्ग-पंक्ति में भूगर्भ-स्थित (ज़मीदोज़) पचासों कई-मज़िला क्ले थे। ज़मीन के ही भीतर अनेक नगर बसे हुए थे, जिनमें रेलवे, बाज़ार, बिजलीघर, सडक आदि की पूरी व्यवस्था थी। मैजिनो क्ले वन्दी स्विट्ज़रलैण्ड के सीमान्त से उत्तर में मलमेदी तक फैली हुई थी। इस दुर्ग-पंक्ति को मलमेदी से आगे, बेलजियन सरहद के किनारे-किनारे, समुद्र तक थोडे हलके रूप में बढाया गया था। मई १९४० में इसीको तोड-फोड कर नात्सी सेनाएँ फ्रान्स में घुस पडी। जून १९४० में नात्सियों ने राइन नदी को पार किया और बडे मैजिनो लाइन का भी सत्यानाश कर डाला। इसका मुख्य-द्वार, पृथ्वी के ऊपर की ओर, कुत्रों जैसा था। उस पर तोपे चढी रहती थी, जिनका बिजली द्वारा अन्दर क्ले में एक कमरे से सम्बन्ध रहता था, और एक व्यक्ति वही भीतर बैठा हुआ बिजली की ताकत से गोले फेका करता था। फ्रान्स को अपनी इस क्लेवन्दी पर भारी गर्व था, और इसीके भरोसे वह लोग निश्चिन्त बैठे रहे और नात्सियों से जान तोडकर न लड सके। बरतानी मोटर-सवार सेना का जनरल फुलर तो इस दुर्ग-पंक्ति को सन् १९२७ में ही “फ्रान्स की डन्न का पत्थर” कह चुका था, और उसकी भविष्य-द्राणी ठीक निकली।

मैटाक्सस, जनरल जोनिस—यूनान का प्रधान-मंत्री, १८७१ में जन्मा, बर्लिन मिलिटरी कालेज में युद्ध-विद्या पढी. जर्मन जीवन-प्रणाली तथा सस्कृति का हामी बन गया। सन् १९१७ में जब यूनान ने तत्कालीन युद्ध में मित्र-राष्ट्रों का पक्ष लिया, तो मैटाक्सस ने इसका विरोध किया। उसे निर्वासित कर दिया गया। १९२० में स्वदेश लौटा। राजतंत्रवादी बन गया। बादशाह जार्ज द्वितीय को सन् १९३५ में यूनान वापस आने के लिये सहायता दी। सन् १९३६ में यूनान का अधिनायक बन बैठा। यद्यपि वह पार्लमेन्टरी प्रजातन्त्र का विरोधी और देश के शासन में फासिस्त विचारों का पोषक था, किंतु विदेशी फासिस्त शक्तियों का वह विरोधी था। इसीलिये अक्टूबर १९४० में जब इटली ने यूनान पर हमला किया तो मैटाक्सस ने उससे लोहा लिया और सारे देश को लडाया। ३० जनवरी १९४१ को, युद्ध के बीच, उसकी मृत्यु होगई।



मैन्ज़ीस, रावर्ट गॉर्डन—आस्ट्रेलिया का भूतपूर्व प्रधान मंत्री, १८६४ में पैदा हुआ, बैरिस्टर, पार्लमेन्ट का सदस्य १९२८, उद्योगमन्त्री १९२६; कई अन्य पदों पर रहा, १९३६ में प्रधान मन्त्री बना, जुलाई १९४१ में त्यागपत्र दे दिया। बाद में फेडन प्रधान-मन्त्री बना। उसने भी बजट के एक प्रश्न पर, अक्टूबर '४१ में, इस्तीफा दे दिया। १९४१ के चुनाव में देश में मजदूर-दल का बल बढ़ गया था, इसलिये, उसके नेता कर्टिन ने सरकार बनाई। मजदूर दल ने अन्य दलों का

साथ युद्ध-समिति में दिया था। अन्य दल, विरोधी होजाने पर भी, युद्ध-समिति में कर्टिन के साथी हैं। आस्ट्रेलियन सेनाये निकट और सुदूरपूर्व में लडी हैं और बरतानी साम्राज्य के अन्य भागों में लड रही है।

मैन्शेविक—नरम-दली रूसी समाजवादी जिन्होंने, सन् १९०३ में रूसी समाजवादी दल में फूट पड जाने के बाद, बोलशेविज्म का विरोध किया, विशेषकर १९१७ की क्रान्ति के समय। यह अल्प-सख्यक दल था। 'मैन्शेविक' का रूसी भाषा में अर्थ है 'अल्पमत'।

मैमल प्रदेश—उत्तर-पूर्वी जर्मनी की सीमा पर एक प्रदेश; क्षेत्रफल १,००० वर्ग०; जन० १,५०,०००, जिसमें जर्मनों का प्राधान्य है, शेष लिथुआनिया हैं। लिथुआनिया को बाल्टिक सागर तक रास्ता देने के हेतु मैमल-लैण्ड और मैमल बन्दरगाह, वर्साई की संधि के अनुसार, जर्मनी के अधिकार से लेकर लिथुआनिया को दे दिये गये। यह प्रदेश पहले मित्रराष्ट्रों के राजदूतों की परिषद् के नियंत्रण में रखा गया। सन् १९२३ में लिथुआनिया ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। जर्मनी में राष्ट्रीय समाजवादी आधिपत्य स्थापित होने के बाद मैमल-प्रवासी जर्मनों में जर्मनी के साथ मिल जाने की भावना वृद्धिज्ञत होउठी। मैमल में स्वायत्त-शासन स्थापित था। १९३५ में मैमल-पार्लमेण्ट में नात्सीवादी जर्मन-दल के सदस्य सबसे अधिक चुने गये। इस प्रकार अपनी उद्देशपूर्ति का बाक्काइदा मार्ग उन्होंने निकाल लिया। लिथुआनिया की सरकार ने जर्मनों का दमन आरम्भ किया, किन्तु वह व्यर्थ सिद्ध हुआ। तब उसने मैमल-प्रवासी जर्मनों को बहुतसी रिआयते देदीं।

दिसम्बर १९३८ के डायट (पार्लमेण्ट) के चुनाव में जर्मनों को ८७ फ़ीसदी मत प्राप्त हुए। २२ मार्च १९३९ को, चैकोस्लोवाकिया का अपहरण करने के बाद जर्मनी ने, मैमल प्रदेश उसे सौंप देने के लिये, लिथुआनिया को युद्ध-चुनौती दी। लिथुआनिया दब गया, मैमल-प्रदेश जर्मनी में मिला लिया गया और मैमल-बन्दर को स्वतंत्र बनाकर लिथुआनिया के पास रहने दिया गया।

मोलोतोफ़्, व्याचस्लाव मिखाइलोविच—सोवियत, रूस का राजनीतिज्ञ तथा वैदेशिक-मंत्री, सन् १८६० में पैदा हुआ। राजनीतिक लेखक बन

गया। १९०७ में बोल्शेविक दल में शामिल हुआ। सन् १९०६ में मोलो-तोफ् नाम रखा, असली नाम स्क्रियापिन है। १९२४ में साम्यवादी दल के राजनीतिक विभाग में बुलाया गया। १९३० में पीपल्स कमिसार्स की कौंसिल का अध्यक्ष (प्रधान-मंत्री) बनाया गया। सन् १९३६ में लिट्विनोफ् की बरखास्तगी के बाद वैदेशिक मंत्री हुआ। अगस्त १९३८ की रूस-जर्मन अनाक्रमण-संधि में इसका प्रमुख भाग था। १० नवम्बर १९४० को मोलोतोफ् हर हिटलर से रूस-जर्मन-सन्धियों के विषय में आवश्यक विचार-विनिमय करने बर्लिन गया। उसके साथ बत्तीस विविध विभागों के मंत्री तथा अधिकारी भी गये। इस भेट में क्या निश्चय किया गया, यह स्पष्ट रूप से सरकारी तौर पर प्रकाशित नहीं किया गया। मई १९४१ में जब स्तालिन पीपल्स कमिसार्स की कौंसिल का अध्यक्ष बना तो मोलोतोफ् उसका उपाध्यक्ष बनाया गया और जून १९४१ में सोवियत-सरक्षण समिति का सदस्य। अजेय रूस में मोलोतोफ् एक शक्ति है। प्रमाण है रूस की इन दिनों होनेवाली जीत पर जीत।



मोसल—इराक का एक नगर, जन० १,००,०००, तेल के कुओं के लिये प्रसिद्ध। पिछली लड़ाई से पहले यहाँ का तेल-व्यवसाय ड्यूश बैंक के अधीन था, बाद में अंगरेज-अमरीकन-फरासीसी कम्पनी के हाथ में चला गया। अब इराक पेट्रोलियम कम्पनी के अधीन है, जो अंगरेजो-डचो, फरान्सीसियों और अमरीकनो की तेल-कम्पनियों में से एक है। सन् १९३८ में ४३ लाख टन तेल यहाँ निकाला गया। मोसल से फिलस्तीन के हैफा बन्दर तक एक नल जाता है, जहाँ से लदकर तेल दुनिया को चला जाता है।

मोसले, सर ओसवाल्ड ई०—ब्रिटिश यूनियन के नेता। ब्रिटिश यूनियन फासिस्त ढंग का ब्रिटिश राजनीतिक आन्दोलन है। १६ नवम्बर १८६६ को पैदा हुआ, विन्चेस्टर और सैन्डहर्स्ट में सैनिक शिक्षा प्राप्त की; विगत विश्व-

युद्ध में फ्रांस में लडा; १९१८ में पार्लमेन्ट का सदस्य चुना गया, १९२४ तक दक्कियानूसी और स्वतंत्र दलो का सदस्य रहा ।

सन् १९२४ में मज़दूर-दल में शामिल हुआ; १९२६-१९३० में, मैकडानल्ड-सरकार में, डची आफ्लेकेस्टर का चांसलर रहा; १९३१ में मज़दूर-दल को त्याग दिया । इसके बाद ब्रिटिश यूनियन आन्दोलन चलाया । इस आन्दोलन का आधार शासन में नेतृत्व का सिद्धान्त है । वह पार्लमेंटरी प्रजातंत्र-प्रणाली के विरुद्ध है । वह सम्राट् के प्रति राजभक्त तो है, किन्तु पार्लमेन्ट में एक दल चाहता है । वह विरोधी-दल की आवश्यकता नहीं समझता । वह लार्डसभा को मिटाकर उसके स्थान पर कारपोरेशन की राष्ट्रीय परिषद् के प्रतिनिधियों का दूसरा चेम्बर बनाना चाहता है । उसके अनुसार व्यावसायिक मामलों में भाषण की स्वाधीनता रहेगी । समाचार-पत्रों में 'ग़लत' समाचार प्रकाशित करने पर दण्ड दिया जायगा । आर्थिक-क्षेत्र में वह नसमाजवाद को पसंद करता है और नपूँजीवाद को । वह विदेशों को ऋण देने का विरोधी है तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी करने के पक्ष में है, जिससे ब्रिटेन तथा ब्रिटिश साम्राज्य की उन्नति हो । यहूदियों को 'विदेशी' घोषित कर देना चाहता है, तथा जो उनकी समस्या को प्रमुख स्थान देते हैं या उनका पक्ष लेते हैं, उन्हें ब्रिटेन में न रहने देने का हामी है । ब्रिटिश यूनियन आन्दोलन की वैदेशिक नीति हिटलर तथा नात्सीवाद की प्रशंसक है । वह चाहती है कि पूर्वीय योरप में ब्रिटेन हस्तक्षेप न करे । चाहता है कि हिटलर को जर्मनी के पहले उपनिवेश वापस दे दिये जायँ । वह इस युद्ध के विरुद्ध है तथा हिटलर के साथ संधि कर लेने के पक्ष में है । सर ओसवालड का कथन है कि जर्मनी विश्व-राज्य की स्थापना करके स्वयं ससार-विजेता बनना नहीं चाहता, और न वह ब्रिटेन के विरुद्ध ही है । यह सब यहूदियों का प्रचार है, जिनके हित के लिये और उन्हींकी आर्थिक-सहायता से, यह युद्ध शुरू हुआ है । इस आन्दोलन का संगठन नात्सी (विशेषतः फ़ासिस्त दल) की तरह किया गया है । इसके सदस्य काली कमीज़ पहनते हैं तथा नात्सी-फ़ासिस्त ढग से, ऊँचा हाथ उठाकर, अभिवादन करते और नात्सियों के हास्ट वैज़ल क्रौमी गीत का अंगरेज़ी अनुवाद गाते हैं । पार्लमेन्ट में इस दल का कोई प्रतिनिधि नहीं है । मई १९४०

के अन्त में सर थ्रोसवाल्ड को, रक्षा कानून के मातहत, पकड़ लिया गया तथा उसके बहुत-से अनुयायी भी नजरबन्द कर दिये गये ।

य

यहूदी—समस्त ससार में लगभग डेढ़ करोड़ यहूदी हैं, जिनमें तीस लाख पोलैंड में, ३० लाख रूस में, ८ लाख रूमानिया में, ४४ लाख सयुक्त-राज्य अमरीका में, ४,८०,००० फिलस्तीन में, ३ लाख जर्मनी में, ३ लाख ब्रेटब्रिटेन में तथा ढाई लाख फ्रान्स में और शेष ससार के अन्य भागों में हैं । यहूदियों में, देश-भेद के कारण, दो शाखाएँ होगई हैं : पूर्वीय और पश्चिमी । पोलैंड, रूस और रूमानिया के 'पूर्वीय' यहूदियों में अपनी नस्ल की विशेषता है : वह लोग अपने धर्म—मूसाइयत—का दृढता से पालन करते, खास तरह के कपड़े पहनते, और मध्ययुगीन जर्मन तथा इब्रानी भाषाओं का मिश्रण, 'यिद्दीश' भाषा, बोलते हैं । यह भाषा इब्रानी लिपि में लिखी जाती है और इसमें बहुत-सा साहित्य है । यह यहूदी अधिकांश व्यापारी, कारीगर, सराय चलानेवाले, आदि हैं, और रूस में यह सब किसान-मजदूर हैं ।

पुरबियों के विपरीत, दूसरे देशों में बसे हुए, पछँये यहूदी, उन-उन देशों के वातावरण में आत्मसात् होगये हैं । जिस देश में रहते हैं उसीकी भाषा बोलते हैं और वहीकी सभ्यता का पालन करते हैं । इनका धार्मिक आचार पुरबियों की अपेक्षा अधिक उदार है । इन यहूदियों में सभी पेशे के लोग हैं : सौदागर, साहूकार, कारखानेदार, डाक्टर, वकील, क्लर्क, अध्यापक, आदि । अल-बत्ता अमरीका और पूर्वीय लन्दन के यहूदी मजदूर-पेशा हैं, विशेषतः कपड़े के कारीगर । पश्चिमी यहूदियों की जनसंख्या गिरती जा रही है । पूर्वीय यहूदियों का इधर आकर बसना रुक गया, जन्मसंख्या बहुत कम होगई तथा यह लोग ईसाइयों के साथ विवाह-सम्बन्ध करने लग गये । केवल जर्मनी में

विवाह-सम्बन्ध द्वारा एक-तिहाई यहूदी ईसाइयों में मिश्रित हो चुके हैं। पिछली लड़ाई के बाद जर्मनी में, इनकी नस्ल को बरकरार रखने के लिये, जितनी पैदाइश की ज़रूरत थी, उसका केवल सातवाँ हिस्सा पैदा हुआ। एक पीढ़ी के बाद वहाँ शायद यहूदी नस्ल रहती ही नहीं, लेकिन इसी बीच हिटलर इनका विरोधी उठ खड़ा हुआ और उसने, अपने जाति-विद्वेष के कारण, जर्मनों के यहूदियों से विवाह-सम्बन्ध पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

यहूदियों ने सभ्यता को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ईसाइयत और इसलाम का प्रादुर्भाव यहूदी-धर्म (मूसाइयत) से हुआ। विज्ञान, कला, राजनीति, साहित्य, उद्योग आदि क्षेत्रों में इस नस्ल के महापुरुषों—स्पिनोज़ा, मैन्दलसोन, दिसराइली, हट्ज़, वेसरमन, एहरीलिच, आइन्स्टाइन और फ्राइड ने—बहुमूल्य सेवाएँ की हैं। जहाँ भी यह लोग रहे वहाँ उद्योग और व्यवसाय को इन्होंने बढ़ाया। सभी यहूदी जातीय-बन्धुत्व के बन्धन में बंधे हुए हैं। कुशल व्यापारी-व्यवसायी होने से इनमें पूँजीपतियों की संख्या अधिक है।

यहूदी-विद्वेष—सामी (Semitic)-नस्ल में से होने के कारण सबसे पहले ज़ारशाही रूस में यहूदियों पर अत्याचार होने शुरू हुए। उन पर अभियोग लगाया गया कि यहूदी-नेताओं ने एक गुप्त सम्मेलन में संसार पर शासन करने की एक योजना बनाई है। पर यहूदियों के हिमार्थियों का कहना है यह 'ओखराना' (ज़ारकालीन ख़ुफिया पुलिस) का रचा हुआ जाल था। कुछ भी हो, रूस में यहूदियों के खिलाफ 'पोग्रम' (रूसी भाषा का शब्द = विनाश) शुरू हुआ। इसके अनुसार यहूदी मुहल्लों पर यकायक छापा मारकर उनका कत्ले-आम किया जाता था, उन्हें लूटा-खसोटा जाता था और घरों को आग लगा दी जाती थी। १९१७ की बोलशेविक-क्रान्ति के बाद से सोवियत रूस में यहूदी, अन्य नागरिकों की भौति, शान्ति और सुख से रह रहे हैं।

किन्तु अब हिटलरशाही जर्मनी इस सामी-विद्वेष का केन्द्र बन गया है। सामी या यहूदी-विद्वेष, १९वीं शताब्दी के अर्द्ध-भाग से, 'आर्य' अथवा 'नार्डिक' नस्ल के सिद्धान्त के आविर्भाव के कारण, उत्पन्न हुआ। हिटलर ने जर्मन लेखकों के 'आर्य' और 'अनार्य' सिद्धान्त को सर्वथा ग्रहण किया और जर्मनी में यहूदियों के विरुद्ध क़ानून बनाये, जिनके अनुसार यहूदियों को

उनकी सम्पत्ति और नागरिक अधिकारों से च्युत कर दिया गया। यहूदियों को विधर्मी और हीन विपाक्त रक्त की जाति घोषित कर दिया गया। उन्हें स्वभाव से ही जरायम-पेशा करार दे दिया गया और उनका घोर अपमान किया जाने लगा। नूरम्बर्ग कानून के अनुसार जर्मन लड़कियों को यहूदियों से विवाह या प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करना जुर्म करार दे दिया गया।

पेरिस के जर्मन दूतावास के एक कर्मचारी, हर वाम राथ, को पॉलैण्ड के एक यहूदी नौजवान लड़के ने मार डाला, फलतः १० और ११ नवम्बर १९३८ को सारे जर्मनी में यहूदियों पर खुलकर अत्याचार किये गये। यहूदियों के घरों और दूकानों को नष्ट कर दिया गया, यहूदी अस्पतालों और बालक-विद्यालयों तक को नहीं छोड़ा गया और उनके पूजास्थलों को आग लगा दी गई।

आइन्स्टाइन (गणित-विज्ञान का विश्वविख्यात आचार्य) तथा फ्राइड (जो मनोवैज्ञानिक उपचार-प्रणाली का आविष्कारक है) को जर्मनी से निर्वासित कर दिया गया। मैडलसोन तथा आफनब्रोक, प्रसिद्ध यहूदी संगीत-कलाविदों, के गायन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। यहूदियों को समस्त व्यवसायों और व्यापारों से वंचित कर दिया गया। उन्हें नजरबन्दी-शिविर में भेज दिया गया। बड़े-बड़े विद्वान् यहूदियों का सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया। ६ लाख यहूदियों में से आधे यहूदी जर्मनी से निकाल बाहर किये गये, और उनका निष्कासन जारी था कि युद्ध शुरू होगया। जर्मनी से निकाले हुए यहूदी पश्चिमी योरप, फिलस्तीन और अमरीका में जा बसे हैं।

नात्सी यहूदी नस्ल के ईसाइयों के भी खिलाफ हैं। प्रत्येक जर्मन नागरिक को अपनी वशावली दिखानी पडती है। जिनके पूर्वजों में एक भी यहूदी पाया जाता है, उनकी सजा वर्णसंकर करार दे दी जाती है, और ऐसी बहुत बड़ी संख्या जर्मनी में पाई गई है। ऐसे नागरिकों पर, उनके दूषित रक्त के कारण, अनेक पाबन्दियाँ लगा दी गई हैं।

इस युद्ध से पूर्व जर्मनी, इटली, हङ्गरी और रूमानिया को छोड़कर समस्त देशों में यहूदियों को समता के नागरिक अधिकार प्राप्त थे। नात्सी-अधिकृत देशों में भी यहूदी-विद्वेष बढ़ चला है, और उन्हींके दबाव से, सन् १९४०-४१ में, मार्शल पेटॉ ने भी अपने विशी-प्रदेश में, यहूदी-विरोधी कानून बनाये हैं।

सयुक्तराज्य अमरीका में भी कफ़्लिन नामक एक राजनीतिज्ञ कैथलिक पादरी ने, पिछले वर्षों से, यहूदी-विरोधी आन्दोलन छेड़ा है। शिकागो के बड़े पादरी ने इसकी निन्दा की है, किन्तु कफ़्लिन अपना काम जारी रखे हुए है।

यरूशलमवाद (ज़ियोनिज्म) — इस आन्दोलन का उद्देश्य फिलस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना करना है। प्रारम्भ में कुछ रूसी अगुआओं के बाद, सन् १८६५ में, यह आन्दोलन वीयना के एक पत्रकार, डा० थियोडोर हेरज़ल ने, शुरू किया। सन् १८६७ में वेसले में पहली यरूशलमवादी विश्व-कांग्रेस हुई, जिसमें फिलस्तीन में “यहूदियों के लिये राष्ट्रीय उपनिवेश” की स्थापना करने की घोषणा की गई। हेरज़ल ने तुर्की, ब्रिटेन, जर्मनी आदि राष्ट्रों की सहायता, अपनी उद्देश्य-पूर्ति के लिये, प्राप्त करने की चेष्टा की, किन्तु वह व्यर्थ गई। ब्रिटेन ने इसके लिये फिलस्तीन के बजाय यूगांडा प्रदेश दे देना चाहा, किन्तु १९०५ की यहूदी विश्व-कांग्रेस ने ब्रिटेन की इस भेट को अस्वीकार कर दिया और फिलस्तीन की प्राप्ति का आग्रह किया। (फिलस्तीन में यरूशलम के पास एक पहाड़ी है, जिसका अंगरेज़ी नाम ‘ज़ियोन’ है। इस पहाड़ी से यहूदियों का पौराणिक सम्बन्ध है, इसलिये इनका एक बड़ा दल फिलस्तीन में बसने पर ही अधिक जोर देता है)। इसके बाद यहूदी कांग्रेस में दो दल होगये। दूसरे दल का कहना था कि यहूदी राज्य कायम करने के लिये हमें कोई भी प्रदेश मिल जाय। किन्तु यह दल समाप्त होगया और डा० हेरज़ल भी १९०४ में मर गया। (जो लोग फिलस्तीन में बसने का आग्रह करते हैं, ‘ज़ियोन’ पहाड़ी के कारण, अंगरेज़ी में उन्हें ‘ज़ियोनिस्ट’ कहा जाता है, जिन्हे हम यहाँ यरूशलमवादी कहकर सम्बोधन कर रहे हैं।) यरूशलमवादी बराबर अपनी कांग्रेस करते रहे और थोड़े-बहुत फिलस्तीन में जाकर बसते भी रहे। जब ब्रिटिश सरकार को पिछले युद्ध में यहूदियों की सहायता की आवश्यकता पड़ी तब, सन् १९१७ में, बालफ़ोर घोषणा की गई। यहूदियों की इच्छा-पूर्ति को सिद्धान्ततः स्वीकार किया गया, और युद्ध के बाद तो बालफ़ोर घोषणा को राष्ट्र-संघ के शासनादेश का एक अंग बना दिया गया, जिसके अधीन बरतानी सरकार को फिलस्तीन पर अधिकार मिल गया। फिर तो ‘ज़ियोनिस्ट’ धड़ाधड़ फिलस्तीन में बसने लगे और उनकी संख्या ४,८०,०००

होगई। यहूदी कांग्रेस के १२॥ लाख सदस्य हैं। डा० वीजमन इसका अध्यक्ष है।

रूसी क्रान्ति के बाद वहाँ के यहूदी, अपने वर्तमान सामाजिक जीवन से सन्तुष्ट हैं। यरूशलमवादी उनसे अमन्तुष्ट हैं और इसे अपनी शक्ति का हास समझते हैं। किन्तु यरूशलमवादियों को अमरीका के यहूदियों से बहुत साहाय्य मिला है और गैर-यरूशलमवादी यहूदियों से भी इन्हे भारी सहाय्य-भूति प्राप्त हुई है। जियोनिस्ट या यरूशलमवादी यहूदियों में, सामाजिक और राजनीतिक विचार-दृष्टि से, कई दल हैं। उग्र जियोनिस्टों का एक दल अलग ही है जो फिलस्तीन में ज़रदान नदी के दोनों किनारों की भूमि पर यहूदी राज्य की स्थापना की घोषणा के लिये आतुर है।

यहूदियों के सभी दल फिलस्तीन के अरबों के विरोध को समझते और प्रार्थना से ठंडा करने के पक्ष में हैं, और चाहते हैं कि फिलस्तीन में प्रभुत्व तो यहूदियों का रहे और यहूदी राज्य में अरब लोग एक अल्पसंख्यक जाति की भाँति, बने रहे।

यहूदी एजेसी—इस सस्था की स्थापना राष्ट्रसंघ के शासनादेश के अनुसार हुई है। यह सस्था फिलस्तीन में यहूदियों का राष्ट्रीय उपनिवेश बसाने के सम्बन्ध में होनेवाले आन्दोलन में यहूदी पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। इस सस्था में यरूशलमवादी तथा गैर-यरूशलमवादी दोनों प्रकार के आधे-आधे सदस्य हैं। डा० चैम वीजमन इसका अध्यक्ष है।

युद्ध-पोत—बहुमूल्य और बड़ा जगी-जलयान (Battle Ship)। इस पर अनेक बड़ी-बड़ी तोपें चढ़ी रहती हैं। इसका उपयोग नाविक-युद्ध में किया जाता है। बहु-व्यय-साध्य होने के कारण बड़े-से-बड़े राज्य के पास पॉच-छैं युद्ध-पोत होते हैं। किसी-किसी के पास आठ-दस तक हैं। नाविक-सेना अमरीका तथा ब्रिटेन की सर्वोत्तम है। दिसम्बर १९४१ में, प्रशान्त महासागर में युद्ध छेड़ते समय, जापान ने ब्रिटेन के ऐसे ही दो सर्वोत्तम युद्ध-पोतों 'प्रिन्स आफ् वेल्स' और 'रिपल्स' को डुबो दिया था।

युद्ध-विरोधी आन्दोलन—महात्मा गांधी ने, अक्टूबर १९४० में, युद्ध में सहयोग देने के विरोध में, भारत में यह आन्दोलन आरम्भ किया। इस

आन्दोलन के सम्बन्ध में गांधीजी ने अपने १५ अक्टूबर १९४० के वक्तव्य में लिखा—“मैं प्रश्न को फिर दुहराता हूँ। स्पष्ट रूप से यह प्रश्न मर्यादित है—युद्ध के विरुद्ध प्रचार करने का अधिकार या वर्तमान युद्ध में सहयोग के विरुद्ध प्रचार। दोनों ही ठोस अधिकार हैं। उनके प्रयोग से अगरेजों की कोई हानि नहीं होगी। अहिंसात्मक कांग्रेस ब्रिटेन के लिये कोई बुरी बात नहीं सोच सकती, और न वह अस्त्र-शस्त्र के द्वारा सहायता ही कर सकती है। क्योंकि वह खुद अपनी आज़ादी भी शस्त्रों के द्वारा नहीं प्रत्युत् विशुद्ध अहिंसा द्वारा प्राप्त करना चाहती है।” श्री विनोवा भावे को उन्होंने अपना सबसे प्रथम सत्याग्रही चुना। इस सत्याग्रह को केवल व्यक्तिगत और सीमित रखा गया था।

यूक्रेन—पहले दक्षिण रूस कहा जानेवाला प्रदेश, जहाँ स्लैव जाति के लोग रहते हैं, जिनकी भाषा भिन्न प्रकार की किन्तु रूसी भाषा से मिलती-जुलती है। ज़ारशाही के ज़माने में यूक्रेनियों को रूसियों की एक शाखा मान लिया गया और उनकी भाषा रूसी की एक बोली करार दी गई। यूक्रेन के मदरसों और सरकारी दफ्तरों में रूसी भाषा जारी कर दी गई, परिणामतः १९वीं सदी में यूक्रेनियों में राष्ट्रीय आन्दोलन का जन्म हुआ। सन् १९१७ की रूसी राज्य-क्रान्ति के बाद जर्मनी तथा आस्ट्रिया की सेनाओं ने यूक्रेन पर अधिकार जमा लिया और ज़ारकालीन जनरल स्कोरोपाद्स्की की अव्यक्तता में एक नाममात्र का प्रजातंत्र वहाँ स्थापित कर दिया। नवम्बर १९१८ की विराम संधि के बाद जब जर्मन तथा आस्ट्रियन सेनाएँ वापस लौट गईं, तब यूक्रेन में गृह-युद्ध होता रहा। अन्त में १९२० में यूक्रेनी सोवियत प्रजातंत्र की स्थापना की गई। इसने सोवियत रूस में सैनिक तथा आर्थिक समझौता किया और सन् १९२३ में यह दोनों राष्ट्र, रूसी संघ के अन्य सोवियत प्रजातंत्रों सहित, सोवियत यूनियन में शामिल हो गये। सोवियत संघ के समस्त प्रजातंत्र राज्यों में, रूस के बाद, यूक्रेन सबसे बड़ा तथा महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल इसका १,७४,००० वर्गमील तथा जनसंख्या, १९३६ के आन्वेषण में, ३,३०,००,००० थी। इसका मदर मुकाम कीव है। यूक्रेन सोवियत संघ का स्वतंत्र राज्य है। मदरसों, दफ्तरों और न्यायालयों में यूक्रेनी भाषा का इस्तेमाल चलता है। यूक्रेन के बड़े-बड़े शहरों में शुद्ध रूसी अल्पसंख्यक जाति के लोग

भी हैं। यद्यपि यूक्रेनियों को स्वशासनाधिकार प्राप्त है, तथापि वहाँ के अधिवासियों में भीतर-ही-भीतर, अपनी वर्तमान स्थिति के प्रति, राष्ट्रीय असन्तोष की भावना है। हिटलर का विचार इससे फायदा उठाकर यूक्रेन को रूस से पृथक् कर जर्मनी के अधीन कर देने का रहा है। यूक्रेन संसार के बहु-अन्न-उत्पादक देशों में है और रूस का प्रधान औद्योगिक प्रदेश भी। प्रतिवर्ष वहाँ १ करोड़ ६० लाख टन अन्न पैदा होता है। १९२० के यूक्रेनी-सोवियत और पोलैण्ड के युद्ध के बाद बरतानिया ने पंच बनकर 'कॉर्ज़न रेखा' नाम से, इन दोनों देशों की, कौमी विचार दृष्टि से, जो हृदयन्दी की, उसके अनुसार पोलैण्ड के पूर्वी प्रदेश का ६० लाख यूक्रेनी आबादी का इलाका अलग बन गया। पोलैण्ड ने इसे अस्वीकार कर दिया। किन्तु सोवियत-संघ इस प्रदेश को अपने में मिलाने का दावा करता रहा। अन्ततः सितम्बर १९३९ में जब जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण किया, तब रूस ने इस अवसर से लाभ उठाकर पूर्वी पोलैण्ड के इस भाग पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार वर्तमान यूक्रेन का क्षेत्रफल बढ़कर लगभग २ लाख वर्गमील और जनसंख्या ४ करोड़ से अधिक होगई, किन्तु इस संख्या में अल्पमत पोलिश भी हैं। जुलाई १९४० में सोवियत संघ ने उत्तरी बुकोविना के यूक्रेनी-अधिवासी जिलों और बैसरेबिया के यूक्रेनी हिस्सों को, ८ लाख यूक्रेनियों सहित, रूमानिया से लेकर अपने में मिला लिया। यूक्रेनी जाति की कुल संख्या ३ करोड़ ६० लाख है।

सन् १९४१ में रूस-जर्मन-युद्ध में नात्सी यूक्रेन के अधिकांश भाग का अपहरण कर चुके थे—लगभग पूरे भाग का। बैसरेबिया और बुकोविना को रूमानिया वापस ले चुका है। पोलैण्ड के सम्बन्ध की रूस-सोवियत-संघ-संधि भी १९४१ में रद्द की जा चुकी है। किन्तु बहादुर रूसी बोलशेविक अब विजय पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, यूक्रेन में भी वह जीत रहे हैं, और वह दिन दूर नहीं है, जब इन नात्सी नर-पिशाचों को वह अपनी पवित्र भूमि से निकाल बाहर करेंगे।

यूगोस्लाविया—क्षेत्र ० ६५,००० वर्गमील, जन ० १,३६,००,०००, जिसमें ६५ लाख सर्ब, ४० लाख क्रोट, १० लाख स्लोवेनीज, ५॥ लाख हगेरियन, और तीन लाख जर्मन हैं, बक्रिया अलबानी, बलगारी, मक़दूनी तथा दूसरी अल्पसंख्यक जातियाँ हैं, राजधानी बेलग्रेड। यह नवीन देश कई राज्यों के

प्रदेशों को मिलाकर बनाया गया था। इनमें क्रोट तथा स्लोवेनीज़ सबसे अधिक प्रगतिशील हैं। इसके बोस्निया प्रदेश में १५ लाख मुसलमान हैं। नाना भाँति के लोगो का यह देश यहाँ की सरकार के लिये एक समस्या रहा है। इनमें क्रोट जाति के लोग यूगोस्लाविया में स्वतन्त्र सघ-राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। लडाई के बाद इस देश में निरन्तर अशान्ति रही और नवम्बर १९२८ में क्रोशियन कृषक दल के नेता को एक सदस्य ने पार्लमेंट की बैठक में गोली से मार दिया। बादशाह अलेक्ज़ेन्डर प्रथम ने पार्लमेंट भङ्ग करके अधिनायक शासन-प्रणाली कायम करदी। ३ अक्टूबर १९२९ से पूर्व यह “सर्व, क्रोट तथा स्लोवेनीज़ का राज्य” कहलाता था। इस दिन ‘यूगोस्लाविया’ नाम रखा गया। इसमें नौ प्रान्त बनाये गये और सब दल तोड़ दिये गये। ३ सितम्बर १९३१ को नया शासन-विधान जारी किया गया, जिसके अनुसार पार्लमेंट की दो धारासभाएँ नियुक्त की गईं। ९ अक्टूबर १९३४ को बादशाह अलेक्ज़ेन्डर की फ्रान्स में हत्या कर दी गई। राजकुमार पीटर द्वितीय के नाबालिग होने के कारण बादशाह के चचेरे भाई, प्रिन्स पाल, के नेतृत्व में एक शासन-परिषद् बना दी गई। १९३५ में डा० स्तोयादीनोविच प्रधान मन्त्री बना। उसने फ्रान्स से सम्बन्ध तोड़ना और जर्मनी, इटली की ओर झुकना शुरू किया। १९३८ में यह जर्मनी गया। अबतक जर्मनी के साथ इसने देश का व्यापारिक-सम्बन्ध बहुत बढ़ा लिया था। लेकिन इसकी नीति से बरतानिया और उसके मित्र अस्वच्छ थे। प्रिन्स पाल अनेक बार लन्दन भी गया।


वर्तमान युद्ध शुरू होने पर यूगोस्लाविया ने अपनी तटस्थता की घोषणा की। इस पर जर्मन, ब्रिटिश और रूसी प्रभाव इस देश में अपने-अपने न्यार्थ के लिये, आपस में टकराते रहे। परिणामस्वरूप जर्मनी को और अधिक प्राथिक सहायता मिल गई। १९४० में रूस और यूगोस्लाविया में फिर अन्ते सम्बन्ध स्थापित होगये और स्तोयादीनोविच, न्याय गिये जाने के लिये, ब्रिटेन के सुपुर्द कर दिया गया। फिर भी प्रिन्स पाल की सरकार जर्मनी की ओर अधिकार-धिक भुगतती गई। यहूदी-विरोधी कानून १९४० के अन्त में, नात्सियों की सन्तुष्टि के लिये, बनाये गये और २५ मार्च १९४१ में यूगोस्लाविया ने सिट्ट-मार्च पर

वह मर गया। तुर्की-यूनान-युद्ध के कारण राजसत्ता की नींव हिल चुकी थी, फलतः एक वर्ष के बाद, उसके पुत्र जार्ज द्वितीय को भी, राज्यासन छोड़ना पड़ा और यूनान में प्रजातन्त्र की स्थापना हुई। इसके बाद प्रजातन्त्र में आन्तरिक कलह तथा उपद्रव होते रहे और देश में एकतन्त्र शासन की स्थापना के लिये फिर से आक्रांक्षा उत्पन्न होगई। सन् १९३२ और '३३ के चुनावों में वेनीज़ैलोस की हार हुई। प्रजातन्त्र कायम रहने के लिये उसने कई विद्रोह कराये, किन्तु वे सफल न हुए। राजसत्तावादी कोन्डिलिस के हाथ में सत्ता आगई और उसने एकतन्त्र के पक्ष में जनमत प्राप्त कर लिया। सन् १९३५ में वेनीज़ैलोस को निर्वासित कर दिया गया। पैरिस में, १९३६ में, उसकी मृत्यु होगई। अप्रैल १९३५ में जार्ज द्वितीय पुनः गद्दी पर आ गया। कोन्डिलिस और उसका सहयोगी ज़ाल्देरिस भी मर गये।

अप्रैल १९३६ में जनरल मैटाक्सस को प्रधानमंत्री बनाया गया। ४ अगस्त १९३६ को उसने "कम्युनिस्ट क्रान्ति" के बहाने यूनान में अधिनायक-तन्त्र स्थापित कर दिया। पार्लमेन्ट भंग कर दी गई, राजनीतिक दलों का दमन किया गया और १९३८ में वह आज़न्म प्रधान-मंत्री बना दिया गया। वर्तमान युद्ध में यूनान तटस्थ था। लेकिन इटली पिछले युद्ध से ही यूनान पर लोलुप दृष्टि लगाये हुए था। १९४० में उसने यूनान पर हमला किया और हारा। इटली के साथ जर्मनी भी यूनान पर दृष्टि लगाये था, ताकि वह बलकान देशों में होकर बरेदानियाल तक पहुँच सके और पूर्वीय भूमध्यसागर में बरतानी आधिपत्य में हस्तक्षेप कर सके। युद्ध से पूर्व ही यूनान की विदेशी तिजारत तीस फीसदी जर्मनी के हाथ में थी, उस कारण भी वहाँ जर्मनी का प्रभाव था। इसलिए भी जनरल मैटाक्सस जर्मन-पक्षपाती समझा जाता था। लेकिन एधेन्स में यूनानी बादशाह के नेतृत्व में एक ब्रिटिश-सोपक्ष दल भी था।

१९ अक्टूबर १९४० को इटली ने यूनान को ग्रन्टीनेटम दिया कि यूनान तमान फौजी, जहाजी और हवाई अड्डे इटली के हवाले करदे। साथ ही अन्य शिप्रायतें भी भोगी गई। यूनानियों ने अल्बेनेटम को खुद-बोपणा समझा और इटलियनों का मुझाबला किया, जिन्होंने तबाल ही आज़न्म भी

कर दिया था। बरतानी हवाई सेना तुरन्त भेजी गई और यूनान ने इटली को अलबानिया की सरहद तक खदेड़ दिया। यूनानी आक्रमक-इटालियनों को बराबर खदेड़ रहे थे कि ६ अप्रैल १९४१ को, बलगारिया और यूगोस्लाविया में होकर, जर्मनी ने भी यूनान पर हमला कर दिया। प्रधानमंत्री कोरिजिस की सरकार ने, जो जनवरी '४१ में मैटाक्सस की आकस्मिक मृत्यु के बाद, प्रधान-मन्त्री बना था, बरतानी सरकार को लिखा कि आप सेना भेजें या न भेजे, हम जर्मनों का डटकर मुकाबला करेंगे। तो भी ब्रिटेन ने, पूर्वीय देशों से बची हुई सेना यूनान भेजी, फ्रिन्तु जर्मनी के उत्कृष्ट कांटि के टैंकों, वायु-यानों और सिपाहियों की सज्जित सैन्य के समक्ष, कट-कटकर लड़नेवाली यूनानी, बरतानी और उसके साम्राज्य देशों की सेना, केवल तीन सप्ताह के भीतर, जर्मनों द्वारा यूनान के अपहरण को न रोक सकी। प्रधानमंत्री कोरिजिस ने १८ अप्रैल १९४१ को आत्मघात कर लिया। सरकार क्रीट चली गई। जर्मनों ने, जनरल जोलाकोग्लू की प्रधानता में, यूनान में कठपुतली सरकार कायम करदी। मई में जर्मनों ने क्रीट भी ले लिया और यूनानी बादशाह और उसकी सरकार लन्दन को चले गये। जून १९४१ में जर्मनी ने इटली को समस्त यूनान पर अधिकार दे दिया।



यूपेन मलमेडी—क्षेत्र ३८२ वर्ग०, जन० ६५,०००। सन् १९१९ तक यह छोटा-सा प्रदेश जर्मनी में था, वसाई-सधि के समय बेलजियम में मिला दिया गया। यहाँ की जनता जर्मन तथा फ्रान्सीसी-भाषी बेलजियन है। जर्मनों को भाषा तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त थे। मई १९४० में जब बेलजियम पर जर्मनी ने हमला किया तब यह प्रदेश जर्मनी ने फिर अधिकार

में ले लिया । हितलर का कहना था कि यहाँ ८० फीसदी जर्मन आबाद हैं ।

यू० एस० एस० आर०—यूनियन ऑफ़ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक्स का मंत्रिपुत्र रूप, अर्थात् रूस का वर्तमान पचायती (सोवियत) मंत्र समूह या संयुक्त-राष्ट्र, जो १९२३ में बना है ।

यू वोट—जर्मन पनडुब्बी यू वोट कहलाती है ।

यू सा—ब्रह्मदेश की सरकार के प्रधान-मंत्री थे । सन् १९१९ में, जब ब्रह्मा के प्रथम प्रधान-मंत्री, डा० वा मों, ने ब्रह्मा-चीन-संघ के विवाद पर त्यागपत्र दे दिया, तब यू सा ने मंत्रि-मण्डल बनाया । जब ने योरप में युद्ध आरम्भ हुआ, तभी से भारत की भौतिक, ब्रह्मदेश में भी, स्वाधीनता की माँग के लिए, ज़ोरदार आन्दोलन होने लगा । विगत अक्टूबर १९४१ में यू सा, अपने देश की स्वाधीनता की माँग ब्रह्मदेश की सरकार के समक्ष रखने के लिये, इंग्लैण्ड गए । वहाँ आपका भारतमंत्री मि० एल० एस० एमनी ने शानदार स्वागत किया । आपने ब्रह्मदेश की रक्षा के विषय में ब्रिटिश योजनाओं पर भी पारस्परिक विचार किया । यू सा ब्रिटिश सरकार से इस आशय की प्रतीक्षा लेने गये थे कि वर्तमान युद्ध की समाप्ति पर ब्रह्मदेश को औपनिवेशिक स्त-भाव दे दिया जायगा । परन्तु ब्रिटिश सरकार की ओर से इस मांग का समतोपजनक उत्तर नहीं मिला । ४ नवम्बर १९४१ को यू सा इंग्लैण्ड से विदा होकर लोनोल्ड होने हुए परगमना गए और वहाँ राष्ट्रपति - एल्ट ने भी मिले । परन्तु परगमना ने आपकी माँग का समर्थन नहीं किया । वह ब्रह्मदेश का मन आपने ने पर्ये आये जाते और न्यूयॉर्क जाता जाये । इतिहास के लिये गये । ब्रिटिश सरकार ने १८ जनवरी १९४२ को विचारित किया कि ब्रह्मदेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया है । ब्रह्मदेश की सरकार ने १९४२ में ब्रह्मदेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया है । ब्रह्मदेश की सरकार ने १९४२ में ब्रह्मदेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया है ।



र

रवीन्द्रनाथ ठाकुर—विश्व-कवि, जन्म, कलकत्ता ७ मई सन् १८६१ ई० ; पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर और माता श्रीमती शारदादेवी की चौदहवों सन्तान, नौ वर्ष की आयु में कलकत्ता नार्मल स्कूल में पढ़ने भेजे गये; स्कूल में शारीरिक व्यायाम और मल्लविद्या में विशेष दिलचस्पी ली; इसी स्कूल में पढ़ते समय छन्द-रचना प्रारम्भ की, १२ वर्ष की आयु में उपनयन-सस्कार हुआ। उपरान्त बोलपुर के शान्ति-निकेतन भेजे गये। यहाँ आपके पिता ने करीब ६ एकड़ भूमि आश्रम बनाने के लिये खरीदी थी। यही पर आपने विश्व-भारती की स्थापना की, अपनी प्रथम रचना 'पृथ्वीराज-पराजय' लिखी, जिसकी पाड्डलिपि खो गई। अपने पिताके साथ उत्तरी भारत का भ्रमण किया, उसी समय सस्कृत और अँगरेज़ी सीखी। सन् १८७४ में कलकत्ता के सेट जेवियर स्कूल में भरती हुए। तभी शेक्सपियर के 'मैकबेथ' का बँगला में भाषान्तर किया। इस समय आप बँगला मासिक पत्रिकाओं में लेख लिखते थे तथा कई कविताएँ भी लिखी।

जब सत्रह वर्ष के थे तब अपने भाई, सत्येन्द्रनाथ ठाकुर, आई० सी० एस०, के पास अहमदाबाद गए। सत्येन्द्र ठाकुर सबसे पहले भारतीय इंडियन सिविल सर्वेन्ट थे। अहमदाबाद से रवि बाबू योरप गये और लन्दन के यूनिवर्सिटी कालिज में भरती होकर अँगरेज़ी साहित्य का अध्ययन किया। १८८० में बिना कोई पदवी लिए ही आप भारत वापस आगए। २० वर्ष की आयु में आपने अपना प्रथम गीति-नाटक वाल्मीकि-प्रतिभा लिखा और उसके अभिनय में, वाल्मीकि की भूमिका में, मंच पर आये। तभी आपने अपना प्रथम उपन्यास भारतीय लिखा। श्रीमती मृणालिनी देवी के साथ आपका विवाह हुआ। कलकत्ता में कांग्रेस के दूसरे वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया और मंगलाचरण गान किया।

दूसरी बार आप फिर श्रीसत्येन्द्रनाथ के साथ योरप-यात्रा करने गए। फ्रान्स, इटली और इंग्लैण्ड घूमे। वापस आने पर आपने 'साधना' नामक बँगला पत्रिका निकाली। इन्ही दिनों आपने चित्रांगदा नामक नाटक लिखा, जो आपके उत्कृष्ट नाटको में है।

सन् १९०१ में रवि बाबू शान्ति-निकेतन में रहने और वहाँ एक विद्यालय खोलकर बालको को पढ़ाने लगे। इस समय आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। पुरी का अपना मकान तथा पत्नी के सब आभूषण बेच देने पड़े। सन् १९०२ में आपकी पत्नी का स्वर्गवास होगया। तब से आपने अन्त काल तक एकान्त-जीवन व्यतीत किया।*

वङ्गभंग के समय आपका कवि-हृदय काल्पनिक जगत् से परे कर्मक्षेत्र में अवतरित हुआ और अपनी कविताओं तथा लेखमाला द्वारा आन्दोलन में योगदान दिया। अनेक सभाओं में आपने, इस सम्बन्ध में, भाषण दिए। राष्ट्रीय-कोष के लिए आपने जनता से अपील की और ५०,०००) संग्रह किए। इस समय आपने अपने 'गोरा' उपन्यास तथा गीताञ्जलि की रचना आरम्भ की। सन् १९१२ में आपके शान्ति-निकेतन ने एक राष्ट्रीय शिक्षण-संस्था का रूप धारण कर लिया।

इसी वर्ष कविवर ने गीताञ्जलि का अँगरेजी में अनुवाद आरम्भ किया। सन् १९१३ में पुनः इंग्लैण्ड गये। वहाँ के साहित्यिकों तथा कवियों में आपका बड़ा सम्मान हुआ। 'इंडिया सोसाइटी' ने आपकी गीताञ्जलि को प्रकाशित किया। डब्ल्यू० बी० थोट्स ने उसकी प्रस्तावना लिखी। इस पुस्तक की बड़ी सराहना हुई। सितम्बर १९१३ में आप योरप से वापस आये। इसी वर्ष नवम्बर में आपको एक लाख रुपये से अधिक रकम का नोबेल-पुरस्कार आपकी गीताञ्जलि आदि रचनाओं पर मिला। आपकी रचनाओं की संसार में धूम मच गई।

सन् १९१४ में गवर्नमेंट हाउस कलकत्ता में बंगाल के गवर्नर ने विश्व-कवि का सम्मान तथा अभिनन्दन किया। इसी वर्ष महात्मा (तब कर्मवीर) गांधी ने विश्व-भारती शान्ति-निकेतन की यात्रा की। आपकी विश्व प्रशस्ति रचनाओं के कारण सरकार ने आपको 'सर' की उपाधि से विभूषित किया

किन्तु सन् १९१६ के जलियोवाला हत्याकाण्ड के विरोध में आपने उसे त्याग दिया ।

विश्वकवि ने अमरीका की यात्रा की और वहाँ येल यूनिवर्सिटी में 'राष्ट्रीयता' विषय पर व्याख्यान दिये । इसमें आपने चीन के प्रति जापान की अमानुषिक नीति और उसके साम्राज्यवाद की तीव्र आलोचना की ।

सन् १९२१ तथा १९२२ में विश्व-कवि ने भारत-भ्रमण करके जनता को स्वाधीनता का सदेश दिया । सन् १९२४ में आपने चीन और जापान की यात्रा की । सन् १९२५ में आप इटली गये । वहाँ मुसोलिनी ने आपका स्वागत किया । इस प्रकार उनके जीवन का शेष काल विदेशों में भ्रमण, साहित्य-रचना तथा शान्ति-निकेतन के लिये धन-संग्रह में व्यतीत हुआ । सन् १९३० में आपने चित्र-कला का अभ्यास किया । सन् १९३० में आपने विलायत के आक्सफर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान (Hibbert Lectures)

दिये । जर्मनी गए और वहाँ भी व्याख्यान दिए । वहाँ से आप रूस गए और तदनन्तर रूस से अमरीका । सन् १९३१ में आप भारत वापस आए । सन् १९३२ में आपने ईरान की यात्रा की । सन् १९३४ से आप शान्ति-निकेतन में ही रहे । आक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ने आपको डाक्टर (आचार्य) की पदवी (भारत में) प्रदान की । आप पहले व्यक्ति थे जिनको उनके स्थान पर किसी महान् सस्था के प्रतिनिधियों ने आकर पदवी प्रदान की हो । ७ अगस्त १९४१ को आपका स्वर्गवास होगया ।

राइखताग—जर्मन पार्लमेट ।


राइखताग अग्नि-काण्ड—२७ फरवरी १९३३ को राइखताग के भवन भयंकर अग्नि-काण्ड हुआ । ऐसा विश्वास किया जाता है कि जर्मनी में



राष्ट्रीय-समाजवादी (नात्सी) दल के शक्ति-सम्पन्न होने के उपरान्त ही, साम्य-वादियों तथा अन्य विरोधी दलों का दमन करने के लिये, राइखताग में आग लगाने का स्वयं नात्सियों ने षड्यंत्र रचा और प्रचारित यह किया कि इस अग्निकांड का षड्यंत्र कम्युनिस्टों ने, देश में विद्रोहाग्नि भड़काने के लिये, किया है। एक डच युवक, जिसकी जेब में कम्युनिस्ट दल के सदस्य बनाने की बही पाई गई, मौक़े पर पकड़ा गया। इसके साथ तीन बलगारी साम्यवादी भी, राइख के कम्युनिस्ट सदस्य, हर टार्गलर सहित, गिरफ्तार किये गये। घटना के कई महीनों बाद लीपज़िग की आला अदालत में इन पाँचों पर मुक़दमा शुरू किया गया। बलगारी कम्युनिस्ट डिमिट्राफ ने अपनी सफ़ाई में ऐसी ज़बरदस्त बहस की, जो काफी मशहूर हो चुकी है, और जिसके आधार पर अदालत को उसे, उसके दोनों साथियों और हर टार्गलर को भी छोड़ना पड़ा। डिमिट्राफ ने सिद्ध कर दिया कि यह साजिश खुद नात्सियों की है। डच युवक को दोषी ठहराया गया और उसे फाँसी की सज़ा दे दी गई। इस अग्निकांड में राइख के प्रधान गोरिग का हाथ बताया जाता है, जिसके घर से पार्लमेन्ट-भवन तक सुरंग थी। अग्निकांड के बाद इमारत की मरम्मत नहीं की गई है।

राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती—मदरास प्रान्त के कांग्रेस के प्रमुख नेता तथा मदरास सरकार के भूतपूर्व प्रधान मंत्री। जन्म सन् १९७६। मदरास हाईकोर्ट के नामी वकील रहे। सन् १९१६-२० में, असहयोग के समय, वकालत छोड़ दी। आन्दोलन में भाग लिया और कैद हुए। उपरान्त महात्मा गान्धी के कारावास के समय उनके 'यंग इंडिया' पत्र का सम्पादन किया। फ्री मैसनरी थे किन्तु, १९३० के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने के कारण, उन्हें फ्री मैसन सोसायटी ने अलग कर दिया। गान्धीजी और उनकी नीति में राजाजी की अटल श्रद्धा थी, अतएव स्वर्गीय देशबन्धु चितरंजनदास के विरुद्ध गया की कांग्रेस में अपरिवर्तनवादी असहयोगियों के आप नेता बने। सन् १९२६ के कौन्सिल-प्रवेश के समय भी आप अपरिवर्तनवादी थे। १९३७ में आपने मदरास में कांग्रेस-मन्त्रि-मण्डल बनाया और कांग्रेस-दल के प्रमुख होने के कारण प्रधान-मंत्री नियुक्त किये गये। आपने सबसे पहले अपने प्रान्त में शराबबन्दी शुरू की। सन् १९३६ में युद्ध के प्रश्न पर प्रधान-मन्त्रित्व से आप-

की सरकार ने भी त्याग-पत्र दे दिया। सन् १९४० में युद्ध-विरोधी-सत्याग्रह में गिरफ्तार किये गये। सन् १९४२ में पाकिस्तान के प्रश्न पर गान्धीजी से आपका मतभेद होगया और आपने कांग्रेस कार्य-कारिणी समिति से त्यागपत्र दे दिया। इस कारण ६ अगस्त '४२ से देश में शुरू हुए दमन में आप नहीं पकड़े गये। देश में उत्पन्न हुई विकट स्थिति को सुलभाने के लिये आप प्रयत्नशील हैं। आपकी राजनीतिमत्ता की प्रशंसा ब्रतानिया और अमरीका के प्रमुख पत्र और विचारक भी करते हैं, किन्तु आपका अथक प्रयत्न अपने देश में इस समय व्यर्थ जा रहा है। गुल्थी को सुलभाने के लिये महात्मा गान्धी से मिलने की आज्ञा, गत नवम्बर में, आपने वाइसराय से माँगी, किन्तु वह अस्वीकृत हुई। भारतीय पहेली के निपटारे के लिये आपने मि० जिन्ना से भी व्यर्थ भेट की।



रॉजर-मिशन—अक्टूबर १९४० में, ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल की ओर से, सर अलेक्जेंडर रॉजर की अध्यक्षता में, एक सभ्य-मण्डल भारत में पूर्वी राष्ट्र-सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिये, भेजा गया। इस मिशन का सामान्य उद्देश्य भारत को इस योग्य बनाना था कि वह अपनी रक्षा के लिये न केवल आवश्यक वस्तुओं का निर्माण कर सके प्रत्युत् इससे भी अधिक वह साम्राज्य की रक्षा में अधिक योगदान देसके। वह विशेष रूप से मध्य-पूर्व तथा स्वेज नहर में सेनाओं के लिये उपयुक्त रसद तथा अन्य युद्ध-सामग्री भेज सके। इस उद्देश्य से इस मिशन के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों ने बम्बई, मदरास, बंगाल, संयुक्त-प्रान्त, बिहार तथा मध्य-प्रदेश आदि प्रान्तों में युद्ध बनाने वाले कारखानों का निरीक्षण किया और इसका पता लगाया कि भारत के कारखानों में कितने प्रकार के अस्त्र-शस्त्र किस प्रकार बनाये जाते और बनाये जा सकते हैं, और इस व्यवसाय का सगठन किस प्रकार किया गया है।

राजेन्द्रप्रसाद, डाक्टर—भारतीय नेता, जन्म ३ दिसम्बर १८८४ ई०।

मैट्रिक, बी० ए० और एम० ए० की परीक्षाओं में आप समस्त विद्यार्थी-समुदाय में सर्वोच्च आये। १९०६ में बी० ए० और '०७ में एम० ए० पास करने के बाद राजेन्द्र बाबू मुज़फ़्फ़रपुर कालिज में अँगरेज़ी के अध्यापक हुए और दूसरे वर्ष कलकत्ता सिटी कालिज में अर्थशास्त्र के अध्यापक। १९१५ में उन्होंने कानून की एलएल० एम० परीक्षा सर्वोच्च कोटि में उत्तीर्ण की। इसके बाद कानून के अध्यापक बनाये गये। १९१६ में, पटना में हाईकोर्ट की स्थापना होने पर, राजेन्द्र बाबू ने पटना में वकालत शुरू की जो, आपकी प्रतिभा के कारण, शीघ्र ही चमक निकली। आप जन्मजात देशभक्त और समाजसेवी हैं। आपकी प्रतिभा से प्रभावित होकर स्वर्गीय गोखले ने आपको भारत-सेवक समिति में सम्मिलित होने के लिये बुलाया, किन्तु आपके द्वारा तो देश की और भी अधिक सेवा होनी थी। १९१७ में जब महात्मा गान्धी, चम्पारन के किसानों के उद्धार के लिये, पहुँचे तो राजेन्द्र बाबू ने महात्माजी का बहुत हाथ बँटाया। १९२१ के असहयोग में आपने वकालत छोड़ दी। सबसे प्रथम १९०६ की कांग्रेस में आप सम्मिलित हुए और १९१६ से तो आप उसका एक अंग हैं। १९२२ में कांग्रेस के प्रधान मन्त्री बनाये गये और १९२३ में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अध्यक्ष। सन् १९२१, १९३१ और १९३२ के आन्दोलनों में भाग लिया और अनेक बार जेल गये। १९३० में, एक मुक़दमे के सिलसिले में, आपको विलायत जाना पडा। वहाँ से आप योरप की अन्य राजधानियों में भी गये और उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि की हैसियत से अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध-विरोधी सम्मेलन में भाग लिया। वहाँ आपका मार्के का भाषण हुआ। आस्ट्रिया में एक फ़ासिस्त ने आप पर घातक आक्रमण किया, किन्तु ईश्वर ने आपकी रक्षा की। सन् १९३४ में, भूकम्प-पीडित बिहार की आपने भारी सेवा की। सन् १९३४ में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के सभापति बनाये गये। आप पहले प्रेसिडेन्ट थे जिन्होंने, अपने पद के कारण देश, का दौरा किया। कांग्रेस पार्ल-मेटरी कमिटी के भी आप सदस्य रहे। मई १९३६ में सुभाष बाबू के त्यागपत्र दे देने पर राजेन्द्र बाबू शेष काल में राष्ट्रपति रहे। राजेन्द्र बाबू बिहार के गान्धी हैं। अपने प्रान्त में उन्होंने राजनीतिक, साहित्यिक, शिक्षा और खादी प्रसार तथा अन्य समाजसेवी क्षेत्रों में चहुँमुखी विकास किया है। निरन्तर देश-

सेवा में सलग्न रहने के कारण उन्हें दमा होगया है। इसी कारण १९४० के युद्ध-विरोधी सत्याग्रह में महात्माजी ने उन्हें जेल जाने की अनुमति नहीं दी। 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव के बाद, अगस्त १९४२ में, आप भी पकड़ लिये गये हैं।



रावर्ट ले, डाक्टर—नाजी नेता, 'जर्मन-मजदूर-मोर्चे' का अध्यक्ष। यह मोर्चा जर्मनी में सभी प्रकार के—वैतनिक और दैनिक श्रमजीवी—मजदूरों की एकमात्र अनिवार्य संस्था है, जो ट्रेड यूनियनों को तोड़कर बनाई गई है। यह मोर्चा मजदूरों

के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसका लक्ष्य है मजदूरों का नास्तीकरण और उन्हें वेतन-वृद्धि तथा अन्य अधिकारों की प्राप्ति के लिये हड़ताल आदि करने से रोकना। फलतः मालिकों और राज-संस्था की हितवृद्धि करना। इस मोर्चे के सदस्यों से चन्दे की ५० करोड़ मार्क सालाना आमदनी होती है, किन्तु इसके आय-व्यय का कोई लेखा प्रकाशित नहीं किया जाता। सम्भवतः यह धन नास्ती-दल के संचालन और सरकारी कोष में जाता है।

रॉयल डच-शैल—तेल का व्यवसाय करनेवाली संसार में सबसे बड़ी कम्पनी। इसके नियंत्रण में ससार भर के एक-चौथाई तेल की पैदावार का व्यापार इसके द्वारा होता है। इसके अधीन अनेक तेल-कम्पनियाँ हैं जो ईस्ट इंडीज़, अमरीका, इराक, मिस्र, रूमानिया, ट्रिनीडाड, ब्रह्मा, वेनेज्युला में तेल निकालती हैं।

राष्ट्र-संघ—वर्साई की संधि के अनुसार, १९२० में, संसार के राष्ट्रों में परस्पर सहकारिता की वृद्धि तथा युद्धावरोध के उद्देश्य से, राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य कार्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैण्ड) में स्थापित किया गया था। तत्कालीन अमरीकन राष्ट्रपति विल्सन के चौदह सिद्धान्तों में से अन्तिम सिद्धान्त यह था कि संसार के राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा के लिये

समस्त राष्ट्रों की एक सभा स्थापित की जाय । किन्तु संयुक्त-राज्य अमरीका की कांग्रेस ने वर्साई की सधि को स्वीकार नहीं किया और न उसने राष्ट्रसंघ की सदस्यता ही स्वीकार की ।

राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत दो सभाये थीं—असेम्बली तथा कौंसिल । प्रत्येक स्वाधीन देश को इसमें अपने सदस्य भेजने का अधिकार था । असेम्बली में राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों के प्रतिनिधि होते थे और प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र की एक वोट थी । ५४ राष्ट्रों के प्रतिनिधि असेम्बली में थे । कौंसिल एक प्रकार की कार्यकारिणी सभा थी । इसमें १५ सदस्य थे । ब्रतानिया, फ्रान्स और रूस कौंसिल के स्थायी सदस्य थे, शेष चुने जाते थे । असेम्बली का अधिवेशन प्रतिवर्ष सितम्बर में जिनेवा में होता था और कौंसिल के साल में तीन अधिवेशन होने तय किये गये थे । राष्ट्रसंघ का एक स्थायी प्रधान कार्यालय भी जिनेवा में था, जिसमें ससार के प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र के कर्मचारी तथा अफसर थे । राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ तथा स्थायी विश्व न्यायालय की भी व्यवस्था थी । इसके विधान के अनुसार कोई भी सदस्य राष्ट्र, अन्य राष्ट्र के साथ विषम परिस्थिति उत्पन्न होने पर, बिना संघ के समक्ष अपना मामला पेश किये, युद्ध नहीं छेड़ सकता था । यदि संघ ६ महीने की भीतर निर्णय न कर पावे तो उसके भी तीन महीने बाद वह राष्ट्र युद्ध-रत हो सकता था ।

अमरीका के सम्मिलित न होने, ढीले-ढाले सगठन और स्वयं अपनी शासक-शक्ति के अभाव के कारण संघ का कार्य प्रारम्भ से ही ठीक तौर पर नहीं चल सका । इसके सदस्य राष्ट्रसंघ के नाम पर अपने राज्य या साम्राज्य का कुछ भी त्याग करने से पीछे रहे । विगत युद्ध में पैदा हुई विजित और विजेताओं के बीच की खाई को संघ पाट न सका । १९२५ में जब जर्मनी राष्ट्रसंघ में सम्मिलित हुआ तो कुछ अच्छे लक्षण दिखाई पड़े, किन्तु हिटलर के उदय पर, १९३३ में, वह संघ को छोड़ गया । जर्मन राष्ट्र-संघ को सदैव मित्र-राष्ट्रों का एक गुट कहते रहे ।

सन् १९३२ में जापान ने चीन के मन्चूरिया प्रान्त का अपहरण कर लिया, किन्तु, चीन के अपील करने पर और राष्ट्र-संघ द्वारा जापान को आक्रमक घोषित किये जाने पर भी, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई और जापान संघ

को छोड़ बैठा । १९३४ में सोवियत रूस के राष्ट्र-संघ में आजाने पर जर्मनी और जापान के निकल जाने की क्षति-पूर्ति होजाने पर सन्तोष किया गया, किन्तु सन् १९३५ में इटली ने अवीसीनिया पर आक्रमण कर दिया । आरम्भ में अवीसीनिया की कोई सहायता नहीं की गई । अन्त में जब अवीसीनिया पर इटली का पूरा आधिपत्य कायम होगया, तब, इटली के विरुद्ध केवल आर्थिक दण्डाज्ञायें जारी की गईं और बाद में वह भी रोक दी गईं, और इटली भी संघ से पृथक् होगया । इससे तो राष्ट्र-संघ की रही-सही प्रतिष्ठा भी भग होगई, राष्ट्रों का उस पर से विश्वास उठ गया और वह पुनः पारस्परिक समझोते और गुटबन्धियों के पुराने सिद्धान्त के अनुयायी बन गये । सन् १९३६ में स्पेन के गृह-युद्ध में इटली तथा जर्मनी ने विद्रोहियों की मदद की, परन्तु राष्ट्रसंघ कुछ भी न कर सका । सन् १९३८ में आस्ट्रिया तथा चैकोस्लोवाकिया की स्वाधीनता का जर्मनी ने अपहरण किया और राष्ट्रसंघ ने चूँ तक न की । इसी प्रकार, मितम्बर १९३९ में, जर्मनी के पोलैण्ड पर आक्रमण करने पर राष्ट्रसंघ में इस पर विचार तक नहीं किया गया । अलबत्ता सोवियत रूस ने जब पोलैण्ड पर हमला किया तो, ११ दिसम्बर १९३९ को, संघ की असेम्बली की बैठक की गई, रूस की निन्दा की गई और उसे संघ से पृथक् कर दिया गया ।

राष्ट्रसंघ का अब अन्त हो चुका है । जुलाई १९४० में उसके कुछ दफ्तर भी जिनेवा से उठकर न्यूयार्क चले गये हैं । राष्ट्रसंघ की नियमावली में २६ धाराएँ थीं ।

राष्ट्रसंघ-यूनियन—यह ब्रिटेन की एक सस्था है । सन् १९१८ में लीग ऑफ नेशन्स सोसाइटी तथा लीग ऑफ फ्री नेशन्स असोसियेशन को सम्मिलित कर इसकी स्थापना हुई । सन् १९३६ में ग्रेटब्रिटेन में इसकी २,४०० शाखायें तथा २,००,००० इसके सदस्य थे । इस सस्था का उद्देश्य राष्ट्रसंघ की स्थापना के लिये जनता में तत्सम्बन्धी शिक्षा तथा सहानुभूति पैदा करना था और इसी के प्रयास से राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई । सद्भावना, सहयोग, तथा विविध देशों की जनता के साथ सद्व्यवहार द्वारा पारस्परिक सामंजस्य पैदा करना तथा राष्ट्रसंघ का समर्थन करना भी इसका उद्देश था । वर्तमान समय में इसके दो सयुक्त अध्यक्ष हैं—लार्ड सैसिल तथा डा० गिल्बर्ट मरे । बर्तानी साम्राज्य देशों, फ्रान्स, अमरीका तथा अन्य बीस देशों में भी ऐसी सस्थाएँ थीं और

इन सबकी एक सामूहिक सस्था 'इन्टरनेशनल फेडरेशन आफ् लीग आफ् नेशन्स सोसाइटीज़' नाम से है ।

राष्ट्रीय उदार दल—ब्रिटेन के उदार दल का एक अंग । १९३३ में लिबरलो ने जब राष्ट्रीय सरकार का परत्याग कर दिया, तब उन्होंने उदार-दल से अलग होकर राष्ट्रीय उदार दल बनाया । इस दल का अनुदार दल से सहयोग है और इस दल के सदस्यों की तथा अनुदारों की नीति में कोई अन्तर नहीं है । सन् १९३५ के चुनाव में इस दल को ८,६६,००० मत मले तथा इस दल के ३३ सदस्य कामन्स सभा में पहुँच गये । इस दल के प्रमुख सदस्य हैं—लार्ड साइमन, लार्ड रन्सीमन, एल० होर-बलीशा तथा लार्ड मान्टरोज़ । यह सब सरकारी पक्ष के राजनीतिज्ञ हैं ।

राष्ट्रीय मजदूर-दल—यह ब्रिटेन के मजदूर दल का एक पुछल्ला है । १९३१ में रेमज़े मेकडानल्ड ने, मजदूर-दल की नीति के विपरीत, राष्ट्रीय सरकार बनाई, तब उन्होंने एक पृथक् दल इस नाम से स्थापित किया । यह दल अनुदार-दल के सहयोग से काम करता है । इसका नरम मजदूर-कार्यक्रम है । कॉमन्स-सभा में इस दल के ८ सदस्य हैं । सन् १९३५ के चुनाव में इस दल को ३,४०,००० मत प्राप्त हुए । इस दल में माल्कम मेकडानल्ड, अर्ल द ला वार, हेराल्ड निकल्सन तथा स्टीफिन किंग-हाल शामिल हैं ।

राष्ट्रीय मजदूर-सम्बन्ध बोर्ड—सयुक्त-राज्य अमरीका में मजदूरों के भगडों का निर्णय करनेवाली सर्वोच्च सस्था ।

राष्ट्रीय समाजवाद—हिटलर द्वारा संस्थापित तथा संचालित, जर्मनी का राष्ट्रीय आन्दोलन जो नात्सीवाद के नाम से प्रसिद्ध है । जर्मनी में राष्ट्रीय समाजवाद का आरम्भ १९१२ से हुआ, जबकि कार्ल्सवाद में जर्मन 'नेशनल सोशलिस्ट लेबर पार्टी' की स्थापना सुडेन-जर्मनो ने की । वीयना में इसकी शाखा स्थापित की गई, पर वह नहीं चली । हिटलर का इस प्राथमिक सस्था से सम्बन्ध था, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता । हिटलर की संस्था या दल की स्थापना, सन् १९१९ में, बवेरिया के म्युनिख नगर में, डूक्सलर नामक एक जर्मन मजदूर ने की, जिसका नाम जर्मन लेबर पार्टी रखा गया । आरम्भ में वह एक बहुत ही छोटी भोजन-द्वय-जैसी संस्था थी । जब हिटलर

इसमें शामिल हुआ तब इसके सिर्फ ६ सदस्य थे। सातवाँ द्वितलर था, जहाँ इस दल का नेता बन गया। उसने इसका नाम बदलकर 'राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल' रख दिया और कुछ दिनों तक प्रचार करके इसे काफी बड़ा बना दिया। सस्थापक डूक्सलर को दल से निकाल दिया गया। म्युनिख, वीयना तथा कार्ल्सवाद के राष्ट्रीय समाजवादी दलों की एक विराट सभा, २४ फरवरी १९२० को, म्युनिख में हुई, किन्तु तीनों में तत्काल एकता स्थापित न हो सकी। उसी वर्ष एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जिसमें नीचे लिखे २५ उद्देश्य थे: -

(१) समस्त जर्मनों को मिलाकर एक महान् जर्मन राष्ट्र बनाया जाय। (२) वर्साई की सधि रद्द की जाय। (३) अन्न की पैदावार के लिये भूमि तथा बढ़ती हुई जन-संख्या के लिये उपनिवेश। (४) जर्मन रक्तवाले जन ही राष्ट्र के नागरिक हैं, यहूदी नहीं। (५) जो जर्मन-राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, वे विदेशी हैं। (६) सरकारी पदों की नियुक्ति करने समय दल का विचार छोड़कर केवल सुयोग्य तथा चरित्रवान् ही नियुक्त किए जायें। (७) राज्य को नागरिकों की सुख-सुविधा की व्यवस्था करने चाहिये। (८) विदेशियों को जर्मनी से निकाल दिया जाय, गैर-जर्मनों को जर्मनी में न बसने दिया जाय। (९) स्वतंत्रों तथा कर्त्तव्यों की दृष्टि से नागरिक समान हैं। (१०) प्रत्येक नागरिक की सार्वजनिक हित की दृष्टि से काम करना चाहिये। (११) बिना काम किये होनेवाली आमदनी को उन्मूलन कर दिया जाय। (१२) युद्ध के समय जो मुनाफा लोगों ने उठाया है, उसे जब्त कर लिया जाय। (१३) कम्पनियों तथा ट्रस्टों को राष्ट्रीयकरण हो। (१४) थोक-व्यापार का लाभ विभाजित कर दिया जाय। (१५) वृद्धावस्था में पेन्शन तथा सामाजिक बीमा शुरू हो। (१६) छोटे-छोटे व्यापारियों की रक्षा की जाय, सरकारी सीगों के गोदाम बन्द किये जायें। (१७) राष्ट्रीय काम के लिये भूमि जब्त की जा सके तथा भूमि-ऋण पर से ब्याज बन्द कर दी जाय। (१८) राष्ट्र के विरुद्ध अपराधियों को देश निकाला दे दिया जाय, सूदखोरों और मुनाफाखोरों को मृत्यु-दण्ड दिया जाय। (१९) जर्मनी में रोमन-कानून की जगह जर्मन-कानून का प्रचलन

किया जाय । (२०) शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय और उसे अधिक व्यापक, राष्ट्रीय तथा व्यावहारिक बनाया जाय । (२१) राष्ट्र के स्वास्थ्य को उन्नत किया जाय । (२२) सेना में भर्ती होना अनिवार्य हो । (२३) जर्मन समाचार-पत्रों को प्रोत्साहन दिया जाय तथा गैर-जर्मन-पत्रों को जर्मन किसी प्रकार की सहायता न दे । (२४) राष्ट्र-रक्षा का विचार रखते हुए सबको धार्मिक स्वाधीनता हो । (२५) राष्ट्र में एक प्रबल केन्द्रिय सत्ता स्थापित की जाय । इस कार्य-क्रम में समाजवादी तथा राष्ट्रीय दोनों उप-करणों का सम्मिश्रण है । सन् १९३३ में जब हिटलर जर्मनी का शासक बना तो उसने समाजवादी कार्य-क्रम को त्यागकर राष्ट्रीय कार्य-क्रम को पूरा करने का प्रयत्न किया । यद्यपि पूँजीवाद नहीं रहा है, तथापि हिटलर के शासन में व्यक्तिगत-सम्पत्ति ज्यों की त्यों सुरक्षित रही है । सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया और न बड़े-बड़े पूँजीपतियों या व्यापारियों का नाश किया गया है । अलबत्ता आर्थिक-शासन राज्य के हाथों में चला गया है, और सरकारी कर्मचारी पैदावार का नियंत्रण करते हैं । बेकारी-निवारण, शस्त्रीकरण और युद्धोद्योगों में तीव्रता के साथ प्रगति करने के विचार से ही आर्थिक कार्यक्रम को सरकार ने अपने अधीन किया है, समाजवादी विचार से प्रेरित होकर नहीं ।

जर्मनी में केवल नात्सीदल ही अकेला राजनीतिक दल है । हिटलर इस दल का नेता है । उसीके हाथ में समस्त सत्ता है । उपनेताओं की नियुक्ति भी वही करता है । दल की नीति के संचालन में दल के सदस्यों को कोई अधिकार नहीं है । वे केवल अनुशासन का पालन करते हैं । दल के तीस लाख सदस्य हैं । दल के अतिरिक्त कुछ अन्य पूरक-सहायक संस्थाएँ भी हैं, जिनका संगठन अनिवार्य है, जैसे जर्मन मज़दूर-मोर्चा (German Labour Front) जिसमें रोज़नदारी और तनख़ाहदार सभी प्रकार के मज़दूरों का सदस्य होना अनिवार्य है । इसी प्रकार हिटलर युवक सस्था में सब जर्मन युवकों का भर्ती होना अनिवार्य है । दल की अपनी पैदल, मोटर सवार और हवाई सेनाएँ हैं । नूरेम्बर्ग में दल का सालाना अधिवेशन होता है । दल के संगठन में करोड़ों मार्क (जर्मन सिक्का) खर्च किये जाते हैं, परंतु उनका हिसाब कभी प्रकाशित नहीं किया गया । दल का आधार मध्यम वर्ग

पर स्थित है । बड़े-बड़े उद्योग धन्धों और आर्थिक-संकट से उनकी रक्षा का वचन नात्सी लोगों ने दिया था । इनकी रक्षा के लिये जो कुछ किया गया वह यह कि छोटे-छोटे धन्धे बन्द करा दिये गये और उनके मालिकों को मज़दूर बनाकर कारखानों में भेज दिया गया । बड़े-बड़े उद्योग ज्यों-ज्यों बरकरार हैं ।

नात्सी दल में उग्र राष्ट्रीयता तथा जातीयता का मूल प्रचार है । जर्मन अपने को आर्य जाति मानते हैं । दल के प्रत्येक सदस्य को प्रमाणित करना पड़ता है कि उसके वंश में सन् १८०० से अबतक कोई पूर्वज यहूदी नहीं था । “यहूदियों से उत्पन्न” और गैर-जर्मन बताकर ईसाइयत का भी वहाँ अपमान किया जाता है । उसके स्थान में पुरातन द्यूटोनिक देवताओं की पूजा भले ही कोई जर्मन करे । दल का सगठन फौजी ढंग से किया गया है, मानवता तथा प्रजातंत्र का मजाक उड़ाया जाता है और भौतिक बल, रक्तपात और युद्ध की प्रशंसा की जाती है । सक्षेपतः दल का कार्यक्रम हिटलर की लिखी हुई ससार-प्रसिद्ध पुस्तक *Mein Kampf* (‘माईन काम्फ’—‘मेरा सघर्ष’) पुस्तक में वर्णित कार्यक्रम के आधार पर है । हिटलर के सहयोगी नेताओं में गोरिंग्, गोबल्स, फ्रिक, रोजनबर्ग, ले, रिबनट्राप, हिमलर और स्ट्रैशर उल्लेखनीय हैं । सन् १९३३ से पूर्व यह सभी गरीबी की दशा में दिन काटते थे, परन्तु आज वह जर्मनी के भाग्य-विधाता हैं और करोड़ों की सम्पत्ति के स्वामी ।

राहुल सांकृत्यायन—महापंडित, त्रिपिटकाचार्य, जन्मभूमि बिहार, अवस्था ४५ वर्ष, साम्यवादी विद्वान् लेखक, नेता तथा बिहारो किसान-आन्दोलन के संचालक, बौद्ध प्रचारक, बाल्यकाल का नाम दामोदर । तिब्बत, लका आदि स्थानों में अध्वसायपूर्वक अनेक ग्रन्थों का अन्वेषण किया । ईरान, तिब्बत, रूस आदि की यात्रा की । चीनी, अरबी, फारसी, संस्कृत, तिब्बती, हिन्दी, पाली एवं प्राकृत भाषाओं के पंडित । आपने हिन्दी तथा पाली भाषा में अनेक बौद्ध तथा साम्यवादी ग्रन्थों की रचना की है, जिनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—साम्यवाद ही क्यों, तिब्बत में सवा वर्ष, विनयपिटक, अभिधर्म कोष, वादन्याय, सोवियत् रूस आदि । रूस में रहते समय राहुलजी ने वहाँ की एक महिला को अपनी जीवन-सगिनी बनाया था ।

एक पुत्र भी दोनो से है। मा बेटा दोनों रूस में ही है। सन् १९४०-४१ में देशव्यापी दमन के समय आपको भी पकड़कर देवली कैम्प-जेल भेज दिया था, जहाँ समस्त भारत के समाजवादी और साम्यवादी रखे गये थे। सन् १९४२ के शुरू में जब सरकार और साम्यवादियों के बीच समझौता हुआ, तब सबके साथ आप भी रिहा कर दिये। आप गांधीवाद के विरोधी तथा किसान-नेता थे, और अब अगुआ कम्युनिस्टों में माने जाते हैं।

रिज़र्व बैंक आफ् इंडिया—सन् १९३४ में भारतीय व्यवस्थापिका सभा ने रिज़र्व बैंक आफ् इंडिया कानून स्वीकार किया, जिसके अनुसार १, अप्रैल १९३५ को, भारत में रिज़र्व बैंक की स्थापना की गई, जिसकी पूँजी ५ करोड़ रुपया है। इस बैंक के महत्वपूर्ण कार्य और अधिकार कानून द्वारा निर्धारित हैं, जो इस प्रकार हैं:—(१) भारत में नोट तथा सिक्के जारी करना। (२) भारत सरकार तथा भारत के समस्त बैंकों का रिज़र्व बैंक महाजन है। (३) देश की आर्थिक अवस्था की रक्षा करना तथा बैंकिंग और आर्थिक उन्नति के कार्य में मार्ग-प्रदर्शन करना। (४) रुपये की विनिमय-दर स्थिर करना। (इस समय का दर है १ रुपया = १ शिलिंग ६ पैसे)। (५) प्रत्येक बैंक को, जो रिज़र्व बैंक की परिशिष्टि में दर्ज है, एक निश्चित मात्रा में इस बैंक में अमानत जमा रखनी होगी। (६) बैंक की शर्ह निश्चित करना। (७) यह बैंक एक विशेष कृषि-साख विभाग स्थापित करेगी। (८) यह बैंक आगे चलकर इम्पीरियल बैंक का कुल सरकारी काम करेगी। जहाँ इसकी शाखा न होगी, वहाँ इम्पीरियल बैंक काम करेगी। इस बैंक के बम्बई, कलकत्ता, देहली, मदरास में कार्यालय हैं। रंगून में भी कार्यालय था।

इसका प्रबंध डाइरेक्टरों के केन्द्रिय बोर्ड के हाथ में है, जिसका संगठन इस प्रकार है:—(१) बोर्ड की सिफारिश से सपरिषद् गवर्नर-जनरल बैंक के गवर्नर तथा दो डिप्टी गवर्नरों की नियुक्ति करेगा। (२) सपरिषद् गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त चार डाइरेक्टर। (३) हिस्सेदारों द्वारा निर्वाचित आठ डाइरेक्टर। (४) गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त एक सरकारी अफसर। डिप्टी गवर्नरों तथा मनोनीत सरकारी अफसरों को मत

देने का अधिकार न होगा। उपर्युक्त पाँच नगरों में स्थानीय बोर्ड आक्र-
डाइरेक्टर्स होंगे।

प्रत्येक स्थानीय बोर्ड के पाँच डाइरेक्टरों को हिस्सेदार चुनेंगे तथा तीन
डाइरेक्टरों की नियुक्ति केन्द्रिय बोर्ड द्वारा की जायगी। केन्द्रिय बोर्ड के
डाइरेक्टरों का चुनाव स्थानीय बोर्डों के निर्वाचित सदस्य करेंगे।

रिनौ (Reynaud), पॉल—फ्रान्स का भूतपूर्व प्रधान-मंत्री-
१५ अक्टूबर १८७८ को पैदा हुआ; शिक्षा प्राप्त करने के बाद पैरिस की
अदालत में वकालत का पेशा किया; पिछली लड़ाई में लड़ा; रूसी राज-
क्रान्ति के समय नौ-सेनापति कोलचक की सेना में साइबेरिया में रहा;
सन् १९२५ और १९२८ में फ्रान्सीसी पार्लियामेंट का सदस्य रहा। फ्लेदिन के
दक्षिणपथी नरम-क्रातिवादी दल में शामिल हुआ और, सन् १९३० के बाद,
वह फ्लेदिन और तारखू के मन्त्रिमंडलों में कई बार न्याय-विभाग, अर्थ-
विभाग, तथा उपनिवेश विभाग का मंत्री रहा। अप्रैल १९३८ में मार्च १९४०
तक दलादिये की सरकार में अर्थमंत्री रहा। फ्रांस की आर्थिक स्थिति में,
नये-नये कर लगाकर तथा सरकारी सड़क-भवन-निर्माण संबंधी कार्यों में कमी
करके, सुधार किया। वह अधिनायकों को संतुष्ट करने की नीति का सदैव
विरोधी रहा। म्युनिच-समझौते के बाद
उसका फ्लेदिन और दलादिये से, इस
संबंध में, तीव्र मतभेद हुआ। मन्त्रि-
मंडल से अलग होगया और लडाई
में जमकर मुकाबला करने के लिये
ज़ोरों का प्रचार करता रहा। जनता
ने उसकी दाद दी। दलादिये-सरकार
के त्याग-पत्र देने के बाद, २३ मार्च
१९४० को, रिनौ फ्रांस का प्रधान-
मंत्री बना और जर्मनी के विरुद्ध ज़ोरों
का युद्ध-संचालन जारी रखा। किंतु,
५१ ४० में, फ्रांस की पराजय के



बाद, पेटों-दल ने इसकी सरकार को उखाड़ फेंका। पीछे कई तरह की अफवाहें उड़ी कि रिनौ मार दिया गया, मोटर की टक्कर में मर गया, यह भी कि पेटों-सरकार ने उसे बंदी बना लिया है।

रिवनट्राप, जोशिम वान—नात्सी जर्मनी का परराष्ट्र-सचिव; जन्म सन् १८८६, विगत विश्व-युद्ध (१९१४-१८) में गुप्तचर का काम किया। युद्ध के बाद शराब बेचने का एजेंट होगया। इस सम्बन्ध में घूमते हुए, 'शेम्पेन'-नामक अग्रणी शराब बनानेवाली हेकल फर्म से, कोलन में, उसका परिचय होगया। फर्म के स्वामी की पुत्री से उसने विवाह किया। सन् १९३२ में वह नात्सी-दल में शामिल हुआ। जल्दी तरक्की कर गया और, हिटलर के उदय के समय, उसने सरकारी परराष्ट्र-विभाग के मुक़ावले में, हिटलर की ओर से, एक दूसरा परराष्ट्र-विभाग कायम किया। (सरकारी परराष्ट्र-मन्त्री तब वैरन न्यूरथ था), दल के कार्य-क्रम को कार्यान्वित करने के लिये साहसपूर्वक अग्रसर रहा। लन्दन में राजदूत मुक़र्रर किया गया। बरतानी सरकारी क्षेत्रों में वह नात्सी प्रकार से अभिवादन और व्यवहार करता रहा। जब जर्मनी का शासन-भार हिटलर के हाथ में आगया तब, सन् १९३७ में, वह परराष्ट्र-सचिव बनाया गया।



रुज़वैल्ट, फ्रेकलिन डिलानो—सयुक्त-राज्य अमरीका के राष्ट्रपति; ३० जनवरी १८८२ को न्यूयार्क में, डच-वंश में, जो १६४६ में अमरीका में आ बसा था, जन्म हुआ। डिलानो इनकी माता का नाम है। अमरीका के पुरातन राष्ट्रपति थियोडोर रुज़वैल्ट के वंश में आयाका दूर का सम्बन्ध है। रुज़वैल्ट १९०४ में हार्वर्ट विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुए तथा कोलम्बिया का कालिज से १९०७ में कानून की सनट हासिल की। सन् १९१० में, प्रजा-

तन्त्रवादी दल की ओर से, न्यूयार्क स्टेट् सीनेट के सदस्य चुने गये। सन् १९१२ में उन्होंने बुडरो विल्सन की उम्मेदवारी का समर्थन किया और, उनके राष्ट्रपतित्व-काल में, वह नौ-सेना-विभाग के उपमंत्री बनाये गये। सन् १९१८ में उन्हें सैन्य-निरीक्षण के लिये योरप भेजा गया और १९१९ में अमरीकी फौजों के तोड़े जाने का काम सौंपा गया। १९२० में उप-राष्ट्रपति के पद के लिये खड़े हुये, किन्तु असफल रहे। इसके बाद सन् १९२८ तक वह न्यूयार्क में वकालत करते रहे। इन्हीं दिनों एक व्यवसायी कम्पनी के उपप्रधान भी रहे। सन् १९२१ में इनकी टॉगो को लकवा मार गया, किन्तु इनका उत्साह भग नहीं हुआ और राजनीति में भाग लेते रहे। सन् १९२८ और १९३० में दो बार न्यूयार्क के गवर्नर चुने गये। सन् १९३२ में वह सयुक्त-राज्य अमरीका के राष्ट्रपति चुने गये और ४ मार्च १९३३ को उन्होंने अपना पद ग्रहण किया। नवीन योजना (New Deal) द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक सुधार के अनेक काम किये। सन् १९३६ में वह फिर अमरीका के राष्ट्रपति चुने गये और नवम्बर १९४० में तीसरी बार भी। इस तीसरे चुनाव में आपके प्रतिद्वन्द्वी प्रजातन्त्रवादी उम्मीदवार, वैण्डल विल्की, के मुकाबले आपको ४६,१४,७१८ मत मिले। राष्ट्रपति विल्सन के बाद आपको ही इतने अधिक मत प्राप्त हुए।

राष्ट्रपति रूजवैल्ट ने अमरीका की सीनेट तथा प्रतिनिधि-सभा में, १० जनवरी १९४१ को, युद्ध-सहायक मसविदा (बिल) प्रस्तुत कराया। इस मसविदे में पाँच प्रमुख बातें हैं:—

(१) मसविदा राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकार तथा देश के लिये, जिसकी रक्षा करना, उसकी सम्मति में, सयुक्त-राज्य अमरीका की रक्षा के लिये आवश्यक है, अमरीका के कारखाने आदि में कोई भी सामान तैयार कराये।

(२) राष्ट्रपति ऐसी किसी सरकार या देश को सेना तथा देश-रक्षा के लिये किसी भी वस्तु को बेच सकेगा और उधार या पट्टे पर दे सकेगा।

(३) राष्ट्रपति देश-रक्षा के लिये किसी भी ऐसी आवश्यक वस्तु की जाँच, परीक्षा तथा निरीक्षण कर सकेगा।

(४) दूसरी धारा के अन्तर्गत भेजी गई किसी भी वस्तु के सम्बन्ध में वह

उस सरकार को आवश्यक रत्ना-सम्बन्धी सूचना भेज सकेगा ।

(५) वह ऐसी किसी सरकार के लिये किसी रत्ना-सम्बन्धी वस्तु के भेजे जाने के लिये आज्ञा दे सकेगा ।

इस मसविदे का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन तथा दूसरे मित्रराष्ट्रो की सहायता करना है । यह बिल अमरीका की कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया तथा इसके कार्यान्वित करने के लिये १ अरब ७५ करोड डालर स्वीकार किये गये ।

रूमानिया—बल्कान-राष्ट्र-समूह का एक देश; क्षेत्रफल १,१३,००० वर्गमील;

जन० १,६५,००,०००, राजधानी बुवारेस्त; राजा माइकेल प्रथम । रूमानिया के पुराने राज्य मे ट्रान्सिलवेनिया (हंगरी से), बुकोविना (आस्ट्रिया से) तथा बैसरेविया (रूस) से, पिछले विश्व-युद्ध के बाद, मिलाये गये । १६२७ मे राजा फर्डिनेन्ड की मृत्यु के बाद, उसका नाबालिग पौत्र, माइकेल, राजा घोषित किया गया और रूमानिया के तत्कालीन प्रभावशाली राजनीतिज्ञ, इग्रोन ब्रातिथ्रानू, ने युवराज कैरोल से, उसके एक यहूदी महिला, मादाम लेपेस्कू, से सम्बन्धित होने के कारण, दस्तख्तदारी लिखाली । ब्रातिथ्रानू भी १६२७ ई० में मर गया और प्रजातन्त्री कृष्ण-दल के नेता मेन्यू के हाथ जब प्रधान मन्त्रिपद आया, तो उसने कैरोल को वापस बुला लिया । कैरोल द्वादशाह वन बेटा, पर मेन्यू को मुस्तैफी होना पडा । इसके बाद, देश के अनेक राजनीतिक दलों के पारस्परिक संघर्ष के कारण, रूमानिया का राजनीतिक वातावरण बहुत अशांत रहा । इन्ही दिनों नाल्सी-प्रतिकरण में लौह-रक्त (आयरन गार्ड) नामक एक दल उत्पन्न हो चुका था । देश की राजनीति में यह लोग प्रबल हस्तक्षेप कर रहे थे । राजा कैरोल ने 'नेशनल क्रिश्चियन फ्रन्ट' दल के नेता गोगा को—यद्यपि इसके दल को केवल ६ फीसदी मत चुनाव में मिले




थे—मन्मिण्डल बनाने के लिये आमन्त्रित किया। गोगा ने सरकार बनाई, किन्तु पार्लमेन्ट बरगवास्त करदी गई, और तब से रूमानिया में पार्लमेन्ट नहीं बनी है। गोगा ने, नात्सी-अनुकरण में, यहूदी-विरोधी कानून बनाये। बादशाह ने अपने अधिकार पर आँच आते देख गोगा को, फरवरी १९३८ में, बरगवास्त कर दिया, खुद अधिनायक बन गया और सब दल तोड़ दिये। यहूदी-विरोधी कानूनों को अमल में तो नहीं लाया गया, किन्तु सामो-विरोधी नीति, रूमानिया में पुरानी होने के कारण, सरकारी नीति बनी रही। १९३८ के पतझड़-काल में लौह-रक्षकों ने जोर पकड़ा। बादशाह ने इस दल के नेताओं की गिरफ्तारी का हुक्म निकाला, और जिस वक्त कि यह लोग भाग रहे थे तो इन्हे गोली मार दी गई। १९३९ के मार्च में एक नया शासन-विधान बना और मोशिये कालि-नेस्कू प्रधान मन्त्री बना, जिसे अक्टूबर '३९ में लौह-रक्षकों ने गोली से उड़ा दिया। १९४० के मार्च में, जर्मनी के दवाव से, लौह-रक्षक-दल सरकार में मिला लिया गया और प्रधान मन्त्री तारतारेस्कू की सरकार ने रूमानिया को धुरी राष्ट्रों का साथी घोषित कर दिया। जुलाई १९४० में, अल्टीमेटम देने के बाद, सोवियत रूस ने बैसरेविया और उत्तरी बुकोविना पर अधिकार कर लिया, और धुरीराष्ट्रों के प्रभाव से हुए वीयना-सम्मौते के अनुसार रूमानिया को आधा ट्रान्सिलवेनिया हगरी को दे देना पड़ा, और सितम्बर १९४० में दक्षिण दब्रूजा बलगारिया के हक में छोड़ देना पड़ा। रूमानिया का क्षेत्रफल, इस प्रकार, १९१४ के बराबर रह गया। ट्रान्सिलवेनिया के छोड़ दिये जाने से लौह-रक्षकों ने अशान्ति उत्पन्न करदी। सितम्बर १९४० में जनरल अन्तोनेस्कू प्रधान मन्त्री बना और उसका नायब बना लौह-रक्षकों का नेता होरिया सीमा। लौह-रक्षक अपने को रूमानी सैन्य कहने लगे और रूमानिया फौजी-राज्य घोषित कर दिया गया। ६ सितम्बर को बादशाह कैरोल को गद्दी से उतार दिया गया और अपनी प्रेयसी के साथ वह विदेश को चला गया। माइकेल राजा बना, किन्तु शासनाधिकार प्रधान मन्त्री अन्तोनेस्कू के हाथ में दे दिये गये। पुराने राजनीतिक नेता पकड़ लिये गये और उनमें से बहुतेरे लौह-रक्षकों द्वारा जेलखानों में कत्ल कर दिये गये।

७ अक्टूबर १९४० को, “रूमानी सेना को तालीम देने” के बहाने जर्मन

सेना ने रूमानिया पर आधिपत्य कर लिया। उपरान्त नरम और गरम लौह-रत्नको में संघर्ष चल पडा और मार्च १९४१ मे लौह-रत्नक दल का अन्त कर दिया गया। होरिया सीमा तथा अन्य लौह-रत्नक नेताओ को लम्बी-लम्बी सजाये दी गई और देश मे कोई भी राजनीतिक दल या संस्था बनाना निषिद्ध ठहरा दिया गया। अन्तोनोस्कु जर्मनो के हाथ मे कठपुतली बन गया और ब्रतानिया ने रूमानिया से राजनीतिक-संबंध विच्छेद कर लिया।

तेल, इमारती लकड़ी, गेहूँ और मक्का रूमानिया के निर्यात-व्यापार की जिन्स हैं। जर्मनी इनका सबसे बडा खरीदार है। तेल के कारण ही जर्मनी ने रूमानिया पर कब्जा किया है। १९३६ मे वहाँ ६० लाख टन तेल निकाला गया, जो जर्मनी के लिये काफी समझा जाता है, किंतु पिछले वर्षों से तेल की निकासी घट रही है। रूमानिया मे तेल का व्यापार करने वाली कम्पनियों ब्रिटिश, फ्रान्सीसी और अमरीकी रही है। यहाँ के ब्रतानी तेल-व्यवसाय को जुलाई १९४० से रूमानी सरकार ने ले लिया है।

जून १९४१ में जब जर्मनी ने रूस पर हमला किया, तो रूमानियनो ने जर्मनी का साथ दिया और बैसरेबिया और बुकोविना को पुनः अधिकृत कर लिया। उन्होने यूक्रेन के कुछ इलाकों पर भी कब्जा कर लिया और ओडेसा नगर को ले लिया। ६ दिसम्बर १९४१ को ब्रतानिया ने रूमानिया के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी और रूमानिया ने, १२ दिसम्बर १९४१ को, संयुक्त-राज्य अमरीका के खिलाफ।



रूस की क्रान्ति—सन् १९१४-१८ के महायुद्ध से पूर्व ही रूस में ज़ारशाही के पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई पडने लगे थे। न्यायालयों की व्यवस्था पाखरडी रासपुटिन के अधीन थी। यह धूर्त ज़ार और उसके रनिवास का कुल-गुरु बना हुआ था। रूस की नागरिक तथा फ़ौजी शासन-व्यवस्था अस्तव्यस्त दशा

मे थी। सरकारी कर्मचारियों में वेईमानी और रिश्वतखोरी का बाजार गर्म था। विगत युद्ध के आरम्भ के समय रूस की जनता में स्वदेशाभिमान तथा मातृभूमि के प्रति प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। एक विशाल देशरक्षिणी स्वयं-सेवक सेना तो बन गई, किन्तु न तो उसके लिए सरकार के पास कार्य-कुशल अफसर थे और न यथेष्ट मात्रा में शस्त्रास्त्र ही। सितम्बर १९१४ में पूर्वीय प्रशा में रूसी सेनाओं की उपस्थिति के कारण, जर्मनी में आतंक छा-गया और पेरिस पर हमला करने की उसकी आकांक्षा पर पानी फिर गया। सहस्रों की सख्या में रूसियों के बलिदान ने उस समय फ्रान्स की रक्षा की। रूसी सेनाओं के पास न तो अच्छे अफसर थे और न पर्याप्त युद्धास्त्र और युद्ध-सामग्री ही, इसलिए सैनिकों में ज़ारशाही के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न होगई। सन् १९१५ के अन्त में रूस पश्चिमी मित्रराष्ट्रों के लिए चिन्ता का प्रसंग बन गया। सन् १९१६ में वह आत्मरक्षा के लिए ही युद्ध करता रहा। उस समय यह किम्बदन्तियों भी सुनी गई कि रूस जर्मनी के साथ अलग सन्धि करेगा। २६ दिसम्बर १९१६ को रासपुटिन की पीत्रोग्राद में हत्या कर दी गई। जारशाही को फिर से शक्तिशाली बनाने का एक बार प्रयत्न किया गया। मार्च १९१७ तक घटना-चक्र में तीव्र गति से प्रगति हुई।

पीत्रोग्राद में अन्न का अभाव होजाने से जनता में उपद्रव तथा बलवे होने लगे। इन उपद्रवों ने क्रान्तिकारी विद्रोह का रूप धारण कर लिया। रूस की धारा-सभा—ड्यूमा—का दमन किया गया। उदार नेताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रिंस लवोफ् के अधीन एक अस्थायी सरकार बनाई गई और १५ मार्च १९१७ को ज़ार ने राज-सिंहासन का त्याग कर दिया। उस समय ऐसा लगा कि शायद नये जार के अधीन एक नियंत्रित क्रान्ति संभव हो सकेगी। परन्तु शीघ्र ही यह स्पष्ट होगया कि रूस में जनता का जारशाही से विश्वास उठ गया है, और दोनों में सामजस्य संभव नहीं है। रूसी जनता जारशाही से मुक्ति पाने के लिए अत्यन्त विकल थी। मित्र-राष्ट्र रूस की वास्तविकताओं से परिचित न थे। रूसी प्रजातन्त्री सरकार (Russian Republican Government) का प्रमुख करेस्की था। उसे अपने देश में

से निर्वाह । मित्र-राष्ट्र यह चाहते थे कि रूस जर्मनी पर आक्रमण करे । ब्रिटेन से उसे मदद न मिली और रूस को अकेले ही जर्मनी से लड़ना पडा ।

रूस की जनता महायुद्ध से पीडित थी और वह जल्द-से-जल्द उसका अंत करना चाहती थी । पीत्रोग्राद में एक सस्था का जन्म हो चुका था जो मज़दूरों तथा सैनिकों की प्रतिनिधि थी । इसका नाम 'सोवियत' था । इसने स्टॉकहोम में समाजवादियों के एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन की माँग की । बर्लिन में जनता अन्न-कष्ट से दुःखी थी । जर्मनी और आस्ट्रिया युद्ध से त्रस्त थे । इसमें कोई शक नहीं कि यदि यह सम्मेलन सफल होजाता, तो सन् १९१७ में प्रजातन्त्री ढंग पर शान्ति स्थापित होजाती और जर्मनी में क्रान्ति का उदय होजाता । करेस्की ने मित्रराष्ट्रों से कहा कि वह उस सम्मेलन को होजाने दे । किन्तु मित्रराष्ट्रों को यह भय था कि इससे समाजवाद का व्यापक प्रभाव बढ़ जायगा । इसलिए समाजवादियों का यह सम्मेलन न होसका । फिर भी मित्रराष्ट्रों की नैतिक और भौतिक सहायता के अभाव में रूसी सेनाएँ लड़ती रही । जुलाई १९१७ में इनकी सेना ने आक्रमण किया । परन्तु इसके बाद रूसियों की भयानक ढंग से हत्याएँ की गई ।

इससे रूसी सेनाओं में विद्रोह पैदा होगया और, ७ नवम्बर १९१७ को, उन्होंने करेस्की की सरकार को उलट दिया तथा सोवियतों ने शासन-सत्ता पर अधिकार जमा लिया । बोलशेविकों (साम्यवादियों) का बाहुल्य था । लेनिन इनके नेता थे । लेनिन ने जर्मनी के साथ, २ मार्च १९१८ को, त्रैस्तलितास्क में सन्धि करली । इस सन्धि की शर्तों द्वारा रूस को बहुत दबना पडा, किन्तु उथल-पुथल की दशा में, इस सन्धि पर ही रूसियों ने सन्तोष माना ।

रोजनवर्ग, अलफ्रेड—जर्मन नात्सी दल का प्रमुख सिद्धान्त-निर्माता और विचारक; १८९४ में पैदा हुआ; पिछले युद्ध में रूसी सेना में रहा, युद्ध के बाद जर्मनी वापस आया । नात्सी-आन्दोलन के प्रारम्भिक-काल में हिटलर का सहयोगी बना । उसने "बीसवीं शताब्दि की गाथा" (The Myth of the Twentieth Century) नामक पुस्तक लिखी, जिसमें नात्सी सिद्धान्तों का विवेचन है । वह गाथा क्या है, यही कि 'नार्डिक' नस्ल सबसे आला है, राष्ट्रीयता सर्वोपरि सिद्धान्त है, और जर्मनी को समस्त

ससार पर विजय प्राप्त करनी चाहिये। गोजनवर्ग के अनुसार आधुनिक इतिहास को दोषपूर्ण रूप से दुहराया जा रहा है। १७८६ की फ्रान्सीसी राजक्रान्ति में वह यह दोष पाता है कि उसके द्वारा नार्डिक कुलीन वंशों का हास होकर निम्नकोटि के जन-समाज के हाथ में सत्ता आ गई। ऐसे ही जन-समाज ने उदारतावाद को प्रश्रय दिया। यह उदारतावाद मार्क्सवाद के रूप में विकसित हुआ, जिसने रूस में राजक्रान्ति कराई। वर्तमान जर्मनी को इन विचार-धाराओं का निराकरण करना चाहिये। चैक, पोल, रूसी तथा अन्य स्लाव जातियाँ निम्नकोटि की हैं, उनका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहना चाहिये, उन सबको जर्मनी के ताबे होना चाहिये। रोजनवर्ग ईसाइयत का भी विरोध करता है और, उसके स्थान में, अपने रहस्यवाद की स्थापना चाहता है। उसने नात्सियों को गिरजाघरों का विरोधी बना दिया है। वह एक प्रसिद्ध जर्मन पत्र का प्रधान सम्पादक है। नात्सी दल में उसे सर्वोच्च पद प्राप्त है।

ल

लंका—भारत के दक्षिण में एक द्वीप, जनसंख्या ५५ लाख; इस समय ब्रिटिश उपनिवेश, किन्तु जिसे औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त नहीं है। रामायण-काल का प्रसिद्ध राजा रावण इसी देश का शासक था। उसी समय से भारत तथा लंका का परस्पर संबंध रहा है। परन्तु भारत और लंका का आधुनिक संबंध एक शताब्दी से है। इस देश को सिंहल द्वीप भी कहा जाता है और यहाँ के निवासी सिंहलवासी कहलाते हैं। ईसा से पूर्व बंगाल का राजकुमार विजय लंका गया और उसने वहाँ सिंहल वंश की बुनियाद डाली। ईसा से २०० वर्ष पूर्व लंका में बौद्ध-धर्म का प्रचार हुआ। १८वीं सदी में अंगरेजों ने इस

देश पर अपना अधिकार जमाया । ६ वर्ष तक यह मदरास प्रान्त का एक अंग रहा । सन् १८०२ में यह अँगरेजों का उपनिवेश बन गया । इस द्वीप के वर्तमान अधिवासी कई जातियों के रक्त-सम्मिश्रण के परिणाम हैं । इसमें मूर, पुर्तगाली, अँगरेज़, डच, द्रविड़ तथा सिंहली रहते हैं ।


इस द्वीप में चाय तथा फल आदि बहुत पैदा होते हैं । यहाँ सस्ते मजदूरों की कमी के कारण मालिकों ने भारत के दक्षिणी प्रान्तों से यहाँ मजदूर बुलाये । करीब दस लाख भारतीय लंका में बस गये और मजदूरी करने लगे । इनमें से अधिकांश चाय आदि के बगीचों में मजदूरी करने लगे और सिर्फ २॥ लाख सरकारी विभागों, बन्दरगाहों, म्यूनिसिपैलिटियों, स्कूलों तथा अस्पतालों में नौकर होगये । भारतीयों ने अपने कड़े परिश्रम से इसे 'पूर्व का स्वर्ग' बना दिया ।

सन् १६२६ और १६३० में, ससारव्यापी आर्थिक-संकट के समय, सिंहल द्वीप वालों ने प्रवासी भारतीयों के साथ भेदभाव का बर्ताव शुरू कर दिया । वहाँ की सरकार ने भी बहुत-से ऐसे कानून बनाये जो प्रवासी भारतीयों के लिये हितघातक सिद्ध हुए । बगीचों में काम करनेवाले भारतीय मजदूरों को अधिकारों से वंचित कर दिया गया । उपद्रव तथा हड़ताले हुईं । भारतीयों की दूकानों का बहिष्कार किया गया और भारतीय व्यापारियों के साथ अनुचित व्यवहार किया जाने लगा । सिंहलवासियों को विशेष रिआयतें दी गईं । सरकारी विभागों में काम करनेवाले दस हजार भारतीयों को भारत वापस भेज जाने की सरकार ने आज्ञा दे दी ।

लंका से प्रवासी भारतीयों को निकाले जाने की व्यवस्थापिका सभा में कानून बनाने की तय्यारियों की गईं । तब गवर्नर को विवश होकर विरोधी दल को सावधान करना पडा । गवर्नर की इस कार्यवाही के विरोध स्वरूप सर वैरन जयतिलक ने व्यवस्थापिका सभा में असन्तोषमूचक प्रस्ताव उपस्थित किया । प्रवासी भारतीयों को निकालने-सम्बन्धी 'आवास तथा रजिस्ट्री मसविदा' ४ मार्च १६४१ को राज्य परिषद् में उपस्थित किया गया और दो वाचन के बाद एक स्थायी समिति के सुपुर्द कर दिया गया । समिति के भारतीय सदस्यों ने इसका बहिष्कार कर दिया और योरपियनों ने भी मसविदे

से असन्तोष प्रकट किया। दिल्ली में समझौते की बातचीत चली, किन्तु अधूरी रही। सितम्बर १९४१ में कोलम्बो में फिर समझौता सम्मेलन हुआ। एक रिपोर्ट तय्यार हुई और दोनों ओर के प्रतिनिधियों के उस पर हस्ताक्षर हुए। किन्तु प्रवासी भारतीयों को इस “समझौते” पर आरति रही। लंका में उनका आवास अदालत द्वारा प्रमाणित किया जाना ज्यों-का-त्यों रहा; सरकारी नौकरियों में उन पर प्रतिबन्ध नहीं हटे, जिन भारतीयों ने लंका में बस जाने का प्रमाण दे दिया हो उन्हें भी भूमि-सुधार कानून के लाभों से वंचित रहना, स्थायी निवासी होने का प्रमाणपत्र रखनेवालों के बच्चों की असन्तोष-जनक स्थिति, एक वर्ष से अधिक अनुपस्थित रहने में कठिनाइयों, मताधिकार की अनुचित कठोरता तथा भविष्य में लंका जाकर बसने के सम्बन्ध में लगायी गई लज्जाप्रद शर्तें, आदि। नवम्बर १९४१ में भारतीय व्यवस्थापिका सभा ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया, उससे लंका के भारतीयों को कुछ आश्वासन मिला। १ फरवरी १९४१ से बगीचों में काम करनेवाले स्त्री-पुरुष-बच्चों की मजदूरी कुछ बढ़ गई है, किन्तु दूसरी ओर मालिकों ने लड़ाई का भत्ता बन्द कर दिया है। प्रसूति के समय स्त्री-मजदूरनियों को १॥ महीने की, कुछ निश्चित भत्ते सहित, छुट्टी की सुविधा की गई है, मजदूर सघों को यद्यपि स्वीकार किया गया है, किन्तु उन्हें पनपने नहीं दिया जाता।

भारतीयों की स्थिति में कोई सन्तोषजनक परिवर्तन नहीं हुआ है। अप्रैल १९४२ में जापान ने लंका पर भी हमले किये थे, जिनका करारा उत्तर दिया गया था। भारत सरकार लंका को चावल भेजकर सहायता कर रही है। अगस्त '४२ में सर बैरन जयतिलक, इस सम्बन्ध में, भारत आये थे। भारत सरकार की ओर से लंका में एक एजेन्ट नियत है।



सन् १९३६ में कांग्रेस ने पं० जवाहरलाल नेहरू को लंका में समझौता कराने भेजा था, किन्तु इसका कोई सुफल नहीं निकला। इस समय लंका में ६॥ लाख भारतीय मज़दूर हैं, तथा तीस हज़ार सिहली हैं। मज़दूरों को वहाँ सिर्फ़ ॥=॥ रोज़ मज़दूरी मिलती है।

लक्जमबर्ग (की ग्रान्ड डची)—क्षेत्र० ६६६ वर्ग०; जन० ३,००,०००; जर्मनी, बेलजियम और फ्रान्स के मध्य में एक छोटा-सा तटस्थ देश। १८६६ में यह जर्मन-राज्य से अलग कर दिया गया; १८६७ में, लंदन-सन्धि के अनुसार, इसे तटस्थ बना दिया गया, और १९१४ में फिर जर्मनों ने इस पर अधिकार कर लिया। सन् १९१८ में, वर्साई की सन्धि के अनुसार, यह पुनः स्वाधीन बना दिया गया। यह देश सामरिक-विचार-दृष्टि से और लोहे के व्यवसाय के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। ४० लाख टन कच्चा लोहा तथा २० लाख टन ईसपात प्रति वर्ष यहाँ तैयार किया जाता है। २० फ्रीसदी जनता फ्रान्सीसी शेष ८० फ्री० जर्मन भाषा बोलती है। १० मई १९४० को, हालैंड और बेलजियम के साथ, जर्मनी ने इस देश पर आक्रमण किया और यहाँ अपनी एक सरकार कायम करदी। देश की मालिक डचैज़ ने, जो अमरीका में है और सरकार ने, जो कनाडा में है, घोषणा की कि वह कभी जर्मन कठपुतली सरकार को स्वीकार न करेंगे।

लखनऊ-समझौता—सन् १९१५ के बम्बई-कांग्रेस-अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा अ० भा० कांग्रेस को आदेश दिया गया कि अ० भा० मुसलिम लीग के साथ मिलकर समझौते का प्रयत्न करे। इस सम्मेलन के फल-स्वरूप एक योजना भारत के भावी शासन-विधान के संबंध में बनाई गई, जो कांग्रेस लीग-योजना के नाम से प्रसिद्ध है। सन् १९१६ में, लखनऊ-कांग्रेस ने, इस योजना को स्वीकार किया। इस योजना द्वारा प्रान्तीय धारा-सभाओं में मुसलमान सदस्यों के लिये पृथक् प्रतिनिधित्वको स्थान दिया गया और प्रत्येक प्रान्त में मुसलमान प्रतिनिधियों का अनुपात निम्न प्रकार निर्धारित किया गया:—

पंजाब ५० फ्रीसदी : संयुक्त-प्रान्त ३० फ्री०; अगाल ४० फ्री०; बिहार-उड़ीसा २६ फ्री०; मध्यप्रान्त १५ फ्री०; मद्रास १५ फ्री०० बम्बई ३३ फ्री०।

केन्द्रिय धारासभा में, इसके अनुसार, मुसलिम प्रतिनिधित्व निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों का तिहाई निर्धारित किया गया। मान्टेग्यू-चेम्सफर्ड शासन-योजना में इसी अनुपात से मुसलमानों को पृथक् प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई।

सन् १९३२ में रेमजे मैकडानल्ड ने 'साम्प्रदायिक निर्णय' में पृथक् प्रतिनिधित्व मुसलमानों के लिये सुरक्षित रखा, किन्तु अनुपात में परिवर्तन कर दिया।

लन्दन-नौ-सन्धि—२५ मार्च १९३६ को, लन्दन में ग्रेट-ब्रिटेन, संयुक्त-राज्य अमरीका तथा फ्रान्स के बीच हुई सन्धि। इसका उद्देश्य नौ-सेना के शस्त्रीकरण में कमी करना था। इटली ने पीछे इसमें शामिल होना स्वीकार कर लिया, किन्तु जापान ने शामिल होना मज़ूर नहीं किया। इस सन्धि में निश्चय किया गया कि वजन और तय्यारी के लिहाज़ से ३५,००० टन से अधिक भारी जगी जहाज़ न बनाये जायें और बनाते समय हस्ताक्षर-कर्ता राष्ट्र एक दूसरे को सूचित कर दें।

यह संधि ३१ दिसम्बर १९४१ तक के लिये वैध मानी गई थी, किन्तु बीच में यह धारा जोड़ दी गई कि यदि संसार के अन्य राष्ट्र नौसेना में वृद्धि करें, जिससे सन्धिकर्ता राष्ट्रों को खतरा हो तो, इस संधि की शर्तें पहले भी भंग हो सकेंगी। जब जापान ने अपनी जहाज़ी तय्यारी बताने से इनकार किया, और पता चला कि उसने ४०,००० टन के जहाज़ बनाने शुरू कर दिये हैं तब, २६ जून १९३८ को, इस संधि पर हस्ताक्षर करनेवालों ने ३५,००० टन से ४५,००० टन के जहाज़ बनाये जाने की घोषणा कर दी।


लाजपतराय, पंजाब-केसरी लाला—जन्म २८ जनवरी सन् १८६५; सन् १८८० में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की, सन् १८८२ में एफ० ए० की तथा मुख्तारी की परीक्षा, सन् १८८३ में, अपनी जन्मभूमि, जगरॉव में, मुख्तारी शुरू की; जगरॉव से रोहतक आगये। यहाँ आपने झीडरशिप पास की और सन् १८८६ में हिसार आकर बकालत शुरू की। १८९२ ई० में, इसी सिलसिले में, लाहौर चले गये। यहीं से लालाजी का सार्वजनिक जीवन आरम्भ होता है। स्वर्गीय गुरुदत्त विद्यार्थी से, आप अपने विद्यार्थि-जीवन से ही, प्रभावित थे। लालाजी ने आर्य-समाज में अग्रगण्य भाग लिया। पंजाब

शिक्षा-सघ की स्थापना की और कई हाई स्कूल खोले। डी० ए०-वी० हाईस्कूल (अब कालिज) की भारी सहायता की। सन् १८६६ तथा सन् १८६६ के उत्तरी भारत और राजपूताना के दुर्भिक्षों में उन्होंने अकाल-पीडित जनता की ऐसी सेवा की, जिसकी सराहना सरकार ने भी की। १८८८ में पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए और हिन्दुस्तानी में भाषण दिया। १९०५ के बंग-भङ्ग से उत्पन्न जाग्रति उत्तर में पंजाब तक फैल गई थी। लालाजी इस समय आन्दोलन के नेता थे, सरदार अजीतसिंह और श्री रामचन्द्र मनचन्दा आपके सहकारी थे। सन् १९०६ में वह कांग्रेस के सभ्य-मण्डल के सदस्य बनाकर इंग्लैण्ड भेजे गए। वहाँ से आप अमरीका गये। अमरीका से वापस आने पर उन्हें, १९०७ में, गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें निर्वासन का दण्ड मिला और मण्डाले के किले में रखा गया। कुछ महीनों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। सन् १९०६ में लालाजी ने पंजाब हिन्दू महासभा की स्थापना की। १९११ के कांग्रेसी डेपुटेशन में भी आप विलायत भेजे गये। सन् १९१२ में अपने पिता की स्मृति में जगरॉव में राधाकृष्ण हाईस्कूल की स्थापना की। सन् १९१२-१३ में, स्वर्गीय गोखले की अपील पर, दक्षिणी अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों की सहायतार्थ पंजाब से आपने २५,०००) भेजे। बाद में लालाजी पुनः स्वतः इंग्लैण्ड गये और वहाँ भारत के सम्बन्ध में जनमत निर्माण किया। सन् १९१४ में, भारत लौटने के लिये जब आपको पासपोर्ट न मिला तो अमरीका चले गये। आपने अमरीका में 'यंग इंडिया,' 'पोलिटिकल फ्रूचर आफ इंडिया,' 'आर्यसमाज,' 'सयुक्तराष्ट्र अमरीका' आदि कई उच्च कोटि की अंगरेज़ी पुस्तकें लिखीं। मार्च १९२० में भारत लौटे। आते ही आपने लाहौर से 'वन्देमातरम्' नामक उच्च कोटि का उर्दू-दैनिक निकाला और तिलक राजनीति विद्यालय की स्थापना की। पीछे लोक-सेवक समिति की नींव डाली और उसका संचालन किया। यह संस्था स्थायी देशसेवक उत्पन्न करती है। यक्ष्मारोगियों के लिये एक अस्पताल भी आपने क्रायम किया। सन् १९२० में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के सभापति चुने गये। तब लालाजी असहयोग के विरोधी थे, किन्तु नागपुर में उसके स्वीकार होते ही आप आन्दोलन में योग देने लगे। असहयोग

आन्दोलन में भाग लिया और १८ मास की कैद तथा ५००) जुर्माने की सजा मिली। १६ अगस्त १९२२ को रिहा हुए। हिन्दू महासभा-आन्दोलन में भाग लिया। सन् १९२५ में हिन्दू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन के आप सभापति चुने गए। सन् १९२४ में स्वराज्य-दल में शामिल हुए। ५० मोतीलालजी के साथ मतभेद होजाने पर पीछे आप उससे पृथक् होगए। आपने मालवीयजी के साथ स्वतंत्र कांग्रेस-दल का सगठन किया और केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य चुने गये। पीछे ५० मोतीलाल नेहरू से उनका मेल होगया, और नेहरू कमिटी की रिपोर्ट की तय्यारी में भी लालाजी का सहयोग रहा। ३० अक्टूबर १९२८ को लाहौर में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। नगर में १४४ धारा लगा दी गई। कांग्रेस की ओर से, कमीशन के बहिष्कार के लिये, लालाजी के नेतृत्व में, प्रदर्शन तथा जुलूस का आयोजन किया गया। पुलिस ने जुलूस पर लाठी-चर्षा की। इसी समय, सबसे आगे होने के कारण, लालाजी की छाती पर एक अंगरेज पुलिसमेन की लाठियों की चोटें पड़ीं। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से लालाजी इन चोटों से आहत हुए।

इन्हीके कारण, १७ नवम्बर १९२८ को, उनका स्वर्गवास होगया। मरने से कुछ पूर्व आपने कहा था कि "मुझ पर पड़ी हुई प्रत्येक चोट भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत (अर्थी) की किल साबित होगी।"

स्वर्गीय लालाजी ने देश की महती और सर्वतोमुखी सेवाएँ कीं; देश उन्हें अधिकांश राजनीतिज्ञ के रूप में जानता है, किन्तु साहित्य, शिक्षा, समाज-सुधार, अछूतोद्धार आदि क्षेत्रों में भी उनकी सेवायेँ अमर रहेगी।



अनेक पुस्तकें अंगरेजी-उर्दू में उन्होंने लिखी हैं। आप जैसे अोजस्वी लेखक थे वैसे ही प्रभावशाली वक्ता भी। भारत-निर्माताओं में उनका प्रमुख स्थान है।

लायड जार्ज, राइट आनरेबल डेविड—ब्रिटिश राजनीतिज्ञ तथा भूत-पूर्व प्रधान-मंत्री, १७ जनवरी सन् १८६३ को जन्म हुआ, १८८४ में सोलिसिटर बने; १८९० में पार्लामेंट के सदस्य चुने गये और तब से वह बराबर उमी जगह पर सदस्य हैं। १९०५-१९०८ तक व्यापार-बोर्ड के प्रधान, १९०८-१९१५ तक अर्थमंत्री; १९१५ में अस्त्र-शस्त्र-विभाग के मंत्री और युद्ध-मंत्री रहे और १९१६ में प्रधान-मंत्री हुए। १९२२ तक बराबर प्रधान मंत्री रहे। विगत युद्ध में ब्रिटेन की विजय का बहुत अधिक श्रेय इन्हींको है। आप कहा करते थे, 'जर्मनी छोटी-मोटी लडाइयाँ जीतता है, मैं महायुद्ध विजेता हूँ।' आयरलैंड के स्वतन्त्रता-आन्दोलन के समय, पहले इन्होंने खूब दमन किया, पीछे समझौता करना पडा। १९२२ में, राष्ट्रीय सरकार और लिबरल दल के पतन के समय, इनका भी पतन होगया। १९३१ में लायड जार्ज ने लिबरल दल का परित्याग करके स्वतन्त्र लिबरल दल खडा किया, किंतु सन् १९३५ में वह फिर लिबरल-दल में मिल गए। १९३७-३८ में सरकार की सन्तोषीकरण-नीति की इन्होंने निन्दा की। १९३९ में वह कहने लगे कि लडाई जीतने के लिये इंग्लैंड की वृषि की उन्नति करनी चाहिये। यहाँ के अन्य राजनीतिज्ञों ने उसे सफल युद्ध-प्रयत्न की आलोचना समझा। १९४० में इन्होंने चेम्बरलेन-सरकार के छपर्याप्त युद्ध-प्रयत्न की आलोचना की।



लार्ड-सभा—ब्रिटिश पार्लामेंट की दूसरी धारणा, वाउन्स और लार्ड्स। इसमें कुल सदस्य ७५० हैं। पर जिमें भी छापिसेशन में ५० से अधिक सदस्य शायद ही जमी उगस्थित होने हो। पहले उस सभा में वाउन्स-

सभा द्वारा स्वीकृत मसविदों (विलों) को नामज़ूर करने (Veto) का अधिकार था, किन्तु १९११ के पार्लमेंट कानून द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लार्ड सभा का प्रधान लार्ड चान्सलर होता है, जो सरकार का एक सदस्य होता है। मन्त्रि-मण्डल में तीन लार्ड सदस्यों का रहना आवश्यक है। लार्ड सभा ब्रिटेन की सबसे बड़ी कानूनी अदालत भी है।


लाल सेना—रूस के सोवियत संघ की सेना। सन् १९१७ की रूसी राज्य-क्रान्ति के समय इसका निर्माण हुआ। लाल सेना यह इसलिये कहलाई क्योंकि इसकी पताका लाल है। आज तक, सरकारी तौर पर भी, रूस के किसान-मजदूरों की यह सेना इसी नाम से प्रसिद्ध है। इसमें १ से २ करोड़ तक रिजर्व सैनिक हैं। युद्ध से पूर्व इस सेना में ७,००० जंगी वायुयान थे और ५,००० से अधिक टैंक। अब तो यह सेना आधुनिक रूप में बहुत अधिक यान्त्रिक बना दी गई है, और युद्धायुध भी इसके बहुत बढ़ गये हैं।

लावल, पियरे—फ्रान्सीसी राजनीतिज्ञ, १८८३ में पैदा हुआ; पेरिस में वकालत की, समाजवादी दल की ओर से पार्लमेंट का सदस्य बना; पिछले युद्ध के बाद कुछ दिनों के लिये साम्यवादी बना, फिर दक्षिणपन्थी बन गया, १९२५ से १९३५ तक बराबर किसी-न-किसी मन्त्रि-मण्डल में रहा। १९३५-३६ में प्रधान मन्त्री और वैदेशिक मन्त्री रहा। मास्को गया और स्तालिन से भेट की। उसने देश को राजनीति में 'पापुलर फ्रन्ट' का विरोध किया और १९३७-'३८ के बीच फासिस्त कार्यवाहियों में उसका हाथ पाया गया। वह नात्सियो से लड़ना नहीं चाहता था, फलतः उसकी नीति के कारण, फ्रान्स का पतन हुआ। १९४० में वह वैदेशिक मन्त्री बना। वह नात्सियो को आश्रय देता था और उनके हाथ में फ्रान्सीसी वेडा सोंप देना चाहता था। १४ दिसम्बर १९४० को पेटॉ ने उसे हिरासत में लेलिया और मोशिये




लावल जर्मन राजदूत ओ० ऐबेज़ के हस्तक्षेप से रिहा हुआ। जुलाई १९४१ में एक फ्रान्सीसी देशभक्त ने गोली चलाकर उसे घायल कर दिया।

लितविनोफ्, मैक्सिम—सोवियत रूस का राजनीतिज्ञ, नस्ल का यहूदी, सन् १९०५ से रूस के क्रान्तिकारी आन्दोलन में शामिल रहा; १९३० में सोवियत रूस का वैदेशिक मंत्री बना, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, सोवियत सभ के प्रतिनिधि की हैसियत से, भाग लेता रहा, और १९३४ के बाद से राष्ट्रसभ में सोवियत का प्रतिनिधि था। सत्ता की प्रजातान्त्रिक सत्ताओं के साथ सोवियत के सहयोग का समर्थक था। मार्च १९३६ में जब सोवियत रूस ने हिटलर से समझौते की वार्ता आरम्भ की, तो लितविनोफ् को पद के दायित्व से मुक्ति दे दी गई। मार्च १९४१ में जब सोवियत-जर्मन मतभेद बढ़ रहा था तो लितविनोफ् सोवियत कम्युनिस्ट दल की परराष्ट्र समिति का प्रधान नियत किया गया और, नवम्बर १९४१ में, वाशिंगटन में सोवियत का राजदूत और परराष्ट्र विभाग का उप-कमिसार नियत किया गया।



लिथुआनिया—क्षेत्र० २१,५०० वर्ग०; जन० २५ लाख। पहले यह रूस का बाल्टिक-देशीय प्रान्त था, जो सन् १९१८ में स्वाधीन हुआ। इसकी राजधानी विलना तथा मैमल प्रदेश के सम्बन्ध में, लिथुआनिया का पोलैंड तथा जर्मनी से, १९३६ तक, झगडा रहा। १९२६ में अधिनायक-तन्त्र हटकर यहाँ किसान-डिक्टेटरशिप कायम हुई। मार्च १९३६ में मैमल प्रदेश जर्मनी ने ले लिया तथा सितम्बर १९३६ में विलना जिला सोवियत रूस ने। यह कृषि-प्रधान देश है। अक्टूबर १९३६ में रूस ने लिथुआनिया को अपना संरक्षित राज्य बना लिया। सोवियत सेना ने मुल्क पर कब्जा कर लिया और, अगस्त १९४० में, लिथुआनिया सोवियत सभ में मिला लिया गया। जुलाई १९४१ में जर्मनी ने इस देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया।

लिनलिथगो, विक्टर अलेक्जेंडर जॉन होप, मारक्स आफ्—
जन्म २४ सितम्बर सन् १८८७, अप्रैल १९३६ से भारत के वाइसराय के पद
पर नियुक्त हैं, (१९४१ में आपका कार्य-काल समाप्त होगया, किन्तु एक वर्ष
के लिये अवधि बढ़ा दी गई ।), कृषि के विशेषज्ञ हैं, सन् १९२६-२८ में शाही
भारतीय कृषि-कमीशन के अध्यक्ष थे । आपको विज्ञान से भी रुचि है और
इस विषय का आपको परिपूर्ण ज्ञान है । सन् १९३४ में आपको मेडिकल
रिचर्स कौन्सिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया । इसी वर्ष आपको इम्पीरियल
कालिज आफ् साइन्स एन्ड टेक्नोलाजी की कार्य-कारिणी परिषद् का अध्यक्ष
नियुक्त किया गया । सन् १९३४ में आपकी अध्यक्षता में ड्वाइट पार्लमेंटरी
कमिटी ने भारतीय शासन-सुधार मसविदा (इडिया बिल) पर अपनी रिपोर्ट
तैयार की, जिसके आधार पर भारत के लिए
सन् १९३५ का नया शासन-विधान बनाया
गया । सन् १९३८ में आपने भारतीय पशु-
प्रदर्शनी का आयोजन किया । तब से यह
मेला प्रतिवर्ष, फरवरी मास में, नई देहली
में होता है । १९४२ में, एक वर्ष के लिए,
फिर अवधि बढ़ाई गई । अप्रैल '४३से, ६ मास
के लिये, उनके कार्यकाल की अवधि और
बढ़ा दी गई है । लार्ड लिनलिथगो को गान्धी-
जी का व्यक्तिगत मित्र बताया जाता है ।
लार्ड कर्जन के बाद आपही इतने लम्बे समय
तक रहनेवाले भारतीय वाइसराय हैं ।



लुफ्टवैफ्—जर्मनी की आकाश-सेना ।

लेटविया—बाल्टिक राष्ट्र-समूह का एक रूसी प्रान्त, जो १९१७ में स्वा-
धीन राज बना, क्षेत्र० २५,००० वर्ग०, जन० २०,००,०००, राजधानी रीगा,
प्रारम्भिक-प्रजातन्त्रवादी शासन-विधान, मई १९३४ में, स्थगित कर दिया गया
और समस्त राजनीतिक दल भग कर दिये गये । तब से राष्ट्रपति के० उलमा-
स अधिनायक-तन्त्र-प्रणाली के अनुसार शासन कर रहा है । साम्यवाद-विरोधी

पुरातन नीति के अतिरिक्त वर्तमान युद्ध में यह देश तटस्थ था। इस देश में १२ फीसदी रूसी और ३ फी० जर्मन है। अक्टूबर १९३६ में रूस ने इसे अपना सरक्षित राज्य बना लिया, सोवियत सेना ने देश पर पूर्ण अधिकार कर लिया और, अगस्त १९४०, में इसे सोवियत सघ में शामिल कर लिया गया। अल्पसंख्यक जर्मन, हिटलर की अनुमति से, जर्मनी भेज दिये गये। इस देश के कुछ हिस्से में बर्फ नहीं पड़ती, इसलिये यह रूस के लिये एक आवश्यक देश था। जुलाई सन् १९४१ में जर्मनी ने लेटविया पर अधिकार कर लिया।

लेनिन, व्लाडीमीर इलियिच—साम्यवाद का प्रवर्तक, रूसी राज्यक्रान्ति का नेता; २२ अप्रैल १८७० को पैदा हुआ, इसके पिता कालिज में अध्यापक थे, वकालत पास की और मज़दूर आन्दोलन में शामिल होगया, उपनाम लेनिन रखा, असल नाम उलियानाफ् था। लेनिन पक्का मार्क्सवादी था। रूसी समाजवादी-दल में उसने क्रान्तिवादी, कभी समझौता न करने-वाला, पक्ष बनाया। १९०३ में इसका दल, 'बोलशेविक' नाम से, नरम समाजवादी दल से अलग होगया। सन् १९०७ से १९१७ तक लेनिन, निर्वासन की अवस्था में, पेरिस, वीयना और ज्यूरिच आदि में रहता हुआ समाजवादी समारोहों में सदैव क्रान्ति का सन्देश देता रहा।

१९१४ में, पिछला महायुद्ध शुरू होने पर, उसने कहा कि समाजवादियों को इसमें मदद न देनी चाहिये। मार्च १९१७ में, रूस की क्रान्ति के बाद, लेनिन स्वदेश लौटना चाहता था ताकि क्रान्ति में सक्रिय भाग लेसके। जर्मन सैनिक अधिकारियों ने रूसी दुश्मन से पीछा छुड़ाने के इस मौके को गनीमत समझा और उन्होंने लेनिन को एक मुहरबन्द गाडी में बिठाकर जर्मनी में होकर रूस भेज दिया। अप्रैल १९१७ को वह पीटर्सबर्ग आया और बोलशेविक दल का नेतृत्व ग्रहण किया। ट्रात्स्की के साथ उसने जुलाई में क्रान्ति का पहला संगठन किया, किन्तु इसमें सफलता न मिली। दूसरी बार, ७ नवम्बर १९१७ (उस समय की रूसी जंत्रियों के अनुसार २५ अक्टूबर १९१७) को फिर विद्रोह का संगठन किया। इस बार सफलता मिली और नरमदली करेन्स्की सरकार को उखाड़ फेंका गया। लेनिन रूसी सरकार का, जिसका नाम उस वक्त 'कौन्सिल आफ् दि पीपल्स कमिसार' पड़ा था, प्रेसिडेन्ट बना। मज़दूरों तथा मैनिफो की सोवियतों

(पचायतो, कौन्सिलो) के हाथ में मज़दूरों का अधिनायक-तन्त्र आगया। उस समय रूस में सिर्फ १४ लाख औद्योगिक मज़दूर थे। रूस में गृह-युद्ध आरम्भ होगया, इसलिये लेनिन ने, जैसे भी हो तैसे, जर्मनी और आस्ट्रिया के साथ सधि करने का आयोजन किया, ताकि निश्चिन्त होकर देश के सघर्ष को संभाल सके। गृह-युद्ध १९२१ तक चला। इसमें बोल्शेविकों की विजय हुई, जिनका इस समय साम्यवादी (कम्युनिस्ट) नाम प्रचलित होगया था। नरम समाजवादियों से मोर्चा लेने के लिये लेनिन ने तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय सघ (थर्ड इन्टर-नेशनल) की स्थापना की। यह विशुद्ध साम्यवादियों की सस्था है। क्रान्तिकारी गृह-युद्ध में सफलता प्राप्त करने के बाद लेनिन ने 'नवीन आर्थिक नीति' का आश्रय लिया। इस नीति के अनुसार उसने रूस में देशी और विदेशी पूँजीपतियों को अवसर दिया कि वह एक सीमा तक अपना मुनाफा रखकर रूस के नष्ट-भ्रष्ट उद्योग-व्यवसाय और छोटे धन्धों को तरकी दे और इस प्रकार देश की विगड़ी हुई सामाजिक स्थिति एक समतल पर आजाय। सन् १९२७ में सोवियत रूस ने इस नीति का अन्त करके शुद्ध समाजवादी पंच-वर्षीय योजना को एतदर्थ चालू किया। १९२२ में बोल्शेविक-विरोधी दल की एक महिला ने लेनिन पर गोली चलाई, जिससे वह घायल होगया। लेनिन की जीवन-रक्षा तो तब होगई, किन्तु उसके बाद उसका स्वास्थ्य गिरा हुआ रहा। अधिक श्रम के कारण उसका स्वास्थ्य खराब होता गया, और सन् १९२३ में वह रोग-शय्या पर पड़ गया और २१ जनवरी १९२४ को उसका प्राणान्त होगया। लेनिन के शरीर को मसाले आदि से सुरक्षित रखा गया है और वह मास्को के एक प्रदर्शन-भवन में आज भी सुरक्षित है। वर्ष में एक बार समस्त रूसी जनता उसके मृत शरीर के दर्शन कर क्रान्ति की स्मृति को नवचेतना प्रदान करती है। लेनिन की स्मृति में पीत्रोग्राद का नाम बदल कर लेनिनग्राद रखा गया है। लेनिन का लिखा 'इम्पीरियलिज्म' नामक ग्रन्थ विश्व-विख्यात है। आचार्य नरेन्द्रदेव ने 'साम्राज्यवाद' नाम से इसका हिन्दी भाषा में अनुवाद किया है।

लेनिन के सिद्धान्त—पूँजीवाद और उसके पापों के सम्बन्ध में लेनिन के सिद्धान्त मार्क्स जैसे हैं, किन्तु लेनिन के युग में उनमें और विकास हुआ है।

पूँजीवाद, अपने प्राथमिक युग में, छोटे-छोटे उत्पादकों, ज़मींदारों, महाजनो और सूदख़ोरो में पनपता है। उसके उत्तरकालीन विकास-युग में, बड़े पैमाने पर उत्पादन करनेवाले, राजे-रईस, बड़े बेङ्कर पूर्वोक्त लघु पूँजीपतियों को आत्मसात कर जाते हैं। यह बड़े पूँजीपति, वर्तमान समाज में, राज्य या शासन-संस्था के एक अन्योन्याश्रित अङ्ग बन गये हैं इसलिये कि, राज्य के सहयोग से, उन्हें अपने माल की खपत और व्यापार फैलाने के लिये, देश-विदेश की मडियों उनके हाथ में आजाती हैं और वहाँ का कच्चा माल भी उन्हें मिल जाता है। इन्हीं बड़े पूँजीपतियों की स्वार्थ-रक्षा के लिये अनेक साम्राज्यवादी देशों में पारस्परिक संघर्ष और युद्ध होते हैं। अतएव साम्राज्यवाद पूँजीवाद का ही एक पाप है।

श्रमजीवियों में पूँजीवाद दो वर्ग उत्पन्न करता है। बुद्धिजीवी श्रमजीवियों को अधिक पारिश्रमिक या वेतन देकर उनमें श्रेष्ठता अथवा सम्पन्नता के भाव की वह सृष्टि करता है। बड़ी तनखाहे पानेवाले यह पढे-लिखे मज़दूर क्रान्तिवादी मनोभावना से विमुख होकर सुधारवाद का प्रचार करने लगते हैं। गरीब कोटि के मज़दूरों को वह भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, किन्तु यह समुदाय सामाजिक क्रान्ति उत्पन्न करने पर स्थिर रहता है।

मार्क्स की भाँति लेनिन राज्य को, हुकूमत करनेवाले समुदाय का, एक औज़ार मानता है। उसकी सम्मति में पार्लिमेन्टरी-शासन प्रणाली पूँजीवादी समुदाय का एक अदृष्ट अधिनायक (डिक्टेटर) तन्त्र है।

साम्राज्यवाद पूँजीवाद के अप्रकट विरोधाभासों की वृद्धि करता है, जिससे नितनए संघर्ष और युद्ध चलते रहते हैं। साम्राज्य या राज्य सामन्तों और पूँजीपतियों के आश्रय पर खड़े हैं। इन सब पापों का निराकरण किसान-मज़दूरों की क्रान्ति से होगा जो इनके स्थान पर, समाजवादी संसार की सृष्टि करके पार्लिमेन्टरी के स्थान पर किसान-मज़दूरों की पंचायती सरकार कायम करेगी। समाज में से जब वर्ग-भेद मिट जायगा,



सबको सामाजिक हित की प्रेरणा होगी, तब स्वतः ही समाज में शान्ति और सुख की वृद्धि होकर राज्यहीन किसान-मजदूर कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना होजायगी ।

लोकार्नो की सन्धि—फ्रान्स, ग्रेटब्रिटेन, जर्मनी, इटली और वेलजियम के बीच, १६ नवम्बर १९२५ को, हुई सन्धि । इस सन्धि के अनुसार जर्मनी, फ्रान्स तथा वेलजियम ने यह स्वीकार किया कि वे अपनी वर्तमान पारस्परिक सीमाओं की रक्षा करेंगे तथा एक दूसरे के विरुद्ध बल-प्रयोग न करेंगे । राइनलैण्ड से जर्मनी ने अपनी फौजे हटा लेना स्वीकार किया । ब्रिटेन तथा इटली ने इस समझौते के पालन के लिये पारस्परिक सहायता करने का वचन दिया । सन् १९३६ में हिटलर ने राइनलैण्ड में फिर फौजे भेजकर इस संधि को भंग कर दिया, और ब्रिटेन, फ्रान्स और वेलजियम ने, पारस्परिक सुरक्षा के लिये, नया समझौता कर लिया ।

लोहिया, डा० राममनोहर—पीएच० डी०; भारत के कांग्रेस समाजवादी विचारक और नेता, वैदेशिक समस्याओं के मर्मज्ञ, जन्म २३ मार्च १९१०, एम० ए० उत्तीर्ण करने के बाद देश-सेवा में लग पड़े । अखिल-भारतीय कांग्रेस कमिटी के वैदेशिक विभाग के मंत्री रहे । अ०-भा० कांग्रेस-समाजवादी दल की कार्य-समिति के सदस्य हैं । डा० लोहिया ने कई पुस्तकें लिखी हैं । भारत-रक्षा-कानून के अन्तर्गत सन् १९४० से राजबन्दी हैं । १९४२ में साम्यवादियों को छोड़ा गया, समाजवादियों को नहीं, फलतः डा० लोहिया अभी जेल में हैं ।



व

वज़ीरिस्तान—अफ़ग़ानिस्तान तथा सीमा-प्रान्त के मध्य का प्रदेश जहाँ मुसलिम क़बीले रहते हैं। अँगरेज़ इस प्रदेश में ड्यूरेड-पक्ति तक पहुँच गये हैं। इस प्रदेश में सडके निकाली गई हैं, क़िले बनाये गये हैं और क़बीलो को मदद दी गई है। नवम्बर १९३६ में वज़ीरिस्तान में युद्ध आरम्भ होगया। युद्ध ईपी के फ़कीर के नेतृत्व में आरम्भ हुआ। सन् १९३७-३८ में वज़ीरिस्तान में अशान्ति तथा असन्तोष रहा। क़बीलो ने हिन्दू और अँगरेज़ दोनों के विरुद्ध जहाद् छेड़ दिया। सरकार की ओर से क़बीलो के गाँवों पर बम-वर्षा की गई। सरकार ने फ़कीर को पकड़ने का बड़ा प्रयत्न किया, किन्तु सफलता नहीं मिली। दिसम्बर १९३८ में यह युद्ध समाप्त होगया। सन् १९३७ तक इस युद्ध में सरकार के २३ लाख पौंड व्यय हुए। यह क़बीले बहुधा अशान्ति उत्पन्न करते रहते हैं। अफ़ग़ान सरकार और ब्रिटिश सरकार दोनों में से एक का भी नियन्त्रण यह नहीं मानते।

वफ़्द—अरबी भाषा का शब्द, अर्थ सभ्यमण्डल (डेपुटेशन), १३ नवम्बर १९१८ को, अपने देश, मिस्र, के लिये स्वाधीनता को माँग रखने के लिये, तीन सदस्यों का एक सभ्यमण्डल, स्वर्गीय मिस्री नेता सय्यादज़ ग़लुल पाशा के नेतृत्व में, बरतानी हाई कमिश्नर से मिला। १९२३ के चुनाव में ज़ग़लुल पाशा के दल की विजय हुई, फलतः वह प्रधान मन्त्री बने और १९२४ में उन्होंने वफ़्द दल की स्थापना की। १९२७ में ज़ग़लुल की मृत्यु होगई, और उनके सहकारी नहास पाशा दल के नेता बने, जो अनेक बार प्रधान मन्त्री रहे और आजकल भी मिस्री-सरकार के वज़ीरे आज़म हैं। १९३८ में कुछ कार्यकर्ता वफ़्द दल से अलग होगये और 'सय्यादी' नाम से उन्होंने दल बनाया। वफ़्द और सय्यादी दोनों ही अपने-अपने दल का प्रबल नेतृत्व

बताते हैं। सभ्यारदियों के पार्लमेन्ट में सदस्य अधिक हैं, किन्तु जनता पर वफूद का ही प्रभाव है।

वसर्ई की सन्धि—१९१४-१८ के विश्व-युद्ध की समाप्ति पर यह सधि मित्र-राष्ट्रों (Allied and Associated Powers) तथा जर्मनी के मध्य, २८ जून १९१९ को, हुई। इस सधि का प्रथम अंश राष्ट्रसंघ के सगठन के विषय में है और उत्तरार्द्ध में जो निश्चय किये गये हैं, उनमें मुख्य इस प्रकार हैं—जर्मनी अल्सेस-लारेन फ्रान्स को, यूपेन-मलमेडी वेलजियम को, पोजेन तथा कोरीडर पोलैण्ड को, मेमल लिथुआनिया को, उत्तरी श्लेस्विग (जनमत लेने के बाद) डेनमार्क को, पूर्वी अपर साइलीशिया (जनमत लेने के बाद) पोलैण्ड को, इल्चिन चैकोस्लोवाकिया को देदेगा; दांजिग पर से अपना प्रभुत्व हटा लेगा; आस्ट्रिया से अपना सवध स्थापित न करेगा; जर्मनी युद्ध निःशस्त्र होजायगा, सार्वजनिक सैनिक-सेवा को त्याग देगा; वह एक लाख सख्या की छोटी-सी सेना और छोटी-सी नौ-सेना रख सकेगा, लडाकू हवाई जहाज, डुवकनी कश्तियों, जगी तोपखाने और टैंक न रख सकेगा, हथियार बनाने के कारखानों को बरवाद कर देगा; राइनलैण्ड पर १५ वर्षों तक मित्रराष्ट्रों का अधिकार रहेगा, सार प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय-समितिके शासन के अधीन रहेगा तथा १९३५ में, जनमत लिये जाने के उपरान्त, उसका भविष्य निश्चित किया जायगा, जर्मन नदियों पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण रहेगा, जर्मन उपनिवेशों को, राष्ट्रसंघ के शासनादेश के अधीन, मित्र-राष्ट्र आपस में बाँट लेंगे, जर्मनी पूर्ण रूप से युद्ध के अपराध को स्वीकार करेगा और एतदर्थ क्षतिपूर्ति देगा, जिसकी रकम बाद में तय की जायगी। इनके अलावा कुछ धाराये और थीं। क्षतिपूर्ति को क्रमशः कम कर दिया गया और १९३२ में वह बिलकुल उड़ा दी गई; राइन-लैण्ड भी, वक्त से पहले, खाली कर दिया गया। आपस की बातचीत द्वारा यह बातें तय हुई थीं और अब हिटलर ने पूरे सन्धि-पत्र को ही फाड़ फेंका है।

वल्लभभाई पटेल, सरदार—भारतीय राष्ट्रीय महासभा के नेता, कांग्रेस कायकारिणी के सदस्य, जन्मतिथि (स्वयं सरदार को भी ज्ञात नहीं), सन् १८७६ ई०, नडियाद और बडौदा में प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करने के बाद खेडा के हाईस्कूल से मेट्रिक किया और उसके बाद मुद्रतारी पास की।

गोधरा में मुस्तारी शुरू की। यहीं आपकी पत्नी प्लेग-पीड़ित हुईं और बम्बई में उनका देहान्त होगया। बैरिस्टर बननेकी आपकी प्रबल इच्छा थी। मुस्तारी चमक निकली थी, आपने कुछ और रुपये का प्रबन्ध किया और विलायत गये। वहाँ आपने अथक परिश्रम किया, फलतः आपकी फीस माफ़ होगई और ५० पौण्ड की वृत्ति मिली। आपसे प्रभावित होकर न्यायाधीश स्काट ने कहा कि वल्लभभाई एक नामी बैरिस्टर बनेगा।

१९१६ में विलायत से लौट कर अहमदाबाद में बैरिस्टरी शुरू की। इसी वर्ष आप प्रथम गुजरात प्रान्तीय सम्मेलन के मन्त्री चुने गये। १९१७-१८ में गुजरात के खेडा जिले की फ़सले मारी गईं। किसानों ने गुहार की कि लगान मुलतवी कर दिया जाय। उनकी सुनवाई नहीं हुई। आपने अपनी प्रेक्टिस स्थगित कर दी, खेडा में कर-बन्दी सत्याग्रह का सगठन किया और किसानों की विजय हुई। इससे पूर्व गुजरात की देहात में प्रचलित वेगार की प्रथा के विरुद्ध भी आपने किसानों की सहायता की। १९१९ के रौलट क़ानून सत्याग्रह में आपने बहुत काम किया। १९२३ में, असहयोग के बाद, नागपुर-भण्डा-सत्याग्रह में, सेठ जमुनालाल वजाज आदि के जेल भेज दिये जाने पर, आपने नेतृत्व संभाला और भण्डा-सत्याग्रह में सफलता प्राप्त की। असहयोग का व्यापक प्रयोग वारदोली में होने वाला था, वल्लभभाई ने ही उस क्षेत्र को तत्र एतदर्थ तय्यार किया। गुजरात की वोरसद तहसील में, डाकुओं के उत्पात के कारण, देहातों पर भारी ताजीरी पुलिस टैक्स लगाया गया। पुलिस की कारस्तानियों के कारण देहातियों की यह आपत्ति और भी बढ़ी। सरदार ने पुलिस की पोल खोली, जनता को सत्याग्रह के लिये सगठित किया, फलतः ताजीरी टैक्स उठा लिया गया। १९२२ में आपने राष्ट्रीय शिक्षा-संस्था, गुजरात विद्यापीठ, की स्थापना की और उसके संचालन के लिये १० लाख की निधि इकट्ठी की। १९२५ की बाढ़ से गुजरात में हाहाकार मचा गया। बाढ़-पीड़ितों की सहायतार्थ आपने जो कुछ किया, सरकार के अर्थ-सचिव तक ने उसकी सराहना की। आपकी सन्मने महान् कृति १९२८ का वारदोली सत्याग्रह है जिसमें, अनेक विकट परीक्षाओं के बाद, अन्त में किसानों की विजय हुई। इसी विजय के

उपलक्ष में आपको 'सरदार' की उपाधि से विभूषित किया गया। सन् १९३१ के तूफानी युग में आपको कराची कांग्रेस का प्रधान बनाया गया।

गान्धीजी के गोलमेज कान्फरेन्स से वापस लौटते ही फिर दमन चल पड़ा। सरदार वल्लभभाई पटेल ने गुजरात का दौरा करके किसानों का सगठन किया। दमन और अन्याचार के कारण गुजरात के किमान बटोदा आदि रियासतों में हिजरत कर गये। सरदार इन दिनों, एक साल के भीतर-तीन बार गिरफ्तार किये गये। स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण, सन् १९३४ में, आपको रिहा किया गया। इसके बाद ही कांग्रेस पार्लमेन्टरी बोर्ड का भार आप पर डाल-दिया गया। आपने चुनावों को सफल बनाया और आठ प्रान्तों के कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों का नियन्त्रण किया। आप बड़े कठोर अनुशासन-शील मना-पति हैं, इसलिये पार्लमेन्टरी बोर्ड के युग में आपने कड़े हाथ से कांग्रेस की आन्तरिक शुद्धि की। गान्धीजी, देश का भार उठाते हुए भी, बड़े हंसमुख और विनोद-प्रिय हैं। किन्तु सरदार को आज तक किसी ने मुसकाने नहीं देखा। सरदार विरोधी को क्षमा करना जानते ही नहीं, भले ही वह सगा भाई हो। अगस्त १९४२ में आप भी पकड़ लिये गये हैं।

वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद्—सन् १९१९ के भारतीय शासन विधान के अनुसार आज भी भारत की केन्द्रिय सरकार का संचालन हो रहा है, यद्यपि अप्रैल सन् १९३७ से भारत के प्रान्तों में, सन् १९३५ के गवर्नमेंट आफ् इन्डिया ऐक्ट के अनुसार, प्रान्तीय विधान स्थापित होकर निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन-संचालन आरम्भ हुआ, किन्तु नवम्बर १९३९ से सयुक्त-प्रान्त, मध्य-प्रान्त, बम्बई, मदरास, बिहार, उड़ीसा, सीमाप्रान्त तथा आसाम में, कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलों के त्यागपत्र दे देने से, वैधानिक-सकट उपस्थित होगया है। इन प्रान्तों में तब से गवर्नरी शासन चालू है।

वाइसराय की कार्यकारिणी-परिषद् (Executive Council) में

आरम्भ से छै-सात सदस्य नियुक्त होते आये हैं। इनमें आधे आई० सी० एस० योरपियन और तीन या चार गैर-सरकारी भारतीय सदस्य होते रहे हैं, किन्तु उन्हें कभी अर्थ-विभाग, सेना-विभाग तथा गृह-विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग नहीं सौंपे गए।

वाइसराय इस परिषद् का अध्यक्ष होता है। राजनीतिक विभाग तथा परराष्ट्र-विभाग उसके अधीन रहते हैं। भारत का प्रधान सेनाध्यक्ष भी इस परिषद् का एक सदस्य होता है।

यह परिषद् वाइसराय के शासन-सूत्र में सहयोग देने के लिये है। इस परिषद् की तुलना मन्त्रि-मण्डल से नहीं की जा सकती। इसके सदस्य केन्द्रिय धारा-सभा के प्रति नहीं प्रत्युत् वाइसराय के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनकी नियुक्ति सम्राट् द्वारा होती है। प्रत्येक सदस्य का वेतन प्रायः ५५००) मासिक और भत्ता अलग। सदस्य को एक सुन्दर बँगला, मोटर तथा स्टाफ भी मिलता है।

जब युद्ध के कारण केन्द्रीय सरकार का कार्य अधिक बढ़ा तथा वैधानिक संकट से उत्पन्न स्थिति के शमन के लिये भी, पहली बार परिषद् में, जुलाई १९४१ में विस्तार किया गया और सदस्यों की संख्या सात से बारह कर दी गई। पाँच नये पद बनाये गये और उनका भार भारतीयों को सौंपा गया। एक साल बाद, जुलाई १९४२ में, कार्यकारिणी का पुनः विस्तार किया गया, और तीन नये सदस्य और बढ़ा कर उनकी संख्या पन्द्रह कर दी गई।

१९३६ में, युद्ध आरम्भ होने के समय, वाइसराय की कार्यकारिणी में नीचे लिखे सात सदस्य थे:—

(१) हिज़ ऐक्सलेन्सी जनरल (सन् '४२ के अन्त में फील्ड मार्शल) सर आर्चीबाल्ड पर्सीवल, वेवल प्रधान-सेनाध्यक्ष, (रक्षा-विभाग) सर्वमाननीय (२) नलिनीरंजन सरकार (शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमिविभाग); (३) सर ऐन्ड्रू क्लो (यातायात-विभाग); (४) सर हुरमसजी पी० मोदी (रसद-विभाग), (५) सर रेजीनाल्ड मैक्सवैल (स्वराष्ट्र (होम)-विभाग); (६) दीवान ब्रहादुर सर ए० रामस्वामी मुदालियर (व्यापार-विभाग) और (७) सर जेरेमी रेज़मन (राजस्व-विभाग)। इनके अलावा नीचे लिखे पाँच सदस्य और उनके लिये नये विभाग, जुलाई १९४१ में, बढ़ाये गये:—

(८) सर्वमाननीय—सर सय्यद सुल्तान अहमद (कानून-विभाग), (९) महामाननीय सर अकबर हैदरी (सूचना और प्रचार विभाग); (१०) मा० मलिक सर फीरोज़ख़ाँ नून (मजदूर-विभाग), (११) मा० श्री एम० एस० अण्णे (प्रवासी भारतीय-विभाग), (१२) मा० डाक्टर ई० राघवेन्द्र राव (नागरिकरक्षा-विभाग) ।

इन बारह सदस्यों में से महामाननीय सर अकबर हैदरी और माननीय डा० ई० राघवेन्द्र राव की मृत्यु होजाने और माननीय सर ऐन्ड्रू ल्लो के आसाम का गवर्नर नियुक्त होजाने के कारण इनके रिक्त स्थानों पर क्रमशः सर सी० पी० रामस्वामी अय्यर, सर जे० पी० श्रीवास्तव और सर ई० सी० वैन्थल, उत्तराधिकारी नियुक्त किये गये । जुलाई १९४२ में कार्यकारिणी के विभागों में रद्दोबदल की गई और इस कारण तीन नये सदस्य और बढ़ाये गये । नई व्यवस्था के अनुसार प्रधान सेनाध्यक्ष का विभाग युद्ध-विभाग बना दिया गया और रक्षा-विभाग की नये सिरे से रचना की गई । इस पद पर मलिक सर फीरोज़ ख़ाँ नून नियुक्त किये गये और उनके रिक्त स्थान की पूर्ति डा० वी० आर० अम्बेदकर की नियुक्ति द्वारा की गई । सर रामस्वामी मुदालियर के युद्ध-मन्त्रिमंडल और प्रशान्त युद्ध-परिषद् में भारत के प्रतिनिधि मनोनीत होकर लन्दन चले जाने पर (जहाँ रहते समय वह वाइसराय की कार्यकारिणी के सदस्य बने रहेगे) मा० श्री न० रं० सरकार उत्तराधिकारी हुए और मा० सरकार के उत्तराधिकार की पूर्ति सरदार सर जोगेन्द्र सिंह की नियुक्ति से हुई । यातायात विभाग में, कार्य की अधिकता के कारण 'युद्ध-सम्बन्धी यातायात' और 'डाक और रेडियो' दो विभाग कर दिये गये और इस विभाग में खानबहादुर सर मुहम्मद उसमान को नियुक्त किया गया ।

नियुक्ति के बीस दिन के भीतर, रियासत का काम सँभालने के लिये, सर सी० पी० रामस्वामी अय्यर त्यागपत्र देकर त्रावणकोर वापस चले गये । फरवरी १९४३ में, महात्मा गान्धी के २१ दिन के व्रत के अवसर पर, उन्हें छोड़ने के प्रश्न पर वाइसराय से मतभेद होजाने के कारण, सर होमी मोदी, श्री अण्णे और श्री सरकार ने त्यागपत्र देदिये । इन पक्तियों के देने तक उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति की सूचना प्रकाशित नहीं हुई है ।


वायुयानवाहक जलयान (Aircraft Carrier)—यह जहाज बम-वर्षक तथा लडाकू हवाई जहाजों को ले जाते हैं । इनके ऊपरी भाग में तखतो से जडा हुआ इतना हमवार मैदान होता है, जिस पर से हवाई जहाज उडान भर सकता है ।

वाल स्ट्रीट—न्यूयार्क में स्ट्राक एक्सचेंज का स्थान । यह अमरीका में बैंकिंग तथा राजस्व का पर्याय है । वाल स्ट्रीट वहाँ एक राजनीतिक सत्ता है, किन्तु इस अर्थ में वह सर्वमान्य नहीं । मार्गन के दलों ने रूज़वैल्ट-शासन का विरोध किया है, किन्तु वाल स्ट्रीट के अन्य महाजन जैसे वारवर्ग और लेहमन शुरू से ही रूज़वैल्ट के समर्थक हैं ।

व्हाइट हाउस—संयुक्त-राज्य अमरीका का वाशिंगटन-स्थित सेक्रेटरियट ।

व्हाइट हॉल—भारत-मन्त्री का लन्दन-स्थित कार्यालय । भारत का शासन-प्रबंध इसी कार्यालय के द्वारा होता है । इसी कारण भारत-मन्त्री को व्यंग्य में कभी कभी “व्हाइट हॉल का महान् मुग़ल” कहा जाता है ।

विजयलक्ष्मी पंडित, श्रीमती—पं० जवाहरलाल नेहरू की बहन; विवाह से पूर्व का नाम स्वरूप कुमारी नेहरू; अँगरेजी तथा हिन्दी की शिक्षा प्राप्त की । सन् १९२१ में श्री रणजित् सीताराम पंडित, वार-एट-ला, के साथ विवाह हुआ । संयुक्त-प्रान्तीय कांग्रेसी-सरकार की, स्थानीय स्वायत्त-शासन विभाग की, भूतपूर्व मन्त्रिणी । आपके पति, मिस्टर पण्डित, कांग्रेस के सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता और अँगरेजी, फ्रान्सीसी, संस्कृत और कानून के पंडित हैं । श्रीमती पंडित सन् १९३० और १९४० के प्रान्दोलन में भी भाग लेती हुई जेल जा चुकी हैं और अगस्त '४२ से फिर जेल में हैं । सन् १९४७ में श्रीमती पंडित पहली महिला मन्त्रिणी हैं ।



विधान-निर्मात्री-परिषद्—सन् १९३६ में लखनऊ-कांग्रेस के सम्मानित

की हैसियत से, प० जवाहरलाल नेहरू के अभिभाषण में यह मॉग पेश की गई कि भारत में विधान-निर्मात्री-परिषद् द्वारा शासन-विधान बनाने का अधिकार स्वीकार किया जाय। तब से कांग्रेस अपने प्रस्तावों में बराबर इस मॉग पर जोर देती आ रही है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित विधान-परिषद् द्वारा भारतीयों को शासन-विधान बनाने का अधिकार हो। इसका तात्पर्य यह कि राजनीतिक सत्ता ब्रिटिश पार्लियामेंट अथवा ब्रिटिश जनता में निहित न होकर भारतीय जनता में निहित होनी चाहिये। ब्रिटिश सरकार ने इस मॉग को स्वीकार नहीं किया है।

विधानवाद—शासकों की 'उदारता' पर आश्रित रहकर देश की क्रमिक राजनीतिक प्रगति की निष्क्रिय वाञ्छा अथवा भारत में उसके विधान के अन्तर्गत वैध आन्दोलन तथा विधान को कार्यान्वित करके देश की उन्नति करने का कार्यक्रम। सन् १९१६ के बाद, देश में, इस मनोवृत्ति का अन्त हो चुका है और भारतीय जनता महात्मा गान्धी के नेतृत्व में, सत्य और अहिंसा के बल पर, अपनी राजनीतिक मुक्ति के लिये अग्रसर है।

विध्वंसक—यह एक प्रकार का तेज चलनेवाला जलयान है जो टारपीडो-क्राफ्ट का विन्वस कर देता है। इस पर तोपें आदि चढ़ी रहती हैं।

विनोवा भावे—युद्ध-विरोधी सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही; १७ अक्टूबर १९४० को श्री भावे ने, महात्मा गांधी के आदेशानुसार, युद्ध-विरोधी भाषण किया। पुनः कई गाँवों में घूमे और २१ अक्टूबर १९४० को गिरफ्तार किये जाकर ३ मास की कैद की सजा उन्हें दी गई। विनोवाजी महात्मा गांधी के उन शिष्यों में हैं जिन्होंने सत्य और अहिंसा को हृदयङ्गम कर लिया है। १९१६ में वह इन्टरमीजियेट में पढते थे। कालिज छोड़ दिया और सावरमती सत्याग्रह आश्रम में भर्ती होगये। विनोवाजी संस्कृत के पंडित हैं, अरबी और कुरान का भी अध्ययन किया है। वर्धा से दूर पौनार ग्राम में वह रहा करते थे, किन्तु पिछले दिनों वर्धा के निकट नालवाड़ी ग्राम में रहकर खादी-कार्यालय, गोरसशाला और चर्मालय का नियन्त्रण कर रहे थे। विनोवाजी साधक हैं और एकान्तिक सेवा में उनकी अभिरुचि है। युद्ध-विरोधी सत्याग्रह में, जेल से आने पर दुबारा भी आपने सत्याग्रह किया था। अगस्त, ४२ में

विनोवाजी भी फिर पकड़ लिये गये हैं ।

विपिनचन्द्र पाल, बाबू—विपिन बाबू बंगाल के एक प्रभावशाली नेता थे, और समस्त देश में उनका मान था । तत्कालीन कांग्रेस में उनका एक स्थान था । वग-भंग के समय उन्होंने बंगाल में स्वदेशी-प्रचार और विदेशी-बहिष्कार तथा राष्ट्रीय-शिक्षा के आन्दोलन को शक्ति प्रदान की । देश भर में उनके ओजस्वी भाषणों को बड़ी उत्सुकता से सुना जाता था । लार्ड मिण्टो के समय में उन्हें एक बार निर्वासन का दण्ड दिया गया । बंगला 'वन्देमातरम्' के संपादक की हैसियत से अरविन्द घोष पर एक मुकद्दमा चलाया गया । विपिन बाबू यह जानते थे कि उनकी साक्ष्य अरविन्द बाबू के विरुद्ध पड़ेगी । उन्होंने गवाही देने से इनकार कर दिया । इस कारण उन्हें ६ मास कैद की सज़ा मिली ।

कांग्रेस में वह सदैव उग्र राष्ट्रीयदल के साथ रहे इसलिये अपने समकालीन बंगाली नेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी से उनकी नहीं पटती रही । समस्त भारत में उस युग में तीन नेताओं की धाक थी : बाल (लोकमान्य बालगंगाधर तिलक), लाल (पजाब-केसरी लाला लाजपतराय) और पाल (बाबू विपिन चन्द्र) । एक बार आप योरप भी गये । अंगरेज़ी और बंगला के ओजपूर्ण वक्ता और प्रभावशाली लेखक थे । अनेक पत्रों का सम्पादन किया । सय्यद हुसैन के बाद प्रयाग के 'इन्डिपेन्डेन्ट' का सम्पादन करते रहे । इसके बन्द होने पर प्रयाग के अंगरेज़ी साप्ताहिक 'डेमोक्रेट' का भी सम्पादन किया । १९१६ के अमृतसर-अधिवेशन के बाद वह कांग्रेस को छोड़ बैठे । पजाब-सरकार ने, इस अवसर पर, उनके विरुद्ध प्रवेश-निषेध लगा दिया था । किन्तु विपिन बाबू इसको तोड़ कर अमृतसर पहुँचे थे । उनका अन्तिम सार्वजनिक भाषण १९२८ के सर्व दल सम्मेलन में हुआ । जीवन के अन्तिम दिनों में वह व्यक्तिवादी बन गये थे और 'इंगलिशमैन' में लेखा लिखा करते थे । सन् १९३१ में उनका देहान्त हो गया ।

विल्की, वैन्डल ल्यूइस—अमरीकी राजनीतिज्ञ; जाति का जर्मन, ६२ वर्ष पूर्व जिसके जर्मन पुरखे अमरीका में आ बसे थे; जिसका खानदाना नाम, जर्मन-उच्चारण के अनुसार, 'विलिके' (Willicke) है; इंडियाना विश्व-

विद्यालय से निकलकर विल्की १९१६ से ३२ तक न्यूयार्क आदि में वकालत करता रहा। १९३३ से अनेक अमरीकी छोटी-बड़ी विजली कम्पनियों का प्रेसिडेंट, चेयरमैन और डाइरेक्टर है। १९३३ तक वह रूजवैल्ट का समर्थक और 'डेमोक्रेट' दल में था, किन्तु रूजवैल्ट की 'नवीन योजना', विशेषकर सस्ती विजली के कारवाने कायम करने के रूजवैल्ट के कार्यक्रम के कारण—जिससे उसकी विजली-कम्पनियों को हानि हुई—विल्की रूजवैल्ट से विमुक्त होकर 'रिपब्लिकन' दल में शामिल होगया, जहाँ शीघ्र ही वह सर्वप्रिय बन गया। जून १९४० में रिपब्लिकन परिषद् ने उसे राष्ट्रपति पद के लिये उम्मीदवार मनोतीत किया। नवम्बर १९४० के चुनाव में उसको दो करोड़ रायें मिली, किन्तु रूजवैल्ट के मुकाबले में वह ४९,१४,७१८ वोट से हार गया। जनवरी १९४१ में, जब वह इंग्लैण्ड गया था, तो उसने वहाँ पत्रकारों से कहा कि, 'मैं शुद्ध जर्मन हूँ। मुझे अपने जर्मन रक्त पर गर्व है, किन्तु मैं आक्रमण और अत्याचार से घृणा करता हूँ।' दूसरे अमरीकी 'रिपब्लिकन' नेताओं के विपरीत उसने हिटलरवाद की तीव्र शब्दों में निन्दा की और ब्रिटेन को पूरी सहायता दिये जाने की वकालत की। उधार और पट्टा कानून का भी उसने समर्थन किया। अगस्त १९४३ में प्रेसिडेंट रूजवैल्ट ने उससे अपना विशेष प्रतिनिधि बनाकर रूस, तुर्की, चीन और सुदूरपूर्व के मिस्र, अरब, फिलिस्तीन, शाम, इराक, ईरान देशों में भेजा। स्तालिन आदि कई देश-नेताओं को वह रूजवैल्ट के निजी पत्र लेगया। विल्की के हिन्दुस्तान आने की भी खबर थी, किन्तु यहाँ आने और यहाँ की राजनीतिक स्थिति में हस्तक्षेप करने से उसे इनकार कर दिया गया था।

विलियम फिलिप्स—अमरीका के राष्ट्रपति रूजवैल्ट के निजी प्रतिनिधि जो, जनवरी १९४३ में भारत में नियुक्त होकर आये हैं। युद्ध के कारण लाखों अमरीकी सेना इस समय भारत में, धुरी-आक्रमण से उसकी रक्षा के लिये, यह तैनात है। अमरीकी सयुक्त-राज्य बरतानी सरकार को धन-जन से विपुल सहायता देरहा है, इसलिये भी, उस सम्बन्ध के सरकारी आवश्यक कार्य-संचालन के लिये मि० विलियम फिलिप्स की भारत में नियुक्ति हुई है। अमरीकी जनता भारत की समस्याओं के सम्बन्ध में

दिलचस्पी रखती है, किन्तु वहाँ की सरकारी नीति इस सम्बन्ध में तटस्थ रहने की ही है। फरवरी-मार्च १९४३ के महात्मा गान्धी के २१ दिन के व्रत के समय मि० फ़िलिप्स ने वर्तमान भारतीय समस्या के हल के लिये कुछ दिलचस्पी दिखाई थी, किन्तु सरकारी तौर पर अमरीका से इसके विपरीत संवाद मिला। आपसे पूर्व कर्नल लुई जान्सन भारत में, इस स्थिति में, रहते रहे हैं।

विल्हैल्मिना, नीदरलैंड्स की रानी—३१ अगस्त १८८० को पैदा हुई; १८९० में गद्दी पर बैठी; प्रिंस हैनरी से (जो १९३४ में मर गया) विवाह किया; शहज़ादी जूलियाना (जिसने प्रिंस बरनार्ड से शादी की है) विल्हैल्मिना की उत्तराधिकारिणी पुत्री है। १० मई १९४० को जब जर्मनी ने हालैंड पर आक्रमण किया तो विल्हैल्मिना ने उसका मुकाबला किया, किन्तु जर्मन-सेनाएँ, विश्वासघातियों की सहायता से, जब राजधानी हेग में दाखिल होगई तो रानी राज-परिवार सहित इंगलैंड को चलीगई।

विशेषाधिकार (Capitulations)—वह सन्धियों जिनके अनुसार किसी देश (विशेषकर साम्राज्यवादियों द्वारा अपहरित) में विदेशी अथवा शासक जाति के नागरिकों को, उस देश में प्रचलित कानून से अलग, नागरिक-अधिकार प्राप्त हों। योरपियन और अमरीकी राष्ट्रों ने इस प्रकार की सन्धियों तुर्की, फ़ारस तथा अन्य मुसलिम देशों, चीन और दूसरे एशियाई तथा अफ्रीकी देशों से प्राप्त कीं। इन सन्धियों के अनुसार इन देशों में रहने-वाले योरपियनों और अमरीकनों को हक़ हासिल था कि उनके विरुद्ध चलने-वाले मुक़दमों की सुनवाई उनके अपने देशवासियों द्वारा बनाई गई अदालतों में हो। यह विशेषाधिकार-सन्धियाँ बहुत पुराने समय, नवी शताब्दि, से होती चली आई हैं। वर्तमान युग में, अपहरित और पराधीन देशों में राष्ट्रीय-स्वाधीनता का जागरण आरम्भ होने से, इन अपमानजनक विशेषाधिकारों के प्रति, क्षोभ उत्पन्न हुआ और अब यह सन्धियाँ रद्द की जा रही हैं। तुर्की ने, १९२३ की लौसेन की सन्धि में, इनका अन्त कर दिया; फ़ारस ने १९२८ में स्याम ने १९३६ में और मिस्र में, १५ अक्टूबर '३७ की मोन्ट्रियो-सन्धि में, इन विशेषाधिकारों का इत्मा तो नहीं हुआ, यह तब हुआ कि आगामी बारह वर्षों तक, विशेष प्रकार के मामलों में, सम्मिलित अदालतें बैठती रहेंगी। चीन

और मरक्को के कुछ भागों में अब भी यह विशेषाधिकार लागू हैं ।

व्हिग—बरतानवी लिबरल दल का पुरातन नाम, जिसका, १८२८ में, दल ने त्याग कर दिया ।

व्हिप—पार्लमेन्ट या किसी देश की धारा-सभा का वह सदस्य जिसका कार्य, उसके अपने दल के सदस्यों को, किसी मसविदे या प्रस्तावादि पर मत देने के लिये सगठित करना है । जब किसी प्रश्न पर, धारा-सभा के अधिवेशन में, मत लिया जाता है उस समय वह अपने दल के अधिक से अधिक सदस्यों को आमंत्रित कर मत दिलाने का प्रबन्ध करता है । बरतानवी हाउस आफ् कामन्स में एक सरकारी चीफ व्हिप होता है, जो सरकारी मसविदे आदि के बारे में कार्य संचालित कराता है ।

वीजमन, डा० चैम—यहूदी-आन्दोलन का नेता; १८७४ में रूस में पैदा हुआ, ग्रेट-ब्रिटेन में बस गया; लीड्स विश्वविद्यालय में अध्यापक रहा. सुप्रसिद्ध रसायनाचार्य युद्धोपयोगी रसायन में अनेक प्रकार की गैसों और विस्फोटक पदार्थों का आविष्कार किया, इनके द्वारा, पिछले युद्ध में, अँगरेजों की मदद की, १९०६ से ही यहूदी-आन्दोलन में बालफोर की रुचि उत्पन्न की । अपने युद्धोपयोगी प्रयोगों द्वारा प्रभावित कर १९१७ में बालफोर से, फिलस्तीन के सम्बन्ध में, यहूदियों के हित में घोषणा कराई । फिलस्तीन के बँटवारे-सम्बन्धी १९३७ की योजना को वीजमन ने स्वीकार किया, पीछे अस्वीकार कर दिया । १९३६ की एतत्सम्बन्धी योजना को भी मानने से उसने इनकार कर दिया । इस योजना द्वारा फिलस्तीन में अरब और यहूदियों का सम्मिलित राज्य स्थापित होता, जिसमें यहूदी तिहाई अल्पसंख्यक जाति की भाँति रहते ।

वेर्ग, जनरल मैक्सिम—फ्रान्स का भूतपूर्व प्रधान सेनाध्यक्ष । १९ मई १९४० को वह फ्रान्स का प्रधान सेनाध्यक्ष बनाया गया । उसने जून १९४० में रिनौ-मंत्रि-मण्डल को सलाह दी कि फ्रान्स की सेना जर्मनी की सेना का मुकाबला करने में असमर्थ है, इसलिये फ्रान्स की सरकार को जर्मनी के साथ सन्धि कर लेनी चाहिये । सधि के प्रश्न को सबसे पहले वेर्ग ने मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा और अपनी बात पर जोर दिया । फ्रान्स के पतन के बाद भी वह और नौसेनापति दालार् दोनो हिटलर के हाथ की कठपुतली बने रहे,



और यह आशङ्का रही कि वह दोनो कही सब प्रकार की सेना और उसके लवाज्मे को शत्रु के हाथ में न सौंप दे। वेगों भी फ्रान्स के पतन के लिये उत्तरदायी है।

वेवल, फील्डमार्शल सर आर्की-बाल्ड पर्सीवल—भारत के प्रधान सेनाध्यक्ष। ३६ वर्ष से सैनिकक्षेत्र में सेवा कर रहे हैं। दो वर्ष तक आप वर्तमान युद्ध में अफ्रीका में प्रधान-सेनाध्यक्ष का कार्य बड़ी कुशलता के साथ कर चुके हैं। अफ्रीका में, सन् १९४० में, जो विजय मित्र-राष्ट्रो ने प्राप्त की, उसका मुख्य श्रेय आपके सामरिक-कौशल को

है। मिस्र तथा पश्चिमी अफ्रीका के रेगिस्तान में आपकी अध्यक्षता में मित्रराष्ट्रों की सेना ने इटालियन सेनाओं को बुरी तरह पराजित किया। पाँच मास में ३॥ लाख युद्ध-बन्धियों सहित अनेक अस्त्र-शस्त्र, टैंक, मशीनगने, आदि मित्रराष्ट्र की सेना के हाथ आये।

सन् १९०८ में जनरल वेवल भारत के पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त में सेना में अफसर रहे। विगत विश्व-युद्ध (१९१४-१८) में फ्रान्स, बेलजियम, रूस और फिलिस्तीन में, मित्र राष्ट्रों की ओर से, युद्ध में भाग लिया। आप युद्ध में घायल होगए और, इस प्रकार वीरतापूर्वक युद्ध में भाग लेने के उपलक्ष्य में, आपको सी० एम० जी० तथा एम० सी० की महत्त्वपूर्ण पदवियों प्रदान की गईं और गत वर्ष आप फील्ड मार्शल बनाये गये हैं।



वेवल साहय रण-नीति तथा सैन्य-संचालन में अत्यन्त निपुण हैं। इसलिए अमरीका तथा ब्रिटेन की सरकारों की ओर से प्रशान्त महासागर के लिये आपको सन् १९४२ में प्रधान सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

आप अंगरेजी के कुशल लेखक भी हैं। कई उत्कृष्ट और सुन्दर पुस्तकें लिखी हैं। अंगरेजी लेखन-शैली पर आपको अधिकार प्राप्त है।

वैटीकन—ईसाई मत के रोमन कैथलिक सम्प्रदाय के महन्ताचार्य्य—पोप—का निवास-स्थल वैटीकन सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। धर्माचार्य्य पोप की यह रियासत (State) एक स्वतन्त्र राजभूमि है, जिसका क्षेत्रफल १०८ एकड़ है। ससार की इस सबसे छोटी स्टेट् के मुख्य द्वारों पर स्विस द्वारपाल, अपनी विचित्र वेषभूषा में, प्रहरी रहते हैं। वैटीकन में अनेक राजभवन हैं, किन्तु पोप इनमें से एक के कोने में सादे कमरे में रहता है। वैटीकन में, एक राज्य की भौति, वेतार का तार, रेडियो, टकसाल, डाकविभाग, डाक-टिकट, रेलवे (२०० गज लम्बी) सब अपने हैं।


वैधानिक-संकट—सितम्बर १९३६ में योरप में युद्ध आरम्भ होजाने के बाद जब भारतीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से उसके युद्ध-उद्देश पूछे ताकि भारत को युद्ध में सम्मिलित करने की नीति स्पष्ट होजाय, और ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया, अपने युद्ध-उद्देश नहीं बताये, तब भारत के आठ प्रान्तों में, जहाँ कांग्रेस-मन्त्रि-मण्डलों का शासन था, कांग्रेसी सरकारों के त्यागपत्र दे देने से, वैधानिक संकट पैदा होगया। शासन-विधान-स्थगित कर दिया गया और प्रान्तीय गवर्नर सलाहकारों की सहायता से शासन करने लगे। तब से आज तक भारत के वैधानिक सङ्कट की यह समस्या बिना सुलभी हुई पड़ी है। गान्धीजी आदि कांग्रेसी नेताओं के प्रयास भी, इस सम्बन्ध में, विफल रहे और अगस्त १९४२ में, 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव के बाद यह समस्या और भी दुरूह होगई है। अगस्त '४२ के बाद सर तेज बहादुर सप्रू, श्रीराजगोपालाचारी आदि इसके सुलभाव के लिये प्रयत्नशील हैं। हिन्दू महा-सभा भी अपने इस प्रयत्न में असफल रही है। प्रयत्न अब भी जारी है।

वैल्स, सुमनर—संयुक्त-राज्य अमरीका का उपराष्ट्र-मन्त्री; १८६२ में पैदा हुआ; हरवर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ा, १९१५ में राज्य के कूटनीतिक-विभाग

मे आया; तोक्यो, क्यूबा आदि मे अमरीका का राजदूत रहा। मध्य और लातीनी अमरीका-सम्बन्धी कूटनीतिक विभागो मे काम करता रहा। १९३३ मे उपराष्ट्र मंत्री बना। पुनः राजदूत बनाकर भेजा गया और २१ मई १९३७ से उपराष्ट्र मन्त्री है। अमरीका की वैदेशिक नीति के सम्बन्ध मे राष्ट्रपति रूज़-वैल्ट और राष्ट्र-मन्त्री (सेक्रेटरी आफ् स्टेट्) कार्डेल हल के बाद वहाँ तीसरा नम्बर वैल्स का है।


वैस्टमिस्टर-क्रानून—इसके अनुसार ब्रिटिश उपनिवेशो की ब्रिटिश-साम्राज्यान्तर्गत पारस्परिक समता की स्थिति क्रानूनी रूप से स्वीकार की गई है।

वोरोशिलाफ़, मार्शल क्लीमन्त यफ्रे मोविच्—जन्म १८८१ ई०; गरीब चाप का बेटा, इसलिये बाल्य-काल मे लोहे के कारखानो मे मज़दूरी करनी पड़ी; रूस के क्रान्तिकारी आन्दोलन मे भाग लिया; बार-बार देश-निकाले की सज़ा देकर साइबेरिया भेजे गये। सन् १९१७ की क्रान्ति मे भाग लिया। रूस के गृहयुद्ध (१९१८-२०) के समय एक सेना का संगठन किया। सन् १९१९ मे वह सोवियत सवार-सेना के सेनापति नियुक्त किये गये। १९२५ से १९४० तक रूस के युद्ध-मन्त्री (वार कमिसार) रहे। इस पद पर रहकर वोरोशिलाफ़ ने लाल-सेना का नये ढंग से संगठन किया। १९२१ से वह कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के सदस्य हैं। मई १९४० मे उन्हें युद्ध-मन्त्रि-पद से हटाकर कौन्सिल आफ् पीपल्स कमिसारस का उप-प्रधान नियुक्त किया गया। जून १९४१ मे रूस-जर्मन युद्ध छिडने पर मार्शल वोरोशिलाफ़ को राष्ट्र-रक्षा समिति (स्टेट डिफेन्स कमिटी) का सदस्य और उत्तरी युद्ध-क्षेत्र (लेनिनग्राद के बचाव) का प्रथम प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। पीछे आपको पूर्वीय रूस मे नई सोवियत सेना संगठित करने का दायित्व भी सोपा गया। आपकी कमान मे रूसी लाल सेना ने महत्त्वपूर्ण विजय प्राप्त की है और चरावर प्राप्त कर रही है।



श

शंकरराव देव—कांग्रेस-कार्य-समिति के सदस्य महाराष्ट्र के प्रमुख कांग्रेसी नेता; निर्धन माता-पिता के कुल में, पूना के निकट भोर रियासत के एक ग्राम में, सन् १८६५ में, जन्म हुआ, पूना से हाईस्कूल परीक्षा पास की और बम्बई से बी० ए० । वह वकील बनना चाहते थे, किन्तु, राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के कारण, उन्हें कालेज त्याग देना पड़ा । लोकमान्य तिलक से श्री देव आरम्भ से ही प्रभावित थे । सन् १९१६-१७ के होमरूल आन्दोलन में भाग लिया । चम्पारन-सत्याग्रह में गांधीजी के साथ रहे । मराठी 'लोकशक्ति' तथा 'लोकसंग्रह' का संपादन किया । असहयोग तथा सत्याग्रह आन्दोलनों में कई बार जेल गये ।



शक्ति-सन्तुलन—इसका यह अर्थ है कि योरप में एक दल के राज्यों की शक्ति दूसरे दल के राज्यों की शक्ति के बराबर रहे, अन्यथा एक दल के राज्यों का एकाधिपत्य स्थापित होकर योरप की शान्ति के लिये खतरा बना रहेगा । ब्रिटिश वैदेशिक नीति की यह परम्परा रही है कि वह योरप में शक्ति-सन्तुलन की रक्षा के लिये प्रयत्नशील रही है । सन् १८७१ से १९१४ तक योरप में जो शान्ति रही उसका कारण यह शक्ति-सन्तुलन ही था । एक ओर जर्मनी, इटली तथा आस्ट्रिया का गुट था, दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रान्स, तथा रूस का मित्रदल । शक्ति-सन्तुलन का उद्देश्य प्रारम्भ से ही योरप की शक्तियों में समता बनाये रखने का रहा है, जिसमें ग्रेट-ब्रिटेन की स्थिति निरपेक्ष रही है

ताकि वह किसी झगड़े के समय उसका निपटारा कर सके। किन्तु जर्मनी की शक्ति बढ़ने से ब्रिटेन के लिये यह आवश्यक होगया कि सन्तुलन को कायम रखने के लिये वह एक दल में शामिल होजाय।

सन् १९१४-१८ के युद्ध के बाद जब योरप में फ्रान्स की सत्ता अधिक बढ़ी तो ब्रिटेन ने योरप में फ्रान्स की प्रधानता के भय से जर्मनी के पुनरुत्थान में योग दिया और उसकी शक्ति को बढ़ने दिया, और जब योरप में, हिटलर के नेतृत्व में, जर्मनी की सत्ता अधिक बढ़ गई तो शक्ति को सन्तुलित रखने के लिये ब्रिटेन ने नये सिरे से सोवियत रूस और फ्रान्स से सहयोगिता स्थापित करने का प्रयत्न किया। जहाँ तक रूस से सम्बन्ध था ब्रिटेन को तब इसमें सफलता नहीं मिली। जर्मनी ने अवसर से लाभ उठाकर अपने पुराने शत्रु रूस से मित्रता करली, योरप में जर्मनी का प्राधान्य होगया और योरप में वर्तमान युद्ध छिडा। आस्ट्रिया-हंगरी के साम्राज्य के लोप होजाने और योरपीय राजनीति में रूस के रहस्यमय आचरण के कारण शक्ति-सन्तुलन की समस्या कठिन बनी। किन्तु अब ब्रिटेन और रूस मित्र है—यदि युद्ध के बाद भी यह मित्रता स्थिर रहे। फ्रान्स अब ब्रिटेन का मित्र नहीं है।

शरणागत—सन् १९१४-१८ के युद्ध के बाद योरप के अनेक देशों ने राजनीतिक तथा जातीय भेदभावों के आधार पर अल्पमतों का उत्पीडन शुरू किया। फलतः अत्याचारों से पीडित लोगों ने अपने देशों का परित्याग कर दूसरे देशों में शरण ली। लडाई के बाद सबसे पहले शरणागत रूसी, आरमीनियन तथा यूनानी थे, जो तुर्की से निकाले गये। 'श्वेत' रूसी ३० लाख की संख्या में थे। इनमें से बहुत से पोलेण्ड, फ्रान्स, चीन में बस गये, शेष ससार के अन्य भागों में और ३ लाख आरमीनियन निकट पूर्वीय देशों में। राष्ट्रवादी तुर्की से १६३३ में निकाले गये १५ लाख यूनानी, राष्ट्रसंघ की सहायता से, यूनान में बस गये और यूनान-प्रवासी तुर्क बदले में अपने देश भेज दिये गये। जिनेवा स्थित नानसेन-कार्यालय शरणागतों (विशेषतः रूसियों) की व्यवस्था करता था।

शरणागतों की समस्या दूसरी बार १९३३ में, नात्सीवाद के उद्भव के समय, उठी। जातीय और राजनीतिक कारणों से ३॥ लाख नागरिक जर्मनी

और आस्ट्रिया से निकाले गये, जिनमे ३ लाख यहूदी, तीस हजार 'अनाथ' ईसाई और शेष में समाजवादी, साम्यवादी, प्रजातन्त्रवादी, राजसत्तावादी, और कैथलिक ईसाई हैं। मार्च १९३६ में जर्मनी द्वारा चैकोस्लोवाकिया के अपहरण के समय २५,००० व्यक्ति देश छोड़कर पश्चिमी योरप और अमरीका में जावसे। राष्ट्रसंघ की ओर से शरणागतों की व्यवस्था के लिये एक हाई कमिश्नर लन्दन में रहता है।

स्पेन के गृह-युद्ध की समाप्ति पर ३॥ लाख स्पेनियों को जब देश छोड़ना पड़ा, तो, कुछ को छोड़कर, जो मेक्सिको में जा बसे, इनका बोभ फ्रान्स पर पड़ा। किन्तु १९४० में फ्रान्स ने उन्हें अपने यहाँ से निकालना आरम्भ कर दिया। सितम्बर १९३६ में जर्मनी द्वारा पोलैण्ड के पराजित होने पर वहाँ के ५० हजार शरणागत अन्य देशों में चले गये। पोल अनाथ भारत में लाकर रखे गये हैं। जर्मनी द्वारा योरप के अन्य अनेक देशों के पददलित होने पर भारी सख्या में उन देशों के लोगो को बाहर निकलना पड़ा। चीन में जापानी आक्रमणों के कारण करोड़ों व्यक्ति बेघरवार होगये हैं।

शरतचन्द्र बोस—बंगाल में कांग्रेस असेम्बली पार्टी के नेता, कलकत्ता के प्रसिद्ध बैरिस्टर, सुभाष बाबू के बड़े भाई। सन् १९३४ में जब वह बंगाल सरकार के नजरबन्द राजबन्दी थे, तब जेल से ही केन्द्रिय असेम्बली के सदस्य चुने गये, किन्तु उन्हें अधिवेशनों में भाग लेने की आज्ञा नहीं मिली। बाद में मुक्त कर दिये गये। सन् १९३७ में बंगाल प्रान्तीय धारा-सभा के सदस्य चुने गये। तब से बराबर असेम्बली में कांग्रेस-दल का नेतृत्व किया। सन् १९४० में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उनके विरुद्ध अनुशासन की काररवाई की और उन्हें कांग्रेस से अलग कर दिया तथा उन्हें आदेश दिया गया कि वह कांग्रेस और असेम्बली की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे। शरत् बाबू ने अनुशासन की कार्य-



वाही का विरोध किया। सन् १९४१ में भारत-सरकार ने आपको नज़रबन्द कर दिया और वह जेल में हैं।

शाख्त, डा० जालमर होरेस ग्रीले—जर्मन अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ; १८७७ में पैदा हुआ; बेकर बना; एक बैंक में मैनेजर तथा हिस्सेदार रहा; युद्ध के बाद जर्मन प्रजातन्त्रवादी दल में शामिल हुआ और १९२३ के जर्मनी के आर्थिक-पतन के समय जर्मन-करेन्सी की स्थिरता के लिये उसने प्रयत्न किया; जर्मन राष्ट्रीय बैंक का प्रधान बना और १९२६ तक इस पद पर रहा। युद्ध का हरजाना देने का उसने विरोध किया और जर्मनी द्वारा विदेशों से कर्ज़ लिये जाने की नीति में भी उसने परिवर्तन कराया। सन् १९३१ में वह नात्सी-दल के सम्पर्क में आया। सन् १९३३ में हिटलर ने उसे पुनः राइख (जर्मन राष्ट्रीय) बैंक का अध्यक्ष बनाया। उसे अर्थ-मंत्री भी नियुक्त किया गया और वस्तुतः वह जर्मनी का अर्थ-अधिनायक बन गया। उसने जर्मनी की आर्थिक अवस्था को सुदृढ़ रूप में संगठित किया। १९३६ में हिटलर ने उसको आदरसूचक तमगा दिया। सन् १९३८ में गोरिंग् के प्रभुत्व के कारण उसे अर्थ-मंत्रित्व तथा बैंक की प्रधानता से त्यागपत्र देना पडा, क्योंकि वह गोरिंग् की चातुर्वर्षीय योजना का विरोधी था। सन् १९३६ के ग्रीष्म-काल में वह भारत आया और लड़ाई शुरू होते ही जर्मनी वापस चला गया, और इस समय, कहा जाता है, डा० शाख्त हिटलर को आर्थिक युद्ध-प्रयत्नों में सलाह देकर उसकी सहायता कर रहा है।



शान्ति-प्रतिज्ञा-संघ—(पीस प्लैज् यूनियन) ब्रिटेन के उग्र शान्तिवादियों की संस्था, बड़े पादरी शैपर्ड ने, अक्टूबर १९३४ में, इसकी स्थापना की। इस संस्था में प्रसिद्ध लेखक तथा राजनीतिक शामिल हैं, जैसे जार्ज लेन्सवरी, ला

पोन्सनवी, वरट्रेन्ड रसल, स्टार्म-जेम्सन और ऐल्डस हक्सले । सन् १९३७ मे यह सस्था 'नो मोर वार मूवमेन्ट' मे शामिल होगई । यह सस्था 'युद्ध-प्रतिरोधी अन्तर्राष्ट्रीय सघ' की ब्रिटिश शाखा है । इसकी ओर मे 'पीस न्यूज़' नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होता है । इसके १,२०,००० सदस्य हैं । इसके सदस्य सेना में भर्ती नहीं होते । यूनिथन युद्ध का प्रत्येक रूप में विरोध करती है, चाहे वह रक्षात्मक हो, अथवा दण्डाजा लागू करने के लिये हो अथवा सामूहिक सुरक्षा के लिये छेडा गया हो । यह सस्था जनता की आध्यात्मिक तथा नैतिक भावना से अपील करती है और अहिंसात्मक प्रतिरोध का समर्थन करती है । अन्तर्राष्ट्रीय नीति मे यह ऐसी स्थिति पैदा करना चाहती है जिससे युद्ध असंभव होजाय । विश्वव्यापी शान्ति-परिषद् की स्थापना, राष्ट्रसंघ मे सुधार, जिसमे उसे दण्डाजा लगाने का अधिकार न रहे, शासनादेश प्रणाली का विकास, सत्ता-धारियो द्वारा अभाव-पीडितों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करना भी इसके उद्देश्य हैं । यह सस्था वर्त्तमान युद्ध के विरुद्ध है । २२ फरवरी १९४० को ब्रिटिश होम सेक्रेटरी सर जान ऐन्डरसन ने पार्लमेन्ट मे कहा कि अधिकारी इस संस्था की कार्यवाहियो का कडाई से निरीक्षण कर रहे हैं ।

शान्तिवाद—युद्ध के उन्मूलन या परित्याग का आन्दोलन । ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमरीका तथा अन्य देशो मे, इन दो विश्वव्यापी युद्धो के पूर्व से ही, शान्तिवादी संस्थाये आन्दोलन कर रही हैं । इस सम्बन्ध मे कई बार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति-परिषदे भी आमत्रित कीगई । ईसाइयो के 'क्वेकर' फिरक्रे ने शान्ति-प्रसार आन्दोलन मे बहुत काम किया है । इसी आन्दोलन के फल-स्वरूप १९१४ के युद्ध से पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति-परिषद् हुई । युद्ध के बाद भी प्रयत्न हुए, जैसे राष्ट्र-सघ के विधान की रचना, अन्तर्राष्ट्रीय विश्व-न्यायालय की स्थापना, कैलाग समझौता तथा निःशस्त्रीकरण परिषद् । १९३६ मे, राष्ट्र-सघ के सहयोग से, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति-स्थापना के उद्देश से, ब्रुसेल्स (बेलजियम) मे शान्ति-परिषद् हुई, जिममे भारत के नेता राजेन्द्र बाबू ने भी भाग लिया । शान्तिवाद की अनेक धाराये हैं, सबसे अधिक उत्साही दल युद्ध-प्रतिरोधियो का है, जिन्होंने, १९२८ ई० मे, अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध-प्रतिरोधी संघ की स्थापना की । इगलैंड और अमरीका मे इस आन्दोलन का बहुत जोर है । किंतु यह

प्रयत्न अबतक केवल एक सिद्धान्त मात्र सिद्ध हुए हैं ।

शान्ति सेवक-संघ—देश में बढ़ते हुए हिन्दू-मुसलिम दंगों को व्यावहारिक रूप से रोकने के उद्देश्य से, जुलाई १९४१ में, महात्मा गांधी की प्रेरणा तथा उद्योग से, भारत में शान्ति-सेवक-संघों की स्थापना हुई । संघ का उद्देश्य साम्प्रदायिक एकता तथा सामाजिक शान्ति को सुदृढ़ नीव पर खड़ा करना और साम्प्रदायिक उपद्रवों को अहिंसात्मक उपायों से रोकने का प्रयत्न करना था ।

इसके सदस्यों के लिये निम्नलिखित नियम निर्धारित किये गये :—

(१) उसे संघ के उद्देश्यों को स्वीकार करना होगा ।

(२) उपद्रवों के बीच अथवा उत्तेजित वातावरण में उसे आत्मरक्षा तथा दूसरों की रक्षा के लिये अहिंसात्मक प्रतिरोध में विश्वासी होना आवश्यक है । संघ के आदर्शों को पूरा करने के हेतु उसे आत्म-बलिदान के लिये प्रस्तुत रहना चाहिए ।

(३) उसे प्रत्येक सप्ताह निर्धारित कार्य के संपादन के लिये समय देना होगा और आवश्यकता पड़ने पर पूरा समय भी देना पड़ेगा ।

(४) संघ की कार्य-समिति के दो सदस्यों की सिफारिश पर कोई व्यक्ति सदस्यता के लिये कार्य-समिति के समक्ष आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है । यदि कोई सदस्य संघ के उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करेगा तो उसे सदस्यता से पृथक् कर दिया जायगा । जो व्यक्ति संघ के उद्देश्यों से सहानुभूति रखेगा तथा साम्प्रदायिक एकता में विश्वास रखेगा, परन्तु वे संघ के सदस्य बनने के लिये तैयार न होंगे तो, कार्य-समिति उन्हें सहायक बना सकेगी और उन्हें उनके अनुकूल कार्य सौंपा जायगा ।

शाम—पूर्वीय भूमध्यसागर पर फिलिस्तीन के उत्तर में एक देश; अंगरेज़ी नाम सीरिया; क्षेत्र ० ५८,००० वर्ग ०; जन ० ३४ लाख; भाषा अरबी; पहले तुर्की-साम्राज्य का देश, किन्तु १९१४-१८ के विश्व-युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ के शासनादेश के अनुसार, फ्रांस के संरक्षण में आगया । हजाज़ के बादशाह हुसैन का बेटा अमीर फैज़ल, जो युद्ध में मित्र-राष्ट्रों का समर्थक था, १९२० में शामी-कांग्रेस द्वारा शाम का बादशाह घोषित किया गया, किन्तु मित्र-


राष्ट्रों ने इस निर्णय को अस्वीकार किया। अतएव अमीर फैज़ल को शाम छोड़ देना पड़ा और वह शाम के वजाय इराक़ का बादशाह बन गया। कई बार के विभाजन के बाद शाम को चार राज्यों में बाँटा गया : मुख्य शाम, क्षेत्र० ४६,००० वर्ग०; जन० २० लाख, राजधानी दमिश्क। लेबानन, क्षेत्र० ३८ सौ वर्ग०, जन० ७ लाख, राज० बैरुत, फ्रान्सीसी शासक भी यहीं रहता है। लतक़िया, क्षेत्र० २८ सौ वर्ग०; जन० ३॥ लाख; और जबल ट्रूज़, क्षेत्र० २४ सौ वर्ग० जन० ५० हज़ार, जहाँ युद्धप्रिय मुसलिम वर्ग आबाद है। शाम में ३ लाख खानाबदोश बहू भी हैं। उक्त चारों राज्यों में पारस्परिक राजनीतिक सम्बन्ध नहीं है। पूर्वकालीन शाम-देशीय संघ का अन्त १६२४ में चुका है। अलेक्जेंड्रेटा का इलाक़ा १६३८ में तुर्कों को दिया जा चुका है।

शाम में स्वाधीनता के लिये अरब-राष्ट्रीयता का प्रबल आन्दोलन जारी है, और शाम १८४७ से राष्ट्रीयता का उद्गम क्षेत्र रहा है। १६२० से १६३२ तक, फ्रान्सीसी-शासन के विरुद्ध, वहाँ बहुत से विद्रोह हुए। अखिल-अरब-वाद उनके आन्दोलन की पृष्ठभूमि है। नवम्बर-दिसम्बर १६३६ में फ्रान्स के साथ दो सन्धियाँ हुईं, जिन पर तीन वर्ष बाद अमल होने वाला था, और इस प्रकार मुख्य शाम और लेबानन को स्वाधीनता दी जाने वाली थी। बदले में इन दोनों राज्यों को फ्रान्स के साथ मित्रता और व्यापारिक सन्धियाँ करनी पड़ीं और राज्यों में फ्रान्सीसी फौजों का रहना स्वीकार किया गया।

सन्धिकर्ता दोनों देशों में मुख्य शाम राष्ट्रीयतावादी है और लेबानन में ईसाई अधिक हैं। उनकी फ्रान्स से सहानुभूति थी और वह अपने देश में तिरगा फ्रान्सीसी झंडा लगाते थे। लेबानन के ईसाई यहूदियों के भी पक्ष-पाती हैं। उक्त सन्धियों पर अमल का वक्त भी न आया था कि वर्तमान युद्ध छिड़ गया।

जर्मनो द्वारा शाम पर क़ब्जा होने की जब सम्भावना बढ गई, विशी फ्रान्स के इशारे पर उन्होंने देश में आना शुरू कर दिया, तब, ८ जून १६४१ को, बरतानवी और आज़ाद फ्रान्सीसी २ फ़ौजे शाम में दाखिल होगईं।

विशी फ़्रान्स की सेनाओं से युद्ध हुआ और १२ जुलाई को विशो की सेनाओं-
ने हथियार डाल दिये । ब्रिटेन और
आज़ाद फ़्रान्सीसियों ने मुल्क शाम
की स्वाधीनता की घोषणा करदी,
वहाँ फ़्रान्सीसी शासन समाप्त हो
गया और शामियों को आज़ादी
दे दी गई कि वह सब एक होजायें
अथवा अपने मुल्क में अनेक राज्य
स्थापित करलें । २६ दिसम्बर १९४१
के आज़ाद फ़्रान्स ने शाम देश की
स्वाधीनता और शामी प्रजातन्त्र के
प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया और
शाम का पूर्व प्रधान मन्त्री, शेख
ताजुद्दीन, प्रजातन्त्र का राष्ट्रपति बना ।



शादूलसिंह कवीश्वर, सरदार—सिख कांग्रेसी नेता, जन्म १८८६ ई०;

अमृतसर में बी० ए० तक शिक्षा प्राप्त
की । असहयोग आन्दोलन (१९२०-
२१) में भाग लिया ; दिल्ली से 'सिख
रिव्यू' तथा लाहौर से 'न्यू हैरल्ड' पत्रों
का सम्पादन किया । सन् १९२५ में
प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन पंजाब के
सभापति बनाये गये । कांग्रेस-कार्य-समिति
के सदस्य रहे । सन् १९३२ के आन्दोलन
में कांग्रेस के स्थानापन्न अध्यक्ष रहे ।
Non-violent Non-co-operation
(अहिंसात्मक असहयोग) तथा
Studies in Sikh Religion (सिख
धर्म-मीमांसा) नामक अंगरेजी पुस्तकें



लिखी हैं। सन् १९३६ से श्री सुभाषचन्द्र बोस द्वारा स्थापित अग्रगामी दल के सगठन का कार्य कर रहे थे। सन् १९४२ के आरम्भ में आप नजरबन्द कर दिये गये।

शासन-उत्क्रान्ति—सहसा सरकार में बलपूर्वक परिवर्तन, जो शासन-मूत्र-सचालक सरकारी वर्ग अथवा सैनिक अफसरों द्वारा किया गया हो। राज्य-क्रान्ति (Revolution) तथा शासन-उत्क्रान्ति (फ्रान्सीसी भाषा के शब्द Coup d'etat) में अन्तर यह है कि क्रान्ति में देश की अधिकांश जनता भाग लेती है और शासन-उत्क्रान्ति में केवल राजकीय सत्ताधारियों, विशेषकर सैनिकदल, द्वारा शासन में परिवर्तन किया जाता है। योरोप के देशों में अनेक उत्क्रान्तियों हुई हैं : नेपोलियन प्रथम ने १७९९ में, नेपोलियन तृतीय ने १८५१ में, मुसोलिनी ने १९२५ में, पिल्सुड्स्की ने पोलेन्ड में १९२८ में इस प्रकार की शासन-उत्क्रान्ति की। ब्रिटिश इतिहास में केवल क्रामवेल इस प्रकार का उदाहरण है। शासन-उत्क्रान्ति का प्रयत्न असफल भी हुआ है, जैसे १९२० में जर्मनी का कैप पुख। लातीनी अमरीका में तो यह उत्क्रान्ति वहाँ की राजनीति का एक अंग बन गई है। पहले युग में उत्क्रान्तिकारी केवल सरकारी भवनों पर कब्जा करते थे, किन्तु आधुनिक युग में वह रेलवे, रेडियो केन्द्र, बिजलीघर, वाटरवर्क्स तथा अन्य कारखानों पर भी अधिकार कर लेते हैं।

शासन-परिवर्तन—प्रजातंत्र राज्यों में सामान्यतया मन्त्रि-मण्डल वैधानिक रूप से बदलते रहते और तदनुसार सरकारें कायम होती रहती हैं। इसमें न कोई उत्क्रान्ति होती है और न हिंसा ही।

शासन-विधान—किसी भी प्रजातंत्रवादी अथवा अन्य राज्य का वह मौलिक विधान जिसके अनुसार राज्य का शासन-प्रबन्ध होता है। प्रजातंत्र राज्यों में प्रजा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सगठित विधान-निर्मात्री-परिषद् द्वारा शासन-विधान बनाया जाता है। इस विधान में देश की कोई धारा-सभा परिवर्तन नहीं कर सकती। जहाँ लिखित विधान होता है, वहाँ ऐसा ही नियम है। ब्रिटेन में पार्लमेण्ट ही सर्वोच्च विधान परिषद् है। इसलिये उसे विधान बनाने या उसमें सशोधन करने का पूरा अधिकार है।

शासनादेश-प्रणाली—पिछले युद्ध के बाद, वर्साई की संधि की धाराओं के अनुसार, जर्मन तथा तुर्की उपनिवेशों के शासन-प्रबन्ध के लिये, यह एक नवीन प्रणाली (Mandate) स्थापित की गई। इसके द्वारा इन दोनों देशों के उपनिवेश और शासित देश राष्ट्र-संघ के अधीन होगये और इनका शासन-भार कुछ मित्रराष्ट्रों, विशेषतः ब्रिटेन और फ्रान्स को, सौंप दिया गया। यह शासनादेश प्रणाली तीन प्रकार की है।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमिटी—यह संस्था अमृतसर में १५ नवम्बर १९२० को स्थापित की गई। इस संस्था का उद्देश्य यह है कि सिख पथ के गुरुद्वारों का समुचित प्रबन्ध सिखों द्वारा ही हो, सरकार द्वारा नहीं।

श्रीनिवास शास्त्री—महामाननीय वी० एस०; पी० सी०; भारतीय लिबरल दल के प्रसिद्ध नेता; जन्म १८६६ ई०; शिक्षा प्राप्त करने के बाद ट्रिपलीकेन हाईस्कूल के हैडमास्टर होगये। सन् १९०६ में इस पद से त्यागपत्र दे दिया। सन् १९१५-२७ तक स्वर्गीय गोखले के बाद पूना में भारत-सेवक-समिति के अध्यक्ष रहे। सन् १९१३-१६ तक मदरास व्यवस्थापिका सभा के सदस्य रहे। सन् १९१६-२० तक दिल्ली में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बर रहे। सन् १९२१ में साम्राज्य शान्ति-सम्मेलन में भाग लेने गये। राष्ट्र-संघ तथा वाशिंगटन सम्मेलन के अधिवेशनों में भारत के प्रतिनिधि बना कर भेजे गये। सन् १९२१ में प्रिवी-कौंसिलर (पी० सी०) की पदवी मिली। १९२२ में उपनिवेशों में भारत के प्रतिनिधि की हैसियत से दौरा किया। १९२१-२४ में राज्य-परिषद् के सदस्य रहे। १९२३ में केनिया सभ्य-मण्डल के सदस्य बने। सन् १९२६-२७ में दक्षिण अफ्रीकी भारतीय सभ्य मण्डल के सदस्य थे। १९३७ से '४१ तक मदरास की लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य रहे।

शुक्ल, पंडित रविशंकर—मध्यप्रान्तीय कांग्रेस-सरकार के भूतपूर्व प्रधान-मंत्री। सन् १९३८ के मध्य में, जब डा० बी० एन० खरे को, उनके विरुद्ध कांग्रेस पार्लिमेटरी बोर्ड द्वारा लगाये गये अनुशासन के फलस्वरूप, प्रधान-मंत्रि-पद से त्याग-पत्र देना पडा, तब प० रविशंकर शुक्ल ने मंत्रि-मण्डल बनाया। डा० खरे के मंत्रि-मण्डल में आप शिक्षा-मंत्री थे। आपने अपने प्रधान-मंत्रि-काल में 'विद्या-मन्दिर' की योजना तैयार कराई और उसके

अनुसार प्रात में शिक्षा का प्रसार किया। 'मन्दिर' शब्द पर आगति उठाकर मुसलमानों ने इस योजना का विरोध किया। १९३६ में युद्धादेश प्रश्न पर, समस्त कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों के साथ, आपके मन्त्रिमण्डल ने भी त्याग-पत्र दे दिया। अगस्त सन् १९४२ से जेल में हैं। अपनी जन्म भूमि रायपुर में प्रसिद्ध वकील रहे हैं। असहयोग-काल में आपने प्रेक्टिस छोड़ दी और देश सेवा में सलग्न रहे।

शुशानिग, डा० कर्ट फान—भूतपूर्व आस्ट्रियन चान्सलर, जन्म सन् १८६७; आस्ट्रिया के विविध मन्त्रिमण्डलों में सदस्य रहा; जुलाई १९३४ में, डाल्फस की हत्या के बाद, आस्ट्रिया का चान्सलर बना। आस्ट्रिया में राजतन्त्र स्थापित करने का प्रयत्न वह कर रहा था कि हिटलर ने आस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने की माँग पेश की। शुशानिग ने प्रतिरोध करने का विचार किया, इसी बीच हिटलर ने उसे बुला भेजा और धमकाकर उससे आस्ट्रिया में नात्सीवाद का मार्ग प्रशस्त करने के सम्वन्ध में लिखा लिया। लौटकर शुशानिग ने हिटलर के विरुद्ध जनमत लेने का प्रयत्न किया। इसी अवसर पर, १२ मार्च १९३८ को, जर्मन-सेनायें आस्ट्रिया में आगईं और हिटलर ने आस्ट्रिया को जर्मन राइख में मिला लिया, डा० शुशानिग को गिरफ्तार कर लिया गया और आज भी वह राजबन्दी है।



श्वेत-रूस—सोवियत संघ का एक प्रजातन्त्र; दक्षिण - पश्चिमी सरहद

पर स्थित; श्वेत रूसियो द्वारा बसा हुआ; भाषा रूसी से भिन्न किन्तु रूसी और यूक्रेनी से मिलती-जुलती; १९३६ के आरम्भ मे इसका क्षेत्रफल ४६००० वर्ग० तथा जन० ५० लाख से ऊपर थी; राजधानी मिन्स्क। १९२० के सोवियत-पोलैन्ड-युद्ध के बाद २० लाख श्वेत रूसियो की आबादी का इलाका पोलैन्ड के पास रहा आया था। सितम्बर १९३६ मे, पोलैन्ड के बँटवारे के समय, सोवियत सघ का आधिपत्य स्थापित होजाने से, श्वेत रूसी प्रजातंत्र की संख्या मे ४० फ्रीसदी वृद्धि होगई। श्वेत रूसी एक जाति है, राजनीतिक समुदाय नहीं। रूसी गृह-युद्ध-काल के बोल्शेविक-विरोधी 'श्वेत रूसियो' से इस जाति का कोई सम्बन्ध नहीं है। सोवियत संघ मे यह क्रौम 'बाइलो रूसी' कहलाती है (रूसी भाषा का 'बाइली'=श्वेत)। आजकल के रूस-जर्मन-युद्ध में श्वेत रूसी अन्य देशवासियो के साथ अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये नात्सियो से डट कर लोहा ले रहे हैं।

श्वेत-सेना—रूस के सन् १९१७-१९२१ के गृह-युद्ध में क्रान्ति-विरोधी सेना। क्रान्तिकारी साम्यवादियो की सेना 'लाल सेना' थी। उसकी तुलना में विरोधियो की सेना 'श्वेत' कहलाई। यह शब्द फ्रान्सीसी राजक्रान्ति से ग्रहण किया गया है, क्योकि फ्रान्सीसी प्रजातन्त्रवादियो के विरुद्ध विद्रोह करनेवाली राजतन्त्रवादी सेनाओ का चिह्न श्वेत कमल था, जो फ्रान्सीसी राज-परिवार का भी चिह्न था। रूस के सर्वतन्त्र स्वतन्त्र होते ही इन देश-द्रोहियो का भी अन्त होगया।

श्लैसविग-हाल्स्टीन—जर्मनी का एक उत्तरी प्रान्त ; क्षेत्र० ५,३०० वर्ग०, १८६४ में जिसे प्रशा ने डेनमार्क से ले लिया। इस प्रदेश के डेनिश अधिवासी अर्द्ध शताब्दि से अधिक समय से मतालवा कर रहे थे कि उन्हे डेनमार्क वापस भेज दिया जाय। १९४० में, वर्साई की संधि के नुसार, इसके सम्बन्ध मे, जनमत लिया गया, फलतः उत्तरी श्लैसविग ज़िला डेनमार्क को वापस कर दिया गया, तब से यह 'दक्षिणी जटलैण्ड' कहलाता है। इस ज़िले में ३५,००० जर्मन भी हैं, जिनको अनेक अधिकार प्राप्त हैं और उनके अपने मदरसे हैं। जर्मनी ने डेनमार्क पर अधिकार कर लिया है किन्तु इस ज़िले को जर्मन-राइख मे शामिल नहीं किया है।

स

सऊदी अरब—जिसे सऊदिया भी कहा जाता है; इब्न सऊद का स्वतन्त्र अरब राज, जो अरब प्रायद्वीप के आन्तरिक भाग, मुख्य अरब और लालसागर के किनारे के भू-भाग, हैजाज, को मिलाकर बना है; क्षेत्र ४॥ लाख वर्ग०, जन० ४५ लाख, राजधानी, अरब के मध्य, नज्द में, अररियाज़। मुसलमानों के तीर्थ-स्थल, मक्का शरीफ और मदीना मुनव्वरा, सऊदिया के ही अन्तर्गत हैं। मक्का इस देश की दूसरी राजधानी माना जाता है और जहा, लालसागर पर, यहाँ का प्रधान बन्दरगाह है। नज्द और हैजाज़ को मिलाकर, सन् १९३२ मे, इब्न सऊद ने इस सल्तनत की स्थापना की। यह प्रदेश विस्तृत किन्तु छितरा बसा हुआ और जिसका अधिकांश भाग सहारा यानी मरुभूमि है। नज्द वहाबी सम्प्रदाय के मुसलमानों का केन्द्र है। वहाबी मुसलमान, धर्म में वाह्याचार के अधिक कायल नहीं। वे पाकबाज और पवित्रतावादी तो हैं किन्तु शान्तिवाद के विरुद्ध वह लडाके और कट्टर हैं। सऊदी अरब, आधुनिक सभ्यता के अनुसार, पिछड़ा हुआ देश है। वहाँ अच्छी सड़कें नहीं हैं, सिर्फ मोटरे वहाँ चलती हैं, थोड़े से हवाई जहाज़ और टैंकों से लहैस छोटी-सी आधुनिक सेना है। हैजाज रेलवे मदीना से दमिश्क तक जाती है, किन्तु इसकी हैजाज शाखा इस समय बन्द है। 'रियाल' यहाँ का (हिन्दुस्तानी रुपये के बराबर) सिक्का है। पूर्वी सऊदिया मे मिट्टी का तेल भी निकलता है, जिसका ठेका केलिफोर्निया की स्टैन्डर्ड आइल कम्पनी के पास है। सन् १९४०-४१ मे यहाँ ६ लाख टन तेल निकाला गया। इब्न सऊद अँगरेजों का दोस्त है, मिस्र और इराक से भी सऊदिया की मैत्रीपूर्ण सन्धियाँ हैं। १९३४ मे इब्न सऊद ने यमन (अरब के अन्य स्वाधीन राज) पर चढ़ाई करदी, जिसमे यमन की हार हुई। इस युद्ध में सऊदिया को बरतानिया ने और यमन को इटली ने मदद दी।

सत्यमूर्ति, एस०—सुप्रसिद्ध कांग्रेसी विधानवादी नेता; जन्म १८८७ ई०; बी० ए०, एलएल० बी०; मदरास हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध ऐडवोकेट थे। सन् १९१६ में कांग्रेस-डेपुटेशन के सदस्य की भौति और सन् १९२५ में स्वराज्य दल के प्रतिनिधि होकर इंग्लैण्ड गए। मदरास की अनेक शिक्षा-संस्थाओं के सभापति थे।

मदरास प्रान्तीय कौंसिल और अ०-भा० कांग्रेस कमिटी के सदस्य रहे। सहकारी समितियों तथा कमीशनों के सदस्य रहे और उनके सामने बयान दिए। तामिल नाड प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के सभापति रहे। सविनय अवज्ञा आन्दोलन में तीन बार जेल-यात्रा की। केन्द्रिय लेजिस्लेटिव असेम्बली के प्रमुख सदस्य तथा केन्द्रिय असेम्बली कांग्रेस-पार्टी के उपनेता थे। आपके तर्कपूर्ण और प्रभावशाली भाषणों से असेम्बली के सरकारी हलकों में चिन्ता उत्पन्न होजाती थी। 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव के बाद आपको ११ अगस्त '४२ को पकड़ कर नज़रबन्द कर दिया गया था, किन्तु जेल में सख्त बीमार होजाने के




कारण १० जनवरी '४३ को मद्रास के जनरल अस्पताल में लाये गये और २ फ़रवरी को रिहा कर दिये गये। २८ मार्च को अस्पताल में ही उनका देहान्त होगया।

सत्याग्रह—शाब्दिक विभक्ति सत्य+आग्रह अर्थात् सत्य के लिये आग्रह : व्यक्ति या व्यक्ति-समूह द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सत्य पर आश्रित रहकर अहिंसात्मक प्रतिरोध या प्रयास। महात्मा गांधी ने इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका के भारतीय आन्दोलन में किया। महात्मा गांधी ने अपनी 'हिन्द स्वराज्य' नामक पुस्तक में लिखा है—

“सत्याग्रह को अंगरेज़ी में Passive resistance (निष्क्रिय प्रतिरोध) कहा जाता है। यह शब्द उस तरीके के लिये काम में लाया गया है जिसमें लोगों ने अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए स्वयं कष्ट उठाया है। शस्त्र-

के प्रति उत्तरदायी हो और समस्त विभाग भागतीयों को सौंप दिए जायें।

मार्च, ४२ में आपने नई देहली में सर स्टैफर्ट क्रिप्स ने भेट की और अपनी उक्त मॉगों पर जोर दिया। आपको कई वर्ष पूर्व सरकार ने 'सर' की उपाधि प्रदान की थी। आप प्रिवी कौंसिल के भी सदस्य हैं। भारत के वर्तमान वैधानिक मद्कट के निवारण के लिये आप निरन्तर प्रयत्नशील हैं, और अगस्त १९४२ में 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव के बाद उत्पन्न हुई स्थिति में, भारत की एकमात्र सार्वजनिक सस्था कांग्रेस के दमन के बाद, आप ही देश की स्थिति सँभालने का प्रयत्न प्रमुख रूप से कर रहे हैं। फरवरी १९४३ में, महात्मा गांधी के २१ दिन के व्रत के समय, आपकी अध्यक्षता में ही, सर्वदल सम्मेलन हुआ और ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री मि० चर्चिल को तार भेजा गया। आप और आपके सहयोगी श्री राजगोपालाचारी, आदि अब भी इस दिशा में प्रयत्नशील हैं।



समाजवाद—सार्वजनिक सम्पत्ति और सुगठित आर्थिक-व्यवस्था की एक प्रणाली तथा एक राजनीतिक आन्दोलन। इसी प्रणाली की स्थापना करना समाजवाद का उद्देश है। १९वीं शताब्दिके पूर्वार्द्ध-कालमें आधुनिक समाजवाद के अनुकूल आदर्श मानव-संस्थाओं की कल्पना पुस्तकों में की गई। इससे भी बहुत पूर्व, सबसे पहले, सर टामस मोर (काल १४७८-१५३५) ने अपनी 'यूटोपिया' नामक पुस्तक में आदर्श समाजवादी संस्थाओं की कल्पना की। सर टामस के मत के अनुयायी अपने उद्देश की सिद्धि का साधन क्रान्ति को नहीं प्रचार को मानते हैं। १७७२ और १८३७ के बीच फ्रान्सीसी लेखक एफ० सी० फौरियर ने इस प्रकार के समाज की कल्पना को व्यावहारिक रूप देने के लिये संस्थाओं की स्थापना की। सन् १७७१-१८५८ में राबर्ट ओइन नामक कपड़े के एक कारखानेदार ने इस प्रकार का एक आदर्श

कारखाना खोला और इंग्लैण्ड और अमरीका में आदर्श समाजवादी संस्थाओं की स्थापना के लिये उसने बहुत-सा धन दिया। किन्तु यह सब प्रयत्न विफल हुए।

समाजवाद को १८४१ में सबसे पहले राजनीतिक महत्ता प्राप्त हुई। फ्रान्स में प्राउटन और लुई ब्लेक ने राष्ट्रीय उद्योग-धन्धों की स्थापना की। किन्तु कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक ऐंजल्स, दोनों जर्मन समाजवादियों, ने पूर्वोक्त दोनों का विरोध किया। मार्क्स और ऐंजल्स ने अपने कम्युनिस्ट घोषणापत्र में समाजवाद की नवीन व्याख्या की और 'लीग आफ् कम्युनिस्ट्स' की स्थापना की। अपने घोषणापत्र में इन लोगों ने इस प्रणाली को अस्वीकार किया कि मानवता और नैतिकता के प्रचार से समाजवाद की स्थापना हो सकती है। इन्होंने कहा कि समाजवाद का सम्बन्ध तो वर्ग-संघर्ष से है। मार्क्सवाद, जो 'वैज्ञानिक समाजवाद' कहा जाता है, के उदय के बाद 'यूटोपियन' सिद्धान्त का अन्त होगया।

उपरान्त जर्मनी समाजवाद का केन्द्र बन गया। १८८१ से १८९१ तक ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रिया और रूस सहित अनेक देशों में समाजवादी दल स्थापित हुए। १८६५ में मार्क्स ने इन्टरनेशनल वर्कर्स एसोसियेशन की स्थापना की, बाद में जिसका नाम 'फर्स्ट इन्टरनेशनल' पड़ा, और जिसके कुछ हजार सदस्य थे। मार्क्सवाद और अराजकतावाद (अनारकिज्म) में संघर्ष चलता रहा और १८७२ में इसका अन्त हो गया। १८८३ में मार्क्स की मृत्यु हो गई, किन्तु ऐंजल्स १८९४ तक, जब उसकी मृत्यु हुई, इस आन्दोलन को चलाता रहा। १८८९ में इन्टरनेशनल को पुनर्संगठित किया गया और संसार भर के समाजवादी दल उसमें सम्मिलित होगये। इस 'द्वितीय इन्टरनेशनल' को विश्वक्रांति का केन्द्र माना तो गया किन्तु इसमें सुधारवादी और क्रान्तिकारी दो पक्ष होगये: सुधारवादी शांतिपूर्ण आंदोलन द्वारा क्रमिक विकास पर जोर देते थे और क्रान्तिकारी हिंसापूर्ण क्रान्ति पर।

१९१२ में अन्तर्राष्ट्रीय संघ (इन्टरनेशनल) ने युद्ध के विरोध की आवाज़ उठाई और घोषणा की कि यदि पूँजीपतियों ने युद्ध छोड़ा तो मज़दूर समुदाय विद्रोह करेगा। किन्तु, अगस्त १९१४ में, युद्ध छोड़ने पर यह कुछ नहीं हुआ। कुछ को छोड़कर संसार के समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीयता का त्याग कर

राष्ट्रवादी बनगये और युद्ध-प्रयत्नों में अपनी-अपनी सरकार की उन्हांने मदद की। उग्र समाजवादियों ने इस नीति की निन्दा की और नया आन्दोलन सगठित किया। १९१७ की दूसरी क्रान्ति के बाद, लेनिन के नेतृत्व में, रूस में यह आन्दोलन जोर पकड़ गया। जर्मनी में, नवम्बर १९१८ में, लेवकनेख्त के नेतृत्व में, समाजवादी आन्दोलन उठा और उसने वहाँ युद्ध का अन्त ही कर दिया। जर्मनी में नरम समाजवादी शक्तिशाली होगये, किंतु उग्र दल क्रान्ति के प्रयत्न में सलग्न रहा। इसके नेता लेवकनेख्त और रोज़ा लक्सम्बर्ग मारे गये और सरकार ने आन्दोलन का अन्त कर दिया। उपरान्त १९२० में मास्को में तृतीय या 'कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल' की स्थापना हुई। योरोप के अनेक देशों में कम्युनिस्ट दलों ने समाजवादी सस्थाओं से सम्बन्ध तोड़ लिया। समाजवादी अपने देशों की सरकारों के अधिकारी बन गये। उन्हांने तय किया कि जब तक बहुमत समाजवाद के पक्ष में नहीं हो जायगा, वह सरकारों में समाजवादी विधान की स्थापना न करेंगे। ज्यूरिच (स्विट्ज़रलेन्ड) में, अधूरे ढंग पर, 'सोशलिस्ट इन्टरनेशनल' की स्थापना की गई। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दलों के बीच के 'स्वतन्त्र समाजवादियों' ने १९२२ में 'टू-एन्ड-ए-हाफ़ इन्टरनेशनल' नाम से अपनी 'ढाई ईंट की मसजिद' अलग बनाई, किन्तु जल्द इनका श्वात्मा होगया। सन् १९२२ और १९३३ के दर्मियान सैकन्ड और थर्ड इन्टरनेशनल को एक करने के प्रयत्न में पारस्परिक सघर्ष चलता रहा। मज़दूर आन्दोलन के इस विग्रह के कारण जर्मनी में नात्सीवाद का उत्थान हुआ, जिसने वहाँ समाजवाद के दोनो पक्षों को नष्ट कर दिया। दोनों को मिलाने के लिये सयुक्त-मोर्चा (पापुलर फ्रन्ट) के नाम से फिर प्रयत्न हुआ, किन्तु उसका क्षणिक प्रभाव केवल स्पेन और फ्रान्स में हुआ। जर्मनी-इटली-स्पेन के गँठजोडे ने प्रजातन्त्र-देशों में समाजवादी विचार-धारा को दुर्बल कर दिया। इस युद्ध में बरतानवी और मित्रदेशीय समाजवादी, हिटलरवाद के खिलाफ, अपने देशों की सहायता कर रहे हैं। विदेशों में पड़े हुए जर्मन समाजवादी भी हिटलरवाद के विरोधी हैं।

समाजवाद की दो प्रमुख धाराओं—प्रजातन्त्री समाजवाद (डिमोक्रेटिक सोशलिज्म) और साम्यवाद (कम्युनिज्म)—के अतिरिक्त कई अन्य धाराये

हैं, जिनके अपने उद्देश है, जैसे अराजकतावाद (अनारकिज्म), संघवाद (सिन्डीकेलिज्म), सहकारितावाद (को-अपरेटिविज्म) और ईसाई (कैथलिक) समाजवाद (क्रिस्चियन सोशलिज्म) ।

संसार में रूसी सोवियत संघ ही संपूर्ण रूप से समाजवादी देश है । मेक्सिको में भी समाजवाद का प्रसार हुआ है । अन्य देशों में समाजवाद का व्यवहार तो आरम्भ नहीं हुआ किंतु जनता पुकारने लगी है कि राष्ट्रीय सम्पत्ति पर सरकार का आधिपत्य होना चाहिए ।

सम्पूर्णानन्द, श्री—सयुक्त-प्रान्तीय कांग्रेसी नेता, जन्म सन् १८६६ ई०; बी० एससी०, एल० टी०; डैली कालिज इन्दौर में अध्यापक और डूंगर कालिजियट हाईस्कूल बीकानेर में प्रिन्सिपल रहे । प्रयाग के उपरान्त काशी से प्रकाशित 'मर्यादा' और काशी के 'आज' तथा अँगरेज़ी दैनिक 'टुडे' का सम्पादन किया । सभी कांग्रेसी आन्दोलनों में भाग लिया और बार बार जेल गये । सन् १९२३-२६ तक काशी विद्यापीठ के अध्यापक । १९२४-२६ में प्रान्तीय धारा सभा के सदस्य और १९२५-२६ तक संयुक्त-प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के मंत्री रहे तथा १९३०-३६ में अ०-भा० कांग्रेस कमिटी के सदस्य । सन् १९३४ में अखिल-भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल के अध्यक्ष । समाजवादी विचार-धारा के प्रचार में अग्रगण्य रहे । हिन्दी के प्रसिद्ध दार्शनिक और राजनीतिक लेखक । सन् १९३७ में, पं० प्यारेलाल शर्मा के त्यागपत्र दे देने के बाद, समाजवादी दल से त्यागपत्र देकर, यू० पी० कांग्रेसी मंत्रि-मण्डल में शिक्षा-मंत्री नियुक्त हुए । आपने हर्षवर्धन, महदाजी सिधिया, मिस्त्र की स्वाधीनता, चीन की स्वाधीनता, अशोक, अन्तर्राष्ट्रीय-विधान, समाजवाद, व्यक्ति और राज्य, दर्शन और जीवन, आदि कई पुस्तकें लिखी हैं । सन् १९४० में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति निर्वाचित किये गये, किन्तु युद्ध-विरोधी-सत्याग्रह में जेल चले जाने के कारण सम्मेलन में सम्मिलित न हो सके । आपकी रचनाओं पर 'मंगलाप्रसाद' और 'मुरारका' पारितोषक आपको प्रदान किये जा चुके हैं । 'भारत छोड़ो' प्रताप के बाद आप जेल में हैं ।

सर्वहारा—इस शब्द का प्रयोग केवल श्रमिकों के लिये किया जाता है, जो सम्पत्तिहीन हैं अर्थात् जो किसी सम्पत्ति या सम्पत्ति के साधनों के स्वामी

नहीं हैं। वे अपना श्रम बेचकर ही अपना भरण-पोषण करते हैं। इसमें बौद्धिक तथा शारीरिक श्रम करने वाले दोनों ही प्रकार के श्रमिक शामिल हैं।

सरोजिनी नायडू, श्रीमती—कांग्रेस की सुप्रसिद्ध कार्यकर्त्री; जन्म १८७६ ई०, हैदराबाद तथा लदन में शिक्षा प्राप्त की। डा० एम० जी० नायडू के साथ, १८९८ में, विवाह किया। दो पुत्र तथा दो पुत्रियाँ हैं। काव्य से इन्होंने बड़ा अनुराग रहा। अँगरेजी में कई काव्य-ग्रंथ लिखे। १९१६ में शासन-सुधार कमिटी के सामने गवाही दी। १९१६ में अन्तर्राष्ट्रीय महिला मताधिकार परिषद् जिनेवा (स्विट्जरलैण्ड) में सम्मिलित हुईं और वहाँ भाषण दिया। भारत की प्रतिनिधि की हैसियत से कांग्रेस द्वारा दक्षिण अफ्रीका भेजी गईं। बम्बई म्युनिसिपल कारपोरेशन की सदस्या रही हैं और बम्बई प्रांतीय कांग्रेस कमिटी की अध्यक्ष भी। १९२२ में अखिल-भारतीय कांग्रेस कमिटी की सदस्या और सन् १९२५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर-अधिवेशन की राष्ट्र-नेतृ चुनी गईं। नमक-सत्याग्रह, १९३०, में अपने बड़ी वीरता-पूर्वक भाग लिया और धरासना में नमक गोदाम पर सत्याग्रह किया। श्रीमती सरोजिनी देवी उच्चकोटि की कवियित्री हैं। विदेशों में भी उनकी कविता का समुचित आदर हुआ है। आपकी अँगरेजी और उर्दू भाषण-शैली भी कवित्वपूर्ण और कलापूर्ण है। अँगरेजी, बंगला, फ़ारसी, उर्दू पर आपका समानरूप से अधिकार है। गांधीजी के सम्पर्क ने आपके कवित्वमय जीवन में सत्य और शिव का सम्मेलन कर दिया है। कांग्रेस कार्यकारिणी की सदस्या होने के कारण, 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव के बाद अगस्त १९४२ में, आपको पकड़ लिया गया था, किंतु बीमार होजाने के कारण मार्च १९४३ में आपको रिहा कर दिया गया।



सविनय अबजा—यह सत्याग्रह का एक स्वरूप है। उद्देश विशेष की

सिद्धि के लिये शासन के अनैतिक कानूनों को शान्तिपूर्वक भंग करना तथा फल-स्वरूप जो दंड दिया जाय उसे सहर्ष स्वीकार करना इसका तात्पर्य है।

सहकारिता दल—सन् १९१८ में, पार्लमेंट तथा स्थानीय शासन में प्रत्यक्ष सहकारी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के उद्देश से, ब्रिटिश सहकारिता आन्दोलन द्वारा, इस दल की स्थापना की गई। सहकारी संस्थाओं के २४ लाख अर्थात् कुल सहकारी आन्दोलन के सदस्यों की अर्द्धसंख्या, इस दल के सदस्य हैं। १९२७ में इस दल ने ब्रिटेन के मज़दूर दल से समझौता किया। तबसे पार्लमेंट की मज़दूर सीटों में से कुछ जगहें इस दल के प्रतिनिधियों के लिये सुरक्षित रहती हैं।

संघवाद (सिन्डीकेलिज्म)—यह समाजवाद का एक स्वरूप है। फ्रांसीसी भाषा में सिन्डीकेट का प्रयोग 'मज़दूर-संघ' के अर्थ में किया जाता है। यह एक क्रान्तिकारी आन्दोलन है जिसका ध्येय मज़दूर संघों को सामाजिक क्रान्ति तथा भावी समाज-रचना का आधार बनाना है। संघवादी मज़दूर-दल को एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित कर पार्लमेंट में प्रवेश के पक्ष में नहीं हैं। वह विधानवाद के खिलाफ़ हैं। सत्ताधारी वर्ग के विरुद्ध मज़दूरों के 'सीधे' तथा औद्योगिक कार्य के पक्ष में हैं। हड़ताल उनका प्रमुख अस्त्र है। उनके अनुसार हड़तालों को सार्वजनिक हड़ताल का रूप देना चाहिये। इसीसे अन्त में क्रान्ति होगी। क्रान्ति के बाद मज़दूर संघों को (मार्क्स के अनुसार राज्य को) कारख़ानों पर अपना अधिकार जमा कर उन्हें समाजवादी सिद्धान्तों के आधार पर चलाना चाहिये। इसमें भौगोलिक इकाई का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा प्रत्युत् समाज की सस्थाएँ मज़दूर-संघों के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जायेंगी।

बीसवीं शताब्दि के आरम्भिक युग में, विश्व-युद्ध से पूर्व, फ्रान्स, स्पेन, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, आदि देशों में इस आन्दोलन ने अच्छी प्रगति की; परन्तु बाद में यह मन्द पड़ गया। संघवाद अराजकवाद, मार्क्सवाद तथा मज़दूरसंघवाद का संमिश्रण है।

संघीय न्यायालय—सन् १९३५ के भारतीय शासन-विधान की धारा २००-२०३ के अनुसार भारत में १ अक्टूबर सन् १९३७ से संघीय न्यायालय (Federal Court of India) को स्थापना की गई। विधान के अनुसार संघीय न्याया-

लय में एक प्रधान न्यायाधीश तथा ६ तक न्यायाधीश नियुक्त किये जा सकते हैं। सम्राट्, भारतीय व्यवस्थापक मण्डल तथा वाइसराय की प्रार्थना पर, इन न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। सम्राट् प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें सपरिषद् सम्राट् द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ता मिलता है। प्रत्येक न्यायाधीश को अपना पद ग्रहण करते समय राजभक्ति की शपथ लेनी पड़ती है। ६५ वर्ष की आयु के बाद उन्हें अवकाश ग्रहण करने की व्यवस्था की गई है।

इस समय संघीय-न्यायालय का प्रमुख भवन नई दिल्ली में है। सर मौरिस ग्वायर इसके प्रधान न्यायाधीश हैं। इनके अतिरिक्त दो न्यायाधीश हैं। श्री एम० आर० जयकर तथा माननीय सर शाह मुहम्मद सुलेमान सर्वप्रथम न्यायाधीश नियुक्त किये गये। श्री जयकर प्रिवी कौंसिल की न्याय-समिति के सदस्य नियुक्त किए गये, इसलिये उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया। माननीय सर शाह की मृत्यु होगई। सर शाह के स्थान पर सर मुहम्मद ज़फरुल्लाख़ाँ को न्यायाधीश और सर ब्रजेन्द्रलाल मित्र को एडवोकेट-जनरल नियुक्त किया गया। सर मुहम्मद ज़फरुल्ला पीछे चीन में भारतीय सरकार के एजेन्ट नियुक्त किये गये और उनके स्थान पर माननीय सर श्रीनिवास वरदाचारियर नियुक्त हुए।

संघीय न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र दो भागों में विभक्त है; (१) मौलिक अधिकार-क्षेत्र (Original Jurisdiction) और (२) अपीलों को सुनने का अधिकार-क्षेत्र। ऐसे मामले जो सघ-राज्य या ब्रिटिश भारतीय प्रान्त या सघ में शामिल देशी राज्य के बीच किसी ऐसे प्रश्न के सम्बन्ध में होंगे जिस पर कोई कानूनी अधिकार या उसकी मात्रा निर्भर है, तो वे संघीय न्यायालय में ही आरम्भ होंगे।

संघीय न्यायालय को दो प्रकार की अपीलों सुनने का अधिकार है—(१) ब्रिटिश भारत के हाईकोर्टों के निर्णयों की अपीले, (२) देशी रियासतों के हाईकोर्टों के निर्णयों की अपीले।

ब्रिटिश हाईकोर्टों के ऐसे निर्णयों की अपीले संघीय न्यायालय में की जा सकेगी जिनका सम्बन्ध शासन-विधान की धाराओं या उसके लिये सपरिषद् द्वारा जारी किये गये किसी ऑर्डर की व्यवस्था से हो और जिनके

विषय मे हाईकोर्ट यह प्रमाणित करे कि उनका सम्बन्ध इस प्रकार के प्रश्नो से है। हाईकोर्ट से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेने पर ही सघीय न्यायालय मे अपील की जा सकती है। सघीय न्यायालय की किसी विशेष आज्ञा से किसी अन्य निर्णय की अपील भी उस न्यायालय मे की जा सकती है।

सघीय न्यायालय के निर्णयो की अपीले प्रिवी कौंसिल मे की जाती है। यह अपीले सघीय न्यायालय की आज्ञा या सपरिषद् सम्राट् की आज्ञा से की जा सकती हैं।

संयुक्त-मोर्चा (पापुलर फ्रन्ट)—सन् १६३५ मे साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय संघ ने यह प्रस्ताव किया कि फ्रासिज़्म के विरुद्ध साम्यवादी, समाजवादी तथा अन्य प्रजातंत्रवादी दल एक संयुक्त-मोर्चा कायम करे। संयुक्त मोर्चे के प्रचार का सामान्य कार्यक्रम फ्रासिज़्म का सामूहिक प्रतिरोध तथा उग्र सामाजिक सुधारो के लिये आन्दोलन—किन्तु समाजवाद का ग्रहण नहीं—करना था। स्पेन तथा फ्रान्स मे सयुक्त मोर्चे की सरकारे स्थापित की गईं। स्पेनी संयुक्त-मोर्चे का, वहाँ के गृह-युद्ध मे, पतन होगया और फ्रान्स मे, १६३८ के आरम्भ मे, यह समाप्त कर दिया गया।

संयुक्त-राज्य अमरीका—महाद्वीपीय क्षेत्र० ३०,२६,७८६ वर्ग०; उसके बाहरी शासित प्रदेशो सहित कुल क्षेत्र० ३७,३८,३६५ वर्ग०; सयुक्त राज्यो की जन० १३,००,००,०००; संयुक्त अमरीका मे ४८ राज्य तथा २ प्रदेश हैं; राजधानी वाशिगटन। अमरीकी शासन-विधान संघ-(Federal) प्रणाली का है, जिसमे राज्यो को काफ़ी सत्ता प्राप्त है। हाल ही में केन्द्रिय सत्ता को अधिक सशक्त बनाया गया है। संघीय-पार्लैमेंट कांग्रेस कहलाती है, उसमे दो धारा-सभाएँ हैं: प्रतिनिधि-सभा (House of Representatives) और सीनेट। पहली सभा में, दो वर्ष के लिये, जनता द्वारा निर्वाचित, ४३५ सदस्य होते हैं और सीनेट मे ६६, जो ६ वर्ष के लिये चुने जाते हैं। प्रत्येक राज्य की जनता दो प्रतिनिधि चुन कर सीनेट मे भेजती है। इसमे प्रति दो वर्ष बाद एक-तिहाई सदस्यो का चुनाव होता रहता है। सयुक्त-राज्य का उपराष्ट्रपति सीनेट का प्रधान होता है। मसविदे (बिल) दोनों सभाओं में पेश किये जा सकते हैं, किन्तु राजस्व मे वृद्धि करने वाले मसविदे केवल प्रतिनिधि सभा मे ही पेश किये जा सकते

हैं। मसविदों का दोनों धारा-सभाओं द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है।

राष्ट्रपति ही संयुक्त-राज्य का प्रमुख शासक है। वह चार वर्ष के लिये, परोक्ष निर्वाचन-प्रणाली द्वारा—समस्त राष्ट्र की जनता के चुने हुए मतदाताओं द्वारा—चुना जाता है। राष्ट्रपति किसी भी मसविदे को, जो कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया हो, अस्वीकार कर सकता है, किन्तु कांग्रेस की दो-तिहाई राय से यह अधिकार व्यर्थ किया जा सकता है। अमरीकी राष्ट्रपति को अपार अधिकार प्राप्त हैं। युद्ध-पूर्व फ्रांस की भाँति वह केवल प्रतिनिधिक व्यक्ति ही नहीं अपितु, वास्तव में, अमरीका का शासक होता है। वह स्वयं अपना प्रधान मन्त्री होता है और अपने मंत्रि-मण्डल को मनोनीत करता है। यह मंत्री राष्ट्रपति के प्रति—कांग्रेस के प्रति नहीं—उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार २०-रा० अमरीका की सरकार पार्लमेन्टरी नहीं राष्ट्रपति की सरकार कही जा सकती है। अमरीकी विधान वास्तव में कांग्रेस और राष्ट्रपति के बीच सन्तुलन स्थापित रहने के उद्देश पर आधारित है। वह कांग्रेस के विचार के लिये कोई भी बिल भेज सकता है। वह सीनेट की सम्मति से संधि भी कर सकता है। युद्ध-घोषणा के लिये कांग्रेस की सम्मति आवश्यक है। राष्ट्रपति पद के लिये एक व्यक्ति कई बार खड़ा हो सकता है; अतएव वर्तमान राष्ट्रपति, फ्रैंकलिन रूज़वैल्ट, अतकब ३ बार चुने जा चुके हैं। अमरीका का न्याय-विभाग बहुत स्वतंत्र तथा शक्तिशाली है। यदि सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) किसी क़ानून को अवैधानिक घोषित करदे, तो वह क़ानून रद्द होजाता है। राष्ट्रपति और कांग्रेस के साथ तीसरा स्थान वहाँ न्याय-विभाग का है। प्रथम दोनो द्वारा स्वीकृत विधान पर भी न्याय-विभाग विचार कर सकता है।

प्रत्येक राज्य की अपनी दो धारा-सभाएँ हैं। प्रत्येक राज्य का प्रमुख शासक गवर्नर होता है, जिसका चुनाव किया जाता है। संयुक्त-राज्य की २॥ लाख स्थायी सेना और युद्धकाल में शुरू की गई अनिवार्य सैनिक-भर्ती के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में नागरिक सेनाएँ हैं, जिनकी संख्या दो लाख है, और जो 'नेशनल गार्ड्स' कहलाती हैं। पिछले युद्ध के बाद अमरीका में ४०,५७,००० सैनिक थे। राष्ट्रपति ही वहाँ का प्रधान सेनापति है। १६ सितम्बर १९४० को राष्ट्रपति रूज़वैल्ट ने कांग्रेस द्वारा स्वीकृत

अनिवार्य-सैनिक-सेवा मसविदे पर हस्ताक्षर किये। अमरीका में पहली बार शान्त-युग मे ऐसा किया गया। इस कानून के अनुसार २१ से ३१ तक की अवस्था वाले नागरिको को सेना में भर्ती होना अनिवार्य कर दिया गया और दिसम्बर १९४१ मे, अमरीका के लडाई में शामिल होने पर, यह उम्र २० और ४४ कर दी गई। १९२१ की वाशिंगटन-संधि के अनुसार अमरीका बरतानिया के बराबर नौ-सेना रख सकता था, किन्तु १९३६ ई० तक अमरीका इससे लाभ न उठा सका और उसके जंगी जहाजों का वज़न बरतानवी जंगी जहाजों के एकत्रित वज़न से कुछ कम था। उस समय अमरीकी नौसेना में १५ जंगी जहाज़, १७ भारी और १६ हलके क्रूज़र, ५ वायुयान-वाहक जहाज़, २०६ विध्वंसक और ८६ डुबकनी कश्तियाँ थीं। किन्तु आज तो अमरीका अतुलनीय जंगी सामान तय्यार कर रहा है।

अमरीका मे प्रतिवर्ष १,५३,६०० प्रवासियों को बसने की आज्ञा है। ब्रिटेन, जर्मनी, आयरलैण्ड तथा अन्य उत्तरी योरपीय देशों से प्रवासी वहाँ जासकते हैं और दक्षिण तथा पूर्वीय देशों के प्रवासी थोड़ी संख्या में। अन्य अमरीकी देशो के प्रवासियों को बसने की आज्ञादी है। अमरीका में दो प्रमुख दल हैं: रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेट। पिछले ८० साल से इन्हीं दो दलों—रिपब्लिकनों की अधिक—सरकारें रही हैं। पिछला चुनाव ५ नवम्बर १९४० को हुआ था। वर्तमान ४३५ प्रतिनिधियों मे २६८ डेमोक्रेट और १६२ रिपब्लिकन हैं, और सीनेट मे ६८ डेमोक्रेट और २८ रिपब्लिकन। सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, मज़दूर कई छोटे दल भी हैं। समाजवादी आन्दोलन दुर्बल अवस्था मे है। बताया जाता है कि अमरीका में सब नागरिकों को समानरूप से बढ़ने और राष्ट्र की सम्पत्ति से लाभ उठाने का अवसर प्राप्त है, इसलिये वहाँ समाजवादी प्रगति की गुञ्जायश नहीं है। किन्तु कुछ लोग राष्ट्रपति रूज़वैल्ट की नवीन योजना और वर्तमान अमरीकी मज़दूर आन्दोलन की ओर इङ्कित कर कहते हैं कि वहाँ पूर्व युग समाप्त हो चुका है और सोशलिज़्म वहाँ विकसित होगा।

संयुक्त-राज्य अमरीका विगत विश्व-युद्ध के बाद से संसार में सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया है। वह सबसे घनी देश है। कुछ को छोड़कर राष्ट्र के लिये सभी आवश्यक सामग्री और कच्चा माल वह स्वयं तैयार

और पैदा करता है। सन् १९३६ में ५ करोड़ ३० लाख टन ईसपात, ४६ करोड़ ६० लाख टन कोयला और १७ करोड़ २० लाख टन तेल वहाँ पैदा हुआ, जो किसी भी देश की पैदावार से अनेक गुना अधिक है। यद्यपि एक बड़ी सीमा तक अमरीका स्वाश्रयी है तथापि वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थक है।

अमरीका की वैदेशिक नीति का मूल तत्त्व यह रहा है कि वह योगपीय मामलों में हस्तक्षेप न करे और न योरप का कोई राष्ट्र उसकी नीति के पालन में बाधा उपस्थित करे। वह मनरो-सिद्धान्त का अनुयायी है। विगत विश्व-युद्ध में अमरीका के सम्मिलित होने के अनेक कारण बताये जाते हैं, जैसे मित्र-राष्ट्रों को दिया हुआ ऋण, प्रजातंत्र का अनुयायी होना और अँगरेज़ी-भाषा-भाषियों की एकता। इनके अलावा अमरीका की यह आशङ्का कि यदि मित्र-राष्ट्र हारगये तो जर्मनी से अमरीकी सुरक्षा को भ्रतरा पैदा होजायगा। कुछ भी हो, पिछले युद्ध के बाद अमरीका को निराशा हुई, वर्साई की सन्धि पर उसने हस्ताक्षर नहीं किये और न राष्ट्रसभ में ही वह सम्मिलित हुआ, (यद्यपि सभ के जनक अमरीकी राष्ट्रपति विल्सन थे) और संसार की राजनीति से तटस्थ रहने की भावना अमरीका में एक बार फिर प्रबल होउठी।


योरप में अशान्ति बढ़ते देख १९३५ में वहाँ तटस्थता कानून बनाया गया, ताकि पिछले युद्ध की स्थिति को फिर न दुहराया जासके। पिछले युद्ध में अमरीका ने मित्र-राष्ट्रों को सामान उधार दिया था और उसे अपने जरिये पहुँचाया था, जिसमें उसके जहाज डुबा दिये गये थे। १९३७ में तटस्थता कानून की पुनरावृत्ति की गई, जिसके द्वारा विदेशों को हथियारों का वेचना और पहुँचाना त्रिलकुल रोक दिया गया और दूसरे जगह सामानों को नकद मूल्य पर, और लेजाने की जिम्मेदारी खरीदार राष्ट्र के जिम्मे रखकर वेचना तय किया गया। सितम्बर १९३६ में वर्तमान युद्ध छिड़ने पर कांग्रेस का विशेष अधिवेशन किया गया और, हफ्तों के वाद-विवाद के बाद, हथियारों को वेचने का बन्धन रद्द कर दिया गया और नकद मूल्य पर हथियार अपने आप लेजाने का कानून स्वीकार किया गया। लडाई के दौरान में जब दिखाई पड़ा कि ब्रिटेन और मित्र-राष्ट्रों को अमरीकी ऋण और जहाजों की आवश्यकता है, तब, १२ मार्च १९४१ को, 'उधार और पट्टा कानून',

बनाया गया जिसके द्वारा नक्कद दाम देने की धारा उठा दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति रूज़वैल्ट और अनेकानेक अमरीकी जन अनुभव करने लगे कि उनका महाद्वीप ससारव्यापी युद्ध और उससे उत्पन्न विकट परिस्थितियों से पृथक् नही रह सकता। नात्सीवाद की सम्भावित विजय के बाद का खतरा उन्हें दिखाई पडने लगा। अतएव उन्होंने अपने देशवासियों को मित्रराष्ट्रों की सहायता की जाने की आवश्यकता को सुभाया। किन्तु फ्रांस के पतन के बाद तक अमरीका चुप रहा। मित्र-राष्ट्रों को सहायता देने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक कमिटी बिठाई गई, जिसने जनता को वस्तुस्थिति का दिग्दर्शन कराया। अमरीका में स्वयं नात्सी और पादरी कफलिन् की फासिस्त काररवाइयों ने और भी स्पष्ट कर दिया कि इंग्लैण्ड की सम्भावित हार के बाद अमरीका पर भी आपत्ति आये बिना न रहेगी। तटस्थतावादी अमरीकी कह रहे थे कि उनका देश किसी भी आक्रमण का मुक्काबला करने में समर्थ है, किन्तु नात्सी-युद्ध-कला की भीषणता और जर्मनी-इटली-जापान का त्रिगुट बन जाने से उनकी धारणा निर्मूल होगई। अस्तु, अमरीका ने युद्ध की तय्यारियाँ कीं—जगी सामान बनने लगे, अनिवार्य सैनिक भर्ती जारी की गई, ब्रिटेन से उसने नाविक और हवाई अड्डे प्राप्त किये—कनाडा और लातीनी अमरीकी प्रजातन्त्रों को मिलाकर अपने गोलार्द्ध की रक्षा का उसने सूत्रपात किया। देश की नात्सी और फासिस्त कार्यवाहियों को रोक दिया गया। ब्रिटेन के अमरीका-स्थित-साम्राज्यान्तर्गत कुछ अड्डे अमरीका को, ६६ साल के पट्टे पर, मुफ्त दिये गये और कुछ के बदले में ५० विध्वंसक, अन्य जगी लवाजमे सहित, ब्रिटेन की दिये गये।

अप्रैल १९४१ में अमरीकी जहाज़ ब्रिटेन की सहायता के लिये अतलान्तिक में पहुँच गये और ७ जुलाई १९४१ को अमरीकी फौजों ने आइसलैण्ड पर अधिकार कर लिया, जहाँ बरतानी सेना पहले से पडी थी। लाल सागर का रास्ता अमरीकी जहाजों के लिये खोल दिया गया। ब्रिटेन की सहायता के लिये अमरीका को आगे बढ़ते देख जर्मनी ने छेड़छाड़ शुरू करदी। २८ दिसम्बर '४० और १२ सितम्बर '४१ को दो अमरीकी जहाज़ जर्मनों ने डुबा दिये, तब अमरीकी नौसेना को जर्मन-जहाजों को देखते ही उन पर गोला बारी करने का आर्डर जारी किया गया। ७ दिसम्बर १९४१ को जापान ने

अमरीका के प्रशान्त महासागरीय इलाके पर हमला कर दिया और ११ दिसम्बर १९४१ को जर्मनी और इटली ने अमरीका के विरुद्ध युद्ध-घोषणा करदी। तब अमरीका का मित्रदल से सम्बन्ध और निकट होगया।

योरप के अतिरिक्त अमरीका का राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ दक्षिणी अमरीका और सुदूरपूर्व के देशों, विशेषकर चीन, में है। अमरीका ने क्रीबियन सागर में सामरिक महत्त्व के अङ्ग्रेज ब्रिटेन से प्राप्ति किये हैं और पनामा नहर पर भी उसका सरक्षण है। वह पश्चिमी गोलार्द्ध की सभी अमरीकी रियासतों की एकता के लिये प्रयत्नशील है। दक्षिण अमरीका में भी सयुक्त-राज्य का बहुत-सा धन व्यापार में लगा हुआ है। दक्षिण अमरीकी रियासते इसे 'उत्तरी अमरीका का साम्राज्यवाद' कहकर उसकी निन्दा करती हैं। सुदूरपूर्व में अमरीका और जापान का द्वेष पुराना है। लडाईं में शामिल होने से पूर्व से ही अमरीका च्यांग काई-शेक की चीन की सहायता कर रहा है और अब तो अमरीका चीन को अपना सहयोगी मानता है। अमरीका रूस की भी सहायता कर रहा है। तुर्की को भी उसने उधार-पट्टा आधार पर सहायता देने को कहा है। अमरीका और ब्रिटेन का निकट सम्बन्ध होने के कई विशेष कारण हैं: दोनों की भाषा एक है, दोनों के आचार-व्यवहार, रीति-रिवाज एक हैं, राजनीतिक जीवन सम्बन्धी विचारदृष्टि एक है। सभ्यता एक है, जाति भी, पूरी नहीं तो आधी, एक है। यही कारण है कि १९४० से यह विचार-धारा भी चल पड़ी है कि सयुक्त-राज्य अमरीका और ब्रिटिश राष्ट्रसमूह (साम्राज्य) का एक सघ स्थापित होना चाहिये।



स्मट्स, फील्डमार्शल जान क्रिस्चियन—दक्षिण अफ्रीकी यूनियन के प्रधान-मंत्री; सन् १८७० में, एक साधारण किसान-परिवार में, जन्मे, खेतों पर मजदूरी की; दक्षिण अफ्रीकी युद्ध में अंगरेजों से लड़े। सन् १९०२ में बोअर-संधि-सम्य-मण्डल में प्रिटोरिया में शामिल थे। बोअरो और अंगरेजों में मेल

बढ़ाने का प्रयत्न किया । दक्षिण अफ्रीकी संघ की, बरतानी राष्ट्र-समूह के अन्तर्गत, स्थापना में जनरल बोथा की मदद की । सन् १९१० में प्रथम बोथा-सरकार में जनरल स्मट्स अर्थ-सचिव बने । १९१४ के विश्व-युद्ध में उन्होंने जर्मन पूर्वी अफ्रीका में अंगरेजी सेना का संचालन किया । १९१७ में साम्राज्य-युद्ध-मन्त्रि-मण्डल में उन्हें स्थान मिला तथा विजय तक लड़ाई में सलग्न रहे और वर्साई की सुलह के समय शान्ति-सन्धि परिषद् में उन्होंने भाग लिया । इसके बाद वह दक्षिण अफ्रीकी संघ-सरकार के प्रधान-मंत्री बनाये गये । साम्राज्य की समर्थक 'साउथ अफ्रीकन नरम राष्ट्रवादी पार्टी' के वह नेता बने । सन् १९२४ में जनरल हर्टजोग के 'क्रान्तिवादी राष्ट्रीय दल' ने जनरल स्मट्स की सरकार को उखाड़ दिया, किन्तु १९३४ में, दोनों दलों में मेल होगया; फल-स्वरूप 'संयुक्त दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय दल' की स्थापना हुई । तब से वह उप प्रधान-मंत्री रहे और जनरल हर्टजोग प्रधान-मंत्री । वर्तमान युद्ध छिड़ने पर हर्टजोग अफ्रीकी संघ सरकार को निरपेक्ष रखने के पक्ष में थे, और स्मट्स युद्ध में ब्रिटेन को सहायता देने के पक्ष में । जब पार्लियामेंट में इस प्रश्न पर राय ली गई तो जनरल स्मट्स के पक्ष में ८० मत मिले, हर्टजोग को ६७, अतः हर्टजोग ने प्रधान-मन्त्रिपद से त्यागपत्र दे दिया और स्मट्स प्रधान-मंत्री बने । उन्होंने मन्त्रि-मण्डल बनाया जो युद्ध मन्त्रिमण्डल कहलाता है । तब से वह युद्ध में ब्रिटेन की सहायता कर रहे हैं । मई १९४१ में जनरल स्मट्स को ब्रिटिश सेना में फील्डमार्शल (सर्वोच्च सेनापति) का पद दिया गया है ।

स्वदेश-प्रत्यागमन—किसी देश के प्रवासी-जनो को उनके मातृदेश में वापस भेजे जाने की व्यवस्था ।

स्वदेशी—भारत की बनी वस्तुओं का व्यवहार । सन् १९०५ के आन्दोलन में इस शब्द का यही तात्पर्य था । किंतु वास्तव में स्वदेशी वस्तु वह है जो अपने देश के ही कच्चे माल द्वारा अपने देश में तैयार की गई हो और जिसके बनाने की मज़दूरी और मुनाफा भारतीयों को ही मिले तथा जिसके बनाने में कोई भी विदेशी सामान न लगाया गया हो । जब महात्मा गांधी ने खादी तथा ग्रामोद्योग आन्दोलन चलाये तो उन्होंने स्वदेशी की परिभाषा और भी विस्तृत कर दी । उनके मतानुसार वही वस्तु स्वदेशी और ग्राह्य है जो हाथ से

बनाई गई हो, जिसकी तैयारी में मशीन का प्रयोग न किया गया हो। गरीब और ग्रामीण जनता के लिये हितकारी होने के कारण खादी और ग्रामोद्योग के अहिंसात्मक प्रयोग द्वारा ही भारतीय सामाजिक विकास हो सकता है।

स्वदेशी आन्दोलन—सन् १९०५ के वगभग के समय बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार आन्दोलन का जन्म हुआ। उस समय विदेशी वस्तुओं—विशेषकर विदेशी कपड़े—के बहिष्कार और स्वदेशी के प्रचार पर जोर दिया गया। फलतः देश की कुछ औद्योगिक उन्नति भी हुई। कपड़े के कई पुतलीघर बंगाल आदि में खुले। छोटी-मोटी स्वदेशी वस्तुओं के बनाने का भी प्रयास हुआ, किंतु एक तो सामान की कमी, दूसरे भडकीले विदेशी माल का मुकाबला, तीसरे जनता की बढ़ती हुई फैशन-प्रियता, अतः उसमें सफलता न मिली। जो वस्तुएँ स्वदेशी के नाम पर चली भी, उनमें बहुत-सा सामान आदि विदेशी लगता रहा। वास्तव में ऐसा प्रयत्न कभी नहीं हुआ जिसमें किसी भी वस्तु के बनाने में विदेशों के आश्रित कदापि न रहना पड़े। सन् १९३० के सविनय-अवज्ञा आन्दोलन के समय भी 'बहिष्कार' का आन्शिक प्रयोग हुआ।

स्वर्ण-मानदण्ड—इस मुद्रा-प्रणाली के अनुसार बैंक के नोटों के बदले सोना किसी भी समय निर्धारित दर से मिल सकता है। इसके तीन तरीके हैं: (१) पूर्ण स्वर्ण मानदण्ड—इसके अनुसार केन्द्रिय बैंक नोटों के बदले में सोने के सिक्के देती है और सोना निर्धारित मूल्य पर बेचती तथा खरीदती है। (२) स्वर्ण बुलियन मानदण्ड—कोई सोने का सिक्का जारी नहीं किया जाता। नोटों के बदले सोना नहीं दिया जा सकता, परन्तु केन्द्रिय बैंक नियत दर पर सोना बेच तथा खरीद सकती है। (३) स्वर्ण विनिमय मानदण्ड—केन्द्रिय बैंक न सोना बेचती और न खरीदती है। वह विदेशी बैंकों से सोने में भुगतान लेती है। अमरीका, फ्रान्स, हालेण्ड, बेलजियम और स्विट्जरलेण्ड में, लड़ाई शुरू होने तक, सोने का सिक्का जारी था। अन्य देश बहुत पहले उसके चलन को छोड़ चुके हैं।

स्वराज्य—अपने देश में अपने लिये अपना शासनाधिकार। भारतवर्ष में स्वराज्य शब्द का कांग्रेस से विशेष संबंध है। सन् १९०६ में कांग्रेस के कर्ता अधिवेशन में प्रथमवार स्वर्गीय दादभाई नौरोजी ने इस शब्द का

प्रयोग किया। तब से यह शब्द भारतीय राजनीति में प्रचलित है। कांग्रेस ने अपने विधान के उद्देश्यों में इसे स्थान दिया। दिसम्बर १९१६ में सम्राट् द्वारा हुई शाही घोषणा में भी स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। सन् १९२६ के दिसम्बर तक भारतीय 'स्वराज' शब्दसूचक राजनीतिक लक्ष्य से सन्तुष्ट थे। 'स्वराज्य' का अर्थ था ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वशासन। किन्तु १९२६ की लाहौर कांग्रेस में कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य प्राप्ति के ध्येय का त्यागकर पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया। तब से 'पूर्ण स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया जाता है।

स्वराज्य-दल—सन् १९२३-२४ में स्वर्गीय देशबन्धु चित्तरजन दास तथा प० मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अन्तर्गत स्वराज्य-दल बनाने का प्रयत्न किया। इस दल का उद्देश्य धारासभाओं में जाकर आन्तरिक असहयोग करना था। खादी-प्रचार, मादक-द्रव्य-निषेध तथा सेना के व्यय में कमी आदि भी इसके कार्यक्रम में शामिल थे। यह दल केन्द्रीय और प्रांतीय धारासभाओं में शक्तिशाली दल रहा। सन् १९२६ तक इसने कार्य किया। सन् १९३४ में स्वर्गीय डाक्टर अन्सारी, स्व० श्री सत्यमूर्ति आदि ने इस दल को, इसी उद्देश्य से, पुनर्संगठित किया।

स्वस्तिक—^{११}इस प्रचार का चिन्ह। यह आर्यों, हिन्दुओं का, पुरातन पवित्र धार्मिक चिन्ह है। विवाहादि मागलिक अवसरों पर सौभाग्यसूचक स्वस्तिक चिन्ह सजावट के साथ बनाये जाते हैं। नात्सी जर्मनी ने भी स्वस्तिक को अपना राष्ट्रीय चिन्ह बनाया है। वह इसे प्राचीन नार्डिक अथवा ट्यूटोनिक चिन्ह बताते हैं, किन्तु इसकी पुष्टि में उनके पास कोई आधार नहीं है। हिन्दू इसे 'श्री' और 'ॐ' का रूप मानते हैं, और योरपियन विचारकों के अनुसार स्वस्तिक सूर्य का प्रतीक है, जिसके चिन्ह पुरातन सभ्यताओं के अवशेषों में पाये जाते हैं। मगोलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमरीका तथा पूर्वीय देशों, यहाँ तक कि फिलस्तीन में भी इसके चिन्ह पाये गये हैं।

आधुनिक काल में स्वस्तिक पहले-पहल उन जर्मन सिपाहियों के जगी टोपो पर लगा दिखाई दिया जो, १९१६ में, फिनलेण्ड और बाल्टिक राज्यों में बोलशेविकों से लड़कर वापस लौटे थे। फिनलेण्ड की हवाई सेना का चिन्ह भी स्वस्तिक था। बाल्टिक से लौटे हुए जर्मन-सैनिक तत्कालीन जर्मन

प्रजातन्त्र के विरोधी थे। यह लोग बराबर स्वस्तिक चिन्ह धारण किये रहे। इन्हींके द्वारा स्वस्तिक राष्ट्रीय-समाजवादी जर्मनी का कौमी निशान बना।

साइमन—लार्ड, प्रथमकोटि के वाइकाउन्ट; इससे पूर्व सर जान नाइमन कहलाते थे; अंगरेज राजनीतिज्ञ; २८ फरवरी १८७३ को पादरी ऐड्विन साइमन के घर में पैदा हुए, एडिनबरा तथा आक्सफर्ड में शिक्षा प्राप्त की, १८९१ में बैरिस्टर बने, १९०६ में लिबरल-दल की ओर से पार्लमेंट के सदस्य चुने गये, १९१०-१३ तक सालिसिटर-जनरल और १९१३-१६ तक अटार्नी जनरल रहे। १९१७ में फ्रांस के मैदान में हवाई सेना में मेजर बन कर गये और युद्ध में लड़े। १९२२ में फिर पार्लमेंट के सदस्य चुने गये, तब से उसी इलाके के मेम्बर हैं। १९३१ में राष्ट्रीय लिबरल दल में शामिल हुए। १९२८ में भारत की राजनीतिक प्रगति की जाँच करनेवाले कमिशन के नेता नियुक्त होकर भारत आये, जहाँ आपके सभ्य-मण्डल का बहिष्कार हुआ। सन् १९३१-३५ तक वैदेशिक मन्त्री और सन् १९३५-३७ तक गृह-मन्त्री तथा १९३७ से अर्थ-मन्त्री रहे। चेम्बरलेन मन्त्रिमण्डल के बहुत प्रभावशाली सदस्य थे। मई १९४० में उन्हें लार्ड की पदवी प्रदान की गई और चर्चिल के मन्त्रिमण्डल में लार्ड चान्सलर हुए।



सादाबाद का समझौता—सन् १९३४ में तुर्की, इराक, ईरान और अफगानिस्तान के बीच राजनीतिक सहयोग और सहमति के सम्बन्ध में हुई सन्धि।

सामूहिक राज्य—यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य का और ... का आधार व्यावसायिक तथा व्यापारिक सघ होते हैं।

सामूहिक राज्य की पार्लमेण्ट का चुनाव प्रादेशिक चुनाव-क्षेत्रों द्वारा न होकर व्यापारिक सघों द्वारा होता है। एक सघ को नियत संख्या में सदस्य चुनकर भेजने का अधिकार रहता है। ससार में केवल इटली की फ़ासिस्त व्यवस्था में इस प्रणाली को स्थान दिया गया है।

सामूहिक सुरक्षा—इस शब्द की रचना १९२४ में और उसके बाद उस समय हुई जब निरस्त्रीकरण के प्रश्न पर राष्ट्र-सघ की ओर से अनेक रिपोर्टें निकलीं और उन पर विवाद हुआ। इसका अर्थ यह है कि समस्त देशों को सम्मिलित होकर अलग-अलग प्रत्येक देश की सुरक्षा के लिये वचन-बद्ध होना चाहिये। १९३५ में राष्ट्र-सघ ने सामूहिक-सुरक्षा की समस्या पर विचार करने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की और अवीसीनिया के अपहरण पर इटली के विरुद्ध जो दण्डाज्ञाये लागू की, उनसे इस शब्द का अधिक प्रचार हुआ। इन दण्डाज्ञाओं के विफल होने पर राष्ट्र-सघ ने नात्सी जर्मनी के विरुद्ध भी, सामूहिक सुरक्षा के लिये, कार्यवाही करनी चाही, परन्तु प्रयास असफल रहा।

साम्प्रदायिक निर्णय—अगस्त १९३२ में ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री सर रेमूजे मेकडानल्ड ने भारत की प्रान्तीय तथा केन्द्रीय धारासभाओं में प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में अपना निर्णय दिया। यही साम्प्रदायिक निर्णय के नाम से प्रसिद्ध है। मुसलमानों ने इस निर्णय को स्वीकार किया और उसका स्वागत किया। हिन्दू महासभा ने इसका विरोध किया तथा कांग्रेस इस सम्बन्ध में तटस्थ रही।

साम्प्रदायिक निर्वाचन-प्रणाली—भारत में १९०६ के मिन्टो-मार्ले-सुधारों के साथ साम्प्रदायिक निर्वाचन-प्रणाली का सूत्रपात हुआ। प्रान्तीय, केन्द्रीय धारासभाओं तथा स्थानीय बोर्डों में हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि को अलग-अलग सम्प्रदाय मानकर उनके स्थान नियत किये गये। इसी सुधार द्वारा सिखों को हिन्दुओं से पृथक् किया गया। १९३१ में अछूत कहे जानेवाले समुदाय को पृथक् निर्वाचन देकर हिन्दू-राष्ट्र से पृथक् करने का प्रयत्न गान्धीजी के व्रत द्वारा विफल हो गया। भारत में आज-पर्यन्त यही प्रणाली जारी है।

साम्यवाद (कम्युनिज्म)—एक क्रान्तिकारी विचारधारा तथा आन्दोलन जिसका लक्ष्य पूँजीवादी व्यवस्था का नाश कर सर्वहारावर्ग का पचायती

शासन स्थापित करना है। अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी आन्दोलन में मदेव से टो पक्ष रहे हैं, नरम तथा उग्र अथवा माडरेट और रेडिकल। साम्यवाद समाजवाद की उग्र धारा है। रूस की सोशलिस्ट पार्टी में, १९०३ में, बोलशेविक (उग्र) और मैन्शेविक (नरम) दो दल हुए थे। नवम्बर १९१७ में, लेनिन के नेतृत्व में, रूसी सत्ता बोलशेविकों के हाथ आ गई और इसके बाद के गृहयुद्ध में इस दल ने मैन्शेविकों सहित सब नरम दलों पर विजय पाई। बोलशेविकों या कम्युनिस्टों ने उद्योग-धन्वों का राष्ट्रीयकरण किया, जमीन किसानों को बाँट दी और जर्मनी और आस्ट्रिया से छिटे हुए युद्ध को बन्द कर उनसे सन्धि कर ली। (नरम समाजवादियों ने लड़ाई में, अपने देशों की सरकारों की, मदद की)। नरम समाजवादियों से अलग पहचाने जाने के लिये लेनिन ने बोलशेविक दल का नाम कम्युनिस्ट रखा था। मार्क्स और एंजल्स ने १८४८ के अपने घोषणापत्र में 'कम्युनिस्ट' शब्द का ही प्रयोग किया है। इसी प्रकार अन्य देशों में भी मजदूर सघों में दो दल हुए और १९२० में, मास्को में, कम्युनिस्ट या तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय सघ की स्थापना हुई। साम्यवादी दर्शन भौतिकतावादी होते हुए भी आत्मवादी है। यह एक ऐसे सुखी मानव-समाज की स्थापना करना चाहता है, जिसमें सबके पास समान रूप से सम्पत्ति हो और सबके अधिकार समान हो, क्योंकि असमानता ही वर्तमान सामाजिक सघर्ष का मूल है। इसके लिए वह बल-प्रयोग का भी समर्थक है। साम्यवाद प्रजातन्त्रवादी समाजवाद के विरुद्ध है। वह इसे धोखे की टट्टी मानता है और प्रजातन्त्र को पूँजीपतियों का गुप्त अधिनायक-तन्त्र। वह वैधानिक रूप से समाजवादी व्यवस्था स्थापित करनेके पक्ष में नहीं है। उसकी दृष्टि में सशस्त्र क्रान्ति ही समाजोद्धार का मूल साधन है। रूसी क्रान्ति तथा सोवियत सघ विश्व-क्रान्ति के नमूने हैं।

साम्राज्यवाद (इम्पीरियलिज्म)—१९१८ तक ब्रिटेन में साम्राज्यवादी विचारधारा की प्रबलता रही। बरतानवी कामनवेल्थ के विविध देशों को एक सूत्र में संगठित करने और साम्राज्य को बढ़ाने की विचारधारा वहाँ काम करती रही। अतएव सकुचित अर्थ में यह शब्द केवल ब्रिटिश साम्राज्य के लिये व्यवहृत होता रहा। किन्तु विकसित अर्थ में इसका भाव है देशों को करके साम्राज्य की स्थापना करना। आधुनिक युग में साम्राज्यवाद

की लालसा उन्नीसवी सदी में प्रबल रही और प्रतिद्वन्द्वी साम्राज्यों के संघर्ष के परिणामस्वरूप पिछला १६१४-१८ का महायुद्ध हुआ। साम्राज्यों की स्थापना पहले राष्ट्रीय ऐक्य के आधार पर हुई, औद्योगिक और सैनिक बल पर साम्राज्य बाद में बने जैसे जर्मनी, इटली और जापान में। किन्तु जब इन्होंने देखा कि बड़ी-बड़ी शक्तियाँ संसार का पहले से ही आपस में बँटे हुए या हडपे हुए बैठी हैं, तो इन्होंने संसार के उन भूभागों पर आक्रमण शुरू किये जो अबतक बँटे नहीं जा सके थे, जैसे जापान १६३२ से चीन के अपहण में सलग्न है और १६३५ में इटली ने अवीसीनिया को हडप लिया था। इन राष्ट्रों ने अपने पड़ोसी राष्ट्रों को भी, 'रहने या बसने के लिये स्थान' प्राप्त करने के बहाने, हडपना शुरू कर दिया, जैसा कि हिटलरी-जर्मनी १६३८ से पूर्वीय योरप में कर रहा है। बाद में इन राष्ट्रों ने बड़े राष्ट्रों के अधिकृत देशों पर भी आक्रमण शुरू कर दिये, जैसे जापान ने १६४१ के अन्त में ब्रिटेन, अमरीका और हालेण्ड के सुदूर-पूर्वीय साम्राज्य पर आक्रमण करके उसे हथिया लिया तथा जर्मनी और इटली बरतानवी साम्राज्य की प्राप्ति के लिये उत्तरी अफ्रीका में लड़ रहे हैं और रूस पर इन्होंने साम्राज्यवादी लिप्सा के कारण ही आक्रमण किया है।

संद्धान्तिक रूप में अँगरेज़ विचारक हाब्सन ने १६१० में कहा था कि आर्थिक स्वार्थ और साम्राज्यवाद में घनिष्ठ सम्बन्ध है। १६१५ में लेनिन ने, मार्क्स के सिद्धान्तानुसार, बताया कि साम्राज्यवाद शक्तिशाली पूँजीवादियों और सम्पत्तिशालियों की कृति है, जिन्हें माल तैयार करने के लिये कच्चा सामान चाहिये और उस माल को बेचने के लिये बड़े-बड़े बाज़ार। और यह दोनों काम बिना साम्राज्य की स्थापना और उसके विस्तार के असम्भव हैं। यह पूँजीवादी ही दूसरे देशों के हडपने के लिये युद्ध कराते हैं। साम्राज्यवाद की मूल भित्ति आर्थिक स्वार्थ है, वैसे संसार में युद्ध राष्ट्रीयता, राजनीतिक अग्रणियों की महत्त्वाकांक्षा और किसी सिद्धान्त विशेष के प्रचार के कारण भी हुए हैं।

सावरकर, वीर विनायक दामोदर—बार-एट-ला; हिंदू-महासभा के अध्यक्ष, जन्म सन् १८८३; 'विहार' पत्र का संचालन किया; 'अभिनव भारत' नामक सस्था स्थापित की; शिवाजी छात्रवृत्ति लेकर इंग्लैंड अध्ययन के लिये गये। वहाँ 'स्वाधीन भारत समाज' स्थापित किया। १६१० में उन्हें,

नासिक षड्यन्त्र के अभियोग में, इंग्लैंड में, गिरफ्तार किया गया। जब उन्हें जहाज द्वारा भारत लाया जा रहा था, तब फ्रांस के निकट, १९१० ई० में, वह जहाज के छेद में से समुद्र में निकल कर भाग गये और कितने ही मील तैरकर किनारे लगे। उन्हें मारसेई में गिरफ्तार किया गया। इस पर प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि फ्रांस की सीमा पर पकड़े गये ब्रिटिश नागरिक को फ्रांस ब्रिटेन के सुपुर्द करे या नहीं। निर्णय के लिये मामला अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय के सामने भेजा गया। परिणामतः ब्रिटेन के सुपुर्द कर दिये गये। ४० वर्ष की क़ेद की सज़ा दी गई। सन् १९११ से १९२४ तक कालेपानी में रहे। अन्डमान में पूरे चौदह वर्ष पोर्ट ब्लेयर जेल की एक कोठरी में बिताये, जिसके द्वार पर दिनरात ताला बन्द रहता था। कालेपानी भेजे जानेवाले भयङ्कर अपराधियों को भी अधिक-से-अधिक पाँच साल बाद जेल से निकाल कर बाहर कर दिया जाता था, किन्तु आपको एक दिन भी बाहर नहीं किया गया। सन् १९२४ में वह रिहा हुए, किन्तु रत्नगिरि में नज़रबन्द कर दिए गये, और इस तरह बराबर १९३६ तक नजरबन्द रहे। प्रत्येक दो वर्ष बाद नज़रबन्दी की अवधि बटाई जाती रही। छूटते ही आपने हिन्दू महासभा को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और १९३७ से हिन्दू महासभा के अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं। महासभा के वह सबसे प्रभावशाली नेता हैं। सन् १९३६ में निजाम हैदराबाद में सत्याग्रह-आन्दोलन का संचालन आपकी प्रेरणा और हिन्दूसभा की ओर से किया गया, जिसमें महासभा विजयी हुई। आपने विशाल हिन्दू-राष्ट्र में जीवन और जागरण तथा सामूहिक चेतना का विकास किया है। वीर सावरकर एक प्रभावशाली सङ्ग-



ठनकर्त्ता ही नहीं, प्रत्युत् अनेक भाषाविद्, विद्वान् लेखक तथा कवि भी हैं। उनकी लिखी मेज़िनी की जीवनी ज़ब्त हुई। 'सन् १८५७ का भारतीय स्वातन्त्र्य-युद्ध' पुस्तक भी ज़ब्त कर ली गई। उनका लिखा सिखो का इतिहास भी ज़ब्त कर लिया गया। आपने मराठी में नाटक तथा उपन्यास भी लिखे हैं।

स्तालिन, जोसफ विसारियोनोविच्— सोवियत रूस का अधिनायक; २१ दिसम्बर १८७६ को, कोहकाफ़ (काकेशस) के दीदी-लोलो नामक स्थान में, जन्म हुआ; इसका पिता मोची था। एक गिर्जे के कालिज में, पादरी बनने के विचार से, उसने धार्मिक शिक्षा प्राप्त की, किंतु वह काकेशस के तेल के कुँआरो पर सगठित समाजवादी क्रांतिकारी आन्दोलन में शामिल होगया। १८९८ से वह समाजवादी दल का सदस्य था और १९०३ से बोलशेविक दल का सदस्य रहा है। असली नाम जुगशविली है, किंतु उसने अपना नाम बदल कर स्तालिन (फौलादी आदमी) रखा।

उसने ज़ारशाही के खिलाफ संघर्ष किया, कई बार जेल गया तथा साइ-वेरिया में निर्वासित किया गया। बोलशेविक दल की केन्द्रिय समिति का १९१२ से सदस्य है। मार्च १९१७ की क्रान्ति के बाद वह पीटर्सबर्ग गया और वहाँ लेनिन के अधीन साम्यवादी दल के राजनीतिक विभाग (पोलिटिकल ब्यूरो) का सदस्य होगया। अक्टूबर-क्रान्ति-निर्देशक समितियों का सदस्य रहा। सन् १९१९ में वह दलकी केन्द्रिय समिति का प्रधान-मंत्री बनाया गया। जनवरी १९२४ में, लेनिन की मृत्यु के बाद, स्तालिन तथा ट्रात्स्की में उत्तराधिकार के लिये काफ़ी संघर्ष रहा। उसने ट्रात्स्की के विरुद्ध जिनोवीफ़ और कैमनीफ़ से मिलकर सगठन किया और, ट्रात्स्की को निकाल देने के बाद, जिनोवीफ़ दल के प्रभाव को हटाने के लिये, उसने दक्षिणपन्थी रीकाफ़ और कैलीनिन से सहयोग किया। १९२७ में दल का पूरा अधिकार उसके हाथ में आगया। ट्रात्स्की समस्त विश्व में समाजवादी क्रान्ति का समर्थक था और स्तालिन "केवल एक देश में समाजवाद का प्रचार" अर्थात् रूस का समाजवादी ढंग पर विकास चाहता है। आदर्श-भेद से दोनो दलों में ग़्वासी चक्कचक्क रही। अन्त में स्तालिन के 'राष्ट्रीय' कम्युनिस्ट दल की विजय हुई और उसने धन्धों के राष्ट्रीयकरण और खेती के सामूहिककरण के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना जारी की। राष्ट्र-शुद्धि के लिये

उसने पीछे मास्को के मुकदमे चलाये ।

मन् १९३४ से १९३८ तक साम्यवादियों ने मसार में यह प्रचार किया कि स्तालिन नात्सीवाद के विरुद्ध है । वह हिटलर के विरुद्ध पाश्चात्य राष्ट्रों से सहयोग चाहता है । १० मार्च १९३६ को स्तालिन ने नात्सी जर्मनी को आक्रमक और ब्रतानिया और फ्रान्स को अनाक्रमक राष्ट्र बतलाते हुए कहा— “हम उन राष्ट्रों की सहायता के लिये हैं जो आक्रमण के शिकार हुए हैं तथा जो अपने देशों की स्वाधीनता के लिये लड़ रहे हैं ।” किन्तु जब पोलैंड के प्रश्न पर फ्रान्स, ब्रिटेन तथा रूस में सधि-वार्ता चल रही थी तब, २३ अगस्त १९३६ को, स्तालिन ने हिटलर के साथ अनाक्रमक-सधि करली और पोलैंड के विषय में उसको स्वतन्त्रता दे दी तथा जर्मनी और पोलैंड के पन्द्रह दिन के युद्ध के बाद, सितम्बर १९३६ में, स्तालिन ने हिटलर के साथ पोलैंड का बँट-वारा कर लिया । युद्ध में तटस्थ रहने की स्तालिन की स्पष्ट इच्छा के बावजूद हिटलर ने, २२ जून १९४१ को, सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया और तब से स्तालिन ब्रिटेन और अमरीका के साथ मिलकर नात्सी-आक्रमण का मुकाबला कर रहा है । स्तालिन एक यथार्थवादी राजनीतिज्ञ है। ट्रात्स्की ने उसे क्रान्ति का विश्वासघाती कहा है, किंतु अन्य लोग उसे विश्व-साम्यवाद का नेता मानते हैं । उसके शासन-काल में रूस एक महान् शक्ति बन गया है । यद्यपि ससार के अन्य भागों में साम्यवाद की विजय नहीं हुई है, तथापि यह तो निश्चय है कि स्तालिन के रूस में समाजवादी आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का पर्याप्त विकास हुआ है । रूस में स्तालिन की तुलना महान् पीटर से की जाती है । पीटर के लिये व्यक्तिगत रूप से तालि के हृदय में भी आदर है। १९४१



तक स्तालिन ने सोवियत सघ मे कोई सरकारी पद ग्रहण नही किया । कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान मन्त्री की हैसियत से वह सेवा करता रहा । ६ मई १९४१ को अलबत्ता वह कौन्सिल आफ् पीपल्स कमिसार्स (प्रधान मन्त्रियों की परिषद्) का अध्यक्ष और रूस-जर्मन-युद्ध छिडने पर नव-निर्मित राष्ट्र-रक्षा समिति (स्टेट् कौन्सिल आफ् डिफेन्स) का अध्यक्ष बना, जिस हैसियत मे उसे सब अधिकार दे दिये गये । १९३४ मे उसकी प्रथम पत्नी का देहान्त होजाने पर उसने अपने निकट सहकारी कागनोविच् की बहन से शादी की । पहली शादी से उसे एक पुत्र और एक पुत्री है ।

स्तालिन-दुर्ग-पंक्ति—यह रूस की पश्चिमी सीमा पर, बाल्टिक सागर से कृष्णसागर तक, एक प्राकृतिक दुर्गपंक्ति है । यह फ्रान्स की मेजिनो-दुर्ग-पंक्ति की भाँति नही है । सीमा पर जो नदियाँ तथा झीलें हैं उनके बीच-बीच मे किले बना दिये गये हैं । इस किलेबन्दी की तुलना फ्रान्स तथा बेलजियम की सीमा पर बनी हुई दुर्ग-पंक्ति से की जा सकती है । इस पंक्ति मे लोहे की एक जग्री दीवार शामिल है । साथ ही खास खास जगहों पर मज़बूत किले बने हुए हैं ।

स्याम—पूर्वी एशिया का प्राचीन राज्य, जहाँ पूर्व काल मे आर्य सभ्यता का प्रचार था; अंगरेज़ी नाम थाईलैण्ड; क्षेत्र० २ लाख वर्ग०; जन० डेढ़ करोड, जिनमे २५ लाख चीनी हैं, राजधानी ब्रकाक, शासक आनन्द महिडोल, जिसका जन्म सन् १९२५ मे हुआ, और प्रधान मन्त्री लुआग् पिबुल संग्राम । राजा की नाबालिगी मे एक राज-परिषद् शासन-संचालन करती है । १९३२ तक इस देश मे स्वेच्छाचारी एकतंत्र शासन था । सन् १९३२ मे राजतन्त्र और सैनिक-वर्ग की उत्क्रान्ति द्वारा नया शासन-विधान बनाया गया और तदनुसार एक धारासभा की स्थापना हुई । इसमे आधे प्रतिनिधियों की नामज़दगी राजा द्वारा होती है तथा शेष का चुनाव किया जाता है, किन्तु सन् १९५२ से सभी सदस्यों का चुनाव किया जानेवाला है । आजकल इस देश मे सैनिक अधिनायक-तंत्र है । राजनीतिक संस्थाओं पर प्रतिबन्ध है तथा चुनावों का संचालन सरकार द्वारा किया जाता है । पिछला राजा प्रजाधिपोक १९३५ मे गद्दी छोड गया और १९४१ मे ईंगलैण्ड मे उसकी मृत्यु होगई । पिछले कुछ वर्षों मे सरकार ने देश के पाश्चात्यीकरण

और राष्ट्रीय उत्थान की नीति ग्रहण की है। स्याम की जिन देशों के साथ सन्धियाँ थीं, १९३६ में उन्हें रद्द कर दिया गया। उनके स्थान पर समता, न्याय और स्याम के आर्थिक आधिपत्य के आधार पर, नये सिरे से, सन्धियाँ की गईं। ग्रेटब्रिटेन के साथ भी स्याम की मैत्री-सन्धि और पारस्परिक अनाक्रमण समझौता था। वक्राक में बरतानी प्रभाव की धाक थी, किन्तु पिल्ले कुछ वर्षों में जापान ने उससे होठ लगादी।

इस देश का व्यापार अधिकतर मलय, हाङ्काङ्ग, ब्रिटेन तथा जापान के साथ होता रहा है। सन् १९३६ में देश का नाम स्याम के स्थान पर थाईलैण्ड रखा गया। थाईलैण्ड शब्द देश के सरकारी नाम 'मुआङ्ग थाई' (स्वतन्त्र जनता का देश) शब्द का अँगरेज़ी भावानुवाद है।

स्याम मध्यकालीन स्वतन्त्र भारत का एक उपनिवेश था। शताब्दियों तक वहाँ आर्य-हिन्दू सभ्यता प्रचलित रही, जिसका प्रभाव वहाँ के राजवंश तथा प्रजावर्ग में अब भी पाया जाता है। स्यामी जनता बौद्ध और ईसाई धर्मों की अनुयायिनी है।

थाईलैण्ड के निकट ही हिन्द-चीन देश है, जो फ्रांस के नियंत्रण में था। थाईलैण्ड ने १९४० में, फ्रांस से मॉग की कि हिन्द-चीन में बहुसंख्यक थाई जनता द्वारा बसा हुआ, मेकाङ्ग नदी के किनारे का पकलाई प्रदेश उसको वापस कर दिया जाय। कोई सन्तोषप्रद उत्तर न मिलने पर थाईलैण्ड की सेना ने, २३ नवम्बर १९४० को, हिन्द-चीन



मे, ६३ मील दूर तक, हमला कर दिया। सेनाओं मे कई मास तक संघर्ष रहा। थाईलैण्ड की सेना आगे बढ़ती गई। जापान को इन दोनो देशो ने मध्यस्थ मान लिया और ६ मई १९४१ को सन्धि होगई। स्याम को पकलाई सहित कुछ और इलाक़ा भी मिल गया।

जब जापान ने प्रशान्त महासागर मे अमरीकी और बरतानवी द्वीपो पर, ७ दिसम्बर १९४१ को, आक्रमण किया तब उसने स्याम पर भी हमला कर दिया। थोडे दिन के मुक़ाबले के बाद स्याम ने जापान से, २० दिसम्बर को, सन्धि करली और जापानी सेनाओं को रास्ता देदिया। इस देश मे जापान ने अपने सैनिक और हवाई अड्डे स्थापित किए और वहाँ से मलय तथा ब्रह्मा पर आक्रमण करके उन्हे जीत लिया और हिन्द-चीन पर भी प्रभुत्व कर लिया। सयुक्त-राष्ट्र अमरीका ने इसके बाद थाईलैण्ड के विरुद्ध निर्यात-प्रति-बधक क़ानून लगा दिया।

स्लाव—पूर्व तथा दक्षिण-पूर्वीय योरप की एक जाति, जिसमे ८ करोड रूसी, ३ करोड ६० लाख यूक्रेनी, ६० लाख श्वेत रूसी, ७० लाख पोल, ७० लाख चैक, २५ लाख स्लोवाक, १ करोड यूगोस्लाव (६० लाख साइबेरियन, ४० लाख क्रोट और १० लाख स्लोवेनीज़ सहित) तथा ४० लाख बलग़ारी शामिल हैं।

स्वाधीनता-दिवस—प्रति वर्ष २६ जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वाधीनता-दिवस मनाती है। इस दिन समस्त भारतवासी भारत को स्वाधीन बनाने की प्रतिज्ञा को दोहराते हैं। १९२९ की कांग्रेस मे पूर्ण स्वराज्य को देशोद्धार का लक्ष्य घोषित करने के उपरान्त सन् १९३० से यह दिवस बराबर समस्त देश मे मनाया जाता है।

स्वायत्त-शासन—किसी देश का उसकी प्रजा द्वारा शासन।

स्वाश्रयी व्यवस्था—किसी देश की ऐसी सुगठित आर्थिक व्यवस्था कि उसे अन्य किसी राष्ट्र पर आश्रित न रहना पडे।

सिक्कांग्—चीन का उत्तर-पश्चिमी सूत्रा; चीनी-तुर्किस्तान का चीना नाम; क्षेत्र० ५॥ लाख वर्ग०; जन० १२ लाख, जिसमे केवल १० फ़ीसदी चीना हैं, ६० फ़ी० तुर्क यानी मुसलमान हैं, शेष मे मंचू, चीना-मुसलमान

(तुगन), मंगोल, किरगिज, क़ज़ाक़ और श्वेत रूसी हैं; राजधानी उरुमची । काशगर में वरतानी दूतावास है । यद्यपि मिक़्याग् और भारत के बीच ऊँचे पर्वत हैं, किन्तु फिर भी, भारत के लिये, मामरिक दृष्टि में, यह प्रदेश महत्त्वपूर्ण है । १९३० में सोवियत सेनाओं ने गैर-सरकारी तौर पर, इस प्रान्त पर क़ब्ज़ा कर लिया और तब से यह प्रदेश वस्तुतः सोवियत रूस के अधीन है । शानन में सोवियत रूसी सलाहकार और सोवियत अफसर हैं और नेना में सोवियत लवाज़मा है । चीन बराबर इस देश पर अपने आधिपत्य का दावीदार है ।


सिकन्दर हयातख़ाँ, सर—१९३७ में पंजाब सरकार के प्रधान मन्त्री । अलीगढ और लन्दन में तालीम पाई । पिल्लले युद्ध में आप पहले हिन्दुस्तानी थे, जिसे कम्पनी-कमारण्ट मिली थी । सन् १९१६ में सबसे पहले पंजाब-कोसिल के सदस्य चुने गए । सन् १९२८ में प्रान्तीय सादमन कमिटी के अध्यक्ष थे । आप सन् १९३७ से पूर्व पंजाब-सरकार के माल-मन्त्री तथा अर्थ-मन्त्री के पदों पर रहे । रिजर्व बैंक आफ इंडिया के डिप्युटी गवर्नर के पद पर नियुक्त किए गए । पंजाब में एक वर्ष तक स्थानापन्न गवर्नर नियुक्त किए गए थे । आप पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी के नेता रहे । सन् १९३७ में मि० मुहम्मदअली जिन्ना के आग्रह से मुसलिम-लीग का सदस्य होना स्वीकार किया । तब से मुसलिम लीग की कार्य-समिति के सदस्य रहे । सन् १९३९ से आप युद्ध-प्रयत्न में बड़ी लगन और दिलचस्पी से भाग लेते रहे । आपने दो बार उत्तरी अफ्रीका तथा मिस्र के रणक्षेत्रों में भारतीय सेनाओं का निरीक्षण भी किया । लीगी होते हुए भी आपके शासन-काल में पंजाब में सामाजिक शान्ति रही और पाकिस्तान-योजना का भी आपने कभी स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं किया । २५ दिसम्बर १९४२ की रात को दिल की धडकन होजाने से आपकी मृत्यु होगई ।



सिख—हिन्दू-समाज के अन्तर्गत, सामाजिक और धार्मिक सुधार के प्रश्न को लेकर, आजपर्यन्त अनेक सुधार-आन्दोलन हुए. किन्तु यह सभी आन्दोलन समूचे हिन्दू-समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की अपेक्षा नये-नये सम्प्रदायों के प्रतीक बनकर रह गए। श्रीगुरु नानक देव अपने युग में हिन्दू-समाज के अन्तर्गत एक प्रमुख सुधारक हुए। उन्होंने एकेश्वरवाद, रूढ़िगत वर्ण-व्यवस्था के उन्मूलन और जीवन में धर्ममय आचार के सामञ्जस्य पर बल देते हुए हिन्दू-राष्ट्र की सामाजिक एकता की आधार-शिला प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया। किन्तु उनकी विचारधारा का प्रतीक सिख सम्प्रदाय बन गया। आरम्भ में सिख पन्थ एक अव्यात्मवादी शान्तिप्रिय सम्प्रदाय था। किन्तु बाद के सिख गुरुओं ने, जिनमें श्रीगुरुगोविन्दसिंहजी मुख्य हैं, इस पथ को युग के अनुकूल जामा पहनाया और हिन्दू-राष्ट्र के अन्तर्गत साम्राज्यवाद-विरोधी और देश की स्वाधीनता के लिये बलिदान होने को तत्पर रहनेवाले राष्ट्र-रक्षक समूह की स्थापना, सिख पन्थ में नवीन सुधारों द्वारा, की।

भारत में सिखों की सबसे अधिक आबादी पंजाब प्रान्त में है। किन्तु पंजाब में भी वह अल्पसंख्यक जाति है। सिख एक वीर सैनिक सम्प्रदाय है, जो हिन्दू-समाज के अन्तर्गत होते हुए भी राजनीतिक रूप में उससे पृथक् कर दी गई है। सिखों का हिन्दू-समाज से प्रथम एक दुःखप्रद घटना है।

सिगापुर—ब्रिटेन के पूर्व-देशीय स्ट्रेट्स सैटलमेण्ट उपनिवेश का अंग तथा बरतानवी सुदूरपूर्वीय साम्राज्य का एक महत्त्वपूर्ण नाविक और व्यापारिक अड्डा, जो चीन-सागर से लेकर हिन्द महासागर तक का संरक्षण करता है। विपुल-धन-राशि व्यय करके संसार के महान् नाविक अड्डों की भाँति इसे आधुनिकतम रूप में बढ़ाया गया था। १९३८ में यह इस रूप में बनकर



सुका था। सिंगापुर की आबादी ७ लाख है, जिनमें ५३ लाख चीना हैं। सुदूरपूर्व के युद्ध में, ११ जनवरी १९४२ को, वरतानवी फौजों ने सिंगापुर ज्वाली कर दिया और जापानियों ने उस पर कब्जा कर लिया और अब उन्होंने इसका जापानी नाम 'शोनन' (पूर्व का सितारा) रख दिया है।

स्टिम्सन, हेनरी ल्यूइस—सयुक्त-राज्य अमरीका का युद्ध-मन्त्री, २१ सितम्बर १८६६ को पैदा हुआ; वकील बना; न्यूयार्क के दक्षिणी जिले का १९०६-०९ में सरकारी वकील रहा; १९११-१३ में युद्ध-मंत्री, १९१८ में अमरीकी तोपखानेका फ्रान्स में कर्नल, १९२७-२८ में फिलिपाइन्स का गवर्नर-जनरल, और १९२९-३३ में, हूवर के राष्ट्रपति-काल में, राष्ट्र-मन्त्री रहा। १९३० में लन्दन की नौसेना परिषद् और १९३२ की निरस्त्रीकरण परिषद् में अमरीकी प्रतिनिधि-मण्डल का नेता था। अमरीकी 'रिपब्लिकन' दल वर्तमान युद्ध में तटस्थ रहने की नीति का पोषक है, किन्तु स्टिम्सन एक प्रधान 'रिपब्लिकन' होते हुए भी, वर्तमान युद्ध के आरम्भ से ही, अमरीका द्वारा मित्रराष्ट्रों को सहायता देने का समर्थक है। अमरीकी नौसेना विभाग का मन्त्री कर्नल नाक्स भी 'रिपब्लिकन' है, किन्तु तटस्थता-नीति का विरोधी है। राष्ट्रपति रूज़वैल्ट ने, जून १९४० में, इन दोनों को अपने मन्त्रि-मण्डल में शामिल किया है।


स्पिट फाइर—एक प्रकार का वायुयान, जो अपने से नीचे उड़ते हुए शत्रु के हवाई जहाज के पीछे के भाग पर हमला करता है।

स्विट्ज़रलैंड—क्षेत्र० १५,९४४ वर्ग०, जन० ४१,५०,००० जिनमें तीस लाख जर्मन, ८३ लाख फ्रांसीसी तथा २३ लाख इटालियन-भाषा-भाषी हैं। यह तीनों वहाँ की राष्ट्रभाषा तथा सरकारी भाषाएँ हैं। स्विट्ज़रलैंड में कोई अल्पमत समस्या नहीं है। सभी जातियों और वर्गों को वहाँ समान अधिकार प्राप्त हैं। योरप में वह एक आदर्श राज्य है। इस देश का शासन-विधान सर्वश्रेष्ठ ढंग का प्रजातन्त्रवादी प्रकार का है। इसमें २२ प्रान्त हैं, जिन्हें पूर्ण स्थानीय स्वाधीनता प्राप्त है। प्रत्येक प्रान्त की अपनी निजी पार्लमेण्ट और सरकार है। प्रमुख प्रश्नों पर जनमत लिया जाता है। सन् १८१५ में इस देश की तटस्थता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गारंटी दी गई थी। तटस्थ देश होने से उसकी बैंको में विदेशी पूँजी बहुत जमा है। २ अरब फ्राँक का सोना स्विट्ज़रलैंड की बैंको में जमा है।

स्विट्ज़रलैण्ड की सघीय असेम्बली में दो धारासभाएँ हैं : राष्ट्रीय-परिषद् (National Council) जनता द्वारा आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनी जाती है। राज्य-परिषद् (Council of State) प्रत्येक प्रान्त द्वारा चुनी जाती है और उसमें प्रत्येक प्रान्त के—उसको आबादी कुछ भी हो—दो प्रतिनिधि होते हैं। संघीय असेम्बली सघीय परिषद् (गवर्नमेण्ट) और उसके फेडरल प्रेसिडेण्ट (प्रधान-मन्त्री) का चुनाव करती है। प्रधान-मन्त्री ही राज्य के शासन का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति वहाँ अलग नहीं होता। प्रधान-मन्त्री एक वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तीनों मुख्य जातियों के प्रतिनिधियों को क्रमशः यह पद मिलता रहता है।

स्विट्ज़रलैण्ड में कई राजनीतिक दल हैं। 'नये मोर्चे' तथा 'राष्ट्रीय मोर्चे' के नाम से नात्सी दल बने, किन्तु उनका अभी कोई प्रभाव नहीं है। कम्युनिस्ट दल पर वहाँ बन्धन है। नात्सियों ने वहाँ के जर्मनों को एकाधिपत्य स्थापित करने को उकसाने का प्रयास किया, किन्तु उस देश में सभी जातियों को सम्पूर्ण रूप से समान अधिकार प्राप्त हैं, इसलिये उनका प्रयास विफल रहा।

आल्प्स पहाड़ के दरों का रक्तक होना और फ्रान्स की सीमा पर स्थित होने के कारण इस देश का नामरिक महत्त्व है। पहाड़ों से घिरा होने के कारण इस देश की स्थिति प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है। वहाँ ७ लाख लोग हैं।



सीगफ्रीड किलेबन्दी—जर्मनी की बर्धमी सीमा पर स्थित किलेबन्दी, जो फ्रान्स की मेजिनो किलेबन्दी के मुक़ाबले पर बनाई गई। मनु १९३८ में यह मुर्मोपक्षि शीघ्रतापूर्वक तीन मास में ही बना दी गई। १९३९ में इसे और बढ़ाया गया।

सीतारामय्या, डा० वी० पट्टाभि—बी० ए०, एल० एम० एम०; दक्षिण भारत के प्रमुख कांग्रेसी नेता, गांधीवाद के अधिकारी व्याख्याकार और गांधीजी के पुरातन भक्त । अ०-भा० कांग्रेस कमिटी के पुराने सदस्य । सन् १९१६ से १९३० तक अँगरेजी साप्ताहिक 'जन्मभूमि' का सञ्चालन-सम्पादन किया । सन् १९३०-३४ के बीच तीन बार मत्याग्रह आन्दोलन में जेल-यात्रा की । सन् १९३१ से कांग्रेस कार्य-समिति के सदस्य । सहकारी आन्दोलन में बहुत भाग लिया और आन्ध्र बैंक, भारतलक्ष्मी इशारेन्स कम्पनी, आन्ध्र इशोरेन्स कम्पनी, तथा आगरा म्युचुअल इशोरेन्स कम्पनी की स्थापना आदि से सम्बन्धित हैं । सन् १९३६ में महात्मा गांधी की अनुमति में आप राष्ट्रपति पद के चुनाव में, श्री सुभाषचन्द्र बोस के विरुद्ध, खड़े हुए, जिसमें आपकी पराजय हुई । इस अवसर पर कांग्रेस में अवाञ्छित सघर्ष रहा । डा० पट्टाभि अँगरेजी के लेखक हैं । अँगरेजी तथा तामिल में कई ग्रन्थ उन्होंने लिखे हैं, जिनमें 'कांग्रेस का इतिहास' और 'समाजवाद : गांधीवाद' महत्वपूर्ण हैं ।

स्वीडन—क्षेत्र० १,७३,००० वर्ग०; जन० ६३

लाख, राजधानी स्काटहोम, राजा गुस्तव पचम, जिसका जन्म १८५८ में हुआ और जो १९०७ में गद्दी पर बैठा । यह देश परम्परा से तटस्थ रहा है । पहले इसका अन्य नार्डिक (नार्वे, डेनमार्क तथा फिनलैण्ड) देशों से राजनीतिक सहयोग रहा है । स्वीडन में कच्चा लोहा बहुत अधिक है, इसीलिये इसका अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व है । इसके लोहे की दुनिया में बहुत माँग रहती है । जर्मनी को यह बहुत अधिक कच्चा लोहा भेजता है, ब्रिटेन को भी भेजता था । स्वीडन प्रजातंत्र देश है, इसलिये वहाँ नास्तीवाद लोकप्रिय नहीं है, यद्यपि जर्मनजाति के प्रति परम्परागत प्रेम है । यद्यपि स्वीडन की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था समाजवादी नहीं है तथापि वहाँ समाजवाद के प्रति आस्था है । इसीलिये समस्त योरप में स्वीडन के मजदूरों का जीवन-मानदण्ड सर्वोच्च है और उद्योग-धन्धों पर साम्यवादी प्रभाव है और बैंको पर सरकार का असर


सातारामय्या, डा० वी० पट्टाभि—वी० ए०, एल० एम० एम०; दक्षिण भारत के प्रमुख कांग्रेसी नेता, गांधीवाद के अधिकारी व्याख्याकार और गांधीजी के पुरातन भक्त । अ०-भा० कांग्रेस कमिटी के पुराने सदस्य । सन् १९१६ से १९३० तक अँगरेजी साप्ताहिक 'जन्मभूमि' का संचालन-सम्पादन किया । सन् १९३०-३४ के बीच तीन बार सत्वाप्रद आन्दोलन में जेल-याचा की । सन् १९३१ से कांग्रेस कार्य-समिति के सदस्य । सरकारी आन्दोलन में बहुत भाग लिया और आन्ध्र बैंक, भारत नक्षत्री इशोरेन्स कम्पनी, आन्ध्र इशोरेन्स कम्पनी, तथा आगरा न्युचुअल इशोरेन्स कम्पनी की स्थापना आदि से सम्बन्धित हैं । सन् १९३६ में महात्मा गांधी की अनुमति से आप राष्ट्रपति पद के चुनाव में, श्री सुभाषचन्द्र बोस के विरुद्ध, खड़े हुए, जिसमें आपकी पराजय हुई । इस अवसर पर कांग्रेस में अवाञ्छित संघर्ष रहा । डा० पट्टाभि अँगरेजी के लेखक हैं । अँगरेजी तथा तामिल में कई ग्रन्थ उन्होंने लिखे हैं, जिनमें कांग्रेस का इति-हास' और 'समाजवाद : गांधीवाद' महत्वपूर्ण हैं ।

स्वीडन—क्षेत्र० १,७३,००० वर्ग०; जन० ६३

लाख; राजधानी स्काटहोम, राजा गुस्तव पंचम, जिसका जन्म १८५८ में हुआ और जो १९०७ में गद्दी पर बैठा । यह देश परम्परा से तटस्थ रहा है । पहले इसका अन्य नार्डिक (नार्वे, डेनमार्क तथा फिनलैण्ड) देशों से राजनीतिक सहयोग रहा है । स्वीडन में कच्चा लोहा बहुत अधिक है, इसीलिये इसका अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व है । इसके लोहे की दुनिया में बहुत माँग रहती है । जर्मनी को यह बहुत अधिक कच्चा लोहा भेजता है, ब्रिटेन को भी भेजता था । स्वीडन प्रजातंत्र देश है, इसलिये वहाँ नात्सीवाद लोकप्रिय नहीं है, यद्यपि जर्मनजाति के प्रति परम्परागत प्रेम है । यद्यपि स्वीडन को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामा-जिक व्यवस्था समाजवादी नहीं है तथापि वहाँ समाजवाद के प्रति आस्था है । इसीलिये समस्त योरप में स्वीडन के मजदूरों का जीवन-मानदण्ड सर्वोच्च है और उद्योग-धन्धों पर साम्यवादी प्रभाव है और बैंकों पर सरकार का असर

है। सहकारितावाद वहाँ अत्यन्त विकसित है। कच्चे लोहे की खानों पर भी राज्य का स्वाम्य है। इस देश में स्वीडिश नात्सी-दल का कुछ भी प्रभाव नहीं है।

स्वीडन इस समय युद्ध में तटस्थ है, किन्तु रूस के फिनलेण्ड पर और जर्मनी के नारवे पर हमला करने पर उसने दोनों दलित देशों के साथ सहानुभूति प्रदर्शित की, और जब जर्मनी ने रूस पर हमला किया तो उसने एक जर्मन डिवीजन को, नार्वे से फिनलेण्ड की सरहद तक, अपने देश में होकर निकल जाने दिया। ब्रितानिया और सोवियत संघ की सरकारों ने स्वीडन की इस कार्यवाही का प्रतिवाद किया।



नियुक्त हुए। गिरफ्तार किये गये और ६ मास की कैद की सज़ा दी गई।

१९२२ में लौटकर बाढ़-पीड़ित ग्रामीणों की सेवा में लग पड़े। उपरान्त अंगरेज़ी दैनिक 'फारवर्ड' के प्रधान सम्पादक हुए। सन् १९२४ में कलकत्ता कारपोरेशन के सदस्य चुने गये। इसी वर्ष कारपोरेशन के प्रधान अफसर (चीफ ऐक्ज़िक्युटिव आफिसर) नियुक्त किये गये। १८१८ के बंगाल रेग्युलेशन के अन्तर्गत गिरफ्तार किये जाकर माडले में नज़रबंद करके रखे गये। यहाँ सुभाष बाबू का स्वास्थ्य बहुत ख़राब होगया, उनका वज़न ४० पाउंड कम होगया, और क्षय के लक्षण दिखाई पडने लगे। १९२७ में उनकी अवस्था चिंतनीय होगई। सरकार ने कहा कि श्री बोस चिकित्सा के लिये भारत न जाकर सीधे जाना चाहें तो उनको योरप भेजा जा सकता है, किंतु आपने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया। आपने जेल से लिखा कि मैंने अपने को भगवान के आश्रित छोड़ दिया है, मैं राष्ट्र को भुला नहीं सकता। देश में आन्दोलन हुआ और १५ मई १९२७ को उन्हें रिहा कर दिया गया। छूटकर आने पर आपको बंगाल कांसिल का सदस्य चुना गया और बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमिटी का प्रधान भी। १९२८ में गिरफ्तार किये गये, किंतु ज़मानत पर रिहा हुए और उस वर्ष के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में आप वालन्टियर सेना के प्रधान नायक बनाये गये। बाद में आपको कैद की सज़ा मिली। १९२९ की कांग्रेस के बाद कार्यकारिणी की नियुक्ति के समय आप असतुष्ट रहे और स्वर्गीय श्री सत्यमूर्ति, डा० आलम आदि के साथ आपने कांग्रेस डिमोक्रेटिक दल की स्थापना की, किंतु यह दल नगण्य रहा। सन् १९३० में भद्र अवज्ञा आन्दोलन छिड़ने तक आपको दो बार गिरफ्तार किया गया और कैद की सज़ा दी गई। गांधी-इरविन-समझौते के अनुसार रिहा हुए। १९३२ में पकड़े जाकर नज़रबंद कर दिये गये। आपका स्वास्थ्य जेल में एकदम गिर गया। छूटे और वीयना इलाज के लिये गये, यही श्री विट्टलभाई पटेल अपना इलाज करा रहे थे। प्रेसिडेंट पटेल और सुभाष बाबू ने बीमारी की अवस्था में, भारत-सबध्दी काफ़ी प्रचार योरप में किया। गांधीजी ने जब भद्र अवज्ञा आन्दोलन स्थगित किया तो पटेल और सुभाष ने अपनी उग्र असह-मति प्रकट की। पिता की बीमारी के कारण आप भारत आये, किंतु जल्द

वापस चले गये। १९३६ में योरप से लौटे। फिर पकड़ लिये गये और सुभाष बाबू जेल में पुनः सख्त बीमार होगये। मार्च १९३७ में आपको छोड़ा गया। स्वास्थ्य-लाभ के लिये डलहौज़ी जाकर रहे। लौटते ही कार्य में जुट जाने से तबीअत फिर बिगड़ उठी। नवम्बर में फिर योरप गये। योरप में रहते समय ही देश ने आपको राष्ट्रपति चुना। १९३८ में आपके राष्ट्रपति-काल में आसाम में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल कायम हुआ। आपने अथक दौरा करके सघ-शासन-योजना का ज़ोरदार विरोध किया। १९३९ में वह फिर, डा० पट्टाभि सीतारामैया के मुक़ाबले में, राष्ट्रपति चुने गये। इस प्रश्न पर उनमें तथा कांग्रेस के अन्य नेताओं में मतभेद उत्पन्न होगया।

अ०-भा० कांग्रेस कमिटी ने जून १९३९ में बंबई में एक प्रस्ताव इस आशय का पास किया कि कोई भी कांग्रेस-जन प्रांतीय कांग्रेस कमिटी की पूर्व स्वीकृति के बिना सत्याग्रह नहीं

कर सकेगा। इस प्रस्ताव की सुभाष बाबू ने जनता में कड़ी आलोचना की। इस पर उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई की गई और उन्हें तीन वर्ष के लिये कांग्रेसकी किसी भी संस्था के चुनाव के अयोग्य घोषित कर दिया गया। सन् १९४० में उन्होंने कलकत्ता में कालकोठरी—



हालचैल स्मारक—को ध्वस करने के लिये सत्याग्रह शुरू किया। इसमें उन्हें सफलता मिली। इस सत्याग्रह के सवध में उन्हें सज़ा मिली, किंतु बाद में उन्हें स्वास्थ्य ख़राब होनेके कारण रिहा कर दिया गया। पीछे भारत रत्ना-विधान के अन्तर्गत कई मुक़दमें उन पर चले। स्वास्थ्य उनका ख़राब रहा। वह एकांत और संयत जीवन व्यतीत करते हुए

आध्यात्मिक प्रयोग और अध्ययन में समय विताने लगे। इसी बीच २६ जनवरी १९४१ को सुना गया कि सुभाष बाबू घर से लापता होगये हैं। नवम्बर १९४१ में सरकार ने कहा कि बोस किसी बुरी देश में रह रहे हैं। बंगला और अँगरेज़ी में आपने कई पुस्तके लिखी हैं।

सुरक्षित स्वर्ण-कोष—स्वाधीन देश अपनी बैंकों में चालू मुद्राओं के बराबर स्वर्ण-कोष रखते हैं। इससे देश की साख रहती है और विदेशों में वह स्वर्ण में भुगतान भी कर सकते हैं। ससार का सबसे अधिक सोना सयुक्त-राज्य अमरीका में है, इसके बाद ब्रिटेन, फ्रान्स, स्विट्ज़रलैण्ड तथा हालैण्ड में। सितम्बर १९३६ तक बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड में ६० करोड़ पाँड का, अमरीका की फ़ैडरल रिज़र्व बैंक में १२ अरब ७० करोड़ डालर का, और बैंक ऑफ़ फ्रान्स में ४० करोड़ पाँड का सोना सुरक्षित था। जर्मनी ने अपनी राइख बैंक के हिसाब में सोने की कोई रकम नहीं दिखाई, किन्तु अनुमानतः उसके पास २० से ५० करोड़ मार्क का गुप्त स्वर्ण-कोष था।

सेवाग्राम—यह वर्धा (मध्यप्रात) नगर से ५ मील की दूरी पर एक छोटा-सा ग्राम है, जिसके पास सन् १९३०-३२ के सत्याग्रह आन्दोलनों के बाद गांधीजी ने अपना आश्रम बनाया। सेवाग्राम भारत की राजनीति का केन्द्र है। गांधीजी का निवास-स्थल होने के कारण देश-विदेश के अनेक राजनीतिज्ञ वहाँ पहुँच चुके हैं। आश्रम के ही कारण यहाँ डाकघर और टेलीफोन भी है। गाँव का नाम सेगॉव से सेवाग्राम कर दिया गया है।

स्पेन—क्षेत्र० १,६५,००० वर्ग०; जन० २ करोड़ ४० लाख, उसके अफ्रीकी साम्राज्य को मिलाकर २,८०,००,०००। सन् १९३१ तक स्पेन में राजतन्त्र था, जिसमें १९२५ के बाद जनरल प्रिमो द रिवेरा वास्तव में वहाँ का अधिनायक था। अप्रैल १९३१ में रिवेरा की डिक्टेटरशिप उखाड़ फेंकी गई और स्पेन में प्रजातंत्र की स्थापना हुई। दक्षियानूस दल का जमोरा राष्ट्रपति बना। बादशाह अल्फोंजो त्रयोदश स्पेन से निर्वासित कर दिया गया। बाद को देश के दक्षियानूसी और वामपन्थी दलों में कशमकश रही और १९३६ के चुनाव में वामपन्थियों की जीत हुई, फलतः उनका नेता अज़ाना, ११ मई १९३६ को, स्पेन का, जमोरा के स्थान पर, राष्ट्रपति चुना गया। उसने प्रजा-

तत्रवादी सरकार बनाई, जिसमें समाजवादी और साम्यवादी मंत्री नियुक्त नहीं किये गए। सरकार ने कुछ सामाजिक तथा भूमि-संबंधी सुधार किये, जिनसे बड़े ज़मींदारों तथा दक्षिणानूस-दल और दक्षिण-पंथियों में असन्तोष उत्पन्न होगया। फलतः १८ जुलाई १९३६ को जनरल फ्रांको ने भू-सेनाको पूरी और नौसेना की आंशिक सहायता से विद्रोह कर दिया। जर्मनी तथा इटली ने फ्रांको को भडकाया, क्योंकि वह योरप में सयुक्त-मोर्चा (पापुलर फ्रन्ट) के सगठन को पनपता हुआ नहीं देखना चाहते थे, और चाहते थे कि स्पेन धुरी राष्ट्रों के साथ रहे। यह विद्रोह गृह-युद्ध के रूप में बदल गया, जो तीन साल तक चलता रहा। मार्च १९३९ में फ्रांको की विजय हुई। तब से स्पेन सैनिक अधिनायकतंत्र के अधीन है और जनरल फ्रांको वहाँ का अधिनायक है। फेलेज वहाँ का अकेला दल है, जिसका प्रधान भी फ्रांको है।

स्पेन का गृह-युद्ध, १९३६-३९—१८ जुलाई १९३६ को स्पेनी मरक्को में जनरल फ्रांको ने स्पेन की प्रजातंत्र सरकार के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। उसके दूसरे दिन स्पेन की समस्त सेनाएँ विद्रोहियों से मिल गईं। उन्होंने उत्तर-पश्चिमी तथा दक्षिणी स्पेन में शासन-सत्ता हस्तगत कर ली। उत्तरी तथा पूर्वी स्पेन में सैनिक-विद्रोह पापुलर फ्रन्ट सरकार द्वारा दबा दिया गया और किसान-मज़दूरों ने केन्द्रिय, उत्तरी और पूर्वी स्पेन में, मेड्रिड, वारसीलोना और विलवात्रो में विजय प्राप्त की। सरकार ने नागरिक अनिवार्य सेना बनाई और फ्रांस की पापुलर फ्रन्ट सरकार से हथियार तथा युद्ध-सामग्री माँगी, किंतु फ्रांस ने इनकार कर दिया और वह तटस्थ रहा। इटली तथा जर्मनी ने स्पेन के विद्रोहियों की युद्ध-सामग्री में मदद की। प्रजातंत्री सेना के पास फ़ौजी-लवाज़मे की कमी थी, इसलिये फ्रांको ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया और मेड्रिड को २ ½ साल तक घेरे पडा रहा। पीछे फ्रांस ने गैर-मरक़ारी तौर पर कुछ सहायता भेजी। १९३७ में दोनों आंग नई तैयारियाँ हुईं। लस की सरकार ने स्पेन की प्रजातंत्रवादी सरकार को युद्ध-सामग्री भेजी। इटलीने एक लाल सेना स्पेन में विद्रोहियों की मदद के लिये भेजी तथा जर्मनी ने जादे, इवाई-जहाज़, टैंक तथा सैनिक भेजे। लस ने भी प्रजातंत्रवादियों को टैंक, इवाई जहाज़ तथा सेना भेजी। फ्रांको को उसके मददगारों ने ज़ुन्द और इवादा वादाद

स्टैन्डर्ड आइल कम्पनियों—समस्त ससार में मिट्टी का तेल और पेट्रोल बेचनेवाली अमरीकी कम्पनियों का समूह, जिनकी स्थापना मृत जान डी० राकफैलर ने की। १९११ में, एक अमरीकी कानून के विरोध में, यह कम्पनियों तोड़ दी गई, पर किसी-न-किसी तरह यह कम्पनियों कायम रही और राकफैलर का भी इनसे सम्पर्क बना रहा। सामूहिक रूप से इनका सगठन अब अस्त-व्यस्त हो गया है, अनेक स्टैन्डर्ड आइल कम्पनियों बन गई हैं, जिनमें आपस में बाज़ार के अन्दर प्रतियोगिता भी रहती है। कैलिफोर्निया, न्यूजर्सी और न्यूयार्क की स्टैन्डर्ड आइल कम्पनियों सब इसी समूह की हैं। न्यूयार्क की स्टैन्डर्ड आइल कम्पनी सोकोनी-वैकुअम-समुदाय की वैकुअम आइल कम्पनी में मिल गई है। स्टैन्डर्ड आइल-कम्पनियों समस्त ससार में तेल की निकासी का नियन्त्रण भी करती हैं, आसकर संयुक्तराष्ट्र अमरीका, रूमानिया, वेनेजुला, दक्षिण अमरीका की रियासतों, इराक और दक्षिण अरब में। १९३८ में मैक्सिको के तेल का व्यवसाय इनके हाथ से निकलकर मैक्सिकन सरकार के हाथ में जा चुका है। इन कम्पनियों के अधीन समस्त ससार के तेल की निकासी का चौथाई भाग है। तेल निकालना, उसे साफ़ करना, यातायात द्वारा ससार भर में पहुँचाना और बेचना, सब कुछ इन्हींके हाथ में है।

स्ट्रैसा का मोर्चा—मुसोलिनी के सुभाष पर, १९३४ में, योरपियन राष्ट्रों की एक परिषद्, स्ट्रैसा नगर में, डेन्यूब नदी के कछार में किसी भी राष्ट्र के सम्भावित विस्तार की समस्या पर विचार करने के लिये, हुई थी। इस परिषद् में इटली ने पश्चिमी राष्ट्रों—ब्रिटेन और फ्रान्स—का पक्ष लिया था और जर्मनी का विरोध किया था। इस परिषद् की कार्यवाही स्ट्रैसा मोर्चा नाम से प्रसिद्ध है।

सोकल—चैकोस्लोवाकिया का शारीरिक-विकास-सम्बन्धी राष्ट्रीय आन्दोलन, जिसके दस लाख सदस्य हैं। इस आन्दोलन द्वारा, १९वीं सदी में, चैक राष्ट्रीय-जागरण और आधुनिक चैक जातीय-जीवन के विकास में बहुत साहाय्य मिला है। अक्टूबर १९४१ में नात्सियों ने इस आन्दोलन को वहाँ भङ्ग कर दिया। अन्य स्लाव-जातीय देशों में भी सोकल सथाये पाई जाती हैं, किन्तु सोवियत रूस में यह आन्दोलन नहीं है।

सोवियत—परिषद् या पंचायत का अर्थसूचक रूसी शब्द। सन्

१९०५ की रूसी राज्य-क्रान्ति के समय मज़दूरों ने सोवियत नामक सत्थाएँ स्थापित कीं। सन् १९१७ की राज्य-क्रान्ति में उनका पुनर्संगठन किया गया। साम्यवादी क्रान्ति की वह आधारभूत सत्थाएँ बन गईं और जब क्रान्ति समाप्त होगई तो रूसी शासन-विधान उन्हें के आधार पर बना। सन् १९३६ के परिवर्तित शासन-विधान द्वारा उनकी संगठन-प्रणाली में सुधार कर दिया गया। प्रारम्भिक सोवियत प्रणाली में, जनता का प्रत्यक्ष सहयोग रहने के विचार से, व्यवस्थापक और शासन सत्ता संयुक्त थी। उच्च सोवियतों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता था तथा स्थानीय एवं राज्य के प्रबन्ध में साम्य था।

सोवियत संघ—पूरा नाम समाजवादी सोवियत प्रजातन्त्र सघ (Union of Socialist Soviet Republics); क्षेत्र ० ८२,२७,००० वर्ग ०, जन ० १६,३०,००,०००। सोवियत सघ का इतिहास साम्यवादी क्रान्ति, लेनिन तथा स्तालिन के प्रयत्नों और कार्यों का इतिहास है। १९१७ की कम्युनिस्ट-क्रान्ति के बाद 'रूसी समाजवादी पंचायती प्रजातन्त्र सघ' (Russian Socialist Federative Soviet Republic) की स्थापना हुई। १९२३ में यूक्रेन तथा सीमाप्रान्त की अन्य पंचायते इसमें शामिल की गईं और रूस का शासन-विधान बनाया गया जिसमें मज़दूरों को सत्ता को प्रमुख स्थान दिया गया। शासन-प्रबन्ध की आधारभूत सत्थाएँ सोवियते अर्थात् कौंसिले या पंचायते थी, जो म्युनिसिपैलिटी आदि स्थानीय शासन-प्रबन्ध के साथ-साथ राज्य के शासन-प्रबन्ध में भाग लेती थीं। छोटी सोवियते बड़ी (ज़िला, प्रान्तीय और देशिक) सोवियतों का, अप्रत्यक्ष ढंग से, चुनाव करती थी। अखिल-रूसी सोवियत कांग्रेस का चुनाव, छोटी सोवियतों द्वारा—प्रत्येक २५,००० मज़दूरों की ओर से एक प्रतिनिधि तथा प्रत्येक सवालाख किसानों की ओरसे एक प्रतिनिधि के आधार पर—होता था, जिसमें मज़दूरों के मुक़ाबले किसानों को एकवटेपॉच मताधिकार प्राप्त था। यह कांग्रेस एक केन्द्रीय कार्यकारिणी कौंसिल का चुनाव करती थी, जो ऐसे समय में नियम बनाती थी जबकि कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता था। केन्द्रीय कार्यकारिणी ही सरकार की नियुक्ति करती थी जो कौंसिल आफ् दि पीपल्स कमिसार्स कहलाती थी। सोवियत-सघ में सात स्वायत्त-भोगी जनतन्त्र (फेडरल रिपब्लिक्स) थे।

सन् १९३६ मे इस शासन-विधान मे संशोधन क्रिया गया। सोवियत नाम तो रहा किन्तु सोवियत-व्यवस्था उठा दीगई। अप्रत्यक्ष चुनाव-प्रणाली त्याग दीगई और सोवियत कांग्रेस हटा दीगई। अब छोटी-बड़ी समस्त सोवियतो का प्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा ही, चुनाव होता है और छोटी सोवियते बड़ी सोवियतो का नियन्त्रण नहीं करती। सघ की सुप्रीम कौंसिल, अन्य देशो की पार्लमेन्ट की भाँति, सबसे बड़ी धारा-सभा है। इसका चुनाव किसानो तथा मज़दूरो द्वारा अब समान मताधिकार से होता है। पुराने बचेखुचे सम्पत्तिशालियो को मताधिकार प्राप्त नहीं है। सुप्रीम कौंसिल मे दो सभाये हे : संघ की कौंसिल (कौंसिल आफ् यूनियन), जिसमे ३ लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि होता है, दूसरी राष्ट्रों की कौंसिल (कौंसिल आफ् नेशने-लिटीज), जिसमे प्रत्येक संघीय जनतन्त्र के २५ सदस्य होते हैं और स्वायत्त-भोगी जातिगत प्रदेशो के प्रतिनिधियो के लिये जिसमे एक संख्या नियत है। सुप्रीम कौंसिल प्रत्येक जनतन्त्र के लिये एक प्रेसिडेसी का चुनाव करती है, जिसमे १५ सदस्य तथा एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष प्रत्येक प्रजातन्त्र राज्य का राष्ट्रपति होता है। सुप्रीम कौंसिल ही संघ के मन्त्रिमण्डल (कौंसिल आफ् दि पीपल्स कमिसार्स) का चुनाव करती है, जो सुप्रीम कौंसिल के प्रति उत्तरदायी होता है। कमिसार्स कौंसिल का अध्यक्ष प्रधान-मंत्री होता है। आजकल कामरेड जोसफ वी० स्तालिन प्रधान-मंत्री है। इस समय सोवियत संघ मे १५ प्रजातंत्र राज्य हैं, जिनमे उपरोक्त प्रणाली की अपनी सरकारें कायम हैं। रूस मे १८० प्रकार की जातियो बसती हैं, अतएव सगको स्वराज का उपभोग प्राप्त होने के विचार से, प्रजातन्त्रों के अन्तर्गत, कौमी जनतन्त्र, स्वायत्तभोगी प्रदेश और स्वतन्त्र इलाके कायम कर दिये गये हैं।

सोवियत संघ के प्रन्द्रह प्रमुख प्रजातन्त्र—रूस, यूक्रेन (जिसका अधिकांश भाग, १९४१ मे, नात्सी-साम्राज्य-लिप्सा का शिकार हुआ था), श्वेत रूस, आरमीनिया, जार्जिया, अजरबैजान, उज़्बकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, किरगिज़िया तथा लेटविया, लिथुआनिया, ऐस्टोनिया और मोल्दाविया (जिनमे प्रथम तीन को, जुलाई १९४१ में, रूस पर आक्रमण के समय, जर्मनी और चौथे को, उसी अवसर पर, रूमानिया अपहरण कर चुका

था)। प्रजातन्त्रों की १५ भाषायें सरकारी भाषायें हैं और रूसी भाषा को प्रधानता प्राप्त है। संघ की आवादी में रूसी ८॥ करोड़ हैं। प्रजातन्त्रों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त है, पर व्यवहारतः ऐसा अभी तक हुआ नहीं है।

साम्यवादी दल ही सोवियत संघ में एक मात्र सरकार द्वारा स्वीकृत राजनीतिक दल है। इस दल द्वारा स्वीकृत उम्मेदवार ही चुनावों में खड़े हो सकते हैं। जी० पी० यू० संघ की व्यक्तिगत पुलिस है। जोसफ स्तालिन इस दल का प्रधान-मंत्री है और वही सोवियत संघ का शासक तथा अधिनायक है। संघ की लाल सेना को स्वयं सुसज्जित किया गया है। रूस की आर्थिक-प्रणाली समाजवादी है। उद्योगों तथा यातायात के साधनों पर राज्य का स्वाम्य है। राष्ट्रनिर्मात्री समिति द्वारा बनाई गई और सुप्रीम सोवियत द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार इनका संचालन किया जाता है। कृषि सामूहिक (कलैक्टिव फार्म्स—रूसी शब्द 'कोलखोज') ढंग पर की जाती है, किन्तु प्रत्येक किसान एक मकान, एक या दो एकड़ भूमि तथा एक या दो गाय अपनी रख सकता है। सामूहिक खेती में तो उसका साझा है ही।

रूस की वैदेशिक नीति, देश-काल की स्थिति के अनुसार, समय-समय पर बदलती रही है। सन् १९१७-२२ तक वह पूँजीपति और साम्राज्यवादी राष्ट्रों के सम्पर्क से अलग रहा। रपालों की सन्धि के बाद, सन् १९२२-१९३३ तक, उसने जर्मनी से सहयोग किया। इस अवधि में रूस, अपने देश में हस्तक्षेप किये जाने के सम्बन्ध में, निरन्तर सशङ्कित रहा। ब्रतानिया और फ्रान्स दोनों को वह अपने सम्बन्ध में, एक को उकसानेवाला और दूसरे को हस्तक्षेप का साधन बननेवाले की भाँति देखता रहा। १९३४ से ३६ तक उसने सत्तार के प्रजातन्त्रों से सहयोग किया। हिटलर के बोलशेविज्म-विरोधी होने के कारण रूस को उसकी ओर से आक्रमण का भारी भय था। इसलिये वह राष्ट्र-संघ में सम्मिलित हुआ और बहुत सचेत भाषा में फ्रांस और चैकोस्लोवाकिया के साथ उसने संधियाँ की। चीन में जापान का प्रसार होने और जापान के जर्मनी से गँठजोड़ा करने के कारण रूस की चिंता बढ़ी। रूस ने जापान के खिलाफ चीन की मदद की, किसी नीति-विशेष के कारण नहीं, आदर्शपालन के लिये। १९३६-४० में उसने जर्मनी से सहयोग किया, उसके साथ अनाक्रमण

सधि की और पोलैंड के बँटवारे में भी साथ दिया। योरोप के साम्राज्यवादी-प्रचारकों के अनुसार रूस ने वर्तमान युद्ध के प्रारम्भिक-काल में मित्र-दल के विरुद्ध जर्मनों को कूटनीतिक सहायता दी, जिसके बदले में जर्मनी ने पूर्वीय योरोप में, कुछ समय के लिये, रूस को स्वतन्त्र छोड़ दिया, फलतः रूस ने पोलैंड, रूमानिया और बाल्टिक देशों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। १९४१ में रूस-जर्मन-युद्ध छिड़ा। १९४० के मध्य-काल में फ्रांस का पतन होने पर रूस-जर्मनी की मित्रता वाह्यरूप से १९४१ तक कायम रही। जबकि जर्मनी ने बलकान-राष्ट्रसमूह को हड़पा, तब रूस ने नात्सियों की निंदा की। इसके बाद पूर्वीय योरोप के दोनों सीमान्तों पर सैन्य-संग्रह के कारण आपत्ति के आसार दिखाई देने लगे और, २२ जून १९४१ को, बिना किसी पूर्व सूचना के, हिटलर ने सोवियत सघ पर आक्रमण कर दिया। १२ जुलाई १९४१ को मास्को में बरतानिया और सोवियत के बीच एक समझौता हुआ कि दोनों राष्ट्र मिलकर नात्सी-जर्मनी का मुक़ाबला करेंगे और अलग सधि नहीं करेंगे।

जर्मन आक्रमण के बाद, स्तालिन की अध्यक्षता में, पाँच सदस्यों की एक राष्ट्र-रक्षा समिति (स्टेट् डिफेन्स कमिटी) बनाई गई, जिसे शासन के समस्त अधिकार दे दिये गये। सितम्बर १९४१ में ब्रिटेन, अमरीका और सोवियत के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन मास्को में हुआ और बरतानिया और अमरीका ने रूस को विपुल युद्ध-सामग्री भेजने का वचन दिया। नवम्बर १९४१ में अमरीका ने रूस को १ करोड़ डालर का ऋण दिया।

सोवियत रूस और उसके द्वारा समस्त विश्व में साम्यवाद का प्रसार होने के सबंध में तीन विचार-धारायें हैं : (१) सोवियत रूस ने संसार-व्यापी कम्युनिज़्म का विचार त्यागकर परम्परागत रूसी राष्ट्रीय नीति को ग्रहण कर लिया है। (२) संसार-व्यापी क्रांति का कार्य-क्रम क्षणिक रूप से स्थगित कर दिया गया है और उपयुक्त अवसर प्राप्त होते ही स्तालिन उसका अनुसरण करेगा। (३) स्तालिन ऐसा नहीं करेगा, उसके स्थान पर रूस में अधिक उग्र नीति की सरकार कायम होगी और वह, ट्रात्स्की द्वारा अनुमोदित, सारी दुनिया में क्रांति का आयोजन करेगी।

सोशल डेमोक्रेट्स—हालेण्ड, स्विट्ज़रलेण्ड, डेनमार्क, स्वीडन, फिन-

लेण्ड, हगरी और जर्मनी के समाजवादी मजदूर दल सोशल डेमोक्रेट्स कहलाते हैं। जर्मनी में, नात्सीवाद के उदय के समय से, यह दल गैर-क्रान्ती करार दे दिया गया है।

स्कोदा कारखाना—यह बोहेमिया में, पिल्सेन नामक स्थान पर, अन्त-शस्त्र बनाने और लोहे की ढलाई करने वाले बड़े कारखानों का विशाल समूह है। युद्ध का सामान बनाने वाले यह सप्ताह के बड़े कारखानों में से हैं। लडाई से पूर्व इसमें २२,००० मजदूर काम करते थे। फ्रान्सीसी कम्पनी-समूह शनीदर-क्रूसत का यह कारखाना चैकोस्लोवाकिया पर जर्मन-आधिपत्य स्थापित होने के बाद जर्मनी के अधिकार में चला गया है।

स्लोवाक—यह जाति स्लाव कौम के अन्तर्गत है, जो चैक-जाति से बहुत मिलती-जुलती है। स्लोवाक लोग सदियों तक हगरी के ताबे रहे और पिछले युद्ध के फलस्वरूप, १९१८ में, चैकोस्लोवाकिया के निर्माण के समय, इन का उद्धार हुआ। २० साल तक स्लोवाक चैको के साथ एक राज्य में रहते रहे, किन्तु उसके बाद वह अपनी राजनीतिक स्वाधीनता अलग मँगाने लगे, जो म्युनिख सम्झौते के अनुसार, अक्टूबर १९३८ में, चैकोस्लोवाकिया का पुनर्संगठन होते समय, उनको मिल गई और नात्सी-हंग की डिक्टेटरशाही वहाँ कायम हुई। १० मार्च १९३९ को स्लोवाक राजधानी, ब्रातीस्लावा, में जर्मनी के नास्तियां ने विद्रोह करा दिया और स्लोवाक पूर्ण-स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी गई, तब से स्लोवाकिया में, जर्मन-संरक्षण में, एक कठपुतली सरकार कायम है। जर्मन फौजे वहाँ क्राबिज हैं और स्लोवाक लोगों को, जर्मनी के पक्ष में, पोलेण्ड और रूस से लडना पडा है। प्रवासी स्लोवाक चैको से मिलकर मित्रराष्ट्रों की सहायता कर रहे हैं और वह लन्दन-प्रवासी डाक्टर वेनेश की अस्थायी चैकोस्लोवाकी सरकार के सचालन में भाग ले रहे हैं।

स्लोवेनीज—दक्षिणी स्लाव जन-समूह जो आल्प्स पर्वत के दक्षिण-पूर्व भाग में बसा हुआ है, इनकी संख्या दस लाख, रोमन कैथलिक ईसाई। सदियों तक यह जाति आस्ट्रिया के अधीन रही है। पिछले महायुद्ध के बाद यह लोग यूगोस्लावी राज्य के अन्तर्गत सर्बिया, क्रोशिया तथा अन्य दक्षिणी स्लाव देशों के साथ मिला दिये गये और इनके प्रदेश का नाम स्लोवेनिया रख

दिया गया। इस प्रदेश में कच्चा लोहा निकलता है तथा यह सामरिक महत्त्व का भी है। अप्रैल १९४१ में जब जर्मनी ने यूगोस्लाविया का अपहरण किया तो स्लोवेनिया के उत्तरी भाग को भी, जिसमें थोड़े से जर्मन आबाद हैं, वह दबा बैठा। मई १९४१ में उसके कुछ भाग को इटली ने हड़प लिया और कुछ जिले हंगरी को दे दिये गये।

ह

हंगरी—क्षेत्र० ६४,००० वर्ग०; जन० १,३०,००,०००,; राजधानी बुदापेस्त। पहले यह आस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य का आधा भाग था। १९१८ के युद्ध के बाद यह स्वतंत्र होगया, किन्तु इसमें उसे अपने ७५ फ्रीस प्रदेश और ६० फ्रीसदी जनसंख्या से हाथ धोने पड़े। उत्तर में स्लोवाकिया, चैकोस्लोवाकिया ने, पूर्व में ट्रान्सिलवेनिया रूमानिया ने, दक्षिण में क्रोशिया तथा अन्य प्रदेश यूगोस्लाविया ने और पश्चिम में आस्ट्रिया ने बर्गनलैण्ड प्रदेश ले लिये। आरम्भ में, १९१९ में, कुछ समय तक साम्यवादी अधिनायकत्व रहने के बाद से नौसेनापति होर्थी हंगरी का शासक है। यद्यपि हंगरी में राजतन्त्र है, किन्तु वहाँ राजा नहीं है। सितम्बर १९३८ में, जब म्युनिख समझौते के अनुसार, चैकोस्लोवाकिया का प्रथम बँटवारा हुआ, तब स्लोवाकिया का बड़ा प्रदेश, और, मार्च १९३९ में, चैको० के दूसरे बँटवारे में, उसे रूस का लोपोकापेंथियन सूबा मिल गया। अगस्त १९४० में उसने ट्रान्सिलवेनिया रूमानिया से लेलिया। हंगरी इस युद्ध में तटस्थ रहा, किन्तु धुरी राष्ट्रों से मित्र रहा। १९४० में वह त्रिगुट में शामिल हुआ और १९४० में ही उसने जर्मनी को रूमानिया के लिए रास्ता दे दिया, और अप्रैल १९४१ में तो वह धुरी राष्ट्रों के साथ यूगोस्लाविया के युद्ध में और जून १९४१ में रूस के आक्रमण में शामिल हुआ। हंगरी के प्रधान मन्त्री, काउन्ट तेलेकी, ने हंगरी के युद्ध

१९१३-मे 'राष्ट्रवादी' विरोधी-दल की स्थापना की। बोथा और स्मट्स की नीति दक्षिण अफ्रीका को ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत रखने की थी। आरम्भ मे दक्षिण अफ्रीकी पार्लमेट मे हर्टज़ोग के ५ समर्थक थे, किन्तु १९२४ मे इनकी संख्या ६३ होगई। तब हर्टज़ोग ने मज़दूर-दल से क्षणिक समझौता करके स्मट्स की सरकार को उखाड़ दिया और स्वयं प्रधानमन्त्री बना। सन् १९३४ मे हर्टज़ोग की 'नेशनलिस्ट' और स्मट्स की 'माडरेट साउथ अफ्रीकन' पार्टियों एक होगई और 'यूनाइटेड साउथ अफ्रीकन नेशनल पार्टी' की स्थापना हुई। हर्टज़ोग १५ वर्ष तक पदस्थ रहा। वर्तमान युद्ध मे हर्टज़ोग ने दक्षिण अफ्रीकी संघ की तटस्थता पर ज़ोर दिया, किन्तु संघीय पार्लमेन्ट मे, ५ सितम्बर १९३६ को, उसका यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। इस पर हर्टज़ोग की सरकार ने त्याग-पत्र दे दिया और स्मट्स प्रधान-मंत्री बना। २३ जनवरी १९४० को जनरल हर्टज़ोग ने पार्लमेट मे एक अन्य प्रस्ताव इस आशय का रखा कि दक्षिण अफ्रीकी संघ इस युद्ध मे भाग न ले। ५६ के मुक़ाबले ८१ मत से यह प्रस्ताव गिर गया। अपने सहयोगी डा० मलान के साथ तब जनरल हर्टज़ोग ने वक्तव्य प्रकाशित किया कि उनका मन्तव्य ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक् अफ्रीकी प्रजातन्त्र की स्थापना करना है। हर्टज़ोग-मलान का संयुक्त-दल अफ्रीका मे ५० प्रति-शत अफ्रीकी-भाषा-भाषियों का प्रतिनिधित्व करता है।

२६ अगस्त १९४० को हर्टज़ोग का एक शान्ति-प्रस्ताव कि "लडाई में सम्प्रति हार होचुकी है" ६५ के मुक़ाबले ८३ मत से अस्वीकृत हुआ। नेशनलिस्ट पार्टी-कांग्रेस के तय करने पर कि प्रस्तावित बोथर प्रजातन्त्र मे अंगरेज़ी-भाषा-भाषियों को समान अधिकार नहीं दिये जायेंगे, हर्टज़ोग का मलान से मत-भेद होगया। उसने दल और पार्लमेट से त्यागपत्र दे दिया और, ७ मार्च १९४१ को अन्य राष्ट्रीय नेता हवेर्गा के साथ, स्मट्स-मलान-विरोधी 'नवीन अफ्रीकी दल' उसने बनाया।

हरिजन—सन् १९३२ से महात्मा गांधी ने इस शब्द का प्रयोग दलित वर्ग के लिए किया है। तब से यह काफी प्रचलित होगया है। भारत में ६ करोड ऐसे हिन्दू हैं जिन्हे नागरिकता के समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं। हिन्दुओं के इस पिछड़े तथा दलित समुदाय के लिए 'हरिजन' और कहीं-कहीं

‘भगत’ शब्द प्रयोग किया जाता है। सरकार ने, अपने उद्देशानुसार, इस वर्ग के लिए ‘परिगणित जातियों’ (Scheduled Castes) नाम दिया है। सन् १९३३ से महात्मा गांधी ‘हरिजन’ नाम का एक साप्ताहिक अंगरेज़ी पत्र भी प्रकाशित करते हैं, जिसमें उनके विचार रहते हैं।

हरिजन-सेवक-संघ—२५ सितम्बर १९३२ को, महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय के सभापतित्व में, बम्बई में हिन्दुओं के नेताओं तथा प्रतिनिधियों की सभा में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। ‘साम्प्रदायिक-निर्णय’ (कम्युनल ऐवार्ड) में निर्धारित दलित-वर्ग को हिन्दू-राष्ट्र से पृथक् करने की प्रस्तावित योजना के विरोध में महात्मा गान्धी यरवदा जेल में इस समय आमरण व्रत कर रहे थे। इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई कि भविष्य में हिन्दुओं में किसी भी व्यक्ति को, केवल जन्म के कारण, अस्पृश्य न माना जायगा और जिन्हे अबतक ऐसा माना जाता रहा है, उन्हें समान नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे। सन् १९३२ की ३० सितम्बर को सार्वजनिक विराट् हिन्दू सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रचार के निमित्त अ०-भा० अस्पृश्यता-विरोधी संघ स्थापित किया जाय, जिसका मुख्य कार्यालय देहली में रहे। इसी सभा में यह निश्चय किया गया कि (१) समस्त सार्वजनिक कुएँ, धर्मशालाएँ, सड़कें, स्कूल, श्मशान, दलित जातियों के लिए खोल दिये जायँ। (२) समस्त सार्वजनिक मन्दिरों में देव-दर्शन करने से दलित जातियों को न रोका जाय। इन दोनों उद्देशों के पूरा करने में बल-प्रयोग या दवाव से नहीं प्रत्युत् शान्ति और समझौते से काम लिया जाय।

श्री सेठ घनश्यामदास बिड़ला इस संघ के अध्यक्ष तथा श्री अमृतलाल वी० ठक्कर इसके प्रधान-मन्त्री नियुक्त किये गये। २६ अक्टूबर १९३२ को इस संस्था का नाम बदलकर ‘हरिजन-सेवक-संघ’ कर दिया गया। २ जनवरी १९३५ को इस संघ का नया विधान बनाया गया।

संघ का प्रबंध एक केन्द्रिय बोर्ड के हाथ में है, जिसमें अध्यक्ष, प्रधान-मन्त्री तथा क्रोधाध्यक्ष के अतिरिक्त समस्त प्रान्तीय बोर्डों के अध्यक्ष सदस्य हैं। १५ सदस्य तक प्रधान को नियुक्त करने का अधिकार है। प्रत्येक प्रान्त में

सुविधानुसार एक या दो बोर्ड हैं। देशी रियासतों में भी बोर्ड हैं। प्रत्येक ज़िला और नगर में भी उसकी शाखाएँ हैं।

इस संघ की ओर से दलित जातियों में शिक्षा-प्रसार के लिए उद्योग किया जाता है। इसके लिए 'गांधी-छात्र-वृत्ति' की व्यवस्था की गई है। इसके फंड से उच्च शिक्षा के लिए प्रत्येक प्रान्त में दलित वर्ग के छात्रों को वृत्तियाँ दी जाती हैं। प्रत्येक प्रान्तीय बोर्ड की ओर से माध्यमिक शिक्षा के लिए वृत्तियाँ दी जाती हैं। गाँवों में उनकी सुविधा के लिए रात्रि-पाठशालाएँ तथा कुएँ और तालाब बनाये जाते हैं। इस संघ की ओर से दलित छात्र और छात्राओं के लिए छात्रावास भी स्थापित किये गये हैं।

मन्दिर-प्रवेश के लिए भी संघ की ओर से प्रयत्न किया जाता है। दलित छात्रों को उद्योग-धन्धे और व्यवसाय के लिये प्रोत्साहित किया गया है। देहली में, जहाँ केन्द्रिय बोर्ड का प्रधान-कार्यालय है, एक 'हरिजन उद्योग-शाला' की स्थापना की गई है, जिसमें छात्रों के लिये विविध प्रकार के शिल्प-कला-कौशल-शिक्षण का प्रबन्ध है। इसी प्रकार की एक संस्था प्रयाग में 'हरिजन-आश्रम' नाम से है, जिसका संचालन मुशी ईश्वरशरण के हाथ में है, जो लगन तथा सेवा-भाव से आश्रम का संचालन कर रहे हैं।

हवाई टारपीडो—हवा में सीधा उड़नेवाला बम, जिसमें पंखे लगे रहते हैं। इसे रेडियो द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

हाकोन—नारवे का बादशाह; डेनमार्क के राजा आठवे फ्रेडरिक का पुत्र; ३ अगस्त १८७२ को पैदा हुआ; प्रिन्स कार्ल के नाम से डेनमार्क का शहजादा कहलाया; स्वीडन से नारवे के पृथक्करण के समय नारवे की गद्दी के लिये चुना गया; बादशाह सतम ऐडवर्ड की राजकुमारी माउ से विवाह किया, जिससे २ जुलाई १९०३ को युवराज ओलफ् पैदा हुआ; १९३८ में रानी माउ का देहान्त होगया। अप्रैल १९४० में जब जर्मनी ने नारवे पर आक्रमण किया तो राजा हाकोन ने मोर्चा लिया और मित्र-संघों के साथ-साथ नारवे की सेना का संचालन किया। इथियोपिया डाल देने के दिटनर के भतालवे से उसने दुस्तरा दिया और जर्मन उद्धारकों द्वारा विशेष रूप से उसीको लक्ष्य बनाकर गोले बरसाये जाने के अवसर पर उसने अत्यन्त

धैर्य का परिचय दिया। जून १९४० में हाकोन इंग्लोएड चला गया और आक्रमक के विरुद्ध नारवे को लड़ाने के प्रयत्न में तबसे सलग्न है।

हास्ट वेसल गायन—नात्सी-दल का क्रौमी गीत (नेशनल ऐन्थम), जो जर्मनी का दूसरा राष्ट्रीय गीत है। युवक नात्सी हास्ट वेसल ने इसकी रचना की। वेसल १९३० में कम्युनिस्टों में भगड़ते समय मारा गया। नात्सी कहते हैं कि यह राजनीतिक भगड़ा था, किन्तु कम्युनिस्ट भगड़े की जड़ एक वेश्या को बताते हैं। इस गीत का भाव एक कम्युनिस्ट गीत से लिया गया है, और कम्युनिस्टों का वह गीत ईसाइयों की मुक्ति-सेना (साल्वेशन आर्मी) के एक प्रार्थना-पद की छाया पर है।

हार्डीकर, डा० नारायण श्रीधर—आपका जन्म हुवली में, सन् १८८६ में, हुआ। नेशनल मेडिकल कालिज कलकत्ता तथा अमरीका के मिशीगन और न्यूयार्क विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। आरम्भ में चिकित्सा-कार्य करने के उपरान्त राष्ट्र-सेवामें लग पड़े। महात्मा गांधी के 'यगड्डिया' साप्ताहिक पत्र के प्रबंध-सम्पादक भी रहे। कुछ समय तक कर्णाटक प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के प्रधान मंत्री पद पर रह कर कार्य किया। हिन्दुस्तानी सेवा-दलके संगठन में बहुत वर्षों तक कार्य किया तथा उसके मंत्री रहे। 'वालटियर' नामक पत्र का सम्पादन किया। नागपुर भडा सत्याग्रह में कर्णाटक के स्वयं-सेवकों का संगठन किया और इस सत्याग्रह में जेल-यात्रा भी की। आपने १९३८ में चीन को सेवा-दल भेजने का निश्चय किया था, किन्तु सरकार ने स्वीकृति नहीं दी।



हॉलैण्ड—सरकारी नाम नीदरलैण्ड्स का राज्य, क्षेत्र० १२ $\frac{1}{2}$ हजार वर्ग०, जन० ८७,००,०००, राजधानी हेग, रानी विल्हेलमिना। यह देश सदैव तटस्थ रहा है। यहाँ पार्लमेण्टरी शासन-प्रणाली है। यह बहुत सम्पन्न

अनुसार चैको० जर्मन-‘सरक्षण’ में चली गई। हिटलर ने हाशा को ‘सरक्षित’ प्रदेश बोहेमिया और मोराविया का दिखाऊ राष्ट्रपति बना रहने दिया।

हिटलर, एडोल्फ—जर्मनी का अधिनायक; २० अप्रैल १८८८ को ब्रॉनों (आस्ट्रिया) में पैदा हुआ, इसका पिता कस्टम्स अफसर था, लिंज़ (आस्ट्रिया) में, जो उस समय अखिल-जर्मनवाद का गढ़ था, हिटलर ने चौथी श्रेणी तक शिक्षा प्राप्त की, वहीं से हिटलर की विचारधारा पर अखिल-जर्मनवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। रंगसाज (पेन्टर) बनने की वाछा से वह वीयना गया, किन्तु वीयना के कला-विद्यालय की प्रवेशिका-परीक्षा में वह असफल रहा। अतः कुछ समय तक वह वीयना में राज (मैमार) का काम करता रहा। उपरान्त पोस्टकार्डों पर चित्र बनाकर उन्हे वीयना के शराबखानों में बेचता और उनसे होनेवाली थोड़ी-सी आय पर अपना गुज़र-बसर करता रहा। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि हिटलर दीवारों को काग़ज से सजाने का काम किया करता था। यह भी सच नहीं है कि उसका असली नाम शिकूलग्रूबर है। उसका पैतृक नाम यही है, किन्तु उसके बाप ने, १८४२ में ही इसे बदलकर, हिटलर कर दिया था। जब हिटलर १३ वर्ष का था तबही उसके पिता का देहान्त होगया।

युवक हिटलर राजनीतिक-चर्चा में दिलचस्पी लेने लगा। वह अखिल जर्मनवाद के पक्ष में और समाजवाद तथा आस्ट्रिया के राजवश के विरुद्ध बातें करता। सन् १९११ में वह म्युनिख (बवेरिया) गया, जहाँ वह अपने बनाये चित्रों को बेचकर गुज़र करता था। अगस्त १९१४ में योरप में युद्ध छिड़ने पर वह जर्मन-सेना में वालटियर की हैसियत से भर्ती होगया। गैर-जर्मन आस्ट्रियन-हैब्सबर्ग-राजवश के प्रति घृणा होने के कारण उसने अपने देश की सेना में भर्ती होने से इनकार कर दिया। युद्ध की समाप्ति तक वह पश्चिमी मोर्चे पर अर्दली-सिपाही की भौति काम करता रहा और लान्स-कारपोरल से अधिक उसकी तरक्की नहीं हुई। युद्ध के अन्तिम काल में गैस लग जाने से, थोड़े समय के लिये, उसकी दृष्टि खराब होगई। युद्ध की समाप्ति पर वह म्युनिख वापस आगया और युद्धोत्तर जर्मन-सेना में गुप्तचर होगया। उसका कार्य राजनीतिक दलों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों की निगहबानी करना था। इस हैसियत से वह एक भोजन-क्लब के सदस्यों के सम्पर्क में आया, जो

अपने को 'जर्मन-मज़दूर-दल' कहते थे और इनकी बैठके गुप्त रूप से म्युनिख की एक सराय में हुआ करती थीं। ड्रूक्सलर नामक एक मज़दूर ने इस दल की स्थापना की थी, जिसके कुल ६ सदस्य थे। हिटलर इस दल का सातवाँ सदस्य बना और उसने दल के विकास के लिये आन्दोलन आरम्भ किया। दल सुसङ्गठित हुआ, हिटलर उसका नेता बना और उसने ड्रूक्सलर को निकाल बाहर किया। दल का नाम बदलकर 'राष्ट्रीय-समाजवादी जर्मन मज़दूर दल' रख दिया गया। सन् १९२३ में हिटलर के इस दल ने सत्ता हस्तगत करने के लिये शासन-उत्क्रान्ति का प्रयत्न किया। बवेरिया के कमिश्नर और म्युनिख छावनी के जनरलो के सहयोग पर हिटलर ने भरोसा किया, किन्तु वह इसके विरोधी होगये और उत्क्रान्ति का प्रयास विफल गया। हिटलर पकड़ा गया, उसको पाँच साल कैद की सज़ा दी गई और उसे लैन्ड्सबर्ग, (बवेरिया) के किले में बन्दी बनाकर रखा गया, जहाँ उसने अपनी संसार-प्रसिद्ध पुस्तक 'माईन काम्फ'—(Mein Kampf) 'मेरा संघर्ष' का—जिसमें उसकी राजनीतिक योजनाओं का उल्लेख है—प्रथम खण्ड लिखा। राष्ट्रवादी अधिकारियों की सहायता से, आठ महीने बाद, कारावास की अवधि से पूर्व ही, उसे रिहा कर दिया गया। उसने अपने दल का पुनर्संगठन किया और अपने आत्मचरित का दूसरा खण्ड, १९२५-२७ में लिखा।

'मेरा संघर्ष'—'माईन काम्फ' वस्तुतः हिटलर की आत्मकथा नहीं है। इस पुस्तक में उसने अपनी योजनाओं का विवेचन किया है, जिनका सारांश इस प्रकार है : संसार में केवल आर्य जाति ही, जिसे नार्डिक जाति भी कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ है। इसी जाति ने अपने बाहुबल द्वारा इतर हीन जातियों पर विजय प्राप्त कर वर्तमान सभ्यता का निर्माण किया। हिटलर का जीवन-तत्त्व जाति और रक्त पर आधारित है। किन्तु, हिटलर के अनुसार, आर्यों ने विजित हीन जातियों से रक्त-मिश्रण करके यह पाप कमाया कि आर्य जाति का क्रमशः शारीरिक और आत्मिक पतन होगया। सम्प्रति अधर्मी सशक्त यहूदी जाति आर्यों को नष्ट कर डालना चाहती है। इन यहूदियों का संसार-व्यापी गुप्त संगठन है। इनका मुख्य उद्देश आर्यों से रक्त-मिश्रण करके आर्य-राष्ट्रों के जातीय आधार को नगण्य बना देना है। इस प्रकार वह आर्यों को एक

ऐसी वर्ण-संकर पतित जाति बना देना चाहते हैं जो सहज ही उनके आधिपत्य के आगे नतमस्तक होजाय। फ्रांस इन यहूदियों का गढ़ है, जो पूर्णतया यहूदी पूँजीपतियों के नियन्त्रण में है। फ्रान्स में ह्वशी (नीग्रो) प्रवासियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है, और फ्रान्स, इन ह्विशियों द्वारा, वर्ण-मंकरता का शिकार हो रहा है। यह सब यहूदियों की ही करनूत है, और यही यहूदी, योरप की शेष श्वेत जातियों को वर्ण-संकर बनाने के लिए, काङ्गो से राइन तक, सफेद-काली वर्ण-संकर जाति का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। जर्मनी ही वस्तुतः समस्त संसार में आर्य शक्ति है, यहूदी इसी कारण उससे द्वेष मानते हैं। आर्यत्व के स्तम्भ जर्मनी का नाश करने के लिए ही यहूदियों ने पिछला युद्ध कराया। जर्मनी का नामोनिशान मिटा देने के लिए वह फ्रांस को उत्तेजित करते और साथ ही बोलशेविज्म के छद्मवेश में दूसरी ओर से भी वे आक्रमण करते हैं। बोलशेविज्म के पीछे यहूदियों की शक्ति ही काम कर रही है। बोलशेविज्म, साधारणतया मार्क्सवादी समाजवाद, यहूदियों की ही चाल है, जिसके द्वारा वह संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट, फ्रीमैसन यहूदी-बोलशेविवाद की सिद्धि के लिए ही सब देशों में काम कर रहे हैं। हिटलर समझता है कि इस झूठे से जर्मनी, और साधारणतया समस्त आर्य जाति, की रक्षा का भार उसे सौंपा गया है।

अपनी योजना द्वारा, राष्ट्रीय-समाजवादी नेतृत्व में, हिटलर एक सशक्त राष्ट्रवादी राज्य स्थापित करना चाहता है। यह राज्य अन्य सब दलों को मिटा देगा, यहूदियों से मोर्चा लेगा और जातीय विकास के लिये पूर्ण उद्योग करेगा। राष्ट्रीय-समाजवादी जर्मनी शस्त्रीकरण करेगा और वर्साई की संधि को व्यर्थ कर देगा। समस्त जर्मन-भाषा-भाषियों को राइख के अन्तर्गत संगठित होना चाहिए। इतना ही नहीं, हिटलर के अनुसार, जर्मनी को अपनी वैदेशिक नीति में कार्यशील होना पड़ेगा। युद्ध (विगत) से पूर्व जर्मनी ने अपनी नौशक्ति और उपनिवेशों के विस्तार पर बल दिया, किन्तु इससे बरतानिया अनिवार्यतः उसका शत्रु होगया। यह भूल दुबारा हरगिज नहीं दुहराई जानी चाहिए। वास्तव में जर्मनी तो योरपियन महाद्वीप में, जहाँ

ब्रिटेन से उसकी प्रतिद्वन्द्विता न हो, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। अपने देशवासियों के लिए जर्मनी को नई भूमि जीतनी ही चाहिये, और यह भूमि पूर्व दिशा में है। दक्षिण रूस (यूक्रेन) को भी विजय करके जर्मन किसानों को वहाँ बसाना आवश्यक है। किन्तु पूर्व दिशा में पग धरने से पूर्व जर्मनी को अपने पीठ पीछे के पश्चिमी मार्ग को साफ कर लेना चाहिये। फ्रान्स का सर्वनाश कर देना ज़रूरी है। किन्तु इस उद्देश की सिद्धि के लिए जर्मनी को मित्र देशों की आवश्यकता है। ब्रिटेन और इटली, इस काम के लिए, स्वतः विचार में आते हैं। दोनों ही योरप में फ्रान्सीसी प्राधान्य के विरोधी हैं और दोनों को सहज ही अपने पक्ष में किया जा सकता है। हिटलर आगे कहता है कि अपने नौसेना बढ़ाने के आयोजन का त्याग कर और उपनिवेशों के वापस मिल जाने से जर्मनी बरतानिया की मित्रता प्राप्त कर सकता है। इटली की मित्रता तो और भी सस्ती पड़ेगी : केवल दक्षिणी-जर्मन-टाइरोल का त्याग। इस प्रकार बरतानिया और इटली से दोस्ती करके जर्मनी फ्रान्स को पीस देगा। तब जर्मनी पूर्व की ओर बढ़ेगा, बाहियात बोलशेवी रूस को कुचल डालेगा और उसके सुविशाल नये प्रदेश को छीन लेगा। इस प्रकार एक शताब्दि के उपरान्त योरपीय महाद्वीप में प्रथम वर्ग की जाति के २५ करोड़ जनो का एक जर्मन-साम्राज्य होगा। जबतक जर्मनी की स्थिति अपने महाद्वीप में सुरक्षित न होजाय, तबतक समुद्र पार जर्मन-साम्राज्य के विस्तार के प्रश्न को स्थगित रखना चाहिये। अन्त में हिटलर लिखता है कि केवल इतना भर करने की आवश्यकता है। फिर तो, समुद्र पार के विस्तार जैसे प्रश्नों पर हमारा एक ही उत्तर होगा, और वह यह कि “या तो जर्मनी संसार में सर्वश्रेष्ठ शक्ति होकर रहेगा या फिर मिट जायेगा।”

हिटलर का उत्थान—सर्व प्रथम १९२८ में राष्ट्रीय-समाजवादी दल ने राइखताग (पार्लमेंट) के चुनाव में भाग लिया और दल के बारह सदस्य राइखताग में पहुँच गये। उन्हें कुल आठ लाख मत मिले। किन्तु विश्व-व्यापी आर्थिक संकट हिटलरके लिये वरदान सिद्ध हुआ, जिसने, १९३० में जर्मनीको जर्जरित कर दिया था। हिटलरने बड़े-बड़े कारखानेदार पँजीपतियों को आश्वासन दिया कि वह साम्यवाद के उठते हुए तूफान से उनकी रक्षा करेगा। इस प्रकार हिटलर

ने उनसे आर्थिक सहायता प्राप्त की। १९३० के चुनाव में हिटलर के दल को खूब सफलता मिली : १०६ नात्सी उम्मीदवार कामयाब हुए। हिटलर ने इस चुनाव में विशेष रूप से चार बातों के आधार पर अपना प्रचार किया : (१) वर्साई की संधि की कटुता, (२) यहूदियों की अवाच्छनीयता, (३) प्रजातन्त्र-प्रणाली की पुष्टि, और (४) मार्क्सवाद का विरोध। जर्मन पार्लमेंट में अब नात्सी तथा साम्यवादी दो बड़े दल थे। इन्होंने पार्लमेंटरी प्रणाली के अनुसार शासन संचालन असम्भव कर दिया। दूसरी ओर बड़े राष्ट्रपति हिन्डनवर्ग के हिमायतियों में सेना-नायकों और जमींदारों का गुट था, जिसने जर्मनी में वस्तुतः अपना अधिनायक-तंत्र कायम कर रखा था। बढ़ते हुए आर्थिक सकट के कारण जर्मन-जनता की जैसे-जैसे शोचनीय अवस्था होती गई तैसे-तैसे उग्र विचार-धारा के प्रति उन्हें आशका हुई, हिटलर का दल बढ़ता गया और चुनावों में विजय पर विजय प्राप्त करता गया। १० अप्रैल १९३२ को, जब हिटलर हिन्डनवर्ग के मुकाबले में, राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़ा हुआ तो उसे १ करोड़ ३४ लाख मत और, ३१ जुलाई १९३२ को राइख-ताग की सदस्यता के चुनाव में, १ करोड़ ३७ लाख मत मिले। फिर भी, हिन्डनवर्ग को पौने दो करोड़ मत मिले थे, और वह राष्ट्रपति रहा, और उसने हिटलर का चान्सलर बनाये जाने का मतालवा अस्वीकार कर दिया। ६ नवम्बर १९३२ के चुनाव में नात्सी-मत पहली बार कम हुए, इस चुनाव में हिटलर को कुल १ करोड़ १७ लाख मत प्राप्त हुए। इससे हिटलर की कला भंग होती दिखाई देने लगी। इसी समय जनरल फ्रान श्लेशर, जिसका जर्मनी में उस समय बड़ा प्रभाव था, हिटलर के आन्दोलन से अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए षड्यंत्र रच रहा था। उसे चान्सलर बनाया गया। हिन्डनवर्ग के निकटवर्ती सत्ताधारी गुट और हिटलर दोनों का एक साथ निष्कासन करनेके विचारसे श्लेशरने शासन-उत्क्रान्ति की योजना बनाई। जनरल श्लेशर के गुट में फौलाद के कारखानेदार कोरे दिवालिए पूंजीपति भी शामिल थे। हिटलर ने इनको पहले ही आश्वासन दिया था। वह हिटलर की सरकार से आर्थिक सहायता की आशा कर रहे थे, अतः उन्होंने हिटलर को बचाने और जनरल के बजाय उसे चान्सलर बनाने का निश्चय किया। यह लोग समझते थे कि जनरल अपने अन्तर

मे समाजवादी है। इस गुट की बैठक पूर्व चान्सलर फ्रान पैपेन के तत्त्वावधान में, कोलन मे, एक महाजन के मकान पर अर्द्धरात्रि को हुई। ज़मीदार तथा व्यापारी अधिकतर ग़ैर-नात्सी 'जर्मन राष्ट्रवादी दल' के अनुयायी थे। उन्हे भरोसा था कि हिटलर उनके हाथ का कठपुतला बन जायगा और बूढ़े हिन्डन-बर्ग को—भले ही उसने कुछ महीने पहले हिटलर को चान्सलर बनाने से इनकार कर दिया था—समझा लेने मे कोई दिक्कत ही नहीं थी। श्लेशर को मंत्रि-मण्डल से पद-च्युत कर दिया गया, और, ३० जनवरी १९३३ को, राष्ट्रवादियों का संयुक्त मंत्रि-मण्डल बना और इसीदिन हिटलर जर्मनी का चान्सलर नियुक्त किया गया।

शक्ति-सम्पन्न हिटलर—शक्ति-सम्पन्न होते ही हिटलर ने पहला काम यह किया कि उसने राइखताग-भवन मे आग लगवाई। नात्सियो ने पार्लमेट की इमारत मे आग लगाई और इसका दोषारोप साम्यवादियों पर किया गया। अपने बहुसंख्यक विरोधियों को गिरफ्तार करने और साम्यवादियों और समाजवादियों की कार्यवाहियों का अन्त करने के लिये ही—ताकि वह आगामी चुनाव मे हस्तक्षेप न कर सके, और बाद मे यह नारा बलन्द करने के लिये कि जर्मनी को कम्युनिस्ट-विद्रोह से बचा लिया गया—हिटलर ने यह षड्यन्त्र रचा। किन्तु चुनाव में नात्सी दल को मनचाही सफलता न मिली। ५ मार्च १९३३ के जर्मन पार्लमेट के चुनाव मे नात्सी उमीदवारों को कुल ४४ फीसदी यानी १,७२,७०,००० मत मिले। जर्मनी के एकमात्र शक्ति-सम्पन्न हिटलर के नात्सी दल का बहुमत इस समय भी न होसका। इस चुनाव मे राष्ट्रवादियों को ८ फीसदी मत मिले। हिटलर ने, विरीधी-दल के तथा साम्यवादी सदस्यों को राइखताग से धीगाधीगी निष्कासित कर देने के बाद, एक कानून राइखताग से स्वीकार कराया जिसके अनुसार वह जर्मनी का अधिनायक बनकर वहाँ की गुप्त पुलिस (गेस्टापो) तथा अपने दल की सेना के सहयोग से शासन करने लगा। इस प्रकार जर्मनी में प्रजातन्त्र के अवशेष का भी अन्त कर दिया गया। अपने विरोधियों को पकड़-पकड़कर उसने केन्द्रीय कैदखानों मे—जो इसीलिये बनाये गये थे—भर दिया, जिनमें से बहुत से तो मर गये। मज़दूर संघ तोड़ दिये गये, समस्त विरोधी दलों का दलन कर दिया गया और यही हाल राष्ट्रवादियों का हुआ, जिनके साहाय्य के कारण ही हिटलर शक्ति-सम्पन्न बना था। यह

लोग इसी भ्रम में रहे कि हिटलर उनके हाथ में खेलेंगा। इस प्रकार देश में अपने शासन को सुदृढ़ बनाकर हिटलर को विदेशों की चिन्ता लगी। उसने दिखावा शुरू किया कि उसने बोलशेविज्म की बाढ़ से दुनिया को बचा लिया है। दूसरी ओर वह यह भी कहता रहा कि उसका इरादा ससार में शान्ति स्थापित करने का है, और वह सन्धियों का पालन करेगा।

‘रक्त-स्नान’—नात्सी दल में एक अनिश्चित समाजवादी-पक्ष भी था जो चाहता था कि नात्सी दल के कार्यक्रम का जो समाजवादी अंश है, उसे पूरा किया जाय। दूसरी ओर ईसपात के कारखानेदार (जिनके धन्यों का सरकारी रूपसे पुनर्सङ्गठन हो चुका था) तथा फौजी जनरल चाहते थे कि दल के कार्यक्रम में से समाजवादी अंश को निकाल दिया जाय और समस्त शक्ति शस्त्रीकरण तथा साम्राज्यवाद पर लगाई जाय। ३० जून १९३४ को इससेन में डा० क्रप के मकान पर एक सभा हुई और उसके बाद ही क्रान्तिवादी अगुआओं और उनके अनुगामियों को यकायक गिरफ्तार करके सबका बंध कर दिया गया। इनमें कप्तान रोहम भी, जिसके प्रयत्नों के कारण ही हिटलर का अभ्युदय हुआ था तथा जो नात्सी दल की सेना का प्रधान था, मारा गया। बहुत-से गैर-नात्सी भी वेकसूर मारे गये, जिनमें जनरल फान श्लेशर और ७५ वर्ष के बूढ़े हर फान काहर आदि कैथलिक राजनीतिज्ञ और अधिकारी मुख्य हैं। अनुमानतः इसमें ३०० से १००० व्यक्तियों की हत्या की गई। २५ जुलाई १९३४ को हिटलर ने आस्ट्रिया में विद्रोह कराया, जिस देश के मामलात में हस्तक्षेप न करने की, कुछ दिन पूर्व ही, उसने घोषणा की थी। इस विद्रोह में आस्ट्रिया के चान्सलर डालफस सहित अनेक हत्याये की गईं। आस्ट्रिया की सरकार ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। साथ ही मुसोलिनी ने अपने देश की उत्तरी सीमा पर, आस्ट्रिया में हिटलर के इस सशस्त्र हस्तक्षेप को रोकने के लिये, सैन्य-संचालन आरम्भ कर दिया। अतएव हिटलर को, इस विद्रोह में, कोरे हाथों बैठ जाना पड़ा। २ अगस्त १९३४ को हिंडनबर्ग की मृत्यु होगई और हिटलर ने राष्ट्रपति तथा चान्सलर पदों को संयुक्त कर दिया। इस अवसर पर तथा अन्य अवसरों पर भी उसने, अपनी नीति के सम्बन्ध में, जनमत लिये जाने की आज्ञा निकाली, किन्तु विरोध पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, साथ

हिटलर

ही डर-धमकी का बाज़ार गर्म था। ऐसे दिखावटी मत-संग्रह का परिणाम जो होना था वही हुआ : ६६ ५ प्रतिशत मत हिटलर के पक्ष में प्राप्त हुए। राइनलैंड के चुनाव में भी ऐसे ही हथकण्डे इस्तेमाल किये गये, जिसमें केवल नात्सी दल के उमीदवार ही खड़े होसकते थे।

साम्राज्यवाद तथा शस्त्रीकरण का विस्तार—शस्त्रीकरण का आयोजना तेज़ी से आरम्भ किया गया, और, मार्च १९३५ में, वर्साई की संधि की अव-हेलना करके, जर्मनी में अनिवार्य मैनिंक भर्ती जारी की गई और किसी ने चू तक न की। सितम्बर १९३५ में यहूदियों के विरुद्ध नूरेम्बर्ग में कानून बनाये गये।

हिटलर ने अब जर्मनी से बाहर हाथ डालना आरम्भ किया। ७ मार्च १९३६ को लोकानों संधि को तोड़कर हिटलर ने राइनलैंड पर फिर कब्ज़ा कर लिया। उसने वादा किया कि कब्ज़ा किये हुए इलाक़े पर वह किलेबन्दी नहीं करेगा। यह भी कहा कि 'आश्चर्य' का युग समाप्त होचुका है, और योरप में उसे कोई मुल्क नहीं चाहिये। और इस प्रकार हिटलर जर्मनी से बेकारी का अन्त करने में समर्थ हुआ। १९३८ में हिटलर ने साम्राज्य-विस्तार आरम्भ कर दिया। जिन सिपहसालारों ने उसकी तजवीज़ का विरोध किया, फ़रवरी १९३८ में, उन्हें निकाल बाहर किया गया और शस्त्रीकरण पर असीम धन व्यय किया गया। १२ मार्च १९३८ को हिटलर ने आस्ट्रिया पर अपना अधि-कार जमा लिया। इस समय हिटलर ने घोषणा की कि वह योरप में अब किसी भी देश पर विजय प्राप्त करना नहीं चाहता। गोरिंग् को उसने अपनी ओर से अधिकार दिया कि वह ब्रिटिश सरकार के प्रति घोषणा करदे कि जर्मनी ने नेपोस्त्रोवाकिया पर हमला करना नहीं चाहता।


चाहते । × × × चैक राष्ट्र में मेरी और अधिक दिलचस्पी नहीं है ।” यही नहीं, उसने शेष चैकोस्लावाक राष्ट्र की रक्षा का भी वचन दिया । इस पर, म्युनिख-समझौते के अनुसार, सुडेटनलैण्ड जर्मनी को दे दिया गया । किन्तु हिटलर ने अपना क्रोध नहीं रोका । चैको० के राष्ट्रपति हाशा को बर्लिन तलब किया गया और तदनुसार शेष चैको० को जर्मनी ने अपना ‘संरक्षित’ राज्य बना लिया । थोड़े दिन बाद उसने मैमल प्रदेश को भी हड़प लिया । इसके बाद फिर भी हिटलर ने एक बार घोषणा की कि योरप में अब उसे और कुछ नहीं लेना है ।

पोलैण्ड और हिटलर—हिटलर ने, ‘शान्ति-स्थापनार्थ’, १९३४ में, पोलैण्ड के साथ एक समझौता अनाक्रमण-सन्धि के रूप में किया था । चैको-स्लोवाकिया के प्रथम बँटवारे में उसने पोलैण्ड को भी हिस्सा दिया था । किन्तु, मार्च १९३६ में, चैको० के शेष भाग को हड़प लेने के बाद ही, पोलैण्ड के विरुद्ध तैयारियाँ होने लगी । हिटलर ने पोलैण्ड से दाज़िग और कोरीडर की वापसी का मतालवा किया । पोलैण्ड ने, ब्रिटेन और फ़्रान्स की ओर से मिले हुए रक्षा के वचन के भरोसे, इस मतालवे को नामंजूर किया, किन्तु शान्तिपूर्ण समझौते के लिये बातचीत जारी रखने की इच्छा प्रकट की । हिटलर ने अगस्त १९३६ में छद्मवेशी नात्की सेना को दाज़िग पर कब्ज़ा कर लेने की आज्ञा दे दी और, २३ अगस्त को अपने घोर शत्रु रूस से समझौता करके उसने ससार को आश्चर्य-चकित कर दिया । हिटलर आशा करता था कि पश्चिमी राष्ट्र—ब्रिटेन और फ़्रान्स—पोलैण्ड की सहायता के सम्बन्ध में अपने वचन का पालन नहीं करेंगे । बरतानवी राजदूत ने २३ अगस्त को जब हिटलर से कहा कि ब्रिटेन प्रत्येक अवस्था में पोलैण्ड की सहायता करेगा और हिटलर से, उसके लड़ाई मोल लेने के इरादे पर विचार करने की बात कही तो हिटलर ने जवाब दिया—“मैं ५० वर्ष का होचूँका । ५५ या ६० का होने से पेशतर, आज, मैं लड़ाई को पसन्द करता हूँ ।” २६ अगस्त को पोलैण्ड को कहा गया कि वह अपना प्रतिनिधि बर्लिन भेजे, जो उसके (हिटलर के) सामने अपनी शर्तें पेश करे और जिसको समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त हो । शुश्निग और हाशा की गति पोलैण्ड देख चुका था, उसने इनकार

कर दिया। ३० अगस्त को दांजिग और कोरीडर के सम्बन्ध में एक अल्टीमेटम पोलैण्ड के राजदूत को दे दिया गया, किन्तु इसके फौरन बाद हिटलर ने घोषणा की कि पोलैण्ड ने अल्टीमेटम लेने से इनकार किया है अगर्चे उस वक्त तक यह पोलैण्ड की सरकार के पास पहुँचा तक न था। १ सितम्बर १९३९ को हिटलर ने दांजिग जर्मनी में मिला लिया और पोलैण्ड पर धावा कर दिया। ३ सितम्बर को, पोलैण्ड को अपने दिये हुए वचन के अनुसार, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी। १९४० के अप्रैल और मई में हिटलर ने नारवे, डेनमार्क, हालेण्ड, बेलजियम, लक्समबर्ग और फ्रान्स पर आक्रमण कर दिया। अप्रैल १९४१ में यूगोस्लाविया और यूनान पर, और जून १९४१ में, बिना कोई चेतावनी दिये, सोवियत सघ पर हमला कर दिया, जिसके साथ उसका समझौता था। ११ दिसम्बर १९४१ को उसने संयुक्त-राज्य अमरीका के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी।

हिटलर का यह खय्या रहा है कि अपने विरोधियों को तत्काल शान्त कर देने और वास्तव में अवसर प्राप्त करने के लिए शुरू में वह दृढ़तापूर्वक वचन दे देता है, किन्तु जैसे ही मौक़ा पाता है फौरन अपने वादे से फिर जाता है। जर्मन अल्प-संख्यकों के साथ झ्यादती होने का बहाना वह हमेशा लेता रहा है। उसकी नीति एक के बाद एक देश का खत्म करने की रहा है।

हिटलर की विचारधारा में नवीन बात कोई नहीं है। उसकी योजना का आधार पुरातन अखिल-जर्मनवाद है, जिससे वह अपने युवाकाल से ही प्रभावित है। पूर्वोक्त योरप में जर्मन-विस्तार के निदान्त में उसने जनरल ल्यूडनशर्फ की वस्तु-नितात्मक-सबि की नीति में सीखा है, और उसका वनस्त आराजन पुरातन जर्मन-नाशाज्यवाद और सामरिन्वाद को चालू रखने में है।



हिटलर अविवाहित है। वह मासाहारी नहीं है। तम्बाकू और शराब भी नहीं पीता। उसके पास निज की कोई सम्पत्ति नहीं है और न किमी बैंक में उसका हिसाब है।

हिटलर-युवक—१४ से २१ वर्ष तक के जर्मन युवकों को इस संस्था में शामिल होना अनिवार्य है। 'हिटलर-युवक' नात्सी-दल की एक शाखा है। इसके सदस्य भूरे रंग की फोजी बर्दा पहनते हैं। वे फोजी शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। इस संस्था का लक्ष्य जर्मन युवकों में नात्सीवाद की भावना को पुष्ट करना है। जर्मन युवतियों और १० से १४ वर्ष के बालकों के लिये इस प्रकार के संगठन जर्मनी में अलग हैं।

हिंडनबर्ग, फील्ड मार्शल पॉल फान—जन्म १८५७ ई०, विगत महा-युद्ध में, पूर्वोत्तरी मोर्चों पर जर्मन-सेना का कमान्डर रहा और जनरल लूडनबर्ग और जनरल हाफमन् के साथ, १९१४ से १७ तक, रूस में उसने महत्त्वपूर्ण विजय प्राप्त की, फलतः उसे जनरल स्टाफ का चीफ नियुक्त किया गया। किंतु १९१८ में पश्चिमी मोर्चों पर वह जर्मन-सेना की पराजय को न रोक सका। युद्ध के बाद सेनापति हिंडनबर्ग अवकाश ग्रहण कर हेनोवर में रहने लगा। युद्ध में जर्मनी की हार के बावजूद जर्मन जनता हिंडनबर्ग का सम्मान करती रही। सन् १९२५ में दक्षिण-पथी दल की ओर से वह राइख का अध्यक्ष चुना गया। तब सबने हिंडनबर्ग द्वारा जर्मनी में राजतंत्र की पुनर्स्थापना की आशा की। किंतु हिंडनबर्ग कुछ काल तक समाजवादी सरकार के साथ और बाद में, जर्मनी के आर्थिक-संकट-काल तक, विधान के अनुसार शासन करता रहा। १९३० में जर्मनी में नात्सीवाद के प्रादुर्भाव ने पार्लमेन्टरी शासन को असम्भव बना दिया। वह बहुत बूढ़ा, ८३ वर्ष का, होचुका था, जर्मनी के ज़र्मीदारों और जनरलों की जत्थेबन्दी के हाथ में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग कठपुतली बन कर रह गया। जर्मन-शासन-विधान की धारा ४८ के अनुसार मनमाने रूप में आज्ञायें और घोषणायें प्रचारित करने लगा, और अंत में, २० जुलाई १९३२ को, प्रशा में शासन-उत्क्रांति कराकर उसने जर्मनी की अंतिम प्रजातंत्र सरकार का स्वात्मा कर दिया।

अगस्त १९३२ में उसने हिटलर को जर्मनी का चान्सेलर बनाने से इनकार

कर दिया। फलतः नात्सीदल उसकी कड़ी व्यक्तिगत आलोचना करने लगा। जनवरी १९३३ में हिडनबर्ग ने अपना रुख बदला और हिटलर को राइख का चांसलर बना दिया। वृद्धावस्था के कारण उसका स्वास्थ्य खराब होगया था। पूर्वीय प्रशा में अपनी ज़मींदारी पर वह मर रहा था कि, ३० जून १९३४ को, हिटलर ने साम्यवादियों तथा नात्सी-विरोधियों के खिलाफ 'रक्त-स्नान'-काण्ड कर डाला। हिटलर के इस काण्ड के समर्थन में हिडनबर्ग के नाम से एक तार छुपा, किंतु यह सन्दिग्ध है कि तार हिडनबर्ग ने लिखा था। ८७ वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु होगई। पूर्वीय प्रशा में, उसकी प्रथम विजय की भूमि पर, हिडनबर्ग की समाधि बनाई गई है।



हिन्द-चीन—क्षेत्र० २,८१,००० वर्ग० और जन० २,४०,००,०००, इस देश के पाँच भाग हैं : कोचीन-चीन, अनाम, कम्बोडिया, तान्किंग् और लाओस। अनाम तथा कम्बोडिया नाम मात्र के साम्राज्य थे। उनके अपने सम्राट् हैं, किन्तु वास्तव में फ्रान्स का रेजीडेण्ट उनका शासक था। हिन्द-चीन का शासन-प्रबन्ध फ्रासीसी गवर्नर-जनरल द्वारा किया जाता था। यह बहुत सम्पन्न देश है और यह फ्रांस के बहुमूल्य उपनिवेशों में से था। यह कृषि-प्रधान देश है। चावल और खर भी पैदा होता है। जस्ता तथा टीन की खानें हैं। आबादी मंगोलियन है। भाषाएँ कई प्रकार की बोली जाती हैं। फ्रासीसी शासन के विरुद्ध जनता में असन्तोष था। जापान का इस देश पर दाँत था। जून १९४० में फ्रांस का पतन हो जाने पर, सितम्बर १९४० में, जापान ने हिन्द-चीन में अपने फौजी और हवाई अड्डे क़ायम करने के लिये मतालवा

क्रिया । फ्रांसीसी और जापानी सेनाओं में, इस कारण, कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद विशी की फ्रांसीसी सरकार ने जापान के कुछ मतालबों को मान लिया । स्याम ने भी हिन्द-चीन से अपने थाई-भाषाभाषी मरुलाई जिले को—जिसे ५० वर्ष पूर्व हिन्द-चीन में मिला लिया गया था—वापस माँगा । फ्रांसीसी और स्यामी सेनाओं के कुछ दिन के युद्ध के बाद, मई १९४१ में, यह प्रदेश स्याम को वापस कर दिया गया । जापान इन दोनों देशों के बीच पच बना और दोनों ने वचन दिया कि जापान के विरुद्ध वह किसी गुट में सम्मिलित न होंगे । जापान ने हिन्द-चीन में अपने अड्डे बनाये और उन्हींके द्वारा डच, बरतानवी और अमरीकी साम्राज्य पर, ७ दिसम्बर १९४१ को, उसने हमला करके आगे के महीनों में ब्रह्मा तक के विशाल भूभाग को हड़प लिया । हिन्द-चीन पर आक्रमण करने के कारण सयुक्त राज्य अमरीका ने जापान को जगी सामान बेचना बन्द कर दिया । इसी समस्या को हल करने के लिये जापान के प्रतिनिधि वाशिगटन गये । वह वहाँ बातचीत करही रहे थे कि इधर जापान ने विश्वासघातपूर्वक उक्त आक्रमण कर दिया ।

हिन्दुस्तानी—‘हिन्दुस्तानी’ से मतलब उस भाषा से है, जिसमें न संस्कृत और न अरबी-फारसी के ठेठ बोलो या मुहावरों की भरमार हो । ऐसी भाषा जो हिन्दी और उर्दू दोनों लिपियों या श्रवणों में आसानी के साथ लिखी जासके, जिसे सभी प्रकार के, सभी पेशे के, लोग सारे देश में आपस में बातचीत करते वक्त बोलते और बखूबी समझते हैं । कांग्रेस अपने सभी कामों में इसी भाषा को बरतती रही है और इसीके रिवाज पर जोर देती है । कांग्रेसी सरकारें भी, सरकारी कामों में, इसी भाषा को बरतती रही । हिन्दुस्तानी के चलन से हमारे देश के एक बड़े सवाल का हल आसानी से हो जाता है । ‘हिन्दुस्तानी’ से मतलब उस भाषा से भी है, जिसे हमारे देश में विदेशी ईसाई मिशनरी, गोरे फौजी अफसर, योरपियन आई० सी० एस० या विदेशी योरपियन व्यापारी वगैरह बोलते हैं । इनकी हिन्दुस्तानी, अगरेजी से अरबी-फारसी के शब्दों में तर्जुमा होने की वजह से, हमारी दिनरात बोली जाने-वाली सादा हिन्दुस्तानी के मुकाबले, कठिन है । हिन्दुस्तानी असल में उस सादा बोली का नाम है जिसे बच्चे-बूढ़े, मजदूर-मुन्शी, मर्द-औरत, नौकर-

मालिक, बाबू-पंडित, हाकिम-अर्दली सभी दिनरात बोलते और समझते हैं।

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ—महात्मा गांधी की प्रेरणा से, २३ अक्टूबर १९३७ को, वर्धा में, एक शिक्षा-परिषद् का आयोजन किया गया, जिसमें भारत-भर के दामो शिक्षा-विशारदों ने भाग लिया। इस परिषद् में महात्माजी ने देश की वर्तमान शिक्षा में सुधार के लिये अपनी योजना प्रस्तुत की। उनकी योजना का सारांश यह है : (१) शिक्षण-शालाया तथा विद्यालयों का स्वावलम्बी बनाया जाय, अर्थात् उनके संचालकों का बाहरी आर्थिक-सहायता के आश्रित न रहना पड़े। (२) शिक्षा का माध्यम बालकों की मातृभाषा हा, अंगरेजी नहीं। प्रत्येक विद्यार्थी को हिन्दुस्तानी का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। (३) शिक्षा पुस्तकीय न हाकर अधिकांश में व्यावहारिक होनी चाहिए। इसके लिये यह आवश्यक है कि किसी एक रचनात्मक उद्योग क आधार पर शिक्षा दी जाय।

महात्माजी की इस योजना पर विचार करके, नवीन शिक्षा-योजना के आधार पर पाठ्य-क्रम तय्यार करने के लिये, शिक्षा-परिषद् ने जामिया मिल्लिया के आचार्य डा० ज़ाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक उपसमिति नियुक्त की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में विद्यार्थियों के लिये ७ वर्ष का पाठ्य-क्रम निर्दिष्ट किया है। शिक्षा का आधार कोई एक उद्योग रहना गया है, जैसे—(१) मूल कानना या बुनना, (२) कृषि, (३) बटई का काम, (४) फलों तथा मागसब्जी की बाड़ी, (५) चमड़े का काम। इन रिपोर्ट में मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। मेकानिक्स, शिल्प के लिए साधारण गणित, साधारण व्यवहृत विज्ञान, प्राणि-विज्ञान, अंतरात्त-विज्ञान, रसायन-विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, उद्योग, व्यायाम, प्राणिक

का विकास करना। (२) मौलिक शिक्षा के लिये उपयोगी साहित्य का निर्माण करना। (३) मौलिक शिक्षा के प्रसार के लिये प्रचार कार्य करना। (४) मौलिक राष्ट्रीय शिक्षा को स्वीकार करने के लिये प्रान्तीय सरकारों से सिफारिश करना।

महात्माजी की प्रेरणा तथा सघ के प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत में मौलिक राष्ट्रीय शिक्षा (Basic National Education) का काफी प्रचार हुआ है। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने, अपने अपने प्रान्तों में, इस नवीन शिक्षा-प्रणाली का प्रयोग करने की व्यवस्था की। मध्य-प्रान्त में इसके अधीन विद्यामन्दिर की योजना का प्रारम्भ हुआ। मयुक्त-प्रान्त, बम्बई, विहार, मद्रास में बुनियादी तालीम की शिक्षा के लिये अध्यापकों के वास्ते ट्रेनिंग कालिज खोले गये।

संघ की ओर से 'नई तालीम' नामक एक मासिक पत्र १ जनवरी १९३६ से प्रकाशित होता है। श्री ई० डब्ल्यू०, आर्यनायकम् (सिंहली ईसाई सज्जन) इस सघ के मंत्री हैं तथा उनकी सहायिका उनकी पत्नी श्रीमती आशादेवी हैं।

हिमलर, हेनरिख—जर्मन-नात्सी नेता; नात्सी जर्मनी की गुप्त राजनीतिक-पुलिस, गेस्टापो, तथा नात्सी ब्लैक गार्ड (कालीवर्दी सेना) का प्रधान-संचालक, जर्मनी में वह नात्सीवाद पर होनेवाले आक्रमण से दल की रक्षा करता है। जिस जिस प्रदेश को हिटलर ने विजय किया है, हिमलर उस देश को इस सेना के बल पर अपने अधीन रखता है। स्वयं जर्मनी में हिमलर का बहुत आतङ्क है।



हिरोहितो—जापान का सम्राट्, जिसका जन्म सन् १९०१ में हुआ और २५ दिसम्बर १९२६ को राज्य-सिंहासन पर बैठा। जापानी साम्राज्य २६६० वर्ष पुराना बताया जाता है, और हिरोहितो राजवश में १२४वॉ है। जापानी अपने को उत्तर-पूर्वीय एशिया से गये हुए आर्यों की

सन्तान मानते हैं। वह अपने को सूर्यवंशी कहते और अपने राजवंश को सूर्य से उत्पन्न बताते हैं। जापानी सम्राट् उनके लिये परम पूज्य और पवित्र सूर्य का पुत्र है। कोई जापानी भूल से भी अपने सम्राट् का नाम निरादरपूर्वक नहीं लेता। ऐसा होने पर वह हाराकीरी (आत्मघात) करके प्राण दे डालता है। विदेशों में जापान का सम्राट् 'मिकाडो' और स्वदेश में 'तेनो' कहा जाता है। हिरोहितो पहला जापानी सम्राट् है, जिसने, युवराज की अवस्था में, अपने देश से निकल कर ससार-यात्रा की और इस कारण अनेक फौजी तथा अन्य सरकारी अफसरो ने वहाँ हाराकीरी कर डाली। जापान में कहने को इंग्लैण्ड-जैसी पार्लमेटरी शासन-पद्धति है, किन्तु सम्राट् मन्त्रि-मण्डल की नियुक्ति करता है। मन्त्रि-मण्डल की नियुक्ति इस बात को ध्यान में रखकर की जाती है कि छोटी धारा-सभा में बहुमत सम्राट् के पक्ष में रहे। सम्राट् को मन्त्रि-मण्डल को पदच्युत करने का भी अधिकार है। वह धारासभा को भी भग कर सकता है। कोई भी कानून उसी समय वैधानिक माना जाता है जबकि, दोनों धारासभाओं से स्वीकृत हो जाने के उपरान्त, उसपर सम्राट् के हस्ताक्षर हो जायें।



हूवर, हरबर्ट क्लार्क—अमरीका का भूतपूर्व राष्ट्रपति और राजनीतिज्ञ; १८७४ में, एक लुहार के घर में पैदा हुआ; बचपन में ही अनाथ होगया; रिश्तेदारों ने पाला-पढाया-लिखाया; १८९५ में खनिज (माइनिंग्) इंजीनियर बना, १९१४ तक पॉच मुल्को में नौकरी-धन्धा करता रहा, पिछले महायुद्ध के समय योरप में था, लन्दन की अमरीकी रिलीफ कमिटी का अध्यक्ष बना, पीछे वेलजियम-सहायक कमीशन का प्रधान और १९१७-१९ में अमरीका का खाद्य-सामग्री-व्यवस्थापक और युद्ध-समिति का सदस्य। लडाईं के बाद केन्द्रीय योरप में अमरीकी रिलीफ कमिटी का प्रधान रहा, उन मुल्को को हर प्रकार का माल मुहय्या किया जहाँ शत्रु का घेरा रह चुका था। १९२१-२८ तक अमरीकी व्यापार-विभाग का मन्त्री रहा। इस हैसियत से देश की उन्नति करने के कारण उसकी बहुत प्रशंसा हुई। १९२९-३३ में अमरीका का राष्ट्रपति रहा। हूवर 'रिप-

बलिकन' दल का है, और १९४१ तक वह इस युद्ध में तटस्थ नीति का पोषक था, किन्तु जत्र जापान और धुगी राष्ट्रों ने अमरीकी प्रदेशों आदि पर हमला किया तो वह अमरीका के युद्ध-प्रयत्नों का पूर्ण समर्थक बन गया।

हेनलीन, कोनराद—सुडेटन-जर्मन राजनीतिज्ञ १८९८ में पैदा हुआ, शुरू में एक बैंक में क्लार्क था, बाद को व्यायाम-शिक्षक बना।

१९२३ में चेकोस्लोवाकिया में जर्मन व्यायाम-आन्दोलन का प्रमुख हो गया और १९३३ में सुडेटन-जर्मन-दल का संगठन किया। उसी आन्दोलन के कारण चेको० का पतन हुआ।

हेक्सवर्ग—आस्ट्रिया-हंगरी का भूतपूर्व राज-वश, इस वश के राजा पहले जर्मन कहलाते थे, १३वीं शताब्दि से आस्ट्रियन सम्राट् कहलाये। चार्ल्स-प्रथम, जिसने नवम्बर १९१८ में गद्दी छोड़ी, आस्ट्रिया का अन्तिम सम्राट् तथा हंगरी का राजा था। १९२३ में वह मर गया। ओटो नामक उसका सबसे बड़ा पुत्र है। हंगरी के कुछ लोगो ने उसे राजा बनाने का प्रयत्न किया। वह आस्ट्रिया की गद्दी पर आने की बातचीत कर कहा था कि हिटलर ने आस्ट्रिया को जर्मन राइख में मिला लिया। पूर्व सम्राजी जिता और प्रिन्स ओटो आजकल अमरीका में हैं। दक्षिण अमरीका और ईंग्लेण्ड में भी इस वश के कुछ लोग राजगद्दी की प्राप्ति के लिए आन्दोलन कर रहे हैं।

हैलीफैक्स, ऐडवर्ड फ्रेडरिक लिण्डले वुड—लाड, पहले लाड इरविन कहलाते थे, १६ अप्रैल १८८१ को जन्मे, आक्सफर्ड में शिक्षा प्राप्त की, १९१० में अनुदार दल की ओर से पार्लमेण्ट के सदस्य चुने गये, १९१५-१७ में मेजर बनकर फ्रान्स के रणक्षेत्र पर लडे, १९२२-२४ तक उपनिवेश उपमन्त्री, प्रिवी कौन्सिलर, शिक्षा-बोर्ड के प्रधान तथा बाल्डविन-मन्त्रिमण्डल में कृषि-मन्त्री रहे। अक्टूबर १९२५ में लार्ड इरविन बनाये जाकर भारत के वाइसराय नियुक्त किये गये। आपके ही कार्यकाल के बीच १९२८ में साइमन कमीशन भारत में आया और १९२९ में भारत ने पूर्ण



स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया। १९२६ में ही क्रान्तिकारियों ने आपकी स्पेशल को उड़ाने का प्रयत्न किया था, जिसके कारण इस वर्ष के कांग्रेस अधिवेशन में, केवल महात्मा गान्धी की प्रेरणा और प्रभाव से, आपके प्रति सहानुभूति का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। आपके ही शासन-काल १९३० में सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू हुआ। आन्दोलन के आदि में लार्ड इरविन ने वेगपूर्ण आर्डिनेन्स-शासन द्वारा दमन-चक्र चलाया, किन्तु उसकी निष्फलता को आप अनुभव करने लगे और १९३१ में आपकी सरकार ने कांग्रेस से सन्धि करली, फलतः गोलमेज़ कान्फरेन्स हुई। आपके व्यक्तित्व से महात्मा गान्धी प्रभावित हुए बिना न रहे और उन्होंने आपको 'सच्चा ईसाई' कहा। १९३१ में विलायत लौटकर १९३२ में, अपने पिता के बाद, पुश्तैनी वाइकाउन्ट बने और सरकार में फिर क्रमशः शिक्षा-बोर्ड के प्रधान, युद्ध-मन्त्री, लार्ड प्रिवी सील और कौन्सिल के लार्ड प्रेसिडेण्ट रहे। नवम्बर १९३७ में हिटलर से समझौते की बातचीत करने भेजे गये, किन्तु असफल रहे। ऐन्थनी ईडन के त्यागपत्र दे देने पर, २५ फरवरी १९३८ को, लार्ड हैलिफैक्स विदेश-मन्त्री बनाये गये। आरम्भ में आप सन्तुष्टिकरण नीति के समर्थक रहे, किन्तु पीछे जर्मनी से लोहा लेने के पक्षपाती बन गये। रूस से समझौता करने का प्रयत्न किया और, सितम्बर १९४० में, जब फ्रान्सीसी-सरकार की जड़ हिल चुकी थी, आपने फ्रान्स और बरतानिया की ओर से पोलेण्ड को बचाने के वचन को पूरा करने पर जोर दिया। वह चेम्बरलेन की सरकार में और उपरान्त, दिसम्बर १९४० तक, चर्चिल-मन्त्रिमण्डल में विदेश-मन्त्री रहे। उपरान्त आपको अमरीका में राजदूत बनाकर भेजा गया और विदेश-मन्त्री का भार फिर ईडन ने संभाला। आजकल आप वाशिंगटन में नियुक्त हैं।

हैस, रुडाल्फ—नात्सी नेता; मिस्र के सिकन्दरिया नगर में, २६ अप्रैल १८६६ को, पैदा हुआ, जहाँ हैस का बाप व्यापार करता था, प्रारम्भिक शिक्षा सिकन्दरिया के एक अँगरेज़ी स्कूल में पाई, पिछले युद्ध में जर्मन-सैनिक की भाँति लड़ा, आहत हुआ और १९१८ में उड़का बन गया। १९१६ में वेरियाके विद्रोह में श्वेत-पक्ष की ओर से लड़ा; म्युनिख विश्वविद्यालय में पढ़ता रहा। हिटलर के राष्ट्रीय-समाजवादी दल में पहले जल्ये के साथ भर्ती हुआ और

हिटलर का विश्वासपात्र और मित्र बन गया। सन् १९२३ में जब हैस की अवस्था २७ वर्ष की थी तब हिटलर की ३४ वर्ष। डूँफ़सलर का मूलोच्छेद करके हिटलर ने जब अपनी 'नेजनेल सोजियालिस्ट पार्टी' (वर्तमान राष्ट्रीय समाजवादी दल) की रचना की, तभी हिटलर और हैस की प्रथम भेट हुई। हैस का नात्सी-दल में तृतीय स्थान रहा है। हिटलर के बाद दूसरा स्थान मार्शल गोरिग का है। जब हिटलर को गिरफ्तार करके १९२४ में लैन्ड्सवर्ग के क्रिले में रखा गया, तब हैस भी उसके साथ कैद था। यहाँ हिटलर ने अपना आत्म-चरित 'माईन काम्फ' ('मेरा सघर्ष') लिखा। हिटलर बोलता जाता था और हैस लिखता जाता था। रिहाई के बाद हैस को हिटलर ने अपना प्राइवेट सैक्रेटरी बनाया। बाद में हैस नात्सी दल का रूहेरवाँ बन गया। सन् १९३३ में हिटलर के जर्मनी का सर्वेसर्वा बनने के समय हैस हिटलर की गुप्तचर-टोली (Liaison Stall) का प्रधान था। हिटलर ने उसे अपना मन्त्री और डिपुटी (सहायक) नियुक्त किया। वह हिटलर को प्रत्येक प्रकार की गुप्त सूचनाएँ देता था। जब जब हिटलर ने किसी देश पर आक्रमण किया, तब तब पहले हैस ने उस देश में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन कर गुप्त सूचनाएँ हिटलर को दीं। सितम्बर १९३६ में, वर्तमान युद्ध छिड़ने पर, हिटलर ने हैस को नात्सी दल का तृतीय नेता मनोनीत किया।

१० मई १९४१ की रात को, स्काटलेण्ड पर ग्लासगो की दिशा में, एक जर्मन-वायुयान उड़ता हुआ दिखाई दिया। यह वायुयान ग्लासगो के पास गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसमें से एक जर्मन अफसर निकला, जिसके पास हवाई छतरी भी थी। उसे ग्लासगो के एक अस्पताल में लेजाया गया। वहाँ उसने अपना नाम रुडाल्फ हैस बतलाया। वह बवेरिया के आग्सवर्ग से उड़कर आया था। उसके साथ उसके भिन्नभिन्न अवस्थाओं के चित्र भी थे। उसने बताया कि वह अपने मित्र, हैमिल्टन के ड्यूक, से मिलने जा रहा था। ड्यूक से लड़ाई से पूर्व का उसका परिचय है। किन्तु वह कुछ दूर आगे ही गिर पड़ा और और गिरफ्तार कर लिया गया। हैस के इस पलायन से सप्ताह में आश्चर्य उत्पन्न होगया। उसने ड्यूक तथा बरतानी वैदेशिक मंत्रालय के अफसर, मि० कर्क पैट्रिक, से बातें की, किन्तु रहस्य खुला नहीं,

यद्यपि अनेक प्रकार की बातें अब तक, इस सम्बन्ध में, कही गईं। जर्मन रेडियो ने कहा कि हैस पागल होगया है और वह हिटलर की आज्ञा के बिना ही निजी तौर पर सन्धि-वार्ता करने के लिये उड गया है। इंग्लैण्ड में कहा गया कि वह नात्सी-दल से विमुख होकर शरणार्थी बनकर आया है। जर्मनी में उसके संगी-साथी पकड लिये गये और सहकारी नेता (Deputy Fuehrer) का उसका पद तोड दिया गया। ब्रिटेन में बाद में भी कहा गया कि हैस यहाँ के कुछ दलों से सन्धि-वार्ता करने आया था। किन्तु सरकारी तौर पर बताया गया कि हैमिल्टन के ड्यूक का इस सम्बन्ध में कोई हाथ नहीं है। स्तालिन ने, अक्टूबर १९४१ में, कहा कि हैस जर्मनी द्वारा रूस पर किये जानेवाले आक्रमण में ब्रिटेन का सहयोग प्राप्त करने गया था। कुछ भी हो, हैस इंग्लैण्ड में तबसे राजवन्दी नहीं युद्धवन्दी है और लडाई के बाद, मित्रराष्ट्रों की विशेष अदालत में, उस पर मामला चलाया जायगा। सितम्बर १९४२ में मोशिये स्तालिन ने हैस पर तत्काल मुकदमा चलाने का मतलब किया, किंतु अन्य मित्र राष्ट्रों—ब्रिटेन और अमरीका—ने इसे अभी अनुपयुक्त समझा।



होमरूल—आयर्लैण्ड के स्वतन्त्रता-आन्दोलन में इस शब्द का बहुत प्रचार हुआ। तबसे वहाँ यह राष्ट्रीय और अल्पसंख्यक स्वायत्त का पर्याय बन गया है। भारत में लोकमान्य तिलक ने और उनके बाद स्वर्गीया श्रीमती ऐनी बेसेण्ट ने, अपने १९१६-१७ के राष्ट्रीय आन्दोलन में, इस शब्द का बहुत प्रयोग किया। दोनों के आन्दोलन-काल में होमरूल लीग सन्ध्याये भारत में बनी।

होर्धी द' नेगीवान्या, निकोलस—हंगरी का नौसेनापति और शासक; १८६८ में पैदा हुआ; १९१३ में आस्ट्रिया के बादशाह का अङ्ग-रक्षक रहा; पिछली लडाई में आस्ट्रिया ही नौसेना के प्रधान-संचालक ही हैनियत में

ऑगरेज़ों से लडा; १९१८ में आस्ट्रियन नौसेना का उप-प्रधान-सेनापति बना, १९१९ में हंगारियन सोवियत जनतन्त्र के विरुद्ध 'श्वेत-सेना' का सङ्गठन किया और कम्युनिस्टों को हराया। आस्ट्रिया का भूतपूर्व सम्राट् चार्ल्स दो बार हंगरी की राजगद्दी का दावीदार बन कर आया, किन्तु दोर्थी ने दोनो बार उसे सत्ता सोंपने से इनकार कर दिया। दोर्थी ससार की राज-सत्ताओं में परिवर्तन किये जाने का समर्थक है। उसने इटली और जर्मनी से नाता जोडा। उसने दक्षिण स्लोवाकिया अक्टूबर १९३८ में, लवु-कार्पेथियन रूस मार्च १९३९ में और ट्रान्सिलवेनिया अगस्त १९४० में प्राप्त कर लिये। अप्रैल १९४१ में उसने यूगोस्लाविया के विरुद्ध और जून १९४१ में रूस के विरुद्ध खुल्लमखुल्ला थुरी-राष्ट्रो का साथ दिया।

होर, महामाननीय सर सेमुअल—ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, २४ फरवरी १८८० को जन्मे, उपनिवेश कार्यालय में कार्य शुरू किया, १९१४-१८ के युद्ध में भाग लिया और लेफ्टिनेंट-कर्नल के पद तक पहुँचे। १९२२-२६ तक हवाई विभाग के मन्त्री और १९३१-१९३५ तक भारत-मन्त्री रहे। आपके ही युग में गोलमेज कान्फरेन्स हुई और भारतीय शासन-विधान बना। सन् १९३५ में वैदेशिक मन्त्री बनाये गये, किन्तु उसी वर्ष नवम्बर में उन्हें त्यागपत्र देना पडा, क्योंकि इटली-अबीसीनिया-सघर्ष के समझौते के सम्बन्ध में उनकी बनाई योजना के कारण, जो होर-लावल-योजना कहलाती है, जनता में उनके प्रति विश्वास न रहा। सन् १९३७-३९ तक वह जल-सेना-विभाग के अध्यक्ष तथा गृह-मन्त्री रहे। जेल-सुधार-सम्बन्धी (वेत की सज़ाके वह विरोधी हैं) तथा स्वतन्त्र आयर्लैण्ड की सेना के विरुद्ध कानून उन्होंने बन-



वाये । वर्तमान युद्ध आरम्भ होने पर उन्हें युद्ध-मन्त्रिमण्डल में लिया गया ।

होर-बलीशा, महामाननीय लेस्ली, एम० पी०—ब्रिटिश राजनीतिज्ञ; १८६५ में जन्मा; लन्दन के एक दलाल का पुत्र; आक्सफर्ड में शिक्षा प्राप्त की; पिछली लड़ाई में भर्ती हुआ और मेजर के पद तक पहुँचा, १९२३ में उदार दल की ओर से पार्लमेण्ट का सदस्य चुना गया, तब से बराबर सदस्य है; १९३१ में वह राष्ट्रीय उदार-दल में शामिल हुआ; इसी वर्ष व्यापार-मंत्री का पार्लमेण्टरी सेक्रेटरी बनाया गया और १९३२ में अर्थ-मंत्री । १९३४-३७ तक यातायात-मंत्री रहा । यातायात-सम्बन्धी अनेक सुधार किये । १९३५ में प्रिवी कौंसिलर बनाया गया । मई १९३७ में युद्ध-मंत्री नियुक्त किया गया । होर-बलीशा ने युद्ध-विभाग में खूब तरक्की की । रँगरूटी के और अच्छे तरीके निकाले, यान्त्रिक बरतानवी सेना बनाई, फौजी अफसरों में रद्दोबदल की और अनिवार्य भर्ती के काम को बढ़ाया । ३ सितम्बर १९३६ को उसे युद्ध-मन्त्रिमण्डल का सदस्य बनाया गया । ५ जनवरी १९४० को प्रधान मंत्री, चेम्बरलेन ने, होर-बलीशा को युद्ध-मंत्री पद त्यागकर व्यापार-मण्डल में चले जाने को कहा । उसने पद त्याग दिया, किन्तु सरकार में अन्य पद लेने से इनकार कर दिया ।

होहेन्जोर्लर्न—जर्मनी का राज-वंश । १९१८ में जर्मनी में राजतन्त्र का अन्त होगया । यद्यपि नात्सीवाद राजतन्त्र का विरोधी है, किन्तु इस वंश के बचे-खुचे लोग राजगद्दी की प्राप्ति के लिये अब भी लालायित हैं ।



प रि शि ष्ट

अखिल-भारतीय ग्रामोद्योग संघ—अक्टूबर १९३४ में, बंबई-कांग्रेस में, महात्मा गांधी के प्रयत्न एवं प्रेरणा से, अ०-भा० ग्रामोद्योग संघ की स्थापना के हेतु प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस प्रस्ताव के अनुसार श्री जगदीशानु कुमारप्पा को, महात्मा गांधी की सरज्ञकता में, ग्रामोद्योग संघ का संगठन करने का कार्य सौंपा गया। ग्रामीण उद्योगों को पुनर्जीवित और पुनर्संगठित कर ग्रामीण जनता की आर्थिक, शारीरिक और नैतिक उन्नति करना संघ का प्रमुख उद्देश है। संघ के अधीन दो समितियाँ हैं:—(१) उद्योग-समिति, (२) प्रबंध-समिति। उद्योग-समिति के सदस्य—(१) श्री कृष्णदास जाजू, (२) श्रीजगदीशानु सी० कुमारप्पा, (३) सेठ जमनालाल बजाज (अब स्वर्गीय), (४) डा० खानसाहब, (५) डा० गोपीचन्द्र भार्गव, (६) श्री बैकुंठराय मेहता। प्रबंध-समिति के सदस्य—श्री कृष्णदास जाजू, श्रीमती गोसी बहन, श्रीशूरजी वल्लभदास, डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष, श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तमदास अशर, श्री शंकरलाल बैकर, श्री बैकुंठराय मेहता, श्री जे० सी० कुमारप्पा।

संघ का मुख्य कार्यालय वर्धा में है। ग्रामोद्योगों के शिक्षण के लिए एक विद्यालय भी है। नवीन अनुसंधान का कार्य भी किया जाता है। हाथ का पिसा आटा, हाथ का कुटा चावल, तेल निकालना, ईख के रस और खजूर

की नीरा से गुड़ और शक्कर तैयार करना, मधु-मक्षिका-पालन, देहाती चीजों से साबुन बनाना, रेशम तथा टसर तैयार करना, कम्बल बुनना, कागज तैयार करना, तथा मरे हुए जानवरों के चमड़े की वस्तुएँ तैयार करने की व्यवस्था की गई है। अगस्त '४२ में संघ के सचालकों और कार्यकर्त्ताओं में से अनेक के जेल चले जाने से संघ का काम अब प्रायः अस्तव्यस्त दशा में होगया है।

अ०-भा० चर्खा संघ—भारत में खादी-उत्पत्ति के कार्य का सुचारु रूप से संचालन करने के हेतु, सितम्बर १९२५ में, अ०-भा० कांग्रेस कमिटी ने, महात्मा गांधी की प्रेरणा से, अ०-भा० चर्खा संघ की स्थापना की। संघ के तीन प्रकार के सहायक—सदस्य, सहयोगी, आजीवन सहयोगी—हैं। प्रत्येक सदस्य को प्रतिमास १००० गज बटदार, अच्छा हाथ का कता हुआ सूत, शुल्क के रूप में, देना पड़ता है। सहयोगी को प्रतिवर्ष (१२) और आजीवन सहयोगी को एक मुश्त ५००) चन्दा देने पड़ते हैं। संघ की कार्य-समिति में कुल १५ सदस्य हैं, इनमें निम्न १२ सदस्य स्थायी हैं:—

(१) महात्मा गांधी, (२) सेठ जमनालाल बजाज, (३) श्री राज-गोपालाचार्य, (४) श्री गंगाधरराव देशपाडे, (५) श्री कोडा वैकटप्पय्या, (६) डा० राजेन्द्रप्रसाद, (७) प० जवाहरलाल नेहरू, (८) श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त, (९) सरदार वल्लभभाई पटेल, (१०) श्री मणिलाल कोठारी, (११) श्री रणछोड़लाल अमृतलाल, और (१२) श्री शंकरलाल बैंकर। इनमें श्री मणिलाल कोठारी तथा सेठ जमनालाल बजाज का स्वर्गवास होगया तथा सर्वश्री सतीशचन्द्र दासगुप्त, रणछोड़लाल और राजगोपालाचारी ने संघ की कार्य-समिति से त्यागपत्र दे दिए। इन रिक्त स्थानों पर श्री गोपबधु चौधरी, श्री धीरेन्द्र मजूमदार, श्री कृष्णदास जाजू, श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तमदास नये सदस्य चुने गए।

इस समिति को चन्दा-संग्रह करने, स्थावर सम्पत्ति की व्यवस्था करने, सम्पत्ति को सुरक्षित रखने, जायदाद गिरवी-रहन रखने, खादी शिक्षण-शालाएँ स्थापित करने तथा खादी भंडारों को खोलने की व्यवस्था करने का अधिकार है। तिलक-स्वराज फंड से २० लाख रुपये चर्खासंघ को खादी-निर्माण के लिए मिले थे। २७ लाख रुपये की पूँजी से संघ ने अपना खादी-निर्माण का कार्य

शुरू किया। इस संघ की विविध प्रान्तों में १५ शाखाएँ हैं। प्रत्येक प्रान्त में संघ का अवैतनिक एजेंट नियुक्त है। प्रान्त के खादी-संबंधी-कार्य का पूरा दायित्व एजेंट पर होता है।

चर्खा संघ का उद्देश्य हाथ के कते-बुने वस्त्र और वस्त्र-व्यवसाय को प्रोत्साहन देना है। खादी के क्षेत्र में अनुसंधान तथा प्रयोगों द्वारा खादी-निर्माण में उन्नति करना भी संघ का उद्देश्य है। सन् १९३७ में ११,७७,५५८ की खादी तैयार की गई, और सन् १९३८ में २४,३७,६३३ की। कांग्रेस-मंत्रिमण्डल के शासन-काल में खादी-उद्योग को यथेष्ट प्रोत्साहन मिला। खादी-निर्माण के लिए सरकारी सहायता भी दी गई। सन् १९३८ में २३,२०,१४० की खादी बिकी। खादी एक महत्वपूर्ण ग्रामोद्योग है। भारत के भूखो मरते ग्रामीणों को खादी ही रोटी दे सकती है। खादी उद्योग में १,७७,४६६ कतैये और १३,५६८ बुनकर—कोली, जुलाहे—लगे हुए रहे। भारत में ६०६ खादी-उत्पत्ति केन्द्र और ५७८ बिक्री के खादी-भंडार चालू रहे। सन् १९४१-४२ में खादी-उत्पादन में बहुत प्रगति हुई। लगभग १ करोड़ की खादी इस वर्ष में तैयार की गई, जिसके द्वारा प्रायः १५ हजार गाँवों के कोई ३॥ लाख कारीगरों को ५० लाख रुपये से अधिक आजीविका में मिले। लडाई के कारण मिल का कपडा मँहगा होजाने से खादी की बहुत माँग बढ़ी, जिसे पूरा करने के लिये १९४२-४३ में खादी की उत्पत्ति बढ़ाने और वस्त्र-स्वावलम्बन की योजना को कार्यान्वित किया जानेवाला था। जिन स्थानों में चर्खे चलने बन्द होगये थे या नहीं चलते थे, वहाँ भी चल पड़े थे। किन्तु अगस्त '४२ के घटना-क्रम से चर्खा संघ भी न बच सका। बिहार-सरकार ने पहले दिन, ६ अगस्त को, ही विज्ञप्तिकालकर बिहार-शाखा पर ऐसे प्रतिबन्ध लगा दिये जिनसे चर्खा संघ का काम चालू रखना असम्भव होगया। दूसरे प्रान्तों में भी या तो हुकम से संघ की शाखाओं को बन्द किया गया या प्रतिबन्ध के कारण उन्हें बन्द कर देना पडा, जब कि प्रान्तीय सरकारों से चर्खा संघों को काफी सहायता मिलती रही है। दमन के कारण ४०० से अधिक खादी-उत्पादक केन्द्र और भण्डार इस समय बन्द होचुके हैं। माल की ज़व्ती, लूट और आग आदि से ६ लाख रुपये की हानि हुई है और डेढ़ लाख कारीगर बेकार होगये हैं।

अ०-भा० देशी राज्य-प्रजा-परिषद्—सबसे प्रथम अमरशहीद गणेश-शङ्कर विद्यार्थी ने अपने 'प्रताप' द्वारा देशी राज्यों की त्रमित, दलित और शोषित प्रजा के त्राण के लिये उद्योग किया। श्रीविजयसिंह पथिक को राज-स्थान में उन्हींने भेजा और वहाँ के प्रायः पन्द्रह देशी राज्यों में आन्दोलन का सूत्र-सञ्चालन किया। तत्कालीन 'राजपूताना-मध्य-भारत सभा' की स्थापना उन्हींके प्रयत्न से हुई। पीछे यह आन्दोलन व्यापक हुआ। किन्तु सन् १९२७ से पूर्व भारत में देशी राज्यों की प्रजा का कोई अखिल-भारतीय सगठन नहीं था, यद्यपि कुछ प्रमुख क्षेत्रों में स्थानीय कार्यकर्त्ता, देशी राज्यों की जनता में, कार्य कर रहे थे। गुजरात तथा बम्बई प्रान्त के देशी राज्यों में श्रीअमृतलाल सेठ, मध्यप्रान्त के देशी राज्यों में श्रीअभ्यकर तथा राजस्थान में श्रीविजय-सिंह पथिक, श्रीरामनारायण चौधरी तथा श्रीजयनारायण व्यास आदि कार्य-कर्त्ता सगठन-कार्य कर रहे थे। सन् १९२८ में भारत के शासन-सुधारों की जाँच के लिए साइमन-कमीशन भारत आया। देशी राज्यों के कार्यकर्त्ताओं ने अपनी मॉर्गे कमीशन के समक्ष रखने के लिए अपना एक भारतव्यापी सगठन बनाने का निश्चय किया और सन् १९२७ में बम्बई में अ०-भा० देशी-राज्य प्रजा-परिषद् की स्थापना की गई। इस संस्था को प्रभावशाली बनाने में भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने पूरा सहयोग दिया। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, स्व० सेठ जमनालाल बजाज, प० जवाहरलाल नेहरू, डा० पट्टाभि सीतारामैया, डा० राजेन्द्रप्रसाद, श्री मेहताव प्रभृति नेताओं ने देशी राज्य-प्रजा आन्दोलनों का सञ्चालन भी किया और परिषद् के सालाना अधिवेशनों में नेहरूजी, सरदार पटेल, डा० कैलाशनाथ काटजू, सेठ बजाज, डा० पट्टाभि ने सभापति का आसन भी ग्रहण किया।

इस परिषद् का लक्ष्य स्वाधीन सघीय भारत के एक प्रमुख अंग के रूप में, अहिंसात्मक और शान्तिमय उपायों द्वारा, देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। अखिल-भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद् के अन्त-र्गत अग्रलिखित समितियाँ हैं—(१) राज्य समितियाँ, (२) स्वीकृत समि-तियाँ, (३) प्रान्तीय समितियाँ, (४) सामान्य सभा (General Council), (५) कार्य-समिति (Standing Committee)। कार्य-समिति में १५

सदस्य हैं। समय-समय पर इसके अधिवेशन होते रहते हैं।

अण्णे, माधव श्रीहरि—महात्मा गांधी के २१ दिन के व्रत के समय, उन्हें छोड़े जाने के प्रश्न पर, आपने अपने सहयोगी, श्रीनलिनीरजन सरकार (वाणिज्य-सदस्य) तथा सर होमी मोदी (रसद-सदस्य) के साथ, १७ फरवरी १९४३ को, वाइसराय की कार्यकारिणी कौंसिल की सदस्यता (प्रवासी-भारतीय-विभाग) से त्यागपत्र दे दिया। उपर्युक्त तीनों सदस्यों ने अपने १८ फरवरी १९४३ के, एक संयुक्त वक्तव्य में लिखा:—

“गर्वनर-जनरल की कौंसिल से हमारे त्यागपत्रों की घोषणा हो चुकी है, और इस समय हम जो कुछ कहना चाहते हैं, वह यह है कि जिन्हें हम मौलिक प्रश्न मानते थे उनपर कुछ मतभेद पैदा होगया और हमने यह अनुभव किया कि हम अब अपने पदों पर नहीं रह सकते।” तीनों सदस्यों ने अलग-अलग वक्तव्य भी प्रकाशित किये।

अन्सारी—अब्दुलक़य्यूम, एम० ए०; सुप्रसिद्ध मोमिन नेता; जन्म सन् १९०५; अलीगढ़, प्रयाग और कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई; १९२०-२१ के खिलाफत और असहयोग आन्दोलनों में भाग लिया और जेल गये। १९३८ में मोमिन जमाअत के संगठन में सम्मिलित हुए और तभी से जमी-अतुल-मोमिनीने-हिन्द (आल-इंडिया मोमिन कान्फ़रेन्स) के उप-प्रधान हैं। आप अ०-भा० मोमिन नौजवान एसोसियेशन के प्रधान-मन्त्री और बिहार-प्रान्तीय जमीअतुल मोमिनीन के प्रधान हैं। १९४० में प्रथम बिहार प्रान्तीय मोमिन कान्फ़रेन्स के पटना अधिवेशन के और मोमिन नौजवान कान्फ़रेन्स के, १९४१ में, द्वितीय अखिल-भारतीय अधिवेशन के प्रधान बनाये गये। अन्सारी साहब अखिल-भारतीय आज़ाद मुसलिम पार्टीज़ फैडरेशन (विविध स्वतन्त्र भारतीय मुसलिम समुदाय संघ) की कार्यकारिणी के सदस्य हैं, साथ ही आज़ाद मुसलिम कान्फ़रेन्स की अल्पसंख्यक-अधिकार-समिति के सदस्य भी। आप बिहार मोमिन पार्लमेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष और पटना विश्वविद्यालय के फैलो हैं। आपने अनेक उर्दू पत्रों का सम्पादन किया है और उच्च कोटि के उर्दू गद्य-लेखक हैं। आपकी अंगरेज़ी में लिखी ‘पोलिटिकल डिमान्ड्स आफ् मोमिन कम्युनिटी’ (मोमिन जमाअत के सयासी मतालवात अथवा मोमिन समुदाय की राजनीतिक

मोंगें) का मुसलिम लीग अथवा उसको भारत की एकमात्र प्रतिनिधिक मुसलिम सस्था माननेवाले ब्रिटिश अधिकारियों ने कोई उत्तर नहीं दिया है ।

अन्सारी—डाक्टर शौकनुल्ला, एम० डी०, स्वर्गीय महान् भारतीय नेता डाक्टर मुख्तार अहमद अन्सारी के भतीजे, जन्म सन् १९०७, अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई । चिकित्सा-शास्त्र पढ़ने इंग्लैंड गये, वहाँ तथा जर्मनी में डाक्टरी पढ़ी । १९३८ में वापस भारत लौटे, और अपने चचा के स्थान पर दिल्ली के सुप्रसिद्ध डाक्टर हैं । डाक्टर शौकनुल्ला अन्सारी, अपने यशस्वी चचा को भँति, भारतीय राजनीति में अग्रसर होकर भाग ले रहे हैं । आप आज़ाद मुसलिम दल के प्रधान मन्त्री हैं ।

अल्लामा 'मशरिकी'—केन्द्रिय असेम्बली में, सितम्बर '४२ में झाकसारों पर से पाबन्दी उठाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर हुए वादविवाद के अनुसार, प्रान्तीय सरकारों की सहमति से, भारत सरकार ने झाकसार-आन्दोलन के संचालक अल्लामा मशरिकी को ता० २८ जनवरी '४३ को रिहा कर दिया और झाकसारों पर से पाबन्दी उठाली । अल्लामा ने सरकार की शर्तों को स्वीकार कर लिया है और एक वयान निकाल कर कहा है कि लड़ाई के समाप्त होने तक उनका आन्दोलन सैनिक ढंग का न रहेगा । झाकसार व्यक्तिगत रूप में समाज-सेवा करते रह सकते हैं । सामूहिक रूप से वे न वर्दी पहनेगे, न कोई हथियार, न वेलचा धारण करेंगे, न 'अन्नवत' बैज लगायेंगे, न क्वाइड-परेड करेंगे और युद्ध-प्रयत्नों में सरकार की भरसक सहायता करेंगे ।

अल्लाहवाश्श, मुहम्मद उमर—सिंध-सरकार के प्रधान-मन्त्रि-पद से आप च्युत कर दिये गये । माननीय इवानवहादुर अल्लाहवाश्श, ओ० वी० ई० ने, ब्रिटिश-नीति के विरोध-स्वरूप 'इवान वहादुर' तथा 'ओ० वी० ई०' की पदवियाँ सितम्बर '४२ के तीसरे हफ्ते में त्याग दी । इस सम्बन्ध में जो पत्र भारत के वाइसराय को आपने लिखा, उसका एक अवतरण निम्नलिखित है:—

“मुझे मिली हुई दोनों सम्मानास्पद उपाधियों को, जो मुझे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई थी, त्याग देने का मैंने निर्णय कर लिया है, क्योंकि, मैं अनुभव करता हूँ कि, अपनी विचारधारा और धारणा के अनुकूल मैं और अधिक काल तक उन्हें धारण नहीं किये रह सकता । दीर्घकाल से भारत

अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के संघर्ष में संलग्न है। वर्तमान युद्ध के प्रारम्भ होने पर आशा की गई थी कि उन्हीं उद्देशों और आदर्शों के आधार पर, जिनके सरक्षण के लिये मित्र-राष्ट्र आज जूझ रहे हैं, भारत को स्वतन्त्रता प्रदान की जायगी और वह एक स्वाधीन देश की भाँति विश्वव्यापी संघर्ष में भाग लेसकेगा।

“मेरी यह दृढ़ धारणा है कि भारत को स्वाधीन होने का पूर्ण अधिकार है और भारत की जनता को ऐसी अवस्थाओं में रहना चाहिये, जिनमें कि वह शान्ति और सहयोग से रह सके। ब्रिटिश सरकार के कार्य और घोषणा से यह स्पष्ट होगया है कि वह भारतीय दलों और सम्प्रदायों को अपने मतभेदों को दूर करने में सहयोग देने और देश की जनता के हाथों में सत्ता सौंप देने और उन्हें स्वतंत्र वातावरण में सुखपूर्वक जीवन बिताने का अवसर देने तथा अपने जन्म-सिद्ध अधिकार के अनुसार अपने देश के भाग्य का निर्माण करने देने के बजाय ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में अपना साम्राज्यवादी आधिपत्य कायम रखने और उसे पराधीनता की वेडियों में जकड़े रखने और देश के राजनीतिक तथा साम्प्रदायिक मतभेद को प्रचार का साधन बनाकर उससे लाभ उठाने की रही है। वह राष्ट्रीय शक्तियों को, अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों तथा मन्तव्यों की पूर्ति के लिए, कुचल देना चाहती है।”

अपने पत्र में मि० अल्लाहवद्दुश ने चर्चिल और ऐमरी की घोषणाओं एवं वक्तव्यों की आलोचना भी की। इसी कारण, वाइसराय के आदेश से सिव के गवर्नर ने, जनता की प्रतिनिधि व्यवस्थापक-परिषद् के प्रति उत्तरदायी प्रधान-मंत्री श्री मुहम्मदउमर अल्लाहवख्श को नवम्बर '४२ के दूसरे सप्ताह में अपने पद से बरखास्त कर दिया। भारत में ही नहीं समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में सम्भवतः यह सबसे पहला उदाहरण है जब जनता के प्रति उत्तरदायी प्रधान-मंत्री को, केवल अपने विचार-स्वातन्त्र्य के कारण, इस प्रकार पद-च्युत किया गया हो।

आज़ाद, मौलाना अबुलकलाम—‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, ६ अगस्त १९४२ के प्रातःकाल, अन्य नेताओं सहित आपको भी पकड़ लिया गया। प्रमैल १९४३ में आपकी बेगम साहबा का देहान्त होगया। धर्मपत्नी की दुःशावस्था में और उनकी मृत्यु के बाद मौलाना साहब को देश

पर नहीं छोड़ा गया। अ०-भा० मोमिन कान्फरेन्स ने अपने अप्रैल '४३ के वार्षिक अधिवेशन में, इस कारण, निन्दात्मक प्रस्ताव पास किया।

आजाद मुसलिम कान्फरेन्स—भारत के स्वतन्त्रता-प्रिय मुसलमानों की अखिल-भारतीय सस्था, जो मुसलिम लीग को भारतीय मुसलिम जाति की प्रतिनिधिक सस्था और मि० जिन्ना को प्रतिनिधिक-अगुआ नहीं मानते। यह सस्था भारतीय राजनीतिक उद्धार के सम्बन्ध में कांग्रेस से सहयोग करती है और हिन्दुस्तान की आजादी के लिये देश के सर्व साम्प्रदायिक-ऐम्य और सङ्गठन की समर्थक है। 'पाकिस्तान' योजना को यह संस्था, शब्द और भावना दानो प्रकार से, इसलाम की शिक्षा के विपरीत और भारतीय स्वातन्त्र्य के लिये विघातक मानती है। अखिल-भारतीय आजाद मुसलिम कान्फरेन्स की कार्यकारिणी ने अपनी नई दिल्ली की बैठक में, १ मार्च १९४२ को, एक प्रस्ताव स्वीकार किया था, जिसमें कहा था कि मुसलिम लीग भारतीय मुसलिमों की एकमात्र प्रतिनिधि सस्था नहीं है। साथ ही, प्रस्ताव में, ब्रिटिश सरकार से कहा गया था कि वह शीघ्र ही भारतीय स्वाधीनता को स्वीकार करे और वास्तविक अधिकार जनता के प्रतिनिधियों को सौंपदे ताकि वह पूर्ण दायित्व के साथ शत्रु से देश की रक्षा कर सके और अन्य स्वाधीन देशों से सहयोग प्राप्त कर सके। नवम्बर '४२ में आजाद मुसलिम दल ने, भारतीय मुसलमानों के सन्ध में, वास्तविक स्थिति से परिचित कराने के उद्देश से, चीन, रूस, अमरीका और ब्रिटेन को एक डेपुटेशन भेजना निश्चय किया था। इसका सदर दफ्तर दिल्ली में है।

ईसपात—फौलाद या ईसपात लडाइयों के कारणों में एक बड़ा प्रलोभन रहा है। पार्श्चात्य सभ्यता में तेल और कोयले के साथ ईसपात का भी बड़ा भाग है। जिन देशों में कच्चा लोहा पाया जाता है, साम्राज्यवादी योरपीय देशों की लोलुप दृष्टि से वह देश बचने नहीं पाये हैं, क्योंकि यह विनाशकारी सभ्यता जिन उपादानों पर खड़ी है, उनमें फौलाद भी मुख्य है। फौलाद किन देशों में किस मात्रा में बनता है, उसका व्यौरा (१९३८ के आँकड़े प्रति दस लाख टन में) इस प्रकार है:—सयुक्त-राज्य अमरीका २८०८; जर्मनी २३, रूसी सोवियत संघ १८२; ग्रेट ब्रिटेन १०६, फ्रांस ६१; जापान ६;

इटली २*४ ; वेलजियम २*३ । इन देशों में से अमरीका, रूस और फ्रांस में कच्चा लोहा निकलता है, दूसरे देशों को ईसपात बनाने के लिये स्वीडन, फ्रांस और स्पेन से कच्चा लोहा खरीदना पड़ता है । कच्चा लोहा (आयरन और) भारत के पर्वत-प्रदेशों में भी निकलता है ।

कासाब्लांका-सम्मेलन—जनवरी १९४३ के अन्तिम सप्ताह में, अफ्रीका में, फ्रान्सीसी-मरक्को के प्रमुख नगर कासाब्लांका में, अमरीकी राष्ट्रपति रूज़वेल्ट और ब्रतानवी प्रधान मंत्री मि० चर्चिल तथा दोनों देशों के सेना-विभागों के उच्च अफसरों के बीच, दस दिनों तक, लगातार सम्मेलन हुआ । मोशिये स्तालिन तथा जनरलिस्सिमो च्यांग-काई-शेक को भी इस सम्मेलन में आमन्त्रित किया गया बताया जाता है । किन्तु अपने-अपने क्षेत्रों में युद्ध-संलग्न रहने के कारण वे सम्मेलन में उपस्थित न हो सके । किन्तु, कहा गया है कि, उन्हें सम्मेलन के प्रत्येक निश्चय से अवगत किया गया था । मि० चर्चिल ने इस सम्मेलन को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध-सम्मेलन और राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने इसे “विला शर्त आत्म-समर्पण-सम्मेलन” कहा है । इस सम्मेलन में जो निश्चय किये गये, उन्हें प्रकाशित नहीं किया गया है, किन्तु मि० चर्चिल और प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट ने जो वक्तव्य दिये हैं, उनसे निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट हैं :—

(अ) सन् १९४३ में सत्तार भर में पुरी राष्ट्रों के विरुद्ध घनघोर प्राक-मण्डात्मक युद्ध किया जायगा ।

(ब) रूसी रण-क्षेत्र पर नात्सी अपनी विपुल युद्ध-सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं और रूसी जनता शत्रु की सेना और सामग्री दोनों ही समाप्त कर रही है, अतः उसकी प्रशंसा की गई और निश्चय किया गया कि रूस को प्रथम-संश्लेष-प्रथिम सहायता प्रदान की जायगी ।

यहां ही भी प्रत्येक प्रकार की शत्रु सहायता प्रदान की जायगी, जो अपने युद्ध के लक्ष्य में न सहायक है ।

(ग) अंग्रेजों और जापानियों पूर्वाश्रयित्व नगरण बना देने पर ही—अर्थात्, इस्पात और तापमान के विभाजन, रूस-समर्पण पर इनके लिये आशय है—यहां पर ही—विश्व में शान्ति स्थापित होगी । पूर्वाश्रयित्व नगरण

का अर्थ धुरीराष्ट्रो, उनकी जनता, का नाश नहीं है, किन्तु, अन्य देशों के प्रति उनकी घृणा, विभाषिका और दासतामूलक नीति का नाश है।

(द) 'युद्ध-रत' फ्रांस के प्रतिनिधि जनरल चार्ल्स द' गॉल और जनरल जिरी भी इस सम्मेलन में सम्मिलित थे। इन दोनों ने फ्रांस को स्वतन्त्र करने के लिये पारस्परिक सहयोग की सहमति दी। फ्रांसीसी राष्ट्र समिति ने एक वक्तव्य निकाल कर कहा है कि तत्काल ही पदाति, जलीय और वायव्य सेना का सङ्गठन करके मोर्चे कायम किये जायेंगे। उक्त दोनों जनरलों ने फ्रांसीसी उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका के वर्तमान युद्ध को दृष्टिगत रखकर अपनी योजना बनाई।

दोनों देशों के सेना विभाग के नायकों ने अत्यन्त परिश्रमपूर्वक, इस विश्व-युद्ध के सम्बन्ध में, व्यापक और परिपूर्ण तथा अभूतपूर्व योजनायें तैयार की हैं। मि० चर्चिल ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि इन योजनाओं का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिणाम निकलेगा।

१२ फरवरी को, इस सम्बन्ध में, अमरीकी राष्ट्र के नाम सन्देश देते हुए प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट ने कहा कि, इन दिनों उत्तरी अफ्रीका के थ्यूनीशिया-क्षेत्र पर हमारी अमरीकी, बरतानवी और फ्रांसीसी फौजे लड़ रही हैं। वही धुरी-शत्रु-सेनाएँ जो वहाँ विजय प्राप्त कर रही थी, उन्हें ब्रिटिश आठवीं सेना के सेनापति मान्टगोमरी ने १५०० मील पीछे खदेड़ दिया है। आगे हम शत्रु पर चारों ओर से आक्रमण करेंगे। थ्यूनीशिया के युद्ध में हमें बहुत बलिदान करना पड़ेगा।

हम अपने इरादों को छिपाना नहीं चाहते। थ्यूनीशिया में युद्ध समाप्त करने के बाद हम योरप में उन देशों के उद्धार के लिये बढ़ेंगे जो आज नात्सी जुए के नीचे प्रपीड़ित हो रहे हैं। हिटलर इसे जानता है, इसीलिये वह थ्यूनीशिया में अपनी भारी शक्ति लगाये हुए है। जर्मनी और इटली पर हमारा अबाध युद्ध चलेगा। पूर्व में रूस शत्रु पर करारी चोटें कर रहा है, हम पश्चिम से वही करेंगे। कासाब्लांका में यह प्रकट हो चुका है कि समस्त प्रवासी फ्रांसीसी, अपने देश के उद्धार के लिये, सङ्गठित हो रहे हैं। हम अपनी अतलातिक योजना में स्पष्ट कर चुके हैं कि जो देश शत्रु-प्रहार के शिकार हुए हैं, उनको मुक्त कराकर उनकी स्वाधीनता का पुनर्निर्माण किया

जायगा। कासाब्लांका के निर्णय और योजना किसी एक युद्ध-क्षेत्र, किसी एक देश अथवा किसी एक सागर तक सीमित नहीं हैं। यह वर्ष समाप्त होने से पूर्व समस्त ससार को हमारे कार्यों द्वारा, बातों द्वारा नहीं, उनका पता चल जायगा। संसार को अनेक नवीन सवाद सुनने को मिलेंगे, अवश्य ही जर्मनों, इटालियनों और जापानियों के लिये वह सवाद अशुभ होंगे।

विशाल प्रशान्त महासागर में हम जापान से एक-एक करके द्वीप लेने और उसे वहाँ हराने में समय नहीं लगायेंगे, बल्कि हम चीन की भूमि से भी आक्रमक जापान को निकाल भगाने में विस्तृत और निर्णयात्मक आक्रमण करेंगे। जापानियों पर चीन में और स्वयं जापान देश पर भी हमारे हवाई आक्रमण होंगे। इन निर्णयों की सूचना हम जनरलिस्सिमो को दे चुके हैं। तोक्यो पर आक्रमण के प्रत्येक साधन का हम उपयोग करेंगे।

धुरी राष्ट्र हमारे विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं कि युद्ध के बाद हम संयुक्त-राष्ट्र—अमरीका, ब्रिटेन, चीन और रूस—आपस में कुत्ते-बिल्ली की भाँति लड़ेंगे। हमारा—हम मित्र राष्ट्रों का—का कासाब्लांका में दिया हुआ उत्तर यह है कि, तुम्हें हमारे सामने विलाशर्त हथियार रख देने होंगे। रूस इस समय शत्रु को मुँहफेर जवाब दे रहा है। धुरी राष्ट्रों को जान लेना चाहिये कि युद्ध को समस्त ससार के क्षेत्रों पर जीतने के लिये हम सब एकमन हैं। हम एक दूसरे की पूरी सहायता करेंगे। अगर आज जापान को पराजित किया जाता है तो दूसरे ही दिन संयुक्त-राष्ट्रों के समस्त साधन जर्मनी को समाप्त करने में लग जायेंगे। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ऐसा नियमित इक्करारनामा करना चाहते थे कि जापान से पहले जर्मनी को पराजित किया जायगा, और तब ब्रिटिश साम्राज्य के समस्त साधन और सैन्य, जापानियों पर अन्तिम आक्रमण करने के लिये चीन के साथ जुटाये जायेंगे। मैंने उनसे कह दिया कि ऐनं किसी भी नियमित वक्तव्य अथवा इक्करार की आवश्यकता नहीं है। यह सर्वविदिन और स्पष्ट है कि एशिया, पारस और अफ्रीका में वर्तमान शक्तियों के विनाशके सम्बन्ध में अपने इरादों में हमारा मतैक्य है। मारकोस ने कुमनिग् तक, भूमध्यसागर से कोरल सागर तक और बर्लिन से तोन्पो तक आज मानव-जाति युद्धाग्नि में दग्ध हो रही है। अब्राहम लिङ्गन के शब्दों में हम इतिहास को अग्रे अग्रक्रम

नहीं कर सकते। हमने इरादा कर लिया है कि इस युद्ध को अन्त तक लड़ेंगे—उस दिन तक जबकि सयुक्त राष्ट्रों की विजित सेनाएँ बर्लिन, रोम और तोब्यो की सबको पर घूमती दिखाई देंगी।

केन्द्रीय कैदखाने—द्विटलर के वह कैदखाने जिन्हें उसने अपने नात्सी-शासन के विरोधियों को कैद करने के लिए जर्मनी में क्रायम कर रखा है। योरप के साम्राज्यवादी प्रचारकों के अनुसार वर्तमान युद्ध आरम्भ होने के समय ४० हजार व्यक्ति वहाँ कैद थे, और दो लाख से अधिक इन कैदखानों में पहले रह चुके हैं। सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेट, कैथलिक तथा नात्सीवाद-विरोधी प्रोटेस्टेन्ट ईसाई, यहूदी, चैक, राजतन्त्रवादी वह नात्सी भी कैद किये गये हैं जो दल की नीति में अन्ध-विश्वास नहीं रखते। राजनीति से अलग रहनेवाले ऐसे जर्मन भी इनमें डाल दिये जाते हैं जो सभी नात्सी-कानूनों का पालन नहीं करते। कैद में डालते वक्त न तो अदालत द्वारा अपराध साबित किया जाता है और न कैद की कोई मीयाद ही मुकर्रर है। बहुत से व्यक्ति सात-सात वर्षों से जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। जेलखानों में कैदियों से ऐसी सख्त मशक्कत ली जाती है जिसे करने के वे अभ्यस्त नहीं होते। जेलखानों के जमादार उन्हें पीटते, उनके साथ दुर्व्यवहार करते और उनका अनिर्वचनीय प्रपीडन करते हैं। इन कैम्प जेलों में हज़ारों, इन प्रतारणाओं के कारण, धुलधुल कर मर चुके हैं। यह कैदखाने नात्सी-शासन के अत्यन्त काले कारनामों में हैं, लेकिन नात्सी इन्हींके द्वारा जर्मन जनता को आतङ्कित रखकर अपना शासन चला रहे हैं। इनमें कई कैम्प जेल तो बहुत बदनाम हैं। अक्टूबर १९३६ में बरतानवी सरकार ने इन कैम्प जेलों के सम्बन्ध में श्वेतपत्र प्रकाशित किया था। जर्मनी के यह नरक सन्सार में कोई अपवाद नहीं हैं। प्रजातन्त्र की दुहाई देनेवाले, किन्तु कार्यतः साम्राज्यवादी राष्ट्रों के अधीन देशों में भी बिना मुक़दमा चलाये जेलों में वर्षों डाले रखने के उदाहरण आज भी मौजूद हैं।

खान अब्दुलगाफ्फार खाँ—अक्टूबर १९४२ में आपको गिरफ्तार कर लिया गया। सिन्ध और बंगाल में मुसलिम लीग के मन्त्रिमण्डल बन चुके हैं। अब लीगी और सरकारी क्षेत्रों में सीमाप्रान्त में भी लीगी-मिनिस्टरी क्रायम की चर्चा है।

गांधी-लिनलिथगो-पत्र-व्यवहार — गांधीजी ने २६ जनवरी १९४३ को, भारत के वाइसराय लार्ड लिनलिथगो के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ता० ६ फरवरी से (व्रत १० फरवरी से आरम्भ हुआ) २१ दिन तक उपवास रखने का मन्तव्य प्रकट किया। वाइसराय गांधीजी को केवल उपवास-काल के लिये जेल से मुक्त कर देने की व्यवस्था करना चाहते थे। इसे गान्धीजी ने स्वीकार नहीं किया। आग्लॉ-महल में ही गांधीजी ने अपना व्रत आरम्भ किया। १० फरवरी १९४३ को लार्ड लिनलिथगो ने यह सब पत्र-व्यवहार समाचार-पत्रों में प्रकाशित करा दिया जो गांधीजी के बीच अबतक हुआ था, जिसका सारमात्र इस प्रकार है:—

ता० ६ अगस्त १९४२ को महात्मा गांधी बंबई में गिरफ्तार किये गये थे। इसके ४-५ दिन बाद अर्थात् १४ अगस्त १९४२ को गांधीजी ने वाइसराय को निम्नलिखित पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा:—

“सरकारी प्रस्ताव में लिखा है कि “सपरिषद्-गवर्नर-जनरल को कुछ पिछले दिनों से कांग्रेस पार्टी द्वारा गैरकानूनी तथा हिंसात्मक कार्यों के लिए विगत भयानक तैयारियों का ज्ञान रहा है, जिनका उद्देश्य यातायात के साधनों तथा जनता के उपयोग की सेवाओं में बाधा डालना, हड़तालों का सगठन तथा सरकारी कर्मचारियों को भड़काना और रक्षा के कार्यों एवं रंगरूटों की भरती में बाधा डालना है।” गांधीजी ने इस पर लिखा—“यह वास्तविकता का अत्यन्त विरुद्ध है। किसी भी अवस्था में हिंसा की बात तो सोची भी नहीं गई थी। उन कार्यों की व्याख्या का, जिन्हें अहिंसात्मक आन्दोलन में शामिल किया जा सकता है, खींचातानी करके यह अर्थ लगाया गया है कि कांग्रेस हिंसात्मक कार्य के लिए तैयारी कर रही थी।”

यदि गांधीजी का यह पत्र उसी समय सरकार द्वारा प्रकाशित कर दिया जाता तो भारत में जो भयङ्कर विद्रोह हुआ और निर्दोष व्यक्तियों की जो हत्याएँ हुईं, वह न होनी और जनता में शान्ति स्थापित होजाती।

२३ सितम्बर १९४२ में गांधीजी ने दूसरा पत्र भारत-सरकार के गृह-विभाग के सेक्रेटरी के नाम लिखा। इस पत्र में गांधीजी ने लिखा—

“जो कुछ इसके विपरीत कहा गया है, उसके बावजूद मैं यह दावा

करता हूँ कि कांग्रेस की नीति अत्र भी स्पष्टतः अदिसात्मक है। कांग्रेसी नेताओं की एकदम गिरफ्तारियों ने जनता में रोष के भाव पैदा कर दिये और यहाँ तक कि उनमें आत्म-संयम भी न रहा। मैं यह अनुभव करता हूँ कि जो सर्वनाश हुआ है उसके लिए सरकार—कांग्रेस नहीं—ज़िम्मेदार है। सरकार के लिए अत्र उचित मार्ग मुझे यही लगता है कि कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया जाय और समस्त दमनकारी कानूनों और कार्यों को वापस ले लिया जाय और समझौते के उपाय और साधन सोचे जायें।”

इसके बाद तीसरा पत्र गांधीजी ने १ जनवरी १९४३ को लार्ड लिनलिथगो के नाम लिखा। इस पत्र में गांधीजी ने अपने उपवास का संकेत-भात्र दिया और लिखा कि—

“समय अत्र निकट पहुँच रहा है और अत्र मेरा धैर्य भी समाप्ति पर है। सत्याग्रह के विधान में, जैसा कि मैं जानता हूँ, ऐसे अवसरों के लिये भी एक उपाय है। एक वाक्य में वह उपाय है उपवास द्वारा शरीर का नाश। उस विधान में यह भी है कि केवल अन्तिम उपाय के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाय। यदि मैं इसे टाल सका, तो मैं इसका प्रयोग करने की इच्छा न करूँगा। इसके टालने का यही एक मार्ग है कि मुझे मेरी गलतियों अथवा गलती का विश्वास करा दिया जाय, मैं इसके लिए काफी प्रायश्चित्त करूँगा। आप मुझे बुला सकते हैं या आप किसीको भेज सकते हैं जो आपके मन की बात जानता हो। और भी कितने ही उपाय हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो।”

इस पत्र के जवाब में लार्ड लिनलिथगो ने १३ जनवरी को लिखा कि—
“इन विगत मासों में मुझे प्रथम तो कांग्रेस की उस नीति से घोर दुःख हुआ जो उसने गत अगस्त में ग्रहण की, और दूसरे मुझे इससे दुःख पहुँचा कि इस नीति के कारण, जैसा कि इससे स्पष्ट था, सारे देश में हिंसा और अपराध हुए (मैं उस इतरों के बारे में नहीं कहता जो भारत को बाहरी आक्रमण से है)। इस हिंसा और अपराध को निंदा में एक शब्द भी आपने और कार्य-समिति ने नहीं कहा।

“परन्तु यदि मैं आपके पत्र को समझने में गलती नहीं करता तो उसका

यह मतलब है कि जो कुछ घटनाएँ हुईं, उनके प्रकाश में आप अपना क्रोध पीछे को लौटाना चाहते हैं, और उस नीति से अपने को अलग करना चाहते हैं जिसे विगत ग्रीष्म में अंगीकार किया गया था। तो आप सिर्फ मुझे सूचित कर दीजिए और मैं इस मामले पर फिर से विचार करूँगा। और यदि मैं आपके उद्देश को समझने में विफल रहा हूँ तो आप बिना किसी सकोच के तुरन्त ही कि, मैंने ऐसा किस मामले में किया है, सूचित करेंगे और मुझे अपने निश्चित सुझाव भी बतलायेंगे।”

गांधीजी ने अपना चौथा पत्र १६ जनवरी १९४३ को वाइसराय के नाम लिखा। अपने इस पत्र में गांधीजी ने लिखा—

“आपने मेरे पत्र का जो अर्थ निकाला है, मुझे भय है कि, वह सही नहीं है। मैंने आपके पत्र को आपकी व्याख्या के प्रकाश में, पुनः पढ़ा, परन्तु मैं उसमें आपका अर्थ तो नहीं पा सका। मैं ब्रत रखना चाहता था और अब भी चाहता हूँ, यदि हमारे पत्र-व्यवहार का कुछ प्रतिफल न निकला।

“यदि मैं अपने पत्र पर आपकी व्याख्या को स्वीकार नहीं करता, तो आप मुझे अपना निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की वाञ्छा करते हैं। ऐसा मैं उसी समय कर सकूँगा जब कि आप मुझे कांग्रेस की कार्य-समिति के बीच उपस्थित होने की व्यवस्था कर देंगे।”

इसी पत्र में गांधीजी ने आगे लिखा :—

“यदि आप यह ज्ञाहते हैं कि मैं अकेला ही कार्य करूँ तो मुझे आप यह विश्वास करा दें कि मैं गलती पर था, मैं उनके लिए ब्येष्ट प्रायश्चित करूँगा।

“अगर आप यह कहते हैं कि मैं कांग्रेस की ओर से कोई प्रस्ताव आपके समक्ष रखूँ तो आपको मुझे कांग्रेस कार्य-समिति के सदस्यों के बीच उपस्थित करना होगा। मेरा तो तर्क आपसे यही है कि आप गतिरोध का अन्त करने का निश्चय करें।”

लार्ड लिनलिथगो ने २५ जनवरी के गांधीजी के उपर्युक्त पत्र के जवाब में लिखा :—

“आपने दिना की जो स्पष्ट निन्दा की है, उसे पढ़कर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं उस महत्व से भी भलीभाँति परिचित हूँ जो आपने पिछले वर्षों में अपने धर्म के उन अंग को दिया है। परन्तु उन महीनों में जो घटनाएँ हुई हैं,

वे तथा जो घटनाएँ आज हो रही हैं वह भी यह प्रमाणित करती हैं कि उसे आपके कुछ अनुयायियों ने स्वीकार नहीं किया है, और केवल वह सत्य कि आपने जिस आदर्श का प्रचार किया है, वे उसे अपनाने में सफल नहीं हुए। उन व्यक्तियों के सवधियों के लिए कोई जवाब नहीं जिन्होंने अपने जीवन से हाथ धोये हैं, और न उनके लिए जिनके सवधियों की सम्पत्ति को कांग्रेस और उसके समर्थकों की ओर से की गई हिंसात्मक कार्यवाही के कारण नुकसान पहुँचा है।

“इसलिये अगर आप मुझे यह सूचित करने के लिए चिंतित हैं कि आप ६ अगस्त के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं और उससे अपना सवध-विच्छेद करते हैं, और उस नीति से भी, जिसका प्रस्ताव में उल्लेख है, और अगर आप मुझे उचित आश्वासन भविष्य के लिए भी दें, तो मैं इस मामले पर आगे विचार करने के लिए तैयार हूँ, यह कहने की आवश्यकता नहीं है।”

इस पत्र के जवाब में गांधीजी ने २६ जनवरी १९४३ को पत्र लिखा और इसमें पुनः इस बात पर जोर दिया कि वह (वाइसराय) कृपाकर ८ अगस्त १९४२ के कांग्रेस प्रस्ताव में कोई ऐसी बात तो बतावे कि जिसे वह बुरा समझते हैं या जिसमें हिंसा की गंध है। अतः अपने पत्रव्यवहार को विफल मान उन्होंने ६ फरवरी से उपवास रखने की सूचना वाइसराय को दे दी।

इस पत्र के जवाब में ५ फरवरी १९४३ को लार्ड लिनलिथगो ने एक पत्र गांधीजी के नाम लिखा। इस पत्र का आशय यह है कि ६ अगस्त के बाद भारत में जो हिंसा-काण्ड, अग्नि-काण्ड तथा उपद्रव हुए उनके लिए गांधीजी, कांग्रेस और उसके नेता जिम्मेदार हैं। अपने इस पत्र में लार्ड लिनलिथगो ने लिखा :—

“इसकी साक्ष्य है कि आप और आपके मित्र इस नीति की परिणति हिंसा में होने की आशा रखते थे और आप उसे बरदाश्त करने के लिए तैयार थे और जो हिंसा-काण्ड हुए, वे एक सुनिश्चित योजना के अंग थे जो कांग्रेस-नेताओं की गिरफ्तारी से बहुत पहले बनाई गई थी।”

इसी पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि राजनीतिक कार्यों के लिए उपवास एक प्रकार से राजनीतिक हिंसा (Political blackmail) है। गांधीजी ने ७ फरवरी १९४३ को इस पत्र के उत्तर में एक पत्र लार्ड

लिनलिथगो के लिए लिखा। इस पत्र की अन्तिम महत्वपूर्ण पक्तियाँ इस प्रकार हैं। गांधीजी लिखते हैं :—

“आपने मेरे लिए कोई ऐसी गुजाइश नहीं रहने दी है कि मैं व्रत रखने से बचा रह सकूँ। मैं अत्यन्त स्पष्ट विवेक-बुद्धि के साथ ६ फरवरी को व्रत आरम्भ करूँगा। आपके यह कहने पर भी कि वह एक प्रकार की “राजनीतिक हिंसा” है, वह मेरे लिए उस न्याय के निमित्त सर्वोच्च न्यायालय से एक अपील होगी जिसे मैं आपसे प्राप्त करने में विफल रहा हूँ।”

इसके बाद गांधीजी ने १० फरवरी से अपना इक्कीस दिन का उपवास आगाखॉ भवन में आरम्भ कर दिया।

गांधीजी का इक्कीस दिन का व्रत—गांधीजी ने १० फरवरी '४३ के प्रातः-काल से अपना २१ दिन का व्रत आगाखॉ महल, पूना में (जहाँ वह राजबन्दी हैं) आरम्भ किया था। सरकार ने गांधीजी को यह आज्ञा दे दी थी कि व्रत की अवधि में वह अपनी इच्छानुसार अपने डाक्टरों से परामर्श ले सकेंगे। गांधीजी ने २१ दिन तक केवल जल-सेवन करके व्रत रखा। जल को पीने के योग्य बनाने के निमित्त वह नीबू का थोड़ा-सा रस भी जल के साथ मिला लेते थे। जब उनकी स्थिति इतनी अधिक खराब होगई कि जल तक उन्हें हड़म नहीं होने लगा तब 'मौसमी' का रस मिलाकर पानी पिलाया जाता था। उनके उपवास-काल में ता० ११ फरवरी से बंबई के सुप्रसिद्ध डा० गिल्डर (पूर्व कांग्रेसी स्वास्थ्य-मंत्री) और १५ फरवरी से कलकत्ता के भारत-विख्यात डा० विधान चन्द्र राय (कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर) गांधीजी के निकट रहे और समय-समय पर उनकी शारीरिक-परीक्षा करते रहे। डा० सुशीला नायर तो हर समय गांधीजी के निकट रही। यह उनकी प्राइवेट चिकित्सिका हैं और उन्हींके साथ कैद हैं। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने गांधीजी की परिचर्या बड़ी तत्परता से की। सरकार की ओर से गांधीजी के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए तीन डाक्टर नियुक्त किये गये थे : मेजर-जनरल आर०एस० केडी, लेफ्टिनेंट-कर्नल एम० जी० भण्डारी तथा लेफ्टिनेंट-कर्नल वी० जी० शाह।

प्रतिदिन इन ६ डाक्टरों के हस्ताक्षर सहित गांधीजी के दैनिक स्वास्थ्य-संबंधी पत्रिका समाचार-पत्रों में प्रकाशित होती रही। डा० राय, डा० गिल्डर,

अन्य सरकारी डाक्टरों तथा गांधीजी के अन्य मित्रों और सबधियों को ही नहीं प्रत्युत् समस्त जनता को यह भय था कि गांधीजी इस वयोवृद्ध अवस्था में २१ दिन का उपवास कुशलता के साथ पूरा न कर सकेंगे। १६ फरवरी १९४३ से गांधीजी के स्वास्थ्य के सम्वन्ध में डाक्टरों को चिन्ता होने लगी और उनकी स्थिति दिन पर दिन अत्यन्त नाज़ुक होती गई। २१ फरवरी को उनकी स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक होगई। उपर्युक्त ६ डाक्टरों ने २१ फरवरी को अपनी स्वास्थ्य-पत्रिका में गांधीजी के विषय में स्पष्ट लिखा—

“गांधीजी के लिए फल का दिन बहुत बुरा था। रात में केवल ४॥घण्टे नींद उन्हे आई। दिन में भी उनकी स्थिति खराब रही और बेहोशी की हालत बनी रही। हृदय की गति मन्द है और नाडी की गति भी धीमी है। वह बहुत ही थके हुए हैं। यहाँ तक कि पानी पीने मात्र से उन्हे बड़ी थकावट होजाती है। उन्होंने सदैव की भौंति ४० ग्रोस जल के साथ दो ग्रोस नीबू का रस सेवन किया। १६ फरवरी तक उनका वजन १४ पौंड कम हो चुका है।”

और यदि उपवास अविलम्ब समाप्त न किया गया तो उनके जीवन की रक्षा न होसकेगी।”

इस प्रकार ३-४ दिन उनकी हालत बड़ी नाज़ुक रही। समस्त देश में चिन्ता व्याप्त होगई और उनकी मंगल-कामनार्थ पूजास्थलों में प्रार्थनाये और यज्ञ-हवनादि किये गये। इस बीच इंग्लैण्ड, अमरीका, चीन और फारस के सभी दलों, वर्गों एव जातियों के विद्वान् नेताओं तथा आम जनता ने ब्रिटिश सरकार तथा वाइसराय से यह अपील की कि वह महात्मा गांधी की जीवन-रक्षा के हेतु उन्हे रिहा करदे। किन्तु ससार की इस अपील का ब्रिटिश सरकार पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और गांधीजी को अन्त तक रिहा नहीं किया गया। परन्तु सरकार ने गांधीजी के सबधियों, मित्रों तथा अन्य लोक-नेताओं को उनसे व्रत-काल में मिलने की आज्ञा दे दी थी। इससे गांधीजी को कुछ सान्त्वना तो मिली, परन्तु वह सरकार के हृदय में जो परिवर्तन करना चाहते थे, वह लक्ष्य तत्काल पूरा नहीं होसका।

अन्त में ३ मार्च १९४३ को गांधीजी ने अपना व्रत सकुशल समाप्त। इस अवसर पर उनके पुत्र श्री देवदास गांधी, श्रीमती नायडू, डा० राय,

डा० गिल्डर, श्री अणे, श्री रथीन्द्रनाथ ठाकुर (स्वर्गीय कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के पुत्र) आदि उपस्थित थे । गीता आदि के श्लोको के पाठ के बाद उन्होंने सन्तरे का रस पीकर व्रत को समाप्त किया ।

गॉल, जनरल चार्ल्स द—अपने देश की आज़ादी के लिये लड़नेवाले फ्रान्सीसियों के साथ अपनी सेनाओं का आपने अच्छा सङ्गठन कर लिया है, और वह सेनायें अफ्रीका में तथा अन्य रणक्षेत्रों में लड़ रही हैं । संयुक्त राष्ट्रों के आप पूर्ण सहयोगी हैं और अमरीका तथा ब्रिटेन की मदद से अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिये अग्रसर हैं । जनरल जिरौ भी आपसे पूरा सहयोग कर रहे हैं । कासाब्लांका सम्मेलन में आप भी उपस्थित थे । उन्होंने राष्ट्रपति रूज़वैल्ट और मि० चर्चिल से फ्रान्स की सहायता के विषय में चर्चा की । २७ जनवरी १९४३ को जनरल द गाल और जनरल जिरौ ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा—“हम मिले और हमने वार्त्ता की है । हमने अपने लक्ष्य के विषय में मिल कर निश्चय किया है, और वह है फ्रान्स की मुक्ति और मानव-स्वाधीनता की, शत्रु की पराजय द्वारा, पूर्ण विजय । इस उद्देश्य की पूर्ति युद्ध में समस्त फ्रान्सीसियों के, मित्र राष्ट्रों के साथ-साथ, लड़ने से ही होगी ।”

जमीअतुल-उलमा-इ-हिन्द—भारत के इसलामी-धर्मज्ञान-विद् आचार्यों की अखिल-भारतीय सस्था । (जमीअत = परिषद् : सम्मेलन । उलमा, आलिम का बहुवचन । आलिम = विद्वान्, कोविद्, पण्डित, इसलाम के अनुसार धर्मशास्त्रवेत्ता, ईश्वरशास्त्रविद्) । ससार के प्रायः सभी, विशेषकर एशियाई मुसलमानी देश-प्रदेशों में, ऐसी जमीअते पुरातन काल से स्थापित हैं । भारतीय जमीअत-उल-उलमा का स्थापन-काल लगभग पचास वर्ष पुराना है । विगत विश्व-युद्ध के परिणाम-स्वरूप तुर्की के अङ्ग-भङ्ग के विरोध और खिलाफत आन्दोलन से अद्यावधि शुद्ध इसलामी और भारतीय विकास-सम्बन्धी सभी प्रगतियों में जमीअत भारतीय राष्ट्र के साथ पूर्ण सहयोग करती रही है । इसलाम के मानव-बन्धुत्व, सार्वजनिक स्वातन्त्र्य, सामाजिक साम्य और एकेश्वरवाद का प्रतिपादक होने से जमीअत भारतीय समाज की स्वाधीनता की स्थापना के प्रयत्नों में अपनी सम-सामयिक राजनीतिक

सस्था, कांग्रेस, के समकक्ष रही है। खिलाफत, सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अविज्ञा, भाषण-स्वातन्त्र्य के लिये किये गये व्यक्तिगत सत्याग्रह आदि सभी आन्दोलनों में वह अग्रसर रही है। इसलाम के अनुसार स्वातन्त्र्य एक प्रकृति-प्रदत्त जन्मसिद्ध मानवीय अधिकार है, अतएव जमीअत का लक्ष्य भी भारत की पूर्ण स्वाधीनता है। पाकिस्तान के सम्बन्ध में जमीअत का अधिकारपूर्ण निश्चय है कि यह योजना इसलाम की महती और पवित्र भावनाओं के प्रतिकूल है। इसलाम मानव-समुदाय में 'पाक' और 'नापाक' की भेदसूचक पतित नीति की शिक्षा नहीं देता। वह मानव-मात्र को सर्वशक्तिमान जगन्नियन्ता (रब्बुलआलमीन) की सर्वोत्तम सृष्टि मानता है। इसीलिये जमीअत-उल-उलमा प्रस्तावित पाकिस्तान का प्रबल प्रतिरोध करती है। लीग को वह मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधिक संस्था नहीं मानती और न मि० जिन्ना को भारतीय मुसलमानों का प्रवक्ता स्वीकार करती है। समय-समय पर सभी आन्दोलनों में जमीअत के आह्वान पर हज़ारों मुसलमानों ने देश की आज़ादी के लिये प्रयात मात्रा में त्याग किया है। कांग्रेस के साथ जमीअत का भी दमन हुआ है। 'अल जमीअत' नामक उर्दू दैनिक पत्र भी, इस संस्था के मुखपत्र के रूप में, प्रकाशित होता रहा है। जमीअत का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है।

जमीअतुल-मोमिनीने-हिन्द—भारतीय मुसलमानों के अन्तर्गत मोमिन जमाअत की अखिल-भारतीय संस्था, जिसे मोमिन कान्फरेन्स भी कहा जाता है। मोमिन मुसलमान न मि० जिन्ना और न मुसलिम लीग को अपना रहनुमा मानते हैं। मोमिन लोग कपड़ा बनाने और वेचने का व्यवसाय करते हैं। पाकिस्तान की योजना को सभी दृष्टियों से यह लोग मुसलिम सम्प्रदाय के लिये विघातक समझते हैं। जमीअत-उल-मोमिनीन का सङ्गठन अखिल-भारतीय है। मोमिनों की संख्या भारतीय मुसलमानों में चार साढ़े करोड़ है।

फरवरी १९४२ में जमीअत के प्रेसिडेन्ट, मौ० शेख मुहम्मद जहीरुद्दीन और वाइस-प्रेसिडेन्ट मि० अब्दुलक़य्यूम अन्सारी, ने मि० चर्चिल, मि० ऐमरी और सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स को समुद्री-तार द्वारा सूचित किया था—“भारत के ४॥ करोड़ मुसलमानों की प्रतिनिधि-संस्था, अखिल-भारतीय मोमिन कान्फरेन्स, जिन्ना के नेतृत्व और मुसलिम लीग द्वारा समस्त भारतीय मुसलिम समु-

दाय के प्रतिनिधित्व के दावे से इनकार करती हुई भारत को तत्काल पूर्ण आज़ादी दिये जाने के दावे का समर्थन करती और केन्द्र और प्रान्तों में बननेवाली सरकारों में मोमिन जमाअत को पृथक् प्रतिनिधित्व दिये जाने का मतालम्बा करती है।" गत वर्ष कामन-सभा में दिये गये एक उत्तर में मि० ऐमरी द्वारा मोमिनों की संख्या चालीस लाख बताये जाने के अवसर पर भी इस संस्था ने संख्या-सूचक ठीक ऑकड़ों के सम्बन्ध में तार देकर भारत-मन्त्री के बयान का प्रतिवाद किया था।

२६ अप्रैल १९४३ को—जिस दिन दिल्ली में मुसलिम लीग का सालाना जलसा खत्म हुआ और उसकी बैठक में, सदैव की भोंति, 'पाकिस्तान' के मतालम्बे का प्रस्ताव पास हुआ—दिल्ली में अ०-भा० मोमिन कान्फ़रेन्स का आठवाँ जलसा शुरू हुआ। कान्फ़रेन्स के अध्यक्ष मौलवी शेख मुहम्मद ज़हीरुद्दीन ने अपने भाषण में मुसलिम लीग के, समस्त भारतीय मुसलमानों की प्रतिनिधि-संस्था होने के, दावे का ज़ोरदार खण्डन करते हुए इस दावे को असत्य, आपत्तिजनक और भ्रमात्मक बताया। मोमिन कान्फ़रेन्स के जलसे में १५०० प्रतिनिधि, ८०० अन्सार रज़ाकार (स्वयं-सेवक) और १५००० दर्शक उपस्थिति थे। कान्फ़रेन्स ने, दूसरे दिन, इस सम्बन्ध में, नियमित प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसमें कहा गया कि विधान-सम्बन्धी अथवा राजनीतिक ऐसा कोई समझौता मोमिनो को स्वीकार न होगा जिस पर ४॥ करोड़ मोमिन मुसलमानों की प्रतिनिधि-संस्था जमीअतुल मोमिनीन की सहमति प्राप्त न कर ली गई हो। वक्ताओं ने, इस प्रस्ताव पर भाषण देते हुए, कहा कि 'लीग हमारी नहीं, अमीर तबक़े के थोड़े-से मुसलमानों की एक जमाअत है, जिसे मुसलिम जनता के स्वार्थों की रक्षा की अपेक्षा अपनी लीडरी की ज़्यादा फ़िक्र है। भारत अखण्ड है, इसके टुकड़े करना घोर अनर्थ का सूचक होगा। यदि ऐसी किसी योजना को अमल में लाया गया तो मोमिन और आज़ाद मुसलिम इसका हर तरह से विरोध करेंगे।' जमीअत का सदर दफ़तर दिल्ली में है।

जयकर, महामाननीय डा० मुकुन्द रामराव; एम० ए०; एलएल० डी०; पी० सी०; वार-एट-ला—प्रसिद्ध राष्ट्रवादी अग्रणी; १९१६ से सार्वजनिक जीवन में हैं; १९२३ में बंबई प्रान्तीय धारासभा के सदस्य और धारा-

सभा में स्वराज्य पार्टी और विरोधी दल के नेता चुने गए। १९२५ में स्वराज्य-दल से त्यागपत्र दे दिया। १९२६ में बम्बई नगर की ओर से असेम्बली के सदस्य चुने गये और वहाँ १९२७ से '३० तक नेशनलिस्ट पार्टी के उपनेता रहे। गोलमेज़ परिषद् में प्रतिनिधि बनकर गये। सव-योजना समिति के सदस्य थे। श्वेत-पत्र के सबंध में मयुक्त पार्लमेटरी समिति से सहयोग किया : समिति के समक्ष गवाही दी। सन् १९३१ में सर तेजवहादुर सप्रू के सहयोग से कांग्रेस तथा भारत सरकार में समझौता कराया। अक्टूबर १९३७ में भारतके सचीय-न्यायालय के न्यायाधीश और जनवरी १९३९ में प्रिन्सी-कौंसिल की न्याय-समिति के न्यायाधीश नियुक्त किये गये। फरवरी १९४३ में महात्मा गांधी के २१ दिन के व्रत के अवसर पर देश में जो सकट पैदा होगया था, उसके निवारण के लिए १९ और २० फरवरी को देहली में सर्वदल-सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत के सभी दलों के ३०० नेता उपस्थित थे। इसमें डा० जयकर ने गांधीजी की बिना शर्त रिहाई के लिए प्रस्ताव रखा, जिसे सम्मेलन ने स्वीकार किया। १० मार्च को बम्बई में नेता-सम्मेलन का फिर अधिवेशन हुआ, जिसमें निश्चय किया गया कि ५ सदस्यों का एक सभ्य-मण्डल वायसराय से मिलेगा। इनमें डा० जयकर भी एक सदस्य थे।

जयप्रकाश नारायण—१९ अक्टूबर १९४१ को, भारत सरकार के होम-डिपार्टमेंट द्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्ति के अनुसार, कुछ कागज़ात श्री जय-प्रकाश नारायण से उस समय बरामद किये गये जबकि वह उन्हें देवली जेल में, भेट के समय, अपनी पत्नी श्रीमती प्रभावती को दे रहे थे। इन कागज़ात में, विज्ञप्ति में बतलाया गया था कि, श्री जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस-समाज-वादी-दल की एक गुप्त-समिति बनाने के लिये लिखा, और यह कि यह गुप्त-समिति गैरकानूनी कार्य करे तथा 'पुराने तरीक़े' से धन इकट्ठा करे। नवम्बर १९४२ में श्री जयप्रकाश नारायण, अपने चार साथियों सहित, हज़ारीबाग़ सेण्ट्रल जेल से फरार होगये, जहाँ देवली कैम्प-जेल से उन्हें तबदील किया गया था। जयप्रकाशजी की गिरफ्तारी के लिये ५०००) के पुरस्कार की १. बिहार-सरकार ने की, और मार्च १९४३ के प्रथम सप्ताह में इनाम २. रकम बढ़ाकर १०,०००) कर दी गई।

ट्यूनिस्—उत्तरी अफ्रीका में फ्रान्स के 'सरक्षणा' में एक देश, जिसका अरबी नाम अफ्रीकिया है; क्षेत्र० ४८,००० वर्ग; जन० २६ लाख, जिसमें १,०८,००० फ्रान्सीसी, ६४,००० अतालवी (इटालियन), और ७,००० माल्टावासी हैं; किन्तु इटली का दावा है कि 'अफ्रीकिया' में १,१५,००० अतालवी और केवल ६०,००० फ्रान्सीसी हैं । ट्यूनिस् की आबादी में २३,६०,००० अरबी-भाषा-भाषी मुसलमान हैं । नाममात्र के लिये सिद्दीक अहमद बे (जिसका जन्म १८६२ में हुआ) यहाँ का शासक है, किन्तु वस्तुतः शासन-सूत्र फ्रान्सीसी रेज़िडेन्ट-जनरल के हाथ में है । गवर्नमेन्ट के ग्यारह सदस्यों में आठ फ्रान्सीसी हैं । रेज़िडेन्ट-जनरल फ्रान्सीसी वैदेशिक मन्त्री के प्रति उत्तरदायी है । फ्रान्सीसी साम्राज्यवादियों की सेना ट्यूनिस् में स्थायी रूप से रहती रही है । ट्यूनिशिया बड़ा उपजाऊ देश है, विशेषतः खनिज पदार्थ वहाँ बहुतायत से निकलते हैं ।

अपने देश-वासियों की आबादी के अनुपात के आधार पर इटली ट्यूनिशिया का दावीदार रहा है । १६वीं शताब्दि के मध्यकाल से अतालवी वहाँ जाकर बसने शुरू हुए । सिसिली और दक्षिण इटली से विशेषकर अतालवी यहूदी अधिक संख्या में वहाँ जाकर पहले बसे । इटली ट्यूनिशिया पर कब्ज़ा करने ही वाला था कि, १८८१ में, फ्रान्सीसियों ने ट्यूनिशिया को अधिकृत करके उसे अपना 'संरक्षित' देश बना लिया । ट्यूनिशिया में अतालवी एक प्रवासी की भाँति रहते हैं, किन्तु वहाँ उन्होंने सांस्कृतिक आधिपत्य कायम कर लिया है : उनके अपने मदरसे हैं और फासिस्त संगठन भी ।

ट्यूनिशिया की अरब जनता में प्रबल राष्ट्रीय भावना जाग्रत है, और अखिल-अरबवाद की भावना भी । अरबों में 'पुरातन', नई दस्तूर और तीसरी हब्बीब बरगीबा की, पार्टियों हैं ।

वर्तमान महायुद्ध में ट्यूनिशिया पिछले दो वर्षों से युद्ध-क्षेत्र बना हुआ था । मई १९४३ में संयुक्त राष्ट्रों की वहाँ भारी विजय हुई और उन्होंने—अमरीकियों, बर्तानियों और आजाद फ्रान्सीसियों—ने जर्मनों और अतालवियों को वहाँ से निकाल भगाया । ट्यूनिशिया की इस विजय से लडाई की दिशा में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है ।

नाक्स, कर्नल विलियम फ्रेकलिन—सयुक्त-राज्य अमरीका के नौसेना-विभाग का मन्त्री ; १ जनवरी १८७४ को पैदा हुआ; मिंशीगन विश्वविद्यालय में पढ़ा ; १८९८ में क्यूबा-युद्ध में लड़ा ; पत्रकार बना और १९०० तक 'ग्रान्ड रेपिड्स' तथा 'हेरल्ड' में सवाददाता, नगर-स्तम्भ का सम्पादक और पत्र का व्यवस्थापक रहा, १९०१-३१ तक उसने अमरीका में कई प्रान्तीय पत्र प्रकाशित किये और हर्ट्ज के समाचार-पत्रों का मुख्य व्यवस्थापक रहा। उपरान्त 'शिकागो डेली न्यूज' में हिस्सेदार बना। गत युद्ध में फ्रांस के मैदान पर वह एक अमरीकी तोपखाना-रजमट का कमान्डर रहा। १९३६ में कर्नल नाक्स को रिपब्लिकन दल ने उप-राष्ट्रपति-पद के लिये मनोनीत किया। अपने दल की एकान्तता-नीति के विरुद्ध कर्नल नाक्स ने, इस युद्ध के आरम्भ से ही, अमरीका द्वारा ब्रिटेन को सहायता दिये जाने की नीति का समर्थन किया है। जून १९४० में राष्ट्रपति रूजवैल्ट ने उसे अपने शासन-तन्त्र में शामिल किया।

फजुलुलहक, मि० अबुलकासिम—२९ मार्च १९४३ को मि० हक बगाल के प्रधान-मन्त्री नहीं रहे। इस सम्बन्ध में प्रकाशित हुई सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार मि० हक ने “बगाल मन्त्रि-मण्डल को अधिक व्यापक और स्थायी आधार पर लाने की सम्भावना की खोज में सहायक होने के अभिप्राय से” त्यागपत्र दे दिया, जिसे गवर्नर ने मंजूर कर लिया। और मि० हक के उत्तर के अनुसार—जो उन्होंने बगाल-असेम्बली में कांग्रेस-दल के नेता द्वारा पूछे गये प्रश्न के सम्बन्ध में दिया—“उन्हें २८ मार्च की शाम को गवर्नर ने बुला भेजा था। डेढ घण्टे तक बगाल में राष्ट्रीय सरकार बनाने के विषय में बातचीत हुई। कई प्रस्ताव मि० हक के समक्ष रखे गये, जिनमें से कई को स्वीकार करने से असहमति प्रकट करने पर मि० हक से कहा गया कि वे नियमानुसार अपने पद से त्यागपत्र दे दें। उन्होंने अपने सहयोगियों और कृषक-प्रजादल से पूछे बिना, जिसके वह अगुआ हैं, ऐसा करने में असमर्थता प्रकट की। गवर्नर इस पर सहमत नहीं हुए और उन्हें अपने पर हस्ताक्षर करने को राजी कर लिया गया।” एक अन्य सदस्य के पर आपने उत्तर में कहा कि, “यह सत्य है कि मेरा त्यागपत्र गवर्नर

हाउस में टाइप कराके तय्यार रखा गया था ।” मि० हक के मन्त्रिमण्डल के पाँच सदस्यो ने भी एक वक्तव्य में कहा कि वे गवर्नर द्वारा मँगे गये अपने इस्तीफो और सर नाज़िमुद्दीन को सहयोग देने के अनुरोध का विरोध करते हैं । अस्तु; बंगाल मुसलिम लीग-दल के प्रधान रज़ाजा सर नज़ीमुद्दीन ने नया मन्त्रिमण्डल बनाने का भार अपने ऊपर लिया, और १ अप्रैल '४३ से बंगाल में १९३५ के भारतीय शासन-विधान की धारा ६३ के अनुसार गवर्नर का शासन रहने के बाद, २४ अप्रैल '४३ को बंगाल में नया मन्त्रिमण्डल बन गया । नये मन्त्रिमण्डल में सात मुसलमान (सातों लीगी), तीन सवर्ण हिन्दू और तीन परिगणित जातियों के सदस्य हैं । मि० अबुलकासिम फज़लुलहक के मन्त्रिमण्डल में पाँच मुसलमान (स्वतन्त्र), तीन सवर्ण हिन्दू और एक परिगणित जाति का हिन्दू सदस्य था । सर नाज़िमुद्दीन के मन्त्रिमण्डल ने घोषणा की है कि वह अ०-भा० मुसलिम लीग की कार्यकारिणी के आदेशानुसार कार्य करेगा ।

फ़रर—जर्मन-भाषा में नेता का पर्याय । हिटलर को पदवी ।

भारत-रक्षा-कानून—२२ अप्रैल १९४३ को भारत के मर्वोच्च न्यायालय, फेडरल कोर्ट, ने बम्बई हाईकोर्ट के फैसले की एक अपील को मज़र करते हुए—जो भारत-रक्षा-नियमावली के नियम २६ के अनुसार नज़रबन्द, केशव तलपदे, की ओर से दाखिल की गई थी—अपना निर्णय दिया, जिसमें प्रधान न्यायाधीश सर मारिस ग्वायर ने लिखा कि नियम २६, अपने वर्तमान रूप में, कानून की दृष्टि से शहनशाह के किसी प्रजाजन को बिना मुक़दमा चलाये नज़रबन्द कर देने का उतना व्यापक और पूर्ण अधिकार अधिकारियों को नहीं देता, जितना कि उसे प्रयोग में लाया जा रहा है । इस फैसले के दिन ही सरकारी क्षेत्रों की सूचना से विदित हुआ कि सरकारी कानूनदों नियम २६ की कानूनी त्रुटियों और अपूर्णताओं पर विचार कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही सूचना प्रकाशित कीजायगी, और कामन सभा में मि० एमेरी ने भी ऐसा ही कहा । २८ अप्रैल को भारत-सरकार ने आर्डिनेन्स निकालकर उक्त कानून की त्रुटियों की पूर्ति करदी, जिनकी रू से, फेडरल कोर्ट के उक्त निर्णय के अनुसार, नज़रबन्दों को तत्काल अथवा बाद के ६ दिनों के बीच रिहा किये जाने का प्रश्न भी नहीं उठ सकता । इसी नियम

के अनुसार महात्मा गान्धी और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों सहित, भारत में इस समय अनुमानत.—क्योंकि प्रमाणित सख्या प्रकाशित नहीं हुई है—आठ से दस हजार तक व्यक्ति, बिना मुकदमा चलाये, जेलों में बन्द हैं। यह नियम सितम्बर १९३६ से भारत में लागू है।

भारतीय साम्यवादी दल—भारत में साम्यवादी दल लगभग १५ वर्ष से स्थापित है, किन्तु जुलाई १९४२ से पूर्व वह गैर-ज्ञानूनी सत्था के रूप में था। जून '४२ में साम्यवादियों के प्रमुख नेताओं ने सरकार के युद्ध-प्रयत्नों में सर्व प्रकार से सहयोग देने की घोषणा की। भारत-सरकार ने इस दल पर प्रतिबन्ध हटा लिया और देवली आदि जेलों में नजरबन्द प्रायः सभी कम्युनिस्ट रिहा कर दिये गये। रूस पर नात्सी-आक्रमण होने के बाद से, सत्तार के अन्य साम्यवादियों की भाँति, भारतीय कम्युनिस्ट भी वर्तमान युद्ध को जनता का युद्ध कहने लगे हैं।

इस दल ने दो तीन मास की अवधि में ५,४४,२५८) चन्दे आदि द्वारा संग्रह कर अपना कार्य सुचारु रूप से शुरू कर दिया है। दल की ओर से अँगरेजी में 'पीपल्स वार' ('Peoples War') नामक एक साप्ताहिक विचार-पत्र, अगस्त १९४२ से, बम्बई से प्रकाशित होने लगा है, जिसके हिन्दी, गुजराती, उर्दू, मराठी सस्करण भी 'लोक-युद्ध' और 'कौमी जंग' नाम से प्रकाशित होते हैं। इस समय इस पत्र की नीति सरकार के युद्ध-प्रयत्नों में सहयोग के साथ-साथ भारत में शीघ्रतम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। पत्र सरकारी दमन-नीति का निन्दक है, और भारत की रक्षा के लिये राष्ट्रीय-एकता पर जोर देता तथा कांग्रेस के नेताओं की रिहाई और कांग्रेस तथा मुसलिम लीग में समझौते के लिए प्रचार और आन्दोलन करता है।

दल का प्रधान कार्यालय बम्बई में है। श्री पूर्णचन्द्र जोशी दल के प्रधान मन्त्री और पत्र के सम्पादक हैं। भारतीय साम्यवादी दल के नेताओं में सर्व-कामरेड नायर, शौकत उसमानी, डी० एस० वैद्य, जे० बुखारी, के० राजेश्वर राव, एस० जी० पाटकर, दिनकर मेहता, अयोध्याप्रसाद, सोहनसिंह जोश, मुखोपाध्याय, एस० जी० सरदेसाई, अरुण बोस, वी० भागवत, सोम-लाहिड़ी, गंगाधर अधिकारी, डा० अशरफ, हसन जहीर, राहुल सांस्कृ-

त्यायन, अशोक मेहता, आर० डी० भारद्वाज आदि प्रमुख हैं ।

मजलिसे-अहरारुल-इसलाम—भारत के आज़ादी-पसन्द मुसलमानों की संस्था, (अहरार = स्वाधीनता का सिपाही) । इसलाम मानवीय स्वाधीनता का प्रबल प्रचारक और पोषक है । यह संस्था भारतीय मुसलमानों में इसी विचारधारा के पोषण के लिये स्थापित हुई । इसकी प्रथम स्थापना पंजाब में हुई, जिसका प्रभाव और सगठन भारत-व्यापी है । अहरारी मुसलमान भारतीय मुसलिम लीग को अपनी प्रतिनिधिक संस्था और मि० जिन्ना को भारतीय मुसलिमों का अगुआ स्वीकार नहीं करते । 'पाकिस्तान' की वर्तमान योजना के भी वह प्रतिकूल हैं । 'पाकिस्तान' से पूर्व वह हिन्दुस्तान की आज़ादी पर जोर देते हैं । सन् १९३५-४० के बीच इस संस्था के अनुयायी हजारों मुसलमान-कार्यकर्त्ता देश-सेवा में अग्रसर रहे हैं । 'अहरार' नामक उर्दू दैनिक पत्र भी इस संस्था के सदर मुक़ाम दिल्ली से प्रकाशित होता रहा है ।

माल्टा द्वीप—यह भूमध्यसागर में, इटली के निकट, दक्षिण में एक द्वीप है जो ब्रिटेन के अधिकार में है । इसके उत्तर में सिसिली ६० मील की दूरी पर और दक्षिण में २१० मील की दूरी पर त्रिपोली है । माल्टा पर युद्ध के आरम्भ से ही बराबर हवाई हमले होते रहे हैं । अब तक १२०० से भी अधिक बार माल्टा पर शत्रु-विमानों ने हमले किए हैं । माल्टा में ब्रिटिश-सेना का सुदृढ़ नौ-सेना का अड्डा है । साथ ही बरतानिया के हवाई अड्डों का ऐसा सुव्यवस्थित जाल माल्टा की भूमि पर बिछा हुआ है, जहाँ प्रतिक्षण वायुयान शत्रु-यानों का सामना करने को तय्यार रहते हैं । अब तक १००० से अधिक शत्रु-यान यहाँ गिराये जा चुके हैं । यही कारण है कि शहर की बरखादी के सिवा माल्टा पर शत्रु को तत्त्वपूर्ण सफलता नहीं मिली है । माल्टा द्वीप १७॥ मील लम्बा और १३ मील चौड़ा है । बरतानवी साम्राज्य के सरक्षण की दृष्टि से भूमध्य-सागर में माल्टा महत्त्वपूर्ण सामरिक मोर्चा है ।

मुसलिम कान्फरेन्स—सन् १९२८-३० में मुसलिम लीग में दा दल होने पर मियाँ सर मुहम्मद शफ़ी मरहूम आदि ने पंजाब में अपनी लीग अलग कायम की । लीग की दूसरी शाखा अन्य मुसलिम नेताओं के हाथ में थी, जिसमें मि० जिन्ना का नगण्य स्थान था । लीग में इस प्रकार विग्रह पड़ जाने

पर स्वतन्त्र-चेता मुसलिमों ने अपनी अलग संस्था बनाई, जिसका नाम मुसलिम कान्फरेन्स पड़ा। मुसलिम कान्फरेन्स मुसलिम लीग के उद्देश्यों के प्रतिकूल विचार रखनेवाले मुसलमानों की संस्था थी। अब यह संस्था अस्तित्वहीन होगई है।

मैडागास्कर—हिन्द महासागर में, अफ्रीका के पूर्वीय भाग पर स्थित, एक द्वीप; क्षेत्र० २,४२,००० वर्ग०, जन० ३८ लाख, जिसमें ३०,००० योरोपीय, शेष अरब, चीना और हिन्दू हैं। यहाँ के आदिम-वासियों में होवा जाति प्रधान है। सन् १८८५ तक इस जाति के लोगों का ही इस द्वीप पर शासनाधिकार था, किन्तु १९वीं शताब्दि का अन्त होने तक साम्राज्यवादी फ्रान्सीसियों ने इसे हथिया लिया। तब से यह द्वीप फ्रान्स का एक उपनिवेश है। सन् १९४० में फ्रान्स का पतन होने पर धुरी राष्ट्र मैडागास्कर में गुप्त रूप से अस्त्र-शस्त्र भेजने लगे और वहाँ के मूल-निवासियों को सैनिक-शिक्षा दी जाने लगी। जापान ने भी अपने विशेषज्ञ वहाँ भेज दिये। इस द्वीप में तीन विशाल हवाई अड्डे और उत्तम जहाजी बन्दरगाह हैं। मैडागास्कर से भारत ३५०० मील की दूरी पर है। यदि इस पर धुरी राष्ट्रों का अधिकार होजाता, तो अतलातिक महासागर से होकर अमरीकी तथा अँगरेज़ी जलयानों का मार्ग ही रुक जाता। अतः सितम्बर १९४२ में मित्रराष्ट्रों ने इस द्वीप पर अपना अधिकार जमा लिया।

राधाकृष्णन्, सर सर्वपल्ली—एम० ए०; डी० लिट्, एलएल० डी०; जन्म ५ सितम्बर सन् १८८८, मदरास के क्रिस्चियन कालिज में शिक्षा पाई; मैसूर विश्वविद्यालय और प्रेसिडेन्सी कालिज मदरास में फिलासफी के प्रोफेसर रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन-शास्त्र (फिलासफी) के अध्यापक थे। मैचेस्टर कालिज (आक्सफर्ड) में तुलनात्मक धर्म के अध्यापक और आक्सफर्ड विश्वविद्यालय में, १९३६ में, पूर्व-देशीय धर्मों और नीतिशास्त्र के अध्यापक थे। १९३१ में 'सर' की उपाधि से विभूषित किये गये। सन् १९३१-३९ तक 'बौद्धिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग समिति' के सदस्य रहे। हिन्दू विश्वविद्यालय में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अध्यापक थे और अब, १९३९ से, इसी विद्यालय के वाइस-चान्सलर हैं। ब्रिटेनिका विश्वकोश में भारतीय दर्शन लिखा है। दर्शन, धर्म, और नीतिशास्त्र पर आपने अनेक ग्रन्थ अँगरेजी

में लिखे हैं, जिनका समस्त ससार में मान हुआ है। भारत की आप एक विभूति हैं।

वाइसराय की कार्यकारिणी—१७ फरवरी १९४३ को सर्वश्री अणो, सरकार और सर हुरमसजी मोदी के त्यागपत्र दे देने के कारण वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद् में रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति के सवध में हुई रहोबदल के विषय में २ मई १९४३ को भारत-सरकार की ओर से अग्रलिखित सूचना प्रकाशित हुई :—सद-सदस्य—दीवान बहादुर सर ए० रामस्वामी मुदालियर, जो इस समय बर-तानी-युद्ध-मन्त्रिमण्डल में भारतीय प्रतिनिधि हैं। व्यापार-सदस्य—सर अज़ी-जुल हक, जो इस समय लन्दन में भारतीय हाई कमिश्नर हैं। सूचना और प्रचार-विभाग के सदस्य—सर सुलतान अहमद, जो इस समय भारत-सरकार के कानून सदस्य हैं। कानून-सदस्य—सर अशोक कुमार राय, ऐडवोकेट-जनरल बंगाल, (सर सुलतान अहमद के उत्तराधिकारी)। प्रवासी-भारतीय-विभाग-सदस्य—डा० एन० बी० खरे, जिन्हें १९३७ में मध्यप्रान्तीय कांग्रेस-मन्त्रिमण्डल में प्रधान-मन्त्री नियुक्त किया गया था, किन्तु १९३८ में, अनु-शासन-भङ्ग करने के दोष में, जिन्हें इस दायित्वपूर्ण पद से पृथक् कर दिया गया था। गवर्नर-जनरल ने दीवान बहादुर सर एस० ई० रङ्गनाथन, एम० ए०, एल० टी०, आई० ई० एस० को, जो इस समय भारत-मन्त्री के सलाह-कार हैं, सर अज़ीजुल हक के स्थान पर, लन्दन में भारतीय हाई कमिश्नर नियुक्त किया है। सूचना में बताया गया है कि सर ए० रामस्वामी के उत्तराधिकारी का नियुक्ति का प्रश्न शीघ्र ही नहीं उठता, क्योंकि वर डेड मरीने के भीतर भारत आ रहे हैं। सर एस० ई० रङ्गनाथन के उत्तराधिकारी ही नियुक्ति की घोषणा भी बाद में देने वाली थी। ग्रामाम और उरीमा प्रान्तों में, नवम्बर १९३६ के बाद मन्त्रिमण्डल स्थापित हो चुके हैं। और सम्प्रति केवल ३ प्रान्तों में गवर्नर-प्रान्त सलाहकारों के सहायक से, शासन चर रहे हैं। (देखिये वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद्)

विलियम फिलिप्स - "जा मुक्ति भारत के सम्बन्ध में प्रतिकूल-प्रतिकूल पक्षधर होने का मान प्राप्त करने में सर्वोत्तम प्राया है, क्योंकि भागी भारत का, स्वतन्त्र होकर स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में, प्रायश्चित्त रूप से अज्ञान भाग प्रदा करना है। यह एकलव्यवर्ती शक्ति निर्यातों से से राजस्वगत में पैदा होगा।"

यह शब्द हैं प्रेसिडेन्ट रूज़वैल्ट के निजी प्रतिनिधि, मि० विलियम फ़िलिप्स के, जो उन्होंने, ८ जनवरी '४३ को, नई दिल्ली पहुँचने पर अख़बार-नवीसों की एक कान्फ़रेन्स में कहे। प्रश्नोत्तर में आपने और कहा—“मेरा काम भारत (भारतीय स्थिति) का यथाशक्य समझने और अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेन्ट के सामने पेश कर देना है।” “मैं पहले यहाँ कभी नहीं आया, किन्तु ४० वर्षों से अमरीकी राज्य-शासन से सम्बन्धित रहने के कारण भारत और भारतीयों के विषय में मेरी विशेष रुचि उत्पन्न हुई है।” “अमरीकियों और भारतीयों को परस्पर बहुत कुछ सीखना है।”

देश के अनेक भागों में आप गये हैं, और आपने यहाँ बहुत से दलों के अगुआओं से भेंट की है। २५ अप्रैल '४३ को एक विदाई-समारोह में, प्रश्नोत्तर के समय पत्र-सवाद-दाताओं से बातचीत करते हुए आपने बतलाया—“श्री गांधी से मैं मिलना और बातचीत करना चाहता था। मैंने इस सम्बन्ध में अधिकारियों से अनुमति के लिये निवेदन किया, किन्तु उन्होंने मुझे सूचना दी कि वह मुझे इस विषय की आवश्यक सुविधायें देने में असमर्थ हैं।” आपके वक्तव्य के अन्य भाग से स्पष्ट है कि आपका भारत में अमरीकी फौजी मामलात से कोई सम्बन्ध नहीं है। विदेशों में आप वर्षों अमरीकी राजदूत रहे हैं।

शिया कान्फ़रेस—जिसका पूरा नाम आल-इंडिया शिया सोशल कान्फ़रेस है। समस्त सन्सार के मुसलमानों में सुन्नी और शिया दो बड़े फ़िरक़े हैं। धार्मिक-विश्वास-सम्बन्धी मतैक्य इस भेद का कारण है, और यह मतभेद इसलाम के प्रादुर्भाव-काल से ही चला आ रहा है। धार्मिक-विश्वास-गत इस मतभेद का प्रभाव समुदाय की सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक आदि स्थितियों पर भी पड़े बिना नहीं रहता। योरप में ईसाइयों के प्रोटेस्टेन्ट और कैथलिक फ़िरक़ों में सैकड़ों वर्ष तक विकट कटुता रही, यहाँतक कि इसी कारण शान्ति, सहिष्णुता और प्रेम के अवतार महात्मा ईसा के अनुयायी, इन दो समुदायों में रक्तपात और युद्ध तक हुए। इसलाम और उसके महान् पैग़म्बर के अनुयायियों का यह मतैक्य भी सदियों पुराना है, और तुर्किस्तान में छोड़कर अन्य इसलामी देशों में किसी-न-किसी रूप में पाया जाता है।

मैं भी कमाल अता तुर्क के युग में इस मतभेद का उन्मूलन हुआ है।

दुर्भाग्यवशात् भारत ऐसे मतभेदों का केन्द्र रहा है, और उसकी दासता और परवशता से लाभ उठाने वाली शक्तियों ने इस मतभेद की जड़ों में और भी निरन्तर पानी देकर इसे सरसब्ज किया है। शियों को शिकायत है कि सुन्नियों ने उनपर बहुत अत्याचार किये हैं—इसी कारण ईरान से भागकर वह भारत आये—किन्तु यहाँ भी भारत के सुन्नी मुसलमानों द्वारा उन्हें सामाजिक प्रतारण का प्रहार सहन करना पड़ रहा है। सामाजिक प्रगति के किसी भी आयोजन में सुन्नी और शिया मिलकर आजतक नहीं बैठ सके। इसी कारण आल-इंडिया मुसलिम लीग की स्थापना के दूसरे वर्ष, १९०७ में, भारत के शिया मुसलमानों ने इस सस्था की स्थापना की। आरम्भ में यह सस्था शुद्ध सामाजिक क्षेत्र में सेवा करती रही, किन्तु परिवर्तित युग के प्रभाव ने शियों को भी प्रभावित किया, और पीछे इसके नियमोद्देश में नरम राजनीति को स्थान दिया गया। मुसलिम लीग से बिलकुल पृथक् शिया कान्फ्रेंस, सम्प्रदाय के हित के लिये, तब से कार्य-क्षेत्र में है। आल-इंडिया मुसलिम लीग से इसका कोई सरोकार न पहले था, न अब है, और न शिया मुसलमानों की यह सस्था लीग को अपनी जुमाइन्दा जमाअत और मि० जिन्ना को अपना क्राइद (नेता) मानती है। राजा नवाबअली साहब मरहूम शिया कान्फ्रेंस के वर्षों क्राइद रहे हैं। कान्फ्रेंस का सदर दफ्तर रायबरेली (अवध) में और उसकी शाखा लखनऊ में है, जहाँ से 'सरफ़राज़' नामक, शिया कान्फ्रेंस का उर्दू-दैनिक मुखपत्र, पिछले १६ वर्षों से प्रकाशित हो रहा है।

शिया पोलिटिकल कान्फ्रेंस—जिसका पूरा नाम आल-इंडिया शिया पोलिटिकल कान्फ्रेंस है। आल-इंडिया शिया सोशल कान्फ्रेंस के उद्देशों में राजनीतिक-कार्यक्रम को सम्मिलित किये जाने से सरकारी मुलाज़िम जब उससे पृथक् रहने लगे, तब शिया फिरके की अलग राजनीतिक संस्था स्थापित करने का विचार शिया कान्फ्रेंस ने स्थिर किया, किन्तु १९२६ से पूर्व वह अपने इस निश्चय को कार्यान्वित न कर सकी। सरकारी कर्मचारियों की पृथक्ता ही इस राजनीतिक संस्था की स्थापना का मुख्य कारण नहीं थी। जैसा कि अखिल-भारतीय शिया राजनीतिक सम्मेलन के इतिहास में प्रकट है, शिया मुसलमान पृथक् निर्वाचन-प्रणाली के विषय पर परिष्कार को भोग चुके थे।

इस साम्प्रदायिक निर्वाचन-प्रणाली द्वारा उनके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों का सरक्षण विलकुल नहीं हो रहा था, फलतः शिक्षित शियों में अपना अलग राजनीतिक-मंच स्थापित करने की इच्छा बलवती हुई, और १९२६ में, इस संस्था की प्रयाग में स्थापना हुई, और इसका पहला अधिवेशन अप्रैल १९३० में हुआ। सबसे पहले राजनीतिक रूप में शियों ने, साम्प्रदायिक निर्वाचन-प्रणाली का प्रबल प्रतिरोध करते हुए, सम्मिलित निर्वाचन-प्रणाली की स्थापना का मतालवा किया। मुश्तरका इन्तज़ाब की अपनी मौलिक माँग के साथ शिया पोलिटिकल कान्फरेंस देश के राजनीतिक विकास में प्रतिगामी सस्था कभी नहीं रही है। साइमन रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए गोलमेज़ कान्फरेंस में भारतीय शिया-सम्प्रदाय के स्वतन्त्र प्रतिनिधि लिये जाने का मतालवा आ०-इ० शिया पोलिटिकल कान्फरेंस ने किया, किन्तु सरकार ने उनकी यह माँग अस्वीकार कर दी। इस पर शि० पो० कान्फरेंस ने सरकार की तीव्र आलोचना की। सन् १९३२ में साम्प्रदायिक निर्णय का भी कान्फरेंस ने विरोध किया और अपने प्रस्ताव में कहा कि निर्वाचन-प्रणाली का आधार साम्प्रदायिक न रहे और उसमें वालिग मताधिकार को स्थान देकर उसका पूर्ण विकास किया जाय। साम्प्रदायिक-निर्णय की तीव्र आलोचना करते हुए कान्फरेंस ने कहा कि इसके द्वारा तो देश में और भी अनेक सम्प्रदायों और दलों का जन्म होगा। मृतप्राय मुसलिम लीग को पुनर्जीवित करने का प्रयास इसी युग में प्रारम्भ हुआ, और १९३३ में बहुसंख्यक मुसलिम सम्प्रदाय ने सर्वदल मुसलिम सम्मेलन का आयोजन करते समय शिया पोलिटिकल कान्फरेंस को निमंत्रित नहीं किया, तो उसने इस सम्मेलन के प्रति, १२ नवम्बर १९३३ को, असहयोग का प्रस्ताव पास किया, फलतः कान्फरेंस का कोई सदस्य इस सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुआ। १४ जुलाई १९३४ को आ०-भा० शि० पो० कान्फरेंस ने 'मुसलिम यूनिटी बोर्ड' से समझौता किया और चुनाव में पूर्ण सहयोग देते हुए मौ० शौकत-अली मरहूम और मि० अज़हरअली की मदद उस अवसर पर की जब कि दूसरी ओर सर सय्यद वज़ीर हसन जैसे प्रमुख शिया सज्जन मुकाबले में उमीदवार थे।

। यूनिटी बोर्ड' ने, इस सहयोग के बदले में वचन दिया था कि केन्द्रिय

और प्रान्तीय धारा-सभाओं में शियों के लिये जगहे मुकर्रर दी जायेंगी, किन्तु बाद में बोर्ड अपने वादे से फिर गया। फलतः कान्फरेन्स ने मुसलिम पार्लमेंटरी बोर्ड से असहयोग कर दिया। व्यक्तिगत रूप से भी कोई शिया उसका मेम्बर नहीं रहा। कान्फरेन्स ने १९३५ के भारतीय शासन-विधान का विरोध करते हुए विधान-निर्मात्री परिषद् द्वारा देश का शासन-विधान बनाये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। १९३७ में कान्फरेन्स ने शियों को बिना किसी शर्त के कांग्रेस में सम्मिलित होजाने का आदेश दिया, किन्तु १९३६ के आरम्भ में मदहे-सहाबा और तबर्का के भूगडे में सयुक्त-प्रान्तीय कांग्रेसी सरकार द्वारा सुन्नियों को लखनऊ में मदहे-सहाबा पढ़ने की आज्ञा दे देने के कारण कान्फरेन्स कांग्रेस से असन्तुष्ट रही। इस अवसर पर मौलाना अबुलकलाम आज़ाद ने दोनों फिरकों में समझौता कराने का प्रयत्न किया। उनके प्रयत्न को सफलता प्राप्त होनेवाली थी, किन्तु इसी बीच कांग्रेसी-मन्त्रिमण्डल मुस्तैफ़ी होगये और यह भूगड़ा वैसा ही रह गया।

आल-इंडिया शिया पोलिटिकल कान्फरेन्स आल-इंडिया मुसलिम लीग को समस्त भारतीय मुसलिम-समाज की प्रतिनिधि-संस्था नहीं मानती। इस विषय में कान्फरेन्स की केन्द्रिय कार्यकारिणी अपने २६ अक्टूबर १९३६ के प्रस्ताव द्वारा स्पष्ट घोषणा कर चुकी है। उसे शिकायत है कि लीग यद्यपि मुसलिम अल्पमतों के सरक्षण का दावा करती है, किन्तु उमने शिया अल्पमत के अधिकारों को सदैव उपेक्षा की दृष्टि से देखा है और शियों के सरक्षण में असफल रही है, और उसकी नीति सदैव बहुसंख्यक मुसलमानों को प्रसन्न और सन्तुष्ट करने की रही है। लीग से इस प्रकार असन्तुष्ट शियों का, दूसरी ओर, ब्रिटिश सरकार मुसलमानों से अलग जमाअत स्वीकार करने में इनकार करती है और बहुसंख्यक मुत्सु जमाअत उनको कोई अधिकार देने को तय्यार नहीं है। लीग से शिया जमाअत को शिकायत है कि भारत की अन्य जमाअतों से अपने अधिकारों को पक्ष ले लेना चाहती है किन्तु उन अधिकारों में से मुसलिम सभ्यता के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को दृष्टि देना नहीं चाहती। शिया जमाअत इनके अत्याचारों पर शियों को पक्ष देने का सर्व लीग में शामिल हो जाने पर और देते हैं। अल्पमत में होनेवाले दिनों भी राजनीतिक व्यवस्था

वैधानिक समझौते के सम्बन्ध में कान्फरेंस घोषणा कर चुकी है कि शियों को ऐसा कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा, जिसमें उनकी प्रतिनिधि सस्था, इस कान्फरेंस, की सहमति प्राप्त न कर ली गई हो। मर स्टैफर्ड क्रिप्स के भारत आने पर कान्फरेंस ने अपने प्रतिनिधियों से भेट करने के बारे में पन-व्यवहार किया था। किन्तु उसका कोई प्रतिफल नहीं निकला।

लीग की पाकिस्तान योजना के सम्बन्ध में कान्फरेंस ने चिन्ता प्रकट की है। यद्यपि प्रकाश्य रूप से लीग ने नहीं कहा है, किन्तु लीग पाकिस्तानी प्रान्तों में 'हुकूमते-इलाहिया' यानी शरई इसलामी शासन-विधान कायम करने की कल्पना कर रही है। मुसलिम लीग के अप्रैल १९४३ के वार्षिक अधिवेशन में इस प्रकार का प्रस्ताव आने वाला था, किन्तु वह पेश नहीं हुआ। इस 'हुकूमते-इलाहिया' का विधान वैसा ही होगा, जैसा हज़रत मुहम्मद साहब के बाद चार खलीफ़ाओं—हज़रत अबूबकर, हज़रत उमर, हज़रत उसमान और हज़रत अली—के शासन-काल में रहा। यह चारों खलीफ़ा सुन्नत जमाअत के आदर और श्रद्धा के पात्र हैं और शिया इनके निन्दक हैं। वह इनके नाम पर तवर्ता पढते हैं। अतएव शिया 'पाकिस्तान' में इस प्रकार के शासन-विधान के प्रबल विरोधी हैं। इससे उनके धार्मिक विश्वास को ठेस पहुँचेगा। 'मदहे सहाबा' और 'तवर्ता' का इससे सम्बन्ध है, और इस प्रश्न पर शिया जमाअत सुन्नियों से कोई समझौता करने को कदापि तैयार नहीं है। भारतीय मुसलमानों में शियों की संख्या कम-से-कम दो करोड़ है, जबकि कुछ लोग इस सस्था को तीन करोड़ तक समझते हैं। शियों की अलग मदुमशुमारी न होने से ठीक आँकड़े प्राप्त नहीं हैं। फरवरी १९४३ के सर्व-दल-नेता सम्मेलन में इस कान्फरेंस को भी निमन्त्रित किया गया था। वर्तमान वैधानिक और राजनीतिक सङ्कट के निवारण के सम्बन्ध में भी ११ अप्रैल १९४३ को कान्फरेंस की कार्यकारिणी एक चिन्तापूर्ण प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी है। व्यक्तिगत रूप से पूँजीपति और सत्ताधारी कुछ शिये लीग में शामिल हैं, किन्तु कान्फरेंस उनको अपनी जाति का प्रतिनिधि स्वीकार नहीं करती। कान्फरेंस का मुख्य कार्यालय लखनऊ में है, और अंगरेज़ी साप्ताहिक 'लाइट' उसका मुखपत्र है

सर्व-दल-नेता-सम्मेलन—फरवरी-मार्च '४३ ने महात्मा गांधी के २१ दिन के त्रत-काल में श्रीराजगोपालाचारी तथा श्री क० मा० मुन्शी आदि नेताओं ने नई दिल्ली में भारत के सर्व दलों के नेताओं का एक सम्मेलन आमन्त्रित किया। यह सम्मेलन २० फरवरी १९४३ को नई दिल्ली में, सर तेजबहादुर सप्रू के सभापतित्व में हुआ, जिसमें लगभग ३००० हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, योरपियन आदि सम्प्रदायों के नेताओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में डा० जयकर ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया:—

“यह सम्मेलन, जो भारत में विविध धर्मों, संप्रदायों एवं हितों का प्रतिनिधि है, इस देश की जनता की देशव्यापी आकांक्षा की अभिव्यक्ति करता है कि भारत के भविष्य एवं अन्तर्राष्ट्रीय शुभाकांक्षा के हित में महात्मा गांधी को तुरन्त ही बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया जाय। यह सम्मेलन उस गंभीर स्थिति को सबसे अधिक चिन्ता के साथ देखता है जो उस समय उत्पन्न हो जायगी जबकि सरकार समय पर कार्यवाही करने में विफल रहेगी और इस संकट का अवरोध न कर सकेगी। इसलिए यह सम्मेलन सरकार से अनुरोध करता है कि वह महात्मा गांधी को तुरन्त रिहा कर दे।”

वाइसराय की सेवा ने यह प्रस्ताव स्वीकृत होने से पूर्व ही सूचनार्थ भेज दिया गया था और बाद में उसकी स्वीकृति की सूचना भी दे दी गई थी। वाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी ने, २१ फरवरी १९४३ को, इस प्रस्ताव के उत्तर में निम्न-लिखित पत्र सम्मेलन के सभापति, सर तेजबहादुर सप्रू, को भेजा:—

“श्री गांधी के उपवास के नामले में भारत-सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से उस विज्ञप्ति में उल्लिखित है जो सरकार ने १० फरवरी को प्रकाशित की थी और उसकी एक प्रति आपके अवलोकन की सुविधा के लिए भेजा है। उस तारीख के बाद कोई नवीन स्थिति पैदा नहीं हुई है और भारत सरकार की विज्ञप्ति, स्पष्टतः त्रत के संवध में पूरी जिम्मेदारी श्री गांधी पर ही स्वीकार करती है, सरकार पर नहीं, इसलिए उसके अन्त करने का निर्णय भी उनके ऊपर ही निर्भर है।”

इसी दिन सर तेजबहादुर सप्रू, (सभापति), श्री एन० सी० चट्टोपाध्याय

(बंगाल हिन्दू-सभा के प्रधान), सर अब्दुल हलीम गुजनवी (एम० एल० ए० (केन्द्रिय), (अव्यक्त केन्द्रिय राष्ट्रीय भारतीय मुस्लिम सङ्घ), श्रीमती मरलादेवी चौधरानी (प्रधान-मन्त्रिणी, भारतीय महिला एसोसियेशन और प्रधान हिन्दू-मुसलिम-महिला-एकता-समिति), डा० अशरफ (साम्यवादी नेता), डा० शौकतुल्ला अन्सारी (जनरल सेक्रेटरी, अखिल-भारतीय आज़ाद मुस्लिम दल), कामरेड वी० टी० रणदिव (साम्यवादी दल के प्रतिनिधि), डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी (कार्यकर्ता-प्रधान, अखिल-भारतीय हिन्दू महासभा), डा० वी० एस० मुजे (जनरल सेक्रेटरी, हिन्दू महासभा), राजा महेश्वरदयाल सेठ (अव्यक्त हिन्दू-सभा अवध), श्रीभूलाभाई जीवनजी देमाई (नेता, विरोधी-दल केन्द्रिय असेम्बली, पूर्व सदस्य कांग्रेस कार्य-समिति), श्री पी० एन० बनर्जी (नेता, राष्ट्रवादी दल केन्द्रिय धारासभा), पं० हृदयनाथ कृजरू (अव्यक्त, सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसायटी और लिबरल नेता), श्रीमती हन्ना सेन (उपाध्यक्षा, अखिल-भारतीय महिला परिषद्), डा० पी० सुबरायन (पूर्व कानून-मंत्री, मदरास), श्री जे० आर० डी० टाटा (अव्यक्त टाटा सन्स कम्पनी), श्री एन० एम० जोशी (सेक्रेटरी, आल-इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और एम० एल० ए० केन्द्रीय), सर अरदेशिर आर० दलाल (मेनेजिंग डाइरेक्टर, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी), श्री सच्चिदानन्द सिंह (वाइस चान्सेलर पटना यूनिवर्सिटी), श्री जी० एल० मेहता (अव्यक्त फैडरेशन आफ् इंडियन चेम्बर्स आफ् कमर्स), श्री किरणशंकर राय (मेम्बर, बंगाल असेम्बली) श्री मुहम्मद अहमद काज़िमी एम० एल० ए० (केन्द्रिय), श्री सेवामिह गिल (जमींदार), श्री हुमायूँ कबीर (सेक्रेटरी, हिन्दू-मुसलिम-एकता परिषद्), राइट आनरेबुल डा० एम० आर० जयकर (पूर्व न्यायाधीश न्याय-कमिटी, प्रिवी कौंसिल), श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी (पूर्व गृहमंत्री, बंबई), कृंवर सर जगदीशप्रसाद (पूर्व सदस्य वाइसराय की शासन परिषद्) प्रमुख व्यक्तियों और नेताओं के हस्ताक्षरों से एक वक्तव्य ब्रिटिश प्रधान-मंत्री श्री चर्चिल के पास, समुद्री-तार द्वारा, भेजा गया, जिसमें उनसे यह अपील की गई कि महात्मा गांधी को तुरन्त ही बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया जाय ।

२४ फरवरी को श्री चर्चिल ने इसका जो उत्तर दिया, वह निम्न प्रकार है:—

“विगत अगस्त में भारत-सरकार ने यह निश्चय किया था कि मि० गांधी तथा दूसरे कांग्रेस नेताओं को नज़रबन्द रखा जाय और इसका कारण स्पष्ट किया जा चुका है, और अच्छी तरह मालूम भी है। उस निर्णय के जो कारण थे, वे आज भी अस्तित्व में हैं, और सम्राट् की सरकार भारत सरकार के इस निश्चय को स्वीकार करती है कि भारत की जनता और सयुक्त राष्ट्रों के प्रति उसका जो कर्तव्य है उससे वह विमुख न हो और मि० गांधी द्वारा उपवास रखकर अपनी मुक्ति प्राप्त करने के प्रयत्न में सहायक न हों।”

इस प्रकार सर्व-दल नेता-सम्मेलन का प्रयास विफल रहा। किन्तु सम्मेलन की स्थायी-समिति निराश नहीं हुई। १० मार्च १९४३ को बंबई में सर तेज-बहादुर सप्रू के सभापतित्व में पुनः नेता-सम्मेलन हुआ, जिसमें वाइसराय से एक सभ्य-मण्डल ले जाकर मिलने का निर्णय हुआ, किन्तु वाइसराय ने डेपु-टेशन से भेट करने के सम्बन्ध में अपमानजनक शर्तें लगादी, फलतः डेपुटेशन लेजाने का विचार त्याग दिया गया।

विशिष्ट शब्द-सूची

हिन्दी	अँगरेज़ी पर्याय	पृष्ठ-संख्या
अखिल-अमरीकन परिषद्	Pan-American Union	१
अखिल-अरब आन्दोलन	Pan-Arabic Movement	२
अखिल-इस्लामवाद	Pan-Islamism	३
अखिल-जर्मनवाद	Pan-German Movement	५
अखिल-योरपवाद	Pan-Europe	॥
अखिल-स्लैववाद	Pan-Slavism	७
अग्रगामी दल	Forward Bloc	॥
अटलांटिक योजना	Atlantic Charter	६
अतिरिक्त लाभ-कर	Excess Profit Tax	११
अविनायक-तन्त्र	Dictatorship	१२
अन्तर्राष्ट्रीयता	Internationalism	॥
अन्तर्राष्ट्रीय गायन	International Anthem	॥
अन्तर्राष्ट्रीय विधान	International Law	१३
अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ	International Labour Organization	॥
अन्तर्राष्ट्रीय संघ	Internationals	१४
अनाक्रमण-संधि	Non-aggression Pact	१५
अनुदार दल	Conservative Party	॥

हिन्दी

अमरीकन भेजेदूर मघ

अंगरेजी पर्याय


पृष्ठ-संख्या

अमरीकन भेजेदूर मघ	American Federation of Labour	२०
अराजकतावाद	Anarchism	२५
असहयोग	Non-co operation	३८
अहस्तक्षेप-नीति	Non-Intervention Policy	३५
अहिंसा	Non-violence	३६
आतंकवाद	Terrorism	३८
आर्थिक-प्रवेश	Economic Penetration	३६
आर्थिक-राष्ट्रीयता	Economic Nationalism	३७
आर्थिक-साम्राज्यवाद	Economic Imperialism	३७
आनुपातिक प्रतिनिधित्व	Proportional Representation	३७
आइरिश राष्ट्रीय परिषद्	Dail Eireann	४२
आर्य	Aryans	४३
उत्तरदायी शासन	Responsible Government	५७
उधार और पट्टा कानून	Lend and Lease Act of 1941	५७
उपनिवेश	Colony Dominion	५७
एकच्छत्र शासन	Monarchy	५८
एकाधिपत्य	Monopoly	५८
एकान्तता	Isolationism	५९
ऐंग्लो-सैक्सन	Anglo-Saxons	६०
ओटावा-समझौता	Ottawa Pact	६३
औद्योगिक सगठन-समिति	Industrial Organisation Committee	६४
औपनिवेशिक मॉग	Lebensraum Living Space	६५
औपनिवेशिक स्वराज्य	Dominion Status	६५
कृषि-सामंजस्य-कानून	Agricultural Adjustment Act, 1933	७१

हिन्दी	अँगरेजी पर्याय	पृष्ठ-संख्या
कांग्रेस-कार्य समिति	Congress Working Committee	७१
कांग्रेस-मंत्रि-मण्डल	Congress Ministry	७२
कांग्रेस-समाजवादी दल	Congress-Socialist Party	७१
कामन-सभा	House of Commons	७५
कामिण्टर्न-विरोधी समझौता	Anti-Comintern Pact	७१
कांग्रेस क्रान्तिकारी सघ	League of Radical Congress- men	७७
किसान-कार्यक्रम	Agrarian Programme	७१
किसानवादी	Agriarians	७१
क्रिप्स के प्रस्ताव	Cripps Proposals	८१
क्रूजर	Cruiser	८३
केन्द्रियतावाद	Centralism	८४
केन्द्रिय धारा-सभा	Central Assembly	७१
कैलाग-ब्रियान्द समझौता	Kellogg-Briand Pact	७१
कामिण्टर्न	Comintern	८६
को मिन तांग्	Kuo Min Tang	७१
गिल्ड समाजवाद	Guild Socialism	६८
गेस्टापो	Gestapo	७१
चतुर्दश सिद्धान्त	Wilson's Fourteen Points	१०५
चातुर्वर्षीय योजना	Four Year Plan	१०६
जिबूटी	Djibouti	१२६
टारपीडो	Torpedo	१३१
टारपीडो बोट	Torpedo Boat	७१
तटस्थता	Neutrality	१३८
तटस्थता कानून	Neutrality Act	७१
तटस्थ-क्षेत्र	Neutrality Zone	७१
तटावरोध	Blocade	१४०

हिन्दी	अंगरेजी पर्याय	प्रश्न-संख्या
तृतीय राइश्व	Third Reich	१४६
त्रिराष्ट्र-संधि	Tripartite Pact	१४८
दण्डाज्ञा	Sanctions	१४८
दरे दानियाल	Dardanelles	"
दुचे	Duce	१५१
द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद	Dialectical Materialism	"
देशी रियासते	Indian States	१५६
धरना	Picketing	१५७
धुरी राष्ट्र	Axis Powers	"
नजरबन्दी	Internment Detention	१५८
नजरबन्द	Internee : Detenue	"
नव-राष्ट्र संधि	Nine-Power Agreement	१६०
नवीन योजना	New Deal	१६१
नशाबन्दी	Prohibition	"
नागरिक रक्षक दल	Civic Guards	१६२
निरस्त्रीकरण	Disarmament	१६७
निरस्त्रीकरण सम्मेलन	Disarmament Conference	"
निहिलिज्म	Nihilism	१६८
नोबेल पुरस्कार	Nobel Prizes	१७२
पंचम पक्ति या दल	Fifth Column	१७३
पंचवर्षीय योजना	Five Year Plan	"
पनडुब्बी	Submarine	१७४
पीत आतक	Yellow Peril	१७६
पूँजीवाद	Capitalism	१८०
पूना समझौता	Poona Pact	१८१
पूर्ण स्वराज्य	Complete Independence	१८२
राष्ट्र-सम्मेलन	Eastern Group Conference	"

हिन्दी	अंगरेजी पर्याय	पृष्ठ-संख्या
पैंजर सेना	Panzer Division	१८५
पैराशूट : जगी छतरी	Parachute	१८६
प्रभाव क्षेत्र	Sphere of Influence	१९०
प्रान्तीय स्वराज्य	Provincial Autonomy	”
प्रिवी कौंसिल	Judicial Committee of the Privy Council	”
फासिज्म	Fascism	१९२
फैडरल यूनियन	Federal Union	२०४
फेबियन सोसाइटी	Fabian Society	”
बंगभग	Bengal Partition	२०५
बालफोर घोषणा	Balfour Declaration	२१३
ब्रिटिश नौ-सेना	British Navy	२१५
ब्लिज़्क्रीग	Blitzkrieg	२२१
बुखारेस्त की सधि	Treaty of Bucharest	”
बुज़ु आ	Bourgeoisie	२२२
भारत-मन्त्री	Secretary of State for India	२४१
भारत-रक्षा-क़ानून	Defence of India Act	”
भारत-सेवक समिति	Servants of India Society	”
भारतीय मुसलिम लीग	All-India Muslim League	२४६
भारतीय राष्ट्रीय उदारसघ	All-India National Liberal Federation	२४७
भारतीय राष्ट्रीय महासभा	Indian National Congress	२४८
भारतीय व्यापारी मण्डल सघ	Federation of Indian Cham- bers of Commerce	२५२
भारतीय सेना	Indian Army	२५३
भारतीय हिन्दू महासभा	All-India Hindu Maha Sabha	२५४
भारतीय हिन्दू लीग	All-India Hindu League	२५५



भूमध्यसागर

मजदूर दल

मध्ययुग

मध्य योरप

मनरो-सिद्धान्त

मनोवैज्ञानिक युद्ध-प्रणाली

माक्सवाद

माटेग्यू-चैम्सफर्ड-सुधार

फौजी शासन

मारको के मुकद्दमे

मिन्टो-मार्ले-सुधार

मिस्र

मुक्त अर्थनीति

मुक्त बन्दरगाह

मुक्त व्यापार

मुद्रा विनिमय

म्युनिख-समझौता

मैजिनो दुर्ग-पक्ति

मैनशेविक

यहूदी

यरूशलमवाद

युद्ध-पोत

युद्ध-विरोधी आन्दोलन

यूनान

यू-बोट या पनडुब्बी

अंगरेजी पर्याय

Mediterranean Sea

Labour Party

Mediaeval Age

Central Europe

Monroe Doctrine

Psychological Warfare

Marxism

Montague-Chelmsford
Reforms

Martial Law

Moscow Trials

Minto-Morley Reforms

Egypt

Free Economy

Free Port

Free Trade

Currency Exchange

Munich Pact

Maginot Line

Menshevik

Jew

Zionism

Battleship

Anti-War Campaign

Greece

U-Boat

Reichstag

पृष्ठ-संख्या

२५५

२५६

२६३

”

”

२६४

२७०

२७२

२७३

”

२७४

”

२७७

”

”

”

२८६

२८६

२६१

२६४

२६७

२६८

”

३०२

३०५

३०८

हिन्दी	अंगरेजी पर्याय	पृष्ठ-संख्या
राइखताग अग्नि-काण्ड	Reichstag Fire	३०८
राष्ट्र-सघ	League of Nations	३१२
राष्ट्र-सघ-यूनियन	League of Nations Union	३१४
राष्ट्रीय उदार-दल	National Liberal Party	३१५
राष्ट्रीय मजदूर दल	National Labour Party	”
राष्ट्रीय समाजवाद या नात्सीवाद	National-Socialism	”
रूस की क्रांति	Russian Revolution	३२५
लक्जमबर्ग (की ग्रान्ड डची)	Grand Duchy of Luxem- bourg	३३१
लखनऊ-समझौता	Lucknow Pact	”
लन्दन-नौ-सधि	London Naval Treaty	३३२
लार्ड सभा	House of Lords	३३५
लालसेना	Red Army	३३६
लुफ्टवैफ्	Luftwaffe	३३८
लोकार्नो की सधि	Treaty of Locarno	३४२
वर्साई की सन्धि	Treaty of Versailles	३४४
वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद्	Viceroy's Executive Council	३४६
वाल स्ट्रीट	Wall Street	३४६
ह्वाइट हाउस	White House	”
विधान-निर्मात्री परिषद्	Constituent Assembly	३५०
विधानवाद	Constitutionalism	”
विध्वंसक	Destroyer	”
व्हिग	Whig	३५४
व्हिप	Whip	”
वेगॉ	Weygand	”
वैटीकन	Vatican	३५६
वैधानिक सक्कट	Deadlock	”

हिन्दी

वस्टमिन्स्टर-व्यवधान

शक्ति-सन्तुलन

शरणागत

शान्तिवाद

शाम

शासन-उत्क्रान्ति

शासन-परिवर्तन

शासन-विधान

शासनादेश-प्रणाली

शुशनिग, कर्ट फान

श्वेत रूस

श्वेत सेना

सन्तुष्टिकरण नीति

समाजवाद

सहकारिता दल

सघवाद

सयुक्त मोर्चा

सयुक्त-राज्य अमरीका

स्वदेश-प्रत्यागमन

स्वर्ण-मानदण्ड

सादावाद का समझौता

सामूहिक राज्य

सामूहिक सुरक्षा

साम्प्रदायिक निर्णय

साम्प्रदायिक निर्वाचन-प्रणाली

साम्यवाद

अंगरेजी पर्याय

Westminster Statute

Balance of Power

Refugees

Pacifism

Syria

Coup d'etat

Change of Government

Constitution

Mandate

Schuschnigg, Kurt von

White Russia

White Army

Appeasement Policy

Socialism

Co-operative Party

Syndicalism

Popular Front

United States of America

Repatriation

Gold Standard

The Pact of Saadabad

Corporate State

Collective Security

Communal Award

Communal Representation

Communism

Imperialism

पृष्ठ-संख्या

३५७

३५८

३५९

३६२

३६३

३६६

,,

,,

३६७

३६८

,,

३६९

३७३

३७४

३७९

,,

३८१

,,

३८७

३८८

३९०

,,

३९१


,,

३९१

,,

३९२

हिन्दी	अंगरेजी पर्याय	पृष्ठ-संख्य
स्तालिन दुर्ग-पक्ति	Stalin Line	३६७
स्याम	Thyland	,,
स्लाव	Slav	३६६
स्वाधीनता-दिवस	Independence Day	,,
स्वायत्त शासन	Self-Rule Home Rule	,
स्वाश्रयी व्यवस्था	Self-Sufficiency	,,
स्पिट फ़ाइर	Spitfire	४०२
सीगफ्रीड क्लिब्रन्दी	Siegfried Line	४०३
सुरक्षित स्वर्ण-कोष	Gold Reserves	४०८
स्पेन का गृह-युद्ध	Spanish Civil War	४०६
स्वेज़ नहर	Suez Canal	४१०
स्टैन्डर्ड आइल कम्पनियों	Standard Oil Combine	४११
स्ट्रैसा का मोर्चा	Stressa Front	,,
सोकल	Sokol	,,
सोवियत	Soviet	,,
सोशल डेमोक्रेट्स	Social Democrats	४१५
स्कोदा कारख़ाना	Skoda Works	४१६
स्लोवाक	Slovaks	,,
स्लोवेनीज़	Slovenes	,,
हड़ताल	Lockout Strike	४१८
हवाई टारपीडो	Air Torpedo	४२१
हास्ट वेमल गायन	Horst Wessel Song	४२२
हिटलर-युवक	Hitler Youth	४३४
हिन्द-चीन	Indo-China	४३५
परिशिष्ट	Index . Supplement	४४७
अखिल-भारतीय ग्रामोद्योग सघ	All-India Village Industries Association	४४८




	अंगरेजी पर्याय	पृष्ठ-संख्या
अ०-भा० चर्खा संघ	A I Spinners Association	११८
अ०-भा० देशी राज्य-प्रजा-परिषद्	A. I States' People's Conference	१५०
ईसपात	Steel	१५४
कासाब्लाका सम्मेलन	Casablanca Conference	४५५
केन्द्रीय कदवाने	Concentration Camps	१५८
गान्धी-लिनलिथगो-पत्रव्यवहार	Gandhi-Linlithgow Correspondence	१५८
फूर	Fuehrer	१७२
भारत-रक्षा-कानून	Defence of India Act	१७३
सर्व-दल-नेता-सम्मेलन	All Parties Leaders' Conference	४८१

प्रकाशक
एजुकेशनल पब्लिशिंग कम्पनी लिमिटेड
चारबाग ' : : लखनऊ

प्रथम संस्करण, मई १९४३

मुद्रक
पं० भृगुराज भार्गव
भार्गव-प्रिंटिंग-वर्क्स
लखनऊ



डेन्मार्क से १८६४ में लिये

उत्तरी सागर

वाल्डिक सागर

कीनिग्सबर्ग

वैस्टिन

डैमन

हैनीबर्ग

कोलन

बेल्जियम

दाजिग

बर्लिन

पोजन

क्रैमिजिग

ब्रिस्ल

नूरनबर्ग

स्टेटेगर्ट

फ्रांस से १८७० में लिये

फ्रांस

पोलैंड

मोस्को

वैसला

इंडन

बोहेमिया

वियेना

बुवारे

स्विट्ज़ेर्लैंड से १८७० में लिये

स्विट्ज़ेर्लैंड

ऑस्ट्रिया

म्युनिख

बेर्लिन

डेन्मार्क, आस्ट्रिया और फ्रान्स से युद्ध करके १८७० में विस्मार्क ने जर्मन साम्राज्य की नींव डाली। १९१४ तक जर्मनी ने प्रबल शक्तीकरण किया और समार को युद्ध-चुनौती दी।